पावरग्रिड
POWERGRID

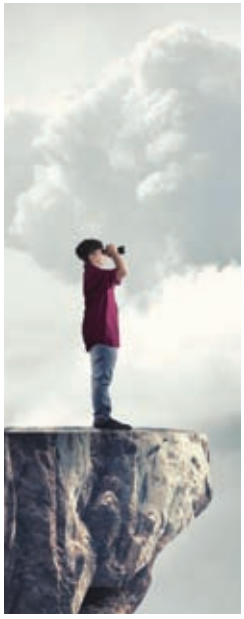
2nd INTEGRATED ANNUAL REPORT (2023-24)

ग्रीन ग्रिड का सशक्तिकरण



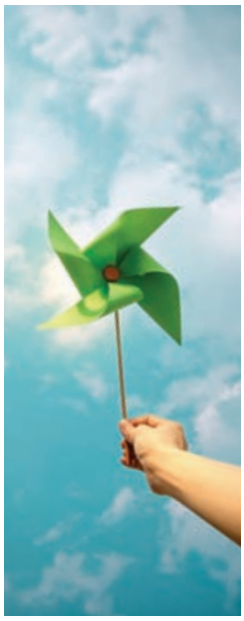






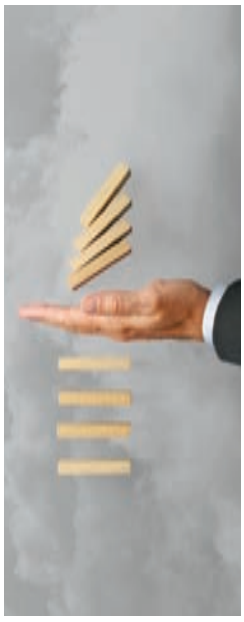
कॉर्पोरेट संबंधी सिंहावलोकन

- कॉर्पोरेट संबंधी सूचना 05
- रिपोर्ट के बारे में 06
- ग्रीन ग्रिड का सशक्तिकरण 08
- रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण 10
- अध्यक्ष का शेयरधारकों को पत्र 12
- पावरग्रिडः एक नजर में 16



संधारणीयता रणनीति

- संधारणीयता विजन 36
- ईएसजी लक्ष्य और प्रगति 43
- ईएसजी शासन 45
- यूएन एसडीजी के साथ संरेखित पहलें 46
- हितधारक अनुबंध 52
- भौतिकत्व मूल्यांकन 56



कॉर्पोरेट शासन

- कॉर्पोरेट शासन 58
- जोखिम प्रबंधन 64



व्यापार मॉडल

66



मूल्य सृजन

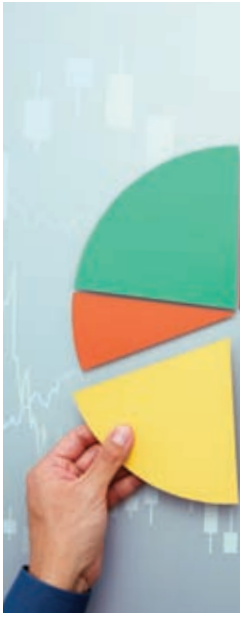
- वित्तीय पूंजी 68
- विनिर्मित पूंजी 74
- प्रज्ञात्मक पूंजी 86
- प्राकृतिक पूंजी 94
- मानव पूंजी 108
- सामाजिक और संबंध पूंजी 120



जीआरआई सूचकांक

133

- गैर–वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य 138



सांविधिक रिपोर्ट

- निदेशक की रिपोर्ट 155
- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 186
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट 228
- कॉर्पोरेट शासन संबंधी रिपोर्ट 283
- सीएसआर संबंधी रिपोर्ट 330



वित्तीय विवरण

- कंपनी का अपना वित्तीय कार्यनिष्पादन 334
- समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन 494



कॉर्पोरेट संबंधी सूचना

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
सीआईएनः एल40101डीएल1989जीओआई038121

पंजीकृत कार्यालय
बी.9ए कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली .110016
दूरभाष–011-26560112, 26560115 और 26560193

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
श्री सत्यप्रकाश दास

कॉरपोरेट कार्यालय
''सौदामिनी'', प्लॉट सं.. 2, सेक्टर 29, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)
दूरभाष – 0124–2822999 और 2823999

वेबसाइटः www.powergrid.in
ईमेल आईडीः investors@powergrid.in

वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु

सांविधिक लेखापरीक्षक

1. **मैसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार**
   708, सूर्य किरण बिल्डिंग, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
   नई दिल्ली – 110001
   ईमेल : bala@sraco.in
2. **मैसर्स. सागर एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार**
   एच.नं.6–3–244/5, सरदा देवी स्ट्रीट, प्रेम नगर,
   हैदराबाद, तेलंगाना – 500004
   ईमेलः sagarandassociates@yahoo.co.in
3. **मैसर्स सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी, सनदी लेखाकार**
   जेके मिलेनियम सेंटर, 5वीं मंजिल, 46–डी, जवाहर लाल नेहरू रोड,
   कोलकाता, पश्चिम बंगाल – 700071
   ईमेलः ramesh@ss-associates.com
4. **मैसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार**
   डी – 509, नीलकंठ बिजनेस पार्क, नैथानी रोड,
   विद्याविहार पश्चिम, मुंबई – 400086
   ईमेलः umesh.abhyankar@gdaca.com

लागत लेखापरीक्षक

1. **मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट, लागत लेखापरीक्षक,**
   ''सीएमएप्राइड'', ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट सं. 6, क्र. सं. 16/6
   इरेन्डवाना कंपनी, एचएसजी सोसाइटी के सामने, इरेन्डवाना,
   पुणे–411004
   ईमेलः dvjasso@dvjaso.com
2. **मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, लागत लेखाकार,**
   बी–125, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली–110019
   ईमेलः bbhco1994@gmail.com

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव
121, विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट सं.: सी–58/19, सेक्टर–62,
नोएडा . 201309 (उ.प्र.)
मोबाइलः 9868282032ए 9810184269
ई–मेल : kumarnareshsinha@gmail.com

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटः

ईक्विटी शेयरः
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31–32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना – 500032
फोनः 040–67162222
टोल फ्री नंबर 18003094001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com
वेबसाइटः www.kfintech.com

बांड्सः
बीटल फाइनेंसियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्रा. लि.
बीटल हाउस, 3सरा तल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे,
नई दिल्ली–110062, दूरभाष 011-29961281-283, 26051061, 26051064
टेलीफैक्स : 011-29961284
ईमेलः beetal@beetalfinancial.com

बैंकर्स
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
यूनियन बैंक आफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसी बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक
इंडसइंड बैंक लिमिटेड
पंजाब नैशनल बैंक
केनरा बैंक
आईडीबीआई बैंक
बैंक आफ इंडिया

शेयर और बांड्स निम्नलिखित में सूचीबद्ध हैः
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड

निक्षेपागारः
नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिस्ट्री लिमिटेड
सेंट्रल डिपॉजिट्री सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

डिबेंचर न्यासी

बॉण्ड सिरीज XXVIII से XLI, XLIII से LVI और LVIII से LXXII इश्यू के लिए, भारत सरकार बॉण्ड
आईडीबीआई ट्रस्टशिप सर्विस लिमिटेड
युनीवर्सल इंश्योरेंस भवन, भूतल, सर पी.एम. रोड फोर्ट, मुम्बई- 400001
दूरभाष : 022-40807000, ईमेलः itsl@idbitrustee.com

रिपोर्ट के बारे में

रिपोर्ट के सिद्धांत

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपनी दूसरी एकीकृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसमें हमारे वित्तीय और गैर–वित्तीय निष्पादन का व्यापक ब्यौरा दिया गया है। इस रिपोर्ट में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ''पावरग्रिड'', ''कंपनी,'' ''यह कंपनी,'' ''हम,'' ''हमारा,'' और ''हमें'' शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह रिपोर्ट पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) कारकों को प्राथमिकता देने वाले एक स्थायी व्यवसाय दृष्टिकोण को अपनाकर हमारे हितधारकों के लिए मूल्य निर्माण की हमारी प्रतिबद्धता पर बल देती है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (आईआईआरसी) द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग <आईआर> कार्यढ़ाचा के साथ संरेखित; हम हर वर्ष अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रदान करके अपनी रिपोर्ट को नियमित रूप से बेहतर बनाते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे सभी हितधारकों को हमारे मूल्य निर्माण प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हो जाए, जिससे वे सूचित निर्णय लेने में सक्षम हों। हमारी एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य महत्वपूर्ण वास्तविक पहलुओं की मात्रात्मक और गुणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना और साथ–साथ हितधारकों के साथ संवाद करना है।

रिपोर्टिंग अवधि

इस एकीकृत रिपोर्ट में 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय और गैर–वित्तीय उपलब्धियों का व्यापक आकलन किया गया है। वर्तमान कार्यनिष्पादन मेट्रिक्स प्रस्तुत करने के अलावा, पिछले तीन से पांच वर्षों के तुलनात्मक आकड़ों को रिपोर्ट में शामिल किया गया है, ताकि समय के साथ कार्यनिष्पादन का रुझान प्राप्त हो सके।

उत्तरदायित्व कथनः हमारा बोर्ड, प्रबंधन के साथ–साथ इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई जानकारी की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए साझा रूप से जिम्मेदार है। बोर्ड और प्रबंधन दोनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस रिपोर्ट की सामग्री निष्पक्ष, पारदर्शी और संतुलित तरीके से प्रस्तुत की गई है।





दायरा और सीमा संबंधी रिपोर्टिंग

दायरा और सीमाः इस कंपनी के वित्तीय विवरण और प्रकटीकरण, जिसमें निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, और कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके नियमों, भारतीय लेखा मानकों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 का अनुपालन करते हैं। गैर–वित्तीय खंड अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद (अब मूल्य रिपोर्टिंग फाउंडेशन) के मार्गदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय एकीकृत रिपोर्टिंग ढांचे द्वारा निर्देशित है। प्रमुख निष्पादन संकेतक (केपीआई) वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों के संदर्भ में तैयार किए जाते हैं। कारोबार उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के जिम्मेदार व्यवसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को संदर्भित करती है, जो व्यवसायों की पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन उत्तरदायित्वों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संधारणीय विकास लक्ष्यों (यूएनएसडीजी) और अंतर्राष्ट्रीय संधारणीयता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) के साथ संरेखित है।

इस रिपोर्ट में ईएसजी केपीआई हमारे व्यापार मॉडल, रणनीति, उल्लेखनीय जोखिम, अवसर, समग्र प्रदर्शन, परिणामी आउटकम और समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष की संभावनाओं को दर्शाता है। इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए, पावरग्रिड के गैर–वित्तीय पहलुओं में समेकित आधार पर व्यावसायिक कार्यकलापों को शामिल किया गया है, जिसमें संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों को छोड़कर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ शामिल हैं। तथापि, वित्तीय प्रदर्शन गणना और रिपोर्टिंग में संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियां सहित सभी इकाइयाँ समेकित आधार पर शामिल हैं।

स्वतंत्र आश्वासन

मेसर्स ग्रांट थॉर्टन भारत एलएलपी ने सेबी के दिशा–निर्देशों के अनुसार बीआरएसआर कोर संकेतकों के लिए उचित आश्वासन दिया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट (आईएसएई) 3000 के अनुरूप बीआरएसआर गैर–कोर और एकीकृत रिपोर्ट के लिए आश्वासन सीमित किया है।

वित्तीय विवरण का आश्वासन कॉर्पोरेट सूचना पृष्ठ में उल्लेख किए गए अनुसार चार वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

ग्रीन ग्रिड का सशक्तिकरण

भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट से अधिक गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। देश की सबसे बड़ी पारेषण उपयोगिता के रूप में पावरग्रिड स्वच्छ ऊर्जा को एकीकृत करने और ग्रीन ग्रिड का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।



नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अवसंरचना निर्माण

पावरग्रिड राष्ट्रीय ग्रिड के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सफल बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। हमने नवीकरणीय समृद्ध क्षेत्रों को ग्रिड से जोड़ने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे बनाए हैं, नवीकरणीय उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने और उसकी योजना बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र स्थापित किए हैं और बड़े पैमाने के सौर पार्कों और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पारेषण प्रणाली क्रियान्वित किए हैं। ये परियोजनाएँ भावी स्वच्छ उर्जा में योगदान देते हुए 110 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के उत्पाद की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

हरित पोर्टफोलियो का विस्तार

पावरग्रिड स्थायी भविष्य के निर्माण में सहयोग करने के लिए लगातार नवाचार कर रहा है और अपने सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। स्वच्छ ईंधन विकल्पों में से ग्रीन हाइड्रोजन में उद्यम करना, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और तकनीकी उन्नति के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में और योगदान देते हुए पावरग्रिड स्वच्छ ऊर्जा की बढ़ती मांग को समझते हुए सौर ऊर्जा संयंत्रों और छतों पर लगाए जाने वाली सौर प्रणालियों का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है।

स्मार्ट ग्रिड के लिए स्मार्ट समाधान

पावरग्रिड न केवल अक्षय ऊर्जा से परिपूर्ण भविष्य के लिए अवसंरचना निर्माण कर रहा है, बल्कि ग्रिड को स्मार्ट बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहा है। हमारे स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटरिंग उपाय समग्र रूप से ग्रिड की दक्षता को बढ़ाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को उनके ऊर्जा उपयोग को प्रबंधित करने का बेहतर उपकरण मिलता हैं। इसके अलावा, पावरग्रिड बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) को एक अन्य प्रमुख समाधान के रूप में विकसित कर रहा है। बीईएसएस अक्षय ऊर्जा के भंडारण और प्रबंधन को सक्षम करके ग्रिड को लचीलापन और स्थिरता प्रदान करता है, जो इन स्रोतों की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हमारे ईएसजी लक्ष्य



उत्कृष्टता-एक नजर में

रिपोर्ट संक्षेप में

वित्तीय

*समेकित आधार पर

₹ 45,843 करोड़
प्रचालन से प्राप्त राजस्व

₹ 40,819 करोड़
ईबीआईटीडीए

₹ 15,573 करोड़
पीएटी

₹ 16.74
ईपीएस

₹ 2,75,991 करोड़
सकल अचल संपत्ति

68%
पीएटी के % के रूप में
लाभांश भुगतान अनुपात

प्रचालनात्मक

4,036 सीकेएम
पारेषण लाइन जोड़े गए

6
नए उप–केन्द्र जोड़े गए

19,720 एमवीए
ट्रांसफॉरमेशन क्षमता जोड़े गए

99.85%
उपलब्धता

0.28
ट्रिपिंग प्रति लाइन

पर्यावरणीय

₹ 125.77 करोड़
संधारणीय प्रयासों पर कुल व्यय

21.29%
पिछले वर्ष की तुलना में उत्सर्जन ऑफसेट में वृद्धि

10,053 एमडब्ल्यूएच
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न

90.01%
अपशिष्ट का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग

5.77%
पिछले वर्ष की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में कमी

38.98%
कुल जल उपभोग के % रूप में भूजल पुनर्भरण

सामाजिक

₹ 330.48 करोड़
सीएसआर व्यय

124
पूर्ण परियोजनाएं (संख्या)

8316
कुल कार्मिक (संख्या)

6.37
प्रति कर्मचारी औसत मानव–दिन प्रशिक्षण

8.39%
कार्यबल में महिलाएँ

₹ 218.07 करोड़
अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर व्यय

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पत्र



"हितधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे निरंतर विकास और स्थायी मूल्य के हमारे लक्ष्य में परिलक्षित होती है।"

प्रिय हितधारकों,

हमारे व्यापार की वृद्धि के एक और उल्लेखनीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति और परिचालन उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हुए आपको यह पत्र लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हितधारकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारे निरंतर विकास और स्थायी मूल्य के हमारे लक्ष्य में परिलक्षित होती है और पिछले वर्ष के अपने कार्य पर विचार करते हुए, मुझे हितधारकों को मूल्य प्रदान करने में पावरग्रिड द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कदमों को साझा करने में प्रसन्नता हो रही है। यह उपलब्धि नवाचार, निरंतर सुधार और वैश्विक दृष्टिकोण की संस्कृति के माध्यम से ही संभव हो सकी है।

मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने मई 2024 में ₹3 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को पार कर लिया है, यह उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे हमने बहुत कम समय में हासिल किया है। दिसंबर 2023 में यह मात्र ₹2 लाख करोड़ था। पिछले चार वर्षों में, पावरग्रिड के बाजार पूंजीकरण में 210% की प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इस वर्ष आपकी कंपनी की समेकित आय ₹46,913 करोड़ तक पहुँच गई है, जिसके परिणामस्वरूप ₹15,573 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) हुआ है। इस वर्ष, हमने पिछले वर्ष के ₹10,289 करोड़ की तुलना में ₹10,463 करोड़ का लाभांश दिया है, जो हमारे पीएटी का 68% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 67% अधिक है। यह भविष्य में हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए लाभांश भुगतान को प्रतिधारित आय के साथ संतुलित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं।

हम भारत में पारेषण प्रणाली में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए हैं और ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा पारेषण नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिसमें 1,77,000 सर्किट किलोमीटर से अधिक की पारेषण लाइनें और 278 उप–केन्द्र शामिल हैं, जिनकी परिवर्तन क्षमता 5,27,000 एमवीए से अधिक है। हमारी अंतरक्षेत्रीय क्षमता लगभग 99,580 मेगावाट है, जो देश की कुल अंतरक्षेत्रीय क्षमता का 84% है।

यह मजबूत बुनियादी ढांचा 765केवी और 400केवी ईएचवीएसी उपकेन्द्र, एलसीसी के साथ–साथ वीएससी एचवीडीसी स्टेशन और एसवीसी और स्टैटकॉम का उपयोग करने वाली उन्नत प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा समर्थित है।

पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने की हमारी प्रतिबद्धता सीमित भूमि वाले क्षेत्रों के लिए 765केवी तक की तकनीक का उपयोग करने वाले जीआईएस उपकेन्द्रों के फ्लीट से स्पष्ट है।

सुरक्षित ऊर्जा परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए उच्च पारेषण प्रणाली की उपलब्धता आवश्यक है। पिछले साल, हमने 99.85% पारेषण प्रणाली की उपलब्धता सुनिश्चित की, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है, और हमारी ट्रिपिंग दरें भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ भारत की विद्युत पारेषण प्रणाली की उपलब्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं।

हमारी विशाल पारेषण प्रणाली का कुशल संचालन और नियंत्रण राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र (एनटीएएमसी) और क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्रों (आरटीएएमसी) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। प्रौद्योगिकी अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पहलों पर किए गए ₹218.07 करोड़ के हमारे व्यय में परिलक्षित होती है। हमने अपनी परिसंपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण किया है तथा विश्वसनीयता केन्द्रित रखरखाव के कार्यान्वयन के माध्यम से हम अपनी परिसंपत्ति जोखिमों की निगरानी, विश्लेषण तथा प्रभावी प्रबंधन करने में सक्षम बने हैं। मानेसर में स्थित हमारा नियंत्रण केन्द्र, नियंत्रण तथा सुरक्षा प्रणालियों के लिए उत्कृष्टता का केन्द्र है, जो हमारे पारेषण नेटवर्क की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पावरग्रिड एक परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदर्शन प्रणाली को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर अग्रणी उपयोगिताओं द्वारा किया जाएगा, जिससे परिचालन लागत में कम से कम 10% की कमी आने की उम्मीद है, जबकि इससे विश्वसनीयता, सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन में वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी पारेषण उपयोगिता बन गई है, जिसे ISO–55001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो परिसंपत्ति प्रबंधन प्रथाओं के लिए वैश्विक मानक है।

आपकी कंपनी ने भारत में पारेषण परियोजनाओं के विकास में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। वित्त वर्ष 2024 में, हमने ₹8,800 करोड़ के परियोजना निष्पादन टारगेट को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अपने भागीदारों के मूल्यवान समर्थन के साथ, हमने उम्मीदों को पार करते हुए ₹12,500 करोड़ का कैपेक्स हासिल किया, जो हमारे लगभग ₹2,75,000 करोड़ सकल ब्लॉक मूल्य के 4% से अधिक है। वर्ष के दौरान, पावरग्रिड ने 4,036 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनें, 19,720 एमवीए की परिवर्तन क्षमता और छह नए उपकेन्द्र जोड़े हैं। शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं में पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड, 400 केवी मोहनलालगंज उपकेन्द्र और 400 केवी डी/सी लोअर सुभानसिरी – बिस्वनाथ चरियाली –II साथ ही 400 केवी 2Xडी/सी खेतड़ी–भिवाड़ी और कई अन्य शामिल हैं।

आपकी कंपनी ने औसत लागत बनाए रखते हुए और समय की अधिकता को उद्योग मानकों से काफी नीचे रखते हुए असाधारण परियोजना प्रबंधन कौशल का प्रदर्शन किया है। कठिन भूभागों, मौसम की चरम स्थितियों और आरओडब्ल्यू मुद्दों से संबंधित कई चुनौतियों के बावजूद यह संभव हो पाया है। इन चुनौतियों को पार करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, सक्रिय नीति एडवोकेसी और सक्रिय योजना महत्वपूर्ण रही है।

संधारणीय विकास की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने अपने मुख्य व्यवसाय संचालन में ईएसजी सिद्धांतों को एकीकृत किया है और अपने ईएसजी विजन और लक्ष्यों को अपनाया है। हम 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन, 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से 50% ऊर्जा खपत करने, 2030 तक लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट और 2030 तक नेट जल पौजिटिव होने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस वर्ष, हमने स्कोप 1 उत्सर्जन में कमी देखी और अपने व्यावसायिक संचालन में डीजल वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, हमारी उपयोगिताओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली क्रियांवित हो गई है।

हमारी मजबूत नीतियों से ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रत्यक्ष होती है, जिसमें ईएसजी नीति, जल प्रबंधन नीति और अपशिष्ट प्रबंधन नीति के साथ–साथ हमारी आपूर्तिकर्ता आचार संहिता शामिल है। हम निरंतर हरित विकल्पों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि एसएफ6 गैस को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना और अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजिटल उपकेन्द्र और ड्रोन पैट्रोलिंग जैसी तकनीकों को अपनाना।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हम अपनी मूल्य शृंखला में ईएसजी प्रकटीकरण को शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं, जो संधारणीय व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। नीमराना में स्थित हमारी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्देश्य भविष्य में वाणिज्यिक–पैमाने की परियोजनाओं की योजनाओं के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, हम नागदा में 85एमडब्ल्यू/105एमडब्ल्यूपी की क्षमता वाली एक सौर ऊर्जा परियोजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।

आपकी कंपनी को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) आईएस/आईएसओ 37001 प्रमाणन प्रदान किया गया है। यह शासन और ईमानदारी के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है।

₹110,000 करोड़ से अधिक की मजबूत ऑर्डर बुकिंग के साथ, हम आने वाले वर्षों में अधिक पूंजीगत व्यय की उम्मीद करते हैं। हम वित्त वर्ष 2025 में लगभग ₹18,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में, पावरग्रिड ने उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में 13 आईएसटीएस टीबीसीबी परियोजनाएँ की। एनसीटी लागत के संदर्भ में, ये परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2023–24 में कुल परियोजना बोलियों का लगभग 65% प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसमें कुल वार्षिक टैरिफ का 64% शामिल है। कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2023–24 में लद्दाख के लिए ग्रीन ऊर्जा गलियारा को मंजूरी दी है, जिसमें पैंग और लेह में संबद्ध एसी

ट्रांसमिशन लाइनें सहित पैंग से कैथल तक एचवीडीसी और वीएससी स्टेशन शामिल हैं।

हमने लगभग ₹10,000 करोड़ की लागत वाली अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं को विकसित करने के लिए राजस्थान के आरवीपीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एपीट्रांस्को, असम और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की कार्रवाई चल रही है, जो अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली विकसित करने की हमारी योजना को दर्शाता है। हमने आरडीएसएस योजना के तहत स्वीकृत लद्दाख यूटी के सीमावर्ती क्षेत्र के कार्यों को लागू करने के लिए लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (एलपीडीडी) के साथ एक पूरक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पावरग्रिड ने दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 23 देशों में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है, और कुछ सबसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परियोजनाएं शुरू की हैं। केन्या में पीपीपी मोड में पहली पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 के साथ हमारी साझेदारी हमारी पहुंच का विस्तार करने की हमारी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। हम वर्तमान में कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकलाप कर रहे हैं, जिसमें तंजानिया में टीएएनईएससीओ, अफ्रीका में जाम्बिया पारेषण लाइन, फिजी में पारेषण लाइन निर्माण, युगांडा में यूईटीसीएल के लिए कार्य और अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस–बॉर्डर इंटरकनेक्शन के लिए नेपाल गोरखपुर बुटवल पारेषण लाइन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय परामर्श खंड, केन्या की हमारी परियोजनाएं प्रगति कर रही हैं; हमें सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल गई है और अंतिम विवरणों पर कार्रवाई चल रही है, जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। हम सौर ऊर्जा उत्पादन, स्मार्ट मीटरिंग और आंकड़ा केन्द्र सहित अपने अन्य व्यावसायिक कारोबारों में अच्छी प्रगति की उम्मीद करते हैं।

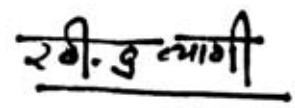
इन उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ–साथ, हम पावरग्रिड द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त की गई पहचान पर भी गर्व महसूस करते हैं, जिसमें प्लैट्स ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार और ब्रैंडन हॉल ग्रुप ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट पुरस्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमें मानव पूंजी उत्कृष्टता और शिक्षण विकास के लिए एसएचआरएम एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे पुरस्कार मिले हैं। उल्लेखनीय है कि हमें तीसरी बार प्रतिष्ठित एडीटी बेस्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, जो उद्यम–व्यापी सफलता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा विकास के हमारे रणनीतिक उपयोग को उजागर करता है। व्यापक सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को जोड़ने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है और हम उन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समर्पित हैं जहाँ हम संचालन करते हैं।

इस अवसर पर मैं कंपनी के प्रति अपने सभी कार्मिकों के समर्पण के लिए, विशेष रूप से हमारी महिला कार्मिकों को अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विशेष रूप से, स्टेम में कार्य कर रही महिलाएँ हमारी कुल महिला कार्यबल का 80% हिस्सा हैं, और पावरग्रिड में कुल कार्यबल का 8% हिस्सा महिलाएँ हैं।

निदेशक मंडल और पावरग्रिड की पूरी टीम की ओर से, मैं आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए हार्दिक उद्गार व्यक्त करता हूँ। हम आपके, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन हेतु समर्पित हैं, और मैं विकास और उत्कृष्टता की इस यात्रा पर चलते हुए आपकी निरंतर सहभागिता की आशा करता हूँ।

पावरग्रिड में आपके विश्वास के लिए धन्यवाद।

आपका,



(रवीन्द्र कुमार त्यागी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 31 जुलाई, 2024

स्थानः गुरुग्राम

पावरग्रिड: करीब से

हरित भविष्य की दिशा में भारत की प्रगति को सशक्त बनाना।

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर की एक अग्रणी पारेषण कंपनी है। यह कंपनी भारत सरकार की अनुसूची 'ए', 'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है, जिसमें भारत सरकार की 51.34% हिस्सेदारी है और शेष हिस्सेदारी सार्वजनिक है। 1989 में स्थापित, पावरग्रिड का इतिहास निरंतर नवाचार और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता से भरा है। अखिल भारतीय आधार पर विविध क्षेत्रों में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, पावरग्रिड ने देश भर में परिवर्तनकारी प्रभावों को सुनियोजित किया है, कुशल विद्युत संचरण की सुविधा प्रदान की है और एक मजबूत विद्युत पारितंत्र को बढ़ावा दिया है। भारत की उभरती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध, पावरग्रिड ने राष्ट्रीय ग्रिड को एकीकृत किया है, पारेषण अवसंरचना का विस्तार किया है और पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों का एक विशाल नेटवर्क बनाया है। तकनीकी प्रगति को अपनाते हुए, पावरग्रिड ने कुशल विद्युत विनिमय की सुविधा प्रदान की है और अक्षय ऊर्जा विकास को सुदृढ़ किया है।

इस जटिल नेटवर्क में निर्बाध संचालन के लिए विभिन्न खंडों को शामिल किया गया है जो हैं– उत्पादन, संचरण और वितरण खंड। इस जटिल ढांचे के भीतर, पावरग्रिड मुख्य रूप से पारेषण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से क्षेत्रों में विद्युत के कुशल अंतरण की सुविधा





प्रदान करता है। देश की विद्युत अवसंरचना के एक प्रमुख शक्ति के रूप में, पावरग्रिड पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों और संबंधित अवसंरचना के एक व्यापक नेटवर्क का संचालन और रखरखाव करता है, जो कई राज्यों में फैले उत्पादन स्टेशनों से वितरण नेटवर्क तक विद्युत की विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं।

हम विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो भारत के विशाल दायरे में विद्युत संचारित करने वाली रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करते हैं। (765 / 400 / 220 / 132केवी) एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी और (±800 / ±500 / ±320 केवी) एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी का हमारा विशाल पारेषण नेटवर्क लाखों घरों, व्यवसायों और उद्योगों को विश्वसनीय और कुशल विद्युत वितरण सुनिश्चित करता है, जो देश की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है।

पावरग्रिड ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में मूल्य सृजन की एक प्रभावशाली यात्रा आरंभ की है। अपने मजबूत और विश्वसनीय पारेषण नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, पावरग्रिड निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अपने मुख्य पारेषण संचालन के अलावा, कंपनी ने दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में विविधता लाकर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है और अपने मूल्य प्रस्ताव को मजबूत किया है।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, कंपनी विश्वसनीय विद्युत पारेषण और क्षेत्रों में कुशल संसाधन उपयोग सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग है, जिससे भारत एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होगा।

भारतीय विद्युत क्षेत्र की मूल्य शृंखला में पावरग्रिड की रणनीतिक स्थिति

भारत के असीमित पावर सेक्टर में, पावरग्रिड पारेषण खंड में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह राष्ट्रीय ग्रिड के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, जो संपर्कता को सक्षम बनाता है लेकिन विद्युत की खरीदारी या विक्री में सीधे तौर पर शामिल नहीं होता है।

पारेषण लाइनें भौगोलिक रूप से अलग–अलग विद्युत उत्पादन स्रोतों और खपत केंद्रों के बीच की दूरी को कम करती हैं। यह परस्पर जुड़ा नेटवर्क विविध स्रोतों से विद्युत के प्रवाह को सुगम बनाता है, क्षेत्रीय मांगों को पूरा करता है और ऊर्जा मिश्रण को संतुलित करता है। व्यापक उपयोग के लिए ग्रिड में सौर और पवन जैसे परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए एक मजबूत पारेषण प्रणाली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

पावरग्रिड की प्रतिबद्धता इस विशाल नेटवर्क को कुशलतापूर्वक बनाए रखने और संचालित करने में निहित है। यह पारेषण के दौरान ऊर्जा हानि को कम करके कुशल विद्युत वितरण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, हम विद्युत प्रवाह को प्रबंधित करके और विद्युत कटौती को रोककर ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह मजबूत नेटवर्क "एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति" पहल को रेखांकित करता है, जो क्षेत्रों के बीच निर्बाध विद्युत विनिमय की सुविधा प्रदान करता है और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भविष्य को देखते हुए, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पारेषण क्षेत्र का आधुनिकीकरण महत्वपूर्ण है। यह बड़े पैमाने पर नवीकरणीय परियोजनाओं के एकीकरण को सक्षम करेगा, जिससे विद्युत के अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।



मूल्य सृजन के प्रति समग्र दृष्टिकोण

निम्न द्वारा परिवर्तन लाना



- लोगों को सशक्त बनाना

हम टीमवर्क की संस्कृति विकसित करते हैं, प्रतिभा को पोषित करते हैं, नेतृत्व क्षमताओं को बढ़ाते हैं, और तीक्ष्णता, गर्व और जुनून के साथ कार्य करते हैं।

-नैतिक आचरण

हम एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखते हैं, पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, अपने समुदायों का समर्थन करते हैं, और उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करते हैं।





-नीति का पालन

आचार संहिता के अनुरूप, हमारी नीतियाँ संचालन में स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करती हैं, जिससे निरंतरता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

-अभिनव समाधान

हम वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और उत्पादों में उन्नति का नेतृत्व करते हैं।



हमारे द्वारा नियोजित पूंजी

वित्तीय

प्राकृतिक

मानव

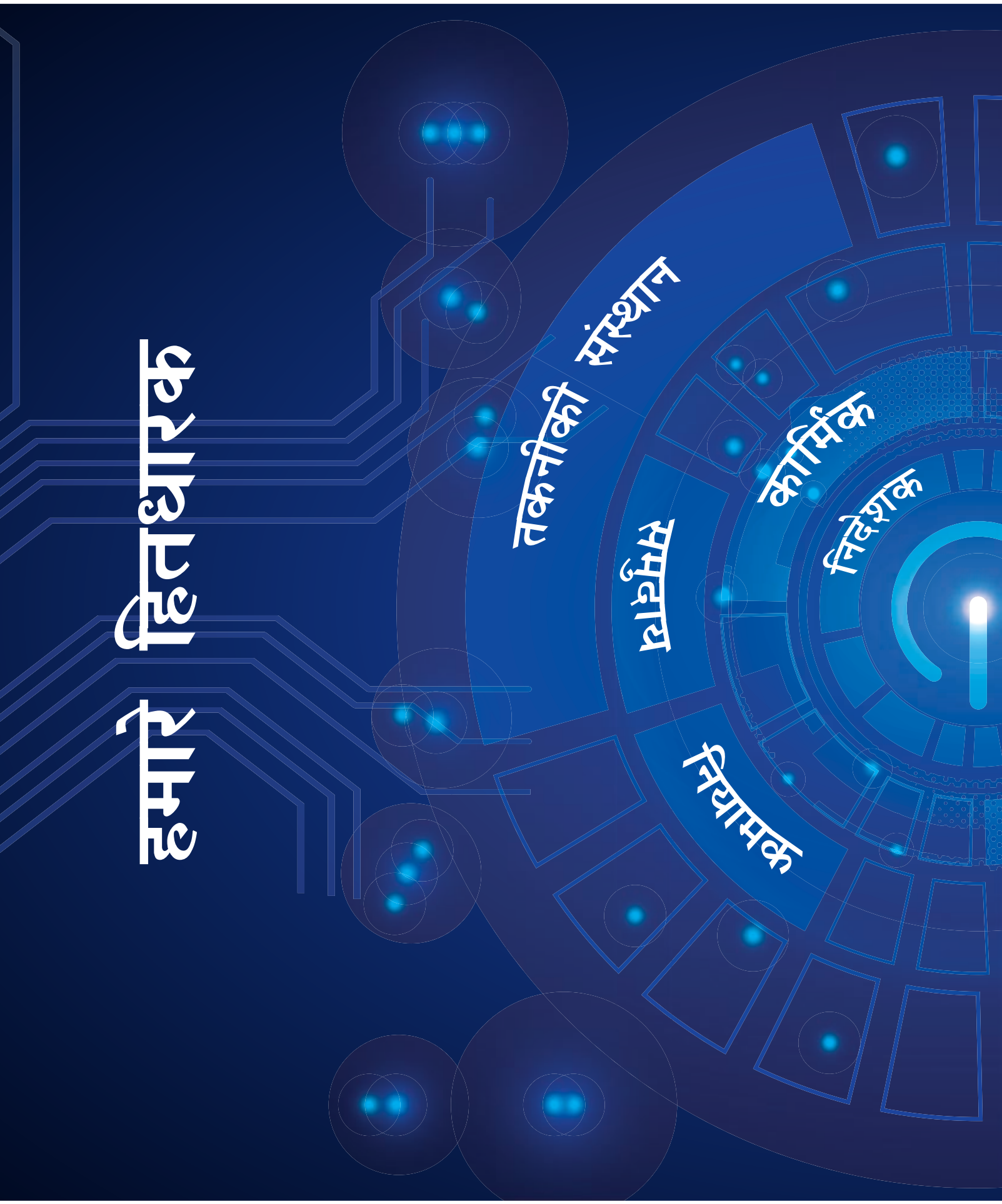


विनिर्माण



प्रज्ञात्मक

सामाजिकता और संबंध


हमारे हितधारक
तकनीकी संस्थान
सहायक
कार्मिक
निदेशक
नियामक


मीडिया
अन्य हितधारक
आपूर्तिकर्ता और भागीदार
विनियामक एजेंसियाँ
उपभोक्ता

हमारे उद्देश्य के स्तंभ



हमारा विजन

विश्वसनीयता, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उभरते विदयुत बाजारों में प्रमुख नेतृत्व सहित विश्वस्तरीय, एकीकृत, वैश्विक पारेषण कंपनी बनना।



हमारा मिशन

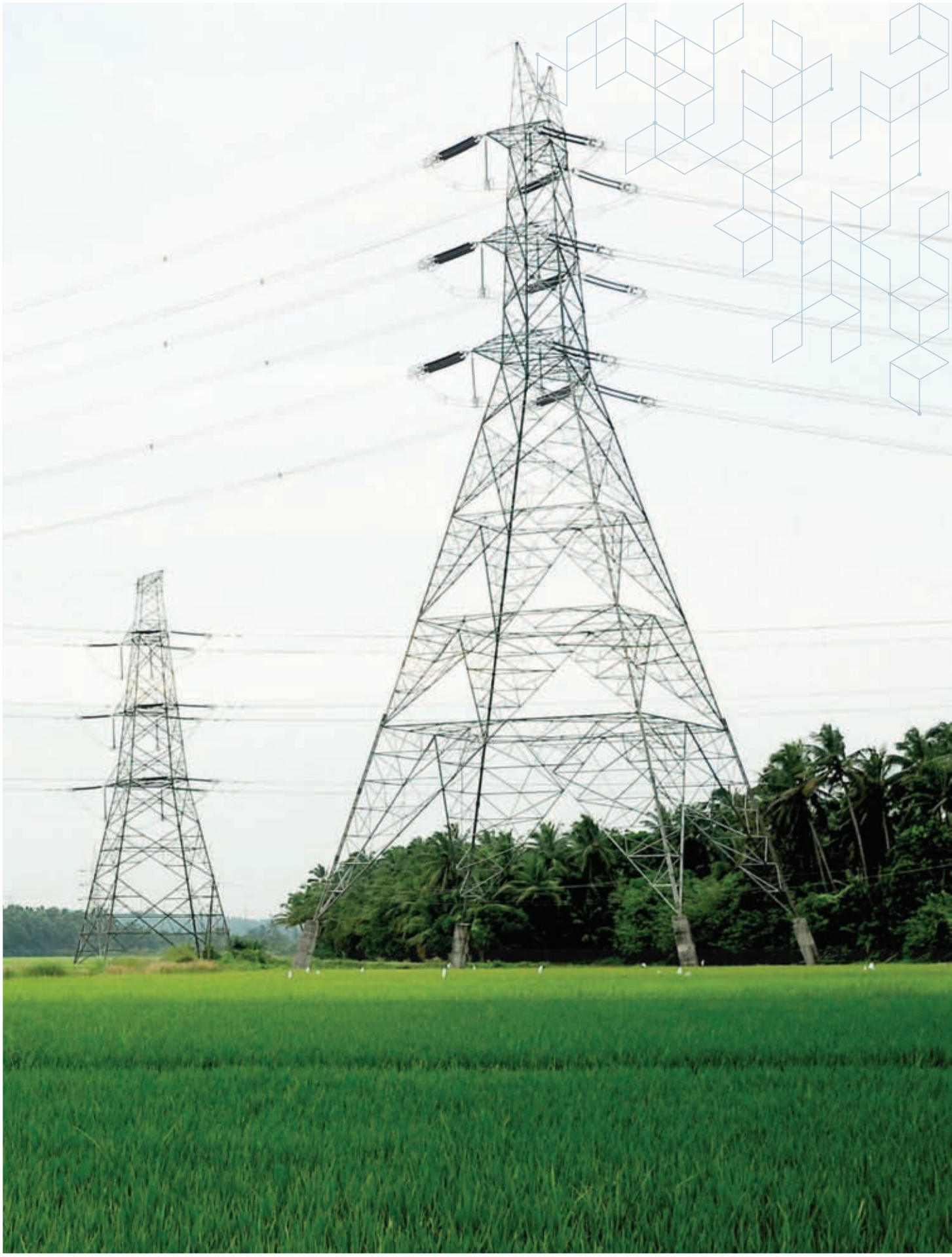
हम विश्वस्तरीय क्षमताओं के साथ उभरते विद्युत बाजारों में प्रमुख नेतृत्व के साथ एक वैश्विक पारेषण कंपनी बन जाएंगे:

- **विश्वस्तरीयः** हम उद्योग और स्वयं के लिए पूंजी परियोजना प्रबंधन और संचालन में बेहतर मानकों की स्थापना करेंगे।
- **वैश्विकः** भारत और उभरती और बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में सभी हितधारकों के लिए लगातार अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने के लिए क्षमताओं का लाभ उठाएंगे।
- अगली पीढ़ी के पेशेवरों का पोषण और सशक्तिकरण करेंगे।
- नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर सुधार प्राप्त करेंगे।
- स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों को स्थापित करेंगे।



हमारा महत्व

- » बेहतर करने का उत्साह और परिवर्तन के प्रति अभिरुचि
- » सभी मामलों में निष्ठा और निष्पक्षता
- » लोगों की गरिमा और क्षमता का सम्मान
- » प्रतिबद्धता के प्रति कठोर अनुपालन
- » त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
- » अध्ययन, रचनात्मकता और टीमवर्क को बढ़ावा देना
- » पावरग्रिड में निष्ठा और गौरव



मूल्य शृंखला का इतिहास

1989
पावरग्रिड को निगमित किया गया

1998
मिनिरत्न का दर्जा हासिल हुआ

2007
एनएसई और बीएसई सूचिबद्ध कंपनी

2008
नवरत्न का दर्जा मिला

2010
वर्ष 2008–09 के लिए प्रथम स्टैंडअलोन संधारणीय रिपोर्ट

2012
टेस्ट चार्जज्ड पायलट 1200 केवी लाइन

2013
एक राष्ट्र–एक ग्रिड–एक आवृत्ति का लक्ष्य हासिल

2014

विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती ऊर्जा उपयोगिता का दर्जा प्राप्त हुआ

2015

एनटीएएमसी की स्थापना; भारत में 800 केवी एचवीडीसी को शुरू किया गया।

2019

महारत्न का दर्जा हासिल हुआ, लद्दाख क्षेत्र को श्रीनगर से लेह तक पारेषण के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया

2020

परंपरागत उपकेंद्र के रेट्रो फिटिंग द्वारा प्रथम 400 केवी डिजिटल उपकेंद्र शुरु किया

2021

सीपीएसई द्वारा पहला अवसंरचना निवेश न्यास; भारत में वीएससी आधारित एचवीडीसी प्रौद्योगिकी को अपनाना

2022

सुरक्षित और हरित प्राकृतिक ईस्टर ऑयल के साथ विश्व का पहला 400 केवी रियेक्टर

2023

भारत में प्रथमः 132 केवी, 20 एमवीएआर बस रिएक्टर प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ रेट्रोफिटिंग अल्जवाल एचवीडीसी

ईएसजी रेटिंग

सस्टेनलिटिक्स 22.1	एमएससीआई A
एसएंडपी ग्लोबल 37	एलएसईजी 51

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग:
(सॉवरेन के बराबर)

स्टैंडर्ड एंड पूअर्स बीबीबी- (सकारात्मक)	फिच बीबीबी- (स्थिर)	मूडी बीएए- (स्थिर)

घरेलू क्रेडिट रेटिंग

क्रिसिल एएए (स्थिर)	आईसीआरए एएए (स्थिर)	केयर एएए (स्थिर)

Certifications

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक उपलब्धता के अनुसार समेकित प्रबंधन प्रणाली

सामाजिक उत्तरदायित्व मानक

रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली

पुरस्कार और सम्मान

प्लैट्स ग्लोबल एनर्जी अवार्ड
"कॉर्पोरेट प्रभाव
-लक्षित कार्यक्रम" श्रेणी

अंतर्राष्ट्रीय सीएसआर उत्कृष्टता 2023 और सीएसआर विश्व लीडर 2023
"कॉर्पोरेट प्रभाव -लक्षित कार्यक्रम" श्रेणी

"एटीबी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024"
लर्निंग और विकास के क्षेत्र में दुनिया भर के कुलीन संगठनों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त

ब्रैंडन हॉल ग्रुप मानव पूंजी प्रबंधन पुरस्कार 2023
क्षमताओं और कौशल विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रगति की श्रेणी।

स्कौश गोल्ड अवार्ड 2023
पुगलुर त्रूरशूर 2000 मेगावाट वोल्टेज स्रोत कनवर्टर एचसीडीवी सिस्टम

ईटी एज सर्वश्रेष्ठ संगठन 2024
महिलाओं के लिए



















Human Capital Management
EXCELLENCE CONFERENCE

एसएचआरएम एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार में ''लर्निंग और विकास में उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र''।

ISGF
India Smart Grid Forum
INNOVATION AWARDS 2024

डायमंड पुरस्कार

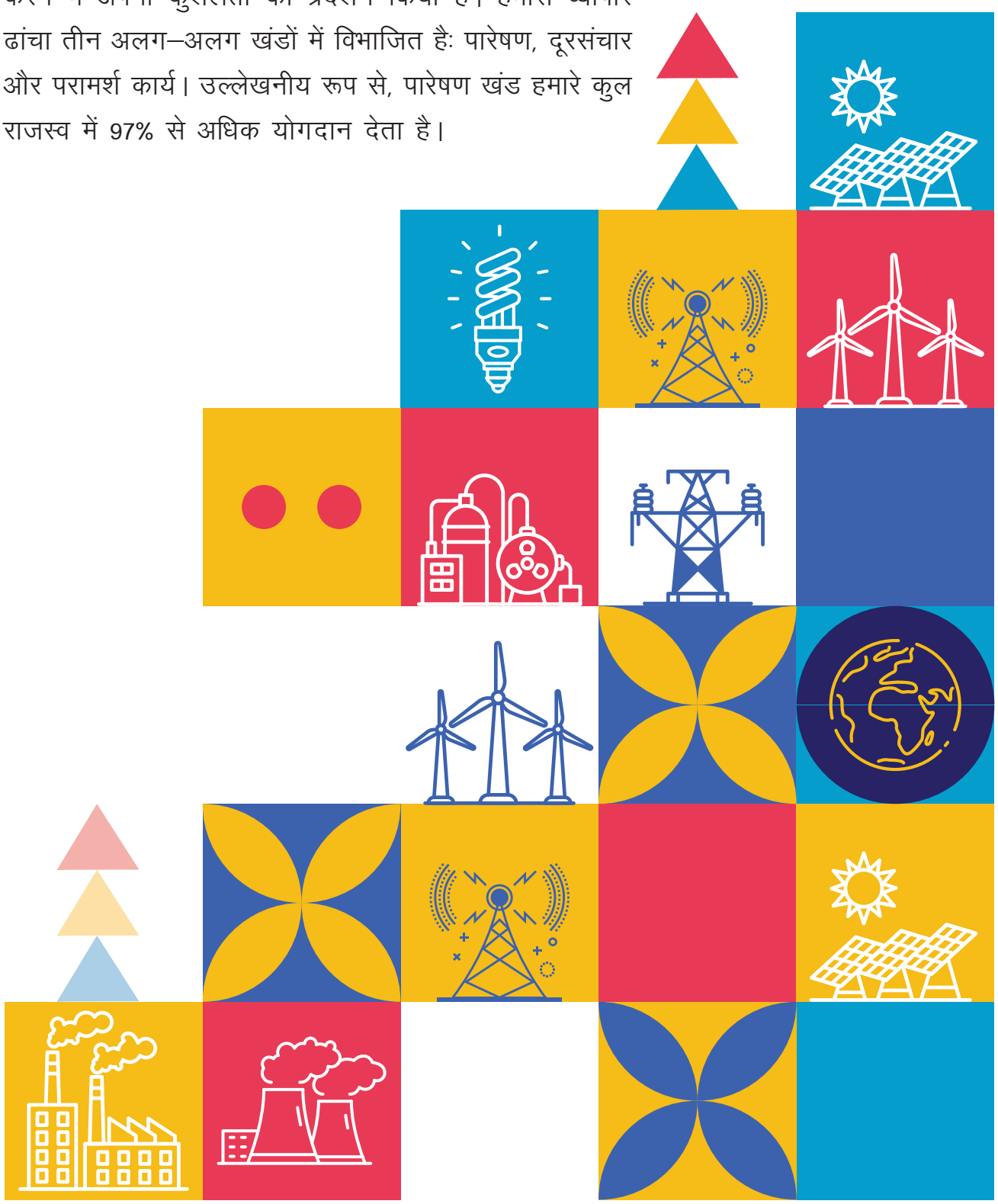
''स्मार्ट प्रौद्योगिकी - बिजली संचरण''

गोल्ड अवार्ड

''आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक सौल्यूशन-उपयोगिता को अपनाना''

व्यापार पोर्टफोलियो

अपने व्यापक अनुभव के आधार पर, हमने देश भर में सबसे दुर्गम इलाकों में जटिल पारेषण परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया है। हमारा व्यापार ढांचा तीन अलग–अलग खंडों में विभाजित है: पारेषण, दूरसंचार और परामर्श कार्य। उल्लेखनीय रूप से, पारेषण खंड हमारे कुल राजस्व में 97% से अधिक योगदान देता है।



पारेषण संबंधी व्यापार

पावरग्रिड राष्ट्रव्यापी उर्जा पारेषण को सुविधा उपलब्ध कराते हुए भारत के उर्जा पारेषण नेटवर्क का नेतृत्व करता है। हमारे प्रचालनों के मूल में विद्युत पारेषण प्रणाली की महत्वपूर्णता निहित है. जो उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदान करने और उत्पादन स्टेशनों तथा वितरण नेटवर्क के बीच की खाई को पाटने के लिए महत्वपूर्ण पुल के रूप में कार्य करती है। अपनी स्थापना के बाद से, हमारा मिशन एक मजबूत पारेषण प्रणाली को विकसित करने और उसे सुदृढ़ करने पर केन्द्रित है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारी पारेषण अवसंरचना की मजबूती और हमारे राष्ट्रीय ग्रिड का एकीकरण, पेरिस समझौते के अनुरूप, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। संधारणीय ऊर्जा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता को एकीकृत करने में योगदान देने का गर्व से संकल्प लेते हैं। इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में, हम अपने अंतर–राज्यीय और राज्यीय संचरण गतिविधियों के लिए टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) ढांचे द्वारा पेश किए गए व्यापक अवसरों का सख्ती से पालन करते हैं, साथ ही साथ हम अपने विनियमित टैरिफ तंत्र के भीतर अटूट जवाबदेही भी कायम रखते हैं।

हमारी व्यापक अवसंरचना विभिन्न विद्युत स्रोतों का समायोजन करते है, जिसमें केंद्रीय उत्पादन स्टेशन (सीजीएस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (आईपीपीएस), अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत शामिल हैं। इस समग्र दृष्टिकोण में पर्यावरण के अनुकूल विद्युत संचरण के लिए हरित ऊर्जा गलियारे, अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्कों के लिए विशेष कार्यक्रम और ग्रिड संवर्द्धन प्रयास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड उच्च क्षमता वाले पारेषण गलियारे के साथ–साथ अंतर–राज्यीय, राज्यीय और अंतर–क्षेत्रीय कनेक्शन स्थापित करके राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा को दृढ़ करता है। हम घरेलू सीमाओं से परे भी फोकस कर रहे है, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं। 1,77,699 सीकेएम (सर्किट किलोमीटर) लाइनों और 278 उपकेन्द्रों को कवर करने वाले विशाल पारेषण नेटवर्क के साथ, जिसकी परिवर्तन क्षमता 5,27,446 एमवीए से अधिक है, हम पूरे देश में निर्बाध विद्युत सुविधा सुनिश्चित करते हैं।

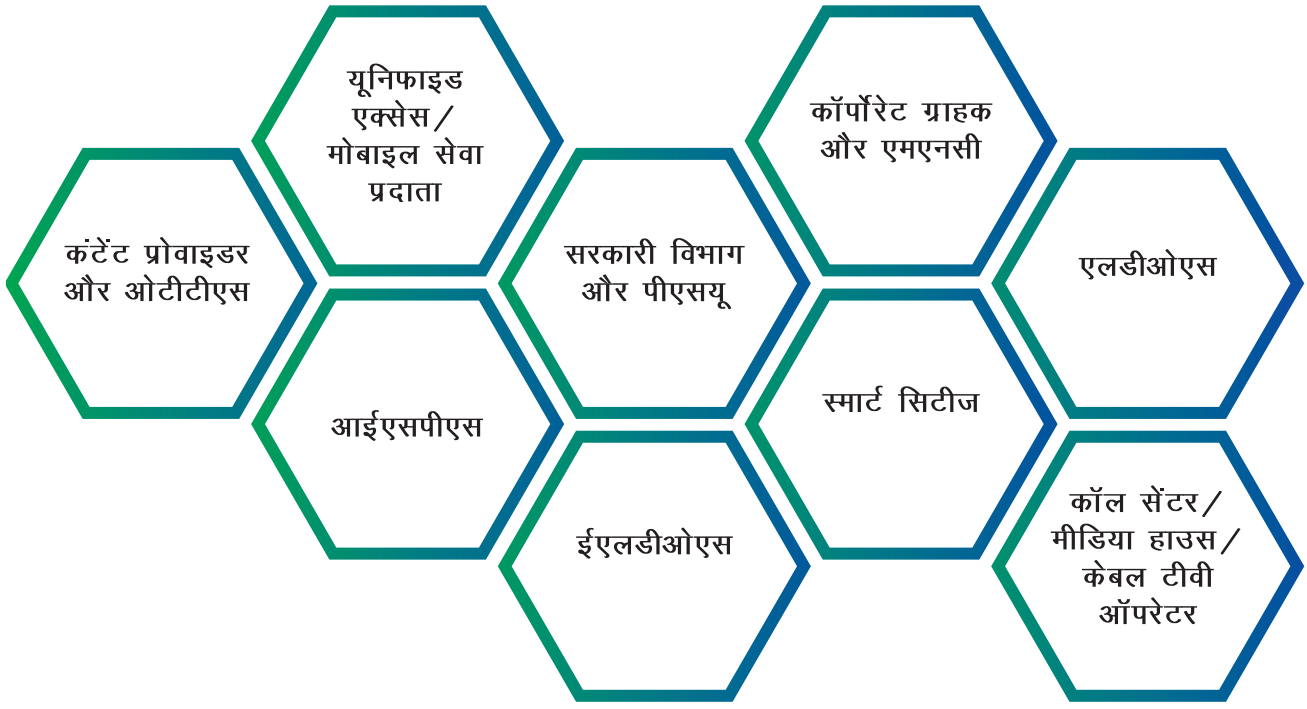


दूरसंचार संबंधी कारोबार

पॉवरग्रिड अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी–पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से दूरसंचार संबंधी कारोबार कर रहा है, जिसका ब्रांड नाम पॉवरटेल है, जो देश में एकमात्र दूरसंचार सेवा प्रदाता है, जिसके पास पावर ट्रांसमिशन लाइनों पर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर का उपयोग करके पूरे भारत में ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क मौजूद है और यह मोबाइल संचार के लिए पारेषण टावर प्रदान करता है। यह नेटवर्क लेह, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्रों जैसे दूरदराज क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जहाँ विश्वसनीय कनेक्टिविटी एक समय में दुर्लभ थी। पॉवरटेल के पास इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का लाइसेंस है, जिसके माध्यम से वह कई तरह की सेवाएँ प्रदान करता है। दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के अलावा, पॉवरटेल डाटा कनेक्टिविटी आवश्यकताओं के लिए व्यवसायों को बैंडविड्थ भी पट्टे पर देता है। वह विशेष रूप से एमपीएलएस/वीपीएन और इंटरनेट जैसी सेवाएं उद्यमों को प्रदान करता है, जिससे उसका निरंतर निष्पादन सुनिश्चित होता है। हमारा दूरसंचार नेटवर्क 1,00,000 किलोमीटर से अधिक तक फैला है और देश भर में 3,000 से अधिक स्थानों पर उपलब्ध है जिससे हमारी बैकबोन उपलब्धता –99.99% बनी हुई है।

आज जब भारत में डिजिटल बदलाव का दौर चल रहा है, दूरसंचार सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, पावरग्रिड ने कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए अपने पारेषण अवसंरचना का उपयोग किया है, जिससे भारतीय दूरसंचार क्षेत्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) और भारत नेट परियोजनाओं जैसी पहलों के साथ हमारे संबंध यह पुष्ट करते हैं कि प्रगति के प्रति हम समर्पित हैं।

हमारे दूरसंचार ग्राहक



कंपनी लगातार गतिशील दूरसंचार क्षेत्र में विविध व्यापार अवसरों की खोज कर रही है। हम नई सीमाओं को छूने और अपनी वैश्विक मौजूदगी को व्यापक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) बैंडविड्थ व्यापार में प्रवेश कर रहे हैं। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप, हमने मानेसर, गुरुग्राम में एक पायलट डाटा केन्द्र की स्थापना की है, जो हमारी प्रतिष्ठित यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दूरसंचार उत्कृष्टता में नेतृत्वकारी की भूमिका में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, हमने अपने भारत–व्यापी दूरसंचार नेटवर्क की बैंडविड्थ क्षमता को बढ़ाया है, जिससे अद्वितीय कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अलावा, कंपनी मोबाइल संचार के लिए ट्रांसमिशन टावर भी प्रदान कर रही है।

देश का एकमात्र दूरसंचार सेवा प्रदाता जिसके पास ईएचवी पारेषण लाइनों पर बना अखिल भारतीय ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क है।

परामर्शदात्री कारोबार

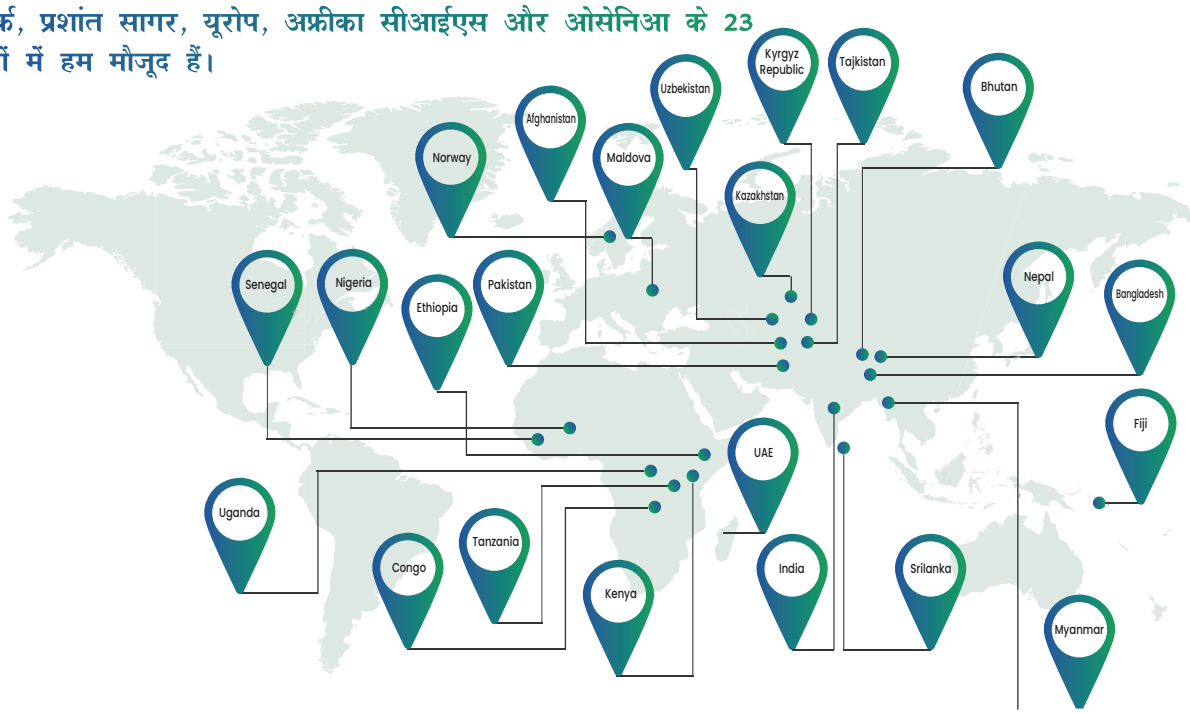
पावरग्रिड की क्षमताओं में पारेषण के इसके मुख्य परिचालनों के अतिरिक्त परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। इन सेवाओं में पारेषण, उप–पारेषण और वितरण के क्षेत्रों में प्रणालीबद्ध अध्ययन, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच और प्रोजेक्ट प्रबंधन शामिल हैं। पावरग्रिड दूरसंचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंतरराज्यीय पारेषण नेटवर्क में ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) को एकीकृत करने जैसे अभिनव समाधानों में निपुण है। इसके अतिरिक्त, कंपनी खरीद प्रबंधन, परिचालन और रखरखाव रणनीतियों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ग्राहकों को सहायता उपलब्ध कराती है।



घरेलू बाजार में अग्रणी के रूप में, पावरग्रिड अक्षय ऊर्जा निर्माताओं, वितरण लाइसेंसधारियों और थोक उपभोक्ताओं के लिए बिल्ड, ओन, ऑपरेट और मेंटेन (बीओओएम) मॉडल के तहत पारेषण परियोजनाओं को सक्रिय रूप से शुरू कर रहा है। इसके अलावा, यह अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली विकास के लिए राज्य उपयोगिताओं के साथ संयुक्त उद्यमों की तलाश कर रहा है। भविष्य में, पावरग्रिड का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन के आशाजनक क्षेत्र में प्रवेश करना है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पावरग्रिड की दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 23 देशों में मजबूत स्थिति है। चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूरा करने का कंपनी का सफल ट्रैक रिकॉर्ड इसकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। पावरग्रिड केन्या, तंजानिया, युगांडा, फिजी, इथियोपिया, नेपाल, श्रीलंका और उससे आगे के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से व्यापारिक अवसरों पर कार्य कर रहा है।

सार्क, प्रशांत सागर, यूरोप, अफ्रीका सीआईएस और ओसेनिआ के 23 देशों में हम मौजूद हैं।



नए व्यापार

पॉवरग्रिड लगातार विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करके अपने सेवा पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। इनमें **ग्रीन हाइड्रोजन**, एक संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल ईंधन विकल्प, साथ ही **डाटा भंडारण** और प्रसंस्करण क्षमता की बढ़ती ज़रूरत को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक डाटा केन्द्र का निर्माण शामिल है।

पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (पीईएसएल), हमारी सहायक कंपनी है जो सक्रिय रूप से नए और उभरते हुए व्यापार क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा प्रबंधन, पारेषण और वितरण कारोबार, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना, ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट ग्रिड आदि पर कार्य कर रहा है।

पावरग्रिड की संधारणीयता रणनीति

इतिहास के इस निर्णायक क्षण में, संधारणीय ऊर्जा भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बन गई है। पावरग्रिड इस परिवर्तनकारी प्रयास का नेतृत्व कर रहा है, हम इस बात से पूर्ण रूप से अवगत हैं कि आज के विकल्प आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आकार देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने भविष्य के लिए स्वच्छ, अधिक पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर बढ़ने का संकल्प लेते हैं। प्रत्येक कदम के साथ, हम जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण सम्मुख आने वाली कठिन चुनौतियों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हैं। हमारा उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर पूर्णतः परिवर्तित होना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, जल और अपशिष्ट पदचिह्नों को कम करना और संधारणीय विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली नवीन तकनीकों को अपनाना है।

इस परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए हम सरकार, कारोबारों, समुदायों तथा निजी व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक व्यापक, सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। डिजिटल क्रांति को अपनाते हुए, हम दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का नवाचार करते हैं और इसे अपनाते हैं और हमारे संधारणीयता प्रयासों के लिए एक सक्षमकर्ता के रूप में इसका उपयोग करते हैं। पावरग्रिड में, संधारणीयता के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प अटल है। यह जानते हुए कि आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए कार्य करना महत्वपूर्ण है हम इन रणनीतियों को दृढ़ संकल्प के साथ लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

साथ मिलकर, आइए हम पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीयता, आर्थिक समृद्धी और सामाजिक रूप से न्यायसंगत भविष्य की ओर मार्ग प्रशस्त करें। आइए हम एकजुट होकर इस परिवर्तनकारी यात्रा को एक उज्जवल कल के वास्तुकारों के रूप में आकार दें।





1. पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन

पावरग्रिड अपनी सभी आगामी पारेषण परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) मूल्यांकन करता है। इसमें तकनीकी व्यवहार्यता के साथ–साथ ईएंडएस फुटप्रिंट के संबंध में कम से कम तीन वैकल्पिक पारेषण लाइन मार्गों और उपकेन्द्रों का अध्ययन करना शामिल है, ताकि निर्माण के लिए न्यूनतम ईएंडएस प्रभावों के साथ सबसे इष्टतम विकल्प की पहचान की जा सके। इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने हमें पारिस्थितिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, जैसे कि वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैसे संरक्षित क्षेत्र, महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि, बाघ अभयारण्य, ऐतिहासिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र, मानव बस्तियाँ और धार्मिक स्थलों में दखल देने से बचने या कम दखल देने में प्रभावी रूप से मदद की है। इस प्रतिबद्धता ने हमारी परियोजनाओं में संभावित प्रतिकूल प्रभावों को काफी हद तक कम कर दिया है।

2. जल पदचिह्न

हमारी प्रतिष्ठानों के भीतर, पानी की खपत मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों और बागवानी कार्यकलापों तक सीमित है, जिसमें एचवीडीसी उपकेन्द्रों में शीतलन के लिए एक छोटा सा हिस्सा आवंटित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से, पानी का औद्योगिक उपयोग नहीं किया जा रहा है। स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए, पावरग्रिड ने एक व्यापक जल प्रबंधन नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। इसका उद्देश्य 2030 तक नेट वाटर पॉजिटिव स्थिति हासिल करना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, संगठन ने कुल 28,63,430 किलोलीटर पानी का उपयोग किया। इस तथ्य के बावजूद कि 2023 में भारत में सामान्य वर्षा में लगभग 33% की कमी देखी गई थी, पावरग्रिड वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से अपने कुल जल उपभोग का लगभग 38.98% पुनःपूर्ति करने में सक्षम था। जल गुणवत्ता प्रबंधन के लिए हमारे अपशिष्ट जल का एक बड़ा हिस्सा, जो अनिवार्य रूप से घरेलू सीवेज का होता है, सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र या सोक पिट्स में उपचारित किया जाता है। सार्वजनिक सीवरेज प्रणाली में केवल थोड़ी मात्रा में सीवेज छोड़ा जाता है। पावरग्रिड परिसरों में कोई औद्योगिक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है।

3. उत्तरदायित्व संसाधन खपत और अपशिष्ट प्रबंधन

देश की अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए, पावरग्रिड अपने संचालन में भूमि आदि जैसे संसाधनों पर निर्भरता को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। इस प्रयास के कारण कई नवाचार उपायों की श्रृंखला बनी है, जिसमें डिज़ाइन का अनुकूलन, डिजिटल उपकेन्द्रों का एकीकरण और उन्नत करंट–कैरिंग क्षमताओं के साथ उन्नत कंडक्टरों को अपनाना शामिल है।

हमारी अपशिष्ट प्रबंधन नीति और 2030 तक शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल स्थिति में लाने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप, हम पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पहलों के माध्यम से अपने प्रतिष्ठानों में उत्पन्न 90% से अधिक अपशिष्ट का सफलतापूर्वक निपटान करने में सक्षम हैं। केवल 10% अपशिष्ट, जिसमें मुख्य रूप से घरेलू/आवासीय अपशिष्ट शामिल है, को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित निपटान के लिए स्थानीय नगर निकायों या अधिकृत तृतीय–पक्ष संस्थाओं को सौंपा गया।

4. नवीकरणीय ऊर्जा

पावरग्रिड का लक्ष्य 2025 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना और 2047 तक नेट ज़ीरो का दर्जा प्राप्त करना है। इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा पहलों को अपनाने के पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च 2024 तक, 10.2 एमडब्ल्यूपी सौर क्षमता वाले प्रतिष्ठानों की स्थापना से 10,053 एमवीएच विद्युत का उत्पादन हुआ है। इसके अलावा, संगठन के भीतर डीजल के उपयोग को कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने से 155 डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों से बदल दिया गया है।

2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित क्षमता

हासिल करने के भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप, पावरग्रिड विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रयास में उच्च क्षमता वाले हरित ऊर्जा गलियारों की स्थापना शामिल है, जो देशभर में घरों के लिए स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की व्यापक सुविधा प्रदान करता है।

5. अर्थपूर्ण सीएसआर

हमारे सामुदायिक संबंधों को हमारी सीएसआर पहलों से दृढ़ समर्थन मिलता है, जो हमारे संचालन का अभिन्न अंग हैं। पावरग्रिड ग्रामीण आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कौशल विकास सहित सामाजिक रूप से प्रासंगिक विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के लिए धनराशि आवंटित करता है। इन परियोजनाओं की योजना व्यापक आवश्यकता विश्लेषण अध्ययनों के आधार पर सावधानीपूर्वक बनाई गई है, जिसमें स्थानीय आबादी के साथ परामर्श करना शामिल है। परियोजना के पूरा होने के बाद, समाज को मिलने वाले लाभों का आकलन करने के लिए गंभीर प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 में, 312.24 करोड़ के आवंटित बजट की तुलना में, हमने इन पहलों के लिए कुल 330.48 करोड़ खर्च किया। यह हमारे द्वारा सेवित समुदायों में एक ठोस अंतर लाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

6. प्रौद्योगिकी का अग्रसक्रीय अंगीकरण

पावरग्रिड मल्टीसर्किट, अधिक लंबे और संकीर्ण बेस टावर, कुशल कंडक्टर जैसी आधुनिक तकनीकों को विकसित करके और उन्हें अपनाकर तथा शहरी क्षेत्रों में एआईएस की तुलना में जीआईएस को प्राथमिकता देकर, नवाचार में अग्रणी है। हमारे हाल के तकनीकी नवाचारों में ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के लिए सिंथेटिक तेल की जगह अधिक पर्यावरण अनुकूल एस्टर तेल का उपयोग, दूरसंचार एंटेना को बिजली देने के लिए पृथ्वी के तारों में प्रेरक शक्ति का उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए उच्च जीडब्ल्यूपी एसएफ6 गैस को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों से बदलने की दिशा में चल रहे प्रयास शामिल हैं।

7. कार्बन सिंक सृजित करना

पावरग्रिड वनों जैसे कार्बन सिंक को संरक्षित करने और बढ़ाने के साथ–साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता को समझता है। सावधानीपूर्वक मार्ग चयन और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से, इसने 1998 से अपनी पारेषण लाइनों में वनों की भागीदारी को 60% से अधिक कम कर दिया है, जिससे 27,442 हेक्टेयर वन क्षेत्र बचा रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 तक, पावरग्रिड ने अपनी सीएसआर योजनाओं के तहत वृक्षारोपण से 8,26,702 पेड़ लगाए थे, जिससे सालाना 17,997 टन CO2 अवशोषित होता है।





तीन दशकों में अधिक की हमारी संधारणीयता यात्रा

2004
आईएमएस के साथ प्रमाणित आईएसओ 9001, जिसमें आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001 शामिल हैं

2005
ईएसपीपी का पहला अद्यतन

2006
दक्षिण–पूर्व एशिया में संधारणीय नेतृत्व के लिए विश्व बैंक द्वारा ग्रीन अवार्ड

2007
पीएएस 99–आधारित आईएनएस के साथ प्रमाणित जिसमें आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएबएसएएस 18001 (अब आईएसओ 450001) शामिल हैं

2009
ईएसपीपी को दूसरा अपडेट विश्व बैंक की देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस) नीति के अनुरूप बनाने में है। यूसीएस के तहत विश्व बैंक द्वारा स्वीकार किया जाने वाला पहला ऐसा दस्तावेज

2010
2008–09 के लिए अपनी पहली स्टैंडअलोन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का खुलासा करने वाला बिजली क्षेत्र का पहला भारतीय पीएसयू

2011
सीएसआर में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए विद्युत क्षेत्र में स्वर्ण पुरस्कार

2021
लगातार 7 वर्ष तक एशिया प्रशांत में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली विद्युत उपयोगिता, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट, भारत द्वारा औद्योगिक सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक।

2022
7वीं संवहनीयता रिपोर्ट का खुलासा

2023
प्रथम एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित, ईएसजी नीति और लक्ष्यों, जल और जल प्रबंधन नीति को अपनाना

2020

6ठी संधारणीयता रिपोर्ट का खुलासा, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ भारत पुरस्कार

2019

लगातार पांच वर्षों के लिए एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक उपयोगिता वाली तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक उपयोगिता

2018

सीएसएस का सफल कार्यान्वयन चौथी और पांचवीं संधारणीयता रिपोर्ट का खुलासा

2017

एडीबी ने देश सुरक्षा प्रणाली (सीएसएस) के तहत एशिया में पहले दस्तावेज के रूप में पावरग्रिड के इएसपीपी को मंजूरी दी, एआई ग्लोबल यूके द्वारा सर्वश्रेष्ठ पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी कंपनी–इंडिया के लिए 'क्लीन एनर्जी अवार्ड, 2016

2015

मैसर्स प्लेट्स द्वारा सबसे तेज गति से बढ़ने वाली विद्युत उपयोगिता, संधारणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छह पूर्वोत्तर राज्यों विकसित ईएसपीपीएफ

2014

अनिच्छुक भूमि अधिग्रहण से बचते हुए इच्छुक खरीददार – इच्छुक विक्रेता संबंधी भूमि प्राप्ति की प्रथा अपनायी गयी

2013

अपशिष्ट कागज रीसाइक्लिंग संयंत्र की स्थापना, वर्षा जल संचयन प्रणाली का कार्यान्वयन और एसडी योजना के तहत ग्रीन बिल्डिंग, दूसरी द्विवार्षिक और बाह्य रूप से सुनिश्चित स्थिरता रिपोर्ट 2009–11 का खुलासा किया

2012

सीएसआर कार्पोरेट शासन पुरस्कार, पावरलाइन पुरस्कार

2002

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001 सहित प्रमाणित

2000

जेनेनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

1998

पर्यावरण और सामाजिक नीति एवं प्रक्रिया (ईएसपीपी) का विकास और कार्यान्वयन

संधारणीय विजन

पावरग्रिड एक संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल भविष्य की ओर जिम्मेदारीपूर्वक बढ़ने के लिए सक्रिय रूप से नए रास्ते तलाश रहा है। हम, राष्ट्र के नेट ज़ीरो लक्ष्य में योगदान देने की अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने वाली लचीली अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसमें दक्षता बढ़ाने, हमारी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं से होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को कम करने और सामाजिक रूप से न्यायसंगत और समतावादी समाज में योगदान देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता शामिल है।

हमारी रणनीति में पर्यावरण, सामाजिक और शासन आयामों में दीर्घकालिक उद्देश्य और दिन–प्रतिदिन की पहलें दोनों शामिल हैं, जो जीआरआई और यूएन एसडीजीएस जैसे विश्व स्तरीय ढाँचों का पालन करती हैं।

कार्य संचालन में स्थिरता हमारी व्यापारिक प्रथाओं की आधारशिला रही है। यह विजन हमारी पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/ESPP.pdf. के प्रकटीकरण के साथ 1998 में स्थापित किया गया। परिहार, न्यूनीकरण, शमन और बहाली के प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित ईएसपीपी, हमारे व्यापारिक कार्यकलापों से होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक पदचिह्नों से निपटने के हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करता है। यह उल्लेखनीय है कि पावरग्रिड एशिया का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने अपने व्यापार प्रक्रियाओं से जुड़े सभी संभावित बाह्य प्रभावों को आंतरिक बनाने और संबोधित करने के उद्देश्य से सभी प्रासंगिक स्थिरता मुद्दों को संबोधित करते हुए इस तरह के व्यापक नीति दस्तावेज को तैयार और प्रकट किया है।

भविष्य की सुरक्षा और वर्तमान के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति हमारे समर्पण के अनुरूप, हमारी संधारणीयता पहलें मुख्य रूप से पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति द्वारा निर्देशित रहती है। पावरग्रिड ने वर्ष 2023 में अपनी ईएसजी नीति को अपनाया है और इसी वर्ष अपने ईएसजी विजन और लक्ष्यों को भी अपनाया है।

हमारे ईएसपीपी को दुनिया के दो प्रमुख बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा क्रमशः उनके देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस) और देश सुरक्षा प्रणाली (सीएसएस) के तहत प्रमाणित होने का अप्रतीम गौरव प्राप्त है और केआईडब्ल्यू जैसे अन्य प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों द्वारा इसकी सराहना की गई है।



केआईडब्ल्यू टीम का पावरग्रिड उपकेन्द्र का दौरा



2030 के लिए ईएसजी विजन

जिम्मेदारी को संधारणीय और हरित भविष्य में परिवर्तन

ई

निम्न कार्बन परिचालन के लिए परिवर्तनः

हमारे कार्यान्वयन और मूल्य श्रृंखला में कार्बन प्रबलता को कम करना,

सचेत खपतः

प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग



एस

पोषक कार्यस्थलः

समावेशी और सकारात्मक कार्य वातावरण के माध्यम से कर्मचारी की कुशलता को प्राथमिकता देना

विश्वसनीय संबंध

अपने हितधारकों के साथ संबंध मजबूत करना



जी

सुदृढ़ शासनः

नैतिक व्यापार संबंधी आचरण का अनुपालन और पारदर्शिता एवं निष्ठा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना



ईएसजी लक्ष्य और प्रगति

ईएसजी यात्रा में हमने अपने लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य संधारणीय और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के हमारे व्यापक मिशन के लिए आवश्यक हैं।

यह समग्र दृष्टिकोण हमारे मूल मूल्यों के साथ संरेखित है और हमारे हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करता है, जो हमें लक्ष्य और उपलब्धि को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। सावधानीपूर्वक योजना बनाने, सहयोग और उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन से, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और दुनिया भर में सार्थक परिवर्तन लाने की अपनी क्षमता के प्रति आश्वस्त हैं।



हरित भविष्य की ओर

- वर्ष 2047 तक नेट जीरो संगठन बनने के दृढ़ राह पर अग्रसर
- वर्ष 2025 तक नवीकरणीय ईंधन स्रोतों से 50% आंतरिक ऊर्जा उपयोग
- वर्ष 2030 तक निवल जल सकारात्मक संगठन बनना
- वर्ष 2030 तक लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट का दर्जा हासिल करना

• • •



अधिक समावेशी समाज की ओर

- विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए समुदायों के साथ मिलकर कार्य करना
- क्षेत्रीय और कर्मचारी सशक्तिकरण दोनों हेतु समग्र पुनर्कौशल और कौशल प्रदान करना
- शिकायत निवारण को बढ़ावा देना
- वेंडर को तैयार करने का कार्यक्रम

• • •



शासन को बढ़ावा देना

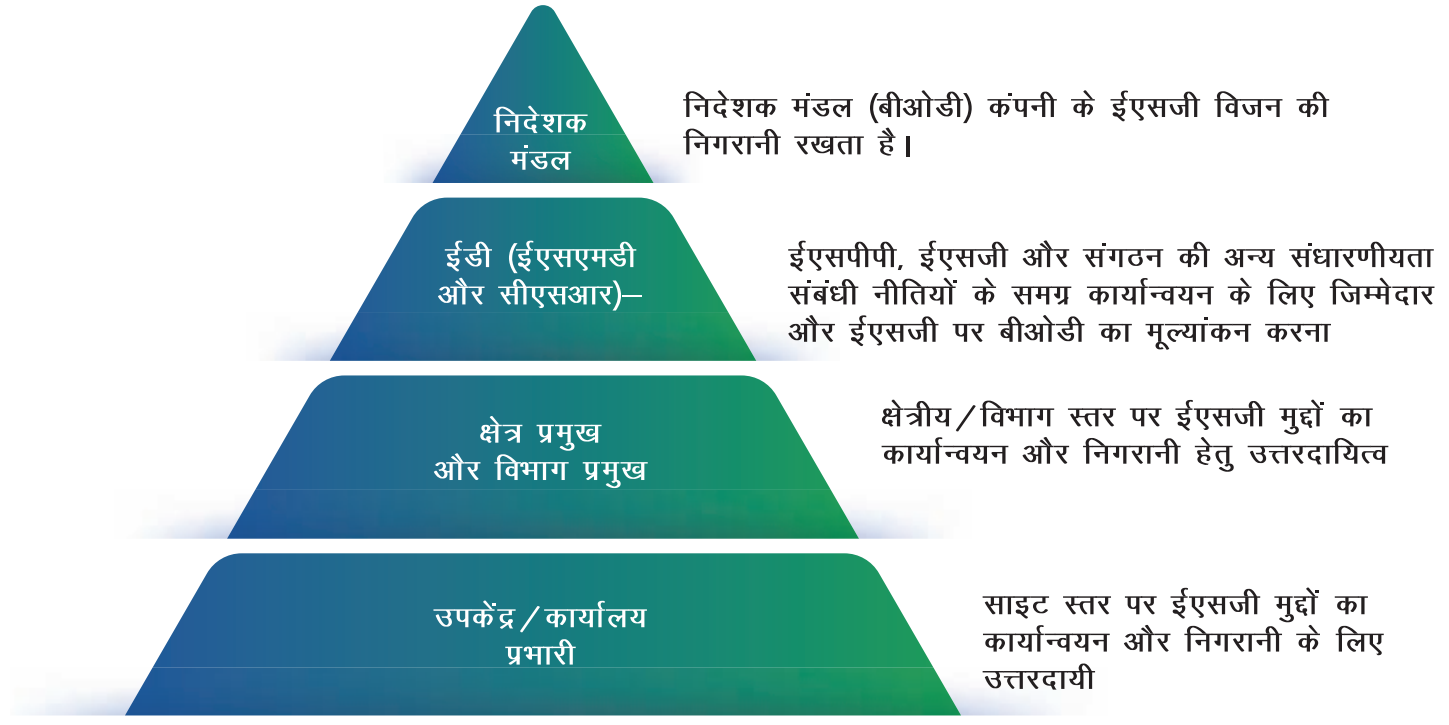
- उत्तरदायी व्यापार संबंधी कार्य प्रणालियों को उत्प्रेरक बनाना
- हितधारकों के लिए प्रकटन में प्रभाविता
- ह्विसलब्लोइंग और धोखाधड़ी रोकथाम
- परस्पर हितों के टकराव से बचाना

केपीआई	लक्ष्य/टारगेट	लक्ष्य वर्ष	वित्त वर्ष 24 में प्रगति	संबद्ध पूंजी
उत्सर्जन	नेट ज़ीरो संगठन बनने के लिए दृढ़ मार्ग पर	2047	प्रगति पर है	प्राकृतिक पूंजी
नवीकरणीय ऊर्जा	नवीकरणीय स्रोतों से 50% आंतरिक ऊर्जा उपयोग	2025	प्रगति पर है	प्राकृतिक पूंजी
जल संरक्षण	निवल जल सकारात्मक संगठन बनना	2030	प्रगति पर है	प्राकृतिक पूंजी
अपशिष्ट निपटान	"लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट" का दर्जा हासिल करना	2030	प्रगति पर है	प्राकृतिक पूंजी

ईएसजी शासन

पावरग्रिड ने जिम्मेदार संचालन सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें हमारे महत्वपूर्ण पर्यावरण सामाजिक और शासन (ईएसजी) मुद्दों को रणनीतिक रूप से प्राथमिकता देना और उन्हें कम करने के लिए चुस्त कार्रवाई करना शामिल है। इन मुद्दों का प्रबंधन एक कठोर ईएसजी शासन तंत्र द्वारा अभिशासित है।

इस तथ्य को जानते हुए कि ऊर्जा की मांग कई गुना बढ़ रही है, हम व्यापार की रूपरेखा में सतत परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। यह हमारे लिए कई अनिश्चित चुनौतियां और अवसर पैदा करता है जिसके लिए हमें हमारे प्रचालनों में और अधिक जिम्मेदार और उन्नत प्रणालियों तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एकीकृत करना आवश्यक हो जाता है।

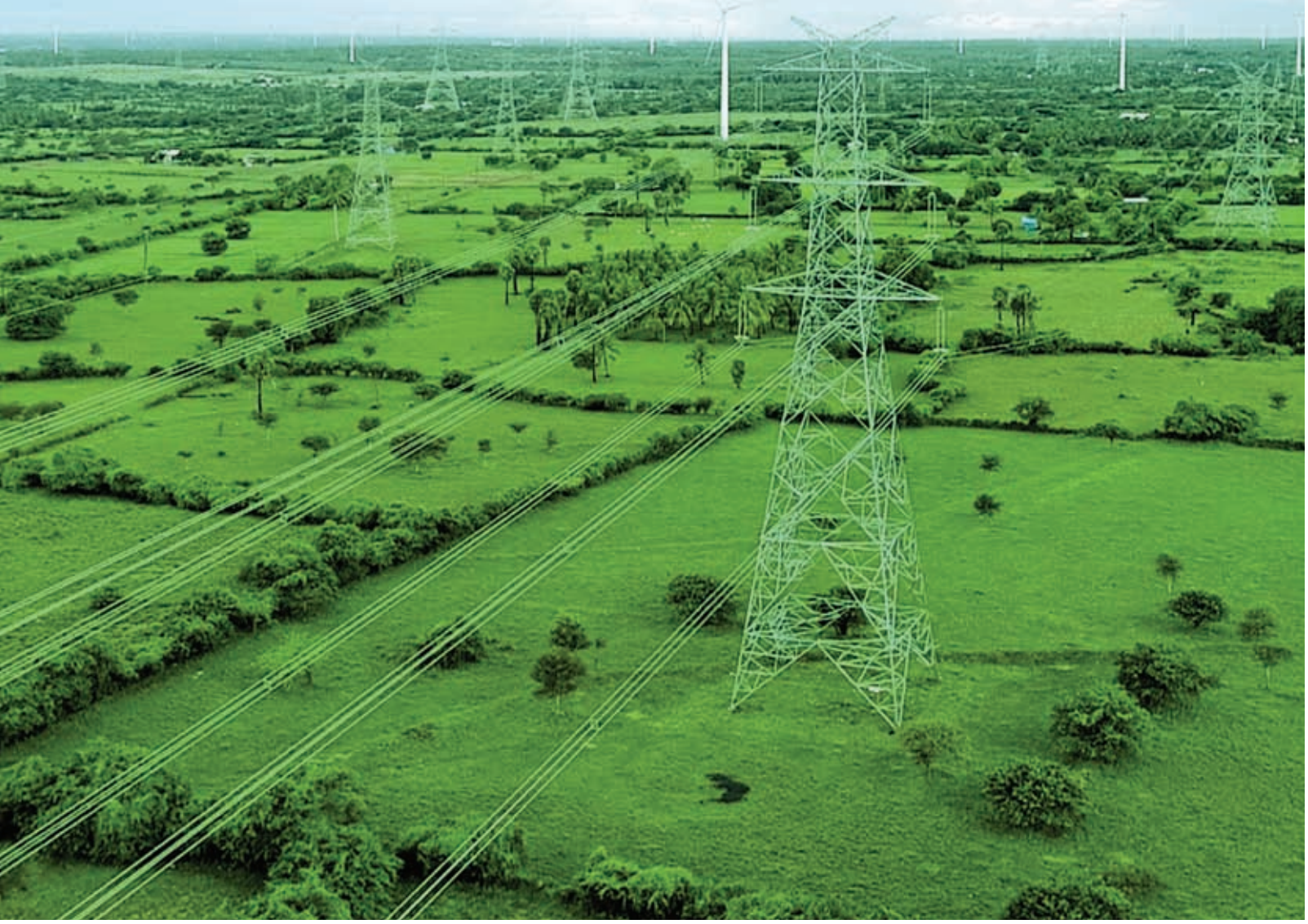


यूएनएसडीजीएस के साथ संरेखित पहलें

संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के गहन प्रभाव पर विचार करते हुए, हमें यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम उनके सिद्धांतों के प्रति अटूट रूप से प्रतिबद्ध हैं। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में उनके औपचारिक रूप से अपनाए जाने से बहुत पहले, हमने उनके दूरदर्शी आदर्शों को अपनाया था और एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की थी। हमारी पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी), जो परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों पर आधारित है, ने एसडीजीएस के साथ काम करने के हमारे संरेखण की नींव रखी थी।

सामाजिक कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर, हमने पर्यावरणीय उत्कृष्टता, सामाजिक कल्याण और जलवायु परिवर्तन पहलों का लगातार समर्थन किया है। यह प्रतिबद्धता हमारे व्यापारिक संचालन में एसडीजी को सहजता से एकीकृत करने के हमारे निरंतर प्रयासों में स्पष्ट है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, हमने अपनी मौजूदा पहलों को बरकरार रखा और नए प्रयासों को शुरू किया जिससे हम सतत प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे हैं।

हमें अपनी कुछ चुनिंदा पहलों को साझा करते हुए खुशी हो रही है, जिनमें से प्रत्येक सतत विकास लक्ष्यों के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता और एक ऐसा भविष्य बनाने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रमाणित करता है, जहां कोई भी व्यक्ति हाशिए पर न रहे:



एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2023–24
1 NO POVERTY	402.00 लाख की लागत से आईसीआरआईएसएटी के माध्यम से ओडिशा के कालाहांडी जिले के जयपटना ब्लॉक में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करना।
2 ZERO HUNGER 	227.54 लाख रु. की लागत से वाराणसी के सरकारी स्कूलों में 5000 बेंच और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 200 किट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	आंध्र प्रदेश में टीबी से पीड़ित रोगियों को पोषण सहायता – ₹602.82 लाख की लागत से टीबी मुक्त भारत।
	तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 160 आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को ₹121.41 लाख की लागत से पोषण पूरक सामग्री और शिक्षण सहायता किट की सहायता देना।
	बागपत में ₹350.00 लाख की लागत से मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल, पोषण पुनर्वास केंद्र और मोबाइल पैथोलॉजी केंद्र की स्थापना, साथ ही पोषक आहार और पूरक आहार उपलब्ध कराना।
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को रोबोटिक सर्जरी के लिए ₹2500.00 लाख की लागत से उन्नत रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की स्थापना में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
	कर्नाटक, बैंगलोर में निमहंस के परिसर में ₹2300.00 लाख की लागत से पावरग्रिड धर्मशाला/रात्रि आश्रय बनाना।
	₹2292.86 लाख की लागत से एआईआईएमएस, बिलासपुर को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना।
	₹1663.57 लाख की लागत से एमएलबी मेडिकल कॉलेज, झांसी में पावरग्रिड विश्राम सदन।
	रांची के रिम्स में ₹1560.00 लाख की लागत से पावरग्रिड विश्राम सदन।
	वडोदरा के सर सयाजीराव जनरल (सीएसएस) अस्पताल में ₹1495.00 लाख की लागत से पावरग्रिड विश्राम सदन।
	₹1350.00 लाख की लागत से एसीटीआरईसी, टीएमसी में पावरग्रिड मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सूट को सुसज्जित करना।
	₹854.06 लाख की लागत से ओडिशा के कालाहांडी जिले (आकांक्षी जिला) के विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा उपकरण और यंत्र उपलब्ध कराना।
	₹800.00 लाख की लागत से जिपमर, पांडिचेरी के आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग के लिए 128 स्लाइस सीटी स्कैन की आपूर्ति और स्थापना।
	सरकारी राजाजी अस्पताल, मदुरै, तमिलनाडु में ₹791.00 लाख की लागत से कैथ लैब परिसर को उन्नत सुविधाओं के साथ कैथ लैब उपकरण उपलब्ध कराना और कैथ लैब परिसर का नवीनीकरण करना।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2023–24
	₹683.00 लाख की लागत से दावणगेरे जिले के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य एवं पीडब्लू अधिकारी में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराना और पीएचसी का विकास तथा 3 पीएचसी का नवीनीकरण।
	₹650.00 लाख की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, न्यू चंडीगढ़, पंजाब के लिए सीटी स्कैनर उपलब्ध कराना।
	गुजरात में नवजात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करना तथा नवजात मृत्यु दर को कम करना। जी.सी.एस.आर.ए. की सहायता से पावरग्रिड, गुजरात में कुल 10 स्थानों पर ₹592.66 लाख की लागत से "एनआईसीयू ऑन व्हील्स" उपलब्ध करा रहा है।
4 QUALITY EDUCATION 	उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ₹1600.00 लाख की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के पेरुंबक्कम में ₹1582.00 लाख की लागत से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना।
	बिहार के दरभंगा में सीएम साइंस कॉलेज में ₹750.00 लाख की लागत से 150 बिस्तरों वाले आर्यभट्ट बालक छात्रावास का निर्माण और पार्क का विकास।
	वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज में ₹490.52 लाख की लागत से 120 बिस्तरों वाले छात्रावास का निर्माण।
	उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ₹303.68 लाख की लागत से 16 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार।
	₹278.32 लाख की लागत से बिहार के मोतिहारी स्थित मुंशी सिंह कॉलेज में पुस्तकालय वाचनालय, कॉमन रूम का निर्माण, आंतरिक सड़क और आसपास के क्षेत्र का विकास।
	₹215.00 लाख की लागत से मध्य प्रदेश के सतना जिले के नागोद स्थित शासकीय बरमेंद्र जिला पुस्तकालय का नवीनीकरण और उन्नयन करके पावरग्रिड ज्ञान केंद्र (पीजीके) की स्थापना।
	₹55.54 लाख की लागत से एनएसटीआई (महिला) बेंगलुरु में दो ट्रेडों (इंटरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटी और स्मार्ट हेल्थ केयर)) के तहत कक्षाएँ और प्रयोगशालाएँ स्थापित करने के लिए वस्तुओं की आपूर्ति।
	₹453.00 लाख की लागत से एनआईटी जमशेदपुर परिसर में वाई–फाई सुविधा की स्थापना।
	₹120.88 लाख की लागत से असम इंजीनियरिंग संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भवन के लिए उपकरण और मशीनरी, फर्नीचर और ऑडियो–विजुअल सहायक उपकरण की स्थापना।
	₹4.69 लाख की लागत से अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग में कैरियर काउंसलिंग भवन के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सुसज्जित करना।
	सिंगरौली जिले के तहसील–माडा के खमरिया स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए स्वेटर का वितरण।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2023–24
5 GENDER EQUALITY 	संबलपुर जिले के रायराखोल ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिला सदस्यों को 65 सिलाई मशीन का वितरण (किशोरनगर टीएलएम, अंगुल उपकेन्द्र के अंतर्गत ₹4.86 लाख की लागत से)।
	अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग में आईएमसीएलएस जीआई जोह एसएचजी द्वारा ₹4.6 लाख की लागत से दो शाफ्ट हैंडलूम बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान किया।
6 CLEAN WATER AND SANITATION 	₹772.37 लाख की लागत से गुजरात के वडोदरा नगर निगम के अंतर्गत वडोदरा शहर के मौजूदा "खासवाड़ी स्मशान" का उन्नयन और जीर्णोद्धार।
	₹199.00 लाख की लागत से गांधीनगर नगर निगम, गुजरात के लिए 02 वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन।
	₹142.00 लाख की लागत से जिला विकास आयुक्त सांबा को एक ट्रक माउंटेड वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन, बैलिस्टिक सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल सेपरेटर और जेसीबी लोडर प्रदान करना।
	महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम को ₹121.40 लाख की लागत से एक ट्रक माउंटेड वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना
	वाराणसी में ₹99.84 लाख की लागत से 195 हैंडपंप की स्थापना।
	सिक्किम के नामची के नामथांग ब्लॉक के लिए ₹30.89 लाख की लागत से 1 रिसोर्स रिकवरी व्हीकल की आपूर्ति।
	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ₹344.40 लाख की लागत से 500 हैंडपंप की स्थापना।
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY 	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में ₹111.44 लाख की लागत से 500 सोलर लाइट की स्थापना।
	उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ₹111.45 लाख की लागत से 500 सोलर लाइट्स की आपूर्ति और स्थापना।
	एलीजर जोल्डन मेमोरियल (ईजेएम) कॉलेज, लेह में सोलर पावर प्लांट के लिए ₹12.99 लाख की लागत से 60 बैटरी उपलब्ध कराना।
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 	₹2513.48 लाख की लागत से आरडीएसएस के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए कार्यबल का कौशल विकास।
	₹1878.12 लाख के लिए वित्त वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।

एसडीजी लक्ष्य		वित्तीय वर्ष 2023–24
		₹242.51 लाख की लागत से मध्य प्रदेश के सिंगरौल जिले की साराइ तहसील में अनुसूचित जाति के माध्यमिक बालिका छात्रावास का निर्माण।
		₹155.82 लाख की लागत से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना।
		₹74.40 लाख की लागत से तमिलनाडु राज्य में दृष्टिहीनों के लिए 08 सरकारी स्कूलों के लिए 80 एनी डिवाइस खरीदने के लिए सहायता प्रदान करना।
		₹35.97 लाख की लागत से महाराष्ट्र के सोलापुर के होटगी में शासकिया आश्रमशाला (आदिवासियों के लिए आवासीय विद्यालय) के लिए चारपाई और अन्य सामान उपलब्ध कराना।
		₹4.8 लाख की लागत से बोमडिला के जिला अस्पताल में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल प्रयोगशाला की स्थापना।
		भारत सरकार की नीति के अनुरूप समाज के कमजोर वर्गों की भर्ती के लिए सकारात्मक कार्रवाई करना।
		₹1928.74 लाख की लागत से उत्तराखंड के श्री बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर के रूप में निर्मित करने और उसके विकास के लिए वित्तीय सहायता।
		₹765.64 लाख की लागत से कोटा में सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और सरकारी स्कूलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
		₹546.00 लाख की लागत से आरा, बिहार में नई पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय हॉल।
		₹388.00 लाख की लागत से आरा, बिहार में सांस्कृतिक भवन का नवीनीकरण।
		₹299.55 लाख की लागत से असम के उदलगुर जिले के भेरगांव में ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण।
		कर्नाटक के दावणगेरे के चन्नागिरी तालुक में ₹240.40 लाख की लागत से सड़क निर्माण, बैरियर और बस स्टॉप जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का निर्माण।
		असम के हैलाकांडी (आकांक्षी जिला) में जिला खेल संघ में स्टेडियम/सार्वजनिक खेल मैदान के उन्नयन/सुधार के लिए ₹240.13 लाख की लागत की वित्तीय सहायता।
		उत्तर लखीमपुर, असम में स्क्वैश और शतरंज जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों के लिए खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 15.05 लाख रु की लागत से इनडोर खेल परिसर का निर्माण।
 		सिंथेटिक खनिज तेल की जगह प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ दुनिया का पहला रिएक्टर चालू किया।
		डिजिटल उपकेन्द्र का विकास जिसके परिणामस्वरूप तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम हुई।

एसडीजी लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2023–24
13 CLIMATE ACTION, 15 LIFE ON LAND	₹129.51 लाख की लागत से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा ऊर्जा संरक्षण–2023 पर स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय जागरूकता अभियान।
	₹81.24 लाख की लागत से विजयवाड़ा नगर निगम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश को स्वचालित पीईटी बोतल फ्लेकिंग और रिवर्स वेंडिंग मशीन उपलब्ध कराना।
	₹73.62 लाख की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर 43 में ग्रीन बेल्ट का रखरखाव।
	उत्तराखंड के जौलजीबी में सीएसआर के तहत भेल्या वन पंचायत में ₹71.20 लाख की लागत से बाढ़ नियंत्रण और मृदा अपरदन नियंत्रण का कार्य करना।
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	सीएसआर के तहत असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1911 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) को ₹302.10 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करना।
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	तकनीकी और नीतिगत नवाचारों और मानव संसाधन विकास के लिए आईआईटीएस, आईआईएमएस, आईआईएससी, एमडीआई आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करना।
	ज्ञान साझा करने, क्षमता निर्माण, विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं आदि के आदान–प्रदान के माध्यम से विकास और वृद्धि के सतत मार्ग को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न रूपों में विश्व बैंक, एडीबी, पीडब्ल्यूसी जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के साथ सहयोग करना।



हितधारक सहभागिता तथा भौतिकत्व आकलन

हितधारक सहभागिता

हमारी हितधारकों के पहचान की प्रक्रिया हमारे संचालन और गतिविधियों से जुड़े, उससे प्रभावित या उनसे संबद्ध विभिन्न हितधारकों के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करती है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण हमें उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझने, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने और मजबूत संबंध स्थापित करने में सक्षम बनाता है। पहले, हमने हितधारकों का एक व्यापक मूल्यांकन किया, जिसमें प्रमुख भौतिक पहलुओं की पहचान की गई और हितधारकों को समान हितों के आधार पर समरूप समूहों में वर्गीकृत किया गया। इसके बाद प्रत्येक समूह के लिए एक प्रभावी सहभागिता योजना विकसित की गई। विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित हितधारकों की पहचान उनके महत्व, प्रभाव, भागीदारी और रुचि को ध्यान में रखते हुए की गई, जिन्हें तीन प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गयाः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति, परियोजना में रुचि रखने वाले या उस पर प्रभाव डालने वाले हितधारक और परियोजना कार्यान्वयन में शामिल व्यक्ति और संस्थान। इस रिपोर्टिंग वर्ष के लिए हमारी हितधारक सूची सहभागिता पद्धति, आवृत्ति और महत्व के विषय में अद्यतन विवरणों के अनुरूप बनी हुई है।

हम अपने सभी हितधारकों के साथ सकारात्मक और पारदर्शी संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। ये संबंध प्रतिक्रिया के माध्यम से लगातार मजबूत होते हैं, जिससे परिचालन प्रक्रियाओं और उसके बाद के परिणामों में सुधार होता है। हमें विश्वास है कि हमारे हितधारकों की जरूरतों को प्राथमिकता देने से विश्वास, लचीलापन, अनुकूलनशीलता और जिम्मेदार प्रगति पर आधारित स्थायी संबंध विकसित होंगे।

हमारी हितधारक सहभागिता प्रक्रिया नीचे दिए गए खंड में विस्तृत रुप से दिया गया है

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) आदि	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
शेयरधारक/ निवेशक (वित्तीय एवं सामाजिक पूजी)	हमारे शेयरधारक हमारे व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनका मूल्य शेयरों के मालिक होने से वित्तीय निवेश के रूप में आता है। हम लंबी अवधि में शेयरधारक मूल्य बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उन्हें उच्च मूल्य और संभावित रूप से उच्च लाभांश प्रदान किया जा सके।	नहीं	वार्षिक सामान्य बैठक बोर्ड बैठक वार्षिक रिपोर्ट/ वेबसाइट विश्लेषक बैठकें निवेशक बातचीत	एक वर्ष में एक बार साल में कम से कम 4 बार वर्ष में एक बार/ जब भी आवश्यक हो साल में कम से कम 4 बार नियमित आधार पर	धन सृजन एवं लाभांश भुगतान प्रदर्शन एवं परिणामों की समीक्षा क्षेत्र–विशिष्ट व्यापक–आर्थिक रुझान और निवेशकों की रुचि दीर्घकालिक साझेदारी
ग्राहक राज्य विद्युत बोर्ड दूरसंचार–निजी कंपनियों कंसल्टेंसी (राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय)	हमारे ग्राहक हमारी दीर्घकालिक सफलता की नींव है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में ग्राहक प्रसन्नता रहती है।	नहीं	समझौतों पर हस्ताक्षर के दौरान और आवश्यकता के आधार पर वास्तविक बैठक मीटिंग/ईमेल/कॉल	प्रत्येक परियोजना के साथ जब भी आवश्यकता हो	बिलिंग संग्रहण एवं संवितरण बैठकें उच्च अपटाइम सेवा खराब होने की स्थिति में तत्काल सेवा पुनः प्रारंभ करना प्रश्नों का त्वरित समाधान अभिनव उपाय

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) आदि	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियां (विश्व बैंक, एडीबी, आईएफसी, केएफडब्ल्यू आदि)	प्रमुख समर्थक जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं/ क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकासात्मक और अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय रूप से हमारे साथ अपना विश्वास सुनिश्चित करते हैं।	नहीं	भौतिक/आभासी बैठकें, प्रशिक्षण / कार्यशाला/ ईमेल कार्यान्वयन सहायता / समीक्षा मिशन, नियमित आकलन/ऑडिट/निगरानी प्रगति रिपोर्ट परियोजना समापन रिपोर्ट (पीसीआर)	जब भी आवश्यकता हो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद	वित्त से जुड़ी पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन/चर्चा मुद्दों का तेजी से समाधान और परियोजना प्रतिक्रिया स्थिति समय–समय पर नियामक ढाँचे में बदलाव के संबंध में चर्चाएँ
कर्मचारी	हमारे कर्मचारी अमूल्य संपत्ति हैं और हमारे निरंतर विकास की आधारशिला हैं। वे हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और हमारे बाजार नेतृत्व की पुश्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं	हाँ (महिला/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)	कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण खुला घर प्रदर्षन मूल्यांकन पत्रिकाएँ क्यू और क्षेत्रीय पत्रिकाएँ एचआर कॉन्क्लेव और विभाग विशिष्ट विज्ञप्ति ग्रिड दर्पण (राजभाषा) स्पष्टवादिता (सतर्कता) पीएनबीसी बैठकें एचआर मीटिंग /ईमेल/ टेलीफोनिक कॉल/नोटिस बोर्ड	सालाना त्रैमासिक साल में दो बार त्रैमासिक जब भी आवश्यकता हो साप्ताहिक अर्धवार्शिक सालाना आवश्यकता के अनुसार जब भी आवश्यकता हो	कर्मचारी लाभ एवं कल्याण सुरक्षित कार्य वातावरण कैरिअर की प्रगति समान अवसर और उपचार कौषल उन्नयन के अवसर आवधिक प्रदर्षन एवं फीडबैक नियमित अपडेट साझा करने के लिए मीटअप/ टाउनहॉल /रणनीति एवं प्रदर्शन बैठकें
समुदाय/ परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी)	जिन समुदायों में हम काम करते हैं, वहां के लोगों के जीवन को सशक्त बनाना हमारे व्यवसाय की स्थिरता के लिए मौलिक है। हम विभिन्न उत्थान कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से समुदायों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना और उनके जीवन में बदलाव लाना जारी रखते हैं।	हां	सार्वजनिक परामर्श / समाचार पत्र प्रभावित क्षेत्र का भौतिक दौरा/ फोकस समूह चर्चा सीएसआर पहल और सामुदायिक बैठकें	परियोजना के प्रत्येक चरण में संकल्पना से लेकर संचालन एवं रखरखाव तक परियोजनाओं की आवश्यकता के अनुसार आवधिक समय अंतराल आवश्यकता आधारित (समुदायों के परामर्श से)	समाज में योगदान पुनर्स्थापन और पुनर्वास का अनुपालन आवश्यकताएँ/ प्रावधान आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना आजीविका को सशक्त बनाना सामाजिक प्रभाव आकलन एवं परियोजना निगरानी

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) आदि	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
सरकारी नियामक (सेबी/सीईआ. रसी/ बीएसई/ एनएसई) विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सरकार के साथ रचनात्मक संबंध हमारे व्यापार की निरंतरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम नियामक विकास और नीतियों की बारीकी से निगरानी करते हैं, जिससे प्रगतिशील चर्चाओं में भाग पाते हैं।	नहीं	अनुपालन रिपोर्ट/प्रपत्र / शारीरिक बैठकें / वेबसाइट/ईमेल ईमेल/बैठकें/उद्योग संघ की बैठकें आरपीसी (क्षेत्रीय विद्युत समिति) की बैठकें प्रदर्षन निगरानी चर्चा/ रिपोर्ट/ आकलन अनुदान के लिए चर्चाएँ एवं बैठकें/ईमेल सीएजी लेखा परीक्षा	निरंतर आधार पर जब भी कोई नया कानून/ पुनर्विनियमन / नियम प्रस्तावित किया जाता है महीने मे जब भी आवश्यकता हो जब भी आवश्यकता हो	विभिन्न वैधानिक नियमों के तहत अनुपालन आवश्यकताओं का पालन प्रस्तावित विधानों पर टिप्पणियाँ / टिप्पणियाँ पूँजी का बंटवारा उन्हें सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए पारदर्शी प्रकटीकरण कार्यप्रणाली विनियमों के अनुसार पर्यावरण और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन अल्पांश शेयरधारकों का हित विभिन्न हकदार अनुदानों के लिए समन्वय
आपूर्तिकर्ता एवं संविदाकार	हमारे आपूर्तिकर्ता और संविदाकार हमारी मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। निर्बाध व्यावसायिक संचालन के लिए एक प्रभावी और कुशल खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए हम अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी करते हैं।	हां (एमएसएमई/ एससी/एसटी विक्रेता)	बोलीपूर्व चर्चा (पीबीडी)/ वेबसाइट / जीईएम पोर्टल / समाचार पत्र विभिन्न प्रबंधन स्तरों पर समीक्षा बैठक एमपीआर आवश्यकताओं के लिए बैठकें/संचार अनुसंधान एवं विकास संस्थानों सहित तकनीकी प्रगति पर संयुक्त चर्चा फीडबैक सत्र क्षमता निर्माण सत्र/ कार्यशालाएं / कक्षा प्रशिक्षण	प्रत्येक पुरस्कार के साथ महीने में महीने में नियमित आधार पर एक वर्ष में एक बार जब भी आवश्यक हो	परियोजना और समय–सीमा आदि के बारे में बोलियों और स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें। विश्वसनीय भुगतान कार्यक्रम किसी भी प्रश्न का समय पर निवारण दीर्घकालिक साझेदारी और क्षमता निर्माण प्रत्येक निविदाकार और आपूर्तिकर्ताओं के एमपीआर के लिए चर्चा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं आदि के साथ निरंतर जुड़ाव और संवाद। एमएसएमई विक्रेताओं और वेंडरों का विकास
मीडिया	हमारे व्यवसाय की कुंजी समय पर और पारदर्शी संचार है, जहां हमारे प्रमुख हितधारक इस बात पर अपना विश्वास और विश्वसनीयता रखते हैं. कि हम उनके साथ क्या और कैसे संवाद करते हैं, जिसमें मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।	नहीं	प्रेस वार्ता/ कार्यक्रमों के लिए निमंत्रण	कई मीडिया कवरेज/ प्रेस वार्ता एवं प्रदर्शनियाँ	सभी प्रासंगिक हितधारकों के लिए पारदर्शी और रणनीतिक संचार सभी हितधारकों और उनकी मांगों के लिए निरंतर फीडबैक चैनल

हितधारक समूह	ये हितधारक हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं	क्या कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के तरीके (ई–मेल, एसएमएसए समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट) आदि	अनुबंध की आवृत्ति (वार्षिक/ अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य कृपया निर्दिष्ट करें)	रणनीतिक प्राथमिकताएँ (इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा)।
तकनीकी सस्थान (आईआईटी/ आईआईएससी)	शिक्षा जगत और उद्योग संबंधों को बढ़ावा देने से व्यवसाय और समाज में नवोन्मेश और तकनीकी समाधान की संस्कृति विकसित होती है ।	नहीं	एमओयू/वास्तविक बैठकें/ सहयोग/ वेबिनार / प्रशिक्षण सत्र	जब भी आवश्यकता हो	उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों की खोज करना और उन्हें अपनाना क्षेत्र–विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास के लिए शिक्षा जगत के लिए अनुसंधान वित्तपोषण



प्रभावित समुदायों से परामर्श करने का हमारा दृष्टिकोण

सार्वजनिक परामर्श/सूचना, पावरग्रिड परियोजना चक्र का एक अभिन्न अंग है। पावरग्रिड अपने ईएसपीपी में निर्धारित विभिन्न तकनीकों को शामिल करते हुए सार्वजनिक परामर्श आयोजित करने के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया का पालन करता है, जिसे विश्व बैंक द्वारा देश प्रणाली के उपयोग (यूसीएस) के तहत भी अनुमोदित किया गया है। 10 अलग–अलग तकनीकें हैं जिनका उपयोग या तो स्वतंत्र रूप से या क्षेत्र की स्थितियों के आधार पर परियोजना के विभिन्न उपवधियों पर उचित रूप से संयोजन में किया जाता है। सार्वजनिक बैठक के लिए स्थान आमतौर पर हर 50–100 किमी पर चुना जाता है जिसमें लाइन के रास्ते में आने वाले प्रमुख गाँव/बसावट क्षेत्र शामिल होते हैं। हालाँकि, अन्य गाँवों/भागों में, परामर्श के लिए अनौपचारिक समूह बैठकें या अन्य तकनीकें अपनाई जाती हैं। परामर्श और प्रतिक्रिया प्रक्रिया एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और परियोजना चक्र के विभिन्न माइलस्टोन पर नियमित रूप से कार्यान्वित की जाती है।

परामर्श और सूचना प्रसार की प्रक्रिया निर्माण शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाती है क्योंकि पावरग्रिड, परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में स्थानीय भाषा के 2 (दो) स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करके आम जनता को सूचित करता है, जिसमें परियोजना के बारे में शहर/गांवों के नाम के साथ अंतिम संरेखण का मार्ग दर्शाया जाता है और यदि कोई हो तो उनके सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण के दौरान भी पावरग्रिड साइट के अधिकारी लोगों से मिलते हैं और उन्हें पारेषण लाइनों के मार्ग के बारे में जानकारी देते हैं। निर्माण के दौरान, प्रत्येक व्यक्ति, जिसकी लैंडलाइन का निर्माण किया गया है और आरओडब्ल्यू से प्रभावित लोगों से परामर्श किया जाता है। इसके अलावा, परियोजना चक्र की विभिन्न गतिविधियों के दौरान सार्वजनिक बैठक, छोटे समूह की बैठक, अनौपचारिक बैठक जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके सार्वजनिक परामर्श भी लिया जाता है।

सार्वजनिक परामर्श के दौरान, परियोजना के बारे में जानकारी साझा की जाती है, जिसमें इसकी पूरी योजना, डिज़ाइन मानक, ईएमएफ से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव और स्कूलों और अस्पतालों जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं को बचने के उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पारेषण लाइनों के अन्य प्रभावों और उन्हें कम करने और हल करने के लिए पावरग्रिड के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है। परियोजना से प्रभावित लोगों (पीएपी) के लिए मुआवज़ा प्रक्रिया को भी समझाया जाता है।

जनता की चिंताओं और सवालों का पूरी तरह से उत्तर दिया जाता है। आम सवाल बिजली की उपलब्धता, सुरक्षा और आरओडब्ल्यू मुआवज़े में सुधार पर केंद्रित होते हैं। प्रतिभागी अक्सर पूछते हैं कि क्या परियोजना से बिजली की आपूर्ति में सुधार होगा और कटौती कम होगी, क्या यह खेतों में काम करने वाले आस–पास के निवासियों के लिए सुरक्षित है, क्षतिग्रस्त फसलों और टावर फुटिंग के लिए इस्तेमाल की गई ज़मीन के लिए मुआवज़ा नीति क्या है, स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर क्या होंगे और पेड़ों की कटाई के लिए आरओडब्ल्यू की चौड़ाई और संबंधित मुआवज़े का विवरण क्या है।

क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) से संबंधित विवरण के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट जो कि अनुलग्नक–X पर है, देखें।

भौतिकत्व आकलन

पावरग्रिड हमारी ईएसजी रणनीति को निर्देशित करने में भौतिकत्व आकलन के महत्व को स्वीकार करता है, जो ईएसजी कारकों के सापेक्ष महत्व और मूल्य सृजन पर उनके संभावित प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है। हमारे दृष्टिकोण में एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली शामिल है, जिसमें आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों को शामिल करते हुए द्विवार्षिक रूप से आयोजित एक समर्पित भौतिकत्व सर्वेक्षण शामिल है।

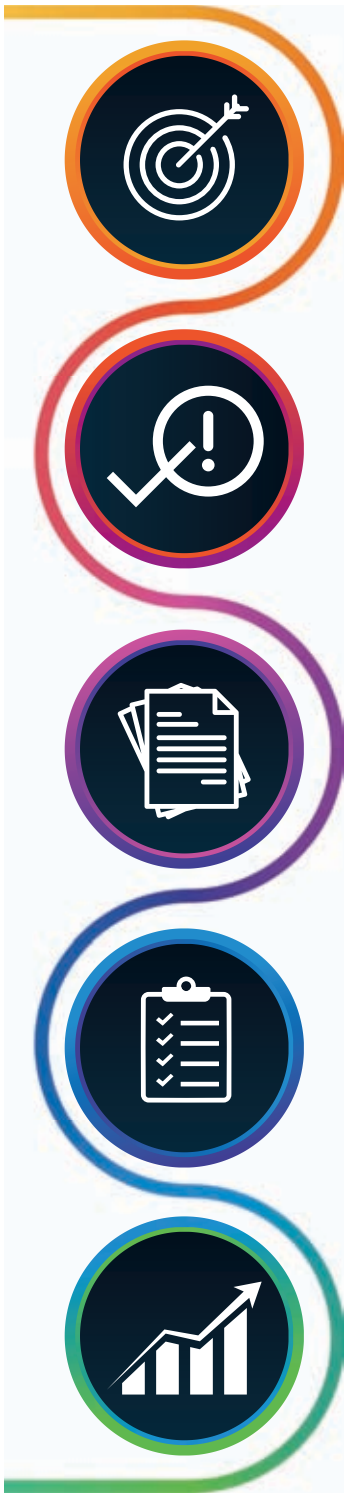
हितधारक सहभागिता के माध्यम से, हम अपने संचालन से प्रभावित उन हितधारकों की चिंताओं को गहराई से समझते हैं, सबसे अधिक प्रभाव वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करते हैं। इन्हें एक भौतिकत्व मानचित्र में सावधानीपूर्वक क्यूरेट किया गया था, उन्हें महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया था।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, हमने इन भौतिक मुद्दों पर फिर से विचार किया, प्रत्येक मुद्दे के वित्तीय प्रभाव और हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए आंतरिक हितधारकों के साथ चर्चा की। इस आकलन के माध्यम से, हमने अपनी मूल्य सृजन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण 19 महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की है। मुद्दों को जोखिम या अवसर के रूप में भी वर्गीकृत किया गया और संभावित वित्तीय निहितार्थों का पता लगाया गया।

भविष्य को देखते हुए, हमारी प्रतिबद्धता एक सामूहिक दृष्टि से प्रेरित है और जिम्मेदार व्यापारिक प्रथाओं पर आधारित है।



भौतिकत्व आकलन दृष्टिकोण



हितधारकों की पहचान

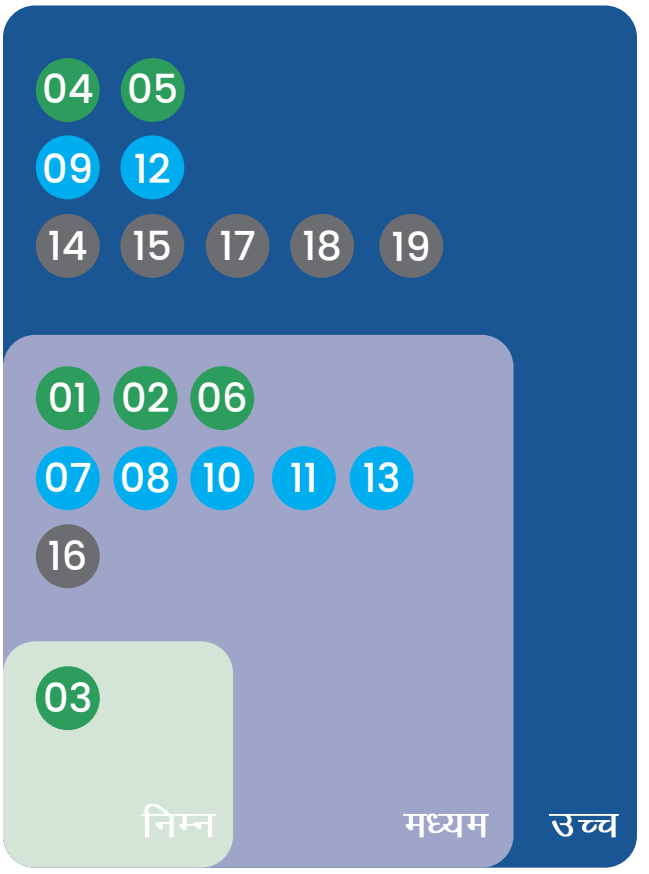
भौतिक विषयों को प्राथमिकता देना

हितधारक सहभागिता और भौतिकत्व सर्वेक्षण

भौतिकत्व सर्वेक्षण, विश्लेषण और समीक्षा

भौतिकत्व मैट्रिक्स का निर्धारण

सामग्री विषय



पर्यावरण

01 जलवायु परिवर्तन
02 जैव विविधता/पर्यावरण संरक्षण
03 जल प्रबंधन
04 ऊर्जा प्रबंधन
05 जीएचजी उत्सर्जन
06 अपशिष्ट का प्रबंधन

सामाजिक

07 संघ की स्वतंत्रता एवं सामूहिकता सौदा
08 कर्मचारी लाभ योजना
09 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
10 मानव अधिकार
11 विविधता, गैर–भेदभाव और समान अवसर
12 मानव पूंजी विकास
13 समुदाय संबंध

शासन

14 नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा
15 विनियामक अनुपालन
16 संवारणीय सोर्सिंग
17 पारदर्शिता
18 प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष
19 साइबर सुरक्षा

कॉर्पोरेट शासन

पावरग्रिड में, जिम्मेदार और नैतिक व्यापार प्रथाओं के प्रति हमारा समर्पण दृढ़ है। हम सभी परिचालन पहलुओं में निष्पक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं, जो एक मजबूत शासन ढांचे द्वारा समर्थित है। प्रभावशाली समितियों और एक दृढ़ नेतृत्वकारी टीम द्वारा देखरेख की जाने वाली यह संरचना, विनियमों, नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के एक स्पेक्ट्रम को शामिल करती है। हमारे दृष्टिकोण में केवल अनुपालन ही नहीं है; हम सक्रिय रूप से उन समुदायों के भीतर स्थायी संबंध विकसित करते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। ऐसा करके, हमारा लक्ष्य पावरग्रिड को विवेक, उद्देश्य और समृद्धि की विशेषता से पुष्ट करना है।

निदेशक मंडल

पावरग्रिड में कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं का नेतृत्व हमारे निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है और पूरे संगठन में हमारे कर्मचारियों द्वारा इसका पालन किया जाता है। बोर्ड कंपनी के समग्र दृष्टिकोण की निगरानी करता है और महत्वपूर्ण मामलों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है साथ ही हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। निवेश, विविधीकरण, खरीद, वाणिज्यिक गतिविधियों और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के कार्यान्वयन से पहले बोर्ड की मंजूरी आवश्यक हैं। विभिन्न समितियों के साथ, संगठन में एक जिम्मेदार व्यवहार सुनिश्चित करने वाला एक संरचित ढांचा मौजूद है।

यह पारदर्शी और सक्रिय दृष्टिकोण संगठन और इसके हितधारकों दोनों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों के लिए भी मौजूद है। पावरग्रिड का बोर्ड विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त "महारत्न कंपनी के रूप में महत्वपूर्ण निवेश और परिचालन संबंधी निर्णय लेने में अपनी स्वायत्तता को स्वीकार करता है। यह अपने संसाधनों का जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए समर्पित है।

बोर्ड का कार्यकाल

बोर्ड के कार्यकाल का एक संक्षिप्त विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है। बोर्ड के कार्यकाल के विवरण के लिए, निदेशकों की रिपोर्ट में विद्यमान "कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट" देखें।

बोर्ड का कार्यकाल (वित्त वर्ष 2023–24)	
0–2 वर्ष	06
2–5 वर्ष	06
बोर्ड का औसत कार्यकाल	2.33

बोर्ड की विशेषज्ञता

बोर्ड के सदस्य यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बोर्ड कॉर्पोरेट शासन के उच्चतम मानकों का अनुपालन करे। बोर्ड के प्रमुख कौशल, विशेषज्ञता, दक्षताओं को सारांशित करने वाली तालिका को निदेशकों की रिपोर्ट में ''कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट' में संदर्भित किया जा सकता है।





श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी (58 वर्ष), (डीआईएनः09632316) हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पी.ई.सी.), चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से एनर्जी स्टडीज में एम.(टेक) पूरा किया है। श्री त्यागी कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया, यूएसए से फुलब्राइट स्कॉलर हैं। उनके पास पावर सेक्टर में पावरग्रिड और एनटीपीसी जैसे प्रमुख सीपीएसयू में विभिन्न प्रमुख पदों पर 34 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने परिसंपत्ति प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और निगरानी, इंजीनियरिंग, व्यवसाय विकास, दूरसंचार, लोड डिस्पैच और संचार, एनटीएएमसी, वित्त, वाणिज्यिक, मानव संसाधन संपदा प्रबंधन, सुरक्षा, डीएमएस आदि जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में बहु–विषयक कार्यों को संभाला है। श्री आर.के. त्यागी तकनीकी मानक तैयार करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी समितियों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे है। वह 50 से अधिक तकनीकी पत्रों के लेखक हैं जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स और पावर ट्रांसमिशन में बैंबू नेलिंग और सेंड पाइलिंग तकनीक पर हैंडबुक भी प्रकाशित की हैं। उन्हें जनवरी, 2024 में हमारे बोर्ड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री रविशंकर गणेशन
निदेशक (वित्त)

श्री रविशंकर गणेशन (58 वर्ष) (डीआईएनः 08816101) मद्रास विश्वविद्यालय से गणित स्नातक हैं और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान से लागत लेखाकार हैं। उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। एक निपुण टेक्नोक्रेट के रूप में, उनके पास 33 वर्षों का अनुभव है, जो मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित पावरग्रिड (एनएलसी इंडिया लिमिटेड में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद) के निर्माण कार्यालय, सब–स्टेशन, क्षेत्रीय मुख्यालय और कॉर्पोरेट केंद्र में सेवा से प्राप्त हैं। उन्हें प्रमुख वित्त कार्यों जैसे कि संसाधन जुटाना, बजट बनाना, वित्तीय रिपोर्टिंग, वाणिज्यिक और सेवानिवृत्ति लाभ निधि प्रबंधन में व्यापक अनुभव है। उन्होंने वित्त कार्यों के डिजिटलीकरण, बिल प्रोसेसिंग हब की स्थापना और ईआरपी कार्यान्वयन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने व्यापार सिमुलेशन प्रतियोगिताओं में अपनी टीम का नेतृत्व किया और नेशनल मैनेजमेंट गेम्स चैंपियनशिप में भी पुरस्कार जीते, इसके अलावा भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्लोबल मैनेजमेंट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एशियाई चैंपियनशिप में अर्हता प्राप्त की। उन्हें सितंबर, 2022 में हमारे बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।



डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी

निदेशक (कार्मिक)

डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी (58 वर्ष), (डीआईएनः 10301390) हमारी कंपनी के निदेशक (कार्मिक) हैं। इस कार्यभार को संभालने से पहले, वे पावरग्रिड के कार्यपालक निदेशक (एचआर) थे और उन्होंने इन चुनौतीपूर्ण और अन्य प्रमुख कार्यों को संभाला और गतिशील कारोबारी माहौल में लगातार परिणाम दिए हैं। वे 34 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले एक सिद्ध अनुभवी नेता हैं। उन्होंने एचआर रणनीति को व्यापार के साथ संरेखित करने और संगठन के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे उत्कृष्ट क्रॉस फंक्शनल नॉलेज, उच्च तीक्ष्णता और नीति निर्माण, एचआर प्रोसेस रीइंजीनियरिंग और अन्य संगठनात्मक विकास पहलों का महान अनुभव रखने वाले एक व्यवसाय प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के साथ अपनी कैरियर की शुरूआत की और 1993 में पावरग्रिड के साथ जुड़े। उन्होंने चुस्त और लचीले संगठन के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एसएपी कार्यान्वयन, एचआर का डिजिटलीकरण, कार्य के भविष्य के लिए तत्परता आदि जैसी विभिन्न परिवर्तन प्रबंधन पहलों का नेतृत्व किया है। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री, एनआईटीआईई मुंबई (अब आईआईएम मुंबई) से पीजीडीआईई, एमडीआई गुड़गांव से पीजीडीएम और प्रबंधन में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और प्रतिष्ठित एशियाई प्रबंधन चुनौती चैम्पियनशिप जीती हैं। उन्हें अगस्त, 2023 में हमारे बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।



डॉ. डी साई बाबा

सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला (डीआईएनः 10167281) काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, लंदन, यूके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली से परिवहन सुरक्षा क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव से सूचना प्रबंधन में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर के पूर्व छात्र हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैडर की भारतीय रेलवे सेवा से संबंधित हैं और 1993 में उसमें शामिल हुए थे। अब तक के 31 वर्षों से अधिक के अपने करियर के दौरान, वे भारतीय रेलवे में विभिन्न पदों पर रहे हैं जिनमें डिवीजनल मैकेनिकल इंजीनियर, अतिरिक्त डिवीजनल रेलवे मैनेजर/पलक्कड़/दक्षिणी रेलवे, मोजाम्बिक में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त रेलवे पुनर्वास परियोजना में उप निदेशक (रोलिंग स्टॉक), निदेशक (आईपीएमडी), निदेशक (आईएसएस), निदेशक (सतर्कता), निदेशक (एमपीएलएडीएस) आदि शामिल हैं। अन्य बातों के अलावा, उनकी विशेषज्ञता में रेलवे संचालन और संपत्ति रखरखाव, परियोजना योजना और कार्यान्वयन, अंतरराष्ट्रीय निविदा और खरीद, सूचना प्रबंधन प्रणाली और डेटा विश्लेषण, परिवहन सुरक्षा और प्रबंधन, गुणवत्ता प्रणालियों के प्रमाणित प्रमुख मूल्यांकनकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी आदि शामिल हैं। उन्हें विभिन्न क्षमताओं पर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मंत्रालयों में सेवा देने का अनुभव है। डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला वर्तमान में विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें मई, 2023 में हमारे बोर्ड में सरकारी द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री ललित बोहरा
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री ललित बोहरा (डीआईएनः 08061561) भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पिलानी से एमबीए (वित्त) हैं। वे 1998 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) से संबंधित हैं। 30 से अधिक वर्षों के अपने करियर के दौरान, उन्हें विभिन्न प्रमुख पदों पर लॉजिस्टिक क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव प्राप्त है। वे माल, यात्री और उपनगरीय परिवहन के संचालन और वाणिज्यिक पहलू के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कॉनकॉर में सीजीएम के रूप में भी काम किया है, जहाँ उन्होंने नए ड्राई पोर्ट स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2022 में मंत्रालय में शामिल होने के बाद, वह सौर ऊर्जा क्षेत्र को देख रहे थे, जिसमें सौर विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, कृषि क्षेत्र के सौरकरण के लिए पीएम–कुसुम योजना, सीपीएसयू योजना और बैटरी स्टोरेज आदि शामिल हैं। वह राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक भी थे। वह अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ–साथ हरित ऊर्जा गलियारों सहित अपतटीय पवन और पारेषण प्रणाली सहित पवन ऊर्जा को देख रहे हैं। वह सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में भारतीय सौर ऊर्जा निगम बोर्ड में भी शामिल हैं। उन्हें जून, 2024 में हमारे बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया
स्वतंत्र निदेशक

श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (48 वर्ष) (डीआईएनः 09402860) पुणे विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वे भूमि विकास और भवन निर्माण के व्यापार में शामिल हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्र में 26 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के माध्यम से नदी संरक्षण के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगर निगमों से निकटता से जुड़े रहे हैं।उनकी रुचि के क्षेत्रों में प्रबंधन और संगठन, वित्तीय प्रबंधन, सीएसआर गतिविधियाँ आदि शामिल हैं। उन्हें नवंबर, 2021 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।



श्री राम नरेश तिवारी
स्वतंत्र निदेशक

श्री राम नरेश तिवारी (44 वर्ष) (डीआईएनः 09405377) ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी से इतिहास में और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में दोहरी स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। वे पेशे से कृषक हैं। उनकी रुचि के क्षेत्रों में कृषि, मिश्रित खेती, व्यवसाय सहकारी गतिविधियाँ, सामाजिक और कृषि कल्याण प्रबंधन आदि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने का अनुसंधान, विकास और कार्यान्वयन शामिल है। उन्हें नवंबर, 2021 में हमारे बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशक मंडल का नामांकन और चयन

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, पावरग्रिड भारत सरकार के शासन के अधीन काम करता है, जो कंपनी बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति पर नजर रखता है।

कार्यात्मक निदेशकों के लिए चयन प्रक्रिया सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा प्रबंधित की जाती है, जिसमें नियुक्ति निर्धारण के लिए सरकार को सिफारिशें भेजी जाती हैं। एक सूचीबद्ध इकाई और सीपीएसई के रूप में अपनी दर्जे का मान रखते हुए, पावरग्रिड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) विनियम, 2013 के कंपनी अधिनियम और संबंधित नियमों जैसे विनियामक ढाँचों का पालन करता है, साथ ही सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सरकारी निर्देशों का भी पालन करता है, विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में।

भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय डीपीई द्वारा जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार पावरग्रिड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अनुभव, योग्यता और आयु जैसे मानदंड शामिल हैं। कार्यात्मक और स्वतंत्र निदेशक दोनों ही निश्चित कार्यकाल के लिए काम करते हैं। पावरग्रिड के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति भी इसी तरह विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है।

बोर्ड विविधता

पावरग्रिड की बोर्ड विविधता नीति (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/05_Policy_on_Diversity_of_Board.pdf) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "निदेशक मंडल को कार्यकारी और गैर–कार्यकारी सदस्यों के बीच इष्टतम संतुलन बनाए रखने के लिए संरचित किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक शामिल हो। बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशकों की संख्या कम से कम पचास प्रतिशत होनी चाहिए, इस शर्त के साथ कि यदि अध्यक्ष कार्यकारी है, तो बोर्ड का कम से कम आधा हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए।

बोर्ड स्तर की समितियाँ, भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

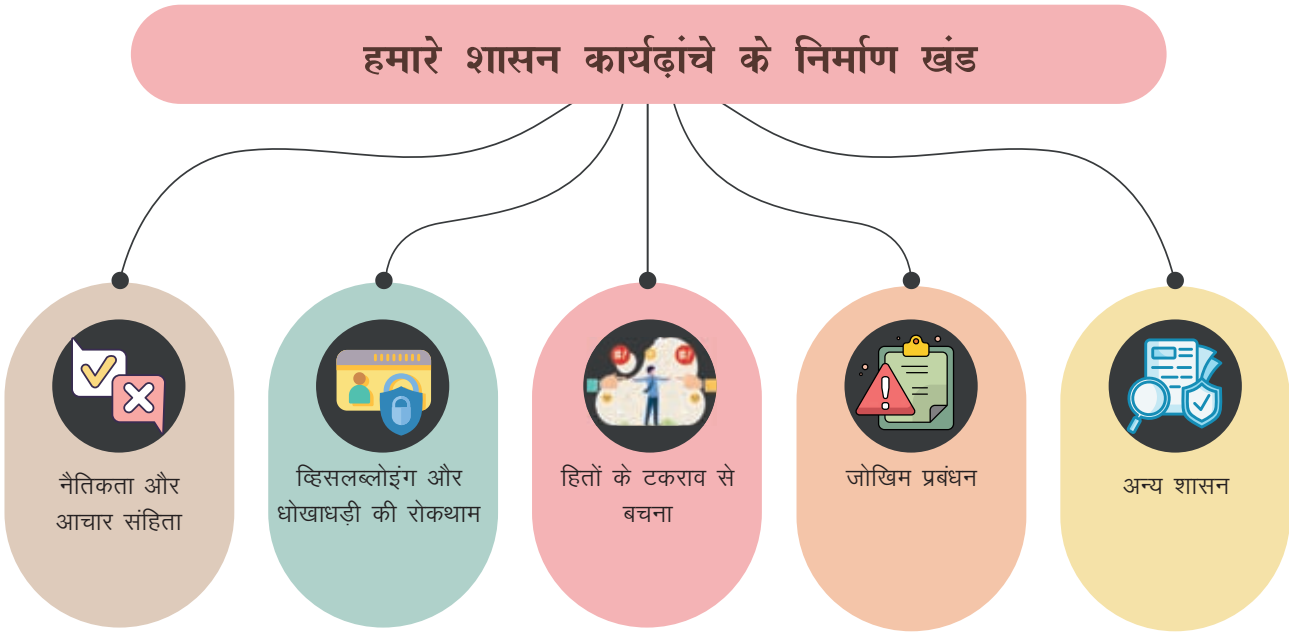
विस्तृत जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में "कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट" में उपलब्ध है।

बोर्ड समितियां

- लेखा परीक्षा
- हितधारक संबंध
- बांड
- नए व्यापार
- टीबीसीबी परियोजनाएं
- अनुबंध सौंपना
- जोखिम प्रबंधन
- नामांकन और पारिश्रमिक
- इनविट के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण
- परियोजनाओं पर निवेश
- सीएसआर
- हस्तांतरण / विभाजन / पुनःभौतिकीकरण
- विनिमय जोखिम प्रबंधन
- खरीद और राष्ट्रीय मिशनों पर भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन

शासन कार्यढांचा

मजबूत शासन सुनिश्चित करना हमारे संचालन के लिए सर्वोपरि है क्योंकि यह जनता के विश्वास का आधार है और हमारे हितधारकों के साथ बेहतर जुड़ाव को बढ़ावा देता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, हमने अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप मानकीकृत प्रक्रियाएँ और अभ्यास स्थापित किए हैं, जिन्हें हमारी व्यापक नीतियों के माध्यम से संचालित किया जाता है। सभी स्तरों पर ईमानदारी और जवाबदेही बनाए रखने के लिए संगठन भर में इन नीतियों और प्रणालियों का सख्त प्रवर्तन किया जाता है।



नैतिकता और आचार संहिता

पारदर्शिता और नैतिक शासन के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहते हुए पावरग्रिड अपने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए दो अलग–अलग आचार संहिताएँ लागू करता है। ये संहिताएँ संगठन के मिशन और उद्देश्यों के साथ संरेखित की गई हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि संगठन के भीतर सभी व्यक्ति अपने अधिकार की सीमाओं के भीतर काम करें और कंपनी के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता दें।

इसके अलावा, कंपनी ने पूर्णकालिक निदेशकों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों के व्यवहार (गैर–भेदभाव, नैतिक आचरण, आदि) को नियंत्रित करने के लिए व्यापक आचरण, अनुशासन और अपील नियम स्थापित किए हैं। सभी कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी की संवेदनशील जानकारी के विषय में सख्ती से गोपनीयता बनाए रखें और इस प्रकार संगठन के हितों और व्यक्तियों की गोपनीयता दोनों की रक्षा करें। ये नियम कर्मचारियों से अपेक्षित नैतिक मानकों को रेखांकित करते हैं और जवाबदेही के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

हालाँकि कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार, अविश्वास उल्लंघन या एकाधिकारवादी व्यवहार के किसी भी मामले के उजागर होने पर पावरग्रिड राष्ट्रीय विधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई कर सकता है।

व्हिसलब्लोइंग (मुखबिरी) और धोखाधड़ी की रोकथाम

कंपनी ने एक मजबूत मुखबिरी और धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है जिसका उद्देश्य पावरग्रिड के कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार कार्यकलापों में जुड़े बाहरी एजेंसियों के प्रतिनिधियों से जुड़ी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की गतिविधियों के किसी भी मामले का समाधान करना है। यह नीति ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाती है और धोखाधड़ी से संबंधित मामले का खुलासा करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए, कंपनी ने एक अधिकार प्राप्त समिति और एक समर्पित सतर्कता विभाग की स्थापना की है, जिसे नीति के तहत किए गए किसी भी खुलासे की पूरी तरह से जांच करने का काम सौंपा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि धोखाधड़ी या कदाचार के रिपोर्ट किए गए मामलों का आकलन करने और उनके निपटान में उचित परिश्रम किया जाए।

हितों के टकराव से बचना

कंपनी ने कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप संभावित या मौजूदा हितों के टकराव को कम करने के लिए अपनी "संबंधित पार्टी लेन–देन नीति" के माध्यम से एक मजबूत शासन ढांचा स्थापित किया है। कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर इस नीति संबंधी समीक्षा, अनुमोदन और संभावित संशोधन किया जाता है।

रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली

पावरग्रिड ने प्रतिष्ठित रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) आईएस/आईएसओ 37001 प्रमाणन प्राप्त किया है। यह मान्यता भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा कंपनी के 100% संचालन में भ्रष्टाचार के लिए मूल्यांकन किए जाने के बाद प्रदान की गई।

पावरग्रिड को दिया गया एबीएमएस प्रमाणन संगठन की पारदर्शिता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और संस्था के भीतर निष्पक्षता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में कार्य करता है। यह पहल केंद्रीय सतर्कता आयोग और विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप है। इस प्रतिबद्धता के तहत, बीआईएस और पावरग्रिड दोनों के अधिकारीगण व्यापक कार्यान्वयन और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए एबीएमएस पर नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।

अन्य शासन नीतियाँ

पावरग्रिड की शासन नीतियों को यहाँ देखा जा सकता है
https://www.powergrid.in/en/code-conductpolicies?title=&page=1

जोखिम प्रबंधन

पावरग्रिड में, हम अपने संचालन वातावरण में उभरते व्यापार जोखिमों का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और समाधान करते हैं। हमारा संरचित दृष्टिकोण सुसंगत जोखिम मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। हम सतर्कता बनाए रखते हैं, अवसरों और उभरते जोखिमों की पहचान करते हैं और दैनिक संचालन पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता हमारे व्यापार प्रक्रियाओं में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचे को सहजता से एकीकृत करने में निहित है।

संभावित जोखिमों को सक्रिय रूप से प्रबंधित करने के लिए, हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक मजबूत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे का उपयोग करते हैं। इस ढांचे में रणनीतिक, परिचालन, स्थिरता, शासन और साइबर जोखिमों सहित हमारे संचालन के विभिन्न पहलुओं में होने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी, प्रबंधन और शमन शामिल हैं। उनके परस्पर जुड़े रहने की प्रकृति को समझते हुए, हम अपने संचालन की प्रभावी देखरेख और नियंत्रण के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर भरोसा करते हैं।

पावरग्रिड की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया समर्पित बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से निरंतर निगरानी के अधीन है। यह समिति, जिसमें मुख्य रूप से निदेशक मंडल और स्वतंत्र निदेशकों में से चुने गए कम से कम तीन सदस्य होते हैं, मुख्य प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) और महत्वपूर्ण व्यापारिक जोखिमों का आकलन करने के लिए नियमित रूप से (कम से कम तिमाही) बैठक करती है। वे परिचालन दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारात्मक उपायों की सिफारिशें करते हैं। सीजीएम (सीपी) एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी है और जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है, जिसके कार्यक्षेत्र में पहचाने गए सभी जोखिमों की निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग शामिल है।

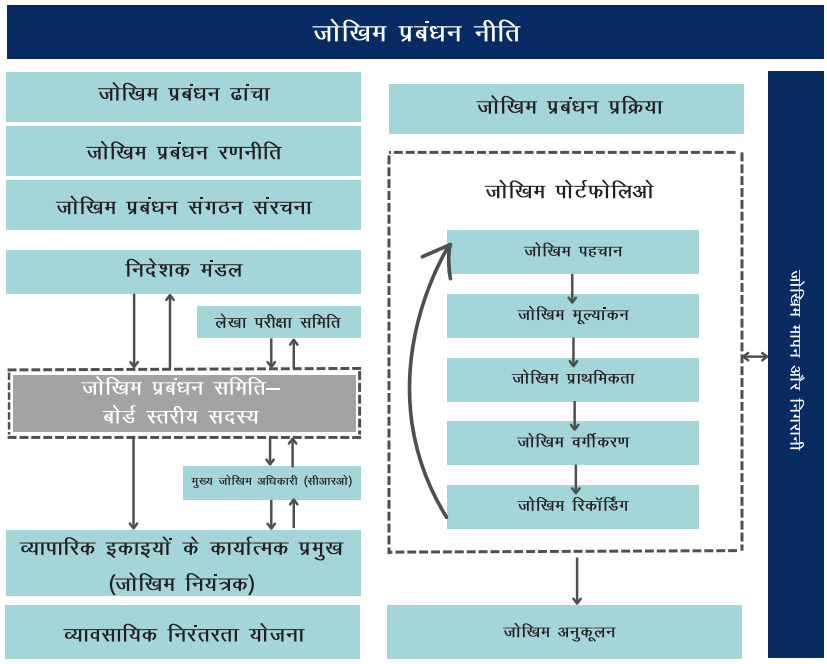
पावरग्रिड ट्रेडवे आयोग के प्रायोजक संगठनों की समिति (सीओएसओ) के ढांचे का उपयोग आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए करता है जो इसकी व्यापारिक प्रक्रियाओं में सहजता से एकीकृत हो जाते हैं। इस ढांचे का पालन करके, हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे संचालन नैतिक रूप से, पारदर्शी रूप से और उद्योग मानकों के अनुरूप संचालित हों। यह सीओएसओ ईआरएम ढांचा पावरग्रिड को जोखिमों को प्रभावी ढंग से समझने, प्राथमिकता देने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए जोखिम प्रबंधन का एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है।

सीओएसओ ढांचे के पांच घटकों – नियंत्रण वातावरण, जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रण गतिविधियाँ, सूचना और संचार, और निगरानी गतिविधियाँ – के माध्यम से पावरग्रिड अपने शासन, रणनीति–निर्धारण, प्रदर्शन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को बेहतर बना सकता है। सीओएसओ ईआरएम ढांचे को लागू करके, हम न केवल अपने जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करते हैं, बल्कि संगठन में अनुपालन, जवाबदेही और प्रदर्शन सुधार की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं।

ईआरएम नीति और ढांचा

पावरग्रिड की ईआरएम नीति एकीकृत पारेषण में वैश्विक नेता बनने के अपने दृष्टिकोण का समर्थन करती है, जिसमें विश्वसनीयता, सुरक्षा और

आर्थिक दक्षता पर बल दिया जाता है। यह नीति, परियोजना प्रबंधन संचालन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर और नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर सुधार करके जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत ईआरएम ढांचा स्थापित करती है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि जोखिम प्रबंधन प्रथाएँ सभी संगठनात्मक प्रक्रियाओं में अंतर्निहित हैं, जिससे निर्णय क्षमता और लचीलापन बढ़ता है। ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान के मूल्यों द्वारा संचालित, यह नीति वैश्विक मानकों और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुकूल होने के लिए नियमित समीक्षा से गुजरती है, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए अधिकतम मूल्य का सृजन सुनिश्चित होता है।



शासन और संरचना

ईआरएम प्रणाली का शासन एक सुपरिभाषित संगठनात्मक संरचना द्वारा समर्थित है:

- **निदेशक मंडल**

  समग्र जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करता है और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ इसका संरेखण सुनिश्चित करता है।

- **जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)**

  यह स्वतंत्र सदस्यों सहित निदेशकों से मिलकर बनी है और जोखिम प्रबंधन नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। आरएमसी जोखिम की स्थिति और शमन प्रयासों की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठक करती है।

- **मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)**

  आरएमसी को रिपोर्ट करने सहित जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के निष्पादन और समन्वय के लिए जिम्मेदार है।

व्यापारिक निरंतरता और परिवर्तन प्रबंधन

पावरग्रिड के ईआरएम ढांचे में व्यवधान उत्पन्न होने पर परिचालनात्मक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) शामिल है। बीसीपी आपदा प्रबंधन और संकट प्रतिक्रिया के उपायों की रूपरेखा तैयार करती है, और उन्हें ईआरएम ढांचे के साथ एकीकृत करती है ताकि व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सके और सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाया जा सके।

उद्योग की बदलती गतिशीलता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुकूल स्वयं को ढ़ालने के लिए ईआरएम नीति की आवधिक समीक्षा और उसका अद्यतनीकरण किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ईआरएम प्रणाली उभरते जोखिमों के प्रबंधन में प्रासंगिक और प्रभावी बनी रहे।

पावरग्रिड ने कई महत्वपूर्ण जोखिमों और उनके शमन की पहचान की है जो परिचालन को संभवतः प्रभावित कर सकते हैं। इन जोखिमों में मुख्य हैं– राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) और आवश्यक मंजूरी हासिल करने में विलम्ब होना , जिससे परियोजना की समयसीमा में देरी हो सकती है; टैरिफ–आधारित बोली की प्रतिस्पर्धी प्रकृति, जिससे बाजार हिस्सेदारी और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में चुनौतियां पेश होती हैं; टैरिफ विनियमन या आदेशों में परिवर्तन; पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस); डिजिटल सिस्टम पर निर्भरता जिससे साइबर सुरक्षा जोखिमें बढ़ी है; मानव संसाधन जोखिम जिसमें कुशल कर्मियों की कमी और भर्ती संबंधी चुनौतियां शामिल हैं; परिचालनात्मक जोखिम जिसमें उपकरण विफलताएं, प्राकृतिक आपदाएं आदि शामिल है।

इनपुट

वित्तीय पूंजी

₹87,145.11 करोड़
इक्विटी

1,20,755 करोड़
ऋण

₹12,500 करोड़
करोड़ वित्त वर्ष 24 में पूंजीगत व्यय

विनिर्माण पूंजी

1,77,699
परिचालन ट्रांसमिशन लाइन (सीकेएम)

278
उपकेन्द्रों की संख्या

>1,00,000
दूरसंचार नेटवर्क

23 देश
देश वैश्विक पदचिह्न

प्रज्ञात्मक पूंजी

₹ 218.07 करोड़
आरएंडडी व्यय

एसेट मैनेजमेंट के लिए डिजिटल एप्लीकेशन – पीजीदारपन, उड़ान, पाम्स 2.0, ड्रोन पेट्रोलिंग, एआई/एमएल आधारित रखरखाव

ज्ञान प्रबंधन और ई–लर्निंग पोर्टल – प्रज्ञान

मानव पूंजी

8,316
कुल कर्मचारी

4,26,840
कुल कर्मचारी प्रशिक्षण घंटे

100%
पितृत्व/मातृत्व अवकाश के बाद काम पर वापसी

सामाजिक और संबंध पूंजी

165
स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएँ

₹ 330.48
सीएसआर व्यय

100%
घरेलू खरीद

प्राकृतिक पूंजी

10,053 मेगावाट घंटा
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन

एसएफ6 रिसाव में **44.65%** की कमी

पारेषण, दूरसंचार, परामर्श और उभरते हुए व्यापारिक क्षेत्र



मजबूत वित्तीय प्रणालियाँ



अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी



लचीली आपूर्ति श्रृंखला



कुशल मानव संसाधन



श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ परिचालन अभ्यास



सामुदायिक सहभागिता



संधारणीय व्यापार अभ्यास

आउटपुट

परिवर्तन क्षमता (एमवीए)

सर्किट किलोमीटर (सीकेएम)

ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता

पावरग्रिड निर्माण मॉडल

डिजिटलीकरण / नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना

टिकाऊ और जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण

परिणाम

वित्तीय पूंजी

₹ 45,843 करोड़
परिचालन से राजस्व

₹ 15,573 करोड़
पीएटी

₹ 17.87%
आरओएनडब्ल्यू

विनिर्माण पूंजी

4,036
अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनें चालू की गईं (सीकेएम)

6
उपकेन्द्र जोड़े गए

99.85%
ट्रांसमिशन नेटवर्क उपलब्धता

100%
टेलीकॉम बैकबोन उपलब्धता

प्रज्ञात्मक पूंजी

4
पेटेंट आईएसओ 55001 प्रमाणित परिसंपत्ति प्रबंधन

150+
प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित

मानव पूंजी

5.00%
टर्नओवर दर

0
व्यर्थ समय हानि दर

8.39
कार्यबल में महिलाएँ

सामाजिक और संबंध पूंजी

124
सीएसआर परियोजनाएँ पूरी की गईं

24
प्रभाव मूल्यांकन किया गया

57.52%
एमएसएमई खरीद (%)

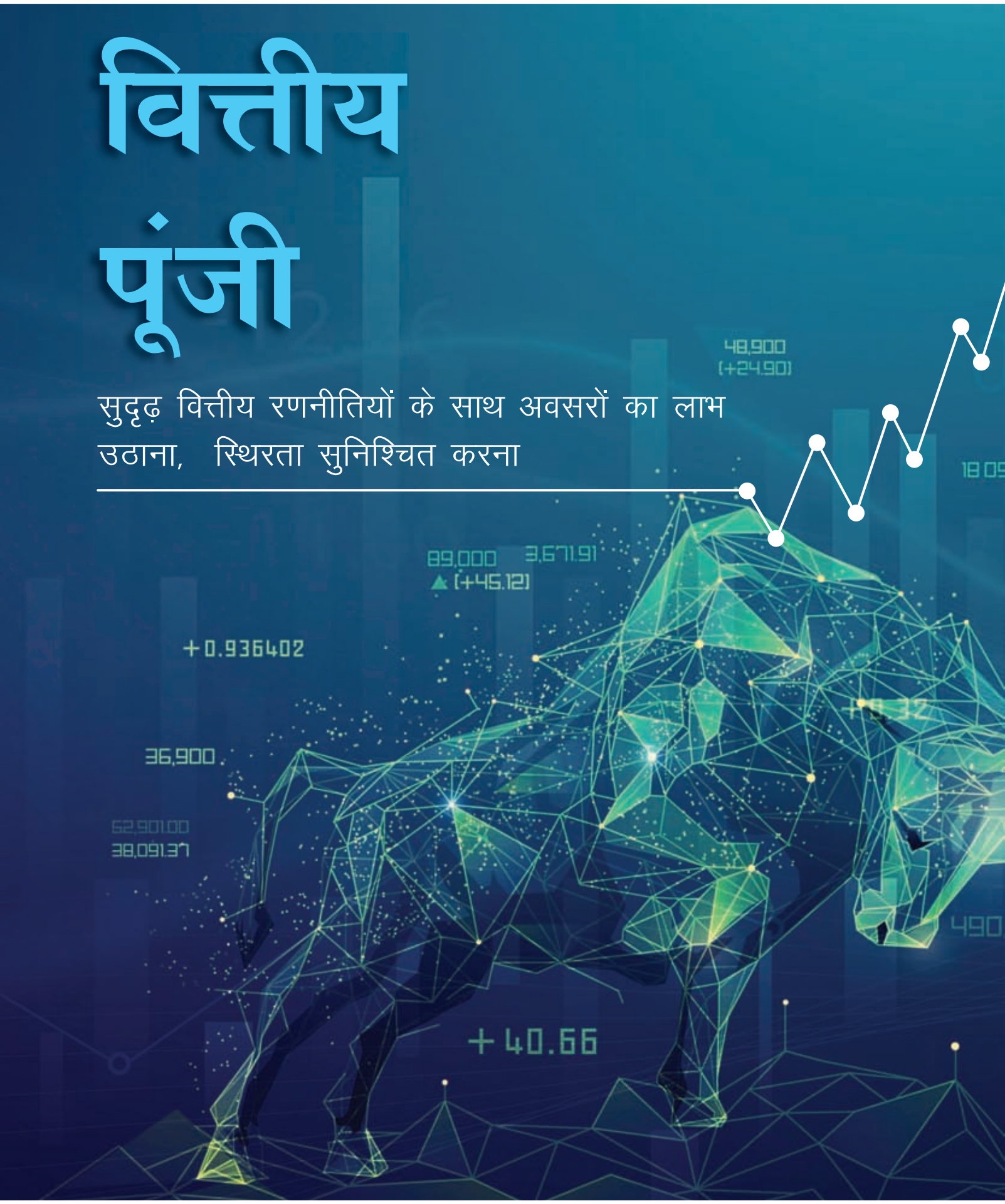
प्राकृतिक पूंजी

17.35%
नवीकरणीय ऊर्जा खपत में वृद्धि

40.65%
स्कोप 1 उत्सर्जन में कमी

वित्तीय पूंजी

सुदृढ़ वित्तीय रणनीतियों के साथ अवसरों का लाभ उठाना, स्थिरता सुनिश्चित करना



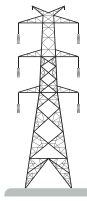


पावरग्रिड अपनी उपलब्धियों का श्रेय मजबूत वित्तीय प्रबंधन और दूरदर्शी रणनीतिक योजना को देता है। हमारी सफलता का केन्द्र मजबूत वित्तीय आधार बनाए रखना है जिससे हम संचालन, निवेश और हितधारकों को लाभ पहुंचाने के लिए सतत व्यापार विकास के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित कर सके हैं। विवेकपूर्ण प्रबंधन प्रथाओं द्वारा निर्देशित हमारी ठोस वित्तीय स्थिति, हमें महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, हमारे पारेषण नेटवर्क का विस्तार करने और अनुसंधान और विकास और नवीन तकनीकों में निवेश करना संभव बनाती है, जिससे ग्रिड की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ती है। कंपनी का यह उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन परिचालन का विस्तार करने, भंडारण बढ़ाने और लागत नियंत्रण के कठोर उपायों और दक्षता मानकों को लागू करने जैसे मुद्दों पर रणनीतिक रूप से बल देने के कारण प्राप्त हुआ है। मजबूत वित्तीय स्थिति और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, पावरग्रिड का भविष्य आशाजनक है।

स्थायी मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध एक दूरदर्शी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में हम अपने परिचालन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। यह विशेषज्ञता हमें हितधारकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करते हुए अपनी पहुँच का विस्तार करने में सक्षम बनाती है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, हमारे संगठन ने सभी परिचालन मोर्चों पर पर्याप्त वृद्धि की है, जो वित्तीय प्रबंधन के प्रति हमारे रणनीतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। हमारा प्राथमिक लक्ष्य हमारी पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) प्रतिबद्धताओं को बनाए रखते हुए प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए वित्तीय संसाधनों का रणनीतिक आवंटन करना है।

एक व्यापक निर्णय–निर्धारण ढांचे के साथ, हमारा लक्ष्य वित्तीय पूंजी को अन्य संसाधनों के साथ सहजता से एकीकृत करना है। यह समग्र दृष्टिकोण हमारे परिणामों में सामंजस्य सुनिश्चित करता है, चाहे वह परिचालन दक्षता को बढ़ाना हो, हमारी मानव पूंजी का विकास करना हो या सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना हो। कुशल संसाधन प्रबंधन और एक लचीले तुलनपत्र के माध्यम से, हम अपने हितधारकों को स्थायी मूल्य प्रदान करने के लिए समर्पित हैं, और साथ ही बदलते बाजार की गतिशीलता और नियामक मांगों के सामने ग्रिड विश्वसनीयता और लचीलापन बनाए रखते हैं।

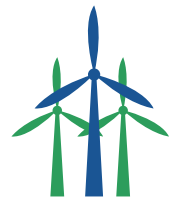
निम्न में निवेश करके एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण



बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार



आरएंडडी और नवाचार प्रबंधन



नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में एकीकृत करना



सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देना



कर्मचारी कल्याण और कर्मचारी अपस्किलिंग को बढ़ावा देना

वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2023–24 में हमारा राजस्व ₹46,913 करोड़ तक पहुँच गया, जो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में दर्ज ₹46,606 करोड़ से अधिक है। यह वित्तीय प्रदर्शन अवसंरचना में निवेश, हमारे ग्रिड में अक्षय ऊर्जा के एकीकरण और हमारे संचालन में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। हमारी सफलता केवल पारेषण क्षेत्र तक सीमित नहीं है; हमने अपने दूरसंचार व्यापारों में भी पर्याप्त वृद्धि की है। पावरग्रिड में, हम अपने वित्तीय संसाधनों और निवेशों पर प्रतिफल को अनुकूलित करने के लिए लगातार परिचालन जोखिमों का आकलन करते हैं।

2023–24 में हमारा वित्तीय प्रदर्शन हमारे व्यापार मॉडल की ताकत और उद्योग की गतिशीलता के प्रति हमारी सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। हमारे वाणिज्यिक संचालन और वित्तपोषण कार्यकलाप वित्तीय पूंजी उत्पन्न करते हैं जो हमारे संचालन का समर्थन करते हैं। सावधानीपूर्वक किए गए निष्पादन के माध्यम से, हमने तेजी से विकास और लाभप्रदता की विशेषता वाली एक दृढ़ बैलेंस शीट स्थापित किया है। एक स्थिर और समृद्ध वित्तीय स्थिति बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जो हमारे हितधारकों के लिए एक मजबूत व्यावसायिक रणनीति द्वारा समर्थित दीर्घकालिक विकास संभावनाएँ प्रदान करती है।

प्रचालन से प्राप्त राजस्व
(करोड़ रु.)



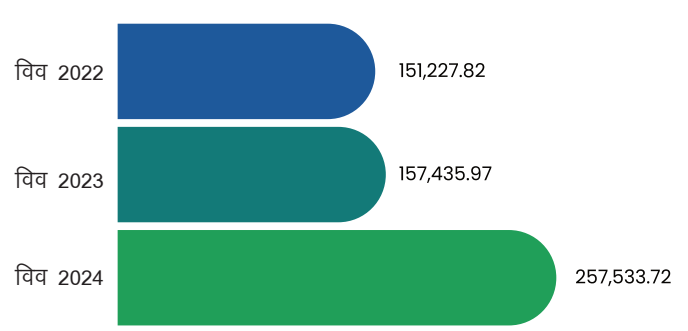
प्रचालनात्मक लाभ
(करोड़ रु.)



कुल सृजित आर्थिक मूल्य
(करोड़ रु.)



बाजार पूंजी
(करोड़ रु.)



नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

(% में)



(*On consolidate basis)

(इकाई: ₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
संचालन से राजस्व	41,621.64	45,603.11	45,843.10
अन्य आय	1,076.26	1,002.53	1,070.02
उत्पन्न कुल आर्थिक मूल्य	**42,697.90**	**46,605.64**	**46,913.12**
दीर्घकालिक ऋण और बांड के विरुद्ध भुगतान	15,410.82	15540.65	13440.72
संचालन व्यय	2,805.55	3,594.62	3,505.77
कर्मचारी वेतन और मजदूरी	2,243.89	2,508.53	2,434.44
कर	2,785.57	2,281.88	2,940.79
भुगतान किया गया लाभांश	10,811.96	8544.93	11218.85
सीएसआर व्यय	273.91	327.09	324.22
कुल आर्थिक मूल्य वितरित	**34,331.70**	**32,797.70**	**33,864.79**
कुल आर्थिक मूल्य रख लिया गया	**8,366.20**	**13,807.94**	**13,048.33**
परिचालन लाभ	37642.32	40434.32	40820.91
परिचालन मार्जिन (%)	90%	89%	89%
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	20139.38	17453.05	19085.34
कर दर (%)	17.47%	17.47%	17.47%
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	16824.07	15419.74	15573.16
पीएटी मार्जिन (%)	40%	34%	34%
शुद्ध अचल संपत्तियाँ	191772.84	185436.99	177760.55
शेयर पूंजी	6975.45	6975.45	9300.6
आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	69280.84	76050.84	77844.51
शेयरधारक निधियाँ	76,256.29	83,026.29	87,145.11
प्रति शेयर आय	18.09	16.58	16.74
प्रति शेयर लाभांश	11.63	9.19	12.06

(इकाईः ₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2022	वित्त वर्ष 2023	वित्त वर्ष 2024
प्रति शेयर बुक वैल्यू	81.99	89.27	93.70
शेयरों की संख्या (करोड़ में)	697.55	697.55	930.06
शेयर मूल्य	216.80	225.70	276.9
मार्केट कैप	151,227.82	157,435.97	257,533.72
कैपेक्स	9,060	9212	12,500
ईबीआईटीडीए	37,642.32	40,434.32	40,820.91
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	11.32%	12.27%	12.65%
शुद्ध लाभ	16,824.07	15,419.74	15,573.16







निर्मित पूंजी

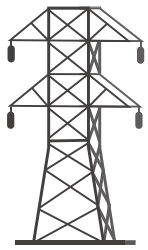
विश्वस्तरीय अवसंरचना परिसंपत्तियों के साथ आर्थिक विस्तार को उत्प्रेरित करना



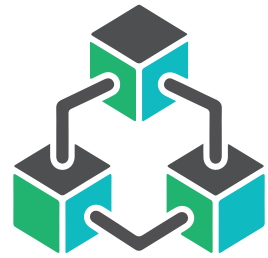
हमने लगातार बड़े पैमाने पर पारेषण परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। अपने 35 साल के सफ़र में, हमने पारेषण में बेजोड़ विशेषज्ञता हासिल की है, जिससे पूरे भारत में इस क्षेत्र में विकास हुआ है। एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में काम करते हुए, हम संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने, परिचालनगत लचीलेपन बढ़ाने और उपभोक्ताओं की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं। अपने पूरे इतिहास में, हमने व्यापक ईष्टतम रणनीतियों का पालन किया है, परिसंपत्ति दक्षता, प्रदर्शन में सुधार किया है और ट्रिपिंग की घटनाओं के कारण होने वाले व्यवधानों को कम किया है।

यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी पारेषण अवसंरचना उन्नत, लचीली और पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार बनी रहे, निरंतर सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता हमें अपने तकनीकी मानकों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। हमारा ध्यान सभी हितधारकों के लिए स्थायी मूल्य बनाने पर दृढ़ है। इसे प्राप्त करने के लिए, हम तीन क्षेत्रों में संरचित सुधारों को प्राथमिकता देने पर बल देते हैं: अवसंरचना विकास, परिसंपत्ति प्रबंधन और जिम्मेदार सोर्सिंग।

प्रमुख क्षेत्र



अवसंरचना विकास

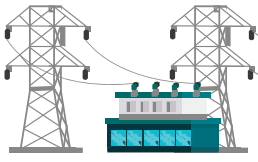


परिसंपत्ति प्रबंधन

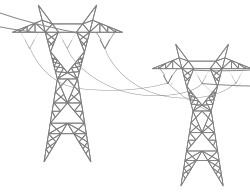


जिम्मेदार सोर्सिंग

विशिष्टताएं



ट्रांसफार्मर और रिएक्टर
>3,800



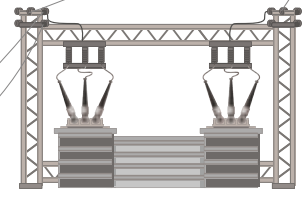
पारेषण लाइन
1,77,699 ckm



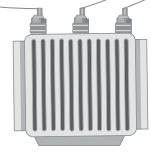
पारेषण टावर
>2,90,000



प्रणाली की उपलब्धता
99.85%



उप–स्टेशन
278



परिवर्तन क्षमता
5,27,446 एमवीए

अवसंरचना विकास

पावरग्रिड का अवसंरचना विस्तार पर केन्द्रित रणनीतिक फोकस देश की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए पावरग्रिड के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान **4,036 सीकेएम अतिरिक्त हाई वोल्टेज (ईएचवी)** पारेषण लाइनों, **19,720 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए)** परिवर्तन क्षमता और 6 नए उपकेन्द्रों की स्थापना के साथ, पावरग्रिड पारेषण नेटवर्क की क्षमता और लचीलापन बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये निवेश विद्युत पारेषण के लिए अतिरिक्त मार्ग बनाकर ग्रिड की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे व्यवधान उत्पन्न होने का जोखिम कम होता हैं और उपभोक्ताओं लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हाती है। इसके अलावा, पारेषण अवसंरचना का विस्तार अत्यधिक दूरी पर विद्युत के निर्बाध पारेषण को सुविधाजनक बनाता है, जिससे उत्पादन स्रोतों से उपभोग केंद्रों तक कुशल ऊर्जा वितरण संभव होता है। अपने पारेषण नेटवर्क के विस्तार में निवेश करके, पावरग्रिड न केवल देश के विद्युत अवसंरचना की रीढ़ को मजबूत करता है, बल्कि सतत आर्थिक वृद्धि और विकास की नींव भी रखता है।

टी.बी.सी.बी. का प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2022–23 में, पिछले वर्ष से पूर्व, हमने शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी.बी.सी.बी.) मार्ग से 21 पारेषण परियोजनाओं में भाग लिया और 11 परियोजनाओं में जीत हासिल की, जिसका कुल शुल्क लगभग ₹951 करोड़ था, जो शुल्क प्रतिशत का 52% था। वित्तीय वर्ष 2022–23 में सफल परियोजनाओं की संयुक्त परियोजना लागत ₹8,387 करोड़ थी।

हाल के वित्तीय वर्ष, 2023–24 में, टी.बी.सी.बी. परियोजनाओं के लिए बोली लगाने में हमारे प्रदर्शन में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। हमने 25 आई.एस.टी.एस. पारेषण प्रणाली परियोजनाओं और 4 अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन 29 परियोजनाओं में से, हम 13 पारेषण परियोजनाओं में विजयी हुए हैं। इन 13 सफल परियोजनाओं की कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग ₹33,528 करोड़ है, जिसमें कुल वार्षिक शुल्क लगभग ₹2,888 करोड़ है, जो लगभग 64% बाजार हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है।

सीमाओं से परे सेवा प्रदान करना

हमारे उद्योग में बाजार का नेतृत्व करते हुए, हमने अपने नेटवर्क का विस्तार कई पड़ोसी देशों तक किया है। हम मानते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा हमारे पड़ोसियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे अपने देश के लिए, जो हमारे द्विपक्षीय संबंधों और सार्क और बिम्स्टेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संघों में हमारी उपस्थिति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। दक्षिण–एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित, हम सार्क और बिम्सेटेक सदस्य देशों के साथ भौगोलिक सीमाएँ साझा करते हैं।

वर्तमान में, भारत और बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित पड़ोसी देशों के बीच सीमा पार संबंधों के माध्यम से संचयी विद्युत अंतरण लगभग 4,745 मेगावाट है। पावरग्रिड ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करते हुए मजबूत सीमा पार संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष, हमने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया है, जिसमें प्रत्येक पक्ष की 50% इक्विटी होगी, जिसका उद्देश्य 400 केवी गोरखपुर (भारत) के भारतीय हिस्से– बुटवल (नेपाल) पारेषण लाइन और गोरखपुर की ओर से बेय का विकास करना है। इसके अलावा, श्रीलंका और म्यांमार के साथ सीमा पार संबंध G2G स्तर पर चर्चा के उन्नत चरण में हैं।

भारत और निम्न देश के बीच सीमा पार संबंध	मौजूदा (एमडब्ल्यू) (31.03.2024 तक)
बांग्लादेश	1,160
भूटान	2,185
नेपाल	1,400
कुल (लगभग)	**4,745**

वित्त वर्ष 24 के दौरान **5 टीबीसीबी परियोजनाओं** को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।



वैश्विक पहुंच का विस्तारः पावरग्रिड की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना पाइपलाइन

पावरग्रिड अफ्रीका50 में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, विद्युत पारेषण अवसंरचना में अपने वैश्विक नेतृत्व को मजबुत कर रहा है। इस सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में, पावरग्रिड ने अफ्रीका50 के साथ मिलकर केन्या में एक पारेषण प्रणाली के विकास के लिए एक निजी निवेश प्रस्ताव (पीआईपी) और उसके बाद परियोजना विकास रिपोर्ट (पीडीआर) प्रस्तुत किया है। एक जांच प्रक्रिया के बाद, केन्या की पीपीपी समिति ने प्रायोजकों के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिससे "वार्ता चरण" की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

इसके साथ–साथ, पावरग्रिड ने सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत तंजानिया में एक पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करके अफ्रीका50 के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत किया है। वर्तमान में, टीएएनईएससीओ (तंजानिया विद्युत आपूर्ति कंपनी) के साथ घनिष्ठ समन्वय में परियोजना को अंतिम रूप देने का कार्य चल रहा है। इसी तरह, पावरग्रिड नाइजीरिया की पारेषण कंपनी (टीसीएन) के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।

केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया में परियोजनाओं के लिए हमारी सक्रिय खोज दुनिया भर में पारेषण अवसंरचना विशेषज्ञता साझा करने के लिए हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ये पहलें न केवल हमारे व्यापार पोर्टफोलियो को समृद्ध करती हैं, बल्कि ऊर्जा क्षेत्र के भीतर मजबूत अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को भी बढ़ावा देती हैं।

हमारा घरेलू परामर्शदात्री व्यवसाय विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करता है। हम विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य उपयोगिताओं और सरकारी निकायों के साथ भी सहयोग कर रहे हैं।

वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख पहलों में निम्न शामिल हैं–

- राज्य की अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (मूल्यः ₹10,000 करोड़) विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) के साथ संयुक्त उद्यम।
- पारेषण और उप–पारेषण, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग, ईवी चार्जिंग और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 79 घरेलू परामर्शदात्री कार्य निष्पादित किया।
- वर्ष के दौरान 21 नए घरेलू परामर्शदात्री कार्य प्राप्त किए।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत खपत के प्रति प्रतिबद्धता

स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन करने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, कंपनी का लक्ष्य 2025 तक अक्षय स्रोतों से 50% विद्युत का उपयोग करना है और इसे प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर सौर पीवी संयंत्रों और छत पर सौर पीवी लगाने की योजना है।

153 से अधिक स्थानों पर 10.2 मेगावाट की रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली की स्थापना पूरी हो चुकी है और लगभग 15 मेगावाट की परियोजनाएं कार्यान्वयन/योजना के अधीन हैं।

नागदा में 85 मेगावाट की सौर पीवी परियोजना की स्थापना के लिए पावरग्रिड की पहली बड़े पैमाने की वाणिज्यिक परियोजना का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा, जबलपुर, वर्धा, औरंगाबाद और खम्मम उपकेन्द्रों में 82 मेगावाट की डीपीआर को भी मंजूरी दिया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर 100 मेगावाट के अन्य सौर पीवी पावर संयंत्रों का प्रारंभिक कार्य चल रहा है।

पावरग्रिड ने ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया

पावरग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन में व्यापारिक पहल करने का प्रयास कर रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है जो ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए तैयार है।

ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति पावरग्रिड की प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा भरे भविष्य के प्रति हमारे सक्रिय रुख को रेखांकित करती है। पायलट परियोजनाओं, रणनीतिक गठबंधनों और उद्योग सहयोगों के माध्यम से, हम ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को आगे बढ़ाने और भारत के ऊर्जा परिदृश्य में इसके निर्बाध एकीकरण का लक्ष्य बना रहे हैं।

पावरटेल अपने मजबूत, 100,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से कई तरह की सेवाएँ प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023–24 में ₹822 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ है। पावरटेल ने मेघालय के दूरसंचार अवसंरचना को मजबूत करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है और जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान सरकारी पोर्टलों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पावरटेल नेपाल और बांग्लादेश के लिए 15 रणनीतिक स्थानों और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार गेटवे पर डाटा केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।



डाटा केन्द्र

पावरग्रिड रणनीतिक रूप से डाटा केन्द्र के क्षेत्र में उद्यम करने के साथ अपने क्षितिज को व्यापक बना रहा है, कंपनी की मजबूत अवसंरचना और डोमेन विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए डाटा भंडारण और प्रसंस्करण समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा कर रहा है।

हरियाणा के मानेसर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ

मानेसर में पायलट डेटा केन्द्र बनाने की परियोजना इस प्रयास की आधारशिला है। इसका निर्माण चल रहा है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन विकास प्रधिकरण (जीएमडीए) द्वारा निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है, जो इसे समय पर पूरा करने के हमारे समर्पण की पुष्टि करता है। सिविल कार्यों के साथ–साथ 250–रैक क्षमता की आईटी अवसंरचना सामग्री की खरीदारी की गई है।

लद्दाख परियोजना

माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबधी मंत्रिमंडल समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन ऊर्जा गलियारा (जीईसी) चरण–II – अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029–30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी अनुमानित कुल लागत ₹20,773.70 करोड़ है, और केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से परियोजना लागत का 40 प्रतिशत दिया जाएगा, जो कि ₹8,309.48 करोड़ होगा। पावरग्रिड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगा, जो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर (वीएससी) आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट (एचवीडीसी) और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट (ईएचवीएसी) प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा।



आईटीएएमएस

वर्ष 2021–22 के अंतर्राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन अध्ययन (आईटीएएमएस) के परिणाम प्रकाशित किए गए, जिसमें पावरग्रिड को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले पारेषण प्रतिष्ठान के रूप में दर्शाया गया है। आईटीएएमएस, 10 वैश्विक पारेषण प्रतिष्ठानों को शामिल करने वाला एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें टीईआरएनए, टेन्नेटी, इलेक्ट्रानेट, फिनग्रिड, टीआरएएनएससीओ, ओईटी और पावरग्रिड शामिल हैं, जो इन प्रतिष्ठानों में परिसंपत्ति प्रबंधन प्रथाओं और प्रदर्शन का आकलन और तुलना करता है।

यह मान्यता तकनीकी उपायों, जैसे कि उपलब्धता और प्रति लाइन ट्रिपिंग, और वित्तीय मेट्रिक्स जैसे कि नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) और निवल संपत्ति पर रिटर्न (आरओएनए) दोनों पर आधारित है।



परिसंपत्ति प्रबंधन

पावरग्रिड की परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता इसकी परिसंपत्ति प्रबंधन नीति और रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन योजना (एसएएमपी) में निहित है।

आधार: परिसंपत्ति प्रबंधन नीति

परिसंपत्ति प्रबंधन नीति पावरग्रिड के दृष्टिकोण की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। यह परिसंपत्ति प्रबंधन के संबंध में संगठन के मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं को परिभाषित करती है। यह नीति परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए मानक निर्धारित करते हुए निर्णय लेने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा स्थापित करती है। इसमें जोखिम प्रबंधन और निरंतर सुधार दर्शन शामिल है।

रणनीति को कार्रवाई में बदलना: रणनीतिक परिसंपत्ति प्रबंधन योजना

यह एसएएमपी रणनीतिक लक्ष्यों को कार्रवाई योग्य योजनाओं में बदलकर परिसंपत्ति प्रबंधन नीति को पूरक है। यह परिसंपत्ति के प्रदर्शन को अनुकूलित करने और ईष्टतम मूल्य सृजन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह योजना दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है जो पावरग्रिड के समग्र लक्ष्यों के साथ संरेखित होती हैं। ये रणनीतियाँ परिसंपत्ति के स्वास्थ्य, गंभीरता और जीवनचक्र लागत जैसे कारकों पर विचार करती हैं। एसएएमपी संसाधन आवंटन, निवेश निर्णयों और रखरखाव कार्यकलापों को प्राथमिकता देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिससे पावरग्रिड के विशाल परिसंपत्ति पोर्टफोलियो का कुशल और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

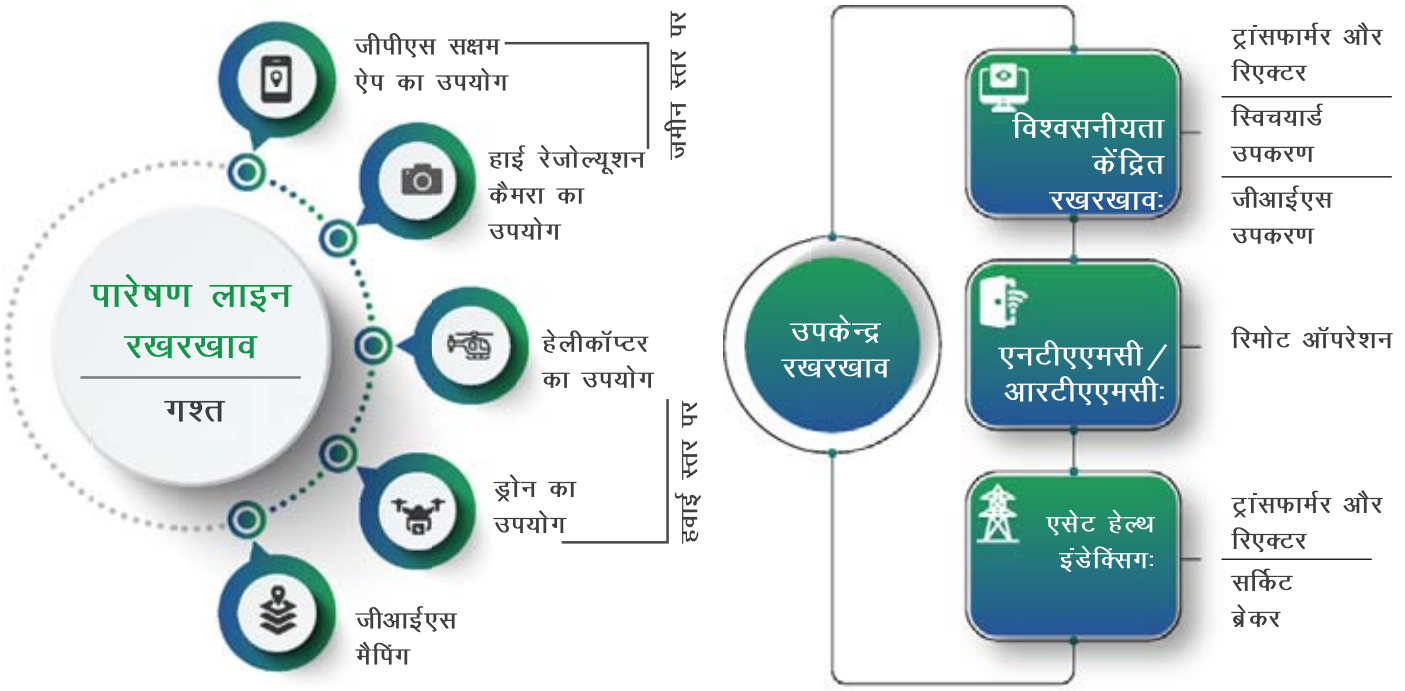
सभी प्रमुख परिसंपत्तियों के लिए वार्षिक रखरखाव योजना (एएमपी) के एक भाग के रूप में स्थिति निगरानी परीक्षण किए जाते हैं:

विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव (आरसीएम)

पावरग्रिड की परिसंपत्ति प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता को विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव (आरसीएम) प्रथाओं के कार्यान्वयन द्वारा और अधिक बढ़ाया जाता है। यह एकीकरण उनके सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो उनके महत्वपूर्ण अवसंरचना की विश्वसनीयता और दीर्घकालिकता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित और डाटा–संचालित रणनीति पर जोर देता है।



उच्च प्रदर्शन स्तरों के साथ लागत–प्रभावी तरीके से



- **विश्वसनीयता का सुव्यवस्थित दृष्टिकोण**

  आरसीएम, परिसंपत्तियों, विशेष रूप से ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टर जैसी उच्च–मूल्य वाली परिसंपत्तियों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। इस विश्लेषण से लक्षित रखरखाव रणनीतियों का विकास संभव होता है। परिसंपत्ति डेटा का उपयोग करके और विफलता के संभावित तरीके को समझकर, गंभीरता का आकलन किया जाता है और रखरखाव गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाती है। यह डाउनटाइम को कम करता है, परिचालन दक्षता को अनुकूलित करता है, और परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि को बढ़ाता है।

- **लागत बचत और स्थिरता**

  आरसीएम के कार्यान्वयन से पावरग्रिड को लागत संबंधी महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। रखरखाव को प्राथमिकता देकर और अनियोजित आउटेज से बचकर, वे रखरखाव व्यय को कम कर सकते हैं और संसाधनों का ईष्टतम आवंटन कर सकते हैं। यह न केवल वित्तीय बचत कराता है बल्कि संसाधन की बर्बादी को कम करके स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

परिसंपत्ती प्रबंधन नीति, एसएएमपी और आरसीएम के संयोजन से ऊर्जा के पारेषण नेटवर्क का लचीलापन मजबूत होता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण ग्राहकों और हितधारकों के लिए विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे पावरग्रिड ऊर्जा पारेषण के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में मजबूती से विद्यमान रहता है।

आईएसओ 55001 प्रमाणन (परिसंपत्ति प्रबंधन)

परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए आईएसओ 55001 मानकों के साथ पॉवरग्रिड का संरेखण उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वैश्विक रूप से मान्य बेंचमार्क का पालन करके, कंपनी अपने परिसंपत्ति आधार में दक्षता, विश्वसनीयता और जोखिम प्रबंधन के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान, पॉवरग्रिड को आईएसओ 55001 प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया है। यह समग्र संगठनात्मक लक्ष्यों, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से प्रदर्शन मूल्यांकन और निरंतर सुधार की संस्कृति के साथ परिसंपत्ति प्रबंधन उद्देश्यों के रणनीतिक संरेखण पर बल देता है। आईएसओ 55001 हितधारक सहभागिता, विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन और अन्य प्रबंधन प्रणालियों के साथ एकीकरण को बढ़ावा देकर, पॉवरग्रिड को अपनी परिसंपत्तियों से प्राप्त मूल्य को अनुकूलित करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने में सक्षम बनाता है।

केंद्रीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन

एक मजबूत पारेषण प्रणाली स्थापित करना हमारे संचालन का मात्र एक पहलू है। जिसमें विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति और हमारी परिसंपत्तियों का इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित करते हुए इस अवसंरचना का रखरखाव सर्वोपरि है। इसके समर्थन में, हमने मानेसर में राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्र (एनटीएएमसी) के साथ–साथ कई क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्रों (आरटीएएमसी) की स्थापना की है। ये केंद्र वास्तविक समय में हमारी पारेषण प्रणाली की दूरस्थ निगरानी और संचालन को सक्षम करते हैं। उल्लेखनीय रूप से, ये सुविधाएँ अपनी तरह की अनूठी हैं, जिनमें अत्याधुनिक यंत्र और उपकरण मौजूद हैं और ये चौबीसों घंटे लगातार विशेषज्ञ की निगरानी में रहते हैं।

पावरग्रिड की पारेषण प्रणाली के संचालन में बढ़ी हुई दक्षता और पारदर्शिता के लिए, पारेषण परिसंपत्तियों की दूरस्थ रूप से निगरानी की जा रही है और रिमोट कंट्रोल केन्द्र यानी एनटीएएमसी/आरटीएएमसी से उनका संचालन किया जा रहा है। मार्च 2024 तक, पावरग्रिड अपने सभी 278 उप–स्टेशनों (इनविट के 03 स्टेशनों के साथ) को नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से दूरस्थ रूप से संचालित कर रहा है।

सतत परिसंपत्ति प्रबंधन

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, हम अपने परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे के भीतर पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्रथाओं का और अधिक उपयोग करने के लिए समर्पित हैं। इस उद्देश्य से, हम पुराने एसएफ6 सर्किट ब्रेकर (सीबी) को एयर इंसुलेटेड उपकेन्द्र (एआईएस) में पर्यावरण के अनुकूल गैस या स्वच्छ वायु–आधारित स्विचगियर से बदलकर हरित विकल्पों का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। हमारी पहल के अंग के रूप में, हम एसएफ6–मुक्त एआईएस सीबी संस्थापना के तीन सेटों का परीक्षण करने का इरादा रखते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारा लक्ष्य भारत में सबसे पहले ग्रीन गैस इंसुलेटेड उपकेन्द्र (जीआईएस) के पहले मॉडल की तैनाती करनी है, जिसकी शुरुआत बदरपुर एआईएस की संस्थापना से होगी।



पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ रेट्रो फिलिंग

संधारणीयता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ, पावरग्रिड ने अपने परिचालन अवसंरचना के भीतर एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की है। प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ खनिज–तेल से भरे 132केवी शंट रिएक्टरों की रेट्रोफिटिंग भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी प्रयास है, जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। पारंपरिक खनिज तेल के स्थान पर प्राकृतिक एस्टर तेल का उपयोग शुरू करके, पावरग्रिड न केवल अपने अवसंरचनात्मक दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी कम करता है। नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त प्राकृतिक एस्टर तेल, पारंपरिक खनिज तेल की तुलना में बेहतर बायोडिग्रेडेबिलिटी और कम पारिस्थितिक पदचिह्न प्रदान करता है, जो पावरग्रिड के पर्यावरण–अनुकूल लोकाचार के साथ पूरी तरह से संरेखित है। यह अभिनव रेट्रोफिटिंग पहल टिकाऊ प्रथाओं के प्रति पावरग्रिड के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है, जो पूरे उद्योग में पर्यावरण के प्रति जागरूक समाधानों को अपनाने के लिए एक मिसाल कायम करती है। विद्युत के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में, पावरग्रिड पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण देते हुए हरित, अधिक टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखता है।

400 केवी ईआरएस का स्वदेशी विकास

पावरग्रिड क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों की तेजी से मरम्मत करने के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) पर निर्भर करता है। पहले, ये ईआरएस घटक, जैसे कि मास्ट खंड और इन्सुलेटेड क्रॉसआर्म, पूरी तरह से आयात किए जाते थे। भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, पावरग्रिड ने उच्च–वोल्टेज ईआरएस (400 केवी तक) के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य में मरम्मत के लिए एक आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला का सृजन करना है।

400केवी रिएक्टरों की इन-हाउस मरम्मत

पावरग्रिड ने डाल्टनगंज और बालीपारा उपकेन्द्रों पर 400केवी रिएक्टरों की स्व–स्थाने मरम्मत की है। मरम्मत कार्यों में कोर शील्ड में खराबी को दूर करने के लिए वाइंडिंग को हटाना शामिल था। मरम्मत कार्य करने के लिए स्थल पर तापमान और नमी नियंत्रित वातावरण तैयार किया जाता है। मरम्मत किए गए रिएक्टर को दोनों स्थानों पर सेवा में ले लिया जाता है।

आरओडब्ल्यू सेल की स्थापना के माध्यम से परियोजना दक्षता में वृद्धि

भूमि अधिग्रहण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए वार्ता, मंजूरी और मुआवजे जैसी परियोजना गतिविधियों में दक्षता बढ़ाने के लिए, हमने एक समर्पित आरओडब्ल्यू सेल की स्थापना की। यह केंद्रीय आरओडब्ल्यू सेल भूमि अधिग्रहण प्रयासों के समन्वय की देखरेख करता है, क्षेत्रीय आरओडब्ल्यू सेल की नियमित समीक्षा करता है और प्रगति पर प्रबंधन को अद्यतित जानकारी देता है। क्षेत्रीय आरओडब्ल्यू सेल स्थानीय प्रभावशीलता के लिए भी बनाए गए हैं। कॉर्पोरेट केन्द्र का मानव संसाधन विकास (सीसी–एचआरडी) उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आरओडब्ल्यू सेल के सदस्यों के लिए योग्यता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, सदस्य प्रज्ञान प्लेटफॉर्म पर ज्ञान साझा करने के लिए ई–लर्निंग और प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेंगे, जो दक्षता में सुधार और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



जिम्मेदार स्रोत

हमारा रणनीतिक दृष्टिकोण उपकरण और प्रौद्योगिकी के लिए स्थानीय स्रोत के माध्यम से खरीदी को प्राथमिकता देता है, जो हमारे पारेषण प्रणाली की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए हमारी आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण को बढ़ावा देता है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में, हमने घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से अपने 100% से अधिक उपकरण, वस्तुएं और सेवाएँ हासिल की हैं, जो घरेलू स्रोत के प्रति हमारे समर्पण का प्रमाण है। यह रणनीतिक दृष्टिकोण न केवल हमारी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक व्यवधानों से जुड़े जोखिमों को भी कम करता है।

स्पष्ट और पारदर्शी चयन

हम अपने विक्रेता की चयन प्रक्रिया को स्पष्टता, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संचालित करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन सूपरिभाषित मानदंडों के सेट के आधार पर किया जाता है, जिसमें उनकी लगातार डिलीवरी करने की क्षमता, उनकी तकनीकी क्षमताएं, उत्पाद की गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल है। नैतिक श्रम प्रथाओं सहित पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, हम सभी अनुबंधों के लिए एक संरचित ई–टेंडरिंग और कार्य सौंपने की प्रणाली का उपयोग करते हैं।

गहन जांच और मूल्यांकन

100% संभावित आपूर्तिकर्ता, चाहे वे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय, एक व्यापक जांच प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वे हमारे सख्त पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों का पालन करते हों, जैसे कि बाल श्रम और जबरन श्रम पर रोक लगाना, असुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ, भेदभाव, अपर्याप्त वेतन और वैध पर्यावरण परमिट रखना। प्रक्रिया की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक निरंतर सुधार और निगरानी ढांचा स्थापित किया है जिसमें नियमित ऑन–साइट लेखापरीक्षा, विनिर्माण सुविधाओं का निरीक्षण, निरंतर आपूर्तिकर्ता सहभागिता और पारदर्शी रिपोर्टिंग शामिल है। यह सुरक्षा विनियमों का पालन सुनिश्चित करता है।

पंजीकृत विक्रेताओं की जानकारी पावरग्रिड की वेबसाइट पर हितधारकों के लिए विद्यमान रहती है। ठेकेदारों को वेबसाइट पर सूचीबद्ध अनुमोदित उप–विक्रेताओं से आइटम प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है। पावरग्रिड में नए विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसपर विक्रेताओं को प्रासंगिक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं, जैसे कि फ़ैक्टरी लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र (संचालन के लिए सहमति), आईएसओ / बीआईएस प्रमाणपत्र, संयंत्र मशीनरी की सूची, परीक्षण उपकरण, संगठन चार्ट आदि। इन दस्तावेज़ों की समीक्षा की जाती है, और विक्रेता के विनिर्माण कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी चिंताओं सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। अनुमोदित विक्रेताओं को पहले एक साल की स्वीकृति मिलती है, जिसे उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन और घरेलू क्षमता का निर्माण

पावरग्रिड सक्रिय रूप से स्थानीय स्रोत को बढ़ावा देता है और हमारी आपूर्ति श्रृंखला में स्वदेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। हम ऐसा विभिन्न पहलों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जिसमें विदेशी निर्माताओं को भारत में उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, होनहार भारतीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए योग्यता मापदंडों में कुछ लचीलापन प्रदान करना और भारतीय निर्माताओं को परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं पर विदेशी भागीदारों के साथ सहयोग करने के अवसर प्रदान करना शामिल है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देना

पावरग्रिड एक मजबूत घरेलू आपूर्तिकर्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानता है। हम एमएसएमई से सार्वजनिक खरीद नीति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं। यह नीति एमएसएमई को बोली सुरक्षा और निविदा दस्तावेज़ शुल्क से छूट प्रदान करती है, साथ ही उन्हें प्रासंगिक परियोजनाओं में खरीद पर वरीयता भी प्रदान करती है। रिपोर्टिंग अवधि में, एमएसएमई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसएमई सहित) से हमारी कुल खरीदी ₹1,448 करोड़ से अधिक रही, जो अनिवार्य 25% के लक्ष्य से अधिक है। इसके अलावा, हम विक्रेता विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर नियमित विक्रेता विकास सत्र आयोजित करते हैं, और एमएसएमई विकास के लिए समर्पित सरकारी संगठनों के साथ उद्योग कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

एमएसएमई का समर्थन करना और साथ मिलकर आगे बढ़ना

क्षमता संवर्धन	नए उत्पाद विकसित करना	व्यापार सुगमता
प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से एमएसएमई विक्रेताओं को उनके उत्पादन और प्रौद्योगिकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करना	एमएसएमई विक्रेताओं में उनके अभिनव और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की श्रृंखला का उत्पादन करने की क्षमता विकसित करना	एमएसएमई विक्रेताओं के लिए व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए हमारी खरीद प्रक्रिया को फिर से डिजाइन करना

मेक इन इंडिया

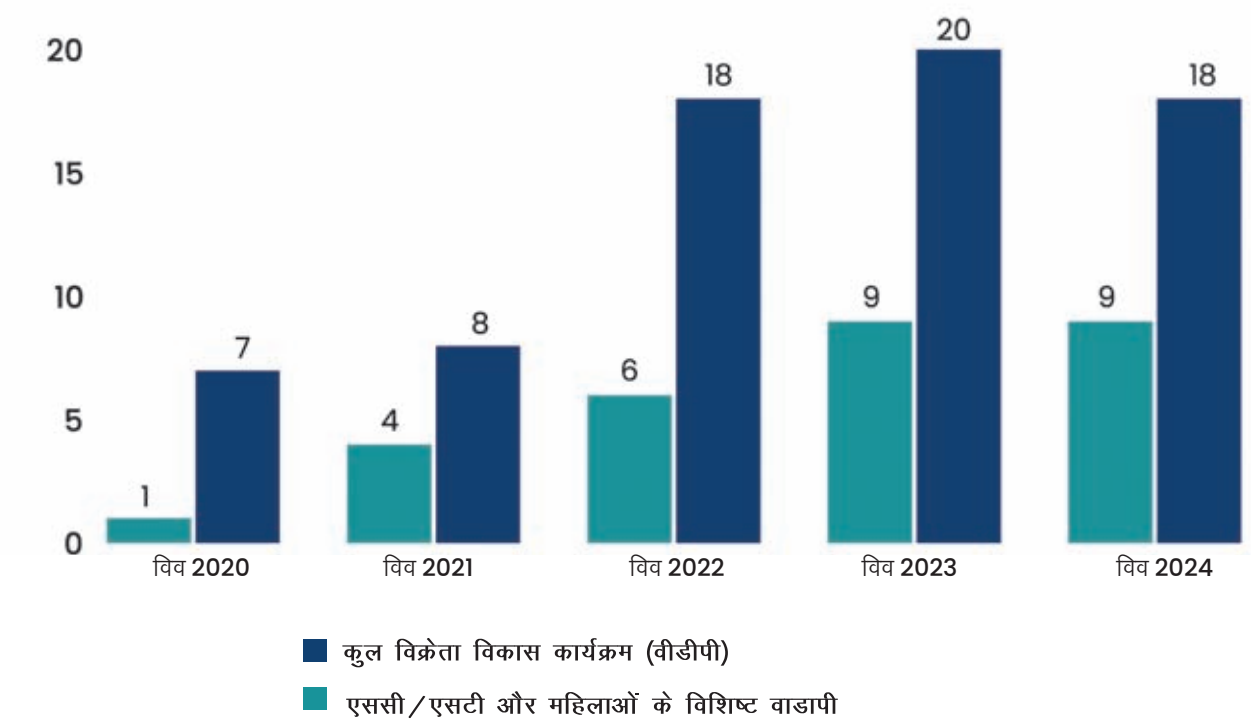
अपने पारेषण प्रणाली के विकास और संचालन में घरेलू खरीदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पावरग्रिड में चलाई जा रही पहलें महत्वपूर्ण परिणाम दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं को जीआईएस, ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, स्टेटकॉम और ओपीजीडब्ल्यू सहित उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के भीतर नई उत्पादन प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस रणनीतिक कदम ने न केवल विक्रेता नेटवर्क में विविधता लाई है, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को भी बढ़ाया है। इसके अलावा, पावरग्रिड स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) और मौजूदा विक्रेताओं की वकालत करके स्थानीय विक्रेता आधार का विस्तार करने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये प्रयास व्यापक मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप हैं, जो स्थानीय विनिर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

आपूर्तिकर्ता आचार संहिता

अपनी आपूर्ति श्रृंखला में नैतिक प्रथाओं के महत्व को जानते हुए, पावरग्रिड एक आपूर्तिकर्ता आचार संहिता लागू करता है। यह संहिता उनके साथ साझेदारी करने वाले व्यापारों से अपेक्षित न्यूनतम मानकों को रेखांकित करती है। आपूर्तिकर्ताओं को अपने संचालन में इन सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है और आदर्श रूप से उन्हें अपने उपठेकेदारों से भी इनका पालन करवाना है। कोड नैतिक आचरण, सुरक्षा, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और मानवाधिकारों के सम्मान पर बल देता है। इन मानकों का पालन करके, पावरग्रिड का लक्ष्य एक स्थायी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखला बनाना है जो अखंडता, निष्पक्षता और सम्मान के उनके मूल मूल्यों के साथ संरेखित हो।

आपूर्तिकर्ता आचार संहिता को इस लिंक पर देखा जा सकता है:
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/POWERGRID_Supplier_Code_of_Conduct.pdf

पावरग्रिड द्वारा विक्रेता विकास कार्यक्रम





खावड़ा आरई पार्क में 4.5 गीगावाट आरई की निकासी और खावड़ा आरई योजना के चरण–II, भाग–सी के अंतर्गत 765/400 केवी अहमदाबाद सब स्टेशन की स्थापना के लिए खावड़ा 2 और 3 पूलिंग स्टेशनों की आधारशिला



प्रज्ञात्मक पूंजी

प्रज्ञात्मक उत्कृष्टता के माध्यम से विचारों को मूर्त मूल्य में बदलना





पावरग्रिड की प्रज्ञात्मक पूंजी विद्युत क्षेत्र में इसके परिचालन उत्कृष्टता और नवाचार में नेतृत्व की आधारशिला के रूप में कार्य करती है। उन्नत प्रौद्योगिकियों, डाटा एनालिटिक्स और ग्रिड ऑप्टिमाइज़ेशन समाधानों के एकीकरण के माध्यम से, हम अपने ग्रिड अवसंरचना में दक्षता, विश्वसनीयता और परिसंपत्ति उपयोग को अनुकूलित करते हैं। अनुसंधान और विकास पर हम निरंतर ध्यान देते हैं जिससे अगली पीढ़ी की पारेषण प्रौद्योगिकियों के निर्माण को प्रेरणा मिलती है, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण सुविधाजनक हो जाता है, और साइबर सुरक्षा उल्लंघनों और चरम मौसम में होने वाली घटनाओं जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए ग्रिड में लचीलापन बढ़ाता है। अपने कार्यबल के बीच नवाचार, निरंतर सीखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति का पोषण करते हुए, हम तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रहते हैं, सतत विकास को बढ़ावा देते हैं और तेजी से विकसित हो रहे ऊर्जा परिदृश्य में अपने ग्राहकों और हितधारकों को मूल्य प्रदान करते हैं।

एक एकीकृत, लक्ष्य–चालित टीम के रूप में, नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अनुसंधान और विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। यह समर्पण न केवल परिचालन दक्षता को बढ़ाता है बल्कि आंतरिक सामंजस्य को भी बढ़ाता है और उपयोगी प्रौद्योगिकी परिनियोजन के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापारिक परिवर्तन की सुविधा प्रदान करता है। हमारा लचीला पारेषण नेटवर्क हमारी मजबूत अनुसंधान और विकास क्षमताओं पर आधारित है, जो संधारणीय मूल्य सृजन के प्रति हमारे समर्पण की पुष्टि करता है। रचनात्मकता, निरंतर सुधार और अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नवाचार हमारे संचालन के हर पहलू में व्याप्त हो।

पावरग्रिड में, हम अपने उत्पाद की पेशकश को बढ़ाने और अपने ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए अनुसंधान और विकास पहलों में अपने निवेश को लगातार बढ़ाते हैं। बाजार के अवसरों का लाभ उठाते हुए, चाहे क्षेत्रीय विद्युत वितरण चुनौतियों का समाधान करना हो या घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करना हो, हम विविध प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रज्ञात्मक क्षमता का लाभ उठाते हैं। हमारी प्रतिबद्धता सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण इलाकों तक फैली हुई है, जो हमारे मिशन के अनुरूप देश के हर कोने को रोशन करती है और जोड़ती है।

अनुसंधान और विकास

भारत भर में पावरग्रिड की व्यापक उपस्थिति के साथ हम विकास के नए अवसरों की लगातार तलाश करते हुए अपने अवसंरचनाओं का प्रभावी प्रबंधित करने के लिए विभागों में तालमेल स्थापित करते हैं। व्यापक अनुसंधान और विकास प्रयासों द्वारा समर्थित नवाचार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, प्रौद्योगिकी उन्नति से लेकर प्रक्रिया नवाचार, सामग्री विज्ञान अन्वेषण और परिसंपत्ति प्रबंधन तक हमारे संचालन के हर पहलू को शामिल करती है।

हमारे नवाचार प्रयासों में सबसे आगे पॉवरग्रिड का उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी केंद्र (पीएआरटीईसी) है। यह समर्पित प्रतिष्ठान अनुसंधान और नवाचार के प्रति हमारे समर्पण का उदाहरण है, जिससे हमें वैश्विक मान्यता मिली है। उल्लेखनीय रूप से, पीएआरटीईसी को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड एक्शन नेटवर्क (आईएसजीएएन) द्वारा एक प्रमुख अनुसंधान और परीक्षण अवसंरचना प्रतिष्ठान के रूप में मान्यता दी गई है, जो परीक्षण, सिमुलेशन अध्ययन और विभिन्न अनुसंधान पहलों का संचालन करने के लिए अधिकृत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्राप्त है और यह आईएसओ 9001 और एनएबीएल से मान्यता प्राप्त है, जो गुणवत्ता प्रबंधन और ग्राहक संतुष्टि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएआरटीईसी, मानेसर में स्थित सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रयोगशाला को आईईसी 61850 के अनुरूप परीक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित यूसीएआईयूजी से भी मान्यता प्राप्त हुई है। वैश्विक स्तर पर, पावरग्रिड यूसीएआईयूजी मान्यता प्राप्त करने वाली दूसरी उपयोगिता है।

पावरग्रिड भारत के लिए एक दृढ़ और विश्वसनीय विद्युत पारेषण नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए निरंतर नवाचार और विकास को प्राथमिकता देता है। हमारी प्रज्ञात्मक पूंजी में कुशल कार्यबल, अत्याधुनिक तकनीकें और रणनीतिक सहयोग शामिल हैं, जो हमारी सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

प्रमुख क्षेत्र

- अनुसंधान और विकास
- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा
- डिजिटल परिवर्तन

स्पष्ट और पारदर्शी चयन

- **भारत की पहली 500मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा निकासी प्रणाली की ओर:**

  हम इस अग्रणी परियोजना को विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो अपतटीय पवन ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- **विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त परीक्षण क्षमताएँ:**

  पीएआरटीईसी की सुरक्षा स्वचालन और नियंत्रण प्रयोगशाला ने आईईसी 61850 के अनुरूप परीक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित यूसीएआईयूजी मान्यता प्राप्त की है, जिससे पावर पारेषण तकनीक में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में पावरग्रिड की स्थिति मजबूत हुई है।

- **आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया:**

  इन पहलों के अनुरूप, हमने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर एक उपकेन्द्र निरीक्षण रोबोट विकसित किया है, जो स्वचालित दृश्य निरीक्षण के लिए एआई/एमएल का उपयोग करता है, जिससे उपकेन्द्र रखरखाव में दक्षता और निष्पक्षता बढ़ती है।

दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाना:

- **अभिनव सीवीटी स्थिति निगरानी प्रणाली:**

  सिंक्रोनाइज्ड वोल्टमीटर और आरएफ संचार का उपयोग करने वाला एक अनूठा समाधान, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) की सटीक निगरानी के लिए वास्तविक समय का डाटा प्रदान करता है, जिससे रखरखाव की सक्रिय रणनीतियां सक्षम होती हैं।

- **सुपर–हाइड्रोफोबिक कोटिंग इंसुलेटर विकसित करना:**

  आईआईटी कानपुर के सहयोग से, हम बेहतर प्रदर्शन, कम रखरखाव आवश्यकताओं और फ्लैशओवर और आर्किंग के लिए बेहतर प्रतिरोध के साथ अगली पीढ़ी के इंसुलेटर विकसित कर रहे हैं।

- **800 केवी और 420 केवी के आरआईपी बुशिंग का सफल कार्यान्वयन:**

  ये उन्नत बुशिंग बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रदान करते हैं और अप्रत्याशित विफलता की स्थिति में उपकरण क्षति को कम करते हैं। औरंगाबाद और तिरुवलम उपकेन्द्रों में उनकी सफल स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण ज़िम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता :

- **विद्युत–चुंबकीय क्षेत्र (ईएमएफ) माप:**

  विभिन्न क्षेत्रों में पारेषण लाइनों पर किए गए व्यापक मौसमी माप इस बात की पुष्टि करते हैं कि ईएमएफ का स्तर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा–निर्देशों के भीतर है, जो जनता और पर्यावरण की भलाई सुनिश्चित करता है।

साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना:

- **साइबर सुरक्षा के मामले में पावरग्रिड उत्कृष्टता केंद्र:**

भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर में स्थापित, यह केंद्र पारेषण और ग्रिड संचालन के लिए साइबर सुरक्षा में निरंतर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देता है, हमारे महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं की सुरक्षा करता है।

पावर सिस्टम सिमुलेशन और गुणवत्ता आश्वासन:

- **उन्नत सिमुलेशन अध्ययन:**

पावर प्रणाली से संबंधित सिमुलेशन अध्ययनों, जिसमें परियोजना–विशिष्ट वीएससी–स्टैटकॉम मॉडल विकसित करना और सिस्टम घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण शामिल है, की शुरूआत नए मानक स्थापित किए हैं और परिचालन प्रदर्शन में सुधार किया है।

- **पीएआरटीईसी प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन:**

पीएआरटीईसी की विभिन्न प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन, परीक्षण प्रक्रियाओं में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

सीवीटी सेकेंडरी वोल्टेज मापन किट का इन-हाउस विकास





उपकेन्द्र उपकरण निगरानी के क्षेत्र में सीवीटी सेकेंडरी वोल्टेज मापन किट की शुरूआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) की निगरानी के मौजूदा पद्धतियों की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से किए गए समर्पित प्रयासों की परिणति दर्शाता है। उपकेन्द्र उपकरणों के लिए निवारक रखरखाव अनुसूचियों का पालन करने के सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए, हमारी टीम ने एक समाधान तैयार करने के लिए नवाचार की यात्रा शुरू की जो सीवीटी निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। सीवीटी सेकेंडरी वोल्टेज मापन किट के पीछे की अवधारणा मैन्युअल मापन विधियों की अंतर्निहित कमियों को दूर करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हुई थी, जो अक्सर अलग–अलग सीवीटी के बीच दर्शाए जा रहे समय की भिन्नता के कारण विसंगतियां बनती थी। इस चुनौती के समाधान के लिए, हमारी टीम ने आरएफ संचार और जीपीएस टाइमिंग का उपयोग करके वास्तविक समय पर माप करने में सक्षम सिंक्रोनाइज़्ड वोल्टमीटर के विकास को शामिल करते हुए एक परिष्कृत समाधान तैयार किया है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि दो सीवीटी के बीच लिए गए माप सटीक रूप से सिंक्रोनाइज़ हों, जिससे निगरानी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और सटीकता में वृद्धि हो। अवधारणा, घटक चयन, फ़र्मवेयर विकास और अंशांकन को शामिल करते हुए व्यापक विकास चरणों के माध्यम से, हमने सावधानीपूर्वक एक समाधान तैयार किया है जो न केवल मौजूदा कमियों को दूर करता है बल्कि उपकेन्द्र निगरानी दक्षता और सटीकता के लिए नए मानक भी निर्धारित करता है।

इसके अलावा, सीवीटी सेकेंडरी वोल्टेज मापन किट में कार्यक्षमता और उपयोगिता को अनुकूलित करने के लिए डिज़ाइन की गई कई उन्नत सुविधाएँ हैं। इनमें सटीक सिंक्रोनाइज़्ड अंतराल पर एसी वोल्टेज और आवृत्ति को मापने की क्षमता, दो माप बिंदुओं से संकेतों के बीच चरण अंतर गणना, व्यापक डाटा अध्ययन क्षमताएँ और विस्तारित उपयोग के लिए मज़बूत बैटरी संचालन शामिल हैं। इसके अलावा, किट में त्वरित निदान के लिए अंतर्निहित सुरक्षा और त्रुटि संदेश डिस्प्ले शामिल हैं, जो विभिन्न कार्यशील स्थितियों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं। मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन और पावरग्रिड उपकेन्द्रों पर सफल फील्ड परीक्षण ने हमारे उत्पाद की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान किया है, जो व्यापक तैनाती के लिए इसकी उपयुक्तता को रेखांकित करता है।

भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निरंतर सुधार करने की हमारी प्रतिबद्धता अटल है। भविष्य की विकास योजनाओं में आवृत्ति माप सटीकता और चरण अंतर संकल्प को बढ़ाना, वोल्टेज रेंज और आरएफ संचार रेंज का विस्तार करना और सरलीकृत संचालन के लिए स्वचालित मास्टर–स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को लागू करना शामिल है। नवाचार को अपनाकर और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाते हुए हम सीवीटी सेकेंडरी वोल्टेज मापन किट की क्षमताओं को और बढ़ाने और उपकेन्द्र निगरानी के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।



3डी प्रिंटिंग तकनीक

पावरग्रिड अपने संचालन और रखरखाव (ओ एण्ड एम) ढांचे में 3डी प्रिंटिंग तकनीक को एकीकृत कर रहा है। हाल ही में एचवीडीसी विजाग उपकेन्द्र में 11 प्रेशर रिलीफ डिवाइस (पीआरडी) के निर्माण में इस अभिनव दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया गया था। पीआरडी उत्पादन के लिए 3डी प्रिंटिंग का लाभ उठाकर, पावरग्रिड ने अपनी परिचालन आवश्यकताओं के सटीक समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। यह पहल विद्युत क्षेत्र के भीतर उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाली कंपनी की सक्रियता को रेखांकित करती है।

सुरक्षा और स्काडा के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

पावरग्रिड ने 36,000 इंटेलीजेंट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (आईईडी) और 190 एसएएस गेटवे की निगरानी के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है, जो सुरक्षा और स्काडा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पहल के प्राथमिक उद्देश्यों में योजना का ईष्टतम कार्यान्वयन करना, एक समान सेटिंग्स सुनिश्चित करना और समस्या समाधान में तेजी लाना शामिल है। संवर्धित वास्तविकता जैसी उन्नत तकनीकों से लैस कुशल कर्मचारी सुरक्षा से संबंधित मामलों और दूरस्थ सहायता के लिए कुशल सहायता प्रदान करते हैं, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।



डाटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा

विशेष रूप से महत्वपूर्ण सरकारी एजेंसियों और विभागों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विविध श्रेणी को देखते हुए पावरग्रिड में हमारी अवसंरचना की दृढ़ता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा हमारे संचालन के मूल में है, जिसमें हमारी सेवाओं में हमेशा डाटा गोपनीयता, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा बनाए रखना शामिल है। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, हमने सख्त नीतियों को लागू किया है और अपने सभी कार्यालयों में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणन प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, हम कर्मचारी प्रशिक्षण को प्राथमिकता देते हैं और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी–आईएन) और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (एनसीआईआईपीसी) जैसे प्रतिष्ठित निकायों द्वारा आयोजित अभ्यासों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।

आईआईएससी, बेंगलुरु में पारेषण और ग्रिड संचालन में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास चल रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य शिक्षाविदों के सहयोग से अनुसंधान के माध्यम से निरंतर नवाचार को बढ़ावा देना है, जिसमें हमारे साइबर लचीलेपन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इसके अलावा, पारेषण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी होने के नाते,

पावरग्रिड पूरे उद्योग में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अन्य प्रतिष्ठानों को सक्रिय रूप से सहयोग देता है। साथ मिलकर, हम साइबर खतरों के खिलाफ अपनी पारेषण को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।

निजता भंग होने या ग्राहक डाटा के नुकसान के **शून्य** मामले

डिजिटल परिवर्तन

पावरग्रिड ने हमेशा अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और अपनी आपूर्ति श्रृंखला में इंटेलीजेंट सेवा वितरण विधियों को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस संबंध में किया गया एक अनुकरणीय प्रयास, हमारे संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं में मशीन लर्निंग–संचालित समाधानों का एकीकरण है। यह एकीकरण हमें गहन विश्लेषण करने और अपनी परिसंपत्तियों की स्थिति को अधिक प्रभावी ढ़ंग से निगरानी करने में सक्षम बनाता है। परिणामस्वरूप, हम परिसंपत्ति प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए सुधारात्मक या निवारक उपायों को तेजी से लागू कर सकते हैं। हमारे परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना परिचालन उत्कृष्टता और लागत दक्षता दोनों को एक साथ प्राप्त करने में सहायक साबित हो रहा है।

उड़ान (परिसंपत्तियों और नेटवर्क का अद्वितीय डिजिटल विश्लेषण)

पावरग्रिड की रणनीति का एक महत्वपूर्ण आधार इसका डिजिटल परिवर्तन है। एकीकृत परिसंपत्ति प्रबंधन डैशबोर्ड (उड़ान) का विकास हितधारकों को महत्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों और परिसंपत्ति प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि केपीआई, परिसंपत्ति डेटा, परिचालन संबंधी मुद्दे, भविष्य की कार्य योजनाएँ और अन्य प्रासंगिक जानकारी पर वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराने का एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करता है।

उड़ान (परिसंपत्तियों और नेटवर्क का अद्वितीय डिजिटल विश्लेषण), हमारा अभिनव परिसंपत्ति प्रबंधन डैशबोर्ड, एक व्यापक मंच के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न स्रोतों से डाटा को एकीकृत इंटरफ़ेस में समेकित करता है, जिससे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) तक पहुँच को सुव्यवस्थित किया जाता है। यह एकीकरण डाटा प्रबंधन में किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो निर्णय लेने वालों को परिसंपत्ति प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक केंद्रीकृत हब प्रदान करता है। अपने सहज भू–स्थानिक इंटरफ़ेस के साथ, उड़ान हितधारकों को आसानी से परिसंपत्ति की स्थिति को ट्रैक करने और उसका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। डाटा के सुलभता को बढ़ाकर, यह डैशबोर्ड पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और सुविचारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है, जो बेहतर परिचालन दृश्यता और रणनीतिक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आई2पी (पावरग्रिड में इंटेलीजेंट निरीक्षण)

पावरग्रिड में इंटेलीजेंट निरीक्षण (आई2पी) के कार्यान्वयन से रखरखाव प्रथाओं में क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिससे उपकरण दोषों की त्वरित पहचान और उनका सक्रिय समाधान संभव हो गया है। पावरग्रिड में इंटेलीजेंट निरीक्षण (आई2पी) के कार्यान्वयन से संगठन के भीतर रखरखाव प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण लम्बी प्रगति हुई है। यह अभिनव प्रणाली उपकेन्द्र उपकरणों के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए क्यूआर कोड और रग्ड टैबलेट जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करती है। प्रत्येक उपकरण के क्यूआर कोड का उपयोग करके, आई2पी पहचान को सरल बनाता है, खोज समय को कम करता है और ईआरपी डाटाबेस में सटीक डाटा लॉगिंग सुनिश्चित करता है। डाटा लॉगिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले रग्ड टैबलेट कठिन पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो निरीक्षण के दौरान विश्वसनीयता और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा, यह प्रणाली ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों प्रकार से डाटा इनपुट मोड को सक्षम बनाता है, जिससे फील्ड कर्मियों को लचीलापन और पहुंच मिलती है। उपकरण दोषों की तस्वीरें लेने और संग्रहीत करने, कार्य आदेश बनाने और साइट पर अधिसूचनाएँ जारी करने की क्षमता के साथ, आई2पी सक्रिय रखरखाव प्रयासों और समस्याओं के समय पर समाधान की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अलावा, प्रणाली की एनालिटिक्स क्षमताएँ व्यापक परिसंपत्ति मूल्यांकन को सक्षम बनाती हैं, प्रवृत्तियों और पैटर्न की पहचान करती हैं जो निर्णय लेने और रखरखाव रणनीतियों को अनुकूलित करने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर, पावरग्रिड में इंटेलीजेंट निरीक्षण (आई2पी) का कार्यान्वयन न केवल रखरखाव प्रथाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, बल्कि संगठन की परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली की समग्र विश्वसनीयता और प्रदर्शन में भी योगदान देता है।

पीजीएएमआरआईटी (पारेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पावरग्रिड परिसंपत्ति प्रबंधन)

इन–हाउस एआई/एमएल उपकरण पीजीएएमआरआईटी (पारेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पावरग्रिड प्रबंधन) को पारेषण लाइन पैट्रोलिंग प्लेटफ़ॉर्म पीजी– डीएआरपीएएन (नेटवर्क के नियमित पैट्रोलिंग और मूल्यांकन के लिए पावरग्रिड डिजिटल एप्लिकेशन) में सहजता से एकीकृत किया गया है। पीजीएएमआरआईटी टावर तस्वीरों में दोषों का स्वचालित रूप से पता लगाने के लिए एआई/एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करता है। परंपरागत रूप से, पैट्रोलिंग दल दोषों के लिए इन तस्वीरों का मैन्युअल रूप से विश्लेषण करते थे। हालांकि, दक्षता बढ़ाने के लिए, स्वचालित दोष पहचान के लिए तस्वीरों के प्रसंस्करण और एआई/एमएल तकनीकों का उपयोग करने वाला एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है। केवल पहचान करके दोष दूर करने को प्राथमिकता देकर इस प्रगति ने रखरखाव के संसाधनों के आवंटन को महत्वपूर्ण रूप से अनुकूलित किया है। नतीजतन, अब दोषों की पहचान करने पर

बल देने के स्थान पर उन्हें तुरंत हल करने पर बल दिया जा रहा है, जिससे लाइन रखरखाव संचालन सुव्यवस्थित हो सके।

डिजिटल उपकेन्द्र

हम डिजिटल उपकेन्द्र प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के सफल निष्पादन में अग्रणी के रूप में उभरे हैं। भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के विजन के अनुरूप, पावरग्रिड ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए हैं। दिसंबर 2020 में, हमने पंजाब के मलेरकोटला में स्थित एक पुराने उपकेन्द्र को 400केवी के वोल्टेज पर डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाले भारत के पहले उपकेन्द्र में बदला। इसके बाद, जनवरी 2023 में, हमने चंडीगढ़ में पहले ग्रीन फील्ड 220/66 केवी हल्लो माजरा डिजिटल उपकेन्द्र की संस्थापना के साथ एक और उपलब्धि हासिल की। मलेरकोटला और हल्लो माजरा डिजिटल उपकेन्द्रों के उद्घाटन के साथ, पावरग्रिड ने प्रोसेस बस–आधारित डिजिटल उपकेन्द्रों के वाणिज्यिक कार्यान्वयन के साथ दुनिया भर के प्रतिष्ठानों की एक विशेष लीग में प्रवेश किया है। उपकेन्द्र प्रौद्योगिकी में यह उन्नति एकल पहुँच बिंदु के माध्यम से नियंत्रण और सुरक्षा प्रणाली में प्रयुक्त के विस्तार, ऑनलाइन परीक्षण की सुविधा प्रदान करके प्रणाली उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि करने का वादा करती है।

इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। यह नवाचार उन्नत निदान प्रदान करता है, सूचित निर्णय लेने के लिए डेटा का अधिक सूक्ष्म और सटीक दृश्य सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, यह संस्थापना समय को कम करता है, तांबे की आवश्यकताओं को कम करता है, और अधिक पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पदचिह्न में योगदान देता है। यह अधिक कुशल, लचीला और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बैद्धिक संपत्ति

नवीनतम प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किए गए पावरग्रिड के निरंतर प्रयासों को मान्यता देते हुए, पावरग्रिड को संधारणीयता के क्षेत्र में भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा दो पेटेंट प्रदान किए गए हैं, अर्थात्:

- 'फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) आधारित माइक्रो–ग्रिड नियंत्रण और निगरानी प्रणाली' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (सं. 448560)।
- 'थर्मल एनर्जी स्टोरेज (टीईएस) आधारित एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इसे बनाने की विधि' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (सं. 516615)

पारेषण लाइनों की ड्रोन से निगरानी

पावरग्रिड ने 900 किलोमीटर की दूरी तक फैली पारेषण लाइनों की निगरानी के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू की है। इस अग्रणी विधि ने परिचालन दक्षता और सटीकता को बढ़ाया है, जिससे लागत और समय की बचत हुई है, और समस्या की पहचान और रखरखाव में तेजी आई है। यह रणनीतिक कदम पारेषण नेटवर्क के निर्बाध और सुरक्षित संचालन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने के लिए पावरग्रिड के समर्पण को रेखांकित करता है।

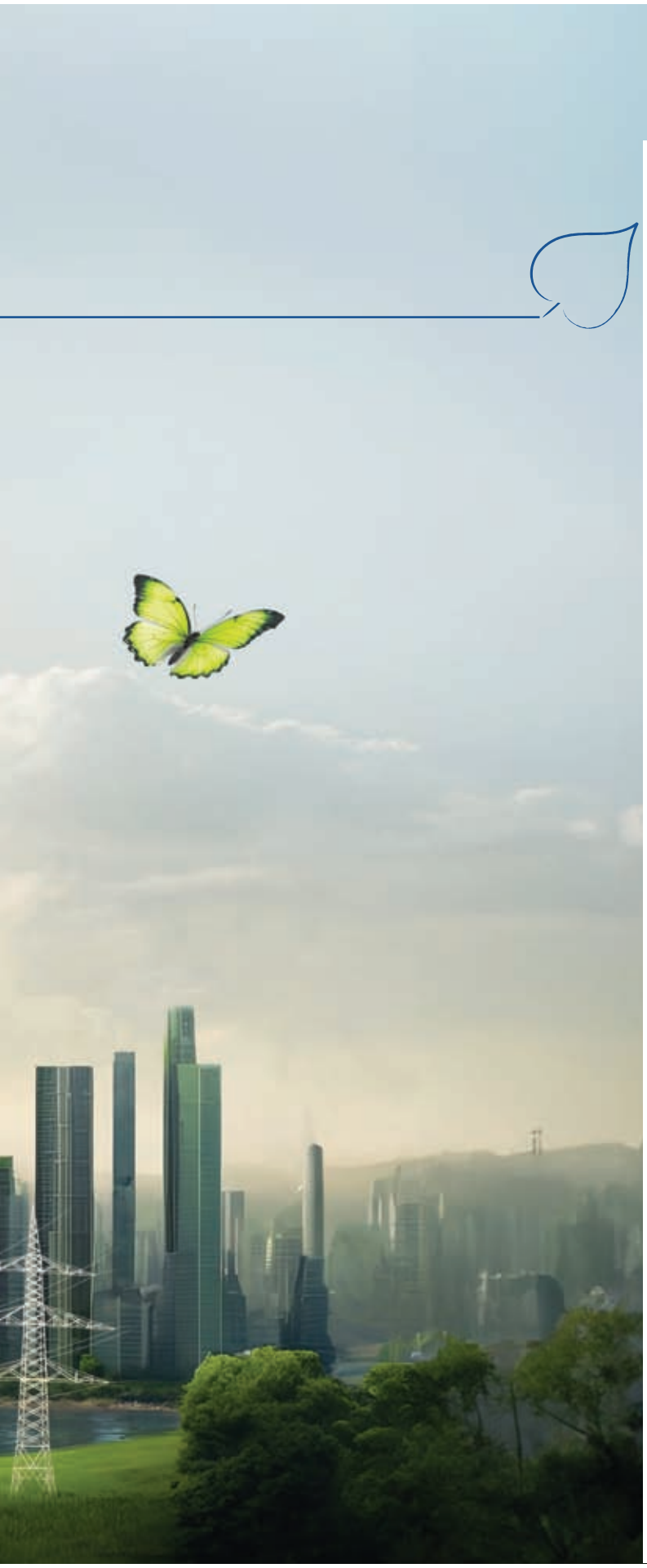




प्राकृतिक पूंजी

प्राकृतिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन और संरक्षण करके एक समृद्ध भविष्य का निर्माण





पावरग्रिड अपने संचालन में पर्यावरण संरक्षण और संधारणीय संसाधन प्रबंधन के सर्वोपरि महत्व को समझता है। कंपनी पर्यावरणीय संधारणीयता को प्राथमिकता देने और अपने मूल्य श्रृंखला में इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, पावरग्रिड अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता उपायों और पर्यावरण संरक्षण पहलों के लिए महत्वपूर्ण निवेश आवंटित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य जिम्मेदार प्राकृतिक संसाधन उपयोग को बढ़ावा देना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को रोकना और जैव विविधता को संरक्षित करना है।

पावरग्रिड अपने संचालन को डिजाइन करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की रणनीतियों को प्राथमिकता देता है, कम उत्सर्जन और ऊर्जा तीव्रता पर बल देता है। हवा या पानी में प्रदूषक छोड़ने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग न करके कंपनी अपेक्षाकृत स्वच्छ परिचालन प्रोफ़ाइल बनाए रखती है। फिर भी, पावरग्रिड जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न तत्काल खतरे को स्वीकार करता है और अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए लगातार उपाय करके इसका व्यापक रूप से मुकाबला करने के लिए समर्पित है। हालांकि, इसकी पारेषण परियोजनाएँ सराहनीय रूप से कम उत्सर्जन और ऊर्जा तीव्रता का प्रदर्शन करती हैं, पावरग्रिड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों उत्सर्जन को लगातार कम करने के बारे में सतर्क है।

वर्ष 1998 से, पावरग्रिड ने संधारणीयता की यात्रा का आरंभ किया है, जिसकी शुरुआत इसकी पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) के प्रकटीकरण से हुई थी। यह प्रतिबद्धता समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) रूपरेखाओं और मानकों का पालन करते हुए द्विवार्षिक संधारणीयता रिपोर्ट का नियमित प्रकाशन शामिल है। हमारे संधारणीय प्रयासों को और आगे बढ़ाने के साथ–साथ हितधारकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, पावरग्रिड ने वर्ष 2022 में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रूपरेखा को अपनाया और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अपनी पहली एकीकृत रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रूपरेखा के माध्यम से, कंपनी नियामक आवश्यकताओं के पूर्ण अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए भौतिक मुद्दों और प्रकटीकरणों पर व्यवस्थित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

इसके अलावा, पावरग्रिड ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी तनावपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में पर्याप्त योगदान देने का लक्ष्य रखता है। वर्ष 2047 तक नेट–जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता और जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखते हुए जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।



ऊर्जा प्रबंधन



उत्सर्जन में कमी और प्रबंधन



जल प्रबंधन



अपशिष्ट प्रबंधन



जैव विविधता संरक्षण



जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपाय

17.35 %
उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि

90.01%
पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग किए गए अपशिष्ट

5.77%
उत्सर्जन तीव्रता में कमी

21.29%
उत्सर्जन ऑफसेट में वृद्धि

38.98 %
कुल जल उपभोग के प्रतिशत के रूप में भूजल पुनर्भरण

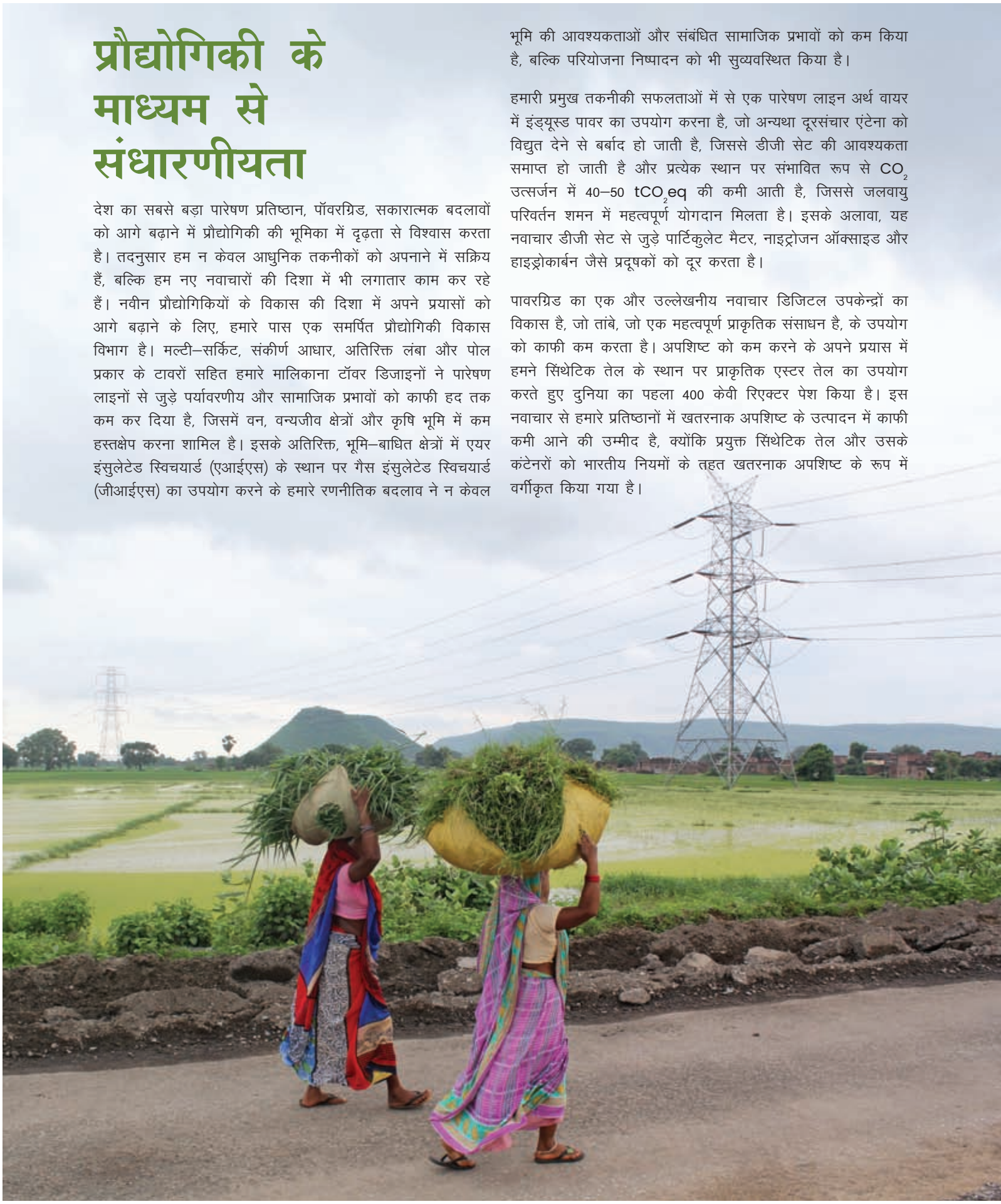
₹125.77 करोड़
संधारणीय प्रयासों पर कुल व्यय

प्रौद्योगिकी के माध्यम से संधारणीयता

देश का सबसे बड़ा पारेषण प्रतिष्ठान, पॉवरग्रिड, सकारात्मक बदलावों को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका में दृढ़ता से विश्वास करता है। तदनुसार हम न केवल आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सक्रिय हैं, बल्कि हम नए नवाचारों की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे पास एक समर्पित प्रौद्योगिकी विकास विभाग है। मल्टी–सर्किट, संकीर्ण आधार, अतिरिक्त लंबा और पोल प्रकार के टावरों सहित हमारे मालिकाना टॉवर डिजाइनों ने पारेषण लाइनों से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को काफी हद तक कम कर दिया है, जिसमें वन, वन्यजीव क्षेत्रों और कृषि भूमि में कम हस्तक्षेप करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भूमि–बाधित क्षेत्रों में एयर इंसुलेटेड स्विचयार्ड (एआईएस) के स्थान पर गैस इंसुलेटेड स्विचयार्ड (जीआईएस) का उपयोग करने के हमारे रणनीतिक बदलाव ने न केवल भूमि की आवश्यकताओं और संबंधित सामाजिक प्रभावों को कम किया है, बल्कि परियोजना निष्पादन को भी सुव्यवस्थित किया है।

हमारी प्रमुख तकनीकी सफलताओं में से एक पारेषण लाइन अर्थ वायर में इंड्यूस्ड पावर का उपयोग करना है, जो अन्यथा दूरसंचार एंटेना को विद्युत देने से बर्बाद हो जाती है, जिससे डीजी सेट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और प्रत्येक स्थान पर संभावित रूप से CO_2 उत्सर्जन में 40–50 tCO_2eq की कमी आती है, जिससे जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसके अलावा, यह नवाचार डीजी सेट से जुड़े पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों को दूर करता है।

पावरग्रिड का एक और उल्लेखनीय नवाचार डिजिटल उपकेन्द्रों का विकास है, जो तांबे, जो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, के उपयोग को काफी कम करता है। अपशिष्ट को कम करने के अपने प्रयास में हमने सिंथेटिक तेल के स्थान पर प्राकृतिक एस्टर तेल का उपयोग करते हुए दुनिया का पहला 400 केवी रिएक्टर पेश किया है। इस नवाचार से हमारे प्रतिष्ठानों में खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन में काफी कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि प्रयुक्त सिंथेटिक तेल और उसके कंटेनरों को भारतीय नियमों के तहत खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



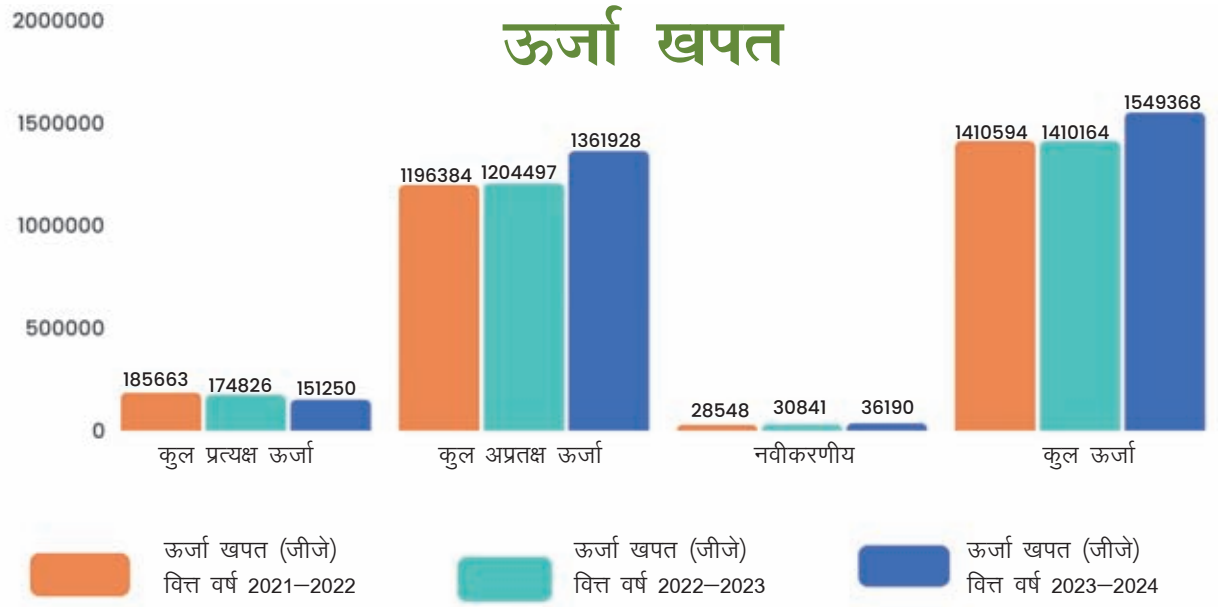


जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन

ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति होने के नाते पावरग्रिड लगातार कुशल और टिकाऊ ऊर्जा प्रबंधन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने का प्रयास करता है। भारत भर में विश्वसनीय विद्युत संचरण सेवाएँ प्रदान करने और एक मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, पावरग्रिड परिचालन उत्कृष्टता को आगे बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। ऊर्जा प्रबंधन के लिए पावरग्रिड का व्यापक दृष्टिकोण, ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने की रणनीतियों का उपयोग करता है। नवाचार को अपनाकर और सर्वश्रेष्ठ–इन–क्लास तकनीकों को अपनाकर पावरग्रिड भारत के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान देते हुए विकसित ऊर्जा परिदृश्य को नेविगेट करने का प्रयास करता है।

वित्त वर्ष 2024 में 6 नए उपकेन्द्रों को शुरू करने के बावजूद, हमारी प्रत्यक्ष ऊर्जा खपत में 13.49% की कमी आई है और नवीकरणीय ऊर्जा खपत में 17.35% की वृद्धि हुई है। हालांकि, कुल ऊर्जा खपत में 9.87% की वृद्धि हुई है, क्योंकि अप्रत्यक्ष ऊर्जा खपत में 13.07% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण नए उपकेन्द्र और मौजूदा उपकेन्द्रों में स्टैटकॉम को जोड़ना था। भारतीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी के कारण ग्रिड स्थिरता को बढ़ाने के लिए स्टैटकॉम को जोड़ा जाता है। हमारी सौर ऊर्जा क्षमता 10.2 एमडब्ल्यूपी है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 24.39% अधिक है। भारत ने 2030 तक अपनी गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट से अधिक तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

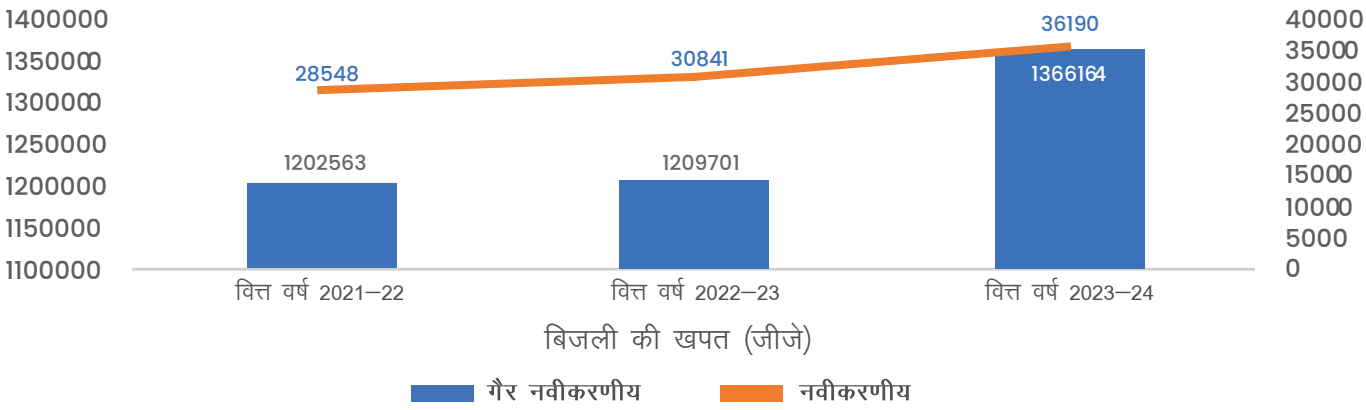
ऊर्जा खपत



• *वित्त वर्ष 2022–23 के एआर में रिपोर्ट की गई और अब रिपोर्ट की जा रही कुल प्रत्यक्ष ऊर्जा खपत के मूल्य में थोड़ा अंतर डीजल के लिए नवीनतम रूपांतरण कारक (सीएफ) के उपयोग के कारण है। 1 लीटर डीजल = 0.0383 जीजे ((https://www.eia.gov/energyexplained/units-and-calculators/energy-conversion-calculators.php) अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (यूएसईआईए) ।। वित्त वर्ष 2022–23 के एआर में, 1 लीटर डीजल = 0.041 जीजे का उपयोग किया गया था।

पावरग्रिड एक आईएसओ 50001:2018 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस) प्रमाणित संगठन है, जो ऊर्जा प्रदर्शन में निरंतर सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी



ऊर्जा दक्षता

पावरग्रिड अपने परिचालन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा दक्षता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता निरंतर प्रदर्शित करता है। यह समर्पण उसके बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से स्पष्ट है, जिसमें अत्याधुनिक ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाना और ऊर्जा संरक्षण के संबंध में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनों के लिए अनुकूल संस्कृति का विकास करना शामिल है।

हमारी कंपनी को बीईई विनियमों के तहत ग्रेड–I ऊर्जा सेवा कंपनी (ईएससीओ) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो ऊर्जा–कुशल परियोजनाओं में निवेश करने और उन्हें लागू करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है।

हमने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित किया है, जैसे कि एलईडी लैंप जैसी कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों का उपयोग करना, डीजी सेट के लिए ईंधन उत्प्रेरक उपकरणों को नियोजित करना और कार्यालय भवनों में सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों को एकीकृत करना।

उत्सर्जन में कमी और प्रबंधन

समान वित्तीय आउटपुट वाले संगठनों की तुलना में बहुत कम कार्बन पदचिह्न के बावजूद, पावरग्रिड अपने उत्सर्जन के लिए अपनी जवाबदेही को स्वीकार करता है और उन्हें कम करने के लिए समर्पित है। मामूली रिसाव दर के बावजूद, एसएफ6 रिसाव के रूप में छूटा हुआ उत्सर्जन हमारे स्कोप– I उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है, जिसका मुख्य कारण इसकी अत्यधिक उच्च वैश्विक तापन क्षमता (जीडब्ल्यूपी) है। इसके अतिरिक्त, हमारे स्कोप–I उत्सर्जन का एक हिस्सा डीजल के उपयोग के लिए भी जिम्मेदार है जिसे मुख्य रूप से वाहन चलाने, बूम/सिजर लिफ्टों और परीक्षण उद्देश्य के लिए डीजी सेट चलाने के लिए उपयोग किया जाता हैं। प्रशीतक गैसों का रिसाव भी हमारे स्कोप–I उत्सर्जन का एक छोटा सा हिस्सा है। पावरग्रिड ने एसएफ6 रिसाव को 44.65% तक, डीजल की खपत 13% तक और प्रशीतक गैसों का रिसाव 8% तक कम करके 6 नए उपकेन्द्रों को चालू करने के बावजूद हमारा क्षेत्र–1, 40.65% करके उपरोक्त सभी मापदंडों पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि एसएफ6 और प्रशीतक गैसों के सख्त इन्वेंट्री प्रबंधन, एसएफ6 के प्रभावी रिसाव का पता लगाने और उसे ठीक करने और डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों से बदलने के कारण हासिल हुई है।

हमारे उपकेन्द्रों में डीजी सेटों को मुख्य रूप से परीक्षण उद्देश्यों के लिए संचालित किए जाने की छोटी अवधि के बावजूद, उनका निवारक रखरखाव प्रणाली (पीएमएस) के अनुसार व्यवस्थित और नियमित रखरखाव किया जाता है। ऐसा विद्युत के दो अत्यधिक विश्वसनीय और स्थिर स्रोतों की उपस्थिति के कारण संभव हुआ है: डिस्कॉम से समर्पित एक फीडर और ग्रिड से सीधे उपलब्ध एक तृतीयक विद्युत स्रोत। परिणामस्वरूप, इन सेटों से उत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है।

हालांकि, हमारे स्कोप–2 से हो रहे उत्सर्जन में 13.07% की वृद्धि हुई, जो ग्रिड में विद्युत की खरीद (कुल अप्रत्यक्ष ऊर्जा खपत) से जुड़ी है। जैसा कि पहले के खंड में उल्लेख किया गया है, यह नए उपकेन्द्रों को स्थापित करने, वित्त वर्ष 2022–23 के उत्तरार्ध में चालू किए गए उपकेन्द्रों के पूर्ण विद्युत भार और साथ ही मौजूदा उपकेन्द्रों में स्टैटकॉम को शामिल करने के कारण हुआ है। फिर भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान स्कोप 1 उत्सर्जन में पर्याप्त कमी होने से हमारे कुल उत्सर्जन में 5.23% की गिरावट आई है।

अपनी डीजल खपत को कम करने के लिए, हम अपने फ्लीट को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में बदल रहे हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के अंत तक, हमने 155 डीजल वाहनों को ईवी से बदल दिया है।

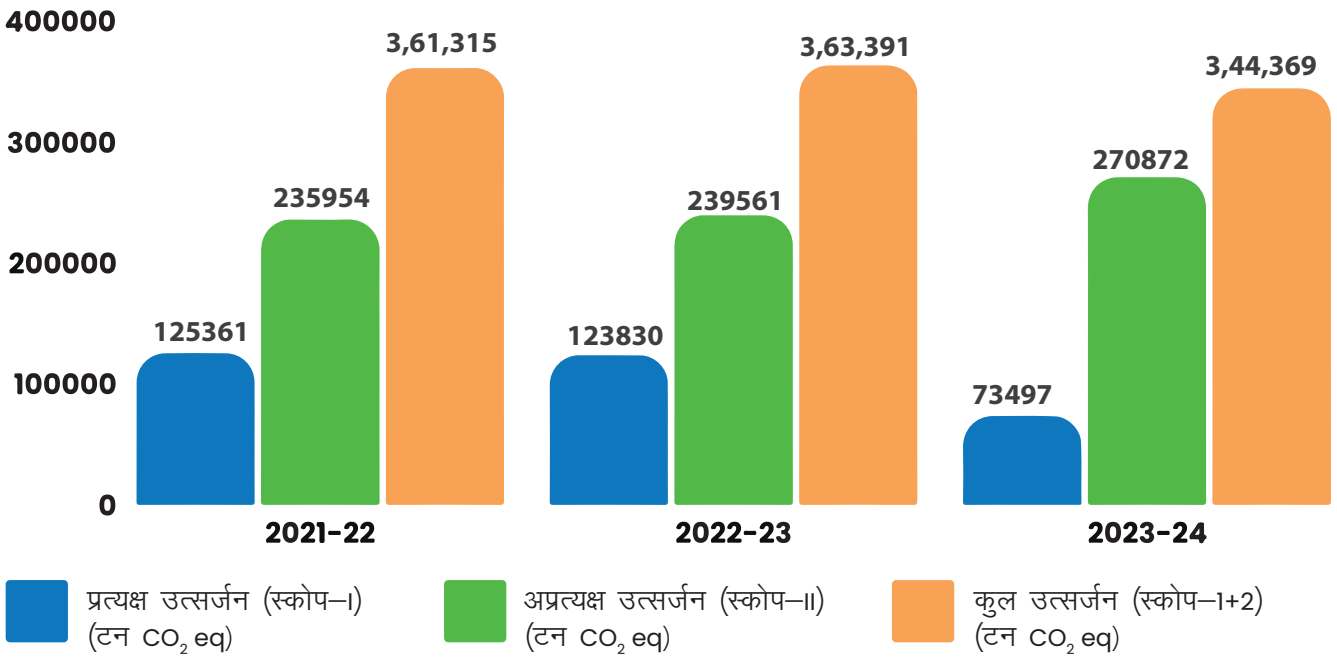
हम सक्रिय रूप से ऊर्जा संरक्षण पहलों को आगे बढ़ा रहे हैं तथा आंतरिक उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उत्तरोत्तर एकीकृत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हमारे स्कोप–II उत्सर्जन को कम करना और घटाना है।

हमारे दृष्टिकोण में एसएफ6 गैस की सख्त इन्वेंट्री नियंत्रण और इसके सुरक्षित संचालन, रिसाव का पता लगाने और पर्यावरण संबंधी प्रभावों पर कर्मियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल है। हमने अपने प्रमुख उपकरणों में अत्यधिक संवेदनशील एसएफ6 रिसाव डिटेक्टर लगाए हैं, जिसके साथ संभावित रिसाव को तुरंत चिह्नित करने के लिए एक अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं।

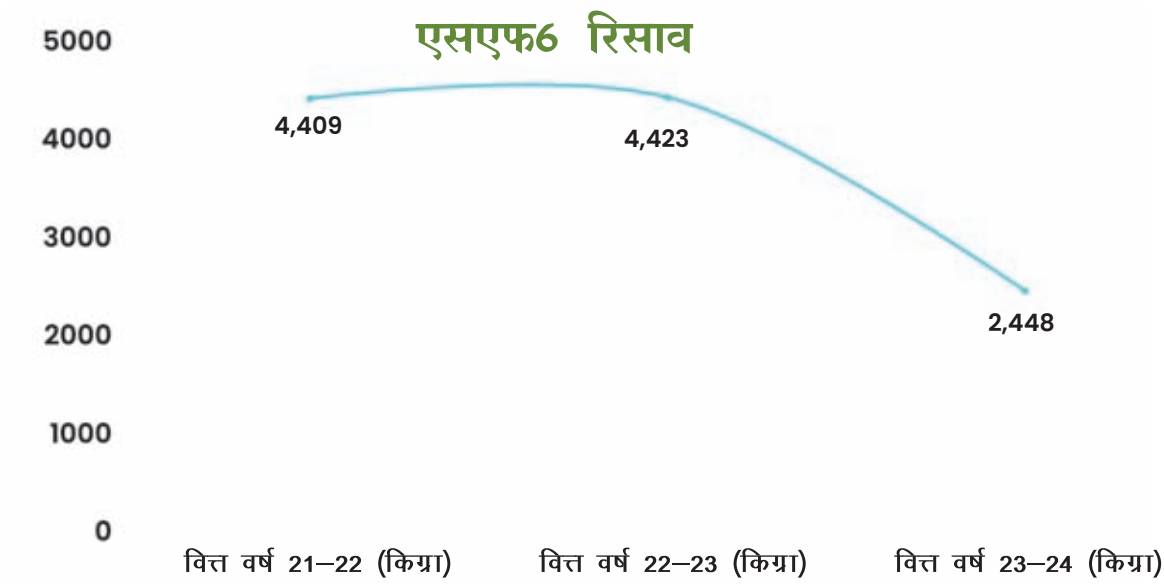
हमारे चल रहे प्रयासों में SF6 गैस के वैकल्पिक विकल्पों की खोज करना शामिल है। इस पहल के हिस्से के रूप में, हम चुनिंदा उपकेन्द्रों में एसएफ6 को अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प के साथ बदलने के लिए एक पायलट परियोजना क्रियान्वित कर रहे हैं।

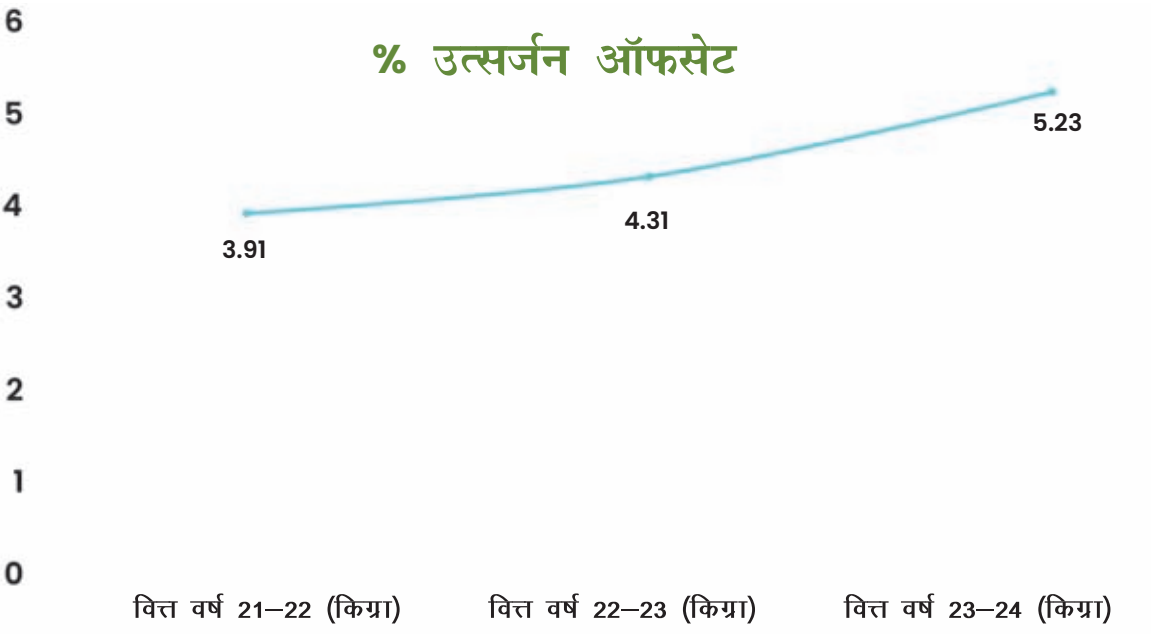
हमारे कई नए और आने वाले उपकेन्द्र और कार्यालय प्रशीतक गैस के रूप में आर–32 से युक्तहैं, जो आर–22 और आर–410ए जैसे विकल्पों की तुलना में पर्यावरण अनुकूल विकल्प है।

उत्सर्जन



नोटः 1. आईपीसीसी एआर–6, सी–II डेटासेट और चरण विश्लेषण से प्राप्त सीएफ/ईएफ का मान





इसके अलावा, 8,26,702 पेड़ों की हरियाली के कारण, हम अपने कुल उत्सर्जन का 5.23% ऑफसेट करने में सक्षम हुए हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21.29% की वृद्धि दिखाता है।

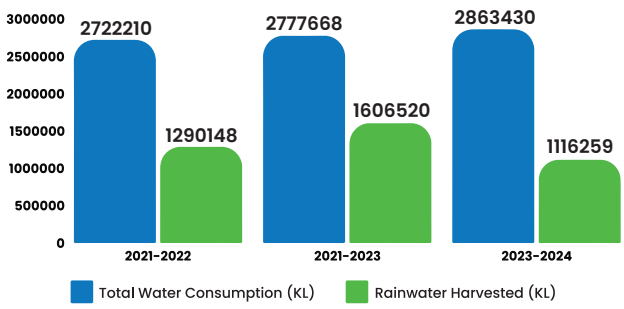
जल प्रबंधन

भारत की आबादी वैश्विक आबादी की लगभग 18% है जबकि दुनिया के जल संसाधनों का केवल 4% ही भारत में है, यह एक गंभीर असंतुलन दर्शाता है। पावरग्रिड जल गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संबंध में बढ़ती चिंताओं और विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों के बीच असमान जल उपलब्धता के बावजूद हमारे पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण पहलू से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि, हमरा जल उपयोग मुख्य रूप से केवल घरेलू खपत तक ही सीमित है, हम वर्ष 2030 तक निवल जल पॉजिटिव संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने पर्यावरण और सामाजिक नीति तथा प्रक्रियाओं के सिद्धांतों का पालन करते हुए बड़े सामाजिक लाभ की प्राप्ति के लिए जल संरक्षण और जल संसाधनों को बढ़ाएं।

जिम्मेदार जल प्रबंधन के महत्व को पहचानते हुए, पावरग्रिड ने 2030 तक जल पॉजिटिव बनने के उद्देश्य से अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक जल प्रबंधन नीति विकसित की है। पावरग्रिड की जल प्रबंधन नीति पानी की खपत को कम करने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने पर जोर देती है, साथ ही वर्षा जल संचयन पहलों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को अधिकतम करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इन संरक्षण प्रयासों के परिणाम आशाजनक हैं। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जल की खपत 28,63,430 किलोलीटर थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष से मात्र 3.09% अधिक है, जिसका कारण 6 नए उपकेन्द्रों की स्थापना और

नई आवासीय इकाइयों का निर्माण है। हालाँकि, पूर्ण प्रयास के बावजूद, वर्षा जल संचयन की मात्रा में 30.52% की कमी देखी गई है, जिसका कारण एल नीनो घटना के कारण 2023 में भारत में वार्षिक वर्षा की कमी है। 2023 में, भारत में 820 मिमी वार्षिक वर्षा हुई, जो 2022 में हुई वार्षिक वर्षा से 34.76% कम है और देश के दीर्घकालिक औसत से 29.31% कम है।

जल उपभोग और वर्षा जल संचयन (केआई)



पंजाब में स्थित हमारा मलेरकोटला उपकेन्द्र पारंपरिक सिंचाई की जगह ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सालाना लगभग 15 किलोलीटर पानी बचा रहा है।





अपशिष्ट प्रबंधन

पावरग्रिड ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाया है, जो 3 रूपरेखा – कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें मॉडल द्वारा निर्देशित है, जो कि इसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपशिष्ट प्रबंधन नीति (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/Waste_Policy.pdf). में दर्शाया गया है। यह नीति हमारे लिए 2030 तक 'शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल कॉर्पोरेट' का दर्जा प्राप्त करने और उसे बनाए रखने का एक प्रेरणादायक लक्ष्य भी निर्धारित करती है। यहाँ, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पावरग्रिड के कार्यकलापों में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। हमारे परिसरों में उत्पन्न होने वाले अधिकांश औद्योगिक अपशिष्ट में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और संचालन तथा रखरखाव कार्यकलापों के दौरान उनके उपयोग के बाद उत्पन्न अपशिष्ट (स्क्रैप) सामग्री शामिल होती है। तदनुसार, उत्पादित विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति संभव नहीं होगी। हालाँकि, हमारे संचालन के दौरान जो भी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उसका निपटान लागू नियमों और हमारी अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुसार किया जाता है।

जिम्मेदार सामग्री खपत

आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सचेत उपभोग और जिम्मेदार सामग्री प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, बल्कि उनके निष्कर्षण और उपयोग से पर्यावरणीय और सामाजिक लागत भी बढ़ता है। पारेषण परियोजनाओं में, स्टील, एल्यूमीनियम और कंक्रीट जैसे आवश्यक कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। पावरग्रिड इन संसाधनों के संरक्षण के महत्व को समझता है और उनके उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी और नीतिगत पहल करता है। इन उपायों में डिजाइन में सुधार करना, डिजिटल उपकेन्द्रों को क्रियान्वित करना, उच्च क्षमता वाले कुशल कंडक्टरों को नियोजित करना, एचवीडीसी और एचवीएसी के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करना, उच्च वोल्टेज स्तरों पर विद्युत संचारित करना और जहां भी संभव हो, मल्टी–सर्किट टावरों को प्राथमिकता देना शामिल है।

प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल

प्रयुक्त ट्रांसफार्मर तेल को एक सिंथेटिक तेल होने के कारण खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार खतरनाक अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे सावधानीपूर्वक उयोग और प्रबंधित किया जाता है। हमारे उपकेन्द्रों में ट्रांसफार्मर तेल को शायद ही कभी केवल असाधारण परिदृश्यों में जैसे कि उपकरण की विफलता के कारण उपयोग की अनुपयुक्तता होने पर बदला जाता है। ऐसे मामलों में, इसे अन्य अपशिष्ट धाराओं/सामग्री के साथ मिश्रित नहीं किया जाता है और अलग से एकत्र और संग्रहीत करके फॉर्म–8 के अनुसार लेबल किया जाता है। संग्रहित ट्रांसफार्मर तेल और उसमें रखे ड्रमों को उसके तैयार होने के 90 दिनों के भीतर या तो वास्तविक उपयोगकर्ताओं को या पंजीकृत रिसाइकिलर्स को बेचकर/भेजकर निपटाया जाता है और फॉर्म–4 के अनुसार इसका वार्षिक रिटर्न संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून से पहले दाखिल किया जाता है। मेसर्स मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसीएल) नामक एक मिनी रत्न पीएसयू की वेबसाइट पर ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से खाली किए गए ताजा ट्रांसफॉर्मर तेल वाले ड्रमों का निपटान किया जाता है। मिट्टी या जल निकायों में किसी भी तेल रिसाव को रोकने के लिए, ट्रांसफार्मर के डिजाइन में एक आवश्यक विशेषता के रूप में पर्याप्त मात्रा के तेल के गड्ढों/गड्ढों का प्रावधान शामिल है, जिसमें प्रत्येक गड्ढे को प्राथमिक एकत्रीकरण सम्प से जोड़ा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक रिसाव नहीं हुआ है।

प्रयुक्त सिंथेटिक तेल की खतरनाक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, पावरग्रिड ने परीक्षण के आधार पर अपने मैथन उपकेन्द्र में इसके स्थान पर अधिक पर्यावरण अनुकूल एस्टर तेल का उपयोग किया है। परीक्षण के परिणामों के आधार पर, इसे अन्य उपकेन्द्रों में दोहराया जाएगा, जो हमारे संचालन के पर्यावरणीय पदचिह्न को और कम करेगा।



एस्टर तेल युक्त रिएक्टर वाला मैथन उपकेन्द्र

प्लास्टिक अपशिष्ट

पावरग्रिड परिसरों में, मुख्य रूप से विभिन्न उपकरणों के साथ–साथ अन्य सामग्रियों के पैकेजिंग सामग्री जैसे कि थर्मोकोल के रूप में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है। लागू विनियमन अर्थात प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022, उपभोक्ता–पूर्व और उपभोक्ता–पश्चात प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के संबंध में उत्पादक, आयातक और ब्रांड धारक के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अनिवार्य करते हैं। पावरग्रिड को एक संस्थागत अपशिष्ट उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह सभी पैकेजिंग सामग्री और बहु–स्तरीय प्लास्टिक को उत्पादकों/आयातकों/ब्रांड धारकों को सौंपकर प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित पृथक्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार है।



बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन

बैटरियों का उपयोग पावरग्रिड के उप केन्द्रों में मुख्य रूप से रिले और सुरक्षा उपकरणों के लिए किया जाता है। उनका उपयोगी लाइफ पूरा होने के बाद, ये बैटरियाँ अपशिष्ट बन जाती हैं। वर्ष 2022 में शुरू किए गए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, पावरग्रिड को बैटरी के उपभोक्ता के रूप में वर्गीकृत करती हैं और विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) की अवधारणा पेश करते हैं, इस प्रकार, उत्पादकों को बाजार में पेश की जाने वाली बैटरियों के नवीनीकरण या पुनर्चक्रण के लिए जिम्मेदार बनाते हैं। तदनुसार, पावरग्रिड अपने बैटरी अपशिष्ट को बैटरी के उत्पादकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को सौंपकर इसका निपटान करता है।

निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न (सीएंडडी) अपशिष्ट

हमारे परिसरों में उत्पन्न निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित (सी एंड डी) अपशिष्ट को बड़े पैमाने पर या तो परिसर या धारक की स्पष्ट अनुमति से तीसरे पक्षकार के परिसर में भराव और समतलीकरण के उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाता है।

धातु स्क्रैपः धातु स्क्रैप मुख्य रूप से हमारे परिसरों में होने वाली निर्माण गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होते हैं, जिन्हें उपयोगी बनाने के लिए उनका पुनर्चक्रण किया जाता है और पुनः उपयोग के लिए नीलामी के माध्यम से स्क्रैप विक्रेताओं को बेचा जाता है, इस प्रकार एक चक्रीय अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

ई-कचरा प्रबंधन

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और कारट्रिज का उचित प्रक्रियाओं से निपटान किया जाता है। इन्हें अधिकृत संग्रह केंद्रों, पंजीकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाता है। इसके स्थान पर वैकल्पिक रूप से इन्हें निर्माता द्वारा सुविधा प्रदान की गई पिक–अप या टेक–बैक सेवाओं के माध्यम से वापस किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जिम्मेदारीपूर्ण हैंडलिंग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित होता है।

पावरग्रिड के विभिन्न उपकेन्द्रों पर जैविक और गैर–जाविक कचरे का पृथक्करण

जैव विविधता प्रबंधन

वन, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ओर, वे सबसे प्रचलित ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, दूसरी ओर, वे जैव विविधता के केन्द्रबिंदु हैं। इसलिए, पावरग्रिड उनकी सुरक्षा और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हमारे ईएसपीपी (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/ESPP.pdf) और हमारी ईएसजी नीति में सूचीबद्ध परिहार, न्यूनीकरण और शमन के मूल सिद्धांतों के अनुरूप, ऐसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध क्षेत्र से बचाव/न्यूनीकरण को मार्ग चयन मानदंड का एक अभिन्न अंग बनाया गया है।

डिजिटलीकरण की दिशा में प्रयास -कागज रहित होना

पिछले कुछ वर्षों में, प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके हमारी विभिन्न पहलों के माध्यम से, हमने अपनी प्रक्रियाओं को कागज रहित बनाने का प्रयास किया है। हमारी विभिन्न पहलें जो इस उपलब्धि को हासिल करने में हमारी मदद कर रहे हैं वो निम्नलिखित हैं:

- ऑनलाइन ड्राइंग समीक्षा और इंजीनियरिंग अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली (ड्रीम्स)
- विक्रेता बिलिंग में शुरू से अंत तक डिजिटल प्रक्रिया
- भुगतान प्रसंस्करण और सुविधा केंद्र(पीपीपीएफसी)

हमारे परिचालन के प्रभाव को कम करने के लिए उठाए गए कदम

हालांकि लागू नियामक ढांचे द्वारा यह अधिदेशित नहीं है, सभी भावी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन (ईएसए) आयोजित किया जाता है। इस मूल्यांकन में विभिन्न पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों, जैसे कि वनों, वन्यजीवों और आर्द्रभूमि की उपस्थिति पर विचार करते हुए कम से कम तीन व्यवहार्य मार्गों या स्थलों की जांच की जाती है। पारिस्थितिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का परिहार करना हमारे मार्ग या स्थल चयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसा कि हमारी पर्यावरणीय और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) में उल्लिखित है। इस विश्लेषण के आधार पर, कम से कम पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों वाले मार्ग या स्थल की सिफारिश की जाती है, जो जिम्मेदार परियोजना विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा, इस तरह का विश्लेषण करते समय, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, क्यूजीआईएस आदि जैसी आधुनिक तकनीकी विशेषताओं का उपयोग सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस पद्धतिगत दृष्टिकोण ने न केवल वन और वन्यजीव जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से परिहार/न्यूनीकरण में हमारी मदद की है, बल्कि आवासीय/आबादी वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को परिहार/न्यूनीकरण करते हुए हमारी परियोजनाओं के सामाजिक छाप को कम करने में भी मदद की है। इसके अतिरिक्त, किसी भी अवशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए, ऐसे अवशिष्ट प्रभावों को दूर करने के उपायों के साथ एक व्यापक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की जाती है। यह ईएमपी अनुबंध की शर्तों का एक हिस्सा होता है और यह प्रावधान अनुबंधों का अनिवार्य अंग होता है।

ऐसी परिस्थिति में जहाँ चुनौतीपूर्ण भूभाग और भौगोलिक बाधाओं के कारण वनों या वन्यजीव क्षेत्रों का पूरी तरह से परिहार करना संभव नहीं होता है, वहाँ नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में वन मंजूरी ली जाती है। यदि कोई वन क्षेत्र हमारी परियोजनाओं से प्रभावित होता है, तो हम वन क्षेत्र के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का भुगतान करके और उसके आकार से दोगुने क्षेत्र के लिए प्रतिपूरक वनीकरण को वित्तपोषित करके मुआवज़ा प्रदान करते हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पावरग्रिड ने प्रतिपूरक वनीकरण के लिए ₹49 करोड़ और एनपीवी के लिए ₹34.5 करोड़ का भुगतान किया है। यह धनराशि सीएएमपीए (प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण) निधि को आवंटित की जाती हैं और इनका उपयोग राज्य वन विभागों द्वारा सीएएमपीए अधिनियम 2016 के अनुसार जैव विविधता को बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इन उपायों के माध्यम से, पावरग्रिड वन अधिकारियों के सहयोग से जैव विविधता की वृद्धि में सक्रिय रूप से समर्थन देता है।

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में/आसपास के संचालन का विवरण बीआरएसआर सिद्धांत 6 आवश्यक संकेतक प्रश्न 11 में वर्णित है।

शून्य पर्यावरणीय उल्लंघन

लागू विनियमों के गैर–अनुपालन के प्रति कोई सहिष्णुता नहीं रखते हुए सावधानीपूण उपायों और नियोजन के साथ, पावरग्रिड ने पर्यावरणीय या पारिस्थितिक मुद्दों के संबंध में 'शून्य' उल्लंघन किया है।

साथ ही, हम कार्बन पृथक्करण प्रयासों को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ हैं। व्यापक वनरोपण पहलों के माध्यम से, हम अपने प्रतिष्ठानों के भीतर और अपनी सीएसआर योजनाओं के तहत, हर वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के अंत तक, पावरग्रिड ने 8,26,702 पेड़ों का हरित क्षेत्र विकसित किया है, जिसमें हमारी सीएसआर गतिविधियों के तहत लगाए गए 73,549 पेड़ शामिल हैं। यह हरित क्षेत्र लगभग 17,997 टन CO_2 ईक्यू का पृथक्करण करता है, जो हमारे कुल उत्सर्जन का लगभग 5.23% है।

एविफ़ौना के संरक्षण के लिए पावरग्रिड पारेषण लाइनों में बर्ड डायवर्टर लगाए गए।









रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) से निकलने वाले जल के संग्रह और उपयोग की प्रणाली को लागू करके, हमारा फतेहाबाद उपकेन्द्र निजी टैंकरों द्वारा पानी की आपूर्ति को पूरी तहर बंद करके 396 केएल जल और लगभग ₹3,96,000 सालाना बचत कर रहा है।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) के विशेषज्ञों के सहयोग से ''पश्चिमी गुजरात के शुष्क तल में एविफौना पर बिजली लाइनों के प्रभावों का आकलन'' शीर्षक पर एक अध्ययन किया गया।

ईएचवी पारेषण लाइनों की स्थापना के कारण विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) एविफ़ौना, जो आईयूसीएन रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है, पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कराया गया। हमारी जांच से इस मुद्दे के विषय में देश–विशिष्ट विश्वसनीय डाटा की एक महत्वपूर्ण कमी उजागर हुई, जिसके मद्देनजर यह अध्ययन शुरु हुआ। इस शोध के निष्कर्ष सभी पारेषण और वितरण प्रतिष्ठानों को एविफ़ौना पर बिजली लाइनों के प्रभाव का सटीक मूल्यांकन करने और भविष्य में उनकी आबादी की सुरक्षा के लिए अधिक प्रभावी उपाय करने में सहायता करेंगे।





मानव पूंजी

मानवीय क्षमता और उत्कृष्टता को उन्मुक्त करके विकास में समर्थन देना





ऊर्जा पारेषण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने की पावरग्रिड की विकासयात्रा इसके कार्यबल के समर्पण और प्रतिभा को प्रमाणित करती हैं। हमारे लोग हमारे निरंतर विकास और परिचालन उत्कृष्टता की प्रेरक शक्ति हैं। हमारे कर्मचारी हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, वे राष्ट्र और हमारे संगठन दोनों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं, जिसके माध्यम से भारत में ऊर्जा पारेषण की प्रगति में हम महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं।

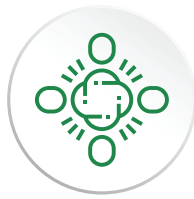
हमारी सफलता का मूल हमारे कार्यस्थल वातावरण में निहित है जो विश्वास, प्रभावशीलता और उद्देश्यबोध से पूर्ण है, जिसमें हमारे कर्मचारियों की भलाई और सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिलती है। जैसे–जैसे उद्योग परिदृश्य विकसित होता है और आवश्यक कौशल में तेजी से बदलाव आता है, हम अपने कार्यबल को इस परिवर्तन के अनुकूल रखने के लिए समर्पित प्रयास करते हैं। क्षमता निर्माण के संबंध में दो प्रमुख उद्देश्यों के इर्द–गिर्द हमारा रणनीतिक ध्यान केन्द्रित रहता है: आकर्षक कर्मचारी मूल्य प्रस्तावों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित करना और हमारे कर्मचारियों को परिवर्तनशील परिस्थितियों में विकसित होने के लिए सशक्त बनाना।

देश भर में विश्वसनीय पावर पारेषण सेवाएं प्रदान करने में हमारे कार्यबल की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए, हम निरंतर सीखने, रचनात्मकता और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हमारी मानव संसाधन प्रक्रियाएं हमारे मूल मूल्यों के अनुरूप पेशेवरों की भर्ती, पोषण और सशक्तिकरण के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई हैं, जो एक निष्पक्ष, सहयोगी और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करती हैं।

संविदा कर्मचारियों को छोड़कर, विभिन्न विभागों में 8,316 कुशल पेशेवरों की एक टीम के साथ, हम कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों में निवेश को प्राथमिकता देते हैं। इन पहलों का उद्देश्य तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाना, सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। इसके अलावा, हम विविधता और समावेश को बढ़ावा देने और एक सहायक कार्यस्थल बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ हैं जिससे विविध दृष्टिकोण, प्रतिभा और पृष्ठभूमि का विकास होता है।



मानवाधिकार



विविधता, समानता और समावेश



प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण



कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना



स्वास्थ्य और सुरक्षा



प्रशिक्षण और कैरियर विकास

वित्त वर्ष 24 में कार्यबल में महिलाओं का 8.39%
पावरग्रिड में महिला विविधता वित्त वर्ष 23 से 8.15% से बढ़ी है

वित्त वर्ष 24 में **505** प्रशिक्षण आयोजित किए गए

वित्त वर्ष 24 में **431** नई नियुक्ति

5%
टर्नओवर दर

हमारे कर्मचारियों द्वारा **4,26,840 घंटे** का प्रशिक्षण पूरा किया गया

कार्यस्थल पर **शून्य मृत्यु दर**

>44
कर्मचारी कल्याण कार्यक्रम आयोजित

मानवाधिकार

पावरग्रिड अपने असाधारण कार्यबल के कारण ही वैश्विक फलक पर विद्युत पारेषण के क्षेत्र में नेतृत्व कर रहा है। उनका कौशल, ऊर्जा और प्रेरणा निरंतर विकास और बेजोड़ परिचालन उत्कृष्टता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा है। यह मानते हुए कि हमारे लोग ही हमारी उपलब्धियों की आधारशिला हैं, राष्ट्र और संगठन दोनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बल पर ही हम भारत की विद्युत पारेषण यात्रा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल कर सके हैं। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और विश्वास, दक्षता तथा उद्देश्य विशिष्ट कार्य वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, जहाँ उनकी सराहना की जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाता रहे। पावरग्रिड अपने कर्मचारियों और संविदागत कर्मियों को मानवाधिकार संबंधी मुद्दों के संबंध में नियमित रूप से शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी में औद्योगिक सद्भाव और विकास दोनों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बना रहता है।

हमारी सुदृढ़ मानवाधिकार नीति जेंडर, जाति, पंथ या धर्म के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावरग्रिड की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यही प्रतिबद्धता हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में भी दिखती है, और प्रतिभाओं का चयन करते समय हम हाशिए पर रहने वाले या वंचित समूहों और दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने वाले दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड जेंडर, जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए मुआवज़े और वेतन भुगतान में उत्पीड़न और भेदभाव होने की स्थिति में सख्त शून्य–सहिष्णुता नीति का पालन करता है। हम संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों और संविदागत कर्मियों दोनों के लिए नियमित रूप से मानवाधिकार जागरूकता सत्र आयोजित करते हैं। हम विचारों, अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं, जिससे हमारे कर्मचारियों को बिना किसी अवरोध के संघ या यूनियन बनाने और उसमें शामिल होने की स्वतंत्रता मिलती है।

एसए8000 प्रमाणन प्राप्त करके और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के साथ अपने

व्यवहार को संरेखित करके पावरग्रिड मानव अधिकारों पर बहुत बल देता है।

हमारी प्रतिबद्धताएं इन मानकों के प्रमुख पहलुओं को प्रतिबिंबित करती हैं।

- **मुख्य श्रम मानक:**

  हम आईएलओ कन्वेंशन 87 और 98 के अनुरूप ट्रेड यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने और सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने के कर्मचारियों के अधिकारों का समर्थन करते हैं।

- **गैर–भेदभाव:**

  पावरग्रिड निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करता है और आईएलओ कन्वेंशन 100 और 111 के अनुरूप, भर्ती, मुआवज़ा और कैरियर में उन्नति के मामलों में नस्ल, जेंडर, धर्म या जाति के आधार पर किसी भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

- **जबरन श्रम:**

  हम आईएलओ कन्वेंशन 29 और 105 का पालन करते हुए अपने संचालन और आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम प्रथाओं को सख्ती से प्रतिबंधित करते हैं।

- **बाल श्रम:**

  पावरग्रिड बाल क्षम को प्रतिबंधित करता है और आईएलओ कन्वेंशन 138 और 182 के अनुरूप हमारी आपूर्ति श्रृंखला में बाल श्रम को रोकने की नीतियों को लागू करता है।

- **व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओएसएच):**

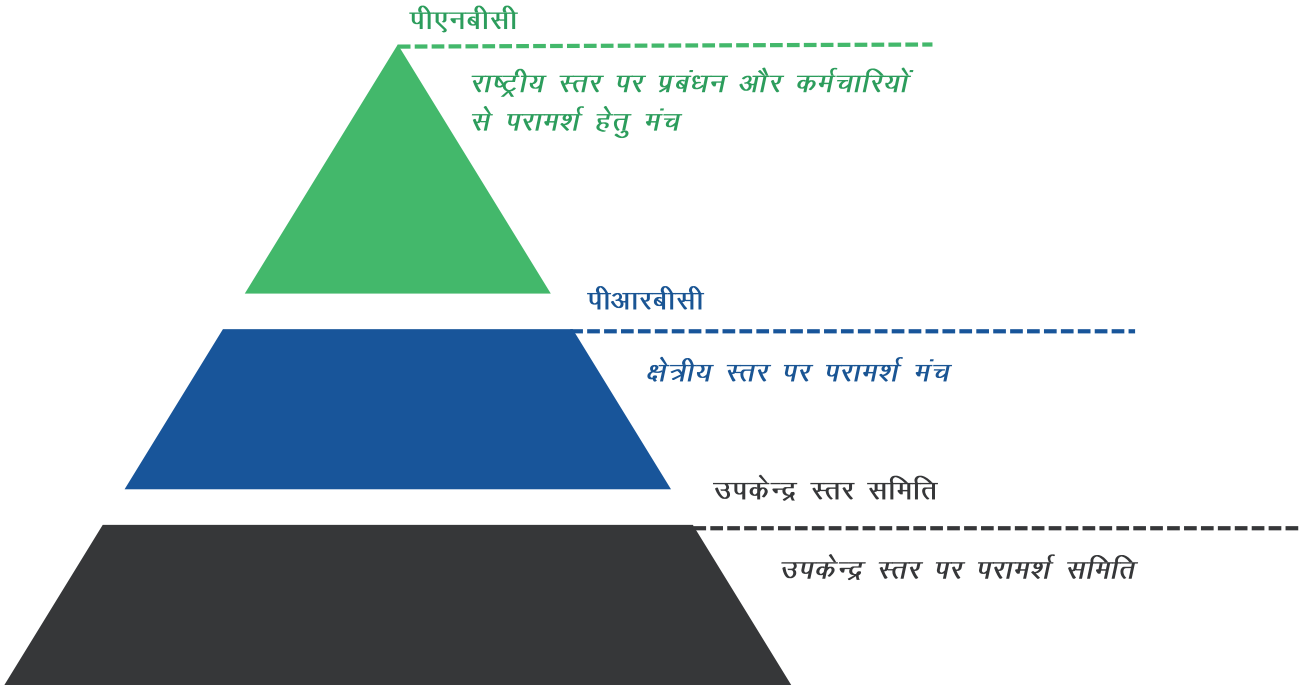
  हम आईएलओ कन्वेंशन 155 और 187 के अनुरूप, कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण और सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से श्रमिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।

मानवाधिकार मूल्यांकन

पिछले कुछ वर्षों से, पावरग्रिड अपने व्यापारिक संचालन में संभावित मानवाधिकार मुद्दों की पहचान करने और उनको सुलझाने के लिए व्यापक मूल्यांकन कर रहा है। ये मूल्यांकन जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की आधारशिला हैं और यह सुनिश्चित करने में हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करते हैं कि मानवाधिकार संबंधी विचार हमारी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अंतर्निहित हों।

कर्मचारी शिकायत तंत्र

मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए, पावरग्रिड में एक मजबूत आंतरिक तंत्र विद्यमान है। जो मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में शिकायत के लिए मुख्य संपर्क कर्ता, कार्यकारी निदेशक (एचआर) के नेतृत्व में कंपनी ने समस्याओं के निवारण के लिए विभिन्न चैनल स्थापित किए हैं। इसमें भेदभाव की शिकायतों का समाधान करने के लिए संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति, मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के तहत नोडल अधिकारियों की स्थापना और यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन शामिल है। ये विशेष चैनल सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के पास अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाने और समाधान खोजने का एक तरीका मौजूद हो।



इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड में आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को देखने के लिए सतर्कता विभाग और मानव संसाधन विभाग जैसे विशिष्ट विभाग हैं। इन उपायों के माध्यम से, पावरग्रिड ईमानदारी, जवाबदेही और मानवाधिकारों के सम्मान पर आधारित कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।

कर्मचारियों द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन मंच ''कर्मचारी शिकायत पोर्टल'' उपलब्ध है। इसके अलावा, पावरग्रिड में संयुक्त परामर्श मंचों की 3–स्तरीय संरचना मौजूद है जो कर्मचारी द्वारा उठाए गए मुद्दों के सक्रिय समाधान को सुनिश्चित करती है, जिसके कारण कर्मचारियों की संतुष्टि में वृद्धि हुई है और नौकरी छोड़ने की दर कम हुई है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) कंपनी में अधिनियम, 2013 के तहत गठित आईसीसी (आंतरिक शिकायत समिति) मौजूद है जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करती है। महिला कर्मचारियों को कुछ छूट दी जाती है जैसे कि मुश्किल स्थानों पर अनिवार्य पोस्टिंग से छूट आदि। पावरग्रिड ने अ.जा/अ.ज.जा/ओबीसी/और दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए कानूनी प्रावधान की सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर एक अलग आरक्षण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है। उक्त श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों के साथ हुई किसी भी भेदभाव की शिकायत को हल करने के लिए यह प्रकोष्ठ नामित संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) के सीधे नियंत्रण में है। किसी भी मुद्दे को सक्रिय रूप से हल करने के लिए उपरोक्त श्रेणी के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विविधता, समानता और समावेशिता

पावरग्रिड एक ऐसे कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो विविधतापूर्ण हो, नवाचार को बढ़ावा देता हो और जीवन के हर क्षेत्रों की विविध अभिव्यक्ति के दृष्टिकोणों को अपनाता हो। हमारे मिशन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना है, जहाँ टीम का हर सदस्य, चाहे उसकी भूमिका कुछ भी हो, मूल्यवान, सम्मानित और पेशेवर रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सशक्त महसूस करे। हमारी प्रथाएँ रोजगार के सभी पहलुओं में समानता और समावेशिता को प्राथमिकता देती हैं, जिसमें भर्ती, मुआवज़ा, प्रदर्शन मूल्यांकन, कैरियर में उन्नति और कौशल वृद्धि शामिल है।

हमारे मूल्यों के अनुरूप, पावरग्रिड जेंडर, आयु, धर्म, जाति, जातीयता, शारीरिक अक्षमता या किसी अन्य कारक पर आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध एक दृढ़ शून्य–सहिष्णुता का रुख अपनाता है। विविधता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी भर्ती रणनीतियों में परिलक्षित होती है, जो विभिन्न समुदायों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, धर्मों, जेंडर, जातियों और शारीरिक अक्षमताओं के व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को प्राथमिकता देती है। हम खुले विज्ञापनों और क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों तक सक्रिय पहुँच के माध्यम से अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान होने के नाते, जिसमें भारत सरकार का स्वामित्व लगभग 51.34% है, पावरग्रिड केवल भारतीय नागरिकों को रोजगार देता है। इसलिए, प्रयास करके हमने भारत के 27 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक विविध कार्यबल तैयार किया है, जो राष्ट्र के विविध रंगों को दर्शाता है। इसके अलावा, हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, बेंचमार्क दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और पूर्व सैनिकों सहित हाशिए के समूहों के व्यक्तियों को भर्ती प्रक्रिया में छूट और रियायतें देते हैं। इन उपायों के माध्यम से, पावरग्रिड एक ऐसे कार्यस्थल को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है जो विविधता को महत्व देता है और हर स्तर पर समावेशिता को बढ़ावा देता है।

जेंडर विविधता के क्षेत्र में, पावरग्रिड कार्यबल में महिलाओं की नियुक्ति बढ़ाने के लिए लक्षित रणनीतियों को लागू कर रहा है। इन पहलों के प्रमुख क्षेत्रों में निम्न शामिल हैं:

- **समावेशी नियुक्ति प्रथाएँ**

  हम चयन प्रक्रिया में पक्षपात को समाप्त करने के लिए चयन पैनल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं।

- **समान वेतन और अवसर**

  जेंडर की परवाह किए बिना, सभी कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक मिलता है, और बिना किसी भेदभाव के काम सौंपा जाता है। महिलाओं और पुरुषों के औसत वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात 1:1 है।

- **सहायक नीतियाँ**

  हम होने वाली और दत्तक माताओं के लिए 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश, साथ ही महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष अविभावक के लिए 02 वर्ष तक का शिशु देखभाल अवकाश देकर विधिक अनिवार्यताओं से अधिक सहायता देते हैं।

- **उत्पीड़न के लिए शून्य सहिष्णुता**

  यौन उत्पीड़न की हमारी रोकथाम नीति में शिकायतों का प्रभावी समाधान करने के लिए महिला कार्यकारी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है।

- **शैक्षिक पहल:**

  हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और कार्यस्थल के भीतर उन्हें सशक्त बनाने के लिए सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं।

- **स्वास्थ्य कार्यक्रम:**

  एक सहायक और समावेशी वातावरण बनाने के लिए सैनिटरी पैड डिस्पेंसर लगाना और गर्भवती माताओं के लिए



निर्दिष्ट पार्किंग स्थान आवंटित करना जैसी पहलें चलाई जा रही हैं।

चूंकि पावरग्रिड जेंडर के आधार पर किसी भी वरीयता या भेदभाव के बिना खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर भर्ती करता है, भारत में एसटीईएम पाठ्यक्रम करने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या के साथ, हमारे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी धीरे–धीरे बढ़ रही है।

पावरग्रिड में समावेशिता

पावरग्रिड समावेशी समाज को बढ़ावा देता है और यहां बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) को प्रगति और विकास के समान अवसर मिलते हैं, ताकि वे उपयोगी और सम्मानजनक जीवन जी सकें। पुनर्वास और सक्षम वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई पहलें की गई हैं जिनके माध्यम से पावरग्रिड यह सुनिश्चित करता है कि पीडब्ल्यूबीडी जनों को समान अवसर मिलें, उनके अधिकारों की सुरक्षा हो और स्वतंत्र और उपयोगी सदस्य के रूप में समाज में वे पूरी तरह से भाग ले सकें।

इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, पावरग्रिड ने एक समान अवसर नीति (https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/16_Equal_Opportunity_Policy_1.pdf) कार्यान्वित की है, जिसमें दिव्यांग उम्मीदवारों और कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले विभिन्न प्रावधान शामिल हैं। इन प्रावधानों में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में आरक्षण, उपयुक्त पदों की पहचान, योग्यता अंकों में छूट, स्क्राइब रखने का प्रावधान, परीक्षाओं के दौरान प्रतिपूरक समय, ऊपरी आयु में छूट, शुल्क और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति, सहायक उपकरण और सहायोगी उपकरण, विशेष फर्नीचर, व्हीलचेयर और सुगम्य भारत अभियान के तहत सुगम्यता में वृद्धि प्रदान करना शामिल हैं। इसके अलावा, विकलांगता से संबंधित सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं और विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चार दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त अधिकतम दस दिन की छुट्टी दी जाती है। स्थानांतरण और पदस्थापना में दिव्यांग कर्मचारियों को वरीयता दी जाती है, और अलग–अलग तरह से दिव्यांग बच्चों वाले कर्मचारियों को उनकी सामाजिक सहायता प्रणाली को बाधित किए बिना देखभाल कर्ता के रूप में उनकी भूमिका को सुविधाजनक बनाने के लिए तरजीही स्थानांतरण देने पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आवासीय क्वार्टरों में वरीयता दी जाती है, तथा दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संपर्क अधिकारी नामित किए जाते हैं।

इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों की शिकायतों और मुसीबतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र समिति की स्थापना की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी समस्याएं तुरंत और प्रभावी ढंग से हल की जाएं।

प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण

उद्योग की परिवर्तनशील प्रकृति और नई कौशल आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए, हम अपने कर्मचारियों पर सबसे अधिक ध्यान देने के लिए समर्पित हैं। कौशल विकास पर रणनीतिक रूप से बल देते हुए हम आकर्षक कर्मचारी मूल्य प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें न केवल अनुकूलन करने बल्कि बदलती परिस्थितियों में विकसित होने के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करने पर जोर देते है। मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाते हुए, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा कार्यबल अनुकूलनीय और लचीला बना रहे इसलिए प्रतिभा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को एक साथ हल किया जाए।

वर्ष के दौरान, पावरग्रिड ने विभिन्न विभागों में कुल 431 नए कर्मचारियों की भर्ती की, जिनमें से 371 पुरुष और 60 महिलाएँ हैं।

कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना

पावरग्रिड की संगठनात्मक संस्कृति में कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता गहराई से निहित है। हम अपने कर्मचारियों की शारीरिक, मानसिक, वित्तीय और सामाजिक भलाई में सुधार करने के लिए दृढ़ता से समर्पित हैं। एक सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिज्ञा के अनुरूप, हम लगातार कर्मचारी कल्याण के विविध पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

कंपनी के लिए कर्मचारियों की चिंताओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण करना महत्वपूर्ण हैं, जिससे बेहतर प्रतिधारण, उत्पादकता और समग्र व्यापारिक प्रदर्शन हासिल होता है। कर्मचारियों से प्रतिक्रिया मांगने से संगठन में उनका जुड़ाव बढ़ सकता हैं, सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और नियोक्ता ब्रांड मजबूत होता है।

कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी वेबिनार

वर्ष में कुल 22 स्वास्थ्य संबंधी वेबिनार (11,000 मानव–घंटे) आयोजित किए गए, जिनमें आयुर्वेद, हृदय स्वास्थ्य, एंडोक्राइनोलॉजी, ईएनटी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेमटोलॉजी, आंतरिक चिकित्सा, न्यूरोलॉजी, पोषण, प्रसूति एवं स्त्री रोग, ऑन्कोलॉजी, नेत्र विज्ञान, आर्थोपेडिक्स, निवारक स्वास्थ्य, पल्मोनोलॉजी और यूरोलॉजी सहित कई विषयों को शामिल किया गया। उल्लेखनीय रूप से, चार वेबिनार विशेष रूप से महिलाओं की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए थे, जो पोषण, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जागरूकता, कार्यस्थल में महिलाओं के स्वास्थ्य और जोड़ों की देखभाल पर केंद्रित थे।

कर्मचारियों को नियमित रूप से मलेरिया जैसी जल जनित बीमारियों और क्षय रोग, एचआईवी/एड्स जैसी पुरानी बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाता है।

खेल और अन्य क्षेत्रों में सफलता हासिल करना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, पावरग्रिड के कर्मचारियों ने अंतर–पीएसयू टूर्नामेंटों में उत्कृष्ट खेल कौशल और प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें इनडोर और आउटडोर दोनों तरह के नौ विविध श्रेणियों की प्रतिस्पर्धाएं शामिल थीं। कुल 136 कर्मचारियों जिनमें 95 पुरुष और 41 महिलाएं शामिल थीं, ने अपनी एथलेटिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उल्लेखनीय प्रदर्शन करके अपनी अलग पहचान बनाई। पावरग्रिड तीन पुरुष टूर्नामेंट और दो महिला टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर उभरा, जो उत्कृष्टता और टीम वर्क के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, पावरग्रिड की महिला शतरंज टीम ने अंतर सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता, जबकि हमारी फुटबॉल टीम और टेबल टेनिस टीम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया और क्रमशः अपने संबंधित श्रेणियों में चैंपियन खिताब जीते। ये उपलब्धियाँ अपने कर्मचारियों के बीच खेल भावना और सफलता की संस्कृति विकसित करने के पावरग्रिड के समर्पण को रेखांकित करती हैं।



पावरग्रिड की महिला शतरंज टीम ने अंतर सीपीएसयू शतरंज टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।



पावरग्रिड फुटबॉल टीम ने अंतर सीपीएसयू फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता।



अंतर पीएसयू टूर्नामेंट में चैंपियन के रूप में पावरग्रिड टेबल टेनिस टीम

आर्थिक कल्याण

पावरग्रिड अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों को एक व्यापक लाभ पैकेज प्रदान करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें वैधानिक सेवानिवृत्ति लाभों के साथ–साथ उचित और समान वेतन प्रदान किया जाए। प्रमुख सहायता कार्यक्रमों में समूह बीमा योजना, मृत्यु राहत योजना, आर्थिक पुनर्वास योजना और सक्षम योजना शामिल है, जो मृतक कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और उनके परिवार के लिए आय के अवसर सृजित करती है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए शीर्ष–स्तरीय चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करता है और प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति और रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित परिवार के सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ प्रदान करता है।

सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण बीआरएसआर सिद्धांत 3 आवश्यक संकेतक प्रश्न 2 में उल्लिखित हैं।

सामाजिक कल्याण

स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पावरग्रिड अपने कर्मचारियों के जीवन को फिर से ऊर्जावान करने और उनके व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए कई पहलें कार्यान्वित करता है। इन पहलों में महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष अभिभावकों को विशेष शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करना, पात्र पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करना तथा कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने या सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अवकाश विकल्प प्रदान करना शामिल है।

पावरग्रिड में, प्रत्येक कर्मचारी मातृत्व और/या पितृत्व अवकाश का हकदार है, तथा इस रिपोर्टिंग वर्ष में, पितृत्व अवकाश पर गए पुरुष और महिला दोनों कर्मचारियों के प्रतिधारण दर 100% थे।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

पावरग्रिड अपने कर्मियों द्वारा उपकेन्द्रों और पारेषण लाइनों पर उपकरणों और अवसंरचना की आयोजना, निर्माण, रखरखाव और संचालन के दौरान उनके दैनिक कर्तव्यों के निर्वहन में उनके सम्मुख आने वाले अंतर्निहित व्यावसायिक खतरों से परिचित है। ये खतरे घातक और गैर–घातक दोनों तरह के संभावित जोखिम को पैदा करते हैं। इससे बचने के लिए हमने उद्योग–अग्रणी प्रथाओं और कड़े अनुपालन उपायों की विशेषज्ञता वाली एक मजबूत सुरक्षा नीति लागू की है। हम केवल विनियामक अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं बल्कि हम अनिवार्य सुरक्षा मानकों से अधिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

पावरग्रिड अपनी पारेषण लाइनों, उपकेन्द्रों और कर्मियों के साथ–साथ आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने विधिक और नैतिक दायित्वों को पूरा करता है। आईएसओ 45001:2018 मानकों का पालन करते हुए, कंपनी ने सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रिया को लागू किया है। पारेषण प्रतिष्ठान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के निरीक्षणों द्वारा सत्यापित प्रासंगिक भारतीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करती हैं।

कार्यस्थल पर ऐसी घटनाओं को शून्य करने के अपने लक्ष्य पर कार्य करते हुए, हमने पूरे संगठन में एक व्यापक त्रि–स्तरीय सुरक्षा ढांचा स्थापित किया है ताकि हमारी सुरक्षा नीति व्यापक रूप से स्वीकार्य हो। इसके अलावा, ऑन–साइट टीमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष सुरक्षा इकाई की स्थापना की गई है, जिससे सभी परिचालन स्तरों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल की प्रभावकारिता में वृद्धि हुई है।

- एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्रभावी संचार, कर्मचारियों से जुड़ाव और हितधारक परामर्श को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें एक सुरक्षा समझौते के माध्यम से ठेकेदारों को पावरग्रिड सुरक्षा नियम और प्रासंगिक विनियमन प्रदान करना शामिल है, जिसकी देखरेख स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों का आकलन करने वाले परियोजना प्रबंधकों द्वारा की जाती है।

सीएमडी की अध्यक्षता वाले शीर्ष सुरक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पावरग्रिड का तीन-स्तरीय सुरक्षा मॉडल। बोर्ड में सदस्य के रूप में कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

शीर्ष सुरक्षा बोर्ड (बोर्ड स्तर)

बोर्ड पूरी लगन से दुर्घटनाओं की नियमित और गहन समीक्षा करके सभी क्षेत्रों में शीर्ष–स्तरीय सुरक्षा मानकों का रख–रखाव करता है। निर्माण एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद, उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई और अतिरिक्त उपायों की सिफारिश की जाती है।

स्थायी सुरक्षा प्रबंधन समिति (कॉर्पोरेट स्तर)

क्षेत्रीय सुरक्षा समिति (क्षेत्रीय स्तर)

- बैठकों/सुरक्षा/विक्रेता बैठकों के माध्यम सेकॉर्पोरेट/क्षेत्रीय स्तर पर व्यापक समीक्षा
- पावरग्रिड के क्षेत्रीय/परियोजना प्रभारी/कार्यकारी। साथ ही सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित निर्माण एजेंसी।
- स्थायी सुरक्षा समिति भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवारक उपचारात्मक उपाय का सुझाव देती है।
- सभी क्षेत्रों में सिफारिशें प्रसारित की जाती हैं।

साइट सुरक्षा समिति (साइटस्तर)

स्टेशन प्रबंधक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठकें आयोजित करते हैं

पावरग्रिड की सुरक्षा नीति

- कार्यस्थल पर चोट लगने या बीमार पड़ने पर उपचार की त्वरित प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
- डिजाइन निर्माण, संचालन और रखरखाव चरणों में प्रत्येक चरण के दौरान सुरक्षा के सभी कारकों पर विचार करना सुनिश्चित करने के लिए नियमित मूल्यांकन किया जाता है।
- सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना।
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), सुरक्षा उपकरणों और परिधानों का सख्त उपयोग।
- कुशल अग्नि निवारण और अग्निशमन कार्यों का कार्यान्वयन।
- प्रत्येक/विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए उचित सुरक्षा मैनुअल का पालन करना।
- विधिक और संविदात्मक दायित्व के अनुपालन के संबंध में ठेकेदारों का नियमित ऑडिट/निरीक्षण।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रासंगिक और लागू वैधानिक प्रावधानों का सख्त अनुपालन।

- साइट पर बेहतर निगरानी और सक्रिय सुरक्षा उपायों के लिए सुरक्षा संचालन को डिजिटल किया जा रहा है।
- दुर्घटनाओं को रोकने के प्रयास में ठेकेदारों पर जुर्माना और मुआवज़ा लगाया जाता है।
- अधिकारियों या स्थल पर्यवेक्षकों द्वारा आयोजित दैनिक सुरक्षा ब्रीफिंग से संभावित खतरे सामने आते हैं और वे एहतियाती उपायों की सिफारिश करते हैं।
- व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निर्माण, संचालन और रखरखाव कार्यों से संबंधित विभिन्न सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिसमें तनाव प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने संबंधी विषय भी शामिल है।
- पावरग्रिड और संविदागत कर्मचारियों दोनों को इन–हाउस विशेषज्ञों और बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके पूरक के रूप में निर्माण स्थलों और परिचालन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा प्रदर्शन किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और कैरियर विकास

उत्कृष्टता को बढ़ावा देना: पावरग्रिड का ज्ञानार्जन और विकास में निवेश

पावरग्रिड में, हम शीर्ष–स्तरीय संगठनात्मक क्षमताओं को विकसित करने और अद्वितीय बाजार प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ज्ञानार्जन और कौशल वृद्धि के लिए समर्पित हैं। हमारी प्रतिबद्धता पेशेवर विकास के साथ–साथ हमारे कार्यबल के व्यक्तिगत विकास पर



भी केन्द्रित है जिससे एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है जहाँ हमारे संगठन और हमारे लोगों की सफलता परस्पर सुदृढ़ होती है। हमारा पुनःकौशल संवर्धन और कौशल उन्नयन पहलें हमारे मूल मूल्यों उत्कृष्टता के प्रति उत्साह और बदलाव के प्रति उत्साह से प्रेरित हैं।

हमारे प्रशिक्षण संबंधी प्रयासों में मानेसर में स्थित, पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पारेषण में प्रशिक्षण के लिए श्रेणी–I संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त, पीएएल देश भर में कर्मचारी विकास केंद्रों और वैश्विक स्तर पर अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से सालाना 500 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

हमारे व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्ययन आवश्यकताओं के एक स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जिसमें इंडक्शन, व्यावहारिक अनुभव, प्रबंधकीय कौशल और व्यवहारिक विकास शामिल हैं। गत दो वर्षों में, हमने प्रशिक्षण पहलों में 9,20,984 घंटे से अधिक का निवेश किया है, जिसमें केवल वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4,26,840 घंटे समर्पित किए गए हैं। यह निवेश 2022–23 और 2023–24 में क्रमशः 7.40 और 6.37 औसत प्रशिक्षण दिनों से परिलक्षित होता है। वित्तीय रूप से, प्रशिक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता 2022–23 में ₹35.39 करोड़ थी और 2023–24 में यात्रा व्यय को छोड़कर यह बढ़कर ₹40.76 करोड़ हो गई।

हमारे ई–लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, "प्रज्ञान" पर विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों के 150 से अधिक मॉड्यूल उपलब्ध हैं और 11 रिफ्रेशर पाठ्यक्रम हैं, जिससे 8,200 से अधिक कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

इसके अलावा, पावरग्रिड परिचालन अधिनियम के तहत विभिन्न व्यापारों में 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं को शामिल करके हितधारक विकास का सक्रिय रूप से समर्थन करता है। हमारे "संदर्शिका" मेंटरिंग और कोचिंग पोर्टल से लगभग 5,500 कर्मचारियों को उनके पेशेवर विकास की यात्रा में सहायता मिली है।

पिछले वर्ष, हमने आईआईआईटी–बैंगलोर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग पाठ्यक्रमों में 50 कर्मचारियों के तीसरे बैच को नामांकित करने और एनआईटी जालंधर में पावर सिस्टम और विश्वसनीयता में एम.टेक कार्यक्रम के लिए दूसरे बैच में 15 कर्मचारियों को प्रायोजित करने जैसे विशेष पाठ्यक्रमों की सुविधा प्रदान की।

ये पहल प्रतिभा को पोषित करने, कौशल बढ़ाने और विद्युत के क्षेत्र में और उससे आगे की चुनौतियों के लिए हमारे कर्मचारियों को तैयार करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

प्रतिफल योजना

प्रतिफल, पावरग्रिड की एक उपलब्धि–उन्मुख संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल है, जो इसके सभी प्रतिष्ठानों को शामिल करती है। इसमें आठ पुरस्कार कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है और इसे एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। पावरग्रिड के स्थापना दिवस के साथ–साथ प्रशंसा सप्ताह मनाया जाता है जिसमें प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है और इसके विवरण पोर्टल पर अपडेट किए जाते हैं। सभी पुरस्कारों का प्रबंधन प्रतिफल पोर्टल के माध्यम से किया जाता है, जहां करियर विकास से संबंधित विवरण रखे जाते हैं। तथापि, ये पुरस्कार पदोन्नति के अधिकार की गारंटी नहीं देते हैं और इनसे संबंधित विवादों का समाधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। स्वैच्छिक और मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना में कॉर्पोरेट एचआरडी विभाग द्वारा समन्वित पारिवारिक आवास के साथ आउटबाउंड प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे प्रावधान शामिल हैं।

ज्ञानार्जन और विकास

पावरग्रिड ने अभिनव ज्ञानार्जन और विकास पहलों से मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे इसके ऑनलाइन एचआरडी प्रबंधन प्रणालियों को

एचआर रणनीति

कर्मचारियों को पारेषण परियोजनाओं की आयोजना, निगरानी और उनके क्रियान्वित हेतु सक्षम बनाना

कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से संचालन और रखरखाव करने और तकनीकी रूप से अपग्रेड/नवाचार करने हेतु सक्षम बनाना

कर्मचारियों को विकास के अधिकतम अवसर प्रदान करना

संगठनात्मक मिशन और उद्देश्य

महत्वपूर्ण रणनीतियाँ

- मुख्य कार्यात्मक प्रमुखों की भागीदारी
- आंतरिक संसाधनों का उपयोग करना
- एचआरडी सलाहकार परिषद
- सहायक प्रणाली के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग
- पिछले कार्यक्रमों से इनपुट और प्रतिक्रिया

शामिल कदम

चरण 1: ऑनलाइन प्रश्नावली
चरण 2: फोकस समूह चर्चा
चरण 3: सलाहकार परिषद के साथ चर्चा

शिक्षार्थी का प्लैनर, व्यक्तिगत विकास योजना, प्रशिक्षण गतिविधि के संबंध में स्वामित्व, अधिक से अधिक सीखना

प्रतिक्रिया



उद्योग–व्यापी मान्यता अर्जित हुई है। हमारे मानव संसाधन विकास (एचआरडी) संबंधी कार्यकलाप कर्मचारियों को नई दक्षताओं के साथ सशक्त बनाने और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रभावी कार्य प्रथाओं को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी एचआरडी टीम हमारे कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न पहलों को चलाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम नियमित रूप से संगठन में संगठनात्मक आवश्यकता आकलन (ओएनए) और योग्यता–आधारित व्यक्तिगत प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण (टीएनए) करते हैं। ये आकलन व्यक्तिगत योग्यता वृद्धि आवश्यकताओं की पहचान करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के डिजाइन और नियोजन का मार्गदर्शन करते हैं। यह दृष्टिकोण पावरग्रिड को कर्मचारियों की व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपी) को व्यापारिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करते है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे कार्यबल का कौशल वर्तमान और प्रासंगिक बना रहे।

बहु–विषयक सहयोग के माध्यम से विकसित एचआरडी एक्शन प्लानर, निष्पादन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और परिचालन उत्कृष्टता और रणनीतिक मूल्य संवर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने का एक रणनीतिक उपकरण है। कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और व्यापक प्रशिक्षण योजना मैट्रिक्स के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे वर्तमान और भविष्य दोनों की मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों।

कर्मचारी कौशल-उन्नयन कार्यक्रम

अपनी मानव पूंजी द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, पावरग्रिड ने अपने कर्मचारियों को अपेक्षित कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगातार निवेश किया है। उल्लेखनीय रूप से, हॉटलाइन रखरखाव और ड्रोन प्रशिक्षण जैसी पहलें कर्मचारियों को जटिल कार्यों को कुशलता से करने और निष्पादित करने में सशक्त बनाने में सहायक रही हैं, जिससे पूरे संगठन में परिचालन दक्षता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान, इन पहलों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसका परिणामस्वरूप एक अत्यधिक कुशल और विशिष्ट कार्यबल का निर्माण हुआ है।

इन प्रशिक्षित पेशेवरों ने परिसंपत्ति रखरखाव के विभिन्न पहलुओं पर कठिन प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया है, जिसमें पारेषण लाइन, ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, एचवीडीसी (हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट), एफएसीटीएस (फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम), सीएंडपी (कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन), और एसएएस (उपकेन्द्र ऑटोमेशन सिस्टम) आदि शामिल हैं। विशिष्ट ज्ञान और क्षमताओं से युक्त एक विविध प्रतिभा पूल का निर्माण करके, पावरग्रिड परिचालन उत्कृष्टता की अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ करता है और अपने पारेषण अवसंरचनाओं की मजबूती और विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

नवाचार और निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अपने समर्पित भाव के साथ पावरग्रिड अपने कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और डाटा विज्ञान संबंधी अत्याधुनिक कौशल प्रदान करता। वर्ष के दौरान, कंपनी ने 50 कर्मचारियों को 15 महीने के पीजी डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने की सुविधा प्रदान की, जिससे उन्हें इन परिवर्तनकारी क्षेत्रों में व्यापक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्राप्त हुई। इस तरह की पहलों में निवेश करके, पावरग्रिड न केवल अपने कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान के आधार का उन्नयन करता है, बल्कि स्वयं को विद्युत पारेषण के क्षेत्र में तकनीकी उन्नति के मामले में सबसे अग्रणी रखता है।

ड्रोन पायलट प्रशिक्षण

पावरग्रिड के कर्मचारियों ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के तहत गुरुग्राम में स्थित एक स्वायत्त निकाय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस प्रशिक्षण पहल के परिणामस्वरूप, 108 कर्मचारियों ने ड्रोन पायलट लाइसेंस प्राप्त किए।

765 केवी पारेषण लाइन के लिए हॉटलाइन प्रशिक्षण

765 केवी लाइनों के हॉटलाइन रखरखाव के लिए "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण" कार्यक्रम। यह भारत का पहला कार्यक्रम है जिसमें 765 केवी हॉटलाइन रखरखाव में पावरग्रिड के विभिन्न क्षेत्रों के 26 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

इस प्रशिक्षण ने हमारे प्रशिक्षकों की टीम को आई एण्ड वी स्ट्रिंग्स पर हॉटलाइन संचालन को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उन्हें 765केवी हॉटलाइन संचालन के क्षेत्र में अन्य कर्मचारियों को सलाह देने और उनका विकास करने के लिए सशक्त बनाता है।

विपरीत परिस्थितियों में विजय हासिल करना

किशनपुर से न्यू वानपोह तक 400केवी पारेषण लाइन की बहाली हमारी टीम के असाधारण समर्पण और लचीलेपन का प्रमाण है। पीर पंजाल खंड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, हमारे प्रतिबद्ध कर्मचारी पारेषण प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कठिन इलाकों और खराब मौसम में भी डटे रहे। उनके प्रयासों में भारी बर्फबारी, बर्फानी तूफान और शून्य से नीचे के तापमान में कठिनाईपूर्वक पैदल पैट्रोलिंग और चढ़ाई करना शामिल थी। हाइपोथर्मिया और सीमित दृश्यता के जोखिम के बावजूद, हमारी टीम प्रभावी रूप से दोषों को दूर करने और लाइन को बहाल करने में कामयाब रही। यह परियोजना न केवल हमारे कार्यबल के तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करती है, बल्कि उनके समर्पण और समस्या–समाधान क्षमताओं को भी रेखांकित करती है, जो परिचालन उत्कृष्टता और विश्वसनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है।





सामाजिक और संबंध पूंजी

सामुदायिक संबंधों के माध्यम से स्थायी मूल्य सृजन और प्रतिबद्धता पूर्ति





पावरग्रिड में संधारणीय भविष्य के निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता हमारे परिचालन सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। हम अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रयासों के माध्यम से समाज पर वास्तविक और संधारणीय सकारात्मक प्रभाव डालने, समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी भलाई को बढ़ावा देने में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हमारा उद्देश्य केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और हमारे ग्रह की बेहतरी में सार्थक योगदान देने की इच्छा से प्रेरित है। लोगों, ग्रह और लाभ के मूल सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए हमारी नींव दृढ़ता से 3 मूल सिद्धांतों में निहित है। हम व्यक्तियों के कल्याण, हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य और हमारे कार्यों की दीर्घकालिक संधारणीयता को प्राथमिकता देने के महत्वपूर्ण महत्व को समझते हैं। इस सिद्धांत से निर्देशित होकर, हमने समुदायों के उत्थान और देश भर में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी विकास यात्रा शुरू की है।

सामाजिक हस्तक्षेपों की विविध श्रृंखला के माध्यम से, हमने अपने विकास यात्रा में समुदायों को सहजता से एकीकृत किया है। सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने के साथ–साथ सामुदायिक जुड़ाव के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता, संधारणीय परिवर्तन को प्रभावित करने के हमारे प्रयासों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि व्यवसायों का नैतिक दायित्व है कि वे वित्तीय उद्देश्यों से परे समाज के सुधार के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें। परिणामस्वरूप, हमने अपनी सीएसआर पहलों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और भारत सरकार द्वारा निर्धारित विकास संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर संरेखित किया है।

समग्र विकास पर ध्यान केन्द्रित करके, हमारा उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करना, समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य देखभाल पहल से लेकर शैक्षिक सहायता तक, पर्यावरण संरक्षण से लेकर कौशल विकास कार्यक्रमों तक, हमारे सीएसआर पहलों में लोगों के जीवन में सार्थक और ठोस परिवर्तन लाने के लिए कई विशेष क्षेत्रों को अपने साथ शामिल किया है।

संपूर्ण भारत में हमारा कारोबार फैला है और हमने वंचित आबादी, विशेष रूप से दूरदराज और हाशिए के क्षेत्रों के लिए सफलतापूर्वक कार्य किया

और उनके जीवन को बेहतर बना रहे हैं। हम अपने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं और समुदाय की शिकायतों के समाधान के लिए हमने उचित माध्यम निर्धारित किया है, और अब तक, हमारे किसी भी व्यवसाय परिचालन का समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, हमने अपने सात प्रमुख स्तंभों के अनुसरण में 124 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) परियोजनाओं के एक व्यापक पोर्टफोलियो को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इन पहलों को पूरा करने के लिए ₹330.48 करोड़ का कुल व्यय किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में सीएसआर खर्च में 2.74% की वृद्धि को दर्शाता है। यह पर्याप्त वृद्धि सामुदाय का अधिक कल्याण करने की हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

हमारे सीएसआर प्रयासों का सुदृढ़ प्रशासन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक विशेष सीएसआर समिति की स्थापना की है। प्रमुख हितधारकों, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (कार्मिक) और विभिन्न स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, को साथ लाकर गठित यह समिति हमारी सीएसआर रणनीति का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान, हमने कई सीएसआर बैठकें आयोजित कीं, जिनमें परियोजना कार्यान्वयन की गहन जांच और निगरानी की गई।

सीएसआर के सात स्तंभ



वित्त वर्ष 23–24 के दौरान व्यय की गई कुल राशि ₹330.48 करोड़	कुल सीएसआर लक्ष्य ₹342.69 करोड़ (पिछले तीन वर्षों के पीबीटी का 2%)	पिछले तीन वर्षों के अतिरिक्त व्यय से ₹30.45 करोड़ की सेट ऑफ राशि	वित्त वर्ष 23–24 के दौरान व्यय की जाने वाली शुद्ध सीएसआर राशि ₹312.24 करोड़	124 पूरी की गई सीएसआर परियोजनाएँ	165 स्वीकृत सीएसआर परियोजनाएँ

स्वास्थ्य सेवा

सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) को ध्यान में रखते हुए, जो समावेशी, न्यायसंगत और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है, पावरग्रिड स्थानीय समुदायों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में सुधार करने के प्रति दृढ़ है। हमारा ध्यान लोगों को उनकी स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को सक्रिय रूप से पूरा करने और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवा पहलों को अपनाने के लिए सशक्त बनाने पर केन्द्रित है।

पावरग्रिड का विश्राम सदन

पूरे भारत में, अधिकांश तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ महानगरों या राजधानी शहरों में स्थित हैं। दूर से यात्रा करने वाले आर्थिक रूप से वंचित या मध्यम आय वाले रोगियों के लिए, अपने परिजनों के लिए आवास की व्यवस्था करना अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है, जिससे उनके संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है। भारत के प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में व्याप्त इस समस्या को देखते हुए, पावरग्रिड ने विभिन्न स्थानों पर विश्राम सदन का निर्माण और अनुमोदन किया है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

1. एम्स, नई दिल्ली*
2. केजीएमयू, लखनऊ*
3. आईजीआईएमएस, पटना, बिहार*
4. डीएमसीएच, दरभंगा, बिहार*
5. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, असम*
6. एसएसजी अस्पताल, वडोदरा, गुजरात*



7. निमहंस, बेंगलुरु, कर्नाटक*

8. रिम्स, रांची, झारखंड *

9. एमकेसीजी, बरहामपुर, ओडिशा**

10. महारानी लक्ष्मीबाई (एमएलबी) मेडिकल कॉलेज, झांसी, यूपी**

11. सब डिविजनल अस्पताल, अरेराज, बिहार**

12. सर सुंदर लाल अस्पताल, बीएचयू, वाराणसी, यूपी**

13. एमपीटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिद्धार्थ नगर, यूपी**

14. एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश**

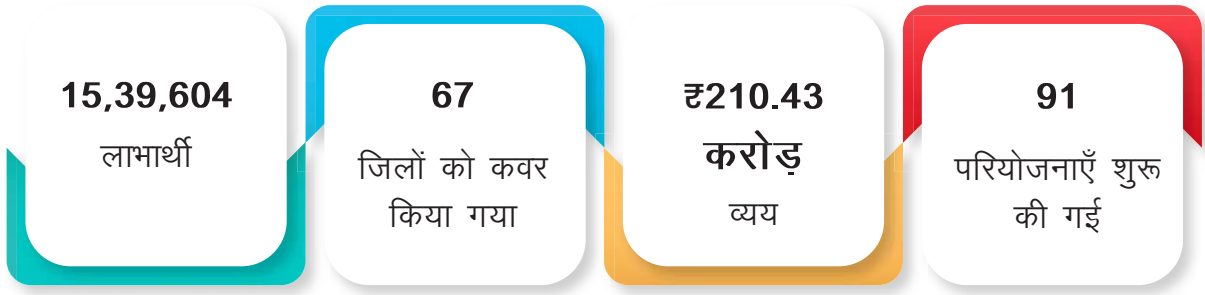
15. एम्स, गोरखपुर, यूपी**

(*कार्यशील; ** निर्माणाधीन)



नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निमहंस), बैंगलोर में पावरग्रिड ''विश्राम सदन'' को तत्कालीन माननीय एमओपी और एमएनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह द्वारा डॉ. मनसुख एल मांडविया, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की आभासी उपस्थिति में ₹23.00 करोड़ की परियोजना लागत पर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। निमहंस, बैंगलोर देश में विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान में एक अग्रणी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केंद्र है। निमहंस में समाज के कम सुविधा प्राप्त वर्गों के रोगी मुख्य रूप से इलाज कराते हैं।

सर सयाजीराव जनरल अस्पताल, वडोदरा में पावरग्रिड ''विश्राम सदन'' को विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्कालीन मंत्री माननीय श्री आर.के. सिंह द्वारा श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट माननीय सांसद, वडोदरा की उपस्थिति में ₹15.00 करोड़ की परियोजना लागत से राष्ट्र को समर्पित किया गया था। सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल, वडोदरा (गुजरात सरकार के स्वामित्व वाला और उसके द्वारा शासित एक सरकारी अस्पताल) गुजरात राज्य का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। इसकी स्थापना गुजरात और पड़ोसी राज्यों की गरीब आबादी और हाशिए पर पड़े वर्गों को सबसे किफायती सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधाएं और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।



पावरग्रिड का यह पहल केवल आवास के प्रावधान तक सीमित नहीं है। इस संगठन ने सरकारी अस्पतालों को चिकित्सा आपूर्ति और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई है, दिव्यांगजनों के लिए सहायता और उपकरणों के वितरण की सुविधा प्रदान की है और देश भर में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया है। आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएलआईएमसीओ) के सहयोग से पावरग्रिड ने देश भर में दिव्यांगजनों को मोटरयुक्त तिपहियावाहन, तिपहिया व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल किट, बैसाखी, कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र जैसे कई निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए हैं।

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाएँ

- माननीय सांसद श्री जे.पी. नड्डा ने ₹26.75 करोड़ की लागत से एम्स, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) में ''विश्राम सदन'' की आधारशिला रखी तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, तत्कालीन माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में अस्पताल को 128 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन और 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन सौंपी। एम्स अस्पताल, बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के मरीजों का इलाज किया जाएगा, जिसमें राज्य के दूरदराज और दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल में प्रतिदिन 700–1000 मरीजों का इलाज होगा, जिनमें से लगभग 30–50 मरीजों को सीटी/एमआरआई स्कैन की आवश्यकता होती है।
- ₹18.50 करोड़ की परियोजना लागत पर रोबोट द्वारा शल्य चिकित्सा के लिए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल प्रणाली की स्थापना में ईएसआईसी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, फरीदाबाद को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ईएसआईसी फैक्ट्री के श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा देती है जहां कर्मचारी को भारी वस्तुओं से चोट लगने और ऊंचाई से गिरने का खतरा अधिक होता हैं। यह एक सुपर स्पेशियलिटी तृतीयक स्तर का देखभाल अस्पताल है। रोबोटिक सर्जिकल उत्कृष्टता केन्द्र का निर्माण ईएसआई के लाभार्थियों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा जो मुख्य रूप से समाज के वंचित श्रमिक वर्ग से हैं।
- माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार, श्री नितिन गडकरी और पावरग्रिड और महाराष्ट्र राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा अस्पताल, नागपुर में लगभग ₹1.00 करोड़ की परियोजना लागत से एक प्रतीक्षालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस सुविधा से अस्पताल में भर्ती होने वाले हजारों मरीजों के परिजनों को मदद मिलेगी।
- लगभग ₹13.50 करोड़ की परियोजना लागत से एसीटीआरईसी, टीएमसी महाराष्ट्र में पावरग्रिड मॉड्यूलर ओटी परिसर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सुइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। पावरग्रिड मॉड्यूलर ओटी परिसर में आईआर ओटी की स्थापना भारत में कैंसर देखभाल हेतु अपनी तरह की पहली सुविधा होगी। इस सुविधा से प्रतिदिन लगभग 12–15 मरीजों को उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सालाना 3000 से अधिक मरीजों को लाभ मिलेगा, जिससे प्रतीक्षा सूची में उल्लेखनीय कमी आएगी और समाज के वंचित वर्ग के अधिक मरीजों का इलाज करने में मदद मिलेगी।
- गुजरात सरकार की चिकित्सा सेवाओं की उप निदेशक डॉ. तृप्ति देसाई, सीईओ (गुजरात सीएसआर प्राधिकरण) श्री. पंकज कुमार कामलिया की उपस्थिति में ₹5.92 करोड़ की लागत पर 'एनआईसीयू ऑन व्हील्य' (नवजात गहन देखभाल इकाई) का शुभारंभ किया गया। नवजात गहन देखभाल इकाई (एनआईसीयू) नवजात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करती है और गुजरात में नवजात मृत्यु दर को कम करती है।

ग्रामीण विकास

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति देश के समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग गांवों में रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता और संधारणीयता हासिल करने के लिए इन क्षेत्रों की स्थितियों को बेहतर बनाना आवश्यक है। पावरग्रिड ने इस महत्व को पहचानते हुए गांवों में आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए विभिन्न उपाए किए हैं।

एक उल्लेखनीय पहल यह थी कि स्मार्ट खेती की प्रथा को बढ़ावा देने के लिए अर्ध–शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) के साथ साझेदारी की गई है। इस साझेदारी के माध्यम से, पावरग्रिड ने निर्दिष्ट गांवों में आदिवासी किसानों के बीच कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन तकनीकों की शुरुआत की है। ये तकनीकें कृषि उपज बढ़ाती हैं और आजीविका में सुधार लाने के लिए वाटरशेड और फसल प्रबंधन रणनीतियों का उपयोग करती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पोषक–उद्यानों की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए, जिससे न केवल आदिवासी परिवारों को जीविका का अवसर मिला, बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता भी बढ़ी और वे अधिक पोषण का सेवन कर सके।

इन पहलों के अलावा, पावरग्रिड ने सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ, स्कूली शौचालय, छोटे और सीमांत किसानों के लिए आजीविका सहायता और ग्रामीण स्कूलों के जीर्णोद्धार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई अन्य परियोजनाएँ शुरू की हैं। ये प्रयास दर्शाते हैं कि पावरग्रिड देश भर में ग्रामीण और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है ।

1,21,96,802
लाभार्थी

33
जिलों को कवर किया गया

₹22.72
करोड़
व्यय

46
परियोजनाएँ शुरू की गई

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख ग्रामीण विकास परियोजनाएँ

- ₹19.29 करोड़ की परियोजना लागत पर श्री बद्रीनाथ धाम शहर को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। प्रस्तावित परियोजना में बद्रीनाथ को आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए उत्तराखंड सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। विकास कार्य के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल लगभग 85 हेक्टेयर है। अनुमान है कि 2025 तक यहां आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या 15.6 लाख होगी।



- ₹3.00 करोड़ की परियोजना लागत से बीटीएडी, असम के उदलगुरी में भेरगांव में ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण। इस ऑडिटोरियम हॉल में बड़ी जनसभाएं, जन जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र में तीरंदाजी का खेल काफी प्रचलित है, इसलिए ऑडिटोरियम परिसर में तीरंदाजी प्रशिक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। ऑडिटोरियम हॉल परिसर आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होगा।
- कोटा (राजस्थान) में ₹7.65 करोड़ की परियोजना लागत से विभिन्न सामुदायिक केंद्रों के निर्माण और सरकारी स्कूलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ–साथ समग्र विकास के लिए पर्याप्त संख्या में कक्षाएं, खेल का मैदान, सीमा दीवार जैसी बुनियादी संरचनाएँ आवश्यक हैं।
- ग्रामीणों को समूह गतिविधियों, सामाजिक समर्थन देने, सार्वजनिक सूचना, सरकारी योजनाओं की जानकारी और अन्य कार्यक्रमों के लिए इकट्ठा होने में सामुदायिक हॉल मदद करते हैं। इन सभी से उत्पादक के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को उन्नत करने में मदद मिलती है।
- श्री आर.के. सिंह, तत्कालीन माननीय केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार ने ₹6.48 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर आरा, भोजपुर (बिहार) में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यों की आधारशिला रखी।



- तत्कालीन माननीय केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में भोजपुर के आरा में पुलिस लाइन को चार (4) हाई मास्ट लाइट सौंपा गया, जिसकी परियोजना लागत ₹0.27 करोड़ है।
- ₹3.88 करोड़ के परियोजना लागत पर आरा, भोजपुर (बिहार) में सांस्कृतिक भवन की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। चूंकि भोजपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय आरा है, इसलिए यह परियोजना सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के लिए स्थान उपलब्ध कराकर भोजपुर के संपूर्ण सामुदायिक विकास में योगदान देगी तथा पड़ोस या समुदाय में नया जीवन एवं ऊर्जा लाएगी। इस परियोजना से भोजपुर जिले में रहने वाले लगभग ₹27 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
- डीसी, एसपी, बक्सा की गरिमामयी उपस्थिति में बरबारी पुलिस रिजर्व में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य, जिसकी परियोजना लागत ₹1. 96 करोड़ है।
- प्रस्तावित ऑडिटोरियम हॉल 100% ग्रामीण आबादी वाले 20 से अधिक गांवों के लिए लाभकारी होगा।

महिला सशक्तिकरण

परिवार, समुदाय और राष्ट्र के भीतर व्यापक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के प्रति हमारा अटूट समर्पण आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और महिलाओं को ऐसे विकल्प चुनने की स्वायत्तता प्रदान करता है जो उनके जीवन को सकारात्मक रूप से आकार दे सकें।

अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हमने महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन पहलों में सैनिटरी नैपकिन के उत्पादन और सिलाई में व्यापक प्रशिक्षण सत्र शामिल हैं। आवश्यक सिलाई कौशल प्रदान करने के अलावा, ये कार्यक्रम आर्थिक स्थिरता में योगदान देते हैं और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता की क्षमताओं का पोषण करते हैं। व्यापक पहुँच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न स्थानों पर रणनीतिक रूप से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।



पावरग्रिड ने हरियाणा के नूंह जिले में कार्यशील एक महिला छात्रावास की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह प्रतिष्ठान युवा महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और लागत प्रभावी आवास विकल्प प्रदान करता है, उनकी आवास संबंधी समस्या को दूर करता है जिससे वे अपने पेशे के लिए प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। व्यक्तिगत और करियर विकास के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराकर, हम महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं।

16,075
लाभार्थी

4
जिलों को कवर किया गया

₹0.10 करोड़
व्यय

4
परियोजनाएँ शुरू की गई

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख महिला सशक्तिकरण परियोजनाएँ

- पावरग्रिड, भिवाड़ी (राजस्थान) के पास शीतल गाँव में ₹0.02 करोड़ की परियोजना लागत से कौशल विकास (सिलाई कौशल) के लिए सिलाई मशीनों का प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध कराना।
- संबलपुर जिले (ओडिशा) के रायराखोल ब्लॉक के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों को ₹0.04 करोड़ की परियोजना लागत से 65 सिलाई मशीनों का वितरण। ये सिलाई मशीनें एसएचजी सदस्यों की महिला सदस्यों और साथ ही उनके परिवार के सशक्तिकरण में मदद करेंगी क्योंकि अधिकांश एसएचजी सदस्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के होते हैं। इससे लगभग 25 अ.जा./अ.ज.जा परिवार लाभान्वित होंगे।
- अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग में आईएमसीएलएस जीआई जोह एसएचजी द्वारा दो शाफ्ट हैंडलूम बुनकर प्रशिक्षण चलाया गया, जिसकी परियोजना लागत ₹0.04 करोड़ थी। इस प्रशिक्षण से निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। (क) जिले के नागरिकों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करना। (ख) जिले के वस्त्र और हस्तशिल्प के क्षेत्र में कुशल कार्यबल विकसित होगा।

कौशल विकास

पावरग्रिड समुदाय के सशक्तिकरण और युवा विकास के अपने समर्पण के प्रति दृढ़ है, जिसका लक्ष्य उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक व्यापक श्रृंखला के माध्यम से, हम विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली आबादी की आर्थिक प्रगति को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करते हैं।

प्रशिक्षण संबंधी ये प्रयास राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एमएसडीसी), राष्ट्रीय निर्माण अकादमी (एनएसी), और केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से संभव हो सके हैं।



इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर प्लास्टिक इंजीनियरिंग, ऑटो रिपेयर और एलएमवी ड्राइविंग तक, ये कार्यक्रम विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हुए विविध कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।

आर्थिक रूप से वंचित समुदायों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन अवसरों का विस्तार करके, हम व्यक्तियों को अमूल्य कौशल से लैस करने का प्रयास करते हैं जो उनकी रोजगार क्षमता और आर्थिक दृष्टिकोण को मजबूत करते हैं।

सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, पावरग्रिड ने सतना में पावरग्रिड स्टेडियम के निर्माण का कार्य शुरु किया है। खेल कार्यकलापों में समुदाय की गहरी रुचि है यह समझते हुए, हमने इस सुविधा के निधियन और स्थापना के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ सहयोग स्थापित किया है। खेल और फिटनेस कार्यकलापों के लिए एक समर्पित स्थल प्रदान करके, हमारा उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है जिससे पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

8,539
लाभार्थी

भारत के सभी जिलों को कवर किया गया

₹20.50 करोड़
व्यय

6
परियोजनाएँ शुरू की गई

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख कौशल विकास परियोजनाएँ

विकास और प्रगति की इस यात्रा में, कौशल भारत अभियान एक अन्य पहल है जो भारत के कायाकल्प में सफलतापूर्वक योगदान दे रही है। पावरग्रिड ने ₹10.18 करोड़ की परियोजना लागत पर भारत भर में 50 स्थानों पर विद्युत क्षेत्र और संबंधित क्षेत्रों में 6000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है।

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

पर्यावरणीय संधारणीयता के एक चैंपियन के रूप में, पावरग्रिड हमारे ग्रह को पोषित करने और व्यापार वृद्धि को सुविधाजनक बनाने दोनों के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानता है।

वनीकरण पहल

पर्यावरण संरक्षण और प्रभावी जलवायु परिवर्तन प्रबंधन की दिशा में सक्रिय कदम उठाते हुए, पावरग्रिड ने लगातार वनीकरण पहल क्रियान्वित किया है। इन प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से (निर्दिष्ट क्षेत्रों में), जहाँ कंपनी ने कई हरित स्थानों को सफलतापूर्वक सृजित और पोषित किया है।

सौर प्रकाश की संस्थापना के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना

अक्षय ऊर्जा समाधानों का अधिक से अधिक उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, पावरग्रिड ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सौर प्रकाश व्यवस्था संस्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। ये पहल न केवल हरित ऊर्जा को अपनाने के प्रति हमारे समर्पण को उजागर करती हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में हमारी भूमिका पर भी बल देती है।



1,58,43,684
लाभार्थी

14
जिलों को कवर किया गया

₹2.72 करोड़
व्यय

16
परियोजनाएँ शुरू की गई

- विजयवाड़ा नगर निगम में स्वचालित पीईटी बोतल फ्लेकिंग और रिवर्स वेंडिंग मशीन की स्थापना, जिसकी लागत ₹0.81 करोड़ है।
- यह सीएसआर पहल पर्यावरण संरक्षण और आसपास के वातावरण को साफ रखने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक सामग्री के पुनर्चक्रण से जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम किया जा सकता है और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संग्रहीत रखा जा सकता है।

एलिएजर जोल्डन मेमोरियल (ईजेएम) कॉलेज, लेह में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 60 बैटरियों की स्थापना, जिसकी परियोजना लागत ₹0.13 करोड़ है। इससे कॉलेज में पूरे दिन बिजली की आपूर्ति में मदद मिलेगी और छात्रों की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। इससे कॉलेज में रक्षा और सुरक्षा तथा पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत भी सुनिश्चित होगा।

- दक्षिण सिक्किम के टेमीनाम्फिंग निर्वाचन क्षेत्र के 11–नाम्फिंग जीपीयू के अंतर्गत छलमथांग गाँव में कूड़ेदान की स्थापना और ठोस कचरे का उचित प्रबंधन, जिसकी परियोजना लागत ₹0.04 करोड़ है।
- उक्त कूड़ेदानों की स्थापना स्थानीय समुदायों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगी, जिससे स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
- राज्य में मौजूद विभिन्न पर्यटक आकर्षणों को देखने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक नियमित रूप से राज्य का दौरा करते हैं। इसलिए स्थानीय और अन्य समुदायों में प्लास्टिक और गैर–प्लास्टिक कचरे के उचित निपटान को बढ़ावा देने के लिए डस्टबिन की स्थापना बहुत फायदेमंद होगी।

पेयजल और स्वच्छता

स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और संधारणीय समुदायों के विकास को बढ़ावा देने की आधारशिला हैं। ये महत्वपूर्ण संसाधन न केवल समग्र कल्याण को रेखांकित करते हैं, बल्कि आजीविका का समर्थन करने, स्कूल में लगातार उपस्थिती बढ़ाने और पर्यावरणीय चुनौतियों के खिलाफ सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

खुले में शौच से जुड़े जोखिमों के समाधान के लिए, विशेष रूप से दस्त जैसी गंभीर बीमारियों के प्रति संवेदनशील बच्चों जैसे कमजोर समूहों के बीच, शौचालय ब्लॉक बनाने जैसी पहल चलाने की आवश्यक हैं। स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहलों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए पावरग्रिड ने विशिष्ट क्षेत्रों में शौचालय ब्लॉक बनाने की शुरुआत की है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।



अवसंरचना विकास के अतिरिक्त, हमारे प्रयासों में स्वच्छता पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यकलापों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जिसमें सफाई प्रदर्शन, वीडियो प्रसारण, नुक्कड़ नाटक और रैलियां शामिल हैं, पावरग्रिड का उद्देश्य समुदायों के भीतर स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ–सफाई की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। कंपनी ने मशीनीकृत सड़क स्वच्छता के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में नगर निगमों को वैक्यूम क्लीनिंग ट्रक भी उपलब्ध कराए हैं।

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के महत्वपूर्ण महत्व को पहचानते हुए, पावरग्रिड ने विभिन्न जिलों में हैंडपंप लगाने और लक्षित क्षेत्रों में पेयजल निस्पंदन प्रणाली लागू करने के लिए परियोजनाएँ शुरू की हैं। स्वच्छ जल संसाधनों तक पहुँच को सुगम बनाकर, हम सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण के एक महत्वपूर्ण पहलू का समाधान करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम जिन समुदायों की सेवा करते हैं उनके समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।

1,82,25,120
लाभार्थी

21
जिलों को कवर किया गया

₹32.03 करोड़
व्यय

26
परियोजनाएँ शुरू की गई

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख पेयजल और स्वच्छता परियोजनाएँ

- 0.10 करोड़ की लागत से अराहल्ली गाँव में पेयजल शोधन संयंत्र (1000एलपीएच) की स्थापना।
- आरओ संयंत्र 1541 की आबादी वाले अराहल्ली के स्थानीय गाँव के लिए उपयोगी होगा, जिनमें से अधिकांश लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होगा।
- ₹0.27 करोड़ की लागत से सरकारी डिग्री कॉलेज, कारगिल के लिए पानी का टैंकर उपलब्ध कराना।
- कारगिल एक सुदूर स्थान है और यहां शैक्षणिक सुविधाएँ बहुत विकसित नहीं हैं। कारगिल की अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजाति है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सबसे बड़े कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, कारगिल में विभिन्न स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों में 3000 से अधिक छात्र नामांकित हैं। दैनिक उपयोग के लिए स्थायी जल आपूर्ति कॉलेज की प्रमुख चिंता का विषय है। इससे सरकारी डिग्री कॉलेज, कारगिल के लगभग 3000 छात्र और 77 शिक्षक तथा सहायक कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- ₹1.42 करोड़ की परियोजना लागत पर सांबा जिले के लिए ट्रक माउंटेड वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन, बैलिस्टिक सॉलिड वेस्ट म्यूनिसिपल सेपरेटर और जेसीबी लोडर प्रदान किया गया।

इस प्रयास से बारी ब्राह्मण जम्मू के अंतर्गत आने वाली सांबा की पूरी आबादी को लाभ होगा, यानी लगभग 3.2 लाख लोग (अ.जा–5.5% और अ.ज.जा.–28.8%) लाभांवित होगी। इस पहल के परिणामस्वरूप समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का उत्थान होगा क्योंकि इससे आम लोगों को भी सांस लेने लायक अच्छी हवा मिल सकेगी।



- महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम को ₹1.21 करोड़ की लागत से ट्रक माउंटेड वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। 4,71,312 की कुल आबादी वाले मालेगांव नगर निगम को वैक्यूम आधारित डीजल ट्रक माउंटेड स्वीपिंग मशीन रोड स्वीपर की आपूर्ति और डिलीवरी से लाभ होगा। इससे मालेगांव के नगरपालिका क्षेत्रों की सड़कों पर सफाई सुनिश्चित होगी।

गांधीनगर नगर निगम (जीएमसी), गांधीनगर, गुजरात के लिए ₹1.99 करोड़ की लागत से वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी गई।

गांधीनगर के आसपास सड़कें लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हैं और जीएमसी के लिए मैन्युअल रूप से उनकी सफाई करना एक बहुत बड़ा काम है तथा मैन्युअल सफाई से वायु प्रदूषण भी होता है। लगभग 6 घनमीटर क्षमता वाली वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन सड़कों, रास्तों की सफाई के लिए अधिक दक्षता, गति और सुविधा के साथ उपयोगी साबित होगी। इस मशीन से वायु प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।

शिक्षा

पावरग्रिड का मानना है कि खासकर वंचितों और कमजोर लोगों के लिए शिक्षा सम्मान के साथ जीवन जीने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

6,94,29,295
लाभार्थी

45
जिलों को कवर किया गया

₹24.81 करोड़
व्यय

62
परियोजनाएँ शुरू की गई

वित्त वर्ष 23-24 में शुरू की गई प्रमुख शिक्षा संबंधी परियोजनाएँ

- असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के 1911 हिंसा प्रभावित बच्चों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन (एनएफसीएच) को ₹3.02 करोड़ की परियोजना लागत पर वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। एनएफसीएच देश में 0–25 वर्ष की आयु के लगभग 1911 हिंसा प्रभावित अनाथ/बेसहारा बच्चों की सहायता कर रहा है, ताकि वे अपनी स्कूली शिक्षा पूरा कर सकें और परिवार के सम्मुख आई विपदा से गुजरने के बाद उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके।

- सरकारी स्कूलों को 5000 बेंच और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 200 किट की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया गया, जिसकी परियोजना लागत ₹2.27 करोड़ है। 106 स्कूलों में समाज के लगभग हर वर्ग के 15000 छात्र और आंगनवाड़ी केंद्रों के लगभग 3000 बच्चे इससे लाभान्वित होंगे।

- असम इंजीनियरिंग संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भवन के लिए उपकरण और मशीनरी, फर्नीचर और ऑडियो–विजुअल सहायक उपकरण की स्थापना की गई, जिसकी परियोजना लागत ₹1.20 करोड़ है। यह क्षेत्र युवा तकनीकी पेशेवरों को विकसित करने में बहुत योगदान दे रहा है। संस्थान में एक कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है जो संस्थान को इस क्षेत्र में और अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा।

- तमिलनाडु राज्य में 08 सरकारी दृष्टिहीन विद्यालयों के लिए 80 एनी डिवाइस खरीदने के लिए सहायता प्रदान किया गया, जिसकी परियोजना लागत ₹0.74 करोड़ है। 08 सरकारी दृष्टिहीन विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 454 दिव्यांग छात्र इस एनी डिवाइस से लाभान्वित होंगे।



- बीकानेर जिले में आंगनवाड़ी के छात्रों के लिए वीडियो कक्षाओं की सुविधा के लिए ₹1.85 करोड़ की परियोजना लागत से 500 स्मार्ट टेलीविजन उपलब्ध कराया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, बच्चों में रटने के दबाव को दूर करना एक अंतर्निहित आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, ऑडियो–विजुअल सुविधाएं जैसे समाधान हैं जिनकी मदद से हम वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के साथ पाठ्यक्रमों को जीवंत बना सकते हैं। यह छात्रों को शिक्षकों के साथ सीखने में सहायता देते हैं।



जीआरआई सूचकांक

प्रकटिकरण	प्रकटीकरण का शीर्षक	रिपोर्टिंग खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या
जीआरआई 2: सामान्य प्रकटीकरण			
2-1	संगठनात्मक विवरण	कॉर्पोरेट सूचना	5
2-2	संगठन की संधारणीयता रिपोर्टिंग में शामिल संस्थाएँ	रिपोर्ट के बारे में	7
2-3	रिपोर्टिंग अवधि, आवृत्ति और संपर्क बिंदु	रिपोर्ट के बारे में	6
2-5	बाह्य आश्वासन	रिपोर्ट के बारे में	7
2-6	कार्यकलाप, मूल्य श्रृंखला और अन्य व्यावसायिक संबंध	मूल्य सृजन का इतिहास, मूल्य सृजन मॉडल; व्यवसाय पोर्टफोलियो	32-35
2-7	कर्मचारी	मानव पूंजी; बीआरएसआर	110, 230
2-8	कार्यकर्ता जो कर्मचारी नहीं हैं	मानव पूंजी; बीआरएसआर	110, 230
2-9	शासन संरचना और संघटन	पावरग्रिड का निदेशक मंडल	59-61
2-10	सर्वोच्च शासन निकाय का नामांकन और चयन	निदेशक मंडल का नामांकन और चयन	62
2-11	सर्वोच्च शासन निकाय का अध्यक्ष	निदेशक मंडल का नामांकन और चयन	62
2-12	प्रभावों के प्रबंधन की देखरेख में सर्वोच्च शासन निकाय की भूमिका	बोर्ड समितियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, ईआरएम नीति और रूपरेखा, व्यवसाय निरंतरता और परिवर्तन प्रबंधन	62, 64, 65, 284-288
2-13	प्रभावों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी का प्रत्यायोजन	बोर्ड समितियों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, ईआरएम नीति और रूपरेखा, शासन और संरचना, व्यवसाय निरंतरता और परिवर्तन प्रबंधन	62, 64, 65, 284-288
2-14	संधारणीयत रिपोर्टिंग में सर्वोच्च शासन निकाय की भूमिका	ईएसजी शासन	45
2-15	हितों का टकराव	हितों के टकराव से बचना	64
2-16	गंभीर धारणाओं का संचार	हितधारक जुड़ाव	52-55
2-17	सर्वोच्च शासन निकाय का सामूहिक ज्ञान	पावरग्रिड के निदेशक मंडल, बोर्ड के विशेषज्ञ	58-61, 282
2-18	सर्वोच्च शासन निकाय के निष्पादन का मूल्यांकन	निदेशक मंडल का नामांकन और चयन	62, 287
2-19	पारिश्रमिक नीतियाँ	बोर्ड स्तरीय समितियाँ भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, अन्य शासन नीतियाँ	62, 64, 284-288
2-20	पारिश्रमिक निर्धारित करने की प्रक्रिया	बोर्ड स्तरीय समितियाँ भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ, अन्य शासन नीतियाँ	62, 64, 287, 289
2-22	संधारणीय विकास रणनीति का विवरण	शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र; बीआरएसआर	12-15, 241
2-23	नीति प्रतिबद्धताएँ	शासन ढाँचा, बीआरएसआर	63-65, 240
2-24	नीति प्रतिबद्धताओं को शामिल करना	शासन ढाँचा, अन्य शासन नीतियाँ; बीआरएसआर	63-65, 240
2-25	नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की प्रक्रियाएँ	ईआरएम नीति और ढाँचा, हितधारक नियोजन; बीआरएसआर	63, 64, 52-55, 255
2-26	सलाह मांगने और विचार व्यक्त करने के लिए तंत्र	ईआरएम नीति और ढाँचा, हितधारक नियोजन; बीआरएसआर	63, 64, 52-55, 255
2-27	कानून और विनियमों का अनुपालन	रिपोर्टिंग सिद्धांत, बीआरएसआर	6
2-28	सदस्यता संघ	बीआरएसआर	266, 267
2-29	हितधारक जोड़ने के लिए दृष्टिकोण	हितधारक नियोजन; बीआरएसआर	52-55, 255
2-30	सामूहिक मोलभाव करार	मानवाधिकार	110, 111

प्रकटिकरण	प्रकटीकरण का शीर्षक	रिपोर्टिंग खंड / स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या
जीआरआई 3: सामग्री विषय			
3-1	सामग्री विषयों को निर्धारित करने की प्रक्रिया	भौतिकत्व मूल्यांकनः दृष्टिकोण	56
3-2	सामग्री विषयों की सूची	भौतिकत्व विषय	57
3-3	सामग्री विषयों का प्रबंधन	भौतिकत्व मूल्यांकनः दृष्टिकोण	56, 57
जीआरआई 201: आर्थिक निष्पादन			
201-1	प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सृजन और वितरण	वित्तीय निष्पादन	71
201-3	निर्धारित लाभ योजना दायित्व, कोई भी अन्य सेवानिवृत्ति योजना	आर्थिक कल्याण, बीआरएसआर	115, 249, 250
जीआरआई 202: बाजार उपस्थिति			
202-1	जेंडर के अनुसार मानक प्रवेश स्तर वेतन अनुपात	विविधता, समानता और समावेशन; आर्थिक कल्याण, बीआरएसआर	112, 115, 256
जीआरआई 203: अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव			
203-1	अवसंरचना निवेश और समर्थित सेवाएँ	वित्तीय निष्पादन	72
203-2	महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव	सामाजिक एवं संबंध पूंजी	121-132
जीआरआई 204: खरीद कार्यप्रणाली			
204-1	स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं पर व्यय का अनुपात	जिम्मेदार स्रोत	83
जीआरआई 205: भ्रष्टाचार विरोधी			
205-1	भ्रष्टाचार के जोखिम के संबंध में संचालन का मूल्यांकन	रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली; बीआरएसआर	64, 244
205-2	भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित संचार और प्रशिक्षण	रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली	64
205-3	भ्रष्टाचार की पुष्ट घटनाएँ एवं की गई कार्रवाई	रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली, बीआरएसआर	64, 244
जीआरआई 206: प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार			
206-1	प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार, विश्वासघात और एकाधिकार प्रथाओं के लिए कानूनी कार्रवाई	नैतिकता और आचार संहिता, बीआरएसआर	63, 267
जीआरआई 301: सामग्री			
301-1	वजन या आयतन के हिसाब से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री	जिम्मेदार सामग्री उपभोग	102
301-3	पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री	प्लास्टिक अपशिष्ट	103
जीआरआई 302: ऊर्जा			
302-1	संगठन में ऊर्जा खपत	जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन, बीआरएसआर	98, 258
302-2	संगठन के बाहर ऊर्जा की खपत	जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन	98
302-3	ऊर्जा तीव्रता	बीआरएसआर	258
302-4	ऊर्जा खपत में कमी	जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन	98
302-5	उत्पादों और सेवाओं की ऊर्जा आवश्यकताओं में कमी	जिम्मेदार ऊर्जा प्रबंधन	98
जीआरआई 303: जल			
303-1	स्रोत द्वारा जल निकासी	जल प्रबंधन, बीआरएसआर	101, 102, 259, 260
303-2	जल स्रोत जो जल निकासी से काफी प्रभावित हैं	जल प्रबंधन	101, 102

प्रकटिकरण	प्रकटीकरण का शीर्षक	रिपोर्टिंग खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या
303-3	पुनर्चक्रित और पुनः उपयोग किया गया जल	जल प्रबंधन	101, 102
303-4	जल निस्सरण	जल प्रबंधन, बीआरएसआर	101, 102, 259, 260
303-5	जल की खपत	जल प्रबंधन, बीआरएसआर	101, 102, 259, 260
जीआरआई 304: जैव विविधता			
304-1	संरक्षित क्षेत्रों या संरक्षित क्षेत्रों के बाहर उच्च जैव विविधता मूल्य वाले क्षेत्रों में स्वामित्व वाली, पट्टे पर दी गई, प्रबंधित या निकटवर्ती परिचालन स्थलें	जैव प्रबंधन, बीआरएसआर	104, 105, 263-265
304-2	जैव विविधता पर कार्यकलाप, उत्पादों और सेवाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव	जैव प्रबंधन	104, 105
304-3	पर्यावास संरक्षित या पुनर्स्थापित	जैव प्रबंधन	104, 105
304-4	आईयूसीएन रेड लिस्ट प्रजातियाँ और राष्ट्रीय संरक्षण सूची प्रजातियाँ जिनके पर्यावास परिचालन से प्रभावित क्षेत्रों में हैं	जैव प्रबंधन	104, 105
जीआरआई 305: उत्सर्जन			
305-1	प्रत्यक्ष (क्षेत्र 1) जी.एच.जी. उत्सर्जन	उत्सर्जन निम्नीकरण और प्रबंधन	99, 100, 261
305-2	अप्रत्यक्ष ऊर्जा (क्षेत्र 2) जी.एच.जी. उत्सर्जन	उत्सर्जन निम्नीकरण और प्रबंधन	99, 100, 261
305-4	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता	बीआरएसआर	261
305-5	जीएचजी उत्सर्जन में कमी	उत्सर्जन निम्नीकरण और प्रबंधन	99, 100
305-6	ओजोन–क्षयकारी पदार्थों (ओडीएस) का उत्सर्जन	बीआरएसआर	260
305-7	नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स), सल्फर ऑक्साइड (एसओएक्स) और अन्य महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन	बीआरएसआर	260
जीआरआई 306: उत्प्रवाह और अपशिष्ट			
306-1	अपशिष्ट उत्पादन और महत्वपूर्ण अपशिष्ट संबंधी प्रभाव	अपशिष्ट प्रबंधन, बीआरएसआर	102, 262, 263
306-2	महत्वपूर्ण अपशिष्ट संबंधी प्रभावों का प्रबंधन	अपशिष्ट प्रबंधन, बीआरएसआर	102, 262, 263
306-3	सृजित अपशिष्ट	अपशिष्ट प्रबंधन, बीआरएसआर	102, 262, 263
306-4	निपटान से हटाया गया अपशिष्ट	अपशिष्ट प्रबंधन, बीआरएसआर	102, 262, 263
306-5	अपशिष्ट निपटान हेतु निर्देशित	अपशिष्ट प्रबंधन, बीआरएसआर	102, 262, 263
जीआरआई 308: आपूर्तिकर्ता पर्यावरण मूल्यांकन			
308-1	पर्यावरण मानदंडों का उपयोग करके जांचे गए नए आपूर्तिकर्ता	जिम्मेदार सोर्सिंग	83
जीआरआई 401: रोजगार			
401-1	नए कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों का कारोबार	प्रतिभा आकर्षण और प्रतिधारण; बीआरएसआर	114, 231
401-2	पूर्णकालिक कर्मचारियों को वे लाभ प्रदान किए जाते हैं जो अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारी को नहीं प्रदान किए जाते हैं	सामाजिक कल्याण	115
401-3	पितृत्व अवकाश	सामाजिक कल्याण,बीआरएसआर	115, 248, 249

प्रकटिकरण	प्रकटीकरण का शीर्षक	रिपोर्टिंग खंड / स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या
जीआरआई 402: श्रम / प्रबंधन संबंध			
402-1	परिचालनात्मक परिवर्तनों के बारे में न्यूनतम अवधि नोटिस	मानवाधिकार	110, 111
जीआरआई 403: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा			
403-1	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-2	खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, और घटना की जांच	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-3	व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएँ	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-4	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर श्रमिक भागीदारी, परामर्श और संचार	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-5	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कर्मचारी प्रशिक्षण	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-6	कार्यकर्ता स्वास्थ्य को बढ़ावा देना	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-7	व्यावसायिक संबंधों से सीधे जुड़े व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों की रोकथाम और शमन	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-8	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली द्वारा कवर किए गए कर्मचारी	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
403-9	कार्य से संबंधित चोटें	स्वास्थ्य और सुरक्षा,बीआरएसआर	115, 116, 253
403-10	कार्य–संबंधी अस्वस्थता	स्वास्थ्य और सुरक्षा, कर्मचारी कल्याण को बढ़ावा देना, बीआरएसआर	114, 115, 116, 253
जीआरआई 404: प्रशिक्षण और शिक्षा			
404-1	प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष प्रशिक्षण के औसत घंटे	प्रशिक्षण और कैरियर विकास	116
404-2	कर्मचारी कौशल और परिवर्तन सहायता कार्यक्रमों के उन्नयन के लिए कार्यक्रम	प्रशिक्षण और कैरियर विकास	116
404-3	नियमित निष्पादन और नौकरी संबंधी विकास समीक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत	बीआरएसआर	252
जीआरआई 405: विविधता और समान अवसर			
405-1	शासन निकायों और कर्मचारियों की विविधता	बोर्ड विविधता; विविधता समानता और समावेशन	62
405-2	पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मूल वेतन और पारिश्रमिक का अनुपात	विविधता, समानता और समावेशन	112
जीआरआई 406: गैर–भेदभाव			
406-1	भेदभाव की घटनाएँ और सुधारात्मक कार्रवाई	बीआरएसआर	257
जीआरआई 407: संगठन और सामूहिक मोलभाव की स्वतंत्रता			
407-1	संचालन और आपूर्तिकर्ता जिनमें संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक मोलभाव का अधिकार खतरे में पड़ सकता है	मानवाधिकार	110, 111
जीआरआई 408: बाल श्रम			
408-1	बाल श्रम की घटनाओं के लिए संचालन और आपूर्तिकर्ताओं पर महत्वपूर्ण जोखिम	मानवाधिकार	110, 111
जीआरआई 409: बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम			
409-1	बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम की घटनाओं के लिए संचालन और आपूर्तिकर्ताओं पर महत्वपूर्ण जोखिम	मानवाधिकार	110, 111

प्रकटिकरण	प्रकटीकरण का शीर्षक	रिपोर्टिंग खंड/स्पष्टीकरण	पृष्ठ संख्या
जीआरआई. 411: देशी लोगों के अधिकार			
411-1	स्वदेशी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी घटनाएँ	मानवाधिकार	110, 111
जीआरआई 412: मानवाधिकार मूल्यांकन			
412-1	मानवाधिकार समीक्षा या प्रभाव आकलन के अधीन आने वाले संचालन	मानवाधिकार	110, 111
412-2	मानवाधिकार नीतियों या प्रक्रियाओं पर कर्मचारी प्रशिक्षण	मानवाधिकार; बीआरएसआर	110, 111, 255
जीआरआई. 413: स्थानीय समुदाय			
413-2	स्थानीय समुदायों पर महत्वपूर्ण वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव डालने वाले ऑपरेशन	हितधारक सहभागिता, बीआरएसआर	52-55, 255
जीआरआई 414: आपूर्तिकर्ता सामाजिक मूल्यांकन			
414-1	नए आपूर्तिकर्ता जिनकी सामाजिक मानदंडों के आधार पर जांच की गई	जिम्मेदार सोर्सिंग	83
जीआरआई 416: ग्राहक स्वास्थ्य और सुरक्षा			
416-1	उत्पाद और सेवा श्रेणियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रभावों का आकलन	स्वास्थ्य और सुरक्षा	115, 116
416-2	उत्पादों और सेवाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित गैर–अनुपालन की घटनाएँ	स्वास्थ्य और सुरक्षा; बीआरएसआर	115, 116
जीआरआई 418: ग्राहक गोपनीयता			
418-1	ग्राहक गोपनीयता संबंधी उल्लंघन और ग्राहक के आकड़ों से संबंधित प्रमाणिक शिकायतें	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा; बीआरएसआर	90, 91, 269
जीआरआई 419: सामाजिक–आर्थिक अनुपालन 2016			
419-1	सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विधानों और विनियमों का अनुपालन न करना	रिपोर्ट से संबंधित; सीएसआर; बीआरएसआर	6-7, 266

Independent Assurance Statement on Non-Financial Reporting

Grant Thornton Bharat LLP
(formerly Grant Thornton India LLP)
Plot No. 19A, 2nd floor,
Sector - 16A,
Noida - 201 301
Uttar Pradesh, India

T +91 120 485 5900
F +91 120 485 5902

Independent Practitioner's reasonable assurance on non-financial Information pertaining to core indicators of Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR Core Information") and limited assurance on identified non-financial information pertaining to non-core indicators ("BRSR non-core") contained in Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") and limited assurance on identified non-financial information, other than information contained in BRSR, contained in Integrated Annual Report of the Company for the FY 2023-24

To

The Board of Directors

Power Grid Corporation of India Limited

Saudamini,

Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon,

Gurgaon, HARYANA-122001, India

We have been engaged to perform assurance engagement for Power Grid Corporation of India Limited ('the Company') as per the Terms of the Assurance plan dated 21 July 2024 read with GeM Contract no. GEMC-511687705303028 dated 4 July 2024 and terms of reference for engagement of consulting agency for Assurance Certification of POWERGRID's BRSR / Integrated Report FY 2023-24, issued by Power Grid Corporation of India Limited ("the Company") to provide reasonable assurance on non-financial information pertaining to core indicators of Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR Core Information" / "Subject Matter 1") and limited assurance on identified non-financial information pertaining to non-core indicators ("BRSR non-Core" / " Subject Matter 2") contained in BRSR of the Company for the financial year 31 March 2024, and limited assurance on the identified non-financial information, other than information contained in BRSR, ("Subject Matter 3") contained in Integrated Annual report of the Company for the financial year ended 31 March 2024 ('Subject Matter 1, Subject Matter 2 and Subject Matter 3 together referred as "Identified Sustainability Information") prepared by management in accordance with the Criteria stated below.

Identified Sustainability Information

The Identified Sustainability Information included in the BRSR and the Integrated Annual Report of the Company for the financial year ended 31 March 2024.

Member firm of Grant Thornton International Ltd.
Grant Thornton Bharat LLP is registered with limited liability with identity number AAA-7677 and has its registered office at L-41, Connaught Circus, Outer Circle, New Delhi - 110001.
Offices in Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Goa, Gurugram, Hyderabad, Kolkata, Kochi, Mumbai, New Delhi, Noida and Pune

www.grantthornton.in

Grant Thornton

#GTBharat SHAPING VIBRANT INDIA

The non-financial information pertaining to core indicators of BRSR for the financial year ended 31 March 2024 (Subject Matter 1) is summarised below:

Attribute	Principle	Key Performance Indicator
Energy footprint	Principle 6 – 1	• Total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity • % of energy consumed from renewable sources • Energy intensity
Water footprint	Principle 6 – 3	• Total water consumption • Water consumption intensity
	Principle 6 – 4	• Water Discharge by destination and levels of treatment
Greenhouse (GHG) footprint	Principle 6 – 7	• Greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity
Embracing circularity - details related to waste management by the entity	Principle 6 – 9	• Details related to waste generated by the entity (category wise) • Waste intensity • Each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations. • For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method
Enhancing Employee Wellbeing and Safety	Principle 3 – 1(c)	Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent)
	Principle 3 – 11	Safety related incidents: • Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked) • Total recordable work-related injuries • No. of fatalities • High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)
Enabling Gender Diversity in Business	Principle 5 – 3(b)	Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity
	Principle 5 – 7	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013
Enabling Inclusive Development	Principle 8 – 4	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers
	Principle 8 – 5	Job creation in smaller towns – Wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in the locations, as % of total wage cost

Attribute	Principle	Key Performance Indicator
Fairness in Engaging with Customers and Suppliers	Principle 1 – 8	Number of days of accounts payables
	Principle 9 – 7	Instances involving loss / breach of data of customers as a percentage of total data breaches or cyber security events
Open-ness of business	Principle 1 – 9	Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties

The identified non-financial information pertaining to non-core indicators of (BRSR) ("Subject Matter 2") for the financial year ended 31 March 2024 is summarized below:

Indicator	Key Performance Indicator
Section C: Principle 1 Essential Indicator 2	Details of fines / penalties /punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors / KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions
Section C: Principle 1 Essential Indicator 5	Number of Directors/KMPs/employees/workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption
Section C: Principle 1 Essential Indicator 6	Details of complaints with regard to conflict of interest
Section C: Principle 2 Essential Indicator 1	Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity
Section C: Principle 3 Essential Indicator 1(a) and 1(b)	1(a) Details of measures for the well-being of employees 1(b) Details of measures for the well-being of workers
Section C: Principle 3 Essential Indicator 5	Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.
Section C: Principle 3 Essential Indicator 9	Details of performance and career development reviews of employees and worker
Section C: Principle 3 Essential Indicator 13	Number of Complaints on the following made by employees and workers: • Working Conditions • Health & Safety
Section C: Principle 5 Essential Indicator (2) & (3a)	• Details of minimum wages paid to employees and workers, • Median remuneration / wages of male and female
Section C: Principle 5 Essential Indicator 6	Number of Complaints on the following made by employees and workers, on: • Sexual Harassment • Discrimination at workplace • Child labour • Forced labour / Involuntary labour • Wages • Other human rights related issues

Indicator	Key Performance Indicator
Section C: Principle 6 Essential Indicator 11	Operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required.
Section C: Principle 7 Essential Indicator 1	a) Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations b) Top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to. Operations/offices in/around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals / clearances are required
Section C: Principle 9 Essential Indicator 3	Number of consumer complaints in respect of the following: • Data Privacy • Advertising • Cyber-security • Delivery of essential services • Restrictive trade practices • Unfair Trade Practices

The identified non-financial information, other than information contained in BRSR, for the financial year ended 31 March 2024 ("Subject Matter 3") is summarised below:

Series	Material Issue	GRI	Key Performance Indicator
GRI – 200 Economic	201 – Economic Performance 2016	201 – 1	Direct economic value generated and distributed.
	203 – Indirect Economic Impacts 2016	203 – 1	Infrastructure investments and services supported
	204 – Procurement Practices 2016	204 – 1	Proportion of spending on local suppliers
	205 – Anti-corruption 2016	205 – 1	Operations assessed for risks related to corruption
	206 – Anti-competitive Behavior 2016	206 – 1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices
GRI – 300 Environment	302 – Energy 2016	302 – 1	Energy consumption within the organization
		302 – 3	Energy intensity
	303 – Water and Effluents 2018	303 – 3	Water withdrawal
		303 – 4	Water discharge
		303 – 5	Water consumption
		305 – 1	Direct (Scope 1) GHG emissions

Grant Thornton

#GTBharat SHAPING VIBRANT INDIA

Series	Material Issue	GRI	Key Performance Indicator
	305 – Emissions 2016	305 – 2	Indirect (Scope 2) GHG emissions
		305 – 4	GHG emissions intensity
	306 – Waste 2020	306 – 3	Waste generated
		306 – 4	Waste diverted from disposal
		306 – 5	Waste directed to disposal
GRI – 400 Social	401 – Employment 2016	401 – 1	New employee hires and employee turnover
		401 – 3	Parental leave
	403 – Occupational Health and Safety 2018	403 – 9	Work – related injuries
		403 – 10	Work – related ill health
	404 – Training and Education 2016	404 – 3	Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews
	405 – Diversity and Equal Opportunity 2016	405 – 2	Ratio of basic salary and remuneration of women to men
	406 – Non-discrimination 2016	406 – 1	Incidents of discrimination and corrective actions taken
	418 – Customer Privacy 2016	418 – 1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data

Our assurance engagement is with respect to the financial year ended 31 March 2024 information only unless otherwise stated and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and Integrated Annual Report, therefore, do not express any opinion/conclusion thereon.

Boundary

Boundary of the report covers the business operations of the Company, including its corporate offices, regional offices, operating substations /below mentioned subsidiaries of the Company but excludes the Joint Ventures and Associate Companies of the Company for this reporting period:

S. No.	Description of site / Name of the Company	Relationship
1.	POWERGRID Raipur Pool Dhamtari Transmission Limited	Subsidiary
2.	POWERGRID Dharamjaigarh Transmission Limited	Subsidiary
3.	POWERGRID ERWR Power Transmission Limited	Subsidiary
4.	POWERGRID Khavda RE Transmission Limited	Subsidiary
5.	POWERGRID KPS2 Transmission Limited	Subsidiary
6.	POWERGRID KPS3 Transmission Limited	Subsidiary

S. No.	Description of site / Name of the Company	Relationship
7.	POWERGRID Khavda II-C Transmission Limited	Subsidiary
8.	POWERGRID Khavda II-B Transmission Limited	Subsidiary
9.	POWERGRID Neemuch Transmission System Limited	Subsidiary
10.	POWERGRID Energy Services Limited	Subsidiary
11.	POWERGRID Teleservices Limited	Subsidiary
12.	POWERGRID ER NER Transmission Limited	Subsidiary
13.	POWERGRID Gomti Yamuna Transmission Limited	Subsidiary
14.	Central Transmission Utility of India Limited	Subsidiary
15.	POWERGRID Ramgarh Transmission Limited	Subsidiary
16.	POWERGRID Sikar Transmission Limited	Subsidiary
17.	POWERGRID Bhadla Transmission Limited	Subsidiary
18.	POWERGRID Aligarh Sikar Transmission Limited	Subsidiary
19.	POWERGRID Narela Transmission Limited	Subsidiary
20.	POWERGRID Bhadla Sikar Transmission Limited	Subsidiary
21.	POWERGRID Bikaner Transmission System Limited	Subsidiary
22.	POWERGRID Meerut Simbhavali Transmission Limited	Subsidiary
23.	POWERGRID Rampur Sambhal Transmission Limited	Subsidiary
24.	POWERGRID Ajmer Phagi Transmission Limited	Subsidiary
25.	POWERGRID Khetri Transmission System Limited	Subsidiary
26.	POWERGRID Fatehgarh Transmission Limited	Subsidiary
27.	POWERGRID Bhuj Transmission Limited	Subsidiary
28.	POWERGRID Bhind Guna Transmission Limited	Subsidiary
29.	POWERGRID Jawaharpur Firozabad Transmission Limited	Subsidiary
30.	POWERGRID Varanasi Transmission System Limited	Subsidiary
31.	POWERGRID Mithilanchal Transmission Limited	Subsidiary
32.	POWERGRID Medinipur Jeerat Transmission Limited	Subsidiary



Grant Thornton

#GTBharat SHAPING VIBRANT INDIA

S. No.	Description of site / Name of the Company	Relationship
33.	POWERGRID Southern Interconnector Transmission System Limited	Subsidiary
34.	POWERGRID Unchahar Transmission Limited	Subsidiary
35.	POWERGRID NM TRANSMISSION LIMITED.	Subsidiary
36.	POWERGRID Vemagiri Transmission Limited	Subsidiary
37.	POWERGRID Himachal Transmission Limited	Subsidiary
38.	POWERGRID Ramgarh II Transmission Limited	Subsidiary
39.	POWERGRID Bhadla III Transmission Limited	Subsidiary
40.	POWERGRID Bikaner Neemrana Transmission Limited	Subsidiary
41.	POWERGRID Koppal Gadag Transmission Limited	Subsidiary
42.	Bidar Transmission Limited	Subsidiary
43.	Sikar Khetri Transmission Limited	Subsidiary
44.	POWERGRID Neemrana Bareilly Transmission Limited	Subsidiary
45.	POWERGRID Ananthpuram Kurnool Transmission Limited	Subsidiary
46.	POWERGRID Vataman Transmission Limited	Subsidiary
47.	POWERGRID Beawar Dausa Transmission Limited	Subsidiary

Criteria

The criteria used by the Company to prepare the Subject Matter 1 and Subject Matter 2 is summarised below ('BRSR Framework'):

- Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, as amended;
- Business Responsibility and Sustainability Reporting Requirements for listed entities as per Master Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/ CIR/P/2023/120 dated 11 July 2023; and
- SEBI Circular SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated 12 July 2023 and clarifications thereto issued by SEBI.

The Company has prepared the Subject Matter 3, based on:

- the principles of the International Integrated Reporting Framework published by the International Integrated Reporting Council ('IIRC') of the Value Reporting Foundation with reference to Global Reporting Initiative ('GRI') Sustainability Reporting Standards ('the GRI Standards') issued by Global Sustainability Standards Board (GSSB).

Management's Responsibilities

The Company is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Identified Sustainability Information, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Identified Sustainability Information, identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria. This

responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the Integrated Annual Report and the measurement of the Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent limitations

The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Auditor's Independence and Quality Control

We are independent of the Company and have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the requirements of the International Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board for Accountants (the 'IESBA Code') and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

Our firm applies International Standards on Quality Management ('ISQM') 1 - Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express a reasonable assurance in the form of an opinion on the Subject Matter 1 and express a limited assurance in the form of a conclusion on the Subject Matter 2 and Subject Matter 3, based on the procedures we have performed and evidence we have obtained. We conducted our reasonable assurance engagement and limited assurance engagement in accordance with the ISAE 3000 (Revised), "Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" ('ISAE 3000 (Revised)') issued by the International Auditing and Assurance Standards Board ('IAASB'). The standard requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Subject Matter 1 is prepared, in all material respects, in accordance with the BRSR Framework and limited assurance about whether the Subject Matter 2 and Subject Matter 3 are free from material misstatement.

A reasonable assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Company's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Subject Matter 1, assessing the risks of material misstatement of the Subject Matter 1 whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances and evaluating the overall presentation of the Subject Matter 1.

A limited assurance engagement involves assessing the suitability in the circumstances of the Company's use of the Criteria as the basis for the preparation of the Subject Matter 2 and Subject Matter 3, identifying areas where material misstatement is likely to arise in the Subject Matter 2 and Subject Matter 3 whether due to fraud or error, designing and performing procedures to address identified risk areas as necessary in the circumstances, and evaluating the overall presentation of the Subject Matter 2 and Subject Matter 3.

A limited assurance engagement is substantially less in scope than a reasonable assurance engagement in relation to both the risk assessment procedures, including an understanding of internal control, and the procedures performed in response to the assessed risks.

The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, our work procedures included the following:

- Physically visited the sites at the corporate office and Sub-stations at Malerkotla and Chandigarh for data and document verification.
- Interviewing senior executives to understand the reporting process, governance, systems and controls in place during the reporting period.





- Reviewing the records and relevant documentation including information from audited financial statements or statutory reports submitted by the Company to support relevant performance disclosures within our scope.
- Evaluating the suitability and application of Criteria and that the Criteria have been applied appropriately to the Identified Sustainability Information.
- Selecting key parameters and representative sampling, based on statistical audit sampling tables and agreeing claims to source information to check accuracy and completeness of claims such as source data, meter data, etc.
- Re-performing calculations to check accuracy of claims,
- Reviewing data from independent sources, wherever available,
- Reviewing data, information about sustainability performance indicators and statements in the report.
- Reviewing and verifying information/ data as per the BRSR framework and IIRC framework;
- Reviewing accuracy, transparency and completeness of the information/ data provided;

The procedures performed in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had we performed a reasonable assurance engagement. Accordingly, we do not express a reasonable assurance opinion about whether the Identified Sustainability Information have been prepared, in all material respects, in accordance with the Criteria.

Exclusions

Our assurance engagement scope excludes the following and therefore we do not express an opinion/ a conclusion on the same:

- Any disclosure other than those mentioned in the Identified Sustainability Information section above
- Data and information outside the defined reporting period
- Data related to Company's financial performance, strategy and other related linkages expressed in the BRSR and the Integrated Annual Report.
- The Company's statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, forward looking statements provided by the Company and assertions related to Intellectual Property Rights and other competitive issues.
- Mapping of the Report with reporting frameworks other than those mentioned in Criteria above.

While we considered the effectiveness of management's internal controls when determining the nature and extent of our procedures, our assurance engagement was not designed to provide assurance on internal controls.

The procedures did not include testing controls or performing procedures relating to checking aggregation or calculation of data within IT systems.

Opinion

Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, the Subject Matter 1 included in the BRSR for the financial year ended 31 March 2024 is prepared in all material respects, in accordance with the BRSR Framework.

Conclusion

a) Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Subject Matter 2 included in the BRSR for the financial year ended 31 March 2024, is not prepared, in all material respects, in accordance with the BRSR Framework.

b) Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Subject Matter 3 included in the Integrated Annual Report for

the financial year ended 31 March 2024, is not prepared, in all material respects, with reference to GRI Standards.

Restriction on use

The Assurance statement has been prepared and addressed to the Board of Directors of the Company at the request of the Company to assist them in reporting on the Company's sustainability performance and activities. Accordingly, the assurance statement may not be suitable for any other purpose and should not be used by any other party other than the Board of Directors of the Company without our prior written consent. Further, we do not accept or assume any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom the assurance statement is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.



Grant Thornton Bharat LLP

Abhishek Tripathi

Partner

Dated: 24th July 2024

Place: Grant Thornton Bharat LLP

Plot No. 19A, 2nd Floor, Sector – 16A,

Noida – 201301,

Uttar Pradesh, India



सांविधिक रिपोर्ट

2023-24

ऐतिहासिक वित्तीय सारांश

(स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
सतत प्रचालनः					
(क) कुल आय					
प्रचालन से राजस्व					
पारेषण राजस्व	40,562.64	40,619.30	37,812.44	36,120.92	33932.94
अन्य प्रचालन राजस्व – पारेषण	1,310.07	1,507.31	787.27	336.00	943.41
परामर्श राजस्व	518.45	509.29	753.34	501.28	610.98
दूरसंचार राजस्व	-	-	580.34	707.45	698.21
संचालन से राजस्व	**42,391.16**	**42,635.90**	**39,933.39**	**37,665.65**	**36,185.54**
अन्य आय	3,424.21	2,591.62	2,402.48	2,861.46	2132.43
कुल आय	**45,815.37**	**45,227.52**	**42,335.87**	**40,527.11**	**38,317.97**
(ख) व्ययः					
कर्मचारी हित व्यय	2,376.88	2,400.35	2,234.76	2,110.74	1959.47
वित्त लागत	9,046.87	9,707.20	8,210.94	8,501.01	9813.62
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	12,558.19	12,858.52	12,550.58	11,711.68	11073.18
अन्य व्यय	3,259.46	3,274.50	2,771.62	2,498.97	2824.35
कुल व्यय	**27,241.40**	**28,240.57**	**25,767.90**	**24,822.40**	**25670.62**
असाधारण मदों से लाभ, कर और विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**18,573.97**	**16,986.95**	**16,567.97**	**15,704.71**	**12647.35**
असाधारण मदें	-	-	(3,759.51)	1,078.64	-
कर से पहले लाभ और विनियामक आस्थगित लेखा शेष	**18,573.97**	**16,986.95**	**20,327.48**	**14,626.07**	**12647.35**
कर व्ययः					
चालू कर	3,236.43	2,874.82	3,282.06	2,529.11	2230.74
आस्थगित कर	(604.45)	(755.98)	(571.00)	560.03	1288.83
	2,631.98	**2,118.84**	**2,711.06**	**3,089.14**	**3519.57**
विनियामक आस्थगित लेखा की शेष राशि से पहले की अवधि के लिए लाभ	**15,941.99**	**14,868.11**	**17,616.42**	**11,536.93**	**9127.78**
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल परिवर्तन–आय / (व्ययद्ध (निवल कर)	(564.51)	256.43	(522.66)	398.85	1683.40
सतत प्रचालन से लाभ	**15,377.48**	**15,124.54**	**17,093.76**	**11,935.78**	**10811.18**
बंद प्रचालन कर से पहले लाभ	116.27	227.74	-	-	-
बंद प्रचालन से कर व्यय	19.14	16.74	-	-	-
बंद प्रचालन से लाभ	**97.13**	**211.00**	**-**	**-**	**-**
अवधि के लिए लाभ	**15,474.61**	**15,335.54**	**17,093.76**	**11,935.78**	**10,811.18**
अन्य व्यापक आय	(232.89)	(106.70)	290.93	25.36	(104.02)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	**15,241.72**	**15,228.84**	**17,384.69**	**11,961.14**	**10,707.16**
लाभांश	11,218.85	8,544.93	10,811.96	6,821.99	4425.92
लाभांश कर	-	-	-	-	858.69

ऐतिहासिक वित्तीय सारांश
(स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
वित्तीय स्थिति					
(क) परिसंपत्तियां					
सकल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	256448.42	253484.72	247661.53	232130.94	213210.18
सकल अमूर्त परिसंपत्ति	2356.94	2339.08	2292.17	2153.38	1980.66
	258805.36	255823.80	249953.70	234284.32	215190.84
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	96104.85	83546.25	70221.94	57340.82	45354.41
निवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति	162700.51	172277.55	179731.76	176943.50	169836.43
निवेश संपत्ति	1.84	-	-	0.03	0.03
पूंजीगत कार्य–प्रगति में	9,581.16	7,668.13	7,344.46	17896.67	30180.08
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	91.01	31.08	31.53	74.86	219.55
गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां					
निवेश	8731.63	7414.95	7228.53	4265.36	3763.66
व्यापार प्राप्य	282.95	695.57	-	-	-
ऋण	21502.52	16897.29	14269.78	10474.09	12783.75
अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय संपत्तियां	4662.16	4810.79	4659.47	4574.48	4106.80
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	4569.56	4905.63	4797.73	4744.56	6127.18
चालू परिसंपत्तियां	23698.33	23231.42	24021.57	24692.38	18,409.12
नियामक आस्थगित लेखा शेष	9599.74	10283.76	9973.04	10606.35	10123.06
कुल परिसंपत्तियां	**245421.41**	**248216.17**	**252057.87**	**254272.28**	**255549.66**
(ख) देयताएं					
उधार					
गैर–चालू उधार	105066.95	113891.29	114199.40	129080.07	135421.11
गैर–चालू उधारों की वर्तमान परिपक्वता	15688.15	12003.61	15165.87	12171.41	9558.53
	120755.10	125894.90	129365.27	141251.48	144979.64
अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएँ (**)	3590.46	3626.30	3550.04	3714.05	3515.63
गैर–चालू प्रावधान	643.11	577.61	517.05	461.93	424.71
स्थगित कर देयताएँ (नेट)	9981.40	10619.90	11416.08	11941.88	11381.85
अन्य गैर–चालू देयताएँ	4.77	197.10	240.89	218.06	361.04
चालू देयताएँ (**)	29805.81	26296.27	36459.60	29523.30	29089.61
घटाएँ: गैर–चालू उधारों की वर्तमान परिपक्वता	15688.15	12003.61	15165.87	12171.41	9558.53
निवल चालू देयताएँ	14117.66	14292.66	21293.73	17351.89	19531.08
आस्थगित राजस्व	9461.86	10163.52	9514.54	9754.15	10916.02
कुल देयताएँ	**158554.36**	**165371.99**	**175897.60**	**184693.44**	**191109.97**
(ग) निवल मूल्य					
इक्विटी शेयर पूंजी	9300.60	6975.45	6975.45	5231.59	5231.59
अन्य इक्विटी	77566.45	75868.73	69184.82	64347.25	59208.10
निवल मूल्य	**86867.05**	**82844.18**	**76160.27**	**69578.84**	**64439.69**
नियोजित पूंजी (निवल अचल परिसंपत्ति+ निवल चालू परिसंपत्ति)	156593.03	169212.70	167293.73	172112.58	159155.94

ऐतिहासिक वित्तीय सारांश

(स्टैंडअलोन)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
(घ) अनुपात					
नियोजित पूंजी पर निवल लाभ (%)	9.88	9.06	10.22	6.93	6.79
निवल संपत्ति से निवल लाभ (%)	17.81	18.51	22.44	17.15	16.78
प्रदत्त पूंजी की प्रति रुपये पर निवल संपत्ति (₹) (##)	9.34	8.91	8.19	7.48	6.93
ऋण/इक्विटी अनुपात (#)	58:42	60:40	63:37	67:33	69:31
चालू अनुपात	0.8:1	0.88:1	0.66:1	0.84:1	0.63:1
प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित ईपीएस) (₹) (##)	16.64	16.49	18.38	12.83	11.62
प्रति शेयर आय मूल्य (₹) (##)	93.40	89.07	81.89	74.81	69.29
प्रति शेयर लाभांश (₹)(##)	12.0625	9.1875	11.6250	7.3350	5.6820
नकद आधार पर पूंजीगत व्यय (टीबीसीबी सहित) (₹ करोड़ में)	11219	8850	9426	11150	15313
(ङ) अन्य महत्वपूर्ण जानकारी					
पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी)	167,278	166,310	165,951	162,565	156884
उप–केन्द्रों की संख्या	259	259	257	250	244
ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए)	485,921	469,187	456,237	421,473	400269
कर्मचारियों की संख्या ($)	8,590	8,710	8,970	9,258	9583
पारेषण नेटवर्क उपलब्धता (%)	99.86%	99.82%	99.83%	99.82%	99.82%

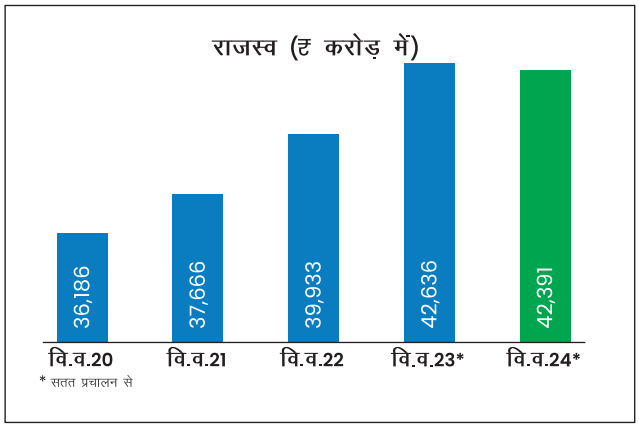
(*)) बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां शामिल है

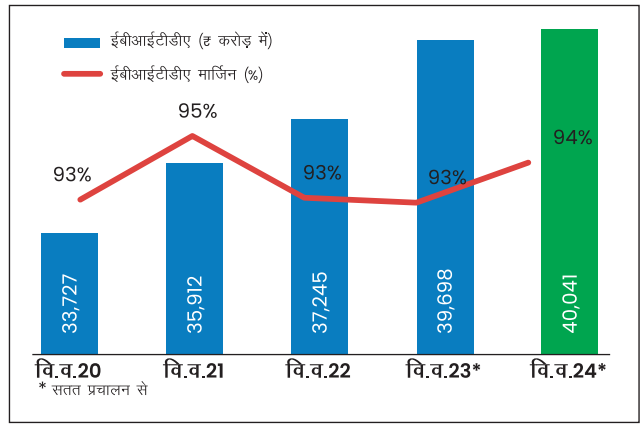
(**) पट्टा देयताएँ शामिल है

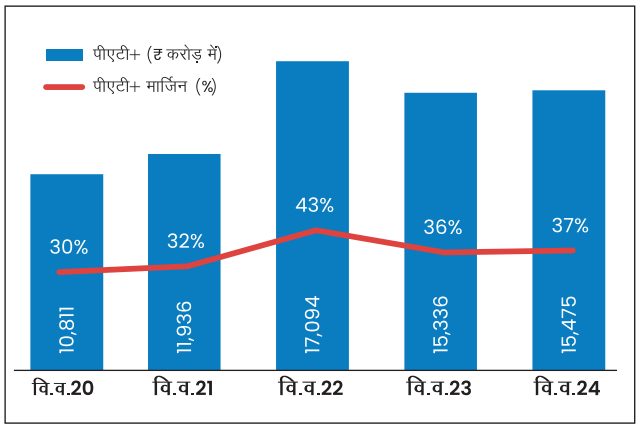
(#) ऋण–इक्विटी अनुपात की गणना के लिए, ऋण देयता में दीर्घकालिक ऋणों की चालू परिपक्वताएँ भी शामिल हैं।

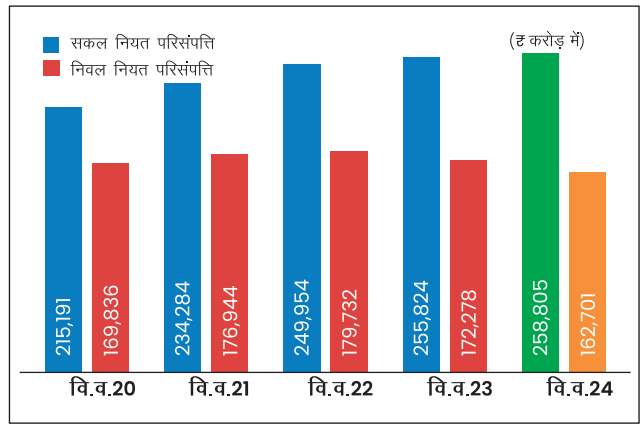
(##) बोनस शेयरों के लिए समायोजित

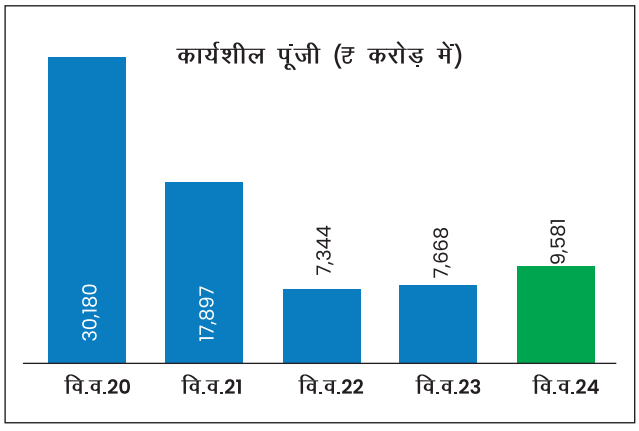
($) एफटीबी कर्मचारियों सहित

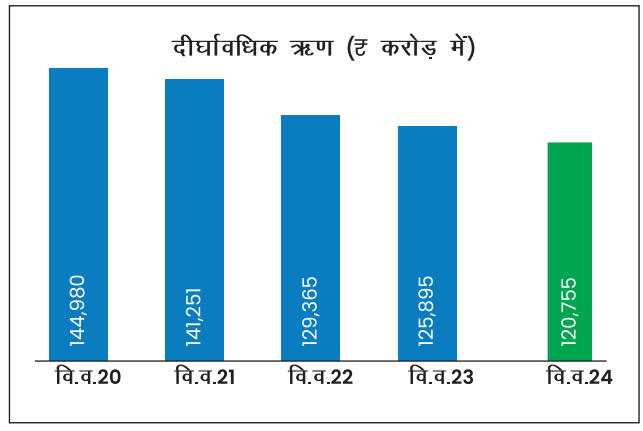

राजस्व (₹ करोड़ में)
36,186
37,666
39,933
42,636
42,391
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23*
वि.व.24*
* सतत प्रचालन से

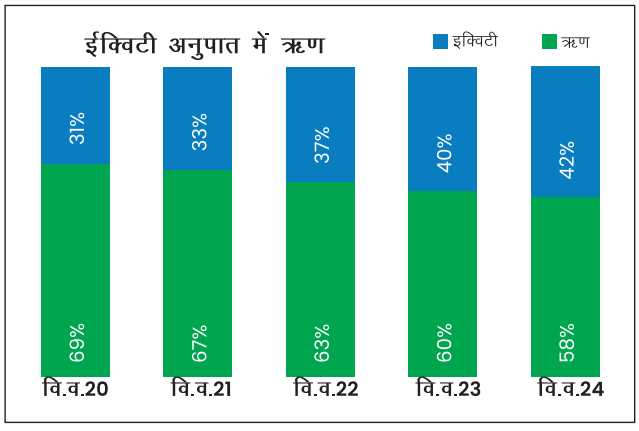

ईबीआईटीडीए (₹ करोड़ में)
ईबीआईटीडीए मार्जिन (%)
93%
95%
93%
93%
94%
33,727
35,912
37,245
39,698
40,041
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23*
वि.व.24*
* सतत प्रचालन से

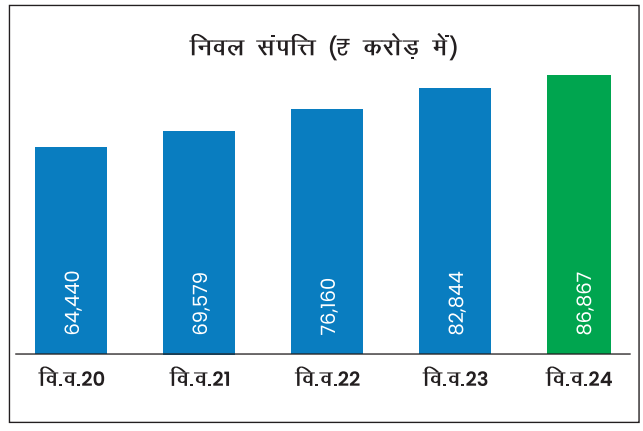

पीएटी+ (₹ करोड़ में)
पीएटी+ मार्जिन (%)
30%
32%
43%
36%
37%
10,811
11,936
17,094
15,336
15,475
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24


सकल नियत परिसंपत्ति
निवल नियत परिसंपत्ति
(₹ करोड़ में)
215,191
169,836
234,284
176,944
249,954
179,732
255,824
172,278
258,805
162,701
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24

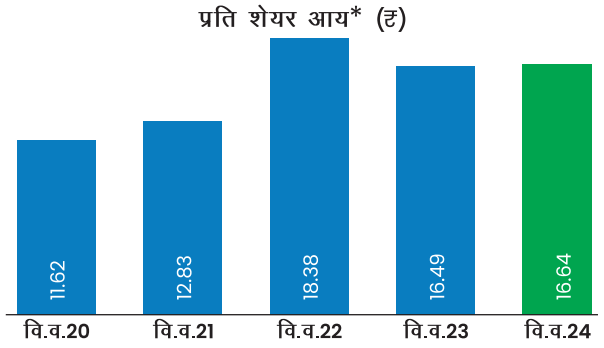

कार्यशील पूंजी (₹ करोड़ में)
30,180
17,897
7,344
7,668
9,581
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24


दीर्घावधिक ऋण (₹ करोड़ में)
144,980
141,251
129,365
125,895
120,755
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24


ईक्विटी अनुपात में ऋण
इक्विटी
ऋण
31%
33%
37%
40%
42%
69%
67%
63%
60%
58%
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24

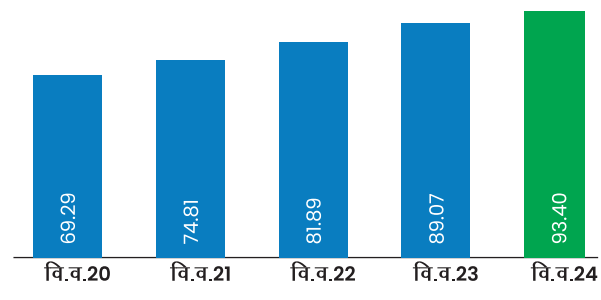

निवल संपत्ति (₹ करोड़ में)
64,440
69,579
76,160
82,844
86,867
वि.व.20
वि.व.21
वि.व.22
वि.व.23
वि.व.24

प्रति शेयर आय* (₹)



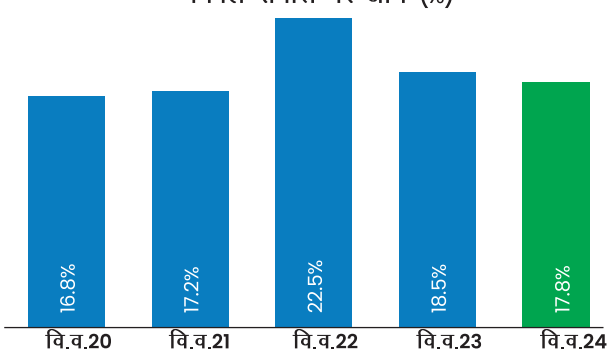
* बोनस निर्गम हेतु समायोजित

प्रति शेयर आय मूल्य* (₹)

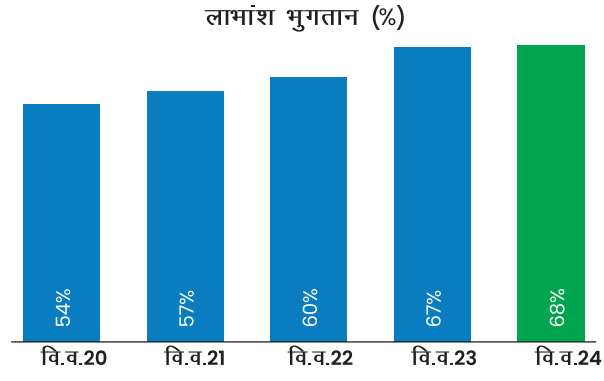


* बोनस निर्गम हेतु समायोजित

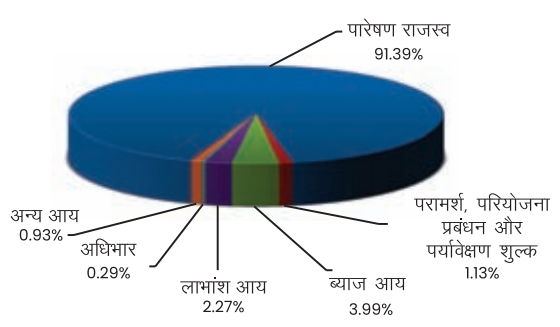
निवल संपत्ति पर आय (%)



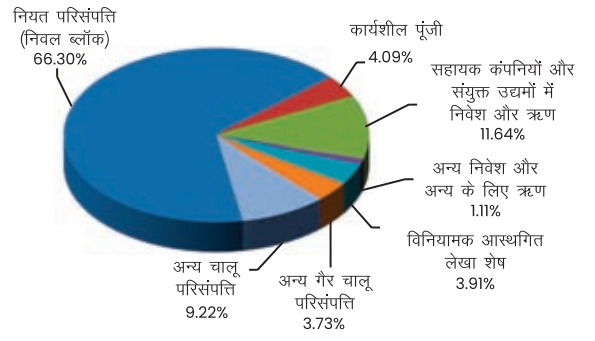
लाभांश भुगतान (%)



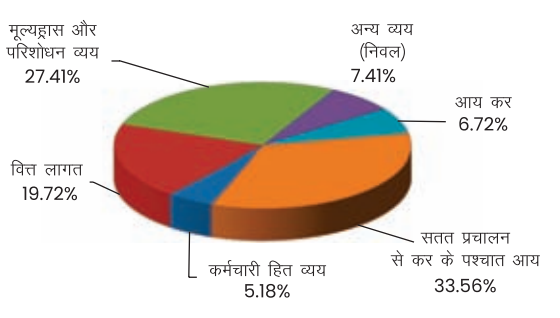
वित्त वर्ष 2023– 24 के लिए आय संबंधी विवरण (%)



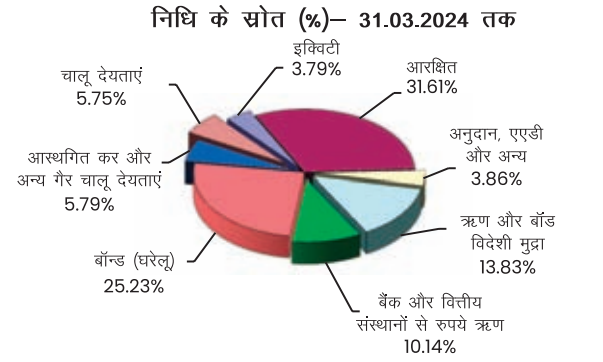
निधियों का अनुप्रयोग (%)– 31.03.2024 तक



वित्त वर्ष 2023–24 के लिए राजस्व का वितरण (%)



निधि के स्रोत (%)– 31.03.2024 तक



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ आपकी कंपनी के निष्पादन पर 35वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के प्रमुख निष्पादन संबंधी विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख यहां किया गया है:

- वित्त वर्ष 2022–23 में भारत सरकार (जीओआई) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) में 93 अंक के साथ "उत्कृष्ट" रेटिंग दी गई। आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 1993–94 में अपनी पहली समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद से लगातार समझौता ज्ञापन के अंतर्गत "उत्कृष्ट" रेटिंग मिली है।
- स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी की कुल आय ₹45,815.37 करोड़ और कर के बाद लाभ (पीएटी) ₹15,474.61 करोड़ है।
- 99.85% की प्रणाली उपलब्धता हासिल की गई। प्रति लाइन ट्रिपिंग को 0.28 तक सीमित रखा गया।
- 4,036 सर्किट किमी (सीकेएम) एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनों, 19,720 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) परिवर्तन क्षमता और 6 नए उप–केन्द्रों को चार्ज किया गया।
- ₹7,618 करोड़ की परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया गया।
- मौजूदा और साथ ही नए उप–केन्द्रों का क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र (आरएलडीसी)/राज्यिक लोड डिस्पैच केन्द्र (एसएलडीसी) के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करने के लिए, 9,169 किमी ऑप्टिकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) नेटवर्क जोड़ा गया।
- वित्त वर्ष 2022–23 में 98.84% की बिलिंग संग्रह दक्षता की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में बिलिंग की 100.06% संग्रह दक्षता हासिल की गई।
- **₹2,888 करोड़** के कुल प्रशुल्क सहित **13 टीबीसीबी परियोजनाओं** में सफल बोलीदाता के रूप में उभर कर आया है, जो भाग लेने वाली परियोजनाओं के वार्षिक प्रशुल्क के संदर्भ में लगभग 64% है।

1. वित्तीय निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023–24) के दौरान पिछले वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022–23) की तुलना में स्टैंडअलोन आधार पर वित्तीय निष्पादन का सारांश नीचे दिया गया है:

(प्रति शेयर आंकड़ों को छोड़कर सभी आंकड़े संकेतित इकाइयों में हैं)

क्र. सं	मापदंड	2023-24		2022-23		वर्ष दर वर्ष
		₹ (करोड़)	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	₹ (करोड़)	अमेरिकी डॉलर (मिलियन)	वृद्धि (%)
1	राजस्व^					
	पारेषण शुल्क	41,872.71	4,986.63	42,126.61	5,016.86	-0.60
	परामर्श– सेवाओं की बिक्री	518.45	61.74	509.29	60.65	1.80
2	अन्य आय ^	3,424.21	407.79	2,591.62	308.64	32.13
3	कुल आय^	45,815.37	5,456.16	45,227.52	5,386.15	1.30
4	कर के पश्चात आय (पीएटी)#	15,474.61	1,842.87	15,335.54	1,826.31	0.91
5	प्रति शेयर आय (ईपीएस) (₹) #	₹16.64	$0.20	₹16.49 **	$ 0.20 **	0.91
6	प्रति शेयर आय मूल्य (₹)	₹93.40	$1.11	₹89.07 **	$ 1.06 **	4.86
7	सकल नियत परिसंपत्ति	2,58,807.20	30,821.39	2,55,823.80	30,466.10	1.17
8	दीर्घावधिक उधार*	1,20,755.10	14,380.74	1,25,894.90	14,992.84	-4.08
9	निवल संपत्ति	86,867.05	10,345.01	82,844.18	9,865.93	4.86
10	ऋण इक्विटी अनुपात	59:41		61:39		
11	निवल संपत्ति पर आय	17.81%		18.51%		

^ सतत प्रचालन से

बंद प्रचालन सहित

* दीर्घकालिक उधार की चालू परिपक्वता सहित

** बोनस निर्गम के लिए समायोजित

31 मार्च, 2024 तक अमेरिकी डॉलर 1 पर सुविधा रूपांतरण = ₹83.97

1.1. लाभांश

आपकी कंपनी ने नियमित लाभांश वितरण के माध्यम से शेयरधारकों को लगातार फायदा पहुंचाया है। इस वर्ष, कुल लाभांश भुगतान ₹10,463 करोड़ है, जिसमें ₹7,905 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल है। अंतिम लाभांश वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के बाद भुगतान किया जाएगा। पिछले वर्ष के 67% की तुलना में इस वर्ष कुल भुगतान अनुपात 68% रहा।

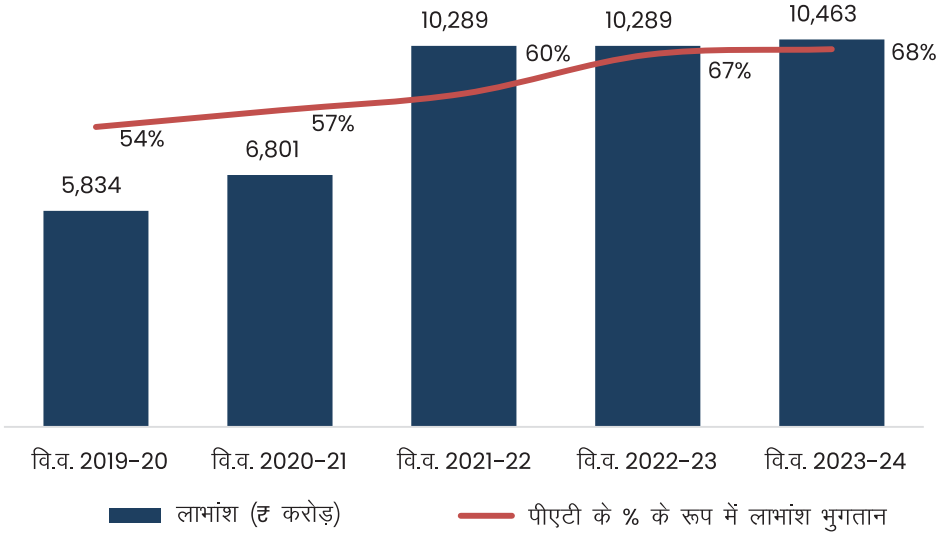
कंपनी ने निम्नानुसार लाभांश की सिफारिश/घोषणा की:

लाभांश (प्रति शेयर)	वि.व. 2023-24		वि.व. 2022-23*	
	₹ में	% में	₹ में	% में
प्रथम अंतरिम लाभांश	4.00	40.00	3.75	37.50
द्वितीय अंतरिम लाभांश	4.50	45.00	3.75	37.50
अंतिम लाभांश	2.75^	27.50	3.5625	35.63
कुल लाभांश	**11.25**	**112.50**	**11.0625**	**110.63**

^ शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए अनुशंसित

* बोनस निर्गम के लिए समायोजित

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹43,000/– करोड़ से अधिक का संचयी लाभांश वितरित किया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



1.2. बोनस शेयर जारी करना

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 1:3 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए, अर्थात ₹10/– प्रत्येक के तीन मौजूदा इक्विटी शेयर के लिए ₹10/– प्रत्येक का एक नया इक्विटी बोनस शेयर, जो पूरी तरह से प्रदत्त है। बोनस शेयर जारी करने के बाद, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹9,300.60 करोड़ है।

1.3. आरक्षित में अंतरण

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, लाभ का विनियोजन निम्नानुसार किया गया हैं:

क) सामान्य आरक्षित: ₹6,000.00 करोड़

ख) स्व–बीमा आरक्षित: ₹301.53 करोड़

1.4. भारत सरकार की शेयरधारिता

कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 51.34% यथावत रहेगी।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1. प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टी.बी.सी.बी.)

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी टी.बी.सी.बी. विधि के अंतर्गत 13 अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं में सफल बोलीदाता के रूप में उभर कर आई है:



(i) आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम (अनंतपुर) (2500 मेगावाट) और कुरनूल (1000 मेगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना हेतु अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना

(ii) चरण–III भाग ख1 के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना

(iii) चरण–III भाग ग1 के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली

(iv) चरण–III भाग ज के अंतर्गत राजस्थान (20 गीगावाट) में आरईजेड से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली

(v) कर्नाटक के कोप्पल–II (चरण–क और ख) और गडग–II (चरण–क) में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (चरण–II) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली।

(vi) चरण–III भाग ख के अंतर्गत खावड़ा आरई पार्क से अतिरिक्त 7 गीगावाट आरई विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली।

(vii) राजस्थान आरईजेड चरण–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालीः भाग–क।

(viii) राजस्थान आरईजेड चरण–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालीः भाग–घ।

(ix) चरण–III भाग घ – चरण I के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली।

(x) कर्नाटक के बीदर (2500 मेगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना हेतु अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली।

(xi) राजस्थान आरईजेड चरण IV (भाग 2: 5.5 गीगावाट) (जैसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लेक्स) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालीः भाग ग

(xii) चरण IV (7 गीगावाट) के अंतर्गत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली भाग ङ2

(xiii) राजस्थान आरईजेड चरण IV (भाग 2: 5.5 गीगावाट) (जैसलमेर/बाड़मेर कॉम्प्लेक्स) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालीः भाग ङ

वित्त वर्ष 2023–24 में आपकी कंपनी ने 10 परियोजना एसपीवी ख्उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (x), अधिग्रहित की गईं, जबकि शेष 3 परियोजना एसपीवी [उपर्युक्त क्रम संख्या (xi) से (xiii), वित्त वर्ष 2024–25 में अधिग्रहित की जाएंगी। इन 13 परियोजनाओं का कुल वार्षिक प्रशुल्क लगभग **₹ 2,888 करोड़** है।

वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में, आपकी कंपनी में 47 टीबीसीबी सहायक कंपनियां थीं, जिनका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएंडए) में दिया गया है।

2.2. प्रतिभूतिकरण के माध्यम से पारेषण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

केंद्रीय बजट 2021–22 में, देश में अवसंरचना के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख स्तंभों में से एक के



रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर प्रकाश डाला गया था। इस अधिदेश के बाद, नीति आयोग ने प्रत्येक वर्ष के लिए विशिष्ट लक्ष्यों की रूपरेखा सहित 'राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन' (एनएमपी) विकसित की।

एनएमपी के अनुसार मुख्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण की रूपरेखा में तीन प्रमुख अनिवार्यताएं हैं।

- 'स्वामित्व' नहीं बल्कि 'अधिकारों' का मुद्रीकरण, लेन–देन के समय के अंत में सरकार को वापस सौंपी गई परिसंपत्तियाँ।
- ब्राउनफील्ड जोखिम मुक्त परिसंपत्तियाँ, स्थिर राजस्व धाराएँ
- दृढ़ केपीआई और निष्पादन मानकों सहित परिभाषित संविदात्मक रूपरेखाओं के अंतर्गत संरचित भागीदारी

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, वित्तपोषण को पूरा करने के वैकल्पिक साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण के पैमाने को निर्धारित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एनएमपी में दिए गए मार्गदर्शन कारकों पर विचार करते हुए आपकी कंपनी ने अपने चार प्रचालन टीबीसीबी एसपीवी अर्थात 'पावरग्रिड भुज पारेषण लिमिटेड', 'पावरग्रिड खेतड़ी पारेषण प्रणाली लिमिटेड', 'पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत पारेषण लिमिटेड' और 'पावरग्रिड वाराणसी पारेषण प्रणाली लिमिटेड' के नकदी प्रवाह का मुद्रीकरण किया है तथा कंपनी निजी तौर पर शेयर आबंटन से प्रतिभूतिकरण विधि के माध्यम से **₹5,500 करोड़** के मुद्रीकरण लक्ष्य की तुलना में तीन किस्तों में कुल **₹5,700 करोड़** जुटाए हैं।

2.3. गुजरात में सुव्यवस्थित प्रीपेड मीटरिंग परियोजना

आपकी कंपनी, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (पीईएसएल) के माध्यम से गुजरात के 2 (दो) डिस्कॉम (एमजीवीसीएल और यूजीवीसीएल) में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत सुव्यवस्थित मीटरिंग परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इन परियोजनाओं को डीबीएफओओटी (डिजाइन, बिल्ड, फंड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर) मोड के अंतर्गत क्रियान्वित किया जा रहा है। पीईएसएल 27 महीनों में परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा जिसके बाद लगभग 7.5 वर्षों तक परियोजना का संचालन और अनुरक्षण किया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत एमजीवीसीएल और यूजीवीसीएल में क्रमशः 33.56 लाख और 35.78 लाख सुव्यवस्थित मीटर लगाए जाएंगे। पीईएसएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में परियोजना को क्रियान्वित कर रही है।

परियोजनाओं के लिए निविदा और अवार्ड जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से किया गया था। परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है। दोनों डिस्कॉम में नेटवर्क प्रचालन और निगरानी केन्द्र (एनओएमसी) को दिन–प्रतिदिन के संचालन और अनुरक्षण कार्य के लिए कार्यात्मक बनाया गया है।

अब तक एमजीवीसीएल में लगभग 27,000 सुव्यवस्थित मीटर और यूजीवीसीएल में 1,513 सुव्यवस्थित मीटर प्रीपेड मोड में स्थापित किए गए हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से उपभोक्ता मोबाइल ऐप के साथ–साथ उपभोक्ता पोर्टल के माध्यम से अपने मीटर को ऑनलाइन रिचार्ज कर सकेंगे और वास्तविक समय में अपनी दैनिक खपत की निगरानी कर सकेंगे।

2.4. संयुक्त उद्यम (जेवी) के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आरआरवीपीएनएल) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)

आपकी कंपनी ने राजस्थान राज्य में अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित करने के लिए आरआरवीपीएनएल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है, जिसमें पावरग्रिड की 74% और आरआरवीपीएनएल की 26% इक्विटी भागीदारी होगी। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी चरणबद्ध तरीके से **₹10,000 करोड़** तक की परियोजनाएं शुरू करेगी।





3. प्रचालनात्मक निष्पादन

3.1. परिसंपत्ति प्रबंधन

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के माध्यम से स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों सहित आपकी कंपनी की कुल पारेषण परिसंपत्तियों में 1,503 पारेषण लाइनें शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,77,699 सीकेएम है और इसमें 278 उप–केन्द्र हैं, जिनकी कुल परिवर्तन क्षमता 5,27,446 एमवीए है।

परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्र में वर्ष के दौरान आपकी कंपनी की विभिन्न पहल/उपलब्धियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

- **आईएसओ 55001:2014 परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन:**

  आपकी कंपनी को आईएसओ 55001 प्रमाणन के लिए अनुशंसित किया गया है जो परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपनी परिसंपत्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में उच्चतम मानदंडों का उपयोग कर रहा है।

  आईएसओ 55001 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता निरंतर सुधार, जोखिम प्रबंधन और विश्वसनीय सेवाएँ प्रदान करने के प्रति इसके समर्पण को रेखांकित करती है। संगठन ने अपनी परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यप्रणालियों को आईएसओ 55001 के अनुरूप बनाने के लिए लगन से काम किया है, जो रणनीतिक निर्णय लेने और संधारणीय मूल्य सृजन के लिए सुदृढ़ रूपरेखा का प्रदर्शन करता है।

  आईएसओ 55001 के लिए अनुशंसा परिसंपत्ति प्रबंधन में वैश्विक सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के प्रति कंपनी के समर्पण को दर्शाती है, जो अंततः इसके अवसंरचना की विश्वसनीयता और निष्पादन को बढ़ाती है।

- **हरित पहल – 132 केवी, 20 एमवीएआर बस रिएक्टर को पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक एस्टर ऑयल से रेट्रोफिट करना:**

  आपकी कंपनी ने आइजोल उप–केन्द्र पर 132 केवी, 20 एमवीएआर बस रिएक्टर को पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक एस्टर ऑयल से रेट्रोफिट किया है। यह दृष्टिकोण पारंपरिक इन्सुलेटिंग तेलों को अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प में बदलकर संधारणीय कार्यप्रणालियों के साथ संरेखित करता है। रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया को सटीकता के साथ पूरा किया गया, और बस रिएक्टर को दिनांक 01 दिसंबर, 2023 को सफलतापूर्वक शुरू किया गया। यह पर्यावरण के प्रति जागरूक पहल न केवल पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करने में योगदान देती है, बल्कि अपने प्रचालन अवसंरचना में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है।

- **400 केवी रिएक्टरों की ऑन–साइट मरम्मत:**

  आपकी कंपनी ने डाल्टनगंज और बालीपारा उप–केन्द्रों पर 400 केवी रिएक्टरों की ऑन–साइट मरम्मत की थी। मरम्मत कार्य में कोर शील्ड में खराबी को ठीक करने के लिए वाइंडिंग को हटाना शामिल था। मरम्मत कार्य करने के लिए साइट पर तापमान और नमी नियंत्रित वातावरण तैयार किया गया था। मरम्मत किए गए रिएक्टरों को दोनों स्थानों पर सेवा में ले लिया गया है और वर्तमान में वे संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं।

- **400केवी आपातकालीन पुनर्स्थापना प्रणाली (ईआरएस) का स्वदेशी विकास:**

  आपकी कंपनी ने एजेंसियों के साथ 400 केवी आपातकालीन पुनर्स्थापना प्रणाली का स्वदेशी विकास के लिए पहल की है और ऐसे ईआरएस की आपूर्ति की गई है।

- **विश्वसनीयता केन्द्रित अनुरक्षण (आरसीएम) कार्यप्रणालीः**

  आपकी कंपनी ने दिनांक 01 जनवरी, 2024 से ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर और पारेषण लाइनों सहित अपनी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए विश्वसनीयता केन्द्रित अनुरक्षण (आरसीएम) कार्यप्रणालियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण में प्रत्येक घटक की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण, संभावित विफलता मोड की पहचान करना और समग्र प्रणाली संबंधी निष्पादन को बढ़ाने के लिए लक्षित अनुरक्षण योजनाएँ विकसित करना शामिल है। यह केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण की ओर अग्रणी होगा। यह सक्रिय और आंकड़ा–संचालित दृष्टिकोण न केवल प्रमुख अवसंरचना के घटकों के इष्टतम कामकाज को सुनिश्चित करता है, बल्कि प्रचालन दक्षता और पर्याप्त लागत बचत में भी योगदान देता है। आरसीएम का सफल एकीकरण अधिक विश्वसनीय और समुत्थानशील विद्युत पारेषण नेटवर्क के लिए नवोन्मेष अनुरक्षण रणनीतियों को अपनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- **उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)––संरक्षण और एससीएडीएः**

  आपकी कंपनी ने लगभग 36,000 आईईडी और 190 नग एसएएस गेटवे के आंकड़ाबेस को प्रबंधित और मान्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)––संरक्षण और एससीएडीए की स्थापना की है, ताकि योजना का समुचित कार्यान्वयन, सेटिंग्स/कॉन्फ़िगरेशन की एकरूपता और केंद्रीकृत स्थान से मांग की गई मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्रीय स्थान से सुरक्षा मुद्दों को संभालने के लिए सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता को सक्षम बनाता है और संवर्धित वास्तविकता आदि जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग करके स्थलों को दूरस्थ सहायता के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है।



- **आंतरिक बेंचमार्किंग**

  आपकी कंपनी प्रचालन निष्पादन का विश्लेषण करने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और इष्टतम प्रचालन निष्पादन प्राप्त करने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों पर आंतरिक बेंचमार्किंग का उपयोग कर रही है।

- **विभिन्न राज्यिक उपयोगिताओं को सहायताः**

  आपकी कंपनी ने पारेषण टावरों की बहाली और स्थानांतरण के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अन्य बातों के साथ–साथ जीईटीसीओ, आरवीपीएनएल, एचपीएसईबी, सिक्किम सहित विभिन्न राज्यिक उपयोगिताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करके सहयोगात्मक प्रयासों और क्षेत्रीय समर्थन के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह सहकारी पहल विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत संबंधी अवसंरचना की विश्वसनीयता और समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के समर्पण को रेखांकित करती है। आवश्यक सहायता प्रदान करके, कंपनी व्यापक विद्युत ग्रिड के कुशल कामकाज और अनुरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान देती है, जिससे विद्युत क्षेत्र के भीतर साझा जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा मिलता है। यह सहयोगी दृष्टिकोण न केवल अंतर–उपयोगिता संबंधों को सुदृढ़ करता है बल्कि समर्थित क्षेत्रों में विद्युत पारेषण नेटवर्क की समग्र विश्वसनीयता और सुदृढ़ता को भी बढ़ाता है।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमः**

  हॉटलाइन अनुरक्षण – आपकी कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों के लिए हॉटलाइन अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की है। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को 765 केवी हॉटलाइन अनुरक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण भारत का पहला प्रशिक्षण था और इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षकों की समूह को सशक्त बनाया गया, जिससे वे विभिन्न प्रकार के स्ट्रिंग्स के हॉट लाइन संचालन को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम हुए। इसके अतिरिक्त इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से, यह उन्हें 765 केवी हॉटलाइन संचालन क्षेत्र के अन्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन करने और उन्हें विकसित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त होगा।

  ड्रोन – आपकी कंपनी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (नागरिक विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय), गुरुग्राम में कर्मचारियों के लिए डीजीसीए प्रमाणित ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की है।





- **परिसंपत्ति प्रबंधन के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में पहलः**

  परिसंपत्ति प्रबंधन (एएम) डैशबोर्ड का विकास (उड़ान – परिसंपत्ति और नेटवर्क का अद्वितीय डिजिटल विश्लेषण) – परिसंपत्ति प्रबंधन (एएम) डैशबोर्ड का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) तक पहुँचने के लिए समेकित और उपयोगकर्ता के अनुकूल मंच प्रदान करना है। यह नवोन्मेष समाधान विभिन्न स्थानों पर विस्तृत आंकड़ों को एकीकृत करता है, जो व्यापक अंतर्दृष्टि के लिए केंद्रीकृत केंद्र प्रदान करता है। एएम डैशबोर्ड न केवल प्रबंधन के लिए सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि संगठन में संपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली का व्यापक भू–स्थानिक दृश्य भी प्रदान करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण निर्णय लेने वालों को परिसंपत्तियों की स्थिति को सहजता से नेविगेट करने और उसका आकलन करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, इस डैशबोर्ड का समावेश आंकड़ा लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि प्रासंगिक हितधारकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने में बढ़ावा मिले। एएम डैशबोर्ड बेहतर प्रचालन दृश्यता और रणनीतिक प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता का प्रमाण स्वरूप है।

  पावरग्रिड (आई2पी) में कुशल निरीक्षण – दिसंबर 2023 में कुशल निरीक्षण मॉड्यूल लागू किया गया है, जो क्यूआर कोड का उपयोग करके उप–केन्द्र उपकरणों के दक्षतापूर्ण दैनिक, मासिक, त्रैमासिक और अर्ध–वार्षिक निरीक्षण को सक्षम बनाता है। आंकड़ा लॉगिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सुदृढ़ टैबलेट पानी और धूल से सुरक्षित हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से अप्रभावित हैं, और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों मोड में आंकड़ा इनपुट करने की अनुमति देती हैं। प्रत्येक उपकरण पर क्यूआर कोड पहचान को सुव्यवस्थित करते हैं, जिससे ईआरपी आंकड़ाबेस में खोज का समय कम हो जाता है। प्रणाली उपकरण स संबंधित त्रुटियों की तस्वीरें लेता है और संग्रहीत करता है, साइट पर कार्य आदेश और सूचनाएँ सृजन करता है और त्वरित त्रुटि संदेशों के साथ आंकड़ा सटीकता सुनिश्चित करता है। यह रूपरेखा व्यापक परिसंपत्ति मूल्यांकन के लिए विश्लेषण भी प्रदान करता है, जो गलत रीडिंग और ऑन–साइट समूह के लिए वास्तविक समय की जानकारी की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करता है।

  ड्रोन के माध्यम से पारेषण लाइनों की गश्त – लगभग 900 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पारेषण लाइनों की सफलपूर्वक ड्रोन–आधारित गश्त। ड्रोन–आधारित पेट्रोलिंग निगरानी कार्यकलापों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाती है, जिससे पारेषण लाइनों का त्वरित और व्यापक निरीक्षण संभव होता है। ड्रोन आधारित गश्त से संभावित समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलती है और समय पर अनुरक्षण के प्रयासों में सुविधा होती है। यह पहल कंपनी की अपने पारेषण अवसंरचना के विश्वसनीय और सुरक्षित संचालन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

3.2. राष्ट्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्र (एनटीएएमसी), मानेसर और क्षेत्रीय पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केन्द्र (आरटीएएमसी)

आपकी कंपनी के पारेषण प्रणाली के रिमोट संचालन और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न मापदंडों की निगरानी की सुविधा के लिए, गुरुग्राम (हरियाणा) के पास मानेसर में एनटीएएमसी की स्थापना की गई और देश भर में विभिन्न स्थानों पर आरटीएएमसी की स्थापना की गई। मुख्य नियंत्रण केंद्र अर्थात बीएनटीएएमसी का बैक–अप बेंगलुरु (कर्नाटक) में स्थित है। पारेषण परिसंपत्तियों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए इन अत्याधुनिक केंद्रों पर चौबीसों घंटे विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। एनटीएएमसी से हेडगियर का उपयोग करके संवर्धित वास्तविकता के माध्यम से प्रमुख अनुरक्षण कार्यकलापों की ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है। इससे खराब संचालन के लिए निवारक उपायों में भी मदद मिलती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 7 एक्सट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) उप–केन्द्रों को दूरस्थ संचालन के लिए एनटीएएमसी के साथ एकीकृत किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 के अंत तक, इन परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्रों से कुल 278 उप–केन्द्रों को दूरस्थ रूप से संचालित किया जा रहा है।

3.3. साइबर सुरक्षा

कंपनी में सूचना सुरक्षा विभाग के माध्यम से साइबर सुरक्षा पहलों का नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) द्वारा किया जाता है। आपकी कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय, सभी क्षेत्रीय मुख्यालय और 269 उप–केन्द्र के सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओः 27001 के अनुसार प्रमाणित हैं। आपकी कंपनी कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी–इन) और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों और अनुक्रमण कार्यक्रमों में भाग लेती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी नामित वैधानिक निकायोंः सीईआरटी–इन और एनसीआईआईपीसी के साथ मिलकर काम करती है। आपकी कंपनी समय–समय पर इन एजेंसियों द्वारा जारी की गई सिफारिशों का पालन करती है और उन्हें पारेषण क्षेत्र में अन्य उपयोगिताओं के साथ साझा करती है। कंपनी ने साइबर सुरक्षा संबंधी समुत्थानशीलता को सुदृढ़ करने के लिए निगरानी और खतरा विश्लेषण हेतु स्वदेशी एकीकृत सूचना सुरक्षा प्रचालन केंद्र (आई3एसओसी) की स्थापना की है।

3.4. सुरक्षा

आपकी कंपनी में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन है, जो कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का दृढ़ता से पालन करके स्वस्थ कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी

कर्मचारियों और अनुबंधित श्रमिकों दोनों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करती है। कंपनी ने अपने संचालन के हर चरण में, डिजाइन और निर्माण से लेकर परिसंपत्तियों के संचालन और अनुरक्षण तक, सुरक्षा संबंधी विचारों को सावधानीपूर्वक शामिल किया है।

कॉर्पोरेट, क्षेत्रीय और स्थल स्तरों पर कार्यान्वित किए गए संरचित दृष्टिकोण सहित, कंपनी पारेषण लाइनों, उप–केन्द्रों और सतत निर्माण और अनुरक्षण कार्यकलापों से संबंधित दुर्घटना रोकथाम उपायों को बढ़ावा देती है। कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तरों पर नामित सुरक्षा अधिकारियों की देखरेख में सभी स्तरों पर नियमित रूप से कठोर निगरानी और निष्पादन संबंधी समीक्षा की जाती है।

व्यापक सुरक्षा उपाय किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न संचालन और अनुरक्षण स्थलों पर कर्मचारियों और अनुबंधित श्रमिकों दोनों के लिए सुरक्षा लेखा–परीक्षा, निरीक्षण, सुरक्षा प्रशिक्षण, दैनिक ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल आयोजित करना शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस/सप्ताह, राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस/सप्ताह और राष्ट्रीय विद्युत दिवस/सप्ताह के वार्षिक उत्सव जैसे विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, कंपनी कार्मिकों, उनके परिवारों और संविदा कर्मियों को शामिल करती है, कार्यस्थल और घर दोनों पर सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों के प्रति जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देती है।

सभी सुरक्षा–संबंधी घटनाओं की दुर्घटना जांच समितियों, स्थायी सुरक्षा प्रबंधन समिति और पावरग्रिड शीर्ष सुरक्षा बोर्ड द्वारा सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और कार्यान्वयन के लिए स्थलों पर सिफारिशें व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं, जिससे सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों में निरंतर सुधार सुनिश्चित होता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान की गई विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कुशल सुरक्षा सूचना–प्राप्ति और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा कार्यकलाप पोर्टल विकसित किया गया।
- विक्रेता दुर्घटनाओं के संबंध में अनुबंध संबंधी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणीत पोर्टल में सुरक्षा टैब बनाया गया।
- एआई से सुसज्जित हेड–माउंटेड कैमरों का उपयोग करके निर्माण स्थलों की दूरस्थ निगरानी के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई।
- अनुबंध श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने के लिए सुरक्षा राजकोषीय निधि का उपयोग करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्थापित की गई।
- सुरक्षा को प्राथमिकता देने और सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणाली अंतराल को कम करने के लिए संशोधित संविदात्मक प्रावधान।
- श्रमिकों के बीच सुरक्षा उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए पुरस्कारों की व्यवस्था की गई।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा निरीक्षण के लिए औचक वीडियो कॉल कार्यान्वित किए।



एसआरएम प्रणित पोर्टल में विकसित दुर्घटना रिपोर्टिंग अनुप्रयोग का उद्घाटन श्री विभय कुमार ईडी (एएम, एनटीएएमसी, और सुरक्षा) द्वारा श्री आर के रोहिल्ला ईडी (सीएस) और श्री डोमन यादव ईडी (ईआरपी और आईटी, जीए एंड सी) की उपस्थिति में किया गया।

- दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनसे सीख साझा करना तथा सुरक्षा संबंधी कार्यप्रणालियों में निरंतर सुधार को बढ़ावा देना।
- संपूर्ण कंपनी में सुरक्षा दिवस, लाइन मैन दिवस, अग्नि दिवस, पर्यावरण दिवस और विद्युत सुरक्षा दिवस जैसे सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए।
- कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण और व्याख्यान दिए गए।

4. आपदा प्रबंधन

कंपनी में आपदा से पहले और बाद की अवधि के दौरान तत्काल कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त विद्युत अंवसंरचना को जल्दी से बहाल करने के लिए "आपदा और संकट प्रबंधन योजना" है। यह संकटों और आपदाओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन के पदानुक्रम को रेखांकित करता है और आपदा प्रबंधन में विभिन्न विभागों की भूमिकाओं/जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त सूचना के आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 में सभी चक्रवातों से पहले तैयारी के उपाय किए हैं। उन्नत तैयारी और सुदृढ़ अवसंरचना के कारण, चक्रवातों के दौरान आपकी कंपनी के पारेषण नेटवर्क पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। कंपनी ने प्रभावित राज्यों की पारेषण और वितरण उपयोगिताओं को उनके क्षतिग्रस्त पारेषण और वितरण नेटवर्क को तेजी से बहाल करने के लिए जनशक्ति और उपकरण उपलब्ध कराकर पूर्ण सहयोग दिया है।

5. परियोजना कार्यान्वयन

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने लगभग 4,036 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज (ईएचवी) पारेषण लाइनें, 19,720 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) परिवर्तन क्षमता और 6 नए उप–केन्द्र (अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से) जोड़े।

इसके अतिरिक्त, प्रभावी ग्रिड प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र (आरएलडीसी)/राज्य लोड डिस्पैच केन्द्र (एसएलडीसी) के साथ वॉयस और आंकड़ा संचार का समर्थन करने के लिए वर्ष के दौरान लगभग 9,169 किलोमीटर ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क जोड़ा गया।

पारेषण लाइनें निम्नानुसार हैं

- 400 केवी 2xडी/सी बीकानेर–II एसईजेड – खेतड़ी लाइन, बीकानेर–II और खेतड़ी प्रत्येक में 240 एमवीएआर लाइन रिएक्टर सहित
- 400 केवी 2xडी/सी खेतड़ी–भिवाड़ी लाइन
- 400 केवी डी/सी लोअर सुभानसिरी – बिस्वनाथ चरियाली –II लाइन
- 400 केवी डी/सी नीमच–मंदसौर लाइन
- 400 केवी डी/सी नीमच–चित्तौड़गढ़ लाइन
- 400 केवी डी/सी मुरादनगर–द्वितीय – सिंभावली लाइन
- 400 केवी डी/सी (क्यू) सीतामढी – ढालकेबार लाइन
- 400 केवी डी/सी (ट्विन एचटीएलएस) फतेहगढ़–III (रामगढ़–द्वितीय)–जैसलमेर–II (आरवीपीएनएल) लाइन
- 400 केवी डी/सी (ट्विन एचटीएलएस) फतेहगढ़–III (रामगढ़–II) –फतेहगढ़–II लाइन
- 765 केवी जीआईएस रामपुर उप–केन्द्र में एलआईएलओ 765 केवी घाटमपुर–हापुड़ (डब्ल्यूयूपीपीटीसीएल) लाइन का
- 132 केवी रोइंग–चपाकोवा डी/सी लाइन

उप–केन्द्र

- 765/400/220 केवी मेरठ जीआईएस उप–केन्द्र
- 400/220 केवी फतेहगढ़–III (रामगढ़–II) उप–केन्द्र
- 400/220 केवी, बीकानेर–II उप–केन्द्र
- 400/220/132 केवी जीआईएस सिंभावली उप–केन्द्र
- 400/220/132 केवी जीआईएस, मोहनलालगंज उप–केन्द्र
- 400/220 केवी नीमच उप–केन्द्र

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित पारेषण परिसंपत्तियों की अंतर–क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण 99,580 मेगावाट (अर्थात 83.86%) थी, जिसमें से 1,18,740 मेगावाट अंतर–क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता क्षमता राष्ट्रीय ग्रिड की थी।



6. पूंजी निवेश, निधि जुटाना और निवेश स्वीकृतियां

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने नकदी आधार पर ₹11,219 करोड़ का समेकित पूंजी निवेश किया। इस निवेश को वित्तपोषित करने के लिए, कंपनी ने बॉन्ड और सावधि ऋण के माध्यम से ₹8,699 करोड़ और आंतरिक स्रोतों और अन्य से ₹2,520 करोड़ जुटाए। वर्ष के दौरान, संचयी आधार पर समेकित पूंजी निवेश ₹12,500 करोड़ था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, विनियमित प्रशुल्क तंत्र (आरटीएम) के अंतर्गत ~₹3,600 करोड़ मूल्य की पारेषण परियोजनाओं के लिए निवेश स्वीकृतियां दी गई हैं और कंपनी ने प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) तंत्र के अंतर्गत ~₹33,500 करोड़ मूल्य की परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है।

7. वाणिज्यिक निष्पादन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति और विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप समय–समय पर यथा–अधिसूचित सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्कों और हानियों का सांझाकरण) विनियमों का शासन अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्कों का सांझाकरण द्वारा होता है। वर्तमान में, सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्कों और हानियों का सांझाकरण) विनियम, 2020 प्रचलन में हैं। सांझाकरण के विनियमनों के अनुसार, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) में आपकी कंपनी सहित देश के सभी आईएसटीएस लाइसेंसधारियों की ओर से बिलिंग और पारेषण शुल्क एकत्र करने और उन्हें संवितरित करने की जिम्मेदारी थी। आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल पारेषण यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) को भारत सरकार द्वारा सीटीयू के रूप में अधिसूचित किया गया है। आपकी कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीम्ड पारेषण लाइसेंस धारक बनी हुई है।

आपकी कंपनी ने अपने ग्राहकों (डीआईसी) के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समय पर विनियामक कार्रवाई के माध्यम से वित्त वर्ष 2023–24 में 100.06% की बिलिंग संग्रह दक्षता हासिल की है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में बिलिंग संग्रह दक्षता 98.84% थी।

8. अन्य व्यापार

8.1. दूरसंचार व्यापार

क) पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पॉवरटेल)

अपनी देशव्यापी पारेषण अवसंरचना का लाभ उठाते हुए, आपकी कंपनी ने ओपीजीड्ब्लू (ऑप्टिकल ग्राउंड वायर) का उपयोग करके ओवरहेड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क स्थापित करके दूरसंचार व्यापार में विविधता लाई थी।

आपकी कंपनी ने दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार शुरू करने के लिए दिनांक 25 नवंबर, 2021 को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड' (पॉवरटेल) को निगमत किया था। पावरटेल ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी–क) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) के लिए सेवा प्राधिकरणों के साथ एकीकृत लाइसेंस प्राप्त किया है। आपकी कंपनी का दूरसंचार व्यापार 01 अक्टूबर, 2023 से पावरटेल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

पावरटेल अपने अखिल भारतीय उच्च क्षमता वाले नेटवर्क के साथ देश के सभी हिस्सों में पॉइंट–टू–पॉइंट लीज्ड लाइन सेवाएं, इंटरनेट लीज्ड लाइन, टावर सह–अवस्थिति, एमपीएलएस आधारित आईपी–वीपीएन, एसडी–डब्ल्यूएएन, डीडीओएस आदि जैसी राष्ट्रव्यापी सेवाएं प्रदान कर रहा है। 1,00,000 किमी से अधिक के अपने नेटवर्क सहित पावरटेल भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों/कस्बों और महानगरों को शामिल करते हुए 3000 से अधिक स्थानों पर मौजूद है। वर्ष के दौरान टेलीकॉम बैकबोन की उपलब्धता 100% थी। वित्त वर्ष 2023–24 में दूरसंचार व्यापर से ₹822 करोड़ का राजस्व जुटाया गया था।



पिछले कुछ वर्षों में पॉवरटेल द्वारा की गई प्रमुख उपलब्धियाँ/ नई पहल निम्नानुसार हैं:



- मेघालय राज्य में दूरसंचार संबंधी संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 02 मार्च, 2024 को मेघालय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- जी–20 शिखर सम्मेलन के दौरान, दूरसंचार विभाग के साथ घनिष्ठ समन्वय में, शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न सरकारी और निजी पोर्टलों को लक्षित करने वाले कई साइबर हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 250 से अधिक दुर्भावनापूर्ण साइटों को सफलतापूर्वक अवरुद्ध किया और कई डीडीओएस साइबर हमलों को कम किया।



- पावरग्रिड बोर्ड ने "पावरग्रिड टेलीकॉम को आंकड़े संबंधी केन्द्र व्यापार में विस्तारित करने और मानेसर में पायलट आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने" के लिए अनुमोदन दे दी है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 30 नवंबर, 2022 को पावरटेल के माध्यम से मानेसर में आंकड़ा केन्द्र (डीसी) स्थापित करने की अनुमति दी और यह अब कार्यान्वयनाधीन है।
- देश भर में 15 उप–केन्द्र स्थानों पर आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने के लिए दिनांक 27 मार्च, 2024 को सीईआरसी से अनुमति प्राप्त हुई। ग्राहकों की आवश्यकता और व्यावसायिक अनुभव के आधार पर, इन स्थानों पर आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने की संभावना तलाशी जाएगी।
- नेपाल और बांग्लादेश को दूरसंचार संपर्क प्रदान करने के लिए क्रमशः मुजफ्फरपुर (बिहार) और बेहरामपुर (पश्चिम बंगाल) में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार गेटवे स्थापित किए गए।
- मिशन महत्वपूर्ण दूरसंचार लिंक प्रदान करने और निगरानी करने अर्थात जिसके माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन को सहायता प्रदान की गई थी, में उच्च स्तर की उत्कृष्टता के लिए इसरो से प्रशंसा प्राप्त करने पर कंपनी को गर्व है।

8.2. परामर्श सेवाएँ

आपकी कंपनी, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी विद्युत पारेषण उपयोगिताओं में से अन्यतम कंपनी है, ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्युत पारेषण परियोजनाओं, उप–संचरण प्रणालियों, वितरण प्रबंधन, लोड डिस्पैच और संचार सहित मुख्य क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता विकसित की है। इस व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए, कंपनी ने घरेलू और विदेशी स्तर पर कई ग्राहकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान की हैं। इस वर्ष, परामर्श खंड ने ₹553 करोड़ का प्रचालन राजस्व जुटाया है।

क) घरेलू बाजार

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की कतिपय प्रमुख परियोजनाओं को परामर्श कार्य के रूप में क्रियान्वित की है, इनमें मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम में अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणाली नामतः 'एनईआर पावर प्रणाली इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट' (एनईआरपीएसआईपी) (33 केवी और उससे अधिक), अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण को सुदृढ़ करने के लिए 'व्यापक योजना' और प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 (पीएमडीपी–15) को सुदृढ़ करना शामिल है।



कंपनी मध्य, पूर्व मध्य, दक्षिण–पश्चिमी और दक्षिण–पूर्व–मध्य रेलवे क्षेत्रों में अविद्युतीकृत रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण के लिए भारतीय रेलवे और भारतमाला परियोजना में एनएचएआई को परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर रही है।

आपकी कंपनी वर्तमान में पारेषण और उप पारेषण, डिजाइन और इंजीनियरिंग, ईवी चार्जिंग, नवीकरणीय आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 79 घरेलू परामर्श कार्य कर रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को 21 नए घरेलू परामर्श कार्य प्राप्त हुए।

कुछ प्रमुख परामर्श कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- यूपीपीटीसीएल के ईएचवी उप–केन्द्रों के दूरस्थ संचालन के लिए राज्यिक पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (एसटीएएमएस) की स्थापना के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु यूपीपीटीसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत वितरण कार्यों में होने वाली हानि को कम करने के लिए केपीडीसीएल, जेपीडीसीएल और एलपीडीडी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।



- निम्नलिखित कार्य के लिए एमएसईटीसीएल को परामर्श सेवाएं
  - ±500 केवी चंद्रपुर–पड़घे एचवीडीसी बाइपोल लिंक के मौजूदा एचवीडीसी नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रणाली को नियंत्रण एवं सुरक्षा प्रणाली के उपयुक्त संस्करण का उन्नयन।
  - अंजुर में एमएसईटीसीएल के ±500 केवी चंद्रपुर–पड़घे एचवीडीसी लिंक के अर्थ इलेक्ट्रोड केन्द्र को पुनः स्थापित करना।
- 500 एमवीए, 400 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर की 1 इकाई के डिजाइन/ड्राइंग समीक्षा, अनुमोदन, विनिर्माण प्रक्रिया निरीक्षण, चरण निरीक्षण, नियमित एवं टाइप टेस्ट (डायनेमिक शॉर्ट सर्किट टेस्ट) की निगरानी करने के लिए सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड (सीजीएल) को परामर्श सेवाएं।
- 500 एमवीए 400/220/33 केवी थ्री फेज आईसीटी के लिए समीक्षा, ड्राइंग/एमक्यूपी अनुमोदन, रूटीन परीक्षण, टाइप टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की निगरानी करने के लिए मेसर्स जीई टीएंडडी इंडिया लिमिटेड को परामर्श सेवाएं।
- ज़ोजिला ईस्ट पोर्टल लोकेशन पर 2x25 एमवीए, 66/11 केवी, उप–केन्द्र के निर्माण और 220/66 केवी ड्रास उप–केन्द्र से 66/11 केबी ज़ोजिला ईस्ट पोर्टल अवस्थिति उप–केन्द्र तक 66 केवी डी/सी लाइन के साथ–साथ 66 केवी भूमिगत केबल कार्य के लिए एनएचआईडीसीएल को परामर्श सेवाएँ।
- नीलगर में 50 एनवीए 220/33 केवी नीलगर उप–केन्द्र के निर्माण और वेस्ट पोर्टल स्थान पर एसएलटीएस के सर्किट के एलआईएलओ के लिए एनएचआईडीसीएल को परामर्श सेवाएँ।

- 1000 मेगावाट पाकल दुल जल विद्युत परियोजना, 624 मेगावाट कीरू जल विद्युत परियोजना और 540 मेगावाट क्वार जल विद्युत परियोजना के पॉट हेड यार्ड से किश्तवाड़ में प्रस्तावित पूलिंग केन्द्र तक 400 केवी समर्पित पारेषण लाइन बिछाने के लिए सीवीपीपीएल को परामर्श सेवाएँ।

ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की 23 देशों में पहुंच है। आपकी कंपनी वर्तमान में लगभग 19 अंतर्राष्ट्रीय परामर्श कार्य निष्पादित कर रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 9 नए अंतर्राष्ट्रीय परामर्श कार्य प्राप्त किए।

केन्या पूर्वी अफ्रीकी बाजार के लिए रणनीतिक प्रवेश द्वार है और क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने में प्रमुख प्लेयर है। केन्या में पारेषण परियोजना के विकास के लिए निजी तौर पर शुरू किया गया प्रस्ताव (पीआईपी) आपकी कंपनी द्वारा अफ्रीका–50 के साथ संयुक्त उद्यम में प्रस्तुत किया गया है, इसके बाद केन्या में 400 केवी और 220 केवी पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 15 मई, 2024 को, आपकी कंपनी और अफ्रीका 50 को केट्राको, केन्या से बातचीत के लिए आगे बढ़ने की सूचना मिली। परियोजना की अनुमानित लागत 313 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आपकी कंपनी अन्य अफ्रीकी देशों (तंजानिया, मोजाम्बिक, गैबॉन गणराज्य, नाइजीरिया) में भी इसी तरह की रूपरेखा को दोहराने के लिए उपयुक्त अवसरों की तलाश कर रही है।

9. अंतर सीमा अंतर्संबंध

भारत, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में केंद्रीय स्थान पर स्थित होने के कारण, क्षेत्रीय ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ–साथ देशों के बीच चरम मांग में विविधता के कारण बेहतर क्षमता उपयोग के लिए दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में विभिन्न पड़ोसी देशों, अर्थात् नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ओमान, यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर के साथ अंतर सीमा अंतर्संबंध की स्थापना और योजना बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

अंतर सीमा अंतर्संबंध के माध्यम से भारत और पड़ोसी देशों के बीच वर्तमान संचयी विद्युत हस्तांतरण लगभग 4,745 मेगावाट है। नेपाल के साथ अतिरिक्त पारेषण इंटरकनेक्शन अर्थात गोरखपुर (भारत) से नई बुटवल (नेपाल) तक 400 केवी डी/सी (क्वाड) पारेषण लाइन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।





10. गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विनिर्देश, पीएएस 99:2012 के अनुरूप प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित की है और इसे बनाए रखी हैं, साथ ही आईएसओ 9001:2015 (गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), और ेप 45001:20 18 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) के मानकों को भी पूरा किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का बाह्य निगरानी लेखा–परीक्षा बिना किसी गैर–अनुरूपता के सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सामाजिक उत्तरदायित्व मानक, एसए 8000:2014 का पुनः प्रमाणन बाह्य एजेंसी द्वारा दिनांक 31 मई, 2023 को प्रदान किया गया, और कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों को सामाजिक उत्तरदायित्व मानक सहित प्रमाणित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन के क्षेत्र में की गई विभिन्न पहल निम्नानुसार हैं:

- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 16,283 निरीक्षण कॉल में भाग लिया गया।
- एमएसएमई निर्माताओं को नवीन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने और उसे विकसित करने तथा आत्मनिर्भर भारत/मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 83 नए विक्रेता जोड़े गए (जिनमें से 31 सूक्ष्म/लघु उद्यम हैं)।
- कंपनी में पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नए निर्माताओं का अनुमोदन से पहले मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के दौरान यह ध्यान दिया गया कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों, यदि कोई हो, का अनुपालन निर्माताओं द्वारा शत–प्रतिशत किया गया।

- प्रमुख गुणवत्तापूर्ण मुद्दों को सुधारने के लिए निर्माताओं के साथ बैठकें और चर्चाएँ की गईं। वित्त वर्ष 24 के दौरान ज्ञान साझा करने के लिए आंतरिक गुणवत्तापूर्ण बैठकें भी आयोजित की गईं।
- कंपनी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विभिन्न तरीकों से शून्य दोष शून्य प्रभाव (जेडईडी) कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया गया।
- नए विक्रेता को प्रोत्साहित करने और उनका समर्थन करने के लिए, ऑनलाइन विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया का विकास और इसके संस्करण 2.0 की शुरूआत की गई।

11. अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) और नवोन्मेष पहल

नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपने निरंतर प्रयास के प्रति मान्यता के रूप में, आपकी कंपनी को संधारणीयता के क्षेत्र में भारतीय पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार द्वारा दो पेटेंट प्रदान किए गए हैं, अर्थात्:

- 'फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) आधारित माइक्रो–ग्रिड नियंत्रण और निगरानी प्रणाली' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (संख्या 448560)।
- 'थर्मल एनर्जी स्टोरेज (टीईएस) आधारित वातानुकूलित प्रणाली और इसे बनाने की विधि' नामक आविष्कार के लिए पेटेंट (सं. 516615)

यह मान्यता कंपनी की नवोन्मेषी भावना और स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ाने के प्रति दृढ़ समर्पण को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और नवोन्मेष पहलों पर **₹218.07** करोड़ व्यय की है

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रमुख विकास निम्नानुसार हैं:

- आपकी कंपनी भारत की पहली 500 मेगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा निकासी प्रणाली के विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दिशा में, कंपनी ने समुद्र विज्ञान विभाग, आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। अपतटीय पवन ऊर्जा निकासी प्रणाली के लिए समुद्री सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।
- पीएआरटीईसी, मानेसर में आरलन, स्वचालन और नियंत्रण प्रयोगशाला को आईईसी 61850 अनुरूपता परीक्षण करने के लिए प्रतिष्ठित **यूसीएएलयूजी प्रत्यायन** प्राप्त हुआ है। वैश्विक स्तर पर, पावरग्रिड यूसीएएलयूजी प्रत्यायन प्राप्त करने वाली दूसरी उपयोगिता है।
- 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहलों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के सहयोग से **उप–केन्द्र निरीक्षण रोबोट** विकसित किया है। रोबोट उप–केन्द्र में किसी भी महत्वपूर्ण घटक को किसी भी क्षति या विफलता को स्वतंत्र रूप से पहचानने और चिह्नित करने के लिए उन्नत विज़न प्रोसेसिंग और एआई/एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करता है। एआई/एमएल अनुप्रयोगों को अपनाने से प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप से बचा जा सके और इससे निरीक्षण में व्यक्तिपरकता दूर हो जाती है।











- विभिन्न बे में कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) की कुशल स्थिति निगरानी के लिए, व्यापक समाधान सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जिसमें आरएफ संचार के माध्यम से वास्तविक समय में दो सीवीटी के बीच वोल्टेज और आवृत्ति को सटीक रूप से मापने में सक्षम सिंक्रोनाइज्ड वोल्टमीटर की जोड़ी शामिल है। यह नवोन्मेष समाधान सीवीटी स्थिति निगरानी में बढ़ी हुई दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जो प्रभावी अनुरक्षण संबंधी रणनीतियों के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- आपकी कंपनी आईआईटी कानपुर के सहयोग से **सुपर–हाइड्रोफोबिक कोटिंग इंसुलेटर** के विकास का कार्य कर रही है, जो इसके निष्पादन को बेहतर करेगा और अनुरक्षण को कम करेगा। रिसाव धाराओं में निरंतर कमी से आर्किंग और फ्लैशओवर के लिए बेहतर सुरक्षा का लाभ उठाया जाएगा।
- आपकी कंपनी ने **800 केवी और 420 केवी रेजिन इंप्रेगनेटेड पेपर (आरआईपी) बुशिंग के विकास** में सहायता की है। इस संबंध में, औरंगाबाद सबस्टेशन पर 800 केवी और 420 केवी आरआईपी बुशिंग का विकास और आपूर्ति सफलतापूर्वक पूरी हो गई है, साथ ही थिरुवलम सबस्टेशन पर 800 केवी आरआईपी बुशिंग भी पूरी हो गई है। इन उन्नत प्रौद्योगिकी बुशिंग से आग लगने की संभावना कम होने और स्विचयार्ड में आस–पास के उपकरणों पर कम से कम प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 400 केवी और 765 केवी एसी पारेषण लाइनों की संख्या 23 पर इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक क्षेत्र के व्यापक मौसमी मापन किए गए और इसके परिणाम पावरग्रिड की इंटरनेट वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक किए गए। मापों से यह पता चला है कि ईएमएफ स्तर अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही हैं। इससे यह दर्शाता है कि पारेषण लाइनें जनता और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए सुरक्षित और अनुपालन तरीके से काम कर रही हैं।
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू में साइबर सुरक्षा में पावरग्रिड उत्कृष्टता केंद्र, पारेषण और ग्रिड संचालन में साइबर सुरक्षा पहलुओं के निरंतर अनुसंधान, निगरानी, विकास और निष्पादन की सुविधा प्रदान कर रही है।
- विद्युत प्रणाली सिमुलेशन अध्ययन के क्षेत्र में, पावरग्रिड ने पिछले वर्ष में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए प्रगति की है, जिसने विद्युत प्रणाली क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं अर्थात पीएससीएडी और पीएसएस/ई सॉफ्टवेयर में परियोजना विशिष्ट वीएससी–स्टेटकॉम मॉडल का विकास, तथा प्रणाली में उपकरण विफलताओं/ट्रिपिंग के मूल कारण विश्लेषण का पता लगाने के लिए सिमुलेशन अध्ययन, जिससे प्रचालन निष्पादन प्रभावित हुआ है।
- पावरग्रिड एडवांस्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर (पीएआरटीईसी) प्रयोगशाला के अंतर्गत विभिन्न प्रयोगशालाओं को परीक्षण क्षेत्र के लिए आईआसी 17025 मानक के अनुसार प्रतिष्ठित **एनएबीएल मान्यता** प्रदान की गई है। एनएबीएल प्रमाणपत्र प्राप्त करना गुणवत्ता और उत्कृष्टता के प्रति पावरग्रिड की प्रतिबद्धता को और अधिक रेखांकित करता है।
- नई दिल्ली में आयोजित भारत सुव्यवस्थित यूटिलिटी सप्ताह 2024 के दौरान, दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं ने प्रतिष्ठित भारत सुव्यवस्थित ग्रिड फोरम (आईएसजीएफ) नवोन्मेष पुरस्कार 2024 जीता है।



  - "सुव्यवस्थित टेक्नोलॉजी– इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन" श्रेणी में परियोजना "पावर ट्रांसमिशन में भौगोलिक सूचना प्रणाली, रिमोट सेंसिंग और इमेज प्रोसेसिंग का अनुप्रयोग" करने के लिए डायमंड (प्रथम पुरस्कार) पुरस्कार जीता है।
  - "हाई वोल्टेज विद्युत सबस्टेशनों के निरीक्षण के लिए स्वायत्त रोबोटिक समाधान" परियोजना के लिए, "कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनी शिक्षण और रोबोटिक समाधानों को अपनाना – उपयोगिता (सुव्यवस्थित बिजनेसमॉडल सहित)" श्रेणी में स्वर्ण (तृतीय पुरस्कार) पुरस्कार जीता है।

12. भारत सरकार की पहलों में भागीदारी

12.1. 'मेक इन इंडिया' का संवर्धन

आपकी कंपनी ने पारेषण प्रणाली के विकास और प्रचालन के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं के स्थानीयकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। विदेशी निर्माताओं को भारत में सुविधाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके, कंपनी ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में कई विदेशी निर्माताओं ने भारत में नए संयंत्र और सुविधाएँ स्थापित की हैं, जो जीआईएस, ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर, एसटीएटीसीओएम और ओपीजीड्ब्लू जैसे उपकरण बनाते हैं। इससे विक्रेता का आधार विस्तार हुआ है और आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल हुई है।

कंपनी मौजूदा विक्रेताओं को अपने उपकरणों को हाई वोल्टेज स्तरों पर उन्नयन करने और विक्रेता आधार बढ़ाने के लिए अपनी उत्पाद श्रृंखला का विस्तार करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने भारत सरकार की नीति के अनुरूप अपने खरीद क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से सामान खरीदने पर ज़ोर दिया है। यह प्रतिबद्धता इस तथ्य से प्रदर्शित होती है कि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय विक्रेताओं को कुल ₹23,658 करोड़ (201 अनुबंध) निविदा अवार्ड दिए गए। कंपनी स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और मौजूदा विक्रेताओं की क्षमता को बढ़ाकर अपने घरेलू विक्रेता आधार के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है।

12.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संवर्धन

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप, कंपनी ने समय–समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन की है। कंपनी ने निम्नलिखित तीनों उपलब्ध ट्रेड रिसीवेबल ई–डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म में पंजीकरण किया हैः (i) रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरएक्सआईएल) (एनएसई – एसआईडीबीआई जेवी), (ii) माइंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एमड1एक्सचेंज) और (iii) ए ट्रेड्स लिमिटेड (इनवॉइसमार्ट)। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग प्रणाली (टीआरईडीएस) कई वित्त–प्रबंधक के माध्यम से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) सहित कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों से व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण की सुविधा के लिए मंच है।

कंपनी नियमित रूप से एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं को देश भर में कॉर्पोरेट केन्द्र और क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जा रहे विभिन्न विक्रेता विकास कार्यक्रमों (वीडीपी) के माध्यम से टीआरईडीएस प्लेटफार्मों पर ऑन–बोर्डिंग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपकी कंपनी की संविदात्मक प्रावधान भी हैं कि एमएसएमई विक्रेता भुगतान के लिए टीआरईडीएस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए कंपनी के बोली दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान पहले ही शामिल किए जा चुके हैं। कंपनी ने नवंबर 2018 में इसके संशोधन के साथ पढ़ी गई सार्वजनिक खरीद नीति (आदेश 2012) के अनुरूप सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्पादों और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद में से 25% की अनिवार्य खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है।

उक्त नीति के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एमएसई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं की वार्षिक खरीद का कुल पात्र मूल्य ₹2,518 करोड़ था। एमएसई (एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से कुल खरीद ₹1,448.46 करोड़ (57.52%) थी। इसके अतिरिक्त, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई की कुल खरीद ₹48.63 करोड़ (1.93%) और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से ₹95.70 करोड़ (3.80%) है, जबकि एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से क्रमशः 04% और 03% वार्षिक खरीद का उप–लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार, कंपनी एमएसई आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति और दिनांक 09 नवंबर, 2018 के अपनी संशोधन के अनुसार उप–लक्ष्य को पूरा कर रही है, जो अन्य बातों के साथ–साथ निर्देश देता है कि निविदा प्रक्रिया में ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा भाग नहीं ले पाने की स्थिति में या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा न कर पाने की स्थिति में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत उप–लक्ष्य की खरीद को अन्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों से पूरा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023–24 में एमएसई से वार्षिक खरीद योजना www.powergrid.in पर अपलोड की गई है।

कंपनी ने संपूर्ण भारत में खरीद प्रक्रिया में एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

- **एमएसई को खरीद वरीयताः** एमएसई के दायरे में वस्तुओं और सेवाओं की सभी खरीद के लिए बोली दस्तावेजों में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद सहित एमएसई से 25% तक खरीद वरीयता के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। विभाज्य पैकेजों के लिए, पैकेज मूल्य के 25% तक एमएसई को खरीद वरीयता दी जाती है और गैर–विभाज्य पैकेजों के लिए, पैकेज मूल्य के 100% के लिए सबसे कम एमएसई बोली लगाने वाले को खरीद वरीयता दी जाती है।
- **बोली शर्तों में छूटः** एमएसई को एमएसई के दायरे में वस्तुओं और सेवाओं की सभी तरह की खरीद में वित्तीय योग्यता मानदंडों

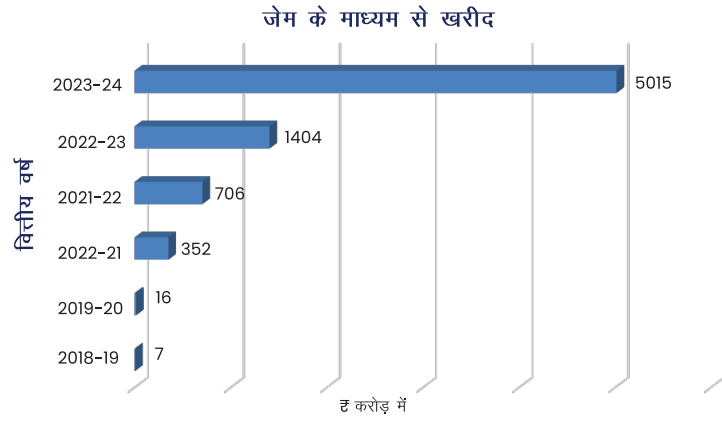
में छूट दी गई है। एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, ₹5 करोड़ से कम की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए, एमएसई बोलीदाताओं को वित्तीय योग्यता मानदंडों में 100% छूट दी जाती है।

- **बयाना राशि जमा (ईएमडी) संबंधी छूटः** एमएसई को सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुपालन में निविदा शुल्क और ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है।
- **एससी/एसटी और महिला एमएसई के लिए विशेष निविदाएं:** पावरग्रिड ने एससी/एसटी और महिला एमएसई के लिए अलग दृष्टिकोण अर्थात 'विशेष निविदाएं' शुरू की हैं, जहां केवल एससी/एसटी एमएसई ही कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए निविदाओं में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

इस वर्ष के दौरान, नवीन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति के लिए सूक्ष्म और लघु निर्माताओं को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए, देश के विभिन्न भागों में 18 विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 09 वीडीपी विशेष रूप से एससी/एसटी और महिला एमएसई के लिए आयोजित किए गए थे। इन एमएसई विक्रेता विकास कार्यक्रमों में विभिन्न प्रस्तुतियाँ दी गईं और हमारे देश के कई सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएँ की गईं। एससी/एसटी और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया गया। इन बैठकों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया रही। कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उप–विक्रेताओं के रूप में विकसित किया गया है और विभिन्न उपकरणों के लिए घटकों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित किया गया है।

12.3. सरकारी ई–बाजार (जीईएम) के माध्यम से खरीदः

भारत सरकार के आदेश के अनुरूप, पावरग्रिड में जेम के माध्यम से खरीद वित्त वर्ष 2018–19 में शुरू हुई और बाद के वर्षों में, जेम के माध्यम से खरीदारी पर लगातार जोर देने से इसमें निरंतर वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, जेम पोर्टल के माध्यम से ₹5,015 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं (जिसमें ₹3,546 करोड़ के सुव्यवस्थित मीटर की एकमुश्त खरीद शामिल है) की खरीद (समेकित आधार पर) की गई, जो पिछले वित्त वर्ष 2022–23 (₹1,404 करोड़) की खरीद से लगभग 3.5 गुना है।



इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 में जेम के माध्यम से 100% की खरीदारी हुई है और इससे संबंधित विशेषताएं /श्रेणियां जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

13. संधारणीय विकास

आपकी कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) के सिद्धांतों को अपने व्यावसायिक संचालन में एकीकृत कर रही है, जो ईएसजी पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर जोर देता है। कंपनी वैश्विक मानकों सहित अपनी संधारणीय कार्यप्रणालियों को संरेखित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

13.1. पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

आपकी कंपनी वर्ष 1998 से अपने कॉर्पोरेट पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रियाओं (ईएसपीपी) में एकीकृत संधारणीय विकास के मानकों का अनुपालन कर रही है, जो बचाव, न्यूनीकरण और शमन के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर संगठनात्मक और परियोजना स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक धारणाओं की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें बहाली का प्रावधान भी है। ईएसपीपी की व्यापक क्षेत्र और सामग्री दुनिया की दो प्रमुख बहुपक्षीय एजेंसियों अर्थात विश्व बैंक और एडीबी द्वारा क्रमशः वर्ष 2009 और वर्ष 2017 में उनके देश की प्रणाली (यूसीएस) और देश की सुरक्षा प्रणाली (सीएसएस) नीति के अंतर्गत इसकी स्वीकृति को प्रदर्शित की गई है।

इसके अतिरिक्त बदलते कारोबारी परिदृश्य को मान्यता देते हुए, आपकी कंपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) मुद्दों और दीर्घकालिक संधारणीय लक्ष्यों पर अत्यधिक महत्व दे रही है। यह बहुत संतोष की बात है कि आपकी कंपनी को ईएसजी सहित संधारणीयता मापदंडों पर कई स्वतंत्र एजेंसियों से लगातार उच्च रेटिंग प्राप्त हुई है। तथापि आपकी कंपनी ने उच्च लक्ष्य निर्धारित करके और अपने संधारणीयता प्रयासों को बढ़ाकर अपने निष्पादन को और बेहतर बनाने की योजना बनाई है। इस दिशा में की गई प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आपकी कंपनी ने अपनी ईएसजी नीति, जल प्रबंधन नीति और अपशिष्ट प्रबंधन नीति के भाग के रूप में वर्ष 2025 तक



नवीकरणीय स्रोतों से 50% विद्युत की खपत, वर्ष 2047 तक निवल शून्य प्राप्ति करना, वर्ष 2030 तक जल सकारात्मक बनना और वर्ष 2030 तक लैंडफिल में शून्य अपशिष्ट जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिनमें से सभी को बोर्ड द्वारा पहले ही अनुमोदन दे दी गई है।

- जल सकारात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी जल की खपत में कमी, वर्षा जल संचयन कार्यान्वित करना, अपशिष्ट जल का शोधन और उपयोग तथा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना सहित कई उपाय कर रही है।
- अपने कार्बन छाप को कम करने के लिए, कंपनी ने पहले से ही कार्यालय भवनों और प्रतिष्ठानों में छत पर सौर पीवी प्रणाली स्थापित करने, डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने, वृक्षारोपण के माध्यम से कार्बन सिंक में सुधार आदि जैसे कई उपाय किए हैं। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) में 85 मेगावाट क्षमता के बड़े पैमाने पर सौर पीवी संयंत्रों की स्थापना संबंधी कार्य कर रही है।

जल सकारात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी जल की खपत में कमी, वर्षा जल संचयन कार्यान्वित करना, अपशिष्ट जल का शोधन और उपयोग तथा कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना सहित कई उपाय कर रही है।

13.2. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, आपकी कंपनी स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में सीएसआर कार्यकलाप करती है। परियोजनाओं की परिकल्पना हितधारकों के परामर्श से की गई है, मुख्य रूप से इसके प्रचालन क्षेत्र के आसपास।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹330.48 करोड़ की व्यय की हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹471.56 करोड़ की 165 परियोजनाओं को अनुमोदन दी है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई प्रमुख सीएसआर परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं:

क) निम्नलिखित प्रमुख सीएसआर परियोजनाएँ पूरी की गईं/सौंपी गईं:

- गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गुवाहाटी (असम) में विश्राम सदन।
- निमहंस, बैंगलोर, कर्नाटक के परिसर में धर्मशाला/रैन–बसेरा।
- सर सयाजीराव जनरल (एसएसजी) अस्पताल, वडोदरा गुजरात में विश्राम सदन।
- जेआईपीएमईआर, पांडिचेरी के आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग के लिए 128 स्लाइस सीटी स्कैन की आपूर्ति और स्थापना।
- सरकारी राजाजी अस्पताल, मदुरै, तमिलनाडु कैथ लैब परिसर में उन्नत सुविधाओं के साथ कैथ लैब उपकरण प्रदान करना और कैथ लैब परिसर का नवीनीकरण।
- आंध्र प्रदेश में टीबी से प्रभावित रोगियों को पोषण सहायता – टीबी मुक्त भारत।
- जी.सी.एस.आर.ए. की सहायता से गुजरात में नवजात स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए गुजरात के 26 ब्लॉकों में 10 एनआईसीयू उपलब्ध कराए गए।
- असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ आदि के 1911 हिंसा प्रभावित छात्रों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव संघ (एनएफसीएच) को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला, पंजाब में बाल चिकित्सा लेप्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप और एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड (ईबीयूएस) प्रणाली उपलब्ध कराए गए।

ख) प्रक्रियाधीन प्रमुख सीएसआर परियोजनाएँ:

- रांची के रिम्स में विश्राम सदन का निर्माण।
- एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी में विश्राम सदन का निर्माण।
- एमकेसीजी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बरहामपुर ओडिशा में विश्राम सदन का निर्माण।
- एसीटीआरईसी, टीएमसी में पावरग्रिड मॉड्यूलर ओटी कॉम्प्लेक्स में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सूट को सुसज्जित करना।
- मनोरमा राजे टीबी अस्पताल (एमआरटीबी) अस्पताल, इंदौर, मध्य प्रदेश और टाटा मेमोरियल केन्द्र, होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, न्यू चंडीगढ़, पंजाब में 128 स्लाइस सीटी स्कैन की आपूर्ति और स्थापना।
- सरकारी राजाजी अस्पताल, मदुरै, तमिलनाडु में उन्नत सुविधाओं सहित कैथ लैब उपकरण प्रदान करना और कैथ लैब परिसर का नवीनीकरण करना।
- देबेन मेहता सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जनरल सर्जरी रेडियोलॉजी, स्त्री रोग और प्रसूति और हड्डी रोग विभाग के लिए चिकित्सा उपकरण प्रदान करना।
- रोबोटिक सर्जरी के लिए उन्नत रोबोटिक सर्जिकल प्रणाली की स्थापना में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और फरीदाबाद भर में विभिन्न संलग्न यूपीएचसी, डीसीएच, पॉलीक्लिनिक्स को चिकित्सा उपकरणों की खरीद और आपूर्ति के लिए सरकारी अस्पताल, फरीदाबाद को सहायता प्रदान करना।
- एम्स, मोहाली में उच्च प्रौद्योगिकी न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण (आईडी एनएएटी) मशीन की स्थापना।
- एम्स, रायपुर (छत्तीसगढ़), बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), बैतूल (मध्य प्रदेश), नासिक और सासून (महाराष्ट्र) को चिकित्सा उपकरण प्रदान करना।
- सिलचर मेडिकल कॉलेज को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, एसएन देव सिविल अस्पताल में बीमार नवजात शिशु देखभाल इकाई/बाल चिकित्सा वार्ड के निर्माण और असम के कछार जिले में 07 बीपीएचसी को डीजी सेट की आपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- असम के करीमगंज जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए उपकरण एवं यंत्र उपलब्ध कराना।
- मिजोरम सरकार के अंतर्गत डीडीएमए और चिकित्सा संस्थानों में सामान्य और एएलएस एम्बुलेंस, इको वैन और अस्पताल के बिस्तर और नाइटस्टैंड उपलब्ध कराना।
- असम के बक्सा जिले (बीटीआर) के मुशालपुर में डॉ. रवि बोरो सिविल अस्पताल के लिए नए एनेक्सी भवन का निर्माण।
- असम के शिवसागर में शिवसागर सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट की स्थापना।
- दादरा और नगर हवेली (डीएनएचडीडी) यू/टी के जिला अस्पताल, जीएमईआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वलसाड, विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (कपराडा, रोहिना, भिलाड, अटगाम, डुंगरी और आदि) गुजरात में चिकित्सा उपकरण और मशीनें उपलब्ध कराना।
- गोवा राज्य के अस्पतालों के लिए स्पीड बोट एम्बुलेंस की खरीद और आपूर्ति; ब्लड बैंक में ऑटोमेशन के लिए चिकित्सा



उपकरण/यंत्र की आपूर्ति, 2 एएलएस एम्बुलेंस, 6 बीएलएस एम्बुलेंस की आपूर्ति।

- कर्नाटक के दावणगेरे जिले के विभिन्न विभागों में गर्म पानी की आपूर्ति के लिए एकीकृत वायु स्रोत ताप पंप और गर्म पानी भंडारण टैंक की आपूर्ति और स्थापना।
- ओडिशा के गजपति जिले के जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल (एमसीएच) और एसकेसीजी स्वायत्त कॉलेज, में ''संधारणीय हरित ऊर्जा और निगरानी सेवाएँ''।
- सिक्किम में 33 केवी, 11 केवी और 400 वी एलटी लाइन के जीर्णोद्धार कार्य सहित अचानक आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को राहत प्रदान करने का प्रस्ताव।
- सीतापुर, अमरोहा और सिद्धार्थनगर में सौर स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति और स्थापना।
- आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 24 ग्राम पंचायतों में 0.5 एमएलडी माइक्रो फिल्टर संयत्र प्रदान करना।
- सीआईपीईटी, मुरथल में वंचित/बेरोजगार युवाओं के लिए प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राजस्थान में सुव्यवस्थित कक्षाएं।
- उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के पेरुम्बक्कम में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना।
- तीस (30) आंगनवाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करना।
- महोबा जिले में 16 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत और जीर्णोद्धार।
- मुन्सी सिंह कॉलेज, मोतिहारी में पुस्तकालय वाचनालय, कॉमन रूम, आंतरिक सड़क का निर्माण और आसपास के क्षेत्र का विकास।
- सुपौल टाउन हॉल की साज–सज्जा।
- आरा के नई पुलिस लाइन में बहुउद्देशीय हॉल।
- कोटा में सामुदायिक केंद्रों का निर्माण और सरकारी स्कूलों का विकास। चिकित्सा उपकरण प्रदान करना और पीएचसी का विकास और दावणगेरे जिले के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य और पीडब्ल्यू अधिकारी में 3 पीएचसी का जीर्णोद्धार।
- महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव नगर निगम को ट्रक माउंटेड वैक्यूम रोड स्वीपिंग मशीन प्रदान करना।
- वित्त वर्ष 2023–24 में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।
- भारत सरकार के आरडीएसएस के अंतर्गत सुव्यवस्थित मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए कार्यबल का कौशल विकास।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत महत्वपूर्ण सीएसआर परियोजनाएँ:

- वित्त वर्ष 23–24 के लिए पीएम केयर्स निधि में अंशदान।



- होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, विशाखापत्तनम में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर की खरीद।
- हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित एम्स के लिए 250 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण।
- भारत सरकार के आरडीएसएस के अंतर्गत सुव्यवस्थित मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए कार्यबल का कौशल विकास।
- उन्नत रोबोटिक सर्जिकल प्रणाली की खरीद के लिए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- एम्स, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनों की खरीद और स्थापना।
- एक वर्ष के लिए पावरग्रिड की सीएसआर पहल के अंतर्गत कौशल विकास के लिए प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।
- सर सुंदर लाल अस्पताल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, यू.पी. में 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण।
- एम्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद।
- राजस्थान के कोटा, जोधपुर और जैसलमेर जैसे 3 जिलों के सरकारी स्कूलों में 597 सुव्यवस्थित कक्षाओं के लिए सुव्यवस्थित कक्षा प्रणाली प्रदान करना।
- एसीटीआरईसी, टीएमसी मुम्बई के पावरग्रिड मॉड्यूलर ओटी काम्पलैक्स में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सूटको सुसज्जित करने के लिए वित्तीय सहायता।
- एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज और एम.आर.टी.बी. अस्पताल, इंदौर, म.प्र. को 01 सी.टी. स्कैनर 128 स्लाइस मशीन प्रदान करना।
- उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15 सामुदायिक हॉल का निर्माण।
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र, पंजाब के लिए सी.टी. स्कैनर और आणविक पैथोलॉजी प्रयोगशाला।
- गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज (जी.एस.वी.एम.), कानपुर में चिकित्सा उपकरणों के साथ डायग्नोस्टिक लैब की स्थापना।
- कर्नाटक के दावणगेरे जिले में 10 पी.एच.सी. में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा 3 पी.एच.सी. की मरम्मत और नवीनीकरण।
- आंध्र प्रदेश में टी.बी. प्रभावित रोगियों को पौष्टिक सहायता प्रदान करना।
- गुजरात के 26 ब्लॉकों में 10 एन.आई.सी.यू. उपलब्ध कराना।
- बिहार के भोजपुर जिले के आरा में नई पुलिस लाइन में बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी द्वारा शुरू की गई और स्वीकृत सभी सी.एस.आर. परियोजनाओं की संपूर्ण सूची इस रिपोर्ट के **अनुबंध–X** में दी गई है।

14. शासन

14.1. सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी में 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के अनुरूप उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए कॉर्पोरेट, क्षेत्रीय मुख्यालय और अन्य कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया है।

कंपनी ने अपना स्वयं का वेब आधारित ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी विकसित किया है, जो सभी आरटीआई/अपीलों की वास्तविक समय निगरानी करके आवेदक को आरटीआई/अपील का समय पर उत्तर देने की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए विभिन्न आरटीआई रिपोर्टों के स्वतः निर्माण की सुविधा भी प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 में, कंपनी में लगभग 967 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और इन आवेदनों का आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय पर संसाधित किए गए। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता के लिए कंपनी के सीपीआईओ/पीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

14.2. पारदर्शिता और नैतिक कार्यप्रणालियों के प्रति प्रतिबद्धता

आपकी कंपनी अपने प्रबंधन कामकाज में पारदर्शिता, ईमानदारी और नैतिकता के सिद्धांतों का समर्थन करती है। आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग निवारक, सक्रिय और दंडात्मक सतर्कता का अनुपालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में सर्वोत्तम नैतिक कार्यप्रणालियों का अनुपालन किया जाए।

क) निवारक सतर्कता पर जोर

संगठनात्मक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और संगठन की विभिन्न प्रणालियों और कार्यकलापों में कदाचार को कम करने के लिए

निवारक सतर्कता पर जोर दिया जा रहा है। निवारक सतर्कता सही प्रकार की प्रणालियों या अवसरों की पहचान करने और संभावित खतरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से सक्रिय दृष्टिकोण को फिर से तैयार करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 71 औचक निरीक्षण, 26 प्रक्रिया–ऑन–लाइन निरीक्षण और 26 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के निरीक्षण किए गए। सतर्कता निरीक्षण और टिप्पणियों/सिफारिशों के अनुसार, कई प्रणालीगत सुधार कार्यन्वित किए गए हैं।

ख) क्षमता निर्माण के लिए निवारक सतर्कता कार्यशालाएँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में गैर–सतर्कता कर्मियों के लिए विभिन्न निवारक सतर्कता कार्यशालाएँ और वेबिनार आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं में अन्य बातों के साथ–साथ अनुबंध प्रबंधन, आचरण अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमों के प्रावधान, नियमों और नीतियों का अनुपालन, सामान्य अनियमितताएँ, वास्तविक मामलों पर आधारित मामला अध्ययन पर विचार–विमर्श, गुणवत्ता पहलुओं के साथ–साथ नैतिकता प्रबंधन शामिल है जो कर्मचारियों को नैतिक दुविधा की पहचान करने और उससे निपटने में सक्षम बनाता है।

ग) सतर्कता जागरूकता

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसरण में, पावरग्रिड में दिनांक 30 अक्टूबर से दिनांक 05 नवंबर, 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया गया, जिसका विषय था ''भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों''। इसके अतिरिक्त, वीएड्ब्लू 2023 के अग्रदूत के रूप में दिनांक 16 अगस्त, 2023 से दिनांक 15 नवंबर, 2023 तक 3 महीने के अभियान के रूप में निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग कार्यकलाप भी की गईं। निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता





आदि जैसी विभिन्न कार्यकलाप पावरग्रिड के अंदर और बाहर आयोजित की गईं, जिसमें 14,000 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 12,700 व्यक्तियों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के खतरे के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए 197 गांवों में जागरूकता ग्राम सभाएं आयोजित की गई हैं, जिसमें लगभग 13,700 ग्रामीणों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया गया। कॉरपोरेट केन्द्र और सभी क्षेत्रों में विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीएड्ब्लू 2023 का संदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एफएम चैनल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया

घ) वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा विद्युत क्षेत्र की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक (एएसआरएम) जुलाई 2023 में पावरग्रिड द्वारा गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के सीएमडी और सीवीओ ने भाग लिया था।

ङ) रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) आईएस/आईएसओ 37001

पावरग्रिड ने एबीएमएस के क्रियान्वयन का काम भी अपने हाथ में लिया, इसलिए एबीएमएस नीति और क्रियान्वयन मैनुअल और प्रक्रियाओं को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया गया था। आंतरिक लेखा–परीक्षा किए गए और एबीएमएस प्रमाणन के लिए बीआईस को आवेदन किया गया था। रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएमएस) आईएस/आईएसओ–37001 के क्रियान्वयन की अंतिम प्रमाणन लेखा–परीक्षा मार्च–2024 में बाआईएस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

14.3. नागरिक चार्टर

कंपनी में नागरिक चार्टर तैयार किया गया है, जो इसके विजन, मिशन और उद्देश्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रदान करता है। कंपनी का नागरिक चार्टर, जिसमें कंपनी की रूपरेखा, प्रतिबद्धताएं, नागरिकों से अपेक्षाएं, एकीकृत प्रबंधन नीति, प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सेवाओं के मूल्य और मानक, सूचना तक पहुंच और शिकायत निवारण संबंधी सूचना कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

15. लोगः हमारी मुख्य शक्ति

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों पर निरंतर भरोसा जताया है कि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करेंगे और समय पर और प्रभावी मानव संसाधन हस्तक्षेप के माध्यम से उनकी जरूरतों को पूरा करके उनके कौशल को निखारने पर निरंतर ध्यान दिया गया है। कंपनी ऐसी प्रणालियों और कार्यप्रणालियों को विकसित करने और कार्यान्वित करने का प्रयास करती है जो कर्मचारियों को उनकी उच्चतम क्षमता निष्पादन करने में सक्षम बनाती हैं। ऐसे कर्मचारियों को आकर्षित करना, उन्हें बनाए रखना और उनका विकस करना हमारी प्रतिबद्धता है जो हमारे मूल मूल्यों के अनुरूप हों तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे सुरक्षित, स्वस्थ, गैर–भेदभावपूर्ण और सुलभ वातावरण में काम करें।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की संख्या 8,316 थी, जिनमें से महिला कर्मचारी की संख्या 8.39% थीं। वर्ष 2023–24 में नियमित कर्मचारियों की संघर्षण दर 1.31% थी। कंपनी ने कार्यकारी निदेशकों और मुख्य महाप्रबंधकों की प्रमुख भूमिकाओं को समय पर पूरा करना भी सुनिश्चित किया।

15.1. मानव संसाधन विकास

पावरग्रिड संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है जो निरंतर शिक्षण, रचनात्मकता, ज्ञान–साझाकरण और समग्र विकास को प्रोत्साहित करती है। कंपनी की मानव संसाधन प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ कंपनी के मूल मूल्यों के अनुरूप पेशेवरों को आकर्षित करने, उनका पोषण करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई हैं। आपकी कंपनी न्यायसंगत, सहयोगी और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रयास करती है जो हमारे कर्मचारियों की हित को बढ़ावा देता है।

मानेसर में स्थित पावरग्रिड एकेडमी ऑफ लीडरशिप (पीएएल) भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों दोनों के लिए प्रशिक्षण और विकास के विविध अवसर प्रदान करता है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा पारेषण में प्रशिक्षण के लिए श्रेणी–I संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त, पीएएल इस क्षेत्र में उच्च–गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान, पीएएल, भारत और विदेशों में संबद्ध प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों तथा क्षेत्रों के कर्मचारी विकास केंद्रों में 450 से अधिक प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

आपकी कंपनी ने संगठन के भीतर सूचित ज्ञानए सूचनाए कौशल और दक्षताओं के व्यवस्थितए सहज और आसान हस्तांतरण और आदान–प्रदान के लिए रूपरेखा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है। यह कार्यक्रम समर्पित पोर्टल "संदर्शिका" के माध्यम से संचालित किया जाता है। "संदर्शिका" पोर्टल के माध्यम से लगभग 8000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं।

आपकी कंपनी ने विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों से संबंधित 150 ई–लर्निंग मॉड्यूल और विभिन्न कंपनी डोमेन से संबंधित 11 पुनःश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए हैं, जिससे लगभग 8000 से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने भारत सरकार के महत्वाकांक्षी "मिशन कर्मयोगी" कार्यक्रम के लिए विद्युत पारेषण से संबंधित 7 मॉड्यूल की मेजबानी की है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किएः

- आईआईटी–बैंगलोर से कृत्तिम बुद्धिमत्ता/मशीनी शिक्षण पाठ्यक्रम के लिए 50 कर्मचारियों का तीसरा बैच।
- एनआईटी जालंधर द्वारा विद्यित प्रणाली और विश्वसनीयता में एम.टेक कार्यक्रम के लिए प्रायोजित 15 कर्मचारियों का दूसरा बैच।

विद्युत क्षेत्र के क्षमता विकास के लिए पीएएल में उपलब्ध अपने लोगों की क्षमताओं और अवसंरचना का लाभ उठाते हुए, आपकी कंपनी ने हितधारक विकास के लिए निम्नलिखित पहल की हैं:

- प्रशिक्षु अधिनियम के अनुसार विभिन्न शाखाओं में 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।
- विद्युत क्षेत्र में 6000 बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी), राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ), विद्युत क्षेत्र कौशल परिषद (पीएसएससी) और पावरग्रिड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। वर्तमान में, भारत में 25 स्थानों पर 5400 से अधिक प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।



- संपूर्ण भारत में भारत सरकार के आरडीएसएस के अंतर्गत सुव्यवस्थित मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए 6000 उम्मीदवारों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीएसएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अनुमोदन के अंतिम चरण में है।
- क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत – उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (सीबीआईएस–एनईआरपीएसआईपी), पावरग्रिड 6 (छह) राज्यों (असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा) में राज्यिक विद्युत उपयोगिताओं के लिए क्षमता निर्माण और संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 2(दो) राज्यों (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम) में व्यापक योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण कर रहा है।

15.2. कर्मचारी कल्याण







निरंतर विकसित हो रहे व्यावसायिक परिदृश्य का उत्तर देने और कर्मचारियों की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी नीतियों को नियमित रूप से अद्यतन करती है। व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करने और भविष्य की व्यावसायिक चुनौतियों और अवसरों के माध्यम से कंपनी का मार्गदर्शन करने के लिए अगली पीढ़ी के नेतृत्व को विकसित करने और उनका पोषण करने के लिए, उत्तराधिकार नियोजन और नेतृत्व विकास नीति शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, अपनी मूल्य श्रृंखला के भीतर मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के लिए, आपकी कंपनी ने मानवाधिकार नीति शुरू की है।

कंपनी के चिकित्सा नियमों की समीक्षा की गई और उन्हें तर्कसंगत बनाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे कर्मचारियों और उनके परिवारों की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी हों। प्रतिभा प्रबंधन संबंधी रूख पर, बदलती व्यावसायिक आवश्यकताओं और कर्मचारियों की करियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कर्मचारी पदोन्नति नीति और कार्यकारी स्थानांतरण नीति को संशोधित किया गया।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों की शारीरिक और मानसिक सेहत की प्रबल समर्थक रही है और इस दिशा में, अपने कर्मचारियों को बीमारियों के कारणों और उनसे बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न विषयों पर कई स्वास्थ्य वार्ता आयोजित की है। नई बीमारियों के बारे में जामकारी देने और कर्मचारियों को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए, आपकी कंपनी निवारक स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण की प्रतिपूर्ति के माध्यम से निवारक चिकित्सा हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, नई पहल के रूप में, कर्मचारियों और उनके आश्रितों की चिकित्सा आपात स्थितियों से निपटने के लिए 24*7 आपातकालीन हेल्पलाइन कार्यात्मक है।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और सक्रिय रहने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया है। इस दिशा में, कंपनी को पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक निष्पादन पुरस्कार 2023–24 में खेल कार्यकलापों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी ने ई–बुक्स, ई–जर्नल्स और विभिन्न विषयों पर मानकों तक 24*7 पहुंच सहित ईपबीएससीओ और आईईईई संग्रह के माध्यम से 5 मिलियन से अधिक ऑनलाइन दस्तावेजों/संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके अपने कर्मचारियों के निरंतर सीखने और ज्ञान उन्नयन को प्रोत्साहित किया।

पुरस्कार और मान्यता योजनाएं रणनीतिक उपकरण हैं जिनका उपयोग संगठन अपने कर्मचारियों के प्रयासों और उपलब्धियों को स्वीकार करने और उनकी सराहना करने के लिए करते हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य असाधारण प्रदर्शन के लिए मूर्त और अमूर्त लाभ प्रदान करके प्रेरणा बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना है। इसी दिशा में वित्त वर्ष 2022–23 में प्रतिफल पुरस्कार वितरण का आयोजन नागपुर में किया गया।

सांस्कृतिक सम्मेलन और प्रदर्शनी ऐका आयोजन है जिसका उद्देश्य किसी समुदाय, संगठन या शैक्षणिक संस्थान के भीतर सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना, उसे प्रदर्शित करना ओर उसे बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपनी विरासत, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिससे विभिन्न समूहों के बीच आपसी सम्मान और समझ बढ़ती है। इसी उद्देश्य से दिनांक 10 दिसंबर, 2023 को नागपुर में सांस्कृतिक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

आपकी कंपनी ने 49 नीतियों की व्यापक समीक्षा की है और 20 नीतियों को संशोधित किया है, जिनमें वाहन प्रतिपूर्ति, शिशु देखरेख अवकाश योजना, निश्चित मासिक यात्रा भत्ता, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, बाल योग्यता पुरस्कार योजना, बहुउद्देश्यीय अग्रिम, अंत्येष्टि सहायता (सहारा) योजना, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं की पावती, कठिन केन्द्र पर तैनात कर्मचारियों को लाभ आदि शामिल हैं।

15.3. शिकायत निवारण



हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है कि हम शिकायतों का तुरंत निवारण करें, खास तौर पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों और नीतिगत ढांचे के व्यापक मापदंडों के भीतर कर्मचारियों द्वारा उठाई गई शिकायतों का। कर्मचारी अपनी शिकायतें 'कर्मचारी शिकायत पोर्टल' के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, जिनका कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा तुरंत निवारण किया जाता है। कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र को और आसान बनाने के लिए दिसंबर 2023 में समाधान नामक संशोधित कर्मचारी शिकायत निवारण नीति शुरू की गई थी।

15.4. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वैधानिक प्रावधानों की देखभाल और सुरक्षा हेतु एक अलग प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा की देखभाल करता है और आरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा उनकी सहायता की जाती है। संपर्क अधिकारी यह भी सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों के बीच जाति, धर्म और दिव्यांगता के आधार पर कोई भेदभाव न हो। पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग संपर्क अधिकारी नामित किए गए हैं। कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति के संबंध में सभी निदेशों और दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करती है। भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक निरीक्षण भी किया जाता है। यदि कोई समस्या है, तो उसका समाधान करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के संघ के प्रतिनिधियों के साथ समय–समय पर बैठक आयोजित की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति और विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर, सभी 03 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों, जो पावरग्रिड में अपने प्रतिनिधित्व का दावा कर रहे थे, को सफलतापूर्वक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संघ में विलय कर दिया गया, जिसका नाम है ''पावरग्रिड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ''।

16. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों और कानून/अधिनियम/नीति के बारे में जागरूक करने के लिए पुरुष और महिला कर्मचारियों दोनों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण, विकास और महिला संवेदनशीलता पर कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान यौन उत्पीड़न की 03 शिकायतें प्राप्त हुईं और दिशानिर्देशों/नीति के अनुसार निर्धारित समय में उनका निपटारा कर दिया गया।

17. राजभाषा का कार्यान्वयन

भारतीय भाषाओं और राजभाषा ''हिंदी'' को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, आपकी कंपनी ने सभी स्तरों पर अपने कार्यों में हिंदी के उपयोग को एकीकृत करने और बढ़ावा देने के लिए चौतरफा प्रयास किए हैं। कंपनी ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा वार्षिक लक्ष्य में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पूरी की है।





राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकें, वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, प्रेरणात्मक कार्यक्रम जैसी विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन किया गया हैं। कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों के लिए हिन्दी कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए प्रति वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाती हैं जिसमें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी में तकनीकी सम्मेलन, कवि सम्मेलन (काव्य सत्र), नाटक, गृह पत्रिकाओं का प्रकाशन, ईमेल के माध्यम से हिंदी में मासिक लेखों का प्रकाशन प्रमुख हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 2023–24 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित किए गए हैं। साथ ही, हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा, सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह आदि के दौरान विशेष जोर देने सहित पूरे वर्ष विभिन्न प्रतियोगिताएं और विभागीय बैठकों के साथ–साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें भी आयोजित की गई। इस वर्ष के दौरान कई कर्मियों को हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। आपकी कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की है जहाँ कर्मचारियों के लिए लोकप्रिय/साहित्यिक पत्रिकाएँ और समाचार पत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

हिन्दी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार–प्रसार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न पुरस्कार योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसमें इन–हाउस पत्रिकाओं के लिए लेख/लेख देना, पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ना आदि शामिल हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयास की कई मंचों पर सराहना की गई है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलीक), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य एजेंसियों द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न पुरस्कार दिए गए। शिलांग, नागपुर, बैंगलोर और वडोदरा मुख्यालय, कोरबा और मुजफ्फरपुर उप–केन्द्र को प्रथम पुरस्कार मिला; कोलकाता और भुवनेश्वर मुख्यालय, क्योंझर, जबलपुर, रायपुर, नेल्लोर, तिरुवनंतपुरम और मोगा सब–स्टेशनों को दूसरा पुरस्कार मिला। इसी अवधि के दौरान विद्युत मंत्रालय की दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री द्वारा उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए पावरग्रिड को वर्ष 2021–22 और वर्ष 2022–23 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न अवसरों पर माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए गए विभिन्न निरीक्षणों और चर्चाओं के दौरान भी कंपनी के प्रयासों की सराहना की गई।

18. हितधारक सहभागिता

आपकी कंपनी अपने सभी हितधारकों के साथ सहभागिता और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे हमें न केवल उनकी ज़रूरतों और अपेक्षाओं को समझने में मदद मिलती है, बल्कि अवसरों को पहचानने और हमारे संचालन के लिए जोखिमों को कम करने में भी मदद मिलती है। कंपनी में अपने हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कार्यढांचा है जिसमें हितधारकों की श्रेणियों के साथ–साथ सहभागिता संबंधित तौर–तरीके भी शामिल हैं।

19. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अंश बनने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुबंध–५ में प्रस्तुत किया गया है।

20. व्यावसायिक जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(2) के अंतर्गत निर्धारित व्यावसायिक जिम्मेदारी और संधारणीयता रिपोर्ट **अनुबंध–II** में दी गई है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ज) के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ, 'ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय' से संबंधित जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुबंध–III** में दी गई है।

22. लेखा परीक्षक

22.1 कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। मेसर्स एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी, मेसर्स सागर एंड एसोसिएट्स, मेसर्स सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी और मेसर्स जी.डी. आप्टे एंड कंपनी को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षकों ने गैर–अर्हता प्राप्त रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट स्वतः स्पष्ट है और बोर्ड द्वारा किसी और टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

22.2 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) से दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर कोई टिप्पणी नहीं मिली है। सीएंडएजी से प्राप्त सूचना **अनुबंध–IV** में प्रस्तुत है।

22.3 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुबंध–V** में दी गई है।

सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

i. कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत यथापेक्षित है।

ii. कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1)(क) के अंतर्गत यथापेक्षित है और कम से कम एक महिला निदेशक नहीं थी, जैसा कि पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अंतर्गत यथापेक्षित है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी पर आपकी कंपनी की प्रतिक्रिया यह है कि पावरग्रिड, जो एक सरकारी कंपनी है, में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के पास है और कंपनी ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के साथ मामला उठाया है।

22.4 लागत लेखा परीक्षक और लागत रिकॉर्ड

मेसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स और मेसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत निर्धारित लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट को कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियमावली, 2014 के अंतर्गत निर्धारित समय अवधि के भीतर दायर की जाएगी।

23. बोर्ड और समितियां

23.1 कंपनी का बोर्ड

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, श्री मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का निदेशक के पद पर पदभार दिनांक 17 मई, 2023 को समाप्त हो गया। उनके स्थान पर डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांक 18 मई, 2023 से सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया।

डॉ. विनोद कुमार सिंह दिनांक 31 मई, 2023 को सेवानिवृत्ति होने तक पावरग्रिड के निदेशक (कार्मिक) के रूप कार्यरत थे।

श्री के. श्रीकांत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 1 जून, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक निदेशक (कार्मिक) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी ने 31 अगस्त, 2023 से निदेशक (कार्मिक) के पद का कार्यभार संभाला।

श्री कोराचारा नागप्पा ओंकारप्पा, स्वतंत्र निदेशक के निधन के कारण 13 दिसंबर, 2023 से निदेशक का पद रिक्त हो गया।

श्री के. श्रीकांत ने सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को पावरग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनके स्थान पर श्री रवींद्र कुमार त्यागी, निदेशक (संचालन), पावरग्रिड ने दिनांक 01 जनवरी, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है तथा 31 दिसंबर, 2023 से निदेशक (संचालन) के पद से मुक्त हो गए।

श्री रवींद्र कुमार त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक 01 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक अथवा नियमित पदाधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (संचालन) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

बोर्ड ने कंपनी के कामकाज को संचालित करने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए श्री मोहम्मद अफजल, डॉ. विनोद कुमार सिंह, श्री कोराचारा नागप्पा ओंकारप्पा और श्री के. श्रीकांत के प्रति अपनी सराहना और आभार व्यक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के अनुसार, नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में श्री रविशंकर गणेशन (डीआईएनः 08816101) की पुनर्नियुक्ति के संबंध में प्रस्ताव को वार्षिक आम बैठक की सूचना में शामिल किया गया।

23.2 बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल की 16 बैठकें हुई है। बोर्ड की बैठकों की तिथियों और उपस्थिति के बारे में विवरण कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधित रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध–VI** में संलग्न है, और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की **अनुसूची V** पैरा ङ के अनुसार प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुबंध–VII** में संलग्न है।

23.3 बोर्ड की समितियाँ

कंपनी ने प्रचालन सुविधा के लिए लेखा–परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों संबंधी समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और अन्य समितियों का गठन किया है। उपर्युक्त समितियों की संरचना और कार्यक्षेत्र कॉर्पोरेट प्रशासन संबधी रिपोर्ट में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

23.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 16(1)(ख) के अंतर्गत 'स्वतंत्र निदेशक' का पद धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) और सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(8) के अंतर्गत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसार, मेसर्स नरेश कुमार सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों ने उन निदेशकों की गैर–अर्हता का प्रमाण पत्र जारी किया है, जो वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में थे।

23.5 निदेशकों के निष्पादन संबंधी मूल्यांकन

यह इस रिपोर्ट के 'कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट' भाग में प्रदान किया गया है और विवरण के लिए इसका संदर्भ ले सकते हैं।

23.6 निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति

कंपनी ने निदेशकों, केएमपी और कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर एक नीति तैयार की है। उक्त नीति हमारी वेबसाइट https://www.powergrid.in/sites/default/files/Investor_Relation/Reports_Filings/Code_of_Conduct_Policies/04_Remuneration%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

24. अनुपालन

24.1 जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे संबंधी जानकारी इस रिपोर्ट के **अनुबंध–I** में दिए गए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल है।

24.2 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

बोर्ड ने अपने कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और उनका पता लगाना, त्रुटि रिपोर्टिंग तंत्र, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय प्रकटीकरण की समय पर तैयारी शामिल है।

24.3 कंपनी का वार्षिक आय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के साथ पठित धारा 92(3) के अनुसार, कंपनी का वार्षिक आय कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे
https://www.powergrid.in/sites/default/files/agm_egm_files/finalforwebsite_MGT7.PDF
पर देखा जा सकता है।

24.4 ऋण, गारंटी या निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश इस रिपोर्ट से जुड़े वित्तीय विवरणों के टिप्पणी का हिस्सा हैं।

24.5 संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा या प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में विनिर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा या प्रावधान, निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में, इस रिपोर्ट के अनुबंध–VIII में दी गई है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के टिप्पणी संख्या 55 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण निर्धारित किया गया है।

24.6 सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 47 सहायक कंपनियां, 12 संयुक्त उद्यम और 4 सहयोगी कंपनियां हैं। हमारी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विशेषताओं को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल किया गया है और निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में विवरण इस रिपोर्ट के **अनुबंध–IX** के रूप में संलग्न है।

24.7 लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण नीति, जिसमें ऐसे मापदंड और परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं, जिन पर बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश

के वितरण और/या कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित लाभ का निर्धारण करने में विचार किया जाएगा, कंपनी की वेबसाइट https://www.powergrid.in/sites/default/files/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर उपलब्ध है।

24.8 महत्वपूर्ण वास्तविक आदेश

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जो भविष्य में कंपनी की वर्तमान स्थिति और संचालन को प्रभावित करते हों।

25. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर वार्षिक रिपोर्ट

संशोधित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सीएसआर कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध–X** पर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

26. कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधान और उसके अंतर्गत जारी प्रासंगिक नियम, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार लागू नहीं होते हैं।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम समय–समय पर भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी लागू दिशा–निर्देशों के अध्यधीन हैं।

27. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है; इसलिए वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति सहित वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण प्रकट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

28. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं की है।

29. सावधि जमा

हमने जनता से भी कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है और इस प्रकार, तुलन पत्र की तिथि तक कोई भी मूलधन या ब्याज बकाया नहीं था।

30. आईसीएसआई के सचिवीय मानक

कंपनी ने निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) से संबंधित सचिवीय मानक के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

31. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

32. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के अंतर्गत यथापेक्षित, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

क. वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया था, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें निरंतर कार्यान्वित किया था तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण थे;

ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए समुचित और पर्याप्त देखरेख की थी;

घ. निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित धारणाओं के आधार पर तैयार किया था;

ङ. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं; और

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

33. आभार

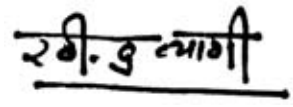
निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नीति आयोग, लोक उद्यम विभाग, क्षेत्रीय विद्युत समितियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय तथा केंद्र एवं राज्य स्तरीय अन्य संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती है, जिनके सक्रिय सहयोग के बिना समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियां संभव नहीं होतीं।

हमारे मूल्यवान ग्राहकों, राज्य सरकारों और राज्यिक विद्युत उपयोगिताओं तथा अन्य ग्राहकों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने विभिन्न परामर्श कार्य प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संभालने की कंपनी की क्षमता में विश्वास जताया है। बोर्ड आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए संविदाकारों, विक्रेताओं और सलाहकारों के योगदान की भी सराहना करता है।

निदेशक समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ऋण मूल्यांकन एजेंसियों को उनकी सहायता, कंपनी में निरंतर विश्वास और भरोसा जताने के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से, मैं वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के निष्पादन में योगदान देने वाले कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और बहुमूल्य सेवाओं की गहरी सराहना करता हूँ। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा निष्पादित प्रतिबद्धता अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। मैं कार्यकारी टीम को उनके सुदृढ़ नेतृत्व के लिए, कर्मचारी संघों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे सभी कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्धता, उत्साह और समर्पण के लिए धन्यवाद।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

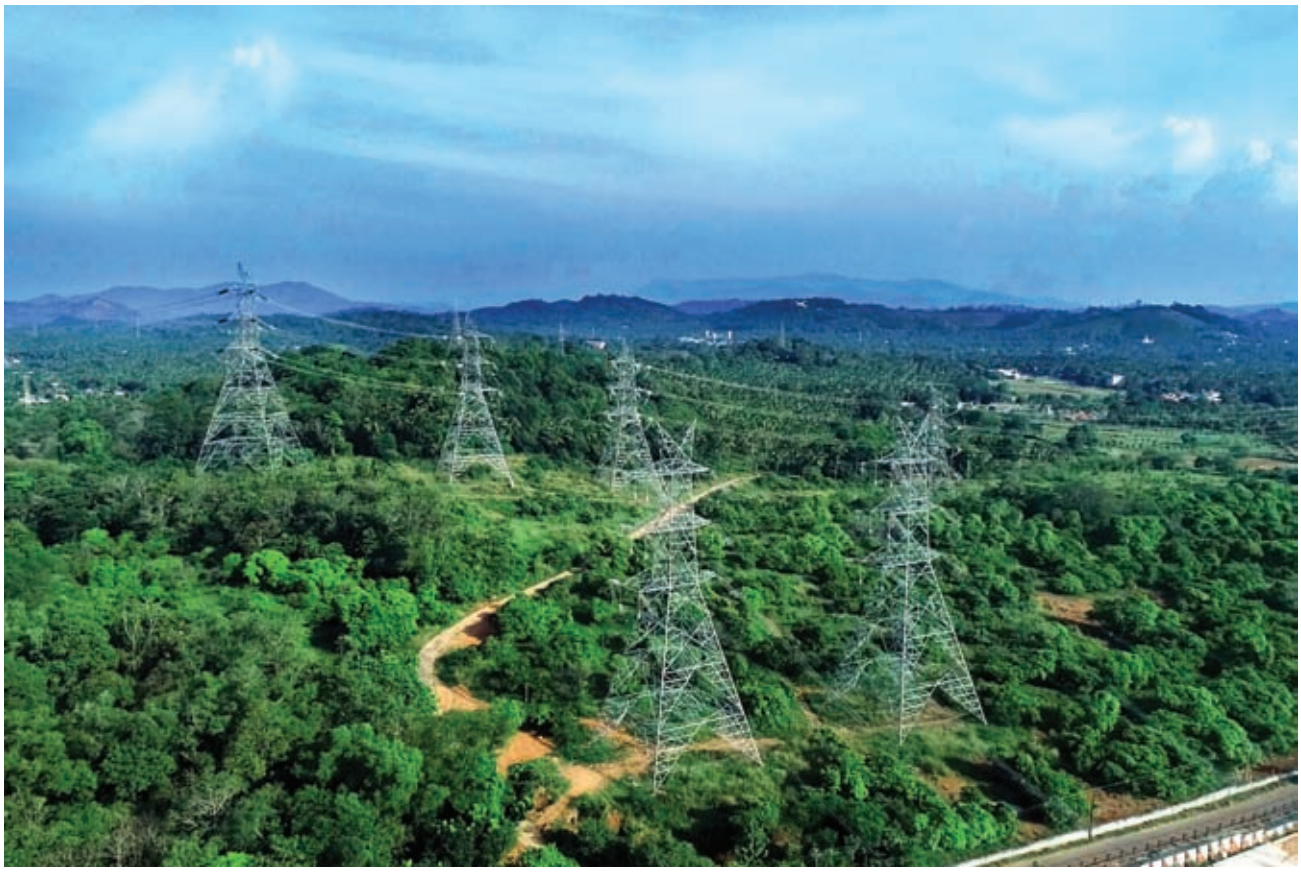


(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09632316

दिनांक: 31 जुलाई, 2024
स्थान: गुरुग्राम

निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंधों की सूची नीचे दी गई हैं:

Sr. No.	Annexure to the Directors' Report	Page number
अनुबंध I	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	186
अनुबंध II	व्यावसायिक उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	228
अनुबंध III	कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अंतर्गत आवश्यक विवरण,	270
अनुबंध IV	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	274
अनुबंध V	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	279
अनुबंध VI	कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट	283
अनुबंध VII	कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी प्रमाणपत्र	309
अनुबंध VIII	फॉर्म संख्या एओसी–2	310
अनुबंध IX	फॉर्म संख्या एओसी–1	320
अनुबंध X	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट	330



निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध–I

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. आर्थिक और क्षेत्र संबंधी सिंहावलोकन

भारत की विकास गतिः भावी शक्ति

भारत अपनी प्रभावशाली आर्थिक गति को बनाए रखने के लिए तैयार है तथा वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखेगा। आईएमएफ द्वारा जुलाई 2024 के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से समुत्थानशील बनी हुई है, जिसमें वित्त वर्ष 24 में विकास दर लगभग 3.2% और वित्त वर्ष 25 में 3.3% पर स्थिर है। इस पृष्ठभूमि के बीच, आईएमएफ ने वर्ष 2025 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। आर्थिक समीक्षा 23–24 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.5% से 7% के बीच बढ़ने का अनुमान है, जो सुदृढ़ आर्थिक समुत्थानशीलता को दर्शाता है। यह वित्त वर्ष 2024 में प्रभावशाली निष्पादन के बाद का है, जहाँ वास्तविक जीडीपी में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो चार में से तीन तिमाहियों में 8% के निर्धारित लक्ष्यों को पार कर गई। भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक महामारी के प्रकोप से तेजी से उबर चुकी है, वित्त वर्ष 2024 में इसकी वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 में कोविड–पूर्व स्तरों से 20% अधिक है।

भारत पर्यावरणीय संधारणीयता, जलवायु समुत्थानशीलता बढ़ाने, ऊर्जा सुरक्षा और अपनी निवल शून्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपाय कर रहा है। वर्ष 2023 में जी–20 की शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता के दौरान, स्वच्छ, संधारणीय और सस्ती ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने, निर्बाध और विविध ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित करने, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गईं। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोजन के लिए जी–20 उच्च–स्तरीय स्वैच्छिक सिद्धांतों और ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक कार्य योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। शिखर सम्मेलन में वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और शून्य और कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य सहित नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के वार्षिक निवेश की आवश्यकता को मान्यता दी गई।

आने वाले वर्षों में हरित हाइड्रोजन और इसके व्युत्पन्न, हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल का उत्पादन बढ़ने वाला है, जो स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। हरित हाइड्रोजन नीति और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ के माध्यम से सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता, वर्तमान नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं और भावी संधारणीयता लक्ष्यों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इन नीतियों से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से आकार मिलने, वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाने और भारत को संधारणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक परिवर्तन में प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।

भारत का राष्ट्रीय ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत विद्युत ग्रिडों में से अन्यतम ग्रिड के रूप में उभरकर आया है, जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2023–24 में बताया गया है। देश अपने ऊर्जा मिश्रण में गैर–जीवाश्म ईंधन के योगदान को बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेजी ला रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2024 और वर्ष 2030 के बीच 30.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में ₹8.5 लाख करोड़ का नया निवेश हुआ, जो संधारणीय ऊर्जा भविष्य की दिशा में बढ़ती विकास को दर्शाता है।

भारत में विद्युत क्षेत्र निवेशकों के लिए तेजी से व्यवहार्य और आकर्षक बन गया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा सहित स्वचालित विधि के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की स्वीकृति से सुदृढ़ हुआ है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाते हुए और संधारणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देते हुए हरित हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा गलियारों के लिए पर्याप्त निदि आवंटित की है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक, स्वयं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी निवेश आकर्षित किया, जो भारत की हरित ऊर्जा पहलों में बढ़ते विदेशी निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022–32 के अनुसार, बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन उद्योग को वर्ष 2032 तक कुल ₹33 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी।

अपनी हरित ऊर्जा प्रतिबद्धताओं और वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप, सरकार ने 2024–25 के अंतरिम बजट में संधारणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक गतिशीलता का समर्थन करने वाले कई नए उपायों की घोषणा की। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित को बढ़ावा देने के लिए, बजट में हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना पहल के अंतर्गत छत पर सौर ऊर्जा संयत्र लगाकर 10 मिलियन घरों को सौर ऊर्जावान करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस उपाय से लगभग 30 गीगावॉट छत पर सौर ऊर्जा क्षमता का समर्थन करने, स्वच्छ ऊर्जा को अधिक सुलभ बनाने और महत्वपूर्ण कार्बन क्रेडिट बनाने की उम्मीद है, जो भारत को वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (बीईएसएस) के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) की शुरूआत भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल को दर्शाती है। ये पहल वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन क्षमता प्राप्त करने और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करने के भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।

वर्ष 2023–24 में विद्युत क्षेत्र में विकास

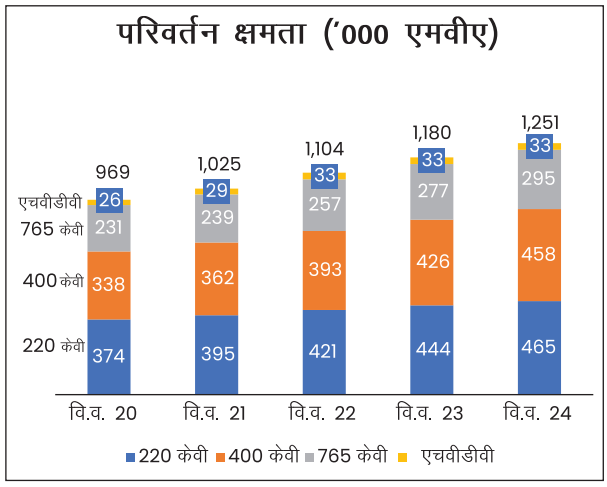
विद्युत क्षेत्र, जिसमें तीन प्रमुख स्तंभ शामिल हैं – उत्पादन, पारेषण और वितरण जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले एक दशक में, देश की उत्पादन क्षमता मिश्रण में महत्वपूर्ण बदलाव परिदर्शित हुआ हैं। मार्च 2024 तक, जीवाश्म–आधारित क्षमता कुल क्षमता मिश्रण का 55.03% है, जबकि गैर जीवाश्म–आधारित क्षमता 44.97% है।

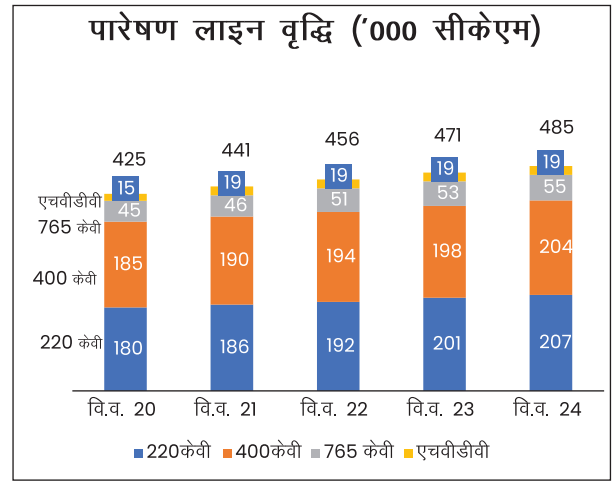
पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए महत्वपूर्ण विकास को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैं:

	वि.व. 21–22	वि.व. 22–23	वि.व. 23–24	वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) (वि.व. 24 बनाम वि.व 23)	वृद्धि 2 वर्ष (सीएजीआर) (वि.व. 24 बनाम वि.व 22)
सृजन					
कुल स्थापित क्षमता (आर.ई. सहित) गीगावाट	399.49	416.05	441.97	6.23%	5.18%
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) क्षमता गीगावाट (बड़ी जलविद्युत को छोड़कर)	109.85	125.15	143.64	14.78%	14.35%
कुल उत्पादन (आरई सहित) बीयू	1,491.86	1,624.15	1,738.10	7.02%	7.94%
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (बीयू) से उत्पादन (बड़े जलविद्युत को छोड़कर)	170.91	203.55	225.46	10.76%	14.86%
हॉस–बॉर्डर पावर एक्सचेंज (बीयू)	16.83	18.09	18.00	-0.50%	3.42%
पारेषण					
पारेषण लाइन्स (सीकेएम) (220 केवी और उससे अधिक)	4,56,716	4,71,341	4,85,544	3.01%	3.11%
परिवर्तन क्षमता (एमवीए)	11,04,450	11,80,352	12,51,080	5.99%	6.43%
अंतर क्षेत्रीय विद्युत स्थानांतरण क्षमता (मेगावाट)	1,12,250	1,12,250	1,16,540	3.82%	1.89%
अंतर क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण (बीयू)	228	236	249	5.51%	4.50%
पावर मार्केट्स					
अल्पावधि लेनदेन (संख्या)	89,544	1,02,692	1,20,246	17.09%	15.88%
अल्पावधि लेनदेन (ऊर्जा लेनदेन) बीयू	162.81	171.81	171.66	-0.09%	2.68%
विद्युत आपूर्ति की स्थिति					
अधिकतम मांग (गीगावाट)	203.01	215.88	243.27	12.69%	9.47%
पीक मेट (गीगावाट) पीक	200.54	207.23	239.93	15.78%	9.38%
घाटा (%)	1.20%	4%	1.40%	_	_
धर्जा मांग (बीयू)	1,379.81	1,511.84	1,626.13	7.56%	8.56%
धर्जा मेट (बीयू)	1,374.02	1,504.26	1,622.02	7.83%	8.65%
घाटा (%)	0.04%	0.50%	0.30%	_	_

स्रोतः सीईए और ग्रिड–इंडिया मासिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय ग्रिड का विस्तार पारेषण लाइनों और परिवर्तन क्षमता में निरंतर वृद्धि द्वारा वर्णन किया जाता है। देश का पारेषण नेटवर्क देश में बढ़ती विद्युत की मांग और विस्तारित विद्युत उत्पादन क्षमता का समर्थन करने के लिए तेजी से बढ़ रही है और इसलिए ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। इसका चरित्र चित्रण न केवल पारेषण नेटवर्क के वास्तविक वृद्धि में हुआ है, बल्कि इससे उच्च पारेषण वोल्टेज और बल्क पावर पारेषण की नई तकनीकों की भी शुरूआत हुई है।

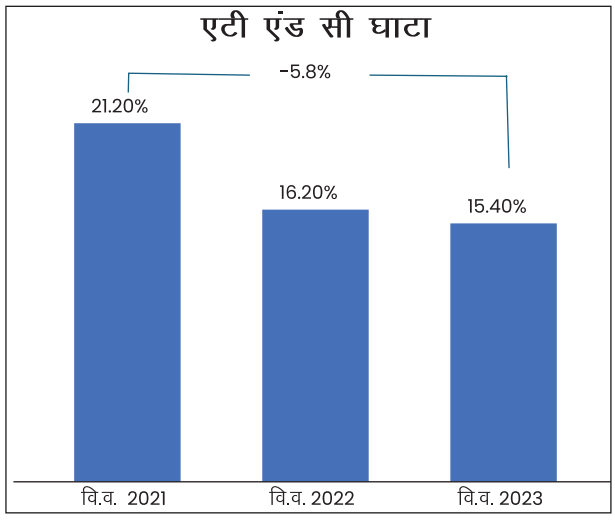


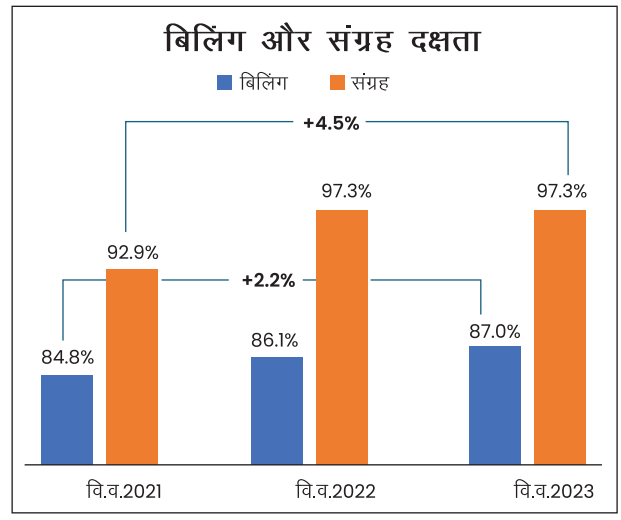


स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट

भारत का विद्युत वितरण क्षेत्र विद्युत आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वित्त वर्ष 2023 में एटीएंडसी घाटा घटकर 15.4% रह गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 21.2% था। इसका महत्वपूर्ण परिवर्तन वर्धित संग्रह दक्षता में देखा जा सकता है, जो वित्त वर्ष 2021 में 92.9% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 97.3% हो गई, जबकि बिलिंग दक्षता लगभग यथावत रही।

सरकार राज्यों को संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के माध्यम से अपने एटीएंसी घाटे को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित कर रही है, जिसका उद्देश्य इन घाटे को 12–15% की सीमा तक कम करना और वित्तीय वर्ष 2024–25 तक आपूर्ति की औसत लागत और कुल राजस्व आवश्यकता के बीच के अंतर को कम करना है।





स्रोतः 12वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंगः विद्युत वितरण उपयोगिताएँ

पारेषण क्षेत्र से संबंधित प्रमुख पहल/सुधार और विनियामक परिवर्तन

क) सीईआरसी (प्रशुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2024

सीईआरसी ने दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2029 तक की प्रशुल्क अवधि के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2024 जारी किए हैं। पारेषण से संबंधित प्रशुल्क विनियमनों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिनांक 01.04.2024 से पहले शुरू की गई पारेषण परिसंपत्तियों के लिए इक्विटी संबंधी आय (आरओई) को पूर्व–कर आधार पर 15.5% की दर से पिछले 2019–24 विनियमनों के अनुसार संरक्षित किया गया है। दिनांक 01.04.2024 को और उसके बाद शुरू की जाने वाली पारेषण परिसंपत्तियों के लिए आरओई की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर पर अर्थात 15.0% की इक्विटी संबंधी आय की आधार दर को बढ़ाकर कर–पूर्व आधार पर की जाती है।

ख) मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास 5.28% पर जारी रहेगा। दिनांक 01.04.2024 के बाद शुरू की गई परिसंपत्तियों के लिए, 15 वर्षों हेतु 4.22% पर त्वरित मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

ग) विद्युत मंत्रालय की विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) संशोधन नियमानली, 2024

दिनांक 03 जून, 2022 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से विद्युत मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय की (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2021 को प्रतिस्थापित करते हुए विद्युत मंत्रालय की विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022 जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय ने उक्त नियमावली में संशोधन दिनांक 28 फरवरी, 2024 को जारी किया था, ताकि इसे सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियमन, 2022 के साथ संरेखित किया जा सके।

घ) सीईआरसी जीएनए विनियमन, 2022, सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियमन, 2023 और सीईआरसी सांझाकरण विनियमन, 2020 में पहले संशोधन के लिए प्रभावी तारीख

सीईआरसी ने दिनांक 03 अगस्त, 2023 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया है कि सीईआरसी जीएनए विनियमन, 2022, सीईआरसी (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियमन, 2023 और सीईआरसी सांझाकरण विनियमन, 2020 में पहला संशोधन दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा। तदनुसार, उक्त विनियमन दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी हो गए हैं।

ङ) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क और घाटे का साझाकरण) (पहला संशोधन) विनियमन, 2022

सीईआरसी ने दिनांक 07 फरवरी, 2023 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से " साझाकरण विनियमन, 2022 में पहला संशोधन" जारी किया था। सीईआरसी साझाकरण विनियमनों को सीईआरसी जीएनए विनियमनों के साथ संरेखित करने के लिए विषयवस्तु संशोधन जारी किया गया है। संशोधित विनियमन उन आहर्ता डीआईसी के संबंध में पारेषण शुल्क की छूट की गणना के लिए अलग पद्धति प्रदान करते हैं जिन्होंने जीएनए और जीएनएआरई प्राप्त किया है। यह पद्धति छूटे हुए आरई स्रोतों से वास्तविक निकासी अनुसूचियों, संबंधित महीनों

में कुल निकासी अनुसूचियों और लागू शर्तों पर आधारित है।

ये विनियमन दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी हो गए हैं और तदनुसार जीएनए विनियमनों के अनुरूप संशोधित बिलिंग दिसंबर, 2023 महीने से शुरू की जा रही है।

च) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क और घाटे का साझाकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सीईआरसी ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से "साझाकरण विनियम, 2022 में दूसरा संशोधन" जारी किया था, जो 01 नवंबर, 2023 से प्रभावी हो गया है। संशोधित विनियम आईएसटीएस और अन्य आईएसटीएस या अंतर–राज्यीय तत्वों के बीच बेमेलता को शामिल करते हुए देय पारेषण शुल्क और पारेषण शुल्क देयता प्रदान करते हैं।

छ) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क और घाटे का साझाकरण) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2023

सीईआरसी ने दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से "साझाकरण विनियम, 2022 में तीसरा संशोधन" जारी किया था, जो 26 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी हो गया है। संशोधित विनियमन किसी विशेष क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए नियोजित अंतर–क्षेत्रीय एचवीडीसी पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण शुल्क के साझाकरण का प्रावधान करते हैं और जो प्रणाली आवश्यकताओं के कारण विपरीत दिशा में विद्युत ले जाने के लिए भी संचालित होते हैं। विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह की मेगावाट क्षमता को एनएलडीसी द्वारा ऐसी क्षमता के बराबर वास्तविक विद्युत प्रवाह के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

ज) विद्युत (संशोधन) नियमावली, 2024

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (संशोधन) नियमावली, 2024 जारी किए हैं जो दिनांक 11 जनवरी, 2024 से लागू होंगे। मंत्रालय ने वर्ष 2005 के मौजूदा विद्युत नियमों में संशोधन पेश किए। ये नियम विद्युत उत्पादन, पारेषण और मुक्त पहुंच प्रभार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं।

- **नियम 21: समर्पित पारेषण लाइनों की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण**

  यह नियम विद्युत उत्पादन कंपनियों, कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करने वाली संस्थाओं या अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए कम से कम पच्चीस मेगावाट और अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए दस मेगावाट की लोड आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं को विद्युत अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने से छूट देता है। तथापि, अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों, तकनीकी मानकों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का अनुपालन अनिवार्य है।

- **नियम 22: मुक्त पहुंच प्रभार**

  यह नियम व्हीलिंग शुल्क, राज्यिक पारेषण उपयोगिताओं के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए शुल्क और मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार की गणना को रेखांकित करता है। मुक्त पहुंच उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अधिभार विद्युत खरीद की प्रति यूनिट निर्धारित लागत पर सीमित है, जिसमें अनुदान की तिथि से चार वर्षों में रैखिक कमी होगी।

- **नियम 23: स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच का अंतर।**

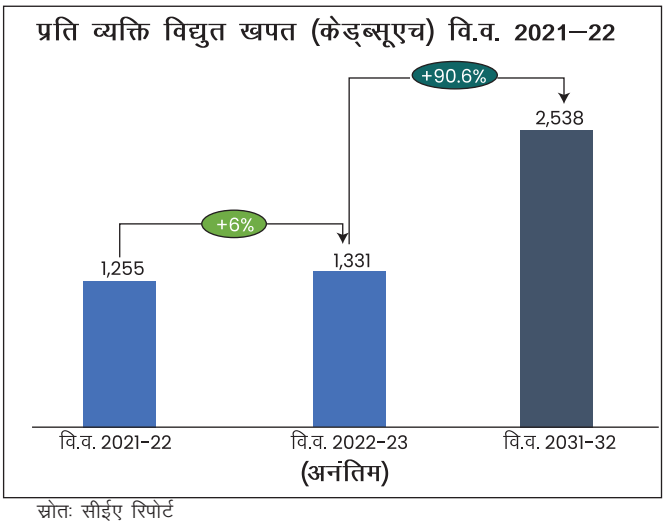
  यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रशुल्क लागत–प्रतिबिंबित हों, जिससे स्वीकृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता और स्वीकृत प्रशुल्क से अनुमानित वार्षिक राजस्व के बीच किसी भी अंतर को कम किया जा सके। नियमों की अधिसूचना के समय मौजूदा अंतराल के लिए, अधिकतम सात वार्षिक किस्तों की अनुमति स्वीकृत है।

विकास चालक

जैसा कि पिछले भागों में चर्चा की गई है, भारत तेजी से ऊर्जा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सक्रिय रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों और सौर कृषि पंपों को अनुकूलन करने को बढ़ावा दे रही है, जो वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने और उसी वर्ष तक आरई के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है।

प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत

औद्योगिक विकास, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते विद्युतीकरण के कारण भारत में विद्युत की मांग लगातार बढ़ रही है। यह वैश्विक स्तर पर विद्युत का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। फिर भी, भारत में प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत 1,331 केड्ब्लूएच (वित्त वर्ष 22–23 में) थी।



स्रोतः सीईए रिपोर्ट

परिप्रेक्ष्य पारेषण नेटवर्क योजना

पारेषण के लिए मसौदा राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) में वर्ष 2022–27 की अवधि के दौरान 123,577 सीकेएम पारेषण लाइनों और 710,940 एमवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तरों पर) को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए 53,132 सीकेएम और 426,675 एमवीए परिवर्तन क्षमता की आवश्यकता है, जबकि अंतर–राज्यीय स्तर पर क्रमशः 70,445 सीकेएम और 284,265 एमवीए की आवश्यकता है।

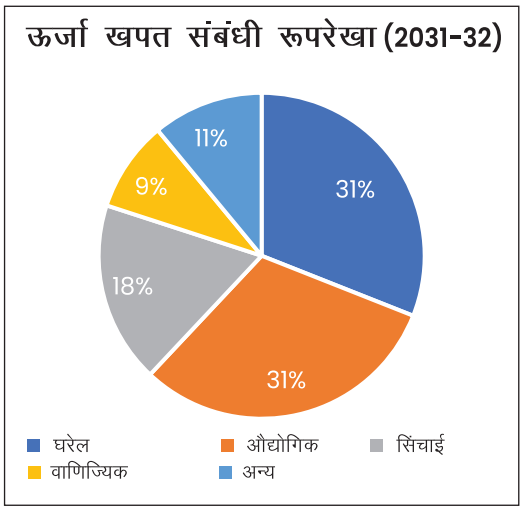
रिएक्टिव विद्युत समर्थन प्रदान करने के लिए बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर (765 केवी और 400 केवी स्तरों पर) और स्टेटिक कम्पेसाटर (स्टेटकॉम) के रूप में पर्याप्त रिएक्टिव क्षतिपूर्ति की योजना बनाई गई है। 51,068 एमवीएआर क्षमता के बस रिएक्टर और 57,890 एमवीएआर क्षमता के लाइन रिएक्टरों को कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

अधिकतम मांग और ऊर्जा आवश्यकता

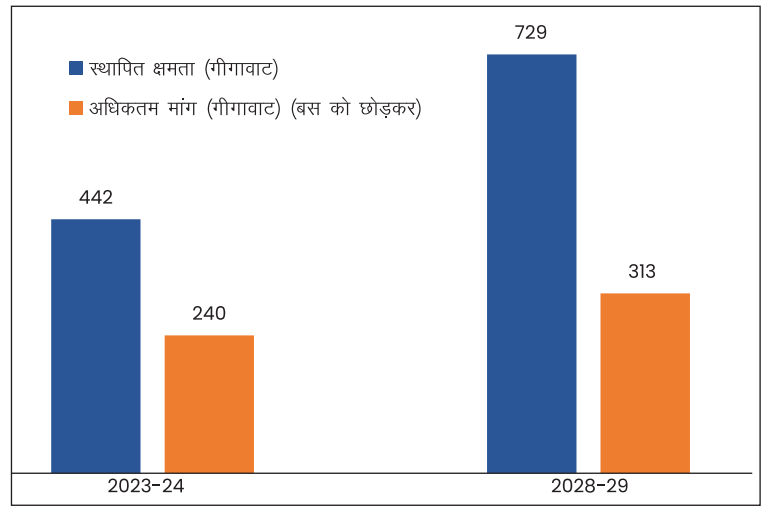
मई 2024 में अखिल भारतीय अधिकतम मांग लगभग 250 गीगावाट थी जो आज तक की सबसे अधिक मांग है। 20वीं ईपीएस रिपोर्ट के अनुसार, अगले पांच वर्षों और लंबी अवधि के लिए अधिकतम मांग (बस को छोड़कर) और ऊर्जा आवश्यकताओं (बस को छोड़कर) का अनुमान निम्नानुसार हैं:

	अगले पांच वर्ष का अनुमान					दीर्घकालिक प्रक्षेपण		
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2031-32	2036-37	2041-42
अधिकतम मांग (जीड्ब्ल्यू) (बस को छोड़कर)	245	260	277	295	313	366	466	575
ऊर्जा आवश्यकता (बीयू) (बस को छोड़कर)	1695	1797	1908	2021	2139	2474	3096	3776

स्रोत: 20वीं ईपीएस रिपोर्ट



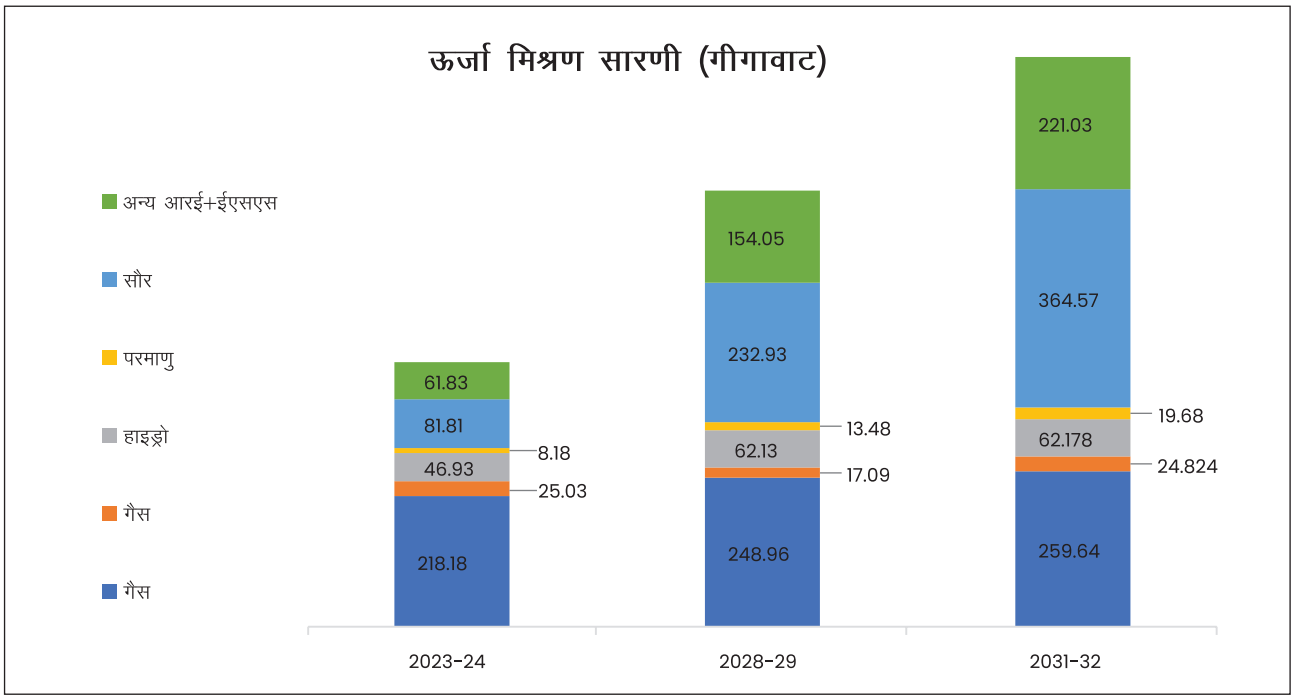
स्रोत: 20वीं ईपीएस रिपोर्ट



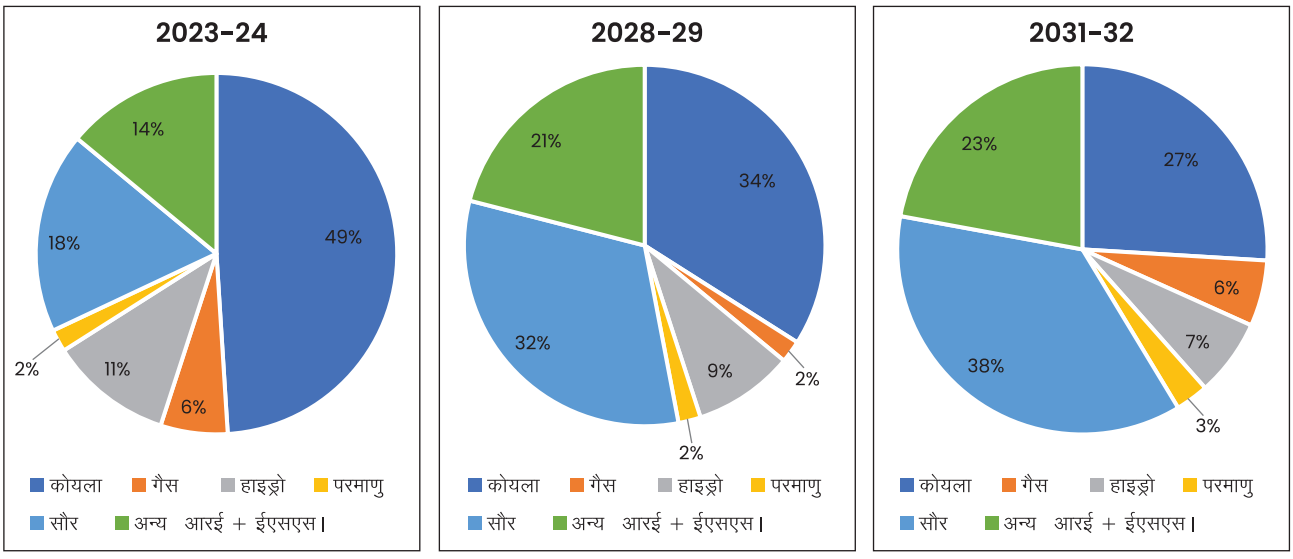
स्रोत: सीईए रिपोर्ट और सीटीयूआईएल रोलिंग योजना

ऊपर दिया गया आंकड़ा अधिकतम मांग की तुलना में उत्पादन क्षमता की सापेक्ष वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023–24 से वर्ष 2028–29 की अवधि में अधिकतम मांग में 30.42% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि स्थापित क्षमता में 64.93% की वृद्धि होने का अनुमान है। स्थापित क्षमता में यह पर्याप्त वृद्धि मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता में वृद्धि के कारण है। तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अक्सर कम क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ) प्रदर्शित करती है और कतिपय आरई स्रोत शाम की अधिकतम मांग के दौरान उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, जिससे वैकल्पिक स्रोतों से भंडारण या क्षमता वृद्धि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, शाम की अधिकतम मांग के घंटों और सूर्योदय तक सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती है, जबकि पवन ऊर्जा मौसमी होती है और मुख्य रूप से अप्रैल–सितंबर के महीनों के दौरान उपलब्ध होती है। इसके परिणामस्वरूप, समग्र ऊर्जा मांग और अधिकतम विद्युत की मांग को पूरा करने में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का योगदान सीमित हो सकता है। फिर भी, स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन की अनिवार्यता सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता वृद्धि अनिवार्य हो गया है।

ऊर्जा मिश्रण रूपरेखा



स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट, सीटीयूआईएल रोलिंग प्लान, एनईपी (खंड II)



स्रोतः सीईए मासिक रिपोर्ट, सीटीयूआईएल रोलिंग प्लान, एनईपी (खंड II)

पारेषण सेक्टर में अवसर

वर्ष 2028–29 तक 729 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता से 313 गीगावॉट की परिकल्पित अधिकतम मांग को पूरा करने के लिए, नई पारेषण लाइनों (सीकेएम) और उप–केन्द्रों (एमवीए) के संदर्भ में आईएसटीएस नेटवर्क में पारेषण प्रणाली को वर्ष दर वर्ष प्रगतिशील रूप से जोड़ने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया संयत्र जैसे थोक उपभोक्ता जिन्हें ग्रिड में एकीकृत करने की योजना है, को अनुमानित अधिकतम मांग के लिए बढ़ाया जाएगा और इसलिए बड़े नवीकरणीय ऊर्जा परिसर से ऐसे उद्योगों को अपेक्षित विद्युत मिलेगी। साथ ही, अपतटीय पवन उत्पादन और इसके प्रभावी निकासी को प्राथमिकता देकर, सरकार का लक्ष्य भारत में भविष्य के लिए संधारणीय और समुत्थानशील ऊर्जा के परिवर्तनशीलता को तेज करना है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2030 तक बड़े पैमाने पर आरईएस निवेश के कारण, ऊर्जा संतुलन के लिए ग्रिड में पर्याप्त समुत्थानशीलता की आवश्यकता होगी। बीईएसएस और पंप स्टोरेज प्रणाली जैसे समुत्थानशील संसाधनों की अखिल भारतीय आधार पर आवश्यकता होगी।

क) अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली

सीटीयूआईएल की रोलिंग योजना के अनुसार, वर्ष 2028–29 तक ग्रिड में 48,619 सीकेएम पारेषण लाइनों और 4,56,035 एमवीए की परिवर्तन क्षमता वाली पारेषण योजनाओं को संचयी रूप से ₹2,94,642 करोड़ की अनुमानित लागत से जोड़ने की उम्मीद है।

उपर्युक्त में से, 20,322 सीकेएम पारेषण लाइनों और 1,85,055 एमवीए की परिवर्तन क्षमता वाली पारेषण योजना ₹95,997 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन है और वर्ष 2028–29 तक ग्रिड में संचयी रूप से जुड़ने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, 28,297 सीकेएम पारेषण लाइनों और 2,70,980 एमवीए की परिवर्तन क्षमता वाली पारेषण योजना की अनुमानित लागत ₹1,98,645 करोड़ है, जो योजना/बोली/अनुमोदन के अधीन है और वर्ष 2028–29 तक संचयी रूप से ग्रिड में जोड़े जाने की उम्मीद है। पारेषण लाइनों, परिवर्तन क्षमता और उनकी संगत लागत का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	सीकेएम परिवर्धन	एमवीए परिवर्धन	व्यापक अनुमानित लागत (₹ रुपए में)
1	2024-25	-	5,500	296
2	2025-26	9,612	92,390	46,414
3	2026-27	11,718	1,12,200	67,594
4	2027-28	2,085	28,000	11,097
5	2028-29	4,882	32,890	70,244
कुल		**28,297**	**2,70,980**	**1,98,645**

स्रोत: सीटीयूआईएल द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए रोलिंग योजना 2028–29

अंतर–क्षेत्रीय (आईआर) पारेषण क्षमता वर्ष 2028–29 तक वर्तमान 1,18,740 मेगावाट से बढ़कर लगभग 1,34,540 मेगावाट हो जाने की उम्मीद है।

ख) अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली

राज्यिक पारेषण उपयोगिताओं (एसटीयू) द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों के विकास से संरेखित किया गया है, क्योंकि यह अंतर–राज्यीय पारेषण और वितरण प्रणालियों के बीच विद्युत आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।

संशोधित प्रशुल्क नीति, 2016 के अनुसार, अंतर–राज्यीय पारेषण परियोजनाओं की नीति राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित की जाएगी, जिसकी लागत सीमा से अधिक होगी, जिसे राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा तय किया जाएगा। अब तक 22 राज्यों ने टीबीसीबी विधि से परियोजनाओं के विस्तार के लिए सीमा घोषित की है, जो अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली में अवसरों को व्यापक बनाती है।

ग) सीमा पार अंतर–संबंध

अपनी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, भारत कई दक्षिण एशियाई देशों के साथ सीमा साझा करता है और इन देशों के साथ विद्युत विनिमय में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, इस प्रकार संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। ईंधन के परिवहन की तुलना में विद्युत का संचारण अधिक किफायती साबित होता है। इसलिए, पड़ोसी देशों के साथ विद्युत अंतर–संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। इस तरह के संबंध बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने, विविध ऊर्जा संसाधनों को साझा करने, बेहतर संसाधन प्रबंधन के माध्यम से प्रचालन लागत को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने और स्पिनिंग रिजर्व को अनुकूलित करके निवेश को स्थगित करने में फायदेमंद साबित होंगे।

नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ वर्तमान में सीमा पार अंतर–संबंध के लिए लगभग 4,745 मेगावाट का संयुक्त विद्युत हस्तांतरण संभव हो पाया हैं। अगले 2–3 वर्षों के भीतर सतत सीमा पार अंतर–संबंधों के अनुमानित शुरूआत से विद्युत हस्तांतरण क्षमता में लगभग 4,120 मेगावाट की वृद्धि होने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2028–29 के लिए अनुमानित सीमा–पार विद्युत हस्तांतरण क्षमता 13,872 मेगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है।

पड़ोसी देशों के साथ भारत की मौजूदा, निर्माणाधीन और नियोजित सीमा–पार पारेषण क्षमता का सारांश नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मेगावाट में)

देश	मौजूदा (मार्च 2024 तक	निर्माणाधीन	योजनाबद्ध	कुल
भारत–बांग्लादेश	1160	0	1000	2160
भारत–भूटान	2185	2220	0	4405
भारत–म्यांमार	3	0	504	507
भारत–नेपाल	1400	1900	3000	6300
भारत–श्रीलंका	0	0	500	500
कुल	**4748**	**4120**	**5004**	**13872**

स्रोतः सीटीयूआईएल द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए रोलिंग योजना 2028–29

घ) एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड

मौजूदा सीमा–पार पारेषण अंतर्संबंधों से संबंधित विभिन्न पहलुओं और नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा संसाधनों के इष्टतम उपयोग, पीक टाइम विविधता का उपयोग, भंडारों का साझाकरण, संचालन में अर्थव्यवस्था, जीवंत विद्युत बाजार के विकास आदि के संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रिड अंतर्संबंधों के लाभों पर अध्ययन की पहचान की गई है।

अंडरसी पावर केबल/ओवरहेड लाइनों के साथ एचवीडीसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से निम्नलिखित अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–क्षेत्रीय पारेषण लिंक में विद्युत हस्तांतरण के अवसरों की पहचान की गई है। दक्षिण एशिया–दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया के भीतर, दक्षिण एशिया–खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच प्रस्तावित अंतर्संबंधों की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है। सीमा–पार अंतर्संबंधों के लिए यूएई और सऊदी अरब के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और श्रीलंका के साथ अंतर्संबंधों को अंतिम रूप दिए जाने के अग्रिम चरण में हैं।

ङ) अन्य उभरते अवसर

i) अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए पारेषण प्रणाली

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर लगभग 30 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता की पहचान की है। इसमें से चरण–I विकास के लिए गुजरात में 5 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा और तमिलनाडु में 5 गीगावाट को प्राथमिकता दी गई है।

अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिए पारेषण प्रणाली में अपतटीय पूलिंग केन्द्र की स्थापना, अपतटीय पूलिंग केन्द्र को ऑनशोर पूलिंग केन्द्र के साथ एकीकृत करने के लिए पनडुब्बी विद्युत केबल और ऑनशोर पूलिंग केन्द्र से इतर पारेषण प्रणाली शामिल है। सीटीयूआईएल ने गुजरात और तमिलनाडु के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा निकासी प्रणाली के चरण–I के लिए पारेषण प्रणाली की पहचान की है।

ii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हरित बनाना

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विद्युत की मांग मुख्य रूप से डीजी सेट के माध्यम से पूरी की जाती है, जिसे सौर और पवन ऊर्जा जैसे छोटे पैमाने के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा पूरा किया जाता है। एनईपी के मसौदे, खंड–II के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एचवीडीसी अंडरसी केबल के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ने की योजना तैयार की गई है। 1150 किलोमीटर तक फैला यह ±320 केवी, 250 मेगावाट एचवीडीसी (वीएससी–आधारित) अंतर्संबंध देश में अपना पहला उदाहरण होगा। इस पारेषण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹15,120 करोड़ है। इस अंतर्संबंध का उद्देश्य वर्ष 2028–29 तक द्वीपों को हरित ऊर्जा में बदलने में मदद करना है।

iii) ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियाँ

बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को ग्रिड में एकीकृत करने से कई चुनौतियाँ आती हैं जैसे कम क्षमता उपयोग कारक (सीयूएफ), रुकावट, चौबीसों घंटे उपलब्धता आदि। इन चुनौतियों से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए, कम या शून्य नवीकरणीय ऊर्जा अवधि के दौरान संतुलन शक्ति प्रदान करने के लिए पंप भंडारण संयत्र सहित ऊर्जा भंडारण प्रणाली की तैनाती जैसे उपायों की आवश्यकता होगी।

iv) हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और अवसंरचना

ग्रीन हाइड्रोजन (एच 2) को अब निवल शून्य अर्थव्यवस्था का स्तंभ माना जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) संसाधनों से विद्युत का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने वाले उद्योगों से राष्ट्रीय ग्रिड में 125 गीगावाट के बराबर विद्युत की आवश्यकता होगी। लगभग 47 गीगावाट के इन थोक उपभोक्ताओं (ग्रीन हाइड्रोजन/अमोनिया

संयंत्रों) को वर्ष 2028–29 तक ग्रिड में एकीकृत करने की योजना है। इस दिशा में बड़े नवीकरणीय ऊर्जा परिसरों से ऐसे उद्योगों को अपेक्षित विद्युत प्रदान करने की आईएसटीएस योजना पहले ही शुरू की जा चुकी है।

v) बूम आधार पर पारेषण लाइन संबंधी परियोजना

एल्युमीनियम उत्पादन जैसे निरंतर प्रक्रियाओं वाले उद्योगों को लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। किसी भी रुकावट के परिणामस्वरूप पूरी उत्पादन लाइन बंद हो सकती है, जिससे संचालन को फिर से शुरू करने में काफी लागत आएगी। इसमें शामिल उच्च दांव के कारण, ये उद्योग अक्सर कैप्टिव विद्युत संयत्र स्थापित करते हैं। तथापि अपनी पर्याप्त विद्युत की माँगों को पूरा करने के लिए, जो आमतौर पर 600 मेगावाट से 800 मेगावाट तक होती है, वे अब समर्पित पारेषण लाइनों का विकल्प चुन रहे हैं। इन पारेषण लाइनों का कार्यान्वयन पावरग्रिड द्वारा बूम (बिल्डिंग ओनर–ऑपरेटर मॉडल) व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है।

2. कंपनी का दृष्टिकोण

I. पारेषण

हमारा पारेषण व्यापार कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 97% है। भारत में स्थापित विनियामक ढांचा हमारे पारेषण राजस्व के समुत्थानशील और संधारणीय नकदी प्रवाह का समर्थन करता है, जो कि आरटीएम और टीबीसीबी दोनों से है और यह प्रचालन बेंचमार्क को पूरा करने के अधीन राजस्व दृश्यता बनाए रखता है, जिसे हम वर्षों से लगातार अनुरक्षण करते आ रहे हैं। अंतरराज्यीय पारेषण क्षेत्र में हमारी प्रमुख बाजार स्थिति है क्योंकि हम भारत की अंतर–क्षेत्रीय क्षमता का लगभग 85% स्वामित्व रखते हैं और उसका संचालन करते हैं।

सीटीयूआईएल द्वारा अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए रोलिंग योजना वर्ष 2028–29 से पता चलता है कि ₹1,98,645 करोड़ की अनुमानित लागत वाली पारेषण योजनाएँ योजना/बोली/अनुमोदन के अध्यधीन हैं और वर्ष 2028–29 तक संचयी रूप से ग्रिड में जुड़ने की उम्मीद है। हम इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का उत्तर दे रहे हैं और इसकी पुष्टि पावरग्रिड द्वारा 13 आईएसटीएस टीबीसीबी परियोजनाओं को प्राप्त करने से होती है। एनसीटी लागत के संदर्भ में, यह वित्त वर्ष 23–24 में बोली लगाने वाली कुल परियोजनाओं का लगभग 65% था और वार्षिक प्रशुल्क योग का लगभग 64% है।

आने वाले वर्षों में निष्पादित की जाने वाली कुछ प्रमुख टीबीसीबी परियोजनाओं में बीकानेर कॉम्प्लेक्स भाग क, कोप्पल – गडग, खावड़ा चरण 3 भाग ख, बीकानेर कॉम्प्लेक्स भाग घ, राजस्थान चरण 3 भाग घ चरण 1 शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, निष्पादित की जाने वाली प्रमुख आरटीएम परियोजना में लद्दाख – पैंग से कैथल एचवीडीसी और पैंग और कैथल वीएससी स्टेशनों और पैंग और लेह में संबंधित एसी पारेषण लाइन के लिए हरित ऊर्जा गलियारा विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त हम अंतर–राज्यीय पारेषण क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

पावरग्रिड में लगभग ₹1,10,000 करोड़ का सुदृढ़ काम है। आगे बढ़ते हुए, हम हाल के दिनों में कई सफल प्रशुल्क–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दौरों से गुजरने के बाद, विनियमित प्रशुल्क तंत्र (आरटीएम) के अंतर्गत आवंटित परियोजनाओं के साथ–साथ उच्च पूंजीगत व्यय की उम्मीद करते हैं। वित्त वर्ष 25 के लिए हम ₹18,000 करोड़ से अधिक के पूंजीव्यय का लक्ष्य बना रहे हैं।

अपने समर्पित प्रयासों के माध्यम से हमने पारेषण नेटवर्क को कुशलतापूर्वक बनाने और बनाए रखने में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल की है। हम पारेषण क्षेत्र में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाने पर अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष से हम कर से पहले अपने लाभ का 1.5% अनुसंधान और विश्लेषण व्यय पर व्यय करने का लक्ष्य बना रहे हैं।

हम तकनीकी प्रगति के माध्यम से अपने पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा पूलिंग केन्द्रों में स्टेटकॉम को तैनात करके, हमने ग्रिड संधारणीयता में सुधार किया है और रुक–रुक कर आने वाले नवीकरणीय स्रोतों के एकीकरण की सुविधा प्रदान की है। स्वदेशीकरण की दिशा में एक उपाय के रूप में, हम उच्च–वोल्टेज आपातकालीन बहाली प्रणालियों के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का विकास कर रहे हैं, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो रही है। हम डिजिटल उप–केन्द्र विकसित करके, एसएफ 6 गैस के विकल्प तलाश कर रहे है और संधारणीय विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर अपनी परिसंपत्तियों को हरित बनाने में भी निवेश कर रहे हैं। हम विद्युत क्षेत्र के भीतर तकनीकी प्रगति और जिम्मेदार विकास को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पबद्ध हैं।

II. दूरसंचार

दूरसंचार व्यापार का संचालन करने वाली हमारी सहायक कंपनी पॉवरटेल आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। भारत का तेज़ डिजिटल परिवर्तन, सहायक सरकारी नीतियों के साथ मिलकर दूरसंचार अवसंरचना विस्तार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। हमारा व्यापक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति हमें इस बढ़ते बाजार में प्रमुख प्लेयर के रूप में मान्यता देती है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान हमारे दूरसंचार राजस्व में 13% की वृद्धि हुई है और आने वाले वर्षों में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है।

हमारे दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि संभावनाओं में योगदान देने वाले प्रमुख विकास चालकों में डिजिटल इंडिया पर सरकार का जोर और हाल ही में पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 शामिल हैं। ये दूरसंचार अवसंरचना विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इसके

अतिरिक्त, हमारा मौजूदा अखिल भारतीय फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हमारी दूरसंचार सेवाओं जैसे आंकड़ा केन्द्र और वाई–फाई समाधान के विस्तार के लिए ठोस आधार प्रदान करता है।

हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देश की सेवा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी के व्यापार, मानेसर में पायलट परियोजना के अंतर्गत आंकड़ा केन्द्र, वाई–फाई समाधान और एफटीटीएच सेवाओं के माध्यम से अपने दूरसंचार राजस्व धाराओं में विविधता लाने पर भी रणनीतिक रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस प्रकार पारंपरिक दूरसंचार सेवाओं पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। हमारी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति हमें नई परियोजनाओं में निवेश करने और बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाती है।

हम अपने टावर व्यापार का विस्तार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मोबाइल संचार अवसंरचना के लिए पावर पारेषण टावरों का उपयोग करने का समाधान राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन को सौंपा गया है और दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों को इन टावरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके आधार पर, हमने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से अपने टावरों पर एफएम पारेषण के लिए सिग्नल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है तथा उनकी मानचित्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टावरों के स्थान को साझा किया है।

III. परामर्श

विद्युत क्षेत्र में अपने विशाल अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, हम विभिन्न उपयोगिताओं, सीपीएसई और निजी एजेंसियों को व्यापक परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं। हमारी सेवाओं में विद्युत पारेषण प्रणाली नियोजन और डिजाइन, उप–केन्द्र डिजाइन और निर्माण, पारेषण लाइन अभियांत्रिकी, करार, परियोजना प्रबंधन, एससीएडीए विकास, ऊर्जा दक्षता, सुव्यवस्थित ग्रिड अवसंरचना और पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन केंद्र शामिल हैं। हम पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुभवी पेशेवरों के बड़े समूह और गहन केन्द्रीय ज्ञान सहित हम वितरण और उप–पारेषण प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए पुनः व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कंपनी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में व्यापक पारेषण और वितरण योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) सहित भारत सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, हम अपनी सहायक कंपनी पीईएसएल के माध्यम से पुनः व्यवस्थित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत सुव्यवस्थित मीटरिंग और हानि कम करने के कार्यों को भी कार्यान्वित कर रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हमारी उपस्थिति 23 देशों में है। हमने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में 130 से अधिक कार्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए हैं, जो हमारी सुदृढ़ विशेषज्ञता और क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं। 120 से अधिक परियोजनाओं को पूरा करने के साथ–साथ हमने तीन प्रमुख व्यापार रूपरेखा में कदम रखा है अर्थात संयुक्त उद्यम/सार्वजनिक–निजी भागीदारी (जेवी/पीपीपी) रूपरेखा के अंतर्गत परामर्श, आपूर्ति और निवेश। वर्तमान में, हम केन्या, तंजानिया, गैबॉन, अंगोला, मोजाम्बिक, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरब, म्यांमार और अन्य देशों में सक्रिय रूप से व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं।

हमने अफ्रीका 50 के साथ मिलकर केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक सहित अन्य देशों में अफ्रीकी बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक गठबंधन बनाया है।

IV. उभरते क्षेत्र

हम नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स, वितरण लाइसेंसधारियों और थोक उपभोक्ताओं के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बूम) रूपरेखा पर पारेषण परियोजनाओं को शुरू करने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे हैं और संभावित ग्राहकों के साथ उन्नत बार्ता चल रही है। पावरग्रिड ओपीटीसीएल और यूपीपीटीसीएल सहित कई राज्यिक उपयोगिताओं को उप–केन्द्रों को स्वचालित करने और राज्य पारेषण परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (एसटीएएमएस) स्थापित करने में सहायता कर रहा है।

नागदा, मध्य प्रदेश में 85 मेगावाट क्षमता वाली हमारी पहली बड़े पैमाने की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान शुरू होने वाली है। इस संयंत्र से अपने प्रचालन के पहले पूरे वर्ष में लगभग 184 मिलियन इकाई (एमयू) सौर ऊर्जा सृजित होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त विद्युत योजना के अंतर्गत हमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा आठ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, इनमें राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, असम, तमिलनाडु, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल हैं। आवासीय भवनों में छत पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए, कंपनी ओडिशा, पुडुचेरी, लद्दाख और लक्षद्वीप के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी सरकारी भवनों में छत पर सौर ऊर्जा लगाने के लिए आवंटित राज्यों के साथ संपर्क कर रही है। इस योजना के अंतर्गत हम अपनी भवनों पर भी छत पर सौर ऊर्जा लगाएंगे।

नीमराना में हरित हाइड्रोजन के लिए पायलट परियोजना स्थापित की जा रही है ताकि इसके उत्पादन, भंडारण और अनुप्रयोगों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उभरते क्षेत्र में विशेषज्ञता और व्यावहारिक ज्ञान का सृजन करना है। कंपनी हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं को व्यावसायिक स्तर तक बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं के साथ साझेदारी करने के अवसरों की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है।

पारेषण प्रणाली के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण में आने वाली प्रमुख बाधाएँ/चुनौतियाँ/खतरे तथा उनका निवारण:

भारत सरकार और पावरग्रिड द्वारा की गई कई नीतिगत पहलों के बावजूद, वन/वन्यजीव क्षेत्र के लिए समय पर अनुमोदन प्राप्त करना तथा आगामी उप–केन्द्रों के लिए भूमि सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण बाहरी कारक/एजेंसियाँ हैं। वनों, कृषि भूमि, शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ–साथ अन्य अवसंरचना के माध्यम से राइट–ऑफ़–वे (आरओडब्ल्यू) का संरक्षण, विद्युत हस्तांतरण की आवश्यकता के साथ लाइनों की स्थानांतरण क्षमता का उन्नयन, उप–केन्द्रों के लिए भूमि सुरक्षित करना देश में पारेषण नेटवर्क के विकास के लिए चिंता की बात हैं।

निर्माण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
1. उप–केन्द्र/पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता।	गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस) उप–केन्द्र और हाइब्रिड उप–केन्द्र जैसी नई तकनीकों में निवेश करने के अतिरिक्त, आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि इसकी परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव न्यूनतम हो। आपकी कंपनी अपने उप–केन्द्र के निर्माण के लिए पहली प्राथमिकता के रूप में खराब सरकारी भूमि की पहचान करती है। यदि निजी भूमि अपरिहार्य है, तो आपकी कंपनी भूमि मालिकों के साथ बार्ता दर पर स्वेच्छा से भूमि सुरक्षित करती है। अपने उप–केन्द्र के लिए भूमि के अनैच्छिक अधिग्रहण से बचना और इसे मुक्त बाजार तंत्र के माध्यम से सुरक्षित करना, या तो सीधे या राज्य के विशिष्ट नियमों/दिशानिर्देशों का उपयोग करके उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण भूमि मालिकों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देता है, जिसके परिणामस्वरूप उप–केन्द्र के लिए भूमि का सुचारू अधिग्रहण होता है। आपकी कंपनी ने 400 केबी डबल–सर्किट पारेषण लाइनों के लिए लगभग 64 मीटर की ऊंचाई वाला नवोन्मेष ट्विन स्टील मोनोपोल डिज़ाइन किया है, जो लाइन को समकोण पर मोड़ने में सक्षम है। इस ट्विन पोल संरचना में एक साथ खड़े दो मोनोपोल होते हैं, जो आरओड्ब्लू बाधाओं वाले क्षेत्रों के लिए जमीन पर कम जगह घेरते हैं, जबकि उच्च शक्ति–वहन क्षमता और बेहतर यांत्रिक संधारणीयता प्रदान करते हैं। यह दृश्य प्रभाव को भी कम करता है और आसान स्थापना और अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने पत्थर के स्तंभों का उपयोग करके ढीली मिट्टी के जमाव की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पद्धति विकसित की है। यह तकनीक बहुत ढीली मिट्टी को रूपांतर कर देती है, जो अन्यथा किसी भी संरचना को सहारा देने के लिए अनुपयुक्त होती है, जिससे भारी भार को झेलने में सक्षम नींव बनाई जा सकती है। रणनीतिक स्थानों पर रॉक बोल्ट फाउंडेशन के साथ बॉटम क्रॉस–आर्म के बिना संकीर्ण बेस मल्टी–सर्किट टॉवर का उपयोग किया जाता है। चुनौतीपूर्ण उप–मिट्टी की स्थितियों में उपकरण नींव के निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए वाइब्रो स्टोन कॉलम का उपयोग करते हुए खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क में भूमि सुधार रणनीति अपनाई गई है।
2. वन/वन्यजीव से संबंधित अनुमोदन की चुनौतियां	पावरग्रिड अपने लंबित वन/वन्यजीव मामलों को सुलझाने और साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनकी अनुमोदन में तेजी लाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के प्रत्येक क्षेत्रीय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) द्वारा आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठकों (एफआरसीएम) का लाभ उठा रहा है। इसके अतिरिक्त, एमओईएफसीसी के निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) सॉफ्टवेयर और पीएम गतिशक्ति पोर्टल तक पावरग्रिड की पहुंच ने योजना के शुरुआती चरणों और वन/वन्यजीव प्रस्तावों के निर्माण के दौरान वन, संरक्षित क्षेत्रों और अन्य अधिकार–मार्ग बाधाओं से संबंधित पारेषण लाइन मार्गों के अनुकूलन की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, परियोजना स्क्रीनिंग समिति (पीएससी) की शुरूआत सहित वन संरक्षण अधिनियम और नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों ने वन अनुमोदन प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप क्रॉस रेफरेंस से बचा जा सका है, जिससे वन प्रस्ताव के प्रसंस्करण/अनुमोदन के लिए आवश्यक समय कम हो गया है।

निर्माण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
3. नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारेषण प्रणाली का समय पर विस्तार	765 और 400 श्रेणी के ट्रांसफार्मर और रिएक्टर, 765, 400, 220 केवी श्रेणी (एआईएस) सीबी/सीटी/आइसोलेटर/उप–केन्द्र स्ट्रक्चर/सीआरपी और एसएएस/सर्ज अरेस्टर जैसे प्रमुख उपकरणों की थोक खरीद के साथ–साथ एलटी ट्रांसफार्मर, डीजी सेट, क्लैंप और कनेक्टर की खरीद की जा रही है, ताकि आरई और अन्य विशेष परियोजनाओं के लिए संपीड़ित कार्यक्रम की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। पावरग्रिड बोर्ड ने थोक खरीद के लिए अग्रिम व्यय के लिए पहले ही ₹1000 करोड़ की निधि आवंटित कर दिया है। ईएचवी उप–केन्द्रों के लिए इंजीनियरिंग तकनीकी विनिर्देशों के संशोधन के साथ आईएस/आईईसी/सीईए आवश्यकताओं और टॉवर और नींव आदि के मानकीकरण के साथ व्यापारिक सुगमता को लक्षित किया गया। **ड्रीम्स (ड्राइंग रिव्यूऔर अनुमोदन प्रबंधन प्रणाली)** परियोजना कार्य में तेजी लाने और भविष्य की आवश्यकता के लिए दस्तावेज़–संग्रह हेतु हितधारकों को अनुमोदित दस्तावेजों की वास्तविक समय पर उपलब्ध कराने के लिए इंजीनियरिंग दस्तावेजों का डिजिटलीकरण।
4. संधारणीयता, ईएसजी और स्वास्थ्य	**आवासीय और गैर–आवासीय भवनों का संरचनात्मक स्वास्थ्यः** दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं और सभी पावरग्रिड प्रतिष्ठानों को प्रसारित किए जा रहे हैं। **वर्षा जल संचयनः** दिशा–निर्देश तैयार किए गए हैं और सभी पावरग्रिड प्रतिष्ठानों को प्रसारित किए जा रहे हैं। ये दिशा–निर्देश मौजूदा उप–केन्द्रों और भविष्य के केन्द्रों के लिए लागू होंगे और निविदा बीओक्यू/विनिर्देश का हिस्सा होंगे। **जलमल शोधन संयत्रः** 3 उप–केन्द्रों के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसे वित्त वर्ष 2024–25 में शुरू किया जाना है।

कंपनी नवीनतम अत्याधुनिक अनुरक्षण कार्यप्रणालियों के उपयोग के माध्यम से अपनी पारेषण प्रणाली की उपलब्धता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। अनुरक्षण कार्यकलापों की योजना पहले से ही बना ली जाती है और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार, सजीव लाइन या बंद अनुरक्षण के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति के लिए 'वार्षिक अनुरक्षण योजना' तैयार की जाती है, जिससे लाइनों की ट्रिपिंग को विशेष रूप से कम किया जा सका है। सॉफ्टवेयर टूल, ट्रांसफार्मर ऑनलाइन कंडीशन मॉनिटरिंग प्रणाली (टीओसीएमएस), एनटीएएमसी और आरटीएएमसी में चालू है। पावरग्रिड ने बेहतर प्रचालन निष्पादन के लिए नवीनतम उपलब्ध तकनीकी उपकरणों और तकनीकों में निवेश किया है और इस दिशा में आपकी कंपनी द्वारा निम्नलिखित नवीनतम तकनीकों को अपनाया गया हैः

प्रचालन और अनुरक्षण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
प्रचालन एवं अनुरक्षण दक्षता में वृद्धि	• **आईएसओ 55001 प्रमाणनः** पावरग्रिड ने अपनी कार्यप्रणालियों को आईएसओ 55001 मानकों के साथ जोड़कर परिसंपत्ति प्रबंधन में उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक, प्रभावी परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को रेखांकित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपनी परिसंपत्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में उच्चतम मानदंडों को पूरा करें। • 1 जनवरी 2024 से ट्रांसफॉर्मर, रिएक्टर और पारेषण लाइनों सहित अपनी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के लिए **विश्वसनीयता केंद्रित अनुरक्षण (आरसीएम)** कार्यप्रणालियों को कार्यान्वित किया गया। इस रणनीतिक दृष्टिकोण में प्रत्येक घटक की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण, संभावित विफलता मोड की पहचान करना और समग्र प्रणालीगत निष्पादन को बढ़ाने के लिए लक्षित अनुरक्षण योजनाएँ विकसित करना शामिल है। इससे नियमित अनुरक्षण कार्यकलापों पर व्यय होने वाले श्रम–घंटों में उल्लेखनीय कमी आएगी और केंद्रित और गुणवत्तापूर्ण अनुरक्षण संभव होगा।

प्रचालन और अनुरक्षण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
	• **संरक्षण और एससीएडीए के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):** पावरग्रिड ने लगभग 36,000 आईईडी और 190 नग एसएएस गेटवे के आंकड़ाबेस को प्रबंधित और मान्य करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)––संरक्षण और एससीएडीए की स्थापना की है ताकि योजना का उचित कार्यान्वयन, सेटिंग्स/कॉन्फ़िगरेशन की एकरूपता और केंद्रीकृत स्थान से मांग पर मुद्दों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्रीय स्थान से सुरक्षा के मुद्दों को संभालने के लिए सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता को सक्षम बनाता है और संवर्धित वास्तविकता आदि जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग करके साइटों को दूरस्थ समर्थन देने के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है। • इन हाउस **एआई/एमएल आधारित त्रुटि पहचान उपकरण पीजी अमृत (पावरग्रिड एसेट मैनेजमेंट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ट्रांसमिशन) जिसे ट्रांसमिशन लाइन पेट्रोलिंग प्लेटफॉर्म पीजी–दर्पण (नियमित पेट्रोलिंग और नेटवर्क के मूल्यांकन के लिए पावरग्रिड डिजिटल अनुप्रयोग)** के साथ एकीकृत किया गया है। पीजी ए. एम. आर. आई. टी. स्वचालित रूप से ए. आई./एम. एल. एल्गोरिदम का उपयोग करके टॉवर तस्वीरों से त्रुटियों की पहचान करता है। इसने संबंधित अनुरक्षण श्रमशक्ति के प्रयासों को अनुकूलित करने में सहायता की है और त्रुटियों की पहचान से त्रुटि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है। • **परिसंपत्ति प्रबंधन डैशबोर्ड (उड़ान)** विभिन्न प्रारूपों में संग्रहीत आंकड़ा को एकीकृत करके सभी प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) तक एकल विंडो पहुंच सुनिश्चित करता है। डैशबोर्ड न केवल प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि संगठन भर में संपूर्ण परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली का व्यापक भू–स्थानिक दृश्य भी प्रदान करता है। • **ट्रांसफॉर्मर/रिएक्टर/सर्किट ब्रेकर के लिए इन–हाउस, परिसंपत्ति हेल्थ इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया गया।** यह स्वचालित रूप से केंद्रीकृत आंकड़ाबेस से ट्रांसफॉर्मर/रिएक्टर/सर्किट ब्रेकर आंकड़ा प्राप्त करता है और उसका मूल्यांकन करता है और पावरग्रिड की अपनी व्याख्या तकनीक का उपयोग करके गिरावट की सीमा के आधार पर उपकरणों को स्वास्थ्य सूचकांक प्रदान करता है। यह पारेषण परिसंपत्ति के विश्वसनीयता केंद्रित अनुरक्षण संबंधी स्थानांतरण में मदद करेगा। • **पावरग्रिड में कुशल निरीक्षण (आई2पी):** पावरग्रिड ने क्यूआर कोड का उपयोग करते हुए कुशल निरीक्षण मॉड्यूल लागू किया, जिससे उप–केन्द्र उपकरणों का दक्षतापूर्ण निरीक्षण संभव हुआ। आंकड़ा लॉगिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सुदृढ़ टैबलेट पानी और धूल से सुरक्षित हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से अप्रभावित हैं और उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आंकड़ा इनपुट करने की अनुमति देते हैं। • **हॉटलाइन अनुरक्षण और आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस):** बिजली कटौती से बचने के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का अनुरक्षण करने हेतु हॉटलाइन अनुरक्षण तकनीकों का उपयोग करना। इसके अतिरिक्त, 765 केवी पारेषण लाइनों पर हॉटलाइन अनुरक्षण के लिए भारत में पहली बार प्रशिक्षण दिया गया है। पावरग्रिड विफलताओं के मामले में पारेषण लाइनों की त्वरित बहाली के लिए ईआरएस का भी उपयोग कर रहा है। • **आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) की आपूर्ति के लिए स्वदेशी विक्रेता विकास:** भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया पहल को ध्यान में रखते हुए, पारेषण लाइनों की आपातकालीन बहाली के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) के स्वदेशी विक्रेता विकास का काम शुरू किया गया है। • **पारेषण लाइनों की ड्रोन से गश्त:** पावरग्रिड ने 900 किलोमीटर की दूरी तक पारेषण लाइनों की ड्रोन आधारित गश्त सफलतापूर्वक की है। यह अभिनव दृष्टिकोण निगरानी कार्यकलापों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे पारेषण लाइनों का त्वरित और व्यापक निरीक्षण संभव हो पाता है। ड्रोन से गश्त करने से संभावित समस्याओं की पहचान करने और समय पर अनुरक्षण के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में मदद मिलती है।

प्रचालन और अनुरक्षण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
	• **पारेषण लाइन की नींव के लिए विशेष डिजाइन का विकासः** आपकी कंपनी ने नवोन्मेष पाइल फाउंडेशन डिजाइन विकसित किया है, जिसमें पारंपरिक चार के बजाय प्रत्येक पैर के नीचे तीन पाइल हैं। यह दृष्टिकोण कम पाइल को चलाने की आवश्यकता के कारण लाइन के पूरा होने में तेजी लाएगा, जिससे निर्माण समय और समग्र लागत दोनों में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए एक पैर के नीचे पोर्टल संरचना को शामिल करने वाली नींव प्रणाली विकसित की गई है। यह नवोन्मेष बहुत लंबे समय तक चलने वाली चिमनी एक्सटेंशन की आवश्यकता को समाप्त करता है। • **नई पारेषण लाइन के सर्वेक्षण के लिए इन–हाउस क्षमता का विकासः** प्रशुल्क–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी ने पूरे भारत में पारेषण लाइन परियोजनाओं के लिए इष्टतम विधि का चयन करने के लिए इन–हाउस क्षमताओं के विकास की पहल की है। इसमें नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करना शामिल है, जैसे कि उपग्रह मानचित्रण, भू–संदर्भित मानचित्र, गतिशक्ति पोर्टल और विभिन्न अन्य उपलब्ध जीआईएस सॉफ्टवेयर उपकरण। • **नवोन्मेष लाइन सर्वेक्षण तकनीकः** आपकी कंपनी ने उच्च पर्वतीय और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में पारेषण लाइनों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (एलआईडीएआर) तकनीक का उपयोग शुरू किया है। इस प्रक्रिया में विमान या हेलीकॉप्टर पर लगे एलआईडीएआर उपकरण के साथ लाइन कॉरिडोर से उड़ान भरना शामिल है। एलआईडीएआर दूरियों को मापने और इलाके के 3डी मानचित्र बनाने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है, जिसका उपयोग पारेषण लाइनों को प्रभावी और इष्टतम तरीके से एकीकृत करने के लिए किया जाता है। • **रोबोट के माध्यम से उप–केन्द्रों का निरीक्षणः** पावरग्रिड ने उप–केन्द्र उपकरणों में त्रुटियों का पता लगाने के लिए एआई/एमएल एल्गोरिदम से संचालित स्वायत्त रोबोट का विकास किया है, जो नियमित निरीक्षण कार्यकलापों को आसान बनाएगा। • **आरई पूलिंग स्टेशनों में स्टेटकॉमः** राजस्थान आरई कॉम्प्लेक्स में आरई पूलिंग स्टेशनों में मल्टीवेंडर इन्वर्टर आधारित संसाधनों (आईबीआर) सहित भारत में पहली बार स्टेटकॉम पर विचार किया गया। सौर ऊर्जा पार्कों के पास अद्वितीय नियंत्रण सुविधाओं के साथ रणनीतिक स्थानों पर स्टेटकॉम की उपस्थिति ग्रिड संधारण ीयता को बढ़ाती है, विद्युत की गुणवत्ता में सुधार करती है और मौजूदा विद्युत अवसंरचना में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सुचारू एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। स्टेटकॉम ग्रिड में संधारणीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए वोल्टेज स्तरों को विनियमित करने के लिए गतिशील प्रतिक्रियाशील शक्ति सहायता प्रदान कर सकते हैं। • **500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टरः** वोल्टेज प्रोफ़ाइल का वर्नियर नियंत्रण रखने के लिए, स्थिर अवस्था में एचवीडीसी नियंत्रकों के सुचारू और विश्वसनीय संचालन की सुविधा के लिए भारत में पहली बार कुरुक्षेत्र में स्टैंडअलोन 500 एमवीएआर टीसीआर पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अचानक लोड अस्वीकृति के मामले में गतिशील ओवर वोल्टेज नियंत्रण में मदद करता है। • **ड्रोन से गश्त, हेडगियर्स, एआर/वीआर डिवाइस, बेहतर संपत्ति निरीक्षण दक्षता,** संपत्ति विश्वसनीयता और ग्रिड समुत्थानशील के लिए औद्योगिक रग्ड टैबलेट आधारित निरीक्षण। • **आंकड़ा प्रबंधन, विश्लेषण और परिसंपत्ति निगरानी में सुधार के लिए डिजिटलीकरण पहल** (परिसंपत्तियों की क्यूआरटैगिंग, डिजिटल पोर्टल, ओसीआर रीडर, वाल्व हॉल निरीक्षण रोबोट आदि)।

प्रचालन और अनुरक्षण में चुनौतियाँ	शमन संबंधी कार्रवाई
	• **सुरक्षा प्रचालन केंद्रः** पावरग्रिड ने देश भर में फैली विषम (अर्थात आईटी, ईआरपी, दूरसंचार, ओटी, आदि) पावरग्रिड की डिजिटल परिसंपत्तियों की निगरानी के लिए ईसीआईएल के साथ साझेदारी में स्वदेशी एकीकृत सूचना सुरक्षा प्रचालन केंद्र (आई3एसओसी) की स्थापना की है।

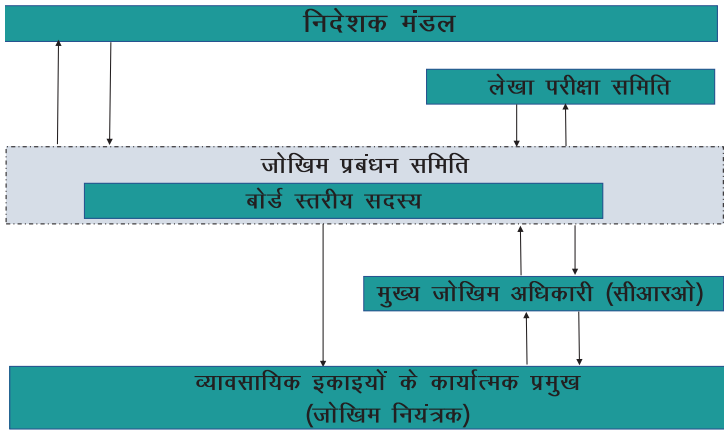
4. जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा

आपकी कंपनी ने व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरपी) कार्यढांचा स्थापित किया है जो निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी जोखिम या संभावित खतरे की पहचान, विश्लेषण, आकलन, शमन, निगरानी और शासन करके कंपनी के रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति को सक्षम बनाता है। व्यवसायों और कार्यों द्वारा पहचाने गए रणनीतिक, प्रचालन, वित्तीय, मानव संसाधन, अनुपालन, ईएसजी और साइबर सुरक्षा जोखिमों की विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से व्यवस्थित रूप से निगरानी और नियंत्रण किया जाता है।

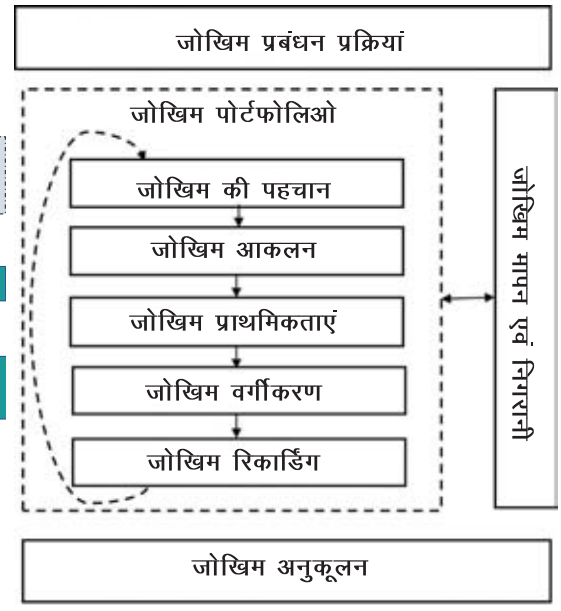
आपकी कंपनी में समर्पित बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें स्वतंत्र निदेशक और तीन कार्यकारी निदेशक सदस्य के रूप में शामिल हैं जो केपीआई की समीक्षा करते हैं और व्यावसायिक दक्षता में सुधार के लिए निरंतर आधार पर शमन क्रियाओं के माध्यम से प्रमुख जोखिमों को संसाधित और समस्या का समाधान करते हैं। जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से अनुपालन–संबंधी जोखिमों की निगरानी भी करती है और सभी नियामक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करती है। जोखिमों की व्यवस्थित और सक्रिय पहचान और उनका शमन, आपकी कंपनी को प्रभावी और समय पर निर्णय लेने सहित निष्पादन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

आपकी कंपनी ने मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, जोखिमों की निगरानी/समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

जोखिम प्रबंधन संरचना



जोखिम प्रबंधन



5. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और पर्याप्तता

पावरग्रिड में लेखा और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, नियंत्रण की पर्याप्तता, सामग्री जांच, वित्तीय औचित्य पहलुओं और अनुपालन कार्यान्वयन तंत्र को सत्यापित करने के लिए व्यापक आंतरिक नियंत्रण तंत्र है। एक समान अनुपालन के लिए लेखों की तैयारी हेतु विस्तृत दिशानिर्देशों का निरंतर अनुपालन किया जाता है।

विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की गई थी। अनुभवी लागत/चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों द्वारा कंपनी के अपने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के साथ निकट समन्वय में अर्धवार्षिक आधार पर नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी जाँच और संतुलन मौजूद हैं और सभी आंतरिक नियंत्रण/प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं। कॉर्पोरेट आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता को आश्वस्त करने के लिए प्रणाली लेखा–परीक्षा और प्रबंधन लेखा–परीक्षा भी करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखा परीक्षा योजना से लिया गया है। लेखा परीक्षा समिति नियमित अंतराल पर बैठकें करती है। महत्वपूर्ण/सामग्री लेखा परीक्षा निष्कर्षों को समीक्षा, चर्चा और बाद की कार्रवाई के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है।

6. एकीकृत प्रबंधन नीतिः

पावरग्रिड निम्नलिखति लिए प्रतिबद्ध हैः

- समय, लागत, प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन को ध्यान में रखते हुए कुशल और प्रभावी "राष्ट्रीय ग्रिड" की स्थापना और अनुरक्षण करना।,
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और परिहार, न्यूनीकरण और शमन के सिद्धांतों पर पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को अनुकूलन करने के माध्यम से सतत विकास।,
- अपनी कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में हितधारकों की संतुष्टि के लिए सुरक्षित, व्यावसायिक जोखिम मुक्त और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करना और कानूनी और विनियामक प्रावधानों के अनुरूप अपने प्रबंधन प्रणालियों और कार्यप्रणालियों में लगातार सुधार करने का प्रयास करना।

7. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

निरंतर प्रचालन से कुल आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	% परिवर्तन
प्रचालन से राजस्व	42,391.16	42,635.90	(0.57)
अन्य आय	3,424.21	2,591.62	32.13
कुल आय	**45,815.37**	**45,227.52**	**1.30**

वित्त वर्ष 2023–24 में सतत प्रचालन से कुल आय ₹45,815.37 करोड़ थी, जो वित्त वर्ष 2022–23 में ₹45,227.52 करोड़ की कुल आय से 1.30% अधिक थी। वित्त वर्ष 2023–24 में, पारेषण और पारेषण संबंधी कार्यकलापों ने सतत प्रचालन से हमारी कुल आय का 91.39% हिस्सा जुटाया गया, जबकि शेष परामर्शी व्यापार और अन्य आय से आया।

आपकी कंपनी के प्रचालन संबंधी परिणामों को प्रभावित करने वाले कारक

प्रशुल्क मानदंड

पारेषण प्रणाली या विद्युत के अंतर–राज्यीय पारेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व और विनियमित प्रशुल्क मोड के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले पारेषण शुल्क केंद्र सरकार की प्रशुल्क नीति और कानून के अनुसार सीईआरसी द्वारा अधिसूचित प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित होते हैं। पारेषण लाइसेंसधारी, पारेषण प्रणाली के लिए प्रचलित प्रशुल्क ब्लॉक के दौरान किए गए या किए जाने वाले पूंजीगत व्यय के आधार पर प्रशुल्क के निर्धारण के लिए सीईआरसी प्रशुल्क विनियमनों में यथानिर्धारित अनुसार आवेदन करेगा।

प्रशुल्क विनियमों के अंतर्गत, आपकी कंपनी को वार्षिक निश्चित लागत ("एएफसी") की वसूली के लिए पारेषण शुल्क प्रभारित करने की अनुमति दी गई है, जिसमें इक्विटी पर आय, ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास, संचालन और अनुरक्षण व्यय और कार्यशील पूंजी पर ब्याज जैसे प्रशुल्क घटक शामिल हैं। सीईआरसी ने दिनांक 15 मार्च, 2024 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सीईआरसी (प्रशुल्क के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2024 जारी किए हैं जो वर्ष 2024–29 प्रशुल्क ब्लॉक के लिए लागू होंगे।

नए प्रशुल्क विनियमनों में मुख्य परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

- दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पहले शुरू की गई पारेषण परिसंपत्तियों के लिए इक्विटी पर आय (आरओई) को पूर्व के 2019–24 विनियमनों के अनुसार पूर्व–कर आधार पर 15.5% की दर से संरक्षित किया गया है। तथापि, 01 अप्रैल, 2024 को और उसके बाद शुरू होने वाली पारेषण परिसंपत्तियों के लिए आरओई की गणना संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी कर दर पर 15.0% की इक्विटी पर आय की आधार दर को बढ़ाकर कर–पूर्व आधार पर की जाती है।
- मौजूदा परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास उसी दर पर जारी रहेगा। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के बाद शुरू की गई परिसंपत्तियों के लिए, 15 वर्षों के लिए थोड़ी कम दरों पर त्वरित मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है और 15 वर्षों के बाद, शेष मूल्यह्रास शेष उपयोगी समय काल के लिए विस्तारित किया जाता है।

- ऋण पर ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष ऋण की चुकौती को ध्यान में रखते हुए की जाती है, जिसे स्वीकृत मूल्यह्रास के बराबर माना जाता है।
- पारेषण प्रणाली को बनाए रखने के लिए संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय की वसूली पारेषण लाइनों, उप–केन्द्रों, एचवीडीसी प्रणाली आदि के लिए विनिर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित है।
- कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए, ब्याज दर को मानक आधार पर माना जाता है और इसे एसबीआई के एक वर्ष के एमसीएलआर प्लस प्रशुल्क वर्ष के 1 अप्रैल तक 325 बीपीएस (2019–24 ब्लॉक में 350 बीपीएस से कम) से जोड़ा जाता है।
- साझाकरण विनियमन, 2020 के अनुसार पारेषण शुल्क के समय पर भुगतान के लिए उपरोक्त छूट के अतिरिक्त और विलंबित भुगतान के लिए एमओपी नियमों के अनुसार विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) भी लागू हैं।

टीबीसीबी रूट के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए, प्रशुल्क की खोज प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसमें सफल बोलीदाता वह होगा जिसने 35 वर्षों की अवधि के लिए सबसे कम स्तरीकृत प्रशुल्क उद्धृत किया हो। आरटीएम परियोजनाओं और टीबीसीबी परियोजनाओं के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क का साझाकरण समय–समय पर अधिसूचित सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क और हानि का साझाकरण) विनियमनों द्वारा शासित होता है। वर्तमान में, सीईआरसी (अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क और हानि का साझाकरण) विनियमन, 2020 प्रचलन में हैं। साझाकरण विनियमन, 2020 के अनुसार, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) में देश के सभी आईएसटीएस लाइसेंसधारियों की ओर से पारेषण शुल्क की बिलिंग, संग्रह और संवितरण की जिम्मेदारी है। आपकी कंपनी दिनांक 01.04.2013 से सीटीयू नहीं रही। 1 अप्रैल 2021 को और कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सेंट्रल पारेषण यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) को सीटीयू के सभी कार्यों को करने और निर्वहन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। तथापि, इस परिवर्तन से भी, आपकी कंपनी विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीम्ड पारेषण लाइसेंसधारी बनी हुई है।

वर्तमान में, दिनांक 03 जून, 2022 को जारी किए गए विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022 प्रचलन में हैं। विद्युत मंत्रालय ने उक्त नियमों में दिनांक 28 फरवरी, 2024 को संशोधन किया था ताकि इसे सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली तक कनेक्टिविटी और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियमन, 2022 के साथ संरेखित करने के लिए जारी किया जा सके। नियमों में निर्दिष्ट दरों पर 45 दिनों के बाद बकाया राशि पर एलपीएस देय होगा। "एलपीएस की आधार दर" वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को एसबीआई के एक वर्ष के एमसीएलआर प्लस 500 बीपीएस जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, नियमों में बकाया भुगतान में चूक के लिए पहुँच का विनियमन भी प्रदान किया गया है।

सीईआरसी विनियमनों के अंतर्गत अनुमत कुछ व्यय और आय को भविष्य में लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति/पास किया जाना आवश्यक है और उन्हें भारतीय लेखा मानक 114 'विनियामक आस्थगित लेखा' के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसे व्यय और आय, सीईआरसी विनियमनों के अंतर्गत प्रशुल्क के हिस्से के रूप में वसूली योग्य/देय सीमा, विनियामक आस्थगित परिसंपत्ति/देयता के रूप में माने जाते हैं।

सतत प्रचालन से

7.1 प्रचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	: परिवर्तन
पारेषण व्यापार से राजस्व (अन्य प्रचालन राजस्व सहित)	41,872.71	42,126.61	(0.60)
परामर्श – परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	518.45	509.29	1.80
कुल	**42,391.16**	**42,635.90**	**(0.57)**

आपकी कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण के व्यापार से जुड़ी हुई है। पारेषण व्यापार से राजस्व में 0.60% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण अनंतिम और अंतिम प्रशुल्क के बीच अंतर पर ब्याज में कमी और एक बार के सीईआरसी आदेश का प्रभाव है।

आपकी कंपनी परामर्श (प्रोजेक्ट प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं सहित) से भी राजस्व अर्जित करती है। परामर्शी आय में मुख्य रूप से टर्नकी आधार पर पारेषण और संचार प्रणाली से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए शुल्क और भारतीय राज्य उपयोगिताओं, संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों और अन्य देशों में उपयोगिताओं के लिए तकनीकी परामर्श कार्य शामिल हैं। घरेलू/विदेशी परामर्श कार्यों से परामर्श शुल्क के कारण परामर्शी व्यापार से राजस्व में 1.80% की वृद्धि हुई है।

7.2 अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य आय	3,424.21	2,591.62	32.13

अन्य आय में वृद्धि मुख्य रूप से सहायक कम्पनियों से लाभांश आय में वृद्धि तथा सहायक कम्पनियों को ऋण से ब्याज में वृद्धि के कारण हुई है।

8. व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
व्यय	27,241.40	28,240.57	(3.54)

व्यय को (i) कर्मचारी लाभ व्यय (ii) वित्त लागत (iii) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (iv) अन्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8.1 कर्मचारी हित व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
कर्मचारी हित व्यय	2,376.88	2,400.35	(0.98)

कर्मचारी हित व्यय में वेतन और मजदूरी, निष्पादन से संबंधित वेतन, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान और कर्मचारी कल्याण व्यय शामिल हैं। यह कमी मुख्य रूप से वरिष्ठ अधिकारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई है, जिसकी आंशिक भरपाई महंगाई भत्ते में वृद्धि से होती है।

8.2 वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
वित्तीय लागत	9,046.87	9,707.20	(6.80)

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त लागत में 6.80% की कमी मुख्य रूप से विनिमय दर में कमी, कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज में कमी और दीर्घकालिक ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण एफईआरवी में कमी के कारण हुई है, जिसकी आंशिक भरपाई नई परिसंपत्तियों के पूंजीकरण से होती है।

8.3 मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	12,558.19	12,858.52	(2.34)

पिछले वर्ष की तुलना में मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय में 2.34% की कमी मुख्य रूप से परिसंपत्तियों के समय सीमा के 12 वर्ष पूरे होने के कारण हुई है, जिसकी आंशिक भरपाई नई परिसंपत्तियों के पूंजीकरण से होती है।

8.4 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य व्यय	3,259.46	3,274.50	(0.46)

पिछले वर्ष की तुलना में, अन्य व्ययों में 0.46% की कमी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नता में कमी, वित्तीय परिसंपत्तियों (एलपीएससी योजना) पर उचित मूल्यांकन हानि के कारण हुई है, जिसकी आंशिक भरपाई प्रणाली संचालन शुल्क, आरएंडएम व्यय, प्रशिक्षण और भर्ती व्यय, विद्युत शुल्क आदि से होती है।

वर्ष के दौरान, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) में निवेश की हानि के लिए ₹149.12 करोड़ की हानि भत्ता प्रदान किया गया है।

9. कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित लेखा शेष	18,573.97	16,986.95	9.34

9.1 कर व्यय

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित कर शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
चालू कर	3,236.43	2,874.82	12.58
आस्थगित कर	(604.45)	(755.98)	(20.04)

आयकर प्रावधानों के अंतर्गत उपलब्ध उच्च मूल्यह्रास शुल्क के कारण समय के अंतर के संबंध में आस्थगित कर का प्रावधान किया गया है। प्रबंधन की राय में, यह संभावना है कि भविष्य के आर्थिक लाभ एमएटी क्रेडिट को मान्यता देकर भविष्य के आयकर देयता के लिए सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में कंपनी को मिलेंगे। भविष्य के कर योग्य मुनाफे को (क) 31 मार्च 2017 तक चालू की गई परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के अंतर्गत कर अवकाश (ख) भविष्य में चालू की जाने वाली परिसंपत्तियों पर प्रारंभिक मूल्यह्रास और (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अंतर्गत नियमित आयकर मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाएगा और उसके बाद कर राशि एमएटी क्रेडिट के लिए सेट की जाएगी। इसलिए, वर्ष के दौरान इसे स्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है।

9.2 विनियामक आस्थगित लेखा शेष –आय/(व्यय) (निवल कर) में निवल परिवर्तन

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए विनियामक आस्थगित लेखा शेष –आय/(व्यय) (निवल कर) में निवल परिवर्तन पिछले वर्ष के ₹256.43 करोड़ की तुलना में (₹564.51) करोड़ रही। यह कमी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा में घट–बढ़ में कमी के कारण हुई है, जिसकी आंशिक भरपाई आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित परिसंपत्ति के कारण विनियामक आस्थगित खाता शेष में वृद्धि से होती है।

10. बंद प्रचालन से लाभ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
बंद किए गए प्रचालन से कर से पहले का लाभ	116.27	227.74	(48.95)
बंद किए गए प्रचालन का कर व्यय	19.14	16.74	14.34
बंद किए गए प्रचालन से लाभ	97.13	211.00	(53.97)

निदेशक मंडल ने दिनांक 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के दूरसंचार व्यापार को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दी है।

कंपनी का दूरसंचार व्यापार दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से दिनांक 30 सितंबर 2023 के आय मूल्य पर पावरटेल को हस्तांतरित कर दिया गया। इंडएएस 105 के अनुसार, इसे लाभ और हानि के विवरण में बंद प्रचालन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, बंद प्रचालन से कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के ₹211.00 करोड़ की तुलना में ₹97.13 करोड़ है।

11. कर के बाद लाभ (पीएटी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
कर के बाद लाभ (पीएटी)द्ध	15,474.61	15,335.54	0.91

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में पीएटी में 0.91% की वृद्धि दर्ज की, जिसका मुख्य कारण नई ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों की शुरूआत है।

12. निवल संपत्ति पर आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
निवल संपत्ति पर आय	17.81	18.51	(3.78)

13 वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
देनदारों का कारोबार	3.21	3.03
इन्वेंट्री कारोबार	32.48	32.24
ब्याज सहित अनुपात	4.10	3.93
चालू अनुपात	0.80	0.88
ऋण इक्विटी अनुपात	1.42	1.55
प्रचालन लाभ मार्जिन	94%	92%
निवल लाभ मार्जिन	36%	35%

सभी अनुपातों की गणना बंद परिचालनों सहित की जाती है।

25% से अधिक विचलन के कारणों के लिए टिप्पणी 64(झ) "कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना–अनुपात" देखें।

14 अन्य व्यापक आय (निवल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
अन्य व्यापक आय		
निरंतर प्रचालन से	(231.94)	(108.04)
बंद प्रचालन से	(0.95)	1.34

यह अंतर मुख्य रूप से पीजीइन्विट और पीटीसी इंडिया लिमिटेड की इकाइयों में निवेश के मूल्यांकन में वृद्धि के कारण है।

15 क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी की वित्तीय समझदारी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई क्रेडिट रेटिंग में दृढ़ता से परिलक्षित होती है। विस्तृत जानकारी के लिए, **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट** देखें।

16. नकदी और पूंजी संसाधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
नकदी और पूंजी संसाधन	2,620.55	4,146.24	(36.80)

कंपनी कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने और पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदीके आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों पर निर्भर है। पिछले वर्ष की तुलना में नकदी और नकदी समकक्षों में कमी मुख्य रूप से सावधि जमा (3 महीने से कम की परिपक्वता के साथ) (उपार्जित ब्याज सहित) में कमी के कारण हुई है।

17. नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च को समाप्त वर्ष	
	2024	2023
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष	4,146.24	2,457.47
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	34,790.13	37,839.42
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी (में प्रयुक्त)	(10,433.54)	(5,701.42)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी (में प्रयुक्त)	(25,882.28)	(30,449.23)
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	2,620.55	4,146.24

17.1 प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी

प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह का उपयोग मुख्य रूप से दीर्घकालिक ऋण की सेवा, निवेश और लाभांश के भुगतान के लिए किया जाता है।

17.2 निवेश कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निवेश कार्यकलापों में उपयोग की गई निवल नकदी मुख्य रूप से इस प्रकार परिलक्षित होता है– ₹5,511.80 करोड़ की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य–प्रगति (पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम सहित) पर व्यय, ₹4,650.02 करोड़ के सहायक और संयुक्त उद्यमों को ऋण और अग्रिम (पुनर्भुगतान सहित), ₹1,042.69 करोड़ के सहायक, संयुक्त उद्यम और अन्य (निवल) में निवेश और सहायक और संयुक्त उद्यमों को जमा, बांड और ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, ₹1,748.70 करोड़ का पीजीइन्विट, ₹275.95 करोड़ का अधिभार प्राप्त और ₹1,038.02 करोड़ का लाभांश प्राप्ति।

17.3 वित्तपोषण कार्यकलापों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹8,053.00 करोड़ के नए दीर्घकालिक उधार जुटाए। इन उधारों में मुख्य रूप से रुपया बांड/ऋण शामिल थे। कंपनी ने दीर्घकालिक उधारों के ₹13,440.72 करोड़ चुकाए और ₹9,339.19 करोड़ की वित्त लागत का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2023–24 में, कंपनी ने ₹11,218.85 करोड़ का लाभांश दिया, जिसमें वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹3,313.34 करोड़ का अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹7,905.51 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल है।

18 पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
पूंजीगत व्यय (नकद आधार)	11,219	8,850	26.77

आपकी कंपनी का पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से नई पारेषण क्षमता की स्थापना और मौजूदा क्षमता के विस्तार के लिए उपयोग किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 और वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान हमारे पूंजीगत व्यय में टीबीसीबी कंपनियों के लिए पूंजीव्यय क्रमशः ₹5,563 करोड़ और ₹3,867 करोड़ है।

19. गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसंपत्तियां	2,12,123.34	2,14,700.99	(1.20)

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: (i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण; (ii) प्रगति पर पूंजीगत कार्य; (iii) निवेश संपत्ति; (iv) अमूर्त परिसंपत्तियां; (v) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां; (vi) निवेश (vii) व्यापार प्राप्य (viii) ऋण; (ix) अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां; और (x) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां।

19.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (निवल ब्लॉक)	1,61,333.81	1,70,801.36	(5.54)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट ब्लॉक) में 5.54% की कमी आई है। इसमें मुख्य रूप से भूमि, भवन, पारेषण लाइन, उप–केन्द्र, एचवीडीसी, यूएलडीसी उपकरण, फर्नीचर फिक्सचर, उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियां आदि शामिल हैं।

19.2 प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	9,581.16	7,668.13	24.95

वित्त वर्ष 2023–24 में पूंजीगत कार्य–प्रगति में 24.95% की वृद्धि हुई। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निर्माण के लिए उपभोग की गई सामग्री की लागत, निर्माण शुल्क और अन्य व्यय तुलन पत्र पर प्रगति पर पूंजीगत कार्य, पूर्ण परियोजना के पूंजीकरण के विलंब के रूप में दिखाए जाते हैं। इस राशि में परिवर्तन कई पारेषण परियोजनाओं के पूंजीकरण और नई पारेषण परियोजनाओं के शुरू होने के कारण हुआ है।

19.3 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
निवेश संपत्ति	1.84	-	100

19.4 अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अमूर्त परिसंपत्ति	1,366.70	1,476.19	(7.42)

अमूर्त परिसंपत्तियों में इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मार्गाधिकार–वनरोपण व्यय, तथा 1200 केवी पारेषण प्रणाली का विकास शामिल है।

19.5 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	91.01	31.08	192.82

निर्माण अवधि के दौरान वनरोपण व्यय को विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया गया है। यह परिवर्तन वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पारेषण परियोजनाओं पर हुए व्यय के पूंजीकरण और नई पारेषण परियोजनाओं के शुरू होने के कारण हुआ है।

19.6 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
निवेश (उद्धृत)	1,515.93	1,774.46	(14.57)
निवेश (गैर–उद्धृत)	7,215.70	5,640.49	27.93
कुल	**8,731.63**	**7,414.95**	**17.76**

'उद्धृत' श्रेणी के अंतर्गत निवेश पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजीइनविट) में किए गए निवेश शामिल हैं, जिनकी गणना उचित मूल्य पर की जाती है। 'गैर– उद्धृत' श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी लागत पर सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी निवेश शामिल है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में प्रमुख निवेश निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में)
	सहायक कंपनी	
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	490.95
2	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	198.75
3	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	661.60
4	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	233.20
5	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	115.00
6	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	432.50
7	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	141.00
8	पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	709.00
9.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	187.56
10.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	232.00
11.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	151.30
12.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	205.98
13.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	111.95
14.	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	140.00
15.	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	142.00
16.	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	664.02
17.	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	100.00

क्रम सं	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम का नाम	31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में)
18.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	125.81
	संयुक्त उद्यम	
19.	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	229.32
20.	सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.12
21.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	106.96
22.	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	337.39
23.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (निवेश के मूल्य में कमी के लिए निवल प्रावधान)	697.49

19.7 व्यापार प्राप्य (गैर–चालू परिसंपत्तियां)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
व्यापार प्राप्य	282.95	695.57

कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के अंतर्गत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है, जहां बकाया राशि को विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 या अन्यथा के अनुसार पुनर्निर्धारित किया गया है।

19.8 ऋण (गैर–चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
संबंधित पक्षकारों को ऋण	21,016.53	16,450.85	27.75
कर्मचारियों को ऋण	485.99	446.44	8.86
कुल	**21,502.52**	**16,897.29**	**27.25**

पिछले वर्ष की तुलना में ऋणों में वृद्धि मुख्य रूप से प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) विधि के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिग्रहित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सहायक कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋणों में वृद्धि के कारण हुई है।

19.9 अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,662.16	4,810.79	(3.09)

अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से भारत सरकार के पूर्ण रूप से चुकौती बांड और पट्टा प्राप्तियां शामिल हैं। कंपनी ने पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उपार्जित देनदारियों को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 21 जनवरी, 2019 के पत्र संख्या 7/1/2018–कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विद्युत प्रणाली विकास निधि जैसी भारत सरकार की योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) जुटाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान ₹3,487.50 करोड़ की राशि भारत सरकार के पूर्ण रूप से चुकौती बांड के लिए जारी किए हैं । ऐसे बांडों पर मूलधन और ब्याज की चुकौती भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

19.10 अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	4,569.56	4,905.63	(6.85)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम, आस्थगित विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव परिसंपत्ति, वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या सीमा शुल्क पत्तन न्यास तथा अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त होने वाले मूल्य शामिल हैं।

20. चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
चालू परिसंपत्तियां	23,698.33	23,231.42	2.01

चालू परिसंपत्तियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: (i) इन्वेंटरी; (ii) निवेश; (iii) व्यापार प्राप्य; (iv) नकदी और नकदी समकक्ष; (v) नकदी और नकदी समकक्ष को छोड़कर बैंक में शेष राशि; (vi) ऋण; (vii) अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (viii) अन्य चालू परिसंपत्तियां और (ix) बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत।

20.1 इन्वेंटरी

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
इन्वेंटरी	1,303.73	1,323.55	(1.50)

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत के निचले स्तर पर किया जाता है, जिसे भारित औसत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन्वेंटरी में घटक, स्पेयर और अन्य स्पेयर पार्ट्स, ढीले उपकरण, उपभोग्य वस्तुएं और अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

20.2 निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
निवेश (उद्धृत)	608.26	-	100

निवेश (उद्धृत) म्यूचुअल निधि में किए गए निवेश हैं जिसकी गणना उचित मूल्य पर की जाती है।

20.3 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
व्यापार प्राप्य	10,825.80	14,304.13	(24.32)

व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से पारेषण सेवाओं और परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य शामिल हैं। कंपनी में उपलब्ध विभिन्न भुगतान सुरक्षा तंत्रों के कारण, कंपनी में कोई भी वास्तविक रूप में उपलब्ध क्षतिग्रस्त प्राप्य नहीं है।

20.4 नकदी एवं नकदी समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
नकदी एवं नकदी समकक्ष	2,620.55	4,146.24	(36.80)

पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2023–24 में नकदी और नकदी समकक्ष में 36.80% की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण सावधि जमा (3 महीने से कम की परिपक्वता सहित) (अर्जित ब्याज सहित) में कमी थी।

20.5 नकदी और नकदी समकक्षों को छोड़कर बैंक में शेष राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
नकदी और नकदी समकक्षों को छोड़कर बैंक में शेष राशि	2,406.18	588.20	309.08

पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नकदी और नकदी समकक्षों को छोड़कर बैंक में शेष राशि में 309.08% की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण परामर्श ग्राहकों और अन्य के लिए बैंकों में सावधि जमा (3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने तक की परिपक्वता सहित) (अर्जित ब्याज सहित) में वृद्धि थी।

20.6 ऋण (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
ऋण	450.49	455.10	(1.01)

पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 में ऋणों में कमी मुख्य रूप से सहायक कंपनियों को ऋणों की वर्तमान परिपक्वता में कमी के कारण हुई थी।

20.7 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,020.57	1,930.57	160.06

अनुबंध परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में 160.06% की वृद्धि हुई है।

20.8 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	201.89	222.77	(9.37)

सीमा शुल्क पत्तन न्यास और अन्य प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाले मूल्य या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिमों में कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में, वित्त वर्ष 2023–24 में अन्य चालू परिसंपत्तियों में 9.37% की कमी आई है।

20.9 बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियाँ के रूप में वर्गीकृत

4 सहयोगी कंपनियों का 26% का शेष हिस्सा, जिसकी राशि ₹260.86 करोड़ है, पारेषण सेवा करार (टीएसए) के अनुरूप अंतरित किया जाएगा और इसे "बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत" के रूप में दर्शाया गया है।

21. ऋणग्रस्तता

कंपनी रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों से संबंधित उधार पर निर्भर है। हमारे विदेशी वित्तपोषण का महत्वपूर्ण भाग विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा ऋण रहा है, जिनकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। नीचे दी गई सारणी में मुद्रा के अनुसार अपनी बकाया ऋण और इसकी परिपक्वता प्रोफ़ाइल (मुद्रा अंतरण दिनांक 31 मार्च 2024 तक की हैं) को दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

ऋण का नाम	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29 के आगे	Total
1. घरेलू बांड	8,762.55	7,687.30	11,200.58	9,691.30	24,577.41	61,919.14
2. घरेलू ऋण	3,448.44	3,698.44	3,951.18	3,491.84	10,305.02	24,894.92
3. विदेशी ऋण						
अमेरिकी डॉलर$	2,615.63	2,480.95	2,253.53	2,015.77	18,268.94	27,634.82
ईयूआर	652.66	650.25	646.06	636.24	1,673.14	4,258.35
एसईके	198.73	198.73	198.73	146.74	47.39	790.32
जेपीवाई	10.14	10.14	255.48	245.34	736.45	1,257.55
उप योग (3)	3,477.16	3,340.07	3,353.80	3,044.09	20,725.92	33,941.04
कुल (1+2+3)	**15,688.15**	**14,725.81**	**18,505.56**	**16,227.23**	**55,608.35**	**120,755.10**

21.1 दीर्घकालिक उधार

(₹ करोड़ में)

विवरण	वि.व. 2023-24	वि.व. 2022-23	% परिवर्तन
परिवर्तन	1,05,066.95	1,13,891.29	(7.75%)

दीर्घकालिक उधार में बांड के निजी तौर पर शेयर आबंटन, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण से जुटाई गई राशि शामिल है। पिछले वर्ष के दौरान ऋणों के पुनर्भुगतान के कारण हमारे उधार में पिछले वर्ष की तुलना में 7.75% की कमी आई है।

21.2 प्रतिभूत ऋण

31 मार्च 2024 और 2023 तक प्रतिभूत ऋण (दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹65,012.12 करोड़ और ₹75,338.05 करोड़ थे। इनमें से अधिकांश ऋण कंपनी की चल और अचल संपत्तियों पर अस्थिर शुल्क द्वारा प्रतिभूत किए गए हैं। दिनांक 31 मार्च 2024 तक की प्रतिभूत ऋण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई हैं:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल अप्रतिभूत ऋण का %
मूल्यवर्गित बांड रुपए में	33,775.24	51.95
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण और अन्य ऋण:		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित	26,323.90	40.49
रुपये में मूल्यवर्गित	4,912.98	7.56
कुल	**65,012.12**	**100**

21.3 अप्रतिभूत ऋण

31 मार्च 2024 और 2023 तक अप्रतिभूत ऋण (वर्तमान परिपक्वता को छोड़कर) क्रमशः ₹40,054.83 करोड़ और ₹38,553.24 करोड़ थे, जिसमें घरेलू बॉन्ड, विदेशी वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण शामिल हैं जैसे कि फ्रांस में नेटिक्सिस (पूर्व में क्रेडिट नेशनल), जापान में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (पूर्व में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन), स्वीडन में स्कैंडिनेविस्का एनस्किल्डा बैंकेन एबी (पब्लिक) और स्वीडन में एबी स्वेनस्क एक्सपोर्टक्रेडिट, आदि।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक हमारे प्रतिभूत ऋण की स्थिति निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत की गई है:

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	कुल अप्रतिभूत ऋण का %
मूल्यवर्गित बांड रुपए में	19,381.35	48.39
सावधि ऋण (घरेलू बैंकों और विदेशी मुद्रा ऋण से)		
विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित	4,139.98	10.33
रुपये में मूल्यवर्गित	16,533.50	41.28
कुल	**40,054.83**	**100**

22. मूल्यह्रास के लिए अग्रिम (एएडी)

मूल्यह्रास के लिए अग्रिम (एएडी) प्रशुल्क का घटक था जिसे ब्लॉक 2004–09 के लिए सीईआरसी विनियमनों के अंतर्गत प्रभारित करने की अनुमति दी गई थी, ताकि ऋणों की चुकौती के लिए परिसंपत्तियों पर एक वर्ष की मूल्यह्रास से संबंधित कमी को शामिल किया जा सके। प्रशुल्क ब्लॉक 2009–2014 में एएडी को हटा दिया गया और मूल्यह्रास दर को फिर से तैयार किया गया। दिनांक 1 अप्रैल 2009 से इन प्रशुल्क मानदंडों और मूल्यह्रास दरों में बदलाव के कारण, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 12 साल बाद बकाया एएडी को पारेषण आय में ले जाया गया है, इस पारेषण आय को उस सीमा तक पारेषण प्रणाली में प्रयुक्त किया गया जहां मूल्यह्रास प्रशुल्क के अंतर्गत मूल्यह्रास वसूली से अधिक है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, एएडी वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹706.73 करोड़ से 18.43% घटकर वित्त वर्ष 2023–24 में ₹576.49 करोड़ हो गया है।

23. चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
चालू देयताएं	29,805.81	26,296.27	13.35

चालू देनदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं (i) उधार; (ii) व्यापार देयताएँ (iii) अन्य चालू वित्तीय देयताएं (iv) अन्य चालू देयताएं; (v) प्रावधान; (vi) चालू कर देयताएं (निवल) और (vii) पट्टा देयताएं ।

23.1 उधार (चालू)

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23	% परिवर्तन
उधार	18,381.67	14,626.22	25.68

दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता में वृद्धि के कारण उधार में वृद्धि की गई थी।

23.2 व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
व्यापार देयताएं	354.07	325.02	8.94

दिनांक 31 मार्च 2023 की तुलना में दिनांक 31 मार्च 2024 तक व्यापार देय राशि 8.94% अधिक थी।

23.3 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	7,875.60	7,392.53	6.53

अन्य चालू वित्तीय देयताओं में मुख्य रूप से अर्जित ब्याज परंतु उधार देय नहीं, पूंजीगत व्यय के लिए बकाया, संविदाकारों और अन्य से जमा/प्रतिधारण निधि आदि शामिल हैं। दिनांक 31 मार्च 2023 की तुलना में दिनांक 31 मार्च 2024 तक अन्य चालू वित्तीय देयताएं 6.53% अधिक थीं।

23.4 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
अन्य चालू देयताएं	2,606.93	3,132.40	(16.78)

मुख्यतः ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि के कारण दिनांक 31 मार्च 2023 की तुलना में दिनांक 31 मार्च 2024 तक अन्य चालू देयताएं 16.78% कम हुई थीं।

23.5 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23	% परिवर्तन
कर्मचारी हित और अन्य के लिए प्रावधान	583.36	781.41	(25.35)

पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारी हित और अन्य के लिए प्रावधान में 25.35% की कमी हुई है।

24. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों की व्यावसायिक और वित्तीय समीक्षा

संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियाँ:

(i) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड (पावरलिंक्स):

पावरग्रिड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 49% और 51% इक्विटी धारण करते हैं। पावरलिंक्स को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश तक ताला एचईपी, ईस्ट–नॉर्थ इंटरकनेक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली से जुड़ी पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था और यह विद्युत पारेषण में पहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी थी। पावरलिंक्स ने इस परियोजना को अगस्त, 2006 तक प्रगामी रूप से शुरू की गई थी। पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लाभांश के रूप में ₹38.98 करोड़ प्राप्त हुए।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक, पावरलिंक्स की प्रदत्त पूंजी ₹468.00 करोड़ थी और इसकी प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹229.32 करोड़ है।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	229.32	229.32
सकल आय	139.54	138.83
कर के बाद लाभ	81.54	81.08
प्रति शेयर आय* (₹)	1.74	1.73

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(ii) टोरेंट पावरग्रिड लिमिटेड (टीपीएल)

iावरग्रिड और टोरेंट पावर लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 26% और 74% इक्विटी धारण करते हैं। कंपनी को गुजरात के सूरत जिले के अखाखोल में टोरेंट पावर लिमिटेड के 1100 मेगावाट गैस आधारित परियोजना (सुगेन) जनरेशन स्टेशन से जुड़े पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, टीपीएल की प्रदत्त पूंजी ₹90 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹23.40 करोड़ है। इस परियोजना को मार्च 2011 में प्रगामी रूप से शुरू की गई थी। पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लाभांश के रूप में ₹2.11 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	23.40	23.40
सकल आय	28.42	40.39
कर के बाद लाभ	16.98	21.24
प्रति शेयर आय* (₹)	1.89	2.36

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(iii) नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एनईटीसी):

पावरग्रिड ने त्रिपुरा राज्य में 726.6 मेगावाट पालाटाना गैस आधारित विद्युत परियोजना से संबद्ध 400 केवी डी/सी पालाटाना–सिलचर–बोंगाईगांव ट्रांसमिशन परियोजना की ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना के लिए ओएनजीसी त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (ओटीपीसी), त्रिपुरा सरकार, मणिपुर, मिजोरम, असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेघालय और नागालैंड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, एनईटीसी की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹411.40 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹106.96 करोड़ है। इस परियोजना को फरवरी, 2015 में प्रगामी रूप से शुरू की गई थी। पावरग्रिड को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान एनईटीसी से ₹19.25 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुए हैं।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	106.96	106.96
सकल आय	285.39	304.98
कर के बाद लाभ	71.13	88.63
प्रति शेयर आय* (₹)	1.73	2.15

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(iv) पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीकेटीसीएल)

इस संयुक्त उद्यम कंपनी में पॉवरग्रिड और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट (आईजीटी) संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 26% और 74% इक्विटी धारण करते हैं। पीकेटीसीएल को पार्वती–II (800 मेगावाट) एचईपी और कोलडैम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीकेटीसीएल की प्रदत्त पूंजी ₹272.84 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पॉवरग्रिड का हिस्सा ₹70.94 करोड़ है। इस परियोजना को नवंबर, 2015 में प्रगामी रूप से शुरू की गई थी। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान पॉवरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से ₹3.55 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	70.94	70.94
सकल आय	143.16	142.87
कर के बाद लाभ	46.57	43.19
प्रति शेयर आय* (₹)	1.70	1.59

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(v) सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एसपीटीएल)

पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड इस संयुक्त उद्यम कंपनी में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और क्रमशः 30.92% और 69.08% इक्विटी धारण करते हैं। एसपीटीएल को किशनगंज उप–केन्द्र के लिए 1,200 मेगावाट तीस्ता–प्प् हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी पारेषण लाइनों के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, एसपीटीएल में ₹388.45 करोड़ की प्रदत्त पूंजी थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड का हिस्सा ₹120.12 करोड़ था। इस परियोजना को फरवरी, 2019 में प्रगामी रूप से शुरू की गई थी।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	120.12	120.12
सकल आय	256.41	254.11
कर के बाद लाभ	67.37	51.67
प्रति शेयर आय* (₹)	1.73	1.33

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(vi) नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल):

एनएचपीटीएल एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावरग्रिड, डीवीसी और सीपीआरआई की संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें प्रत्येक की 20% की समान इक्विटी भागीदारी है। एनएचपीटीएल का मुख्य उद्देश्य देश में ऑनलाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा स्थापित करना है। यह सुविधा देश में पहली बार बीना (म.प्र.) में स्थापित की जा रही है, ताकि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विद्युत उपकरणों के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार एनएचपीटीएल की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹225.60 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹48.80 करोड़ थी।

चरण–I के अंतर्गत प्रयोगशाला के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एचवीटीआर) खंड को दिनांक 01 जुलाई 2017 से वाणिज्यिक संचालन के अंतर्गत रखा गया था। एचवीटीआर प्रयोगशाला 132 केवी से 765 केवी तक वोल्टेज वर्ग सहित सभी संभावित रेटिंग के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट (एससी) परीक्षण में सक्षम है। मध्यम वोल्टेज ट्रांसफार्मर (एमवीटीआर) खंड को बट्टे खाते में डाल दिया गया।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	48.80	30.40
सकल आय	46.11	20.18
कर के बाद लाभ	20.89	(111.29)
प्रति शेयर आय* (₹)	1.40	(7.15)

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(vii) बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल):

पावरग्रिड ने दिनांक 29 दिसंबर, 2012 को बिहार राज्य में बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड {बीएसपी (एच)सीएल} के साथ 50:50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए शेयरधारक समझौता किया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बीजीसीएल की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹674.78 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹337.39 करोड़ थी।

कंपनी, बिहार में चरण–IV, भाग–I के अंतर्गत ₹2,024 करोड़ की लागत से पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। भाग–I परियोजनाओं के प्रमुख घटक वाणिज्यिक प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, ₹1,688 करोड़ की चरण–IV, भाग–II के कार्य और ₹111 करोड़ की पूरक कार्य का कार्यान्वयन अंतिम चरण में हैं।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	337.39	334.13
सकल आय	295.86	252.30
कर के बाद लाभ	(141.07)	(88.17)
प्रति शेयर आय* (₹)	(2.10)	(1.28)

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(viii) आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल)

पावरग्रिड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने पारेषण लाइन टावर निर्माण व्यापार में उभरते अवसर का लाभ उठाने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम में ट्रांसमिशन लाइन टावर (टीएलटी) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 50:50 इक्विटी भागीदारी के आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी, आरपीटीपीएल का गठन किया।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनी ने ₹8.00 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी जुटा ली है। तथापि, टावर निर्माण के कारोबारी परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने की अनुमोदन दे दी है।

(ix) एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल):

पावरग्रिड ने एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के उपायों को बढ़ावा देना है और यह भारत और विश्व स्तर पर सरकारी भवनों के ऊर्जा लेखा परीक्षा, परामर्श कार्य आदि से संबंधित व्यापार कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की प्रदत्त शेयर पूंजी ₹2,156.82 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹846.61 करोड़ (39.25%) थी।

इस संयुक्त उद्यम की वित्तीय विशेषताएँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
इक्विटी में पावरग्रिड का निवेश	846.61	463.61
सकल आय	1,871.54	2,448.79
कर के बाद लाभ	(393.83)	(331.74)
प्रति शेयर आय* (₹)	(1.83)	(2.37)

*प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹10 है।

(x) क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीपीटीसीएल):

पावरग्रिड ने दिनांक 09 जुलाई 2012 को आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल), एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) और नेपाल के नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (एनईए) के साथ शेयरधारक समझौता किया और 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर–धालकेबार इंडो–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से अर्थात मुजफ्फरपुर–सुरसंड सेक्शन (भारत भाग) के कार्यान्वयन के लिए भारत में संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को निगमित किया।

उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में पावरग्रिड, एसजेवीएन, आईईडीसीएल और एनईए की शेयरधारिता क्रमशः 26%, 26%, 38% और 10% है। दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, सीपीटीसीएल की प्रदत्त पूंजी ₹48.50 करोड़ थी। वर्तमान में, पावरग्रिड की इक्विटी ₹12.62 करोड़ है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आईईडीसीएल ने दिनांक 25 अगस्त, 2021 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उनके बोर्ड ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान ढांचे के अधिदेश के अनुसार सीपीटीसी में आईईडीसीएल द्वारा धारित शेयरों (अर्थात 38%) को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, आईईडीसीएल ने दिनांक 09 जुलाई, 2012 (एसएचए) के शेयरधारक समझौते के अनुरूप सीपीटीसीएल के अन्य शेयरधारकों अर्थात पावरग्रिड, एसजेवीएन और एनईए को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में सीधे शेयरों का विनिवेश करने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में एनसीएलटी से अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

पावरग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹3.15 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

(xi) पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन):

पावरग्रिड ने दिनांक 05 अप्रैल, 2014 को नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए), नेपाल की हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) और आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (आईईडीसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम सह शेयर खरीद समझौता किया और नेपाल में संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) को धालकेबर भिट्टामोड़ 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन (400 केवी डी/सी धालकेबर – मुजफ्फरपुर इंडो–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन

लाइन का नेपाल से संबंधित भाग) के कार्यान्वयन के लिए निगमित किया गया था। धालकेबर – मुजफ्फरपुर इंडो–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल भारत और नेपाल के बीच विद्युत के पारेषण के लिए किया जा रहा है।

उक्त संयुक्त उद्यम कंपनी में एनईए, पावरग्रिड, एचआईडीसीएल और आईईडीसीएल की हिस्सेदारी क्रमशः 50%, 26%, 14% और 10% है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि आईईडीसीएल ने दिनांक 10 मार्च, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि उनके बोर्ड ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित समाधान ढांचे के आदेश के अनुसार पीटीसीएन में आईईडीसीएल द्वारा धारित शेयरों (अर्थात 10%) को बेचने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, आईईडीसीएल ने दिनांक 05 अप्रैल, 2014 (एसएचए) के शेयरधारक समझौते के अनुरूप पीटीसीएन के अन्य शेयरधारकों अर्थात एनईए, पावरग्रिड और एचआईडीसीएल को उनकी मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में सीधे शेयरों को बेचने का प्रस्ताव दिया था। वर्तमान में, एनसीएलटी से अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीटीसीएन में एनपीआर 45 करोड़ की अधिकृत, निर्गम और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वर्तमान में, पावरग्रिड की इक्विटी एनपीआर 11.70 करोड़ है, जिसमें एनपीआर 100/– प्रत्येक के 1,30,000 बोनस शेयर शामिल हैं। यह लाइन दिनांक 19 फरवरी, 2016 से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन है। पारवग्रिड को इस संयुक्त उद्यम से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹1.32 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ है।

(xii) बुटवल – गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीबीपीटीएल)

पावरग्रिड ने 400 केवी न्यू बुटवल (नेपाल)–गोरखपुर (भारत) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय भाग के कार्यान्वयन के लिए नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया। संयुक्त उद्यम कंपनी में एनईए और पावरग्रिड दोनों की हिस्सेदारी 50–50% है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी को दिनांक 31 अगस्त, 2022 को भारत में निगमित किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, बीजीसीबीपीटीएल की प्रदत्त पूंजी ₹20 करोड़ थी। प्रदत्त पूंजी में पावरग्रिड की हिस्सेदारी ₹10 करोड़ थी।

सहायक कंपनीः

(i) पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनएमटीएल)

पीएनएमटीएल को दिनांक 29 मार्च, 2012 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत नागापट्टिनम/कुड्डालोर क्षेत्र (पैकेज क) के आईपीपी से जुड़े पारेषण प्रणाली को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। 765 केवी डी/सी और 765 केवी एस/सी युक्त पारेषण प्रणाली तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। जून, 2013 में सीईआरसी द्वारा पीएनएमटीएल को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। जनवरी 2019 तक सभी परियोजनाओं को प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार,पीएनएमटीएल में ₹496.25 करोड़ और ₹490.95 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। पीएनएमटीएल से वित्त वर्ष 2023–24 में ₹5.89 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹14.24 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹14.24 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹11.78 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	171.50	365.09
कर पश्चात लाभ	54.63	222.39

(ii) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीयूटीएल)

पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ("पीयूटीएल") को दिनांक 24 मार्च, 2014 को पावरग्रिड द्वारा ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन ("टीपीएस") के एसोसिएटेड ट्रांसमिशन सिस्टम ("एटीएस") के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए निर्माण–स्वामित्व–प्रचालन–अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था। ऊंचाहार–फतेहपुर 400 केवी डबल सर्किट (डी/सी) लाइन (लगभग 106.74 सर्किट किलोमीटर) से युक्त पारेषण प्रणाली उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरता है। पीयूटीएल को दिनांक 21 जुलाई, 2014 को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था और इस परियोजना को दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से शुरू किया गया था।

पीयूटीएल पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (''पीजीइन्विट'') का निवेश प्रबंधक भी है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीयूटीएल की अधिकृत शेयर पूंजी क्रमशः ₹14 करोड़ और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹12.96 करोड़ थी। पीयूटीएल से वित्त वर्ष 2023–24 में ₹3.82 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹3.37 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश और ₹3.63 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुए। पीयूटीएल से वित्त वर्ष 2023–24 में ₹3.24 करोड़ का अंतिम लाभांश प्राप्त होना प्रस्तावित है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	28.65	28.75
कर पश्चात लाभ	14.39	14.83

(iii) पावरग्रिड साउथर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएसआईटीएसएल)

पीएसआईटीएसएल को दिनांक 4 दिसंबर, 2015 को पावरग्रिड द्वारा ''वेमागिरी से आगे ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने'' परियोजना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व संचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। पारेषण परियोजना में 765 केवी और 400 केवी डी/सी पारेषण लाइनें शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती हैं और इसमें 765/400 केवी उप–केन्द्र की स्थापना के साथ–साथ आंध्र प्रदेश राज्य में दो मौजूदा उप–केन्द्रों पर 400 केवी बे विस्तार शामिल हैं। कंपनी को मार्च 2016 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। जनवरी, 2020 तक सभी परियोजना तत्वों को प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

कंपनी ने विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी कार्यान्वित किए हैं:

i) 765 केवी चिलकलुरिपेटा उप–केन्द्र पर 765 केवी स्पेयर (1–पीएच) रिएक्टर यूनिट (31 अगस्त, 2023 से शुरू की गई)।

ii) 765 केवी चिलकलुरिपेटा उप–केन्द्र पर बस रिएक्टर के रूप में स्विचेबल लाइन रिएक्टर का उपयोग करने के लिए एनजीआर को बाईपास करना (12 मई, 2023 से शुरू)।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएसआईटीएसएल की अधिकृत शेयर पूंजी ₹731 करोड़ और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹709 करोड़ थी। पीएसआईटीएसएल से वित्त वर्ष 2023–24 में ₹20.56 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹39.70 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹32.61 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹27.65 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	481.03	481.06
कर पश्चात लाभ	128.93	129.91

(iv) पावरग्रिड मेदिनीपुर – जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमजेटीएल)

पीएमजेटीएल को दिनांक 28 मार्च, 2017 को पावरग्रिड द्वारा "पूर्वी क्षेत्र में 765 केवी सुदृढ़ीकरण (ईआरएसएस–XVIII)" से जुड़े पारेषण प्रणाली के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। पारेषण प्रणाली में 765 केवी और 400 केवी पारेषण लाइनों की स्थापना शामिल है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों से होकर गुजरती हैं और इसमें पश्चिम बंगाल में दो नए 765/400 केवी उफ–केन्द्रों की स्थापना शामिल है। कंपनी को जून, 2017 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। सभी परियोजना तत्वों को अगस्त, 2022 में प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमजेटीएल में क्रमशः ₹682.00 करोड़ और ₹661.60 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। पीएमजेटीएल ने वित्त वर्ष 2023–24 से ₹61.66 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹54.09 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹55.57 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹49.62 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	597.34	589.62
कर पश्चात लाभ	213.00	223.65

(v) पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमटीएल)

पीएमटीएल को दिनांक 12 जनवरी, 2018 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XXI (ईआरएसएस–XXI) के लिए परेषम प्रणाली की स्थापना'' हेतु निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। पारेषण प्रणाली में बिहार राज्य में 400 केबी पारेषण लाइनों की स्थापना और बिहार में तीन नए 400/220/132 केबी उप–केन्द्रों की स्थापना शामिल है। कंपनी को अप्रैल, 2018 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को अक्टूबर, 2021 में प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमटीएल में क्रमशः ₹245.50 करोड़ और ₹233.20 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। पीएमटीएल से वित्त वर्ष 2023–24 में ₹8.86 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹10.26 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹10.03 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश, ₹7.93 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश और ₹2.33 करोड़ का पाँचवाँ अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	176.53	177.51
कर पश्चात लाभ	39.86	41.11

(vi) पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीवीटीएसएल)

पीवीटीएसएल को दिनांक 27 मार्च, 2018 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा नए पश्चिमी क्षेत्र–उत्तरी क्षेत्र 765 केबी अंतर क्षेत्रीय गलियारा के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। पारेषण प्रणाली में विंध्याचल पूलिंग स्टेशन से वाराणसी तक 765 केबी डी/सी पारेषण लाइन की स्थापना शामिल है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। कंपनी को अगस्त 2018 में सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना की शुरूआत अगस्त, 2021 में हुई थी।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थित के लिए, पीवीटीएसएल में क्रमशः ₹198.90 करोड़ और ₹187.56 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीवीएसटीएल से ₹5.06 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹7.31 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹6.38 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹6.00 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23
सकल आय	121.48	122.13
कर पश्चात लाभ	26.24	29.16

(vii) पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजेएफटीएल)

पीजेएफटीएल को दिनांक 21 दिसंबर, 2018 को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर संबंधित पारेषण लाइनों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में 2ग660 मेगावाट जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से विद्युत की निकासी और फिरोजाबाद में 400 केवी उप–केन्द्र के निर्माण के उद्देश्य से अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को दिनांक 5 जुलाई 2019 को यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। जुलाई, 2021 तक सभी परियोजना तत्वों को प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीजेएफटीएल में ₹89.60 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीजेएफटीएल से ₹47.31 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश और ₹2.69 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23
सकल आय	69.07	59.16
कर पश्चात लाभ	26.68	18.97

(viii) पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीकेटीएसएल)

पीकेटीएसएल को दिनांक 29 अगस्त, 2019 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत राजस्थान एसईजेड (पार्ट–सी) से एलटीए एप्लीकेशन से जुड़ी पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को दिनांक 19 दिसंबर, 2019 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना को दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीकेटीएसएल में क्रमशः ₹209.00 करोड़ और ₹198.75 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीकेटीएसएल से ₹9.94 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹4.97 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹2.98 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश, ₹12.92 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश, ₹5.57 करोड़ का पाँचवाँ अंतरिम लाभांश और ₹11.93 करोड़ का छठा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	विव 2023–24	विव 2022–23
सकल आय	158.69	130.84
कर पश्चात लाभ	48.41	26.84

(ix) पॉवरग्रिड भिण्ड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीजीटीएल)

पीबीजीटीएल को दिनांक 11 सितंबर, 2019 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि मध्य प्रदेश में गुना के पास 400 केवी उप–केन्द्र के निर्माण से जुड़े इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन कार्य और भिंड के पास 220 केवी एस/एस के निर्माण से जुड़े इंट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन कार्य के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिसंबर, 2020 में एमपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। इस परियोजना के दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 को शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीबीजीटीएल में क्रमशः ₹120.42 करोड़ और ₹111.95 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीबीजीटीएल से ₹8.73 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹3.13 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹6.72 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹5.04 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	70.97	32.77
कर पश्चात लाभ	23.22	9.18

(x) पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएपीटीएल)

पीएपीटीएल को पावरग्रिड द्वारा दिनांक 3 अक्टूबर 2019 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत राजस्थान एसईजेड के लिए संबद्ध बे के साथ–साथ अजमेर (पीजी)–फागी 765 केवी डी/सी लाइन के निर्माण के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने हेतु निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को सीईआरसी द्वारा दिनांक 04 मार्च 2020 को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना की शुरूआत दिनांक 06 मई 2021 को की गई थी।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएपीटीएल में क्रमशः ₹125 करोड़ और ₹115 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीएपीटीएल से ₹3.45 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹3.45 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹5.17 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश, ₹1.15 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश और ₹7.48 करोड़ का पाँचवाँ अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	79.12	66.17
कर पश्चात लाभ	20.69	10.25

(xi) पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफटीएल)

पीएफटीएल को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था, ताकि राजस्थान एसईजेड भाग–ख से एलटीए अनुप्रयोगों से संबंधित पारेषण प्रणाली को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 04 मार्च 2020 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना की शुरूआत दिनांक 01 सितंबर 2021 को की गई थी।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएफटीएल में ₹141.00 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीएफटीएल से ₹4.23 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹2.96 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹4.23 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश, ₹5.36 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश, ₹3.53 करोड़ का पाँचवाँ अंतरिम लाभांश और ₹4.09 करोड़ का छठा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	92.89	77.73
कर पश्चात लाभ	24.62	12.86

(xii) पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीटीएल)

पीबीटीएल को दिनांक 16 अक्टूबर, 2019 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था, ताकि गुजरात के भुज–II (2000 मेगावाट) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को संपर्क प्रदान करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। पारेषण प्रणाली में नए 2 x 1500 एमवीए (765/400 केवी), 4 x 500 एमवीए (400/220 केवी) भुज–II पीएस की स्थापना और भुज पीएस लकड़िया पीएस 765 केवी डी/सी लाइन का पुनर्गठन शामिल है ताकि भुज–II – लकड़िया 765 केवी डी/सी लाइन के साथ–साथ भुज – भुज II 765 केवी डी/सी लाइन भी स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 03 मार्च 2020 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को नवंबर, 2022 तक प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत 'आरई जेनको की कनेक्टिविटी को पूरा करने के लिए भुज–II उप–केन्द्र पर एसटीएम–16 क्षमता के अतिरिक्त एफओटीई की आवश्यकता' कार्यों को भी कार्यान्वित कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीबीटीएल में क्रमशः ₹236.00 करोड़ और ₹232.00 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी। वित्त वर्ष 2023–24 पीबीटीएल से ₹8.58 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹4.64 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश, ₹3.02 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश और ₹1.86 करोड़ का चौथा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	132.67	66.11
कर पश्चात लाभ	18.57	2.31

(xiii) पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरएसटीएल)

पीआरएसटीएल को दिनांक 12 दिसंबर 2019 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि रामपुर में 765/400/220 केवी जीआईएस उप–केन्द्र और संभल में 400/220/132 केवी जीआईएस उप–केन्द्र के निर्माण के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके, साथ ही संबंधित पारेषण लाइनों को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को सितंबर 2020 में यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। इस परियोजना की शुरूआत दिनांक 31 मार्च 2023 को की गई थी।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीआरएसटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹166 करोड़ और ₹151.30 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	104.94	21.09
कर पश्चात लाभ	32.50	6.79

(xiv) पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएमएसटीएल)

पीएमएसटीएल को दिनांक 19 दिसंबर 2019 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था, ताकि मेरठ में 765/400/220 केवी जीआईएस उप–केन्द्र के निर्माण के लिए संबंधित लाइनों और सिंभावली में 400/220/132 केवी जीआईएस उप–केन्द्र के निर्माण हेतु संबंधित पारेषण लाइनों को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 18 सितंबर 2020 को यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना को दिनांक 29 अप्रैल 2023 को पूर्ण रूप से शुरू की गई है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएमएसटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹220.00 करोड़ और ₹205.98 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	107.44	0.06
कर पश्चात लाभ	28.41	(0.17)

(xv) पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरटीएल)

पीआरटीएल को दिनांक 09 मार्च 2021 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए परेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 31 मई 2021 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को दिनांक 24 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया था।

कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य भी कार्यान्वित कर रही है:

i) चरण–III भाग ङ1 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (20 गीगावाट)

ii) 765/400/220 केवी फतेहगढ़– III पीएस (खंड–2) के 400 केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइजर का कार्यान्वयन

iii) चरण III – भाग ङ2 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

iv) आईएसटीएस के अंतर्गत फतेहगढ़– III (पूर्ववर्ती रामगढ़– II) पीएस में आरई जनरेटर को 400 केवी और 220 केवी बे का अनुदान

v) 400/220 केवी फतेहगढ़–III पीएस (खंड–1) में 400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार (5म)

vi) फतेहगढ़–III (पूर्ववर्ती रामगढ़–II) में नवीकरणीय ऊर्जा सृजन के लिए 400 केवी बे का कार्यान्वयन

vii) जेएसडब्ल्यू रिन्यू एनर्जी फाइव लिमिटेड के बीईएसएस के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी फतेहगढ़–III पीएस (सेक–1) में 220 केवी लाइन बे की संख्या 1 का कार्यान्वयन।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹35 करोड़ और ₹32.01 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	13.11	0.01
कर पश्चात लाभ	2.84	(0.01)

(xvi) पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीबीटीएसएल)

पीबीटीएसएल को दिनांक 25 मार्च 2021 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को सीईआरसी द्वारा दिनांक 15 जुलाई, 2021 को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को दिनांक 24 जुलाई, 2023 तक प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

कंपनी ने विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत 'बीकानेर–II पीएस में आरई जनरेटरों के लिए 220 केवी बे और 400/220 केवी आईसीटी' कार्यों को भी शुरू किया है:

इसके अतिरिक्त, विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

i) एसजेवीएन लिमिटेड की 1000 मेगावाट सौर परियोजना के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 400 केवी लाइन बे की संख्या 1 का कार्यान्वयन।

ii) सौर परियोजनाओं (एसीएमई सोलर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रेरक ग्रीनटेक प्राइवेट लिमिटेड) के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे की संख्या 2 का कार्यान्वयन।

iii) राजस्थान आरईजेड चरण–IV (भाग–1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स) भाग–ङ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली

iv) सौर परियोजना के अंतर्संयोजन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे की संख्या 1 का कार्यान्वयन (मेसर्स एनएचपीसी लिमिटेड)।

v) मेसर्स एएलएफ सोलर अमरसर प्राइवेट लिमिटेड के आरई पावर पार्क के इंटरकनेक्शन के लिए 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 220 केवी लाइन बे की संख्या 2 का कार्यान्वयन।

vi) 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस पर 400/220 केवी, 1x500 एमवीए आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार (तृतीय)

vii) 400/220 केवी बीकानेर–II पीएस के 400 केवी स्तर पर बस सेक्शनलाइज़र का कार्यान्वयन

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹140 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2023–24 में पीबीटीएसएल से ₹4.56 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹5.95 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश और ₹9.10 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	120.20	0.02
कर पश्चात लाभ	22.02	(0.30)

(xvii) पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएसटीएल)

पीएसटीएल को दिनांक 04 जून 2021 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 27 मई 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹142 करोड़ और ₹142 करोड़ थी।

(xviii) पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीडीटीएल)

पीबीडीटीएल जिसे पहले फतेहगढ़ भादला ट्रांसको लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को दिनांक 04 जून 2021 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 25 नवंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹89.35 करोड़ और ₹73.21 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xix) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल)

पीवीटीएल को दिनांक 18 अप्रैल 2012 को पावरग्रिड द्वारा वेमागिरी क्षेत्र (पैकेज क) के आईपीपी से जुड़ी पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था। इस पारेषण प्रणाली में 765 केवी डी/सी लाइनें शामिल हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती हैं।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीवीटीएल में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

सीईआरसी ने दिनांक 06 अप्रैल 2015 के आदेश में कहा कि परियोजना के अंतर्गत वेमागिरी–खम्मम–हैदराबाद 765 केवी डी/सी लाइनों की न तो निकासी लाइन के रूप में और न ही प्रणाली सुदृढ़ीकरण लाइन के रूप में आवश्यकता है, पारेषण शुल्क को अनुकूलन करने और याचिकाकर्ता को उक्त पारेषण लाइन के लिए लाइसेंस देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा और उपरोक्त आदेश के अंतर्गत पारेषण परियोजना के लिए विनियामक अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

(xx) पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल)

पावरग्रिड ने दिनांक 25 मार्च 2021 को जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड (जेपीवीएल) की जेपीएल (जेपी पावरग्रिड लिमिटेड) में 74% हिस्सेदारी हासिल कर ली है और इस तरह जेपीएल पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। अधिग्रहण के बाद कंपनी का नाम जेपी पावरग्रिड लिमिटेड से बदलकर पीएचटीएल कर दिया गया है। इस परियोजना की शुरूआत दिनांक 01 अप्रैल 2012 को की गई थी।

पीएचटीएल निम्नलिखित लाइनों का प्रचालन और अनुरक्षण का कार्य करती है (i) 219.80 किलोमीटर लंबी 400 केवी डी/सी करछम वांग से अब्दुल्लापुर ट्रांसमिशन लाइन (ii) 4.0 किलोमीटर लंबी 400 केवी डी/सी बसपा–झाकरी लाइन के एलआईएलओ

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीएचटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹300 करोड़ और ₹300 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023–24 में पीएचटीएल से ₹27 करोड़ का पहला अंतरिम लाभांश, ₹9 करोड़ का दूसरा अंतरिम लाभांश और ₹12 करोड़ का तीसरा अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	129.61	134.77
कर पश्चात लाभ	53.19	49.69

(xxi) पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएएसटीएल)

पीएएसटीएल जिसे पहले सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को दिनांक 08 जून 2021 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा ''चरण II – भाग घ के अंतर्गत राजस्थान (8.1 गीगावाट) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना'' हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। पारेषण प्रणाली में सीकर से अलीगढ़ तक 765 केवी डी/सी पारेषण लाइन की स्थापना और राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित उप–केन्द्र विस्तार कार्य शामिल हैं। कंपनी को दिनांक 28 मई, 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹100 करोड़ और ₹99.95 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxii) सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल)

भारत सरकार के आदेश के अनुसार, पावरग्रिड ने दिनांक 28 दिसंबर 2020 को सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया। इस सहायक कंपनी को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित करने का आदेश दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, सीटीयूआईएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹1 करोड़ और ₹0.05 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीटीयूआईएल से ₹40 करोड़ का कुल अंतरिम लाभांश प्राप्त हुआ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	103.17	71.62
कर पश्चात लाभ	68.78	51.11

(xxiii) पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पावरटेल)

पावरटेल को दिनांक 25 नवंबर 2021 को पावरग्रिड की 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया गया है, ताकि पावरग्रिड के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार को संभाला जा सके।

राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी), इंटरनेट सेवा प्रदाता–क (आईएसपी–क) और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) के लिए सेवा प्राधिकरणों हेतु एकीकृत लाइसेंस समझौता दिनांक 11 मई 2023 को प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, अवसंरचना प्रदाता–1 (आईपी–1) पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 16 फरवरी 2023 को प्राप्त हुआ है।

दिनांक 1 अक्टूबर 2023 से पावरग्रिड का दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यापार पावरटेल को हस्तांतरित कर दिया गया है।

वर्ष के दौरान, पावरटेल ने 100% की दूरसंचार शक्ति संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराती आई है। पावरग्रिड पावरटेल के माध्यम से

आंकड़ा केन्द्र सेवाओं में अपने व्यापार का विस्तार कर रहा है और हरियाणा के मानेसर उप–केन्द्र में वाणिज्यिक आंकड़ा केन्द्र का निर्माण कार्य चल रहा है। देश भर में 15 उप–केन्द्र स्थानों पर आंकड़ा केन्द्र की स्थापना के लिए सीईआरसी से दिनांक 27 मार्च 2024 को अनुमोदन प्राप्त हुई है। ग्राहकों की आवश्यकता और व्यावसायिक अनुभव के आधार पर, पावरटेल इन स्थानों पर आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने की संभावना तलाशेगा।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पावरटेल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹800 करोड़ और ₹664.02 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	473.22	0.19
कर पश्चात लाभ	157.32	(0.06)

*अलेखा–परीक्षित

(xxiv) पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (पीईएसएल)

पीईएसएल को भारत और विदेश में ऊर्जा प्रबंधन परियोजनाएं शुरू करने के लिए पावरग्रिड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में दिनांक 14 मार्च 2022 को निगमित किया गया था।

पीईएसएल ने दिनांक 01 जुलाई 2023 से वारंटी सेवाओं सहित प्रचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) सेवाएं प्रदान करने के लिए 14 टीबीसीबी एसपीवी (पावरग्रिड (धारित कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों) के साथ ओ एंड एम समझौते किए हैं।

पीईएसएल ने जून 2023 में आरडीएसएस के अंतर्गत वितरण अवसंरचना के कार्यों के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और शुरूआत कार्यों के लिए लद्दाख विद्युत विकास विभाग (एलपीडीडी) के साथ परियोजना कार्यान्वयन सेवाओं हेतु समझौते किए, जिन्हें तीन वर्षों में लद्दाख के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित किया जाना है।

प्रभावी ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में अपने प्रयास में, पीईएसएल ने गुजरात राज्य में सुव्यवस्थित मीटरिंग परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अगस्त 2023 में मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल) और उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल) के साथ समझौते किए हैं। इन दोनों समझौतों के अंतर्गत काम शुरू हो चुका है और अगले 27 महीनों में पूरा होना है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹150 करोड़ और ₹97.75 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	75.30	0.03
कर पश्चात लाभ	8.08	(9.33)

(xxv)पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनटीएल)

पीएनटीएल, जिसे पहले खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को दिनांक 11 मई 2022 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पावरग्रिड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, ताकि ''चरण–II भाग–छ के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1 गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना'' हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके, जो निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) के आधार पर होगा। कंपनी को दिनांक 26 सितंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक कती स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹166 करोड़ और ₹100 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxvi) पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीजीवाईटीएल)

पीजीवाईटीएल, जिसे पहले मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 30 मई 2022 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत मोहनलालगंज (लखनऊ) में 400/220/132 केवी जीआईएस उप–केन्द्र के निर्माण के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था, जिसमें 765 केवी जीआईएस उप–केन्द्र रामपुर में संबंधित 400 केवी लाइनें और अन्य 765 केवी और 400 केवी एलआईएलओ लाइनें और सेक्टर 123 नोएडा में 400 केवी जीआईएस उप–केन्द्र पर 400 केवी एलआईएलओ (क्वाड मूस ऑन मोनोपोल) शामिल हैं। कंपनी को दिनांक 20 दिसंबर 2022 को यूपीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। सभी परियोजना तत्वों को दिनांक 24 मार्च 2024 तक प्रगामी रूप से शुरू किया गया था।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीजीवाईटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹100 करोड़ और ₹96 करोड़ थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
सकल आय	27.00	0.05
कर पश्चात लाभ	10.68	(0.77)

(xxvii) पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पीएनटीएसएल)

पीएनटीएसएल पहले नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड के मान से जाना जाता था, को दिनांक 24 अगस्त 2022 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत नीमच एसईजेड से विद्युत की निकासी के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को दिनांक 27 दिसंबर 2022 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। इस परियोजना की शुरूआत दिनांक 24 अप्रैल 2024 को की गई थी।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹175.00 करोड़ और ₹125.81 करोड़ थी।

(xxviii) पावरग्रिड एर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीईएनटीएल)

पीईएनटीएल, जिसे पहले ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया गया था। कंपनी को दिनांक 04 फरवरी 2023 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹36.05 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹10.05 करोड़ की प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxix) पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीईपीटीएल)

पीईपीटीएल (पूर्व में ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) को दिनांक 21 मार्च 2023 को पावरग्रिड द्वारा प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया गया था, ताकि सीएसपीटीसीएल के 400/220/132 केवी जगदलपुर उप–केन्द्र और पावरग्रिड के 400/220 केवी जयपुर उप–केन्द्र के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना हेतु पारेषण प्रणाली स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 31 जुलाई 2023 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxx) पावरग्रिड खावड़ा आरई पारेषण प्रणालीलिमिटेड (पीकेआरईटीएसएल)

पीकेआरईटीएसएल जिसे पहले खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, ताकि गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार स्थापित किया जा सके और जो खावड़ा संभावित आरई क्षेत्र से आरई परियोजनाओं के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर एकीकरण से जुड़ा है। कंपनी को दिनांक 17 अगस्त 2023 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹26.05 करोड़ और ₹12.76 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxi) पावरग्रिड केपीएस2 पारेषण प्रणालीलिमिटेड (पीकेपीएस2टीएसएल)

पीकेपीएस2टीएसएल जिसे पहले केपीएस 2 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 21 मार्च 2023 को खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन–2 (केपीएस 2) की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 04 अगस्त 2023 को परेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत केपीएस–2 (400 केवी बस सेक्शन–I) के बे संख्या 416 में आरई डेवलपर के डीटीएल का इंटरकनेक्शन' कार्यों को भी कार्यान्वित कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹8.05 करोड़ और ₹1.30 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxii) पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेपीएस3टीएल)

पीकेपीएस3टीएल जिसे पहले केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 21 मार्च 2023 को खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन–3 (केपीएस 3) की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 31 अगस्त 2023 को पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत चरण IV (7 गीगावाट): भाग ङ 3 के अंतर्गत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली को भी कार्यान्वित कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹7.05 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹6.30 करोड़ की प्रदत् शेयर पूंजी थी।

(xxxiii) पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेआईआईबीटीएल)

पीकेआईआईबीटीएल जिसे पहले खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 21 मार्च 2023 को चरण–II – भाग बी के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 4.5 गीगावाट आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण योजना की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, जो निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर है। कंपनी को दिनांक 22 अगस्त 2023 को पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹26.05 करोड़ की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxiv) पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेआईआईसीटीएल)

पीकेआईआईसीटीएल जिसे पहले खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 21 मार्च 2023 को चरण–II – भाग सी के अंतर्गत खावड़ा पीएस में 4.5 जीड्ब्लू आरई इंजेक्शन की निकासी के लिए पारेषण योजना की स्थापना के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, जो निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर है। कंपनी को दिनांक 31 जुलाई 2023 को पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxv) पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीएसटीएल)

पीबीएसटीएल जिसे पहले भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत राजस्थान एसईजेड पार्ट–ई से एलटीए अनुप्रयोगों से जुड़े पारेषण प्रणाली को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण (बीओओएम) आधार पर स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 30 अगस्त 2023 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में क्रमशः ₹37 करोड़ और ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxvi) पावरग्रिड धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीडीटीएल)

पीडीटीएल जिसे पहले धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना– XXVIII (ड्ब्लूआरईएस–XXVIII) और XXIX (ड्ब्लूआरईएस –XXIX) को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी)के आधार पर स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी को सीईआरसी द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2023 को पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xxxvii) पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरपीडीटीएल)

पीआरपीडीटीएल जिसे पहले रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 28 मार्च 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना–XXVII (ड्ब्लूआरईएस XXVII) से जुड़े पारेषण प्रणाली को निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 23 अगस्त 2023 को पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीआरपीडीटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1 लाख है।

(xxxviii) पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीआईआईआईटीएल)

पीबीआईआईआईटीएल जिसे पहले भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 27 सितंबर, 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''फेज–III भाग–बी1 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20जीड्ब्लू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली'' के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 29 फरवरी 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

कंपनी मेसर्स रिन्यू सोलर (शक्ति सिक्स) प्राइवेट लिमिटेड के इंटरकनेक्शन के लिए 765/400/220केवी भादला–III पीएस पर 400 केवी लाइन बे की संख्या 1 को विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत कार्यान्वित कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, पीबीआईआईआईटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹1 लाख थी।

(xxxix) पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएकेटीएल)

पीएकेटीएल जिसे पहले अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 27 सितंबर 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''अनंतपुरम (अनंतपुर) (2500मेगावाट) और कुरनूल (1000 मेगावाट), आंध्र प्रदेश में

सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना'' हेतु अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 29 फरवरी 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

कंपनी विनियमित प्रशुल्क तंत्र के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के एकीकरण के लिए अनंतपुरम पीएस में 400 केवी लाइन बे के संख्या 3 का भी कार्यान्वयन कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xl) पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीआरआईआईटीएल)

पीआरआईआईटीएल को पहले रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे पावरग्रिड ने दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, ताकि ''फेज–III भाग ग1 के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20जीड्ब्लू) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली'' स्थापित किया जा सके। कंपनी को दिनांक 13 अप्रैल 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xli) पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीडीटीएल)

पीबीडीटीएल जिसे पहले ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, ताकि ''फेज–III भाग ज के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20गीगावाट) से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली'' स्थापित की जा सके। कंपनी को दिनांक 13 अप्रैल 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xlii) पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीवीटीएल)

पीवीटीएल जिसे पहले वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत चरण–III भाग ख के अंतर्गत खावड़ा आरई पार्क से अतिरिक्त 7Gजी आरई विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 13 अप्रैल 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xliii) पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेजीटीएल)

पीकेजीटीएल जिसे पहले कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 26 दिसंबर 2023 को ''कर्नाटक में कोप्पल–II (चरण–क और ख) और गडग–II (चरण–क) में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र (चरण–II) के एकीकरण के लिए पारेषण योजना'' के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xliv) पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीएनटीएल)

पीबीएनटीएल जिसे पहले बीकानेर III नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 27 दिसंबर 2023 को ''राजस्थान आरईजेड चरण–IV (भाग 1) (बीकानेर कॉम्प्लेक्स): भाग–क'' से विद्युतकी निकासी के लिए पारेषण प्रणाली हेतु प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 15 अप्रैल 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान किया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xlv) पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएनबीटीएल)

पीएनबीटीएल जिसे पहले नीमराना II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 27 दिसंबर 2023 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत अधिग्रहित किया था, ताकि राजस्थान आरईजेड चरण –IV (भाग–I) बीकानेर कॉम्प्लेक्स–भाग घ से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली स्थापित किया जा सके तथा यह निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर होगा। कंपनी को सीईआरसी द्वारा दिनांक 22 अप्रैल 2024 को पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹1 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xlvi) पावरग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएसकेटीएल)

पीएसकेटीएल जिसे पहले सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 09 फरवरी 2024 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''चरण–III भाग घ – चरण I के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड (20गीगावाट) से

विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली'' की स्थापना के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी को दिनांक 28 मई 2024 को सीईआरसी द्वारा पारेषण लाइसेंस दिया गया था। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xlvii) पावरग्रिड बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीबीटीएल)

पीबीटीएल को पहले बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, जिसे पावरग्रिड ने दिनांक 09 फरवरी, 2024 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''कर्नाटक के बिदर (2500 मेगावाट), में सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण योजना'' के लिए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) आधार पर पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए अधिग्रहित किया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार, कंपनी में ₹5 लाख की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी थी।

(xlviii) पावरग्रिड खावड़ा IV–ङ2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीकेIVई2पीटीएल)

पीकेIVई2पीटीएल जिसे पहले खावड़ा IV–ङ2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, को पावरग्रिड ने दिनांक 30 मई, 2024 को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत ''गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में चरण– IV (7 गीगावाट): भाग ङ2'' के अंतर्गत संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और हस्तांतरण (बीओओटी) के आधार पर अधिग्रहित किया था। कंपनी ने पारेषण लाइसेंस के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की है। यह परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2024 तक क स्थिति के अनुसार, पीकेप्ट ई2पीटीएल की अधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹5 लाख थी।

25. पावरग्रिड से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक 110–'समेकित वित्तीय विवरण' और भारतीय लेखा मानक 28–'सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किए गए हैं। समेकित आधार पर, कंपनी की कुल आय, वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹46,605.64 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹46,913.12 करोड़ रही, जो लगभग 0.66% की वृद्धि दर्शाती है। दिनांक 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में ₹29,070.47 करोड़ के व्यय की तुलना में दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में कुल व्यय ₹27,808.23 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कर पश्चात लाभ 0.99% बढ़ा। समेकित आधार पर परिणामों का संक्षिप्त सारांश नीचे दिया गया है:

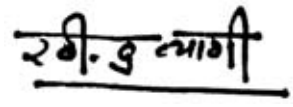
(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्त 2023–24	वित्त 2022–23
कुल आय	46,913.12	46,605.64
कर से पहले लाभ और विनियामक आस्थगित लेखा शेष	19,085.34	17,453.05
कर के बाद लाभ	15,573.16	15,419.74
प्रचालन कार्यकलाप से निवल नकदी	37,289.50	40,202.87

26. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों में वास्तविक विकास

कृपया विवरण के लिए निदेशक की रिपोर्ट के मानव संसाधन भाग को देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से



(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09632316

दिनांक: 31 जुलाई, 2024
स्थान: गुरूग्राम

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–II

व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट (वित्त वर्ष 2023-24)

खंड क – सामान्य प्रकटीकरण

खंड ख – प्रबंधन एवं प्रक्रिया संबंधी प्रकटीकण

खंड ग – सिद्धांत–वार निष्पादन संबंधी प्रकटीकण

सिद्धांत 1	व्यवसायों का आयोजन एवं प्रबंधन निष्ठापरक, नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से किया जाना चाहिए
सिद्धांत 2	व्यवसायों को संवहनीय एवं सुरक्षित तरीके से सामान एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए
सिद्धांत 3	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित कार्मिकों समेत अपने सभी कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखना चाहिए एवं उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
सिद्धांत 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा एवं उसे पुनर्स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए
सिद्धांत 7	व्यवसायों को, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए
सिद्धांत 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए
सिद्धांत 9	व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

खंड क - सामान्य प्रकटीकरण

सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	सूचीबद्ध इकाई की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L40101DL1989GOI038121
2.	कंपनी का नाम	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3.	गठन का वर्ष	1989
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	बी–9ए कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016
5.	कार्पोरेट पता	"सौदामिनी", प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 29, गुरूग्राम, हरियाणा–122001
6.	ई–मेल	sustainability@powergrid.in
7.	दूरभाष	0124-2822999 / 0124-2822000
8.	वेबसाइट	www.powergrid.in
9.	वित्त वर्ष, जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	वित्त वर्ष 2023–24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)
10.	स्टॉक एक्सचेंज का (के) नाम, जहां शेयर सूचीबद्ध है	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई)
11.	चुकता पूंजी	₹9,300.60 Crore
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण, जिनसे बीआरएसआर रिपोर्ट को लेकर किसी प्रकार की पूछताछ के लिए संपर्क किया जा सकता है	श्री ए. नागराजू कार्यकारी निदेशक (ईएसएमडी एवं सीएसआर) ईमेल आईडी: nagaraju1965@powergrid.in

13.	**रिपोर्टिंग की सीमा**	इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए पावरग्रिड के सभी गैर–वित्तीय पक्षों में समेकित आधार पर पावरग्रिड की व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है। (इस रिपोर्टिंग अवधि के लिए केवल पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण दिया गया है, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को सम्मिलित नहीं किया गया है) हलांकि, किसी भी गणना/रिपोर्टिंग के लिए जहां भी वित्तीय प्रदर्शन पर विचार किया गया है वह समेकित आधार पर किया गया है जिसमें सभी संयुक्त उद्यम, अधीनस्थ और सहयोगी कंपनियां सम्मिलित हैं।
14.	**आश्वासन प्रदाता का नाम**	मैसर्स ग्रांट थोर्नटोन भारत एलएलपी
15.	**प्राप्त आश्वासन का प्रकार**	बीआरएसआर कोर हेतु परिमित आश्वासन और बीआरएसआर गैर–कोर हेतु सीमित आश्वासन

उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (टर्नओवर में 90 प्रतिशत हिस्सा):

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का :
1.	ऊर्जा का पारेषण	पावरग्रिड मुख्य रूप से देश में ऊर्जा के अंतर्राज्जीय और अंतर राज्यीय पारेषण का संचालन करता है।	97

17. इकाई द्वारा विक्रय उत्पाद एवं सेवाएं (इकाई टर्नओवर में 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % योगदान
1.	पारेषण	3510	97

परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन केंद्र/कार्यालय अवस्थित हैं:

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	278 उपकेंद्र*	12	290
अंतरराष्ट्रीय	अंतरराष्ट्रीय स्थानों के लिए, कंपनी विदेशी ग्राहकों को केवल परामर्श सेवाएं प्रदान करती है और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर इसका कोई संयंत्र नहीं है।	1	1

*ध्यान दें, इस आंकड़े में 3000 से अधिक स्थानों पर मौजूद टेलीकॉम के संपूर्ण भारत में नेटवर्क, उपकेंद्र और पारेषण लाइनें जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और परामर्श कार्यों के लिए अस्थायी कार्यालय सम्मिलित नहीं हैं।

19. बाजार जहां यह इकाई सेवा देती है:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	संपूर्ण भारत– भारत के समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	5 देश

ख. इकाई के कुल कारोबार में, निर्यात के प्रतिशत के रूप में योगदान कितना है?

0.143%

ग. उपभोक्ताओं के प्रकार से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी

कंपनी के पारेषण व्यवसाय के उपभोक्ता, राज्य डिस्कॉम, उत्पादन कंपनियां, थोक उपभोक्ता, रेलवे आदि जैसे नामित अंतरराज्यीय उपभोक्ता हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी घरेलू उपभोक्ताओं (राज्य बिजली उपयोगिताओं, डिस्कॉम, निजी संस्थाओं, सीपीएसई आदि) और 23 से अधिक देशों में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, उद्यमों, बड़े कॉर्पोरेट घरानों आदि को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती हैं।

कर्मचारी

20. वित्त वर्ष के अंत का विवरण:

क. कर्मचारी एवं कामगार (दिव्यांग सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरूष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	6733	6120	90.90%	613	9.10%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ड.)	274	248	90.51%	26	9.49%
3.	कुल कर्मचारी (घ+ड.)	7007	6368	90.88%	639	9.12%
	कामगार					
4.	स्थायी (च)	1583	1498	94.63%	85	5.37%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)	17177	16510	96.12%	667	3.88%
6.	कुल कामगार (च+छ)	18760	18008	95.99%	752	4.01%

ध्यान दें: स्थायी कर्मचारियों में कामगारों को छोड़कर कंपनी के सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं। 'स्थायी के अतिरिक्त' में निश्चित अवधि के अनुबंध वाले कर्मचारी भी सम्मिलित हैं। स्थायी कामगारों में वे कामगार सम्मिलित हैं जो कंपनी के रोल पर हैं। 'स्थायी के अतिरिक्त' को तीसरे पक्षकार के संविदाकारों के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।

ख. दिव्यांग कर्मचारी एवं कामगार:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरूष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (घ)	180	164	91.11%	16	8.89%
2.	स्थायी के अतिरिक्त (ड.)	4	4	100.00%	0	0.00%
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ड.)	184	168	91.30%	16	8.70%
	दिव्यांग कामगार					
4.	स्थायी (च)	48	48	100%	0	0.00%
5.	स्थायी के अतिरिक्त (छ)	0	0	NIL	0	NIL
6.	कुल दिव्यांग कामगार (च+छ)	48	48	100%	0	0.00%

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/क)
निदेशक मंडल	8	0	0
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	9	0	0

टिप्पणी: मुख्य प्रबंधन कार्मिक में पूर्णकालिक निदेशक, कंपनी सचिव, स्वतंत्र निदेशक और साथ ही सरकार द्वारा नामित निदेशक सम्मिलित है।

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर (पिछले तीन वर्षों के रूझान का विवरण)

	वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2020-21		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.22%	5.02%	5.20%	5.20%	3.16%	5.03%	4.98%	3.75%	.88%
स्थायी कामगार	3.98%	7.65%	4.19%	6.43%	9.52%	6.61%	4.99%	4.39%	4.95%

होल्डिंग, अधीनस्थ और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (क) होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र. सं.	होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	कंपनी का प्रकार होल्डिंग/अधीनस्थ/सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है?	कितना % शेयर सूचीबद्ध संस्था के पास है	क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी वाली पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1.	पावरग्रिड रायपुर पूल धामतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
2.	पावरग्रिड धरम जयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
3.	पावरग्रिड ईआरडब्लूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
4.	पावरग्रिड खावडा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
5.	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
6.	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
7.	पावरग्रिड खावडा II–ग ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
8.	पावरग्रिड खावडा II–ख ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
9.	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
10.	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
11.	पावरग्रिड टेलिसर्विसेज लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
12.	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
13.	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
14.	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
15.	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
16.	पावरग्रिड सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
17.	पावरग्रिड भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
18.	पावरग्रिड अलीगढ़ सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
19.	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes

क्र. सं.	होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	कंपनी का प्रकार होल्डिंग/ अधीनस्थ/सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है?	कितना % शेयर सूचीबद्ध संस्था के पास है	क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी वाली पहलों में भाग लेती है? (हां/ नहीं)
20.	पावरग्रिड भाडला सिकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
21.	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
22.	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
23.	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
24.	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
25.	पावरग्रिड खेत्री ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
26.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
27.	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
28.	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
29.	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
30.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
31.	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
32.	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
33.	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
34.	पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
35.	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
36.	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
37.	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
38.	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
39.	पावरग्रिड भाडला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
40.	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
41.	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
42.	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
43.	सिकर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
44.	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
45.	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes

क्र. सं.	होल्डिंग/अधीनस्थ/सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यमों के नाम (क)	कंपनी का प्रकार होल्डिंग/ अधीनस्थ/सहायक कंपनी/ संयुक्त उद्यम में से क्या है?	कितना % शेयर सूचीबद्ध संस्था के पास है	क्या कॉलम क में दर्शायी गयी इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी वाली पहलों में भाग लेती है? (हां/ नहीं)
46.	पावरग्रिड वातामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
47.	पावरग्रिड बीवर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	अधीनस्थ	100	Yes
48.	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
49.	आरआईएनएन पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
50.	बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50	Yes
51.	पावरलिंक ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49	Yes
52.	एनर्जी इफिशिएंशी सर्विस सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	39.25	Yes
53.	सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	30.92	Yes
54.	टोरेन्ट पावरग्रिड लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
55.	परबती कोलडम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
56.	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
57.	क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
58.	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26	Yes
59.	नेशनल हाई–पावर टेस्ट लेबरोटरी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	21.63	Yes
60.	पावरग्रिड कला एएमबी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
61.	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
62.	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes
63.	पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक	26	Yes

सीएसआर विवरण

24.

i. क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू होता है: **हां**

ii. कुल बिक्री (रूपए में): 45,843.10 करोड़ **(समेकित आधार पर)**

iii. निवल संपत्ति (रूपए में): 87,145.11 करोड़ **(समेकित आधार पर)**

25. उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) संबंधी परिवाद/शिकायतें:

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण क्रियातंत्र विद्यमान है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023–2024			वित्त वर्ष 2022–2023		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां (https://www.powergrid.in/public-complaints-0)	213	0		179	0	
निवेशक और शेयरधारक	हां (https://www.scores.gov.in/scores/Welcome.html) (https://www.powergrid.in/dispute-resolution-mechanism-stock-exchanges)	4581	0		4183	0	
कर्मचारी और कामगार	हां, शिकायत निवारण क्रियातंत्र विद्यमान है। यह नीति केवल कर्मचारियों और कामगारों की पहुंच के लिए ही उपलब्ध है।	66	0		49	0	
उपभोक्ता	हां (https://pal.powergrid.in/vms-app)	-	-		-	-	
मूल्य श्रृंखला भागीदार	हां (https://pal.powergrid.in/vms-app)	7	5		8	0	
अन्य (सतर्कता)	हां (https://tejas.powergrid.in/vigilance-complaints/)	73	12		71	7	

26. इकाई के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण के मुद्दों की समीक्षा

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण व्यावसायिक आचरण और संवहनीयता के मुद्दों को जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इसकी पहचान करने का तर्काधार, जोखिम का अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण और साथ ही इसके वित्तीय निहितार्थ भी स्पष्ट करें।

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	• जलवायु परिवर्तन के कारण अतिविषम मौसम की स्थितियाँ जैसे कि तूफानों, पवन, बाढ़ों और वर्षा की बढ़ी हुई तीव्रता और आवृत्ति हमारी भौतिक अवसंरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	**अनुकूलन:** • संगठन की जोखिम प्रबंधन रूपरेखा में जलवायु जोखिमों की पहचान करना।	नकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
			• परिवेश के बढ़ रहे तापमान से चालकों की धारा वहन करने की क्षमता कम होने की संभावना है। • जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम शुष्क और परिवेश के तापमान में वृद्धि के कारण जंगल की आग के हादसे बढ़ गए हैं, जिससे बदले में, वन क्षेत्र से गुजरने वाली पारेषण लाइनों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा होता है। • इस परिघटना का कार्यबल के स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव भी पड़ेगा जैसे कि अतिविषम जलवायविक स्थितियाँ में काम करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा एवं उत्पादकता में भी हानि हो सकती है।	• जलवायु संबंधी जोखिम के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों/स्थानों की पहचान कर उनका मानचित्रण करना • उचित उपाय कर अपने कार्यबल को अतिविषम जलवायु परिवर्तन का प्रभावों से बचाना। **शमनः** • वर्तमान जलवायु परिदृश्य के साथ–साथ भविष्य के जलवायु पूर्वानुमानों के अनुरूप संवेदनशील क्षेत्रों में, मौजूदा बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना। • जलवायु संवेदनशील क्षेत्र में आगामी पारेषण परियोजनाओं की योजना बनाने और अभिकल्पना में वर्तमान और साथ ही भविष्य भी में जलवायु परिदृश्य का उचित लिहाज और एकीकरण।	
2	जैव विविधता/पर्यावरण संरक्षण	अवसर	• वन/जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों से बचना/कम से कम संपर्क में आना ताकि समय पर परियोजना पूरा किया जा सके। • वन/संरक्षित क्षेत्रों से बचकर/कम से कम संपर्क रखकर एनपीवी, सीए जैसे वित्तीय उद्ग्रहण, औषधीय वृक्षारोपण की लागत, आंशिक परियोजना लागत का भुगतान आदि का परिहार। • कम कानूनी दायित्व। • बेहतर सार्वजनिक छवि और प्राकृतिक पूंजी		सकारात्मक
3	जल प्रबंधन	अवसर	• तृतीय पक्ष द्वारा की गई जलापूर्ति की लागत के रूप में कम वित्तीय दायित्व, जल निकासी के लिए ऊर्जा की कम लागत, और अपशिष्ट जल प्रबंधन की कम लागत। • वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के माध्यम से पानी की खपत कम कर और जल संरक्षण द्वारा ''शुद्ध जल सकारात्मक'' संगठन की स्थिति प्राप्त करने का अवसर।		सकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
4	ऊर्जा प्रबंधन	अवसर	• ऊर्जा की खपत में कमी से वित्तीय देनदारी कम होगी। • ऊर्जा के मांग पक्ष प्रबंधन से भी स्कोप–एक और स्कोप–दो दोनों उत्सर्जन में कमी आएगी। • आपूर्ति पक्ष में नवीनीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि से हमारा स्कोप–दो उत्सर्जन और भी कम होगा।		सकारात्मक
5	जीएचजी उत्सर्जन	अवसर	• 2047 तक नेट जीरो स्थिति प्राप्त करना। • प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त और ऋण तक पहुंच। • आपूर्ति शृंखला को हरित बनाना। • बेहतर हितधारक संबंध और सार्वजनिक छवि।		सकारात्मक
6	अपशिष्ट प्रबंधन	जोखिम	• नियामकीय रूपरेखा का अनुपालन न करने से नियामकीय निकायों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की ओर से दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। • खतरनाक कचरे का ठीक से प्रबंधन करने में विफलता से हमारेप्रतिष्ठान, संपत्ति, जनशक्ति और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा होता है। • दोनों खतरनाक और गैर–खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के प्रति वित्तीय लागत में वृद्धि।	• सभी लागू विनियमों के साथ पूर्ण और गैर–परक्राम्य अनुपालन को सुनिश्चित करना। • कम उपयोग करने, पुनर्चक्रित करने और पुनः उपयोग करने के सभी मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध सभी अवसरों का उपयोग करना। • कर्मचारियों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण। • खतरनाक अपशिष्ट की उचित पहचान, पृथक्करण और रोक. थाम एवं समय पर निपटान सुनिश्चित करना।	नकारात्मक
7	संघ एवं सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता	अवसर	पावरग्रिड संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता को व्यवहार में लाता है जिससे सकारात्मक कर्मचारी संबंध को बढ़ावा मिलता है और प्रबंधन के साथ मुक्त और रचनात्मक सहभागिता का प्रशस्त होता है।		सकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
8	कर्मचारी लाभ योजना	अवसर	पावरग्रिड अपने कर्मचारियों को महत्वपूर्ण मानता है और विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजनाएँ प्रदान करता है जो उन्हें देखभाल और सुरक्षा की अनुभूति प्रदान करती है। इन योजनाओं से हमारे कर्मचारियों में काम की संतुष्टि और अभिप्रेरणा की भावना पैदा होती है। यह हमारे कर्मचारियों की कम अनुताप दर से प्रदर्शित होता है। हम अपने प्रतिभा पूल में निवेश करने में और उसे बनाए रखने विश्वास रखते हैं। इसलिए काम के सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।		सकारात्मक
9	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा	जोखिम	• में देश के कई स्थानों पर काम कर रहे कर्मचारियों और कामगारों की संख्या बड़ी है। अपने कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारे दैनिक परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है। • शारीरिक और वित्तीय लागत के अलावा प्रत्येक सुरक्षा हादसा का स्वास्थ्य, कुशलक्षेम और का मनोबल के साथ ही कंपनी की भी प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।	• हम सुरक्षित और निरापद कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतते हैं। • हमारी एक समर्पित सुरक्षा नीति है जो हमारे कर्मचारियों सुरक्षा सुनिश्चित करने के हमारे दृष्टिकोण का संचालन करती है। एक सुरक्षा प्रकोष्ठ है जो नियमित रूप से इन मुद्दों की देखभाल और निगरानी करता है। • नियमित सुरक्षा अंकेक्षण किया जा रहा है और स्व–सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यबल प्रशिक्षण दिया गया है और जागरूक बनाया गया है।	नकारात्मक
10	मानव अधिकार	जोखिम	• दुनिया भर में श्रम कानूनों और संबंधों के निरंतर विकास और इस मुद्दे की संवेदनशील प्रकृति के कारण मानवाधिकार किसी भी व्यवसाय के लिए एक अंतर्निहित जोखिम है।	• हमारी समुचित नीतियाँ है जो स्पष्ट रूप से कहती है मानव अधिकार का उल्लंघन बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे दुष्परिणामो के साथ निपटा जाएगा।	
			• जहाँ किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन से हमारे कार्यबल और संबंधित पक्षों की रक्षा करने के लिए सभी उपाय विद्यमान हैं, वहीं हम समझते हैं कि अभी भी इस तरह के अवसर हो सकते हैं जिनमें इन अधिकारों का उन तरीकों से उल्लंघन हो सकता है जो हमारे नियंत्रण और विस्तार में नहीं हैं।	• हितधारकों को किन्हीं उल्लंघन. के मामलों/चिंताओ की सूचना देने के चैनल उपलब्ध कराए गए हैं। • हम इस मामले में नवीनतम घटनाक्रमों के साथ अद्यतन रहते हैं और सभी विनियमों का अनुपालन करते हैं।	नकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
11	विविधता, गैर–भेदभाव और समान अवसर	अवसर	हम हर समूह के लोगों को समान और निष्पक्ष अवसर देने में विश्वास करते हैं और विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि से प्रतिभाओं को काम पर रखते हैं। विविधतापर्ण कार्यबल के कारण हम अपने व्यावसायिक मामलों को हल करने के लिए अलग–अलग और नया दृष्टिकोण शामिल करते हैं।		सकारात्मक
12	मानव पूंजी विकास	अवसर	अपने कार्यबल का कौशल बढ़ाने में निवेश करना, ज्ञान और क्षमता बढ़ाना और नवाचार को बढ़ावा देना हमारी कंपनी में अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। इससे कर्मचारी हमारे व्यावसायिक मुद्दों को हल करने और चुस्त कार्यबल बनने के लिए कुशल और आधुनिक दृष्टिकोण अपना रहे हैं।		सकारात्मक
13	आधारनीति और अखंडता	अवसर	पावरग्रिड की संगठनात्मक संस्कृति में नैतिक आचरण गहराई से समाया हुआ है। आचारनीति और मूल्य भरोसेमंद काम का वातावरण बनाते हैं।		सकारात्मक
14	नियामकीय अनुपालन	अवसर	विनियामकीय और सांविधिक आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन करने से व्यवसाय को उन्नतिशील व्यवसाय प्रतिष्ठान बनाए रखना सुनिश्चित होता है। सचेत अनुपालन हमारी कानूनी उल्लंघनों, पर्यावरण क्षति आदि से जुड़े जोखिम संभालने में मदद करता है।		सकारात्मक
15	संवहनीय स्रोतीकरण	अवसर	हमारी संवहनीय स्रोतीकरण दृष्टिकोण हमारी संवहनीय खरीद प्रथाओं का पालन करने वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करने में मदद करता है। संवहनीय रूप से पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और स्रोतीकरण संसाधन बनकर, हम असंवहनीय पद्धतियों के चलते उत्पन्न होने वाले आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बच सकते हैं।		सकारात्मक
16	पारदर्शिता	अवसर	हमारा सक्रिय शिकायत निवारण तंत्र, ध्यानाकर्षण, यौन उत्पीड़न आदि के चारों ओर नीतियाँ खुले और पारदर्शी तरीके से अपने हितधारकों की चिंताओं/पृच्छाओं को संबोधित करने की हमारी क्षमता प्रदर्शित करती हैं।		सकारात्मक

क्र. सं.	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	स्पष्ट करें कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर पहचानने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में, अनुकूलन या शमन करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
17	तकनीकी और नवाचार	अवसर	पावरग्रिड अपने व्यवसाय संचालन में नवीनतम प्रौद्योगिकियाँ अपनाने में विश्वास रखता है। सही तकनीक और नवप्रवर्तन विद्युत क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी अपनाने में अग्रणी भूमिका बनाए रखता है।		सकारात्मक
18	साइबर सुरक्षा	जोखिम	• साइबर सुरक्षा बचाव की कमी से साइबर हमले हो सकते हैं जिससे आंकड़ों की चोरी, परिचालन में बाध ा और कभी–कभी कानूनी समस्य हो सकती है। • साइबर सुरक्षा उल्लंघन से उत्पादकता में भी हानि हो सकती है और इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को भी हानि हो सकती है।	• कंपनी ने सूचना सुरक्षा नीति तैयार की है और साइबर सुरक्षा एवं आंकड़ा गोपनीयता हेतु प्रक्रिया शुरू करने को सुनिश्चित किया है। • कंपनी साइबर सुरक्षा से संबंधित ISO27001:2013 का अनुपालन करती है तथा सभी प्रयोज्य कानूनी, सांविधिक, विनियामक और संविदात्मक अपेक्षाओं को पूरा करती है ।	नकारात्मक
19	सामुदायिक संबंध	अवसर	पावरग्रिड समुदाय को वापस देने और उनके अधिकारों और जरूरतों का ख्याल रखने में विश्वास रखता है। चूँकि हमारे प्रमुख व्यवसाय में भूमि अधिग्रहण शामिल है, हम वहाँ स्थानीय लोगों के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देते हैं जिससे अंततः जिससे हमारे व्यवसाय का कार्य सुचारू रूप से चलता है।		सकारात्मक

खंड ख - प्रबंधन और प्रक्रिया का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

क्र. सं.	सिद्धांत विवरण
सिद्धांत 1	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी, और जवाबदेह तरीके से आचरण और अपने आपको नियंत्रित करना चाहिए।
सिद्धांत 2	व्यवसायों को संवहनीय और सुरक्षित रीति से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना चाहिए।
सिद्धांत 3	व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को कुशलक्षेम का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति अनुक्रियाशील होना चाहिए।
सिद्धांत 5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहित।
सिद्धांत 6	व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण के संरक्षण व पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिएं।
सिद्धांत 7	सार्वजनिक और नियमाकीय नीति को प्रभावित करने में संलग्न होने पर व्यवसायों को जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से ऐसा करना चाहिए।
सिद्धांत 8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समतापूर्ण विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
सिद्धांत 9	व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ सहभागिता करनी चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

प्रकटीकरण आवश्यकताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति एवं प्रबंधन संबंधी प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी कंपनी की नीति/नीतियों में एनजीआरबीसी का प्रत्येक सिद्धांत और इसके मूल तत्व शामिल हैं (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ख. क्या बोर्ड द्वारा नीति अनुमोदित की गई है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ग. नीतियों का वेबलिंक, यदि उपलब्ध हो	The Policies covering these principles are available on the Company's website under 'Policies' section. (https://www.powergrid.in/index.php/policies)								
2. क्या कंपनीन ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित है? (हां/नहीं)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
4. आपकी इकाई द्वारा अपनाई गई और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मानचित्रित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संहिताओं/प्रमाणनों/लेबलों/मानकों (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम।	पावरग्रिड ने समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी की गई लागू अलग–अलग के अनुरूप हैं संविधियों/दिशानिर्देशों/नियमों/नीतियाँ आदि के अनुरूप् विभिन्न नीतियाँ बनाई है। संपूर्ण कंपनी में व्यापक रूप से अंगीकृत कुछ प्रमुख प्रमाणनों/मानकों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है: • आईएसओ 9001:2015 – गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली • पीएएस 99:2012 – एकीकृत प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 45001:2018 – व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 8000:2014 – सामाजिक जवाबदेयता मानक • आईएसओ 50001:2018 – ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 14001:2015 – पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 27001:2013 – सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 27001:2013 – सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 37001:2016 – उत्कोच निरोधी प्रबंधन प्रणाली • आईएसओ 55001:2014 – आस्ति प्रबंधन प्रणाली								
5. परिभाषित समयसीमा, अगर कोई है, के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येय और लक्ष्य।	1. 2025 तक नवीकरणीय स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली की खपत।. 2. 2047 तक निवल शून्य उत्सर्जन कंपनी बनने का प्रयास करना। 3. 2030 तक निवल जल सकारात्मक संगठन बनने का लक्ष्य. 4. 2030 तक 'अ जीरो वेस्ट टू लैंडफिल कॉरपोरेट' दर्जा 2030 तक करने और बनाए रखने की आकांक्षा रखता है। 5. ''शून्य मृत्यु दर'' दर्जा प्राप्त करने और बनाए रखने का लक्ष्य.								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, ध्येयों और लक्ष्यों के प्रति इकाई का कारण सहित प्रदर्शन यदि वे पूरा नहीं हो पाए है।	एकीकृत रिपोर्ट और बीआरएसआर का सिद्धांत वार अनुभाग का संवहनीय रणनीति अध्याय देखें।								

प्रकटीकरण आवश्यकताएं	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए वप्रव्य (इस प्रकटीकरण के स्थानन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई के पास लचीलापन है)

मुझे पावरग्रिड की नवीनतम व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के प्रकाशन की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट पर्यावरणीय नेतृत्व, सामाजिक जिम्मेदारी और सुशासन प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

पावरग्रिड में, हम एक स्थायी भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं। हम सिर्फ एक बिजली पारेषण कंपनी नहीं हैं; हम एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक हैं जो हमारे पर्यावरण पदचिह्न को कम करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए समर्पित हैं।

इस वर्ष का बीआरएसआर कई प्रमुख क्षेत्रों में हमारे द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डालता है:

- **कम उत्सर्जन:** उत्सर्जन में कमी के लिए हमारा बहु–आयामी दृष्टिकोण, जिसमें SF6 रिसाव का पता लगाना, हरित विकल्पों की खोज करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना शामिल है, जो एक ठोस अंतर ला रहा है।
- **ऊर्जा दक्षता नेतृत्व:** बीईई ग्रेड– ईएससीओ के रूप में, हम सक्रिय रूप से अपने परिचालनों के भीतर ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं और 2025 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा खपत प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- **सतत अभ्यास:** हम जिम्मेदार जल प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं, सामग्री की खपत को कम करते हैं, और जिम्मेदारी से कचरे का प्रबंधन करते हैं, 2030 तक "जीरो वेस्ट टू लैंडफिल" के लिए प्रयास करते हैं।
- **जैव विविधता संरक्षण:** सावधानीपूर्वक मार्ग चयन, पर्यावरण आकलन और विशेषज्ञों के सहयोग से, हम वन्यजीवों और प्राकृतिक आवासों पर अपने बुनियादी ढांचे के प्रभाव को कम करते हैं।
- **ग्रीन कवर विकास:** हमारे व्यापक वनीकरण अभियान ने ग्रीन कवर का काफी विस्तार किया है, जो कार्बन पृथक्करण और पर्यावरणीय कल्याण में योगदान देता है।
- **तकनीकी नवाचार:** हम लगातार मल्टी–सर्किट टावरों और प्राकृतिक एस्टर तेल रिएक्टरों जैसी नवीन तकनीकों का नेतृत्व कर रहे हैं, भूमि उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रहे हैं।

यह रिपोर्ट हमारे चल रहे प्रयासों का सिर्फ एक संक्षेप मात्र है। हम 2047 तक नेट जीरो स्टेटस हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अपने ईएसजी लक्ष्यों को पार करने के लिए समर्पित हैं।

हम आपको बीआरएसआर का विस्तार से पता लगाने और पावरग्रिड एक स्थायी भविष्य को शक्ति देने के तरीके के बारे में अधिक जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं और इस महत्वपूर्ण यात्रा में सभी हितधारकों के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।

अभय चौधरी
निदेशक (परियोजनाएं)

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।	निदेशक (परियोजनाएं)
9. क्या इकाई में संवहनीयता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की समिति है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।	निदेशक (परियोजनाएं) ईमेल: d.proj@powergrid.in

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा

समीक्षा हेतु विषय	यह स्पष्ट करें कि क्या समीक्षा निदेशक/बोर्ड की समिति/ किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी।									आवृत्ति (वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ कोई अन्य–कृपया उल्लेख करें)								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के प्रति प्रदर्शन एवं अनुवर्ती कार्यवाही	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां	सभी समीक्षाएं आवश्यकता आधार पर की जाती है।								
सिद्धांतो के लिए प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और, किसी गैर–अनुपालन का परिशोधन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां	सभी समीक्षाएं आवश्यकता आधार पर की जाती है।								

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं*	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	हां	हां	हां	हां	हां	हां	लागू नहीं	हां	हां

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर 'नहीं' है अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं है, तो कारण बताया जाना चाहिए:

प्रश्न	सिद्धांत 7– जिम्मेदार सार्वजनिक नीति की हिमायत
कंपनी अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों का लिहाज नहीं करती है (हां/नहीं)।	नहीं
कंपनी इस अवस्था में नहीं है जिसमें यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ तैयार करने और लागू करने की स्थिति में है (हां/नहीं)।	नहीं
कंपनी के पास इस काम के लिए वित्तीय या मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)।	नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है वर्ष (हां/नहीं)।	नहीं
कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)	पावरग्रिड विभिन्न औद्योगिक और व्यापारिक निकायों का सदस्य है और अपने हितों पर प्रभाव मुद्दों और नीतिगत मामलों पर इन मंचों पर भाग लेता है। जहाँ भी आवश्यक होती है, हम सीईआरसी, सीईए, एमओपी, ट्राई, एमओईएफसीसी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए विभिन्न दृष्टिकोण पत्रों, परामर्श पत्रों, प्रारूप विनियमों और नियमों आदि पर जिम्मेदार एवं पारदर्शी ढंग से अपनी टिप्पणियाँ देते हैं।

खंड ग- सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1: व्यवसायों को मानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से अपना आचरण व शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेजः

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत आने वाले विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, रणनीति/उद्योग के रुझान, नैतिकता और शासन और कानूनी और नियामक मामलों और कंपनी के संचालन से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले अभिज्ञता कार्यक्रम।	100%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, रणनीति/उद्योग के रुझान, नैतिकता और शासन और कानूनी और नियामक मामलों और कंपनी के संचालन से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले अभिज्ञता कार्यक्रम।	100%
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (कर्मचारियों को छोड़कर) को छोड़कर कर्मचारी	474	तकनीकी, व्यवहारिक, नेतृत्व, भलाई, पॉश अधिनियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि।	77%
कामगार (कामगार कर्मचारी)	193	तकनीकी, व्यवहारिक, नेतृत्व, भलाई, पॉश अधिनियम, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि।	84%

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाहियों (संस्था द्वारा अथवा निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/शास्ति/दंड/अर्थदंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित फार्मेट में (टिप्पणीः इकाई सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में यथा विनिदष्ट भौतिकता और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर बताया गया है, के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):**

कंपनी ने सभी वैधानिक विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत शासन संरचना स्थापित की है। वर्ष के दौरान कोई जुर्माना, दंड या किसी अन्य प्रकार का निपटान/दंडात्मक भुगतान नहीं किया गया है।

मौद्रिक					
	एनजी. आरबीसी सिद्धांत	विनियामक/ प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रूपए में)	मामला का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
जुर्माना/अर्थदंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
यौगिक शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर–मौद्रिक					
	एनजी. आरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रूपए में)	मामला का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
कारावास	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में बताए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन के विवरण को प्राथमिकता दी जाती है, जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

वाद का ब्योरा	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं	लागू नहीं

4. **क्या कंपनी के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत–रोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो उक्त नीति के लिए एक वेब लिंक प्रदान करें।**

पावरग्रिड अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता और निरंतरता का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पावरग्रिड निम्नलिखित सहित सभी स्तरों पर नैतिक आचरण को मजबूत करने के लिए कई नीतियों/नियमों का पालन करता है:

- **व्यवसाय संबंधी आचार संहिता और आचरण:** पावरग्रिड ने दो अलग–अलग व्यावसायिक आचार और आचरण संहिता निर्धारित की है – एक, बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा, वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त लोगों सहित) के लिए कंपनी के विजन और मिशन के साथ संरेखण में और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है।
- **पावरग्रिड के आचरण और अनुशासन अपील नियम (पावरग्रिड सीडीए नियम):** पावरग्रिड सीडीए नियम कर्मचारियों के लिए वांछनीय और गैर–वांछनीय कृत्यों और आचरण को परिभाषित करते हैं और इसके साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों (सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों सहित) तक विस्तारित होते हैं। रिश्वत और भ्रष्टाचार के पहलुओं को भी सीडीए नियमों के तहत कवर किया गया है। परिभाषित शर्तों का अनुपालन न करने के साथ–साथ किसी भी कदाचार के लिए कार्रवाई के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है।
- **व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति:** व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति कर्मचारियों द्वारा किए गए प्रकटीकरण या पावरग्रिड के कर्मचारियों (सभी पूर्णकालिक, अंशकालिक या तदर्थ/अस्थायी/अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी) के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सेवा प्रदाताओं या पावरग्रिड के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी (ओं) के प्रतिनिधियों से जुड़े किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी की शिकायत के लिए एक प्रणाली प्रदान करती है।
- **रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली:** पावरग्रिड नैतिक मानदंडों और पारदर्शिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक कार्यों में आईएसओ 37001 के अनुसार रिश्वत–रोधी प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपर्युक्त नीतियों के लिए लिंक निम्न है– https://www.powergrid.in/code-conductpolicies?title=&page=1

इसके अलावा, पावरग्रिड द्वारा अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में अखंडता, पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए कई पहल की गई हैं/की जा रही हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सुपरिभाषित 'शक्तियों का प्रत्यायोजन' सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों और निचले स्तर के कार्यपालकों की शक्तियों को चित्रित करता है।
- जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ त्वरित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने पर प्रमुख जोर देने के साथ नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और अपने व्यवसाय संचालन में समान रूप से प्रशासित करने में आसान बनाने के उद्देश्य से (समय–समय पर संशोधित) "आबंटन पूर्व और आबंटन पश्चात स्तरों हेतु कार्य और खरीद नीति और प्रक्रिया (डब्ल्यूपीपीपी)" (समय–समय पर यथा संशोधित)।
- "सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम" लागू किया गया है जिसे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक उपयोगी उपकरण माना जाता है। ₹100 करोड़ से अधिक की संविदाओं की निगरानी भी "स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम)" के पैनल द्वारा की जाती है। इसके अलावा, सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम (आईपीपी) से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की सीवीसी द्वारा समीक्षा की गई है और अपनाने हेतु एक संशोधित एसओपी (एसओपी 2021) तैयार किया गया है। पावरग्रिड ने अपने व्यावसायिक संदर्भ में संशोधित एसओपी लागू किया है। संशोधित एसओपी के अनुसार, ठेकेदार अनुबंध के तहत नियोजित करने से पहले अपने उप–ठेकेदारों के साथ अखंडता समझौते पर भी हस्ताक्षर करेगा।
- पावरग्रिड, प्रमुख रूप से, बेहतर पारदर्शिता और संगठन के भीतर सुशासन को विकसित करने के उद्देश्य से निवारक, सक्रिय सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करता है।

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की गई ।**

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
निदेशक	0 (शून्य)	0 (शून्य)
केएमपी	0 (शून्य)	0 (शून्य)
कर्मचारी	0 (शून्य)	1
कामगार	0 (शून्य)	0 (शून्य)

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 में निदेशकों/केएमपी के विरूद्ध हितों के टकराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई.

	वित्त वर्ष 2023–24		वित्त वर्ष 2022–23	
	संख्या	टिप्पणियाँ	संख्या	टिप्पणियाँ
निदेशकों के हित टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0 (शून्य)		0 (शून्य)	
केएमपी के हित टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0 (शून्य)		0 (शून्य)	

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा अध्यारोपित जुर्माना/दंड/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कोई नहीं।

8. निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों की संख्या (देय खाते *365)/खरीदे गए माल/सेवाओं की लागत):

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
देय खातों की संख्या	34.44	30.87

9. व्यापार का खुलापन

निम्नलिखित प्रारूप में, संबंधित पार्टियों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश के साथ–साथ व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पार्टियों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण प्रदान करें:

मानक	मैट्रिक्स	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
खरीद संकेन्द्रण	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप मेंट्रेडिंग हाउस से खरीद	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. ट्रेडिंग हाउसों की संख्या जहां से खरीद की गई।	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउसों से खरीद।	लागू नहीं	लागू नहीं
बिक्री संकेन्द्रण	क. कुलबिक्री के प्रतिशत के यप में डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
	ख. डीलरों/डिस्ट्रीब्युटरों की संख्या जिन्हें बिक्री की गई।	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलरों/डिस्ट्रीब्युटरों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/डिस्ट्रीब्युटरों को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
संबंधित आरपीटी का शेयर	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	0.22%	0.06%
	ख. बिक्री (पक्षों से संबंधित बिक्री/कुल बिक्री)	0.08%	0.07%
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिया गया ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	3.67%	0.00%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	81.21%	97.28%

* समेकित वित्तीय विवरण के रूप में (अर्थात् निरसन पश्चात)

सिद्धांत 2: व्यवसाय को सतत और सुरक्षित तरीके से वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी द्वारा किए गए क्रमशः कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेशों के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (सीएपीईएक्स) निवेश का प्रतिशत।

	चालू वित्त वर्ष	विगत वित्त वर्ष	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधारों का ब्योरा
अनुसंधान एवं विकास	45.90%	-	1. **आरई पूलिंग स्टेशनों में स्टेटकॉम यथा भाडला–II, बीकानेर–II, फतेहगढ़–II** स्टेटकॉम एक ऐसा उपकरण है जो वोल्टेज के उतार–चढ़ाव को प्रबंधित करके पावर ग्रिड में स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है और सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो अप्रत्याशित हो सकता है। ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों में भारत में पहली बार स्टेटकॉम का उपयोग किया गया था। 2. **देशी वेंडर विकास के माध्यम से 400 केवी ट्विन मूस ट्रांसमिशन लाइनों तक ईआरएसः** पावरग्रिड क्षतिग्रस्त बिजली लाइनों की तेजी से मरम्मत के लिए आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) पर निर्भर करता है। पहले, ये ईआरएस घटक, जैसे मस्तूल अनुभाग और इंसूलेटेड क्रॉसआर्म्स, पूरी तरह से आयात किए गए थे। भारतीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, पावरग्रिड ने उच्च वोल्टेज ईआरएस (400 केवी तक) के लिए घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य भविष्य की मरम्मत के लिए आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला बनाना है 3. **महराजगंज में 400 केवी ट्विन मोनो पोल** भीड़भाड़ वाले शहरी क्षेत्र में पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए, जुड़वां मोनोपोल का उपयोग करके एक अनूठा समाधान लागू किया गया था। पारंपरिक टावर फिट नहीं होंगे, और मौजूदा लोगों का विस्तार संभव नहीं था। यह डिज़ाइन बढ़ी हुई स्थिरता और भार क्षमता के लिए क्षैतिज रूप से जुड़े दो स्टील मोनोपोल का उपयोग करता है। इस दृष्टिकोण ने पदचिह्न, बेहतर सौंदर्यशास्त्र और सरलीकृत निर्माण और रखरखाव को कम किया।
सीएपीईएक्स	45.04%	34.95%	पावरग्रिड अक्षय ऊर्जा को खाली करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल है। इन परियोजनाओं में नए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण शामिल है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सौर और पवन खेतों की उच्च सांद्रता है। यह ग्रिड को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय ग्रिड में अधिक नवीकरणीय ऊर्जा के सुचारू एकीकरण की अनुमति देगा।

2. **क. क्या कंपनी के पास सतत स्रोत की प्रक्रिया है? (हां/नहीं)**

पावरग्रिड अपनी विभिन्न खरीद आवश्यकताओं के लिए स्थायी सोर्सिंग की दिशा में पूर्व–परिभाषित प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं के एक सेट का पालन करता है। इन प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि पावरग्रिड की खरीद गतिविधियां पर्यावरण और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हैं और वे सभी प्रासंगिक वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं।

पावरग्रिड की सतत खरीद प्रथाओं के कुछ मुख्य तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैः

- **वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालनः** पावरग्रिड को सभी ठेकेदारों को प्रदूषण की रोकथाम, श्रम मानकों और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों जैसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, संविदा श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 आदि।

- **एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का विकासः** जिन ठेकेदारों को आपूर्ति–सह–स्थापना पैकेज के लिए अनुबंध से सम्मानित किया जाता है, उन्हें पर्यावरण प्रबंधन योजना विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है। इस योजना को परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान और आकलन करना चाहिए और इन प्रभावों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।
- **एक अखंडता संधि कार्यक्रम को अपनानाः** पावरग्रिड ने एक अखंडता संधि कार्यक्रम अपनाया है, जो पावरग्रिड और उसके ठेकेदारों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। सत्यनिष्ठा समझौता ठेकेदार को व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध करता है और यह ठेकेदार को भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाओं में संलग्न होने से रोकता है।
- **कठोर सुरक्षा मानदंडों का पालनः** पावरग्रिड शामिल कर्मियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जीवन/संपत्ति के किसी भी नुकसान को रोकने/कम करने के लिए एक सुरक्षित कार्य संस्कृति को अपनाने पर बहुत जोर देता है। इस आशय के लिए, किसी भी चालू संविदा (ठेकों) में घातक दुर्घटना (दुर्घटनाओं) के परिणामस्वरूप बोली दस्तावेजों में विनिदष्ट पूर्व–निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोलियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।
- **सामाजिक जवाबदेही मानदंडों का अनुपालनः** संविदाकार से सामाजिक जवाबदेही मानक एसए 8000 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करना भी अपेक्षित है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कार्यस्थल में सामाजिक जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण आठ क्षेत्रों में कंपनियों के निष्पादन को मापता है बाल श्रम, बलात् मजदूरी, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुक्त संघ और सामूहिक सौदेबाजी, भेदभाव, अनुशासनात्मक प्रथाएं, कार्य के घंटे और मुआवजा।

उपरोक्त के अलावा, निर्बाध विद्युत पारेषण को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक बड़ी और जटिल तकनीकी पारेषण परियोजनाओं के लिए खरीद की प्रकृति पर विचार करते हुए, पावरग्रिड में संबंधित परियोजना के तहत प्रत्येक खरीद महत्वपूर्ण प्रकृति की है। इसलिए, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता क्षमता और क्षमता विश्लेषण के लिए विभिन्न स्तरों की जांच से गुजरता है जैसे पैकेज–वार योग्यता आवश्यकता, पूर्व–परिभाषित घटनाएं आदि।

पावरग्रिड की खरीद प्रक्रिया ध्वनि व्यापार सिद्धांतों का पालन करती है और विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन मानदंडों का अनुपालन करती है और इस प्रकार इसकी संपूर्ण खरीद श्रृंखला में स्थिरता सुनिश्चित करती है।

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

उपरोक्त जानकारी स्थायी सोर्सिंग के लिए एक परिभाषित प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें पर्यावरण मानकों, बाल श्रम और मौलिक मानवाधिकारों के लिए आपूर्तिकर्ता आचार संहिता शामिल है। सभी ठेकेदारों को इन कोडों के साथ–साथ ।8000 और अखंडता संधि जैसे विशिष्ट मानकों का पालन करना आवश्यक है।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट हेतु जीवन के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

कंपनी अपशिष्ट प्रबंधन नीति से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करती है। कंपनी की अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं उत्पन्न कचरे के सूचीकरण, विभिन्न श्रेणियों में उत्पन्न कचरे के पृथक्करण की दिशा में केंद्रित हैं; कचरे में कमी, अपशिष्ट उत्पादन की तीव्रता की गणना, अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण और कचरे का पुनः उपयोग, जहां भी संभव हो, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के लिए; और अंत में अवशिष्ट कचरे का सबसे पर्यावरण के अनुकूल तरीके से निपटान करें।

कचरे का प्रकार	स्थापित कचरा प्रबंधन प्रकिया
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	पावरग्रिड, जिसे संस्थागत अपशिष्ट जनरेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उत्पादकों, आयातकों या ब्रांड मालिकों को आवश्यकतानुसार पैकेजिंग सामग्री और बहुस्तरीय प्लास्टिक को छांटने और वापस करने के लिए जिम्मेदार है।
ई–कचरा	पावरग्रिड के पास ई–कचरा प्रबंधन के लिए उचित प्रक्रिया है, जिसमें कचरे को अधिकृत संग्रह केंद्रों, पंजीकृत विघटनकर्ताओं, या पुनर्चक्रणकर्ताओं को निर्देशित किया जाना शामिल है और ई–कचरे को उत्पादक द्वारा सुगम पिक–अप या टेक–बैक सेवाओं के माध्यम से भी वापस किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का जिम्मेदार हैंडलिंग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित होता है। पावरग्रिड अपने बैटरी कचरे को उचित निपटान के लिए बैटरी उत्पादकों या उनके अधिकृत एजेंटों को स्थानांतरित करके प्रबंधित करता है।

कचरे का प्रकार	स्थापित कचरा प्रबंधन प्रकिया
खतरनाक कचरा	खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय आंदोलन) नियम, 2016 के अनुसार खतरनाक के रूप में वर्गीकृत ट्रांसफार्मर तेल को शायद ही कभी बदला जाता है और असाधारण मामलों में, जहां यह आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, उपयोग किए गए तेल को अलग से एकत्र किया जाता है, फॉर्म –8 के अनुसार लेबल किया जाता है, और अन्य अपशिष्ट ध ाराओं के साथ मिलाए बिना संग्रहीत किया जाता है। उत्पादन के 90 दिनों के भीतर, इसे या तो बेच दिया जाता है या पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेज दिया जाता है, जिसमें संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) को प्रति फॉर्म –4 दायर किया जाता है। पहले से ताजा ट्रांसफार्मर तेल वाले खाली ड्रमों का निपटान मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएसटीसीएल) की वेबसाइट पर होस्ट की गई ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया जाता है।
अन्य कचरा (रद्दी कागज और कागज से बने उत्पाद)	कागज अपशिष्टों का प्रबंधन सरकार द्वारा प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से, जैसा भी लागू हो, भेजकर किया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत ईपीआर योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए।

लागू नहीं

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपनी मुल्य श्रृंखलाओं में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क) कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का ब्यौरा।

श्रेणी	निम्न के अंतर्गत कवर कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ड.)	% (ड./क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	6120	6120	100%	6120	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	6120	100%*	691	11.29%
महिला	613	613	100%	613	100%	613	100%*	लागू नहीं	लागू नहीं	95	15.50%
कुल	**6733**	**6733**	**100%**	**6733**	**100%**	**613**	**100%***	**6120**	**100%***	**786**	**11.67%**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	248	248	100%	248	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	0	लागू नहीं	2	0.81%
महिला	26	26	100%	26	100%	26	100%	NA	लागू नहीं	0	लागू नहीं
कुल	**274**	**274**	**100%**	**274**	**100%**	**26**	**100%**	**0**	शून्य	**2**	**0.73%**

* 100: पात्र कर्मचारी

ख) कामगारों की भलाई के लिए उपायों का ब्यौरा:

श्रेणी	निम्न के अंतर्गत कवर कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ड.)	% (ड./क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरूष	1498	1498	100%	1498	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	1498	100%*	54	3.60%
महिला	85	85	100%	85	100%	85	100%*	लागू नहीं	लागू नहीं	13	15.30%
कुल	**1583**	**1583**	**100%**	**1583**	**100%**	**85**	**100%***	**1498**	**100%***	**67**	**4.23%**

श्रेणी	निम्न के अंतर्गत कवर कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ड.)	% (ड./क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरूष	16510	16510	100%	16510	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	667	667	100%	667	100%	667	100%*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**17177**	**17177**	**100%**	**17177**	**100%**	**667**	**100%***	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

* 100: पात्र

ग) निम्नलिखित प्रपत्र में कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और स्थायी के अलावा कर्मचारियों व कामगारों सहित) की भलाई के उपायों पार किया गया खर्च–

	वित्त वर्ष 2023–24 चालू वित्त वर्ष	वित्त वर्ष 2022–23 पूर्व वित्त वर्ष
कंपनी के कुल राजस्व के : के रूप में कल्याण उपायों पर किए गए खर्च	0.63%	0.60%

2. सेवांत लाभों का ब्यौरा

हम अपने मानव संसाधन को अपनी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। हम उन्हें भत्तों और लाभों की एक श्रृंखला प्रदान करने का प्रयास करते हैं जिसमें सभी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रदान किए गए सेवानिवृत्ति लाभ, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

लाभ	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	पैसा काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	पैसा काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	हां	100%	100%	हां
ग्रेच्युटी	100%	100%	लागू नहीं	100%	100%	लागू नहीं
ईएसआई	शून्य*	100% पात्र कामगार	हां (जहां कहीं भी लागू हो)	शून्य*	100% पात्र कामगार	हां (जहां कहीं भी लागू हो)
चिकित्सा सुविधाएं और दुर्घटना बीमा	100% स्थायी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 100% स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं और स्वास्थ्य सुरक्षा–कवच प्रदान किया जाता है	100% स्थायी श्रमिकों को कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य 100% कर्मचारी जो ईएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कर्मचारी मुआवजा बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा–कवच प्रदान किया जाता है	लागू नहीं	100% स्थायी कर्मचारियों को कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। 100% स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य का समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं और स्वास्थ्य सुरक्षा–कवच प्रदान किया जाता है	100% स्थायी श्रमिकों को कंपनी द्वारा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य 100% कर्मचारी जो ईएसआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कर्मचारी मुआवजा बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा–कवच प्रदान किया जाता है	लागू नहीं

लाभ	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	पैसा काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	पैसा काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हां/नहीं/लागू नहीं)
पेंशन	100% स्थायी कर्मचारी	100% स्थायी श्रमिक	हां	100% स्थायी कर्मचारी	100% स्थायी श्रमिक	हां
सेवांत चिकित्सा लाभ	100% स्थायी कर्मचारी	100% स्थायी श्रमिक	लागू नहीं	100% स्थायी कर्मचारी	100% स्थायी श्रमिक	लागू नहीं

* कोई भी कर्मचारी (स्थायी अथवा स्थायी को छोड़कर) कवरेज के लिए निर्धारित वेतन सीमा से अधिक वेतन/मजदूरी होने के कारण ईएसआई के लिए पात्र नहीं है।

3. **कार्यस्थलों की पहुंच**

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग–अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

हां, पावरग्रिड पूरे संगठन में एक समावेशी संस्कृति को बढ़ावा देता है और अपने कार्यस्थलों को सुलभ बनाने के लिए विशेष ध्यान रखता है। कंपनी के सभी प्रतिष्ठान अलग–अलग विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

कंपनी "समान अवसर नीति" ढांचे का पालन करते हुए अपनी प्रतिबद्धता को ठोस बनाती है, जिसमें अलग–अलग कर्मचारियों और श्रमिकों का समर्थन करने के लिए एक अनुकूल, बाधा मुक्त वातावरण और सिस्टम प्रदान करने से संबंधित पहलू शामिल हैं। हम सुगम्य भारत अभियान/सुगम्य भारत अभियान के तहत मानकों के अनुरूप होने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इस प्रकार दिव्यांगजनों के लिए रैंप, विकलांगों के अनुकूल लिफ्ट, सुलभ पार्किंग, सुलभ शौचालय, हमारी वेबसाइट पर स्क्रीन रीडिंग एक्सेस आदि की सुविधाएं हैं।

4. **क्या इकाई के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब लिंक प्रदान करें।**

हां, पावरग्रिड की एक समान अवसर नीति है (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के साथ), जो कार्यबल के बीच विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य सभी के लिए एक सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल बनाना है, चाहे उनका लिंग, जन्म, समुदाय, धार्मिक विश्वास या शारीरिक और/या मानसिक विकलांगता वाले व्यक्ति कुछ भी हो, ताकि सभी कर्मचारी अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें।

5. **काम पर लौटें और माता–पिता की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की प्रतिधारण दर।**

Gender	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर लौटने की दर	बने रहने की दर*	काम पर लौटने की दर	बने रहने की दर*
पुरूष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

शिकायत निवारण हमारे व्यवसाय सेटअप की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है। कंपनी ने अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया है, जहां इसने हमेशा भारत सरकार (और इसकी एजेंसियों) और नीतिगत ढांचे द्वारा उल्लिखित दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों के भीतर अपने कर्मचारियों और अन्य संबंधित हितधारकों की शिकायतों का तुरंत निवारण किया है।

	(यदि हां, तो उस तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार	पावरग्रिड के पास अपने स्थायी कामगारों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक सुनिर्धारित शिकायत निवारण तंत्र है। कामगारों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र मौजूद है। वित्त वर्ष 2020–21 से, हमने कंपनी के कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया है।
स्थायी कामगारों के अलावा	स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों के संबंध में, वे संबंधित प्राधिकारी को लिखित/ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य लोगों की शिकायतों सहित कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक खुली नीति में विश्वास करती है।
स्थायी कर्मचारी	संस्था के पास अपने स्थायी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र है। कर्मचारियों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण और निष्पक्ष और न्यायसंगत कर्मचारी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र मौजूद है। वित्त वर्ष 2020–21 से शुरू होकर, कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया को कंपनी के कर्मचारी स्व–सेवा (ईएसएस) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य के संबंध में, वे संबंधित प्राधिकारी को लिखित/ई–मेल के माध्यम से अपनी शिकायतें उठा सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक खुली नीति में विश्वास करती है।

7. सूचीबद्ध कंपनी द्वारा मान्यताप्राप्त संघ (संघों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/कामगारों की सं., जो संघ(संघों) अथवा यूनियन का हिस्सा हैं (ख)	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की सं., जो संघ(संघों) अथवा यूनियन का हिस्सा हैं (घ)	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	6733	1001	14.87%	6618	1036	16%
पुरूष	6120	952	15.56%	6036	986	16%
महिला	613	49	7.99%	582	50	9%
कुल स्थायी कामगार	1583	1583	100%	1724	1724	100%
पुरूष	1498	1498	100%	1626	1626	100%
महिला	85	85	100%	98	98	100%

टिप्पणी: उपर्युक्त के अतिरिक्त विभिन्न संघों में अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. समुदायों के कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व है।

8. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का ब्योरा:

पावरग्रिड नियमित रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण आयोजित करता है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण, ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के संचालन और रखरखाव, तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा में सुरक्षा शामिल है।

पावरग्रिड ने हमारे सभी अनुबंध दस्तावेजों के हिस्से के रूप में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रशिक्षण को शामिल किया है। ठेकेदारों को प्रशिक्षण के लिए सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। संविदा कामगारों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण पावरग्रिड के कारपोरेट और क्षेत्रीय सुरक्षा विभागों और बाहरी संकायों द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि उन्हें सुरक्षा पहलुओं से परिचित कराया जा सके।

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24					वित्त वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ.)	% (ङ./क)	सं. (च)	% (च/क)
कर्मचारी*										
पुरूष	6120	4980	81.37	4742	77	6036	5306	87.90	5384	89.19
महिला	613	534	87.11	480	78	582	501	86.08	540	92.78
कुल	**6733**	**5514**	**81.89**	**5222**	**78**	**6618**	**5807**	**87.74**	**5924**	**89.51**
कामगार*										
पुरूष	1498	1239	82.71	1269	85	1626	1355	83.33	1510	92.86
महिला	85	72	84.70	68	80	98	69	70.4	93	94.89
कुल	**1583**	**1311**	**82.82**	**1337**	**84**	**1724**	**1424**	**82.59**	**1603**	**92.98**

* आंकड़ा स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के लिए है।

- वित्त वर्ष 2023–24 में सुरक्षा संबंधी कुल 1875 प्रशिक्षण (कामगार सहित कर्मचारी) आयोजित किए गए।
- वित्त वर्ष 2023–24 में निर्माण एजेंसी कामगारों/कर्मचारियों के लिए कुल 5842 सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- वित्त वर्ष 2022–23 में सुरक्षा संबंधी कुल 1207 प्रशिक्षण (कामगार सहित कर्मचारी) आयोजित किए गए।
- वित्त वर्ष 2022–23 में निर्माण एजेंसी कामगारों/कर्मचारियों के लिए कुल 5374 सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन एवं कैरियर विकास समीक्षा का ब्योराः

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/क)
कर्मचारी*						
पुरूष	6120	6120	100%	6036	6036	100%
महिला	613	613	100%	582	582	100%
कुल	**6733**	**6733**	**100%**	**6618**	**6618**	**100%**
कामगार*						
पुरूष	1498	1498	100%	1626	1626	100%
महिला	85	85	100%	98	98	100%
कुल	**1583**	**1583**	**100%**	**1724**	**1724**	**100%**

* स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के आंकड़

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीः

क. क्या कंपनी द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

पावरग्रिड अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी आईएसओ 45001: 2018 के तहत प्रमाणित है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रमाणन सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल बनाने के लिए पावरग्रिड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

पावरग्रिड व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर स्थापित मानदंडों और विनियमों का पालन करता है। इसमें एक व्यापक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करना शामिल है जो कार्यस्थल सुरक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करता है, खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन से लेकर प्रशिक्षण और आपातकालीन प्रतिक्रिया तक। सुरक्षा के लिए पावरग्रिड की प्रतिबद्धता अपने कर्मचारियों से परे फैली हुई है। कंपनी अपने ठेकेदारों को भी समान सुरक्षा मानकों का पालन करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि पावरग्रिड से जुड़े सभी श्रमिक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण में सुरक्षित हैं।

ख. इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

पावरग्रिड व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए अपने सक्रिय दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) को बहुत गंभीरता से लेता है। कंपनी संभावित खतरों की पहचान करने के लिए कार्यस्थल के व्यापक सर्वेक्षण करती है जो खतरा पैदा कर सकते हैं। यह मूल्यांकन पावरग्रिड को संभावित नुकसान का आकलन करने में सक्षम बनाता है जो इन खतरों के संपर्क में आने से उत्पन्न हो सकता है। इस जानकारी का उपयोग तब प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षा गियर और उपकरणों को निर्धारित करने के साथ–साथ नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देने के लिए किया जाता है।

पावरग्रिड पहचान किए गए खतरों से जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए नियंत्रण उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियोजित करता है। इन उपायों में खतरनाक तत्वों को समाप्त करना या प्रतिस्थापित करना, अत्याधुनिक इंजीनियरिंग नियंत्रणों को लागू करना, मजबूत प्रशासनिक नियंत्रण लागू करना और उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करना शामिल है।

चल रहे अनुपालन और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, पावरग्रिड नियमित और औचक दौरे आयोजित करता है। मेहनती निरीक्षक सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। निगरानी और मूल्यांकन के लिए यह अटूट प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि किसी भी संभावित अज्ञात कार्य–संबंधी खतरों का तुरंत पता लगाया जाए। ऐसे उदाहरणों में, इन जोखिमों को संबोधित करने और कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पावरग्रिड के गतिशील कार्य वातावरण के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की भलाई सुरक्षित रहती है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, कंपनी की परियोजनाओं पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों का सबसे आम प्रकार इलेक्ट्रोक्यूशन और ऊंचाई पर काम करना है। काम से संबंधित दोनों खतरों से निपटने के लिए नियमित रूप से सिस्टम से संबंधित पुष्टि/अनुमति प्राप्त की जाती है। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों में सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करती है। इन प्रक्रियाओं का पालन स्थानीय और कार्यस्थलों दोनों पर किया जाता है। हम अपनी सभी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए 100% पर्यवेक्षण नीति का भी पालन करते हैं जहां सुरक्षा अधिकारी और पर्यवेक्षक मौजूद होते हैं।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हाँ/नहीं)

हां, पावरग्रिड ने अपनी सभी साइटों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान की है, या तो ऑन–साइट के माध्यम से या शीर्ष अस्पतालों के साथ टाई–अप के माध्यम से, सर्वश्रेष्ठ–इन–क्लास चिकित्सा सुविधाओं के साथ। टाउनशिप में अचानक चिकित्सा आपातकाल में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी विभिन्न चिकित्सा सलाहकारों के साथ संलग्न होती है जो दिन के निश्चित समय के लिए उपलब्ध होते हैं।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का ब्योरा::

सुरक्षा संबंधी घटना/ उनकी संख्या	श्रेणी*	वि.व. 2022–23	वि.व. 2021–22
समय ह्रास चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति काम किया गया घंटा)	कर्मचारी	0	0.10
	कामगार	0.03	0.11
कुल रिकार्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	2
	कामगार	4	10
हताहतों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	2	7
कार्य संबंधी गंभीर चोट या बीमारी (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	1
	कामगार	0	4

* कर्मचारियों में पावरग्रिड के पेरोल पर सभी कर्मी सम्मिलित हैं। कामगारों में तीसरे पक्ष के ठेकेदार सम्मिलित हैं। यह परिभाषा केवल इस तालिका पर लागू होती है।

12. सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपायों का विवरण दें।

- **सुरक्षा प्रकोष्ठः** सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी और समीक्षा करता है और ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों में दुर्घटना की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देता है।
- **सुरक्षा ऑडिट और प्रशिक्षणः** विभिन्न ओ एंड एम और निर्माण स्थलों पर सभी अनुबंध श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट, निरीक्षण, सुरक्षा ब्रीफिंग और मॉक ड्रिल किए जाते हा। अग्नि सुरक्षा, तनाव और स्वास्थ्य प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा जैसे विभिन्न सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। किसी भी अप्रिय घटना, तात्कालिकता या आपात स्थिति के लिए तैयार करने के लिए साइटों पर मॉक ड्रिल भी आयोजित की जाती है।
- **दैनिक ब्रीफिंगः** नियमित रूप से सुरक्षा दिशानिर्देशों, दुर्घटना निवारक उपायों और समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाती है ताकि कामगारों को उनके काम से जुड़े संभावित खतरों और इसके शमन उपायों के बारे में शिक्षित करने में मदद मिल सके।

- सुरक्षा सप्ताह जिसमें कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।
- सावधानियां, जैसे, अलार्म और ड्रिल सहित अग्नि सुरक्षा उपाय, कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों पर लागू किए जाते हैं

13. निम्नलिखित के संबंध में कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में समधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतें	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
कार्यदशा	2	0		0	0	
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0		0	0	

14. वर्ष के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकनः

पावरग्रिड को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक जवाबदेही मानक SA8000:2014 के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। प्रमाणन तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ कंपनी के अनुपालन का आकलन करते हैं। ये मानक बाल श्रम, जबरन श्रम, भेदभाव, यौन उत्पीड़न और पारिश्रमिक जैसे मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पावरग्रिड आईएसओ 45001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित भी है, जिससे इसकी ट्रांसमिशन लाइनों, सबस्टेशनों और कर्मियों के साथ–साथ समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कानूनी और नैतिक दायित्वों को बरकरार रखा गया है।

	कंपनी अथवा सांविधिक प्राधिकरण अथवा तृतीय पक्ष द्वारा आपके संयंत्र और कार्यालय के कितने : का मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य प्रणालियां	100
कार्य संबंधी स्थितियां	100

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं पर निपटने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

कंपनी ने अपनी नीतियों और वैधानिक शर्तों में उल्लिखित सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं का पालन किया है। किसी भी खतरनाक घटना की जांच एक दुर्घटना जांच समिति द्वारा की जाती है, जो घटना के कारणों का विश्लेषण करती है और भविष्य की घटनाओं से बचने के लिए निवारक उपाय सुझाती है।

दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वयन और सीखने के लिए सभी साइटों पर व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी खतरनाक घटनाओं और सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा स्थायी सुरक्षा प्रबंधन समिति और कंपनी के शीर्ष सुरक्षा बोर्ड द्वारा की जाती है, जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रतिनिधि और निर्माण एजेंसियों के बोर्ड स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समिति कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा संवर्द्धन पर चर्चा करती है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कंपनी के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

पावरग्रिड में, हितधारकों के साथ ठोस सहयोगी संबंधों को बढ़ावा देना इसके संगठनात्मक दर्शन की आधारशिला माना जाता है। हितधारकों की जरूरतों और चिंताओं को समझने के महत्व को पहचानते हुए, कंपनी सक्रिय रूप से जोखिमों को कम करने, सामाजिक वैधता को बनाए रखने, विश्वसनीयता बढ़ाने और हितधारकों के अटूट विश्वास को अर्जित करने के उद्देश्य से सहकारी प्रयासों में संलग्न है।

पावरग्रिड के हितधारक समुदाय में समर्पित कर्मचारियों, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं, मूल्यवान ग्राहकों, विश्वसनीय व्यापार भागीदारों, सतर्क नियामक एजेंसियों और उनके परिचालन स्थलों के आसपास स्थित स्थानीय समुदायों सहित प्रमुख सहभागियों की एक विविध श्रृंखला सम्मिलित है। इन स्थानीय समुदायों के भीतर, पावर ग्रिड परिश्रमपूर्वक वंचित, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सहायता की आवश्यकता को चिह्नित किया जाता है और प्राथमिकता दिया जाता है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि संधारणीय विकास में कोई भी पीछे न रह जाए।

आंतरिक रूप से, पावरग्रिड आंतरिक हितधारकों पर विशेष जोर देता है, जैसे कि विभिन्न पृष्ठभूमि से संबंधित कर्मचारी, जिनमें विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) के व्यक्ति और महिलाएं शामिल हैं। कंपनी इन हितधारकों के अपार मूल्य और क्षमता को पहचानती है, एक समावेशी कार्य वातावरण का पोषण करती है जो समान अवसरों को बढ़ावा देता है और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

बाह्य रूप से, पावरग्रिड स्थानीय समुदायों के भीतर परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों (पीएपी/पीएएफ) की परिश्रमपूर्वक पहचान करता है और उनका समर्थन करता है।

विशेष रूप से कमजोर समूहों , जिसमें विधवा महिला मुखिया वाले परिवार,एससी/एसटी समुदायों के व्यक्ति और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सम्मिलित पर ध्यान दिया जाता है । उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करके और इन बाहरी हितधारकों को सशक्त बनाकर, पावर ग्रिड उन समुदायों के भीतर समान विकास सुनिश्चित करने और संवहनीय प्रगति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

हितधारक जुड़ाव के लिए इस व्यापक और सहानुभूतिपरक दृष्टिकोण के माध्यम से, पावरग्रिड खुद को एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में स्थापित करता है जो इसके संचालन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध है। हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके, पावरग्रिड न केवल अपनी संगठनात्मक प्रभावशीलता को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक कल्याण और समावेशी विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान देता है।

2. **अपनी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति बताएं ।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और वंचित समूहों के रूप में चिह्नित किया गया है (हाँ/नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल एसएमएस, समाचारपत्र, पेम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचना पट, वेबसाइट), और अन्य	संपर्क की आवृत्ति (वार्षिक/अर्द्ध वार्षिक/ त्रैमासिक/ अन्य दृ कृपया विनिर्दिष्ट करें)	ऐसे संपर्क के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित संवाद का उद्देश्य और दायरा
ढविस्तृत तालिका के लिए कृपया इस एकीकृत रिपोर्ट के हितधारक संवाद और भौतिकता मूल्यांकन अध्याय का पृष्ठ 52–55 देखें। >				

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **जिन कर्मचारियों और कामगारों को निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:**

श्रेणी	वि.व 2023–24			वि व 2022–23		
	कुल (क)	कर्मचारियों/ कामगारों की सं. जिन्हें शामिल किया गया है (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिन्हें शामिल किया गया है (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
स्थायी		6733	100%	6618	6618	100%
स्थायी के अलावा	274	274	100%	368	368	100%
कुल कर्मचारी	**7007**	**7007**	**100%**	**6986**	**6986**	**100%**
कामगार						
स्थायी	1583	1583	100%	1724	1724	100%
स्थायी के अलावा	17177	17177	100%	14290	14290	100%
कुल कामगार	**18760**	**18760**	**100%**	**16014**	**16014**	**100%**

2. **कर्मचारियों और कामगारों को दी गई न्यूनतम मजदूरी का ब्यौरा**

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24					वित्त वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)		सं.(ड.)	%(ड./घ)	सं.(च)	%(च/घ)
कामगार										
स्थायी										
पुरूष	6120	0	0%	6120	100%	6036	0	0%	6036	100%
महिला	613	0	0%	613	100%	582	0	0%	582	100%
स्थायी के अलावा										
पुरूष	248	0	0%	248	100%	330	0	0%	330	100%
महिला	26	0	0%	26	100%	38	0	0%	38	100%
कुल कर्मचारी	**7007**	**0**	**0%**	**7007**	**100%**	**6986**	**0**	**0%**	**6986**	**100%**
कामगार										

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24					वित्त वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के समान		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)		सं.(ङ.)	%(ङ./घ)	सं.(च)	%(च/घ)
स्थायी										
पुरूष	1498	0	0%	1498	100%	1626	0	0	1626	100%
महिला	85	0	0%	85	100%	98	0	0	98	100%
स्थायी के अलावा										
पुरूष	16510	16510	100%	0	0%	13603	13603	100%	0	शून्य
महिला	667	667	100%	0	0%	687	687	100%	0	शून्य
कुल कामगार	**18760**	**18760**	**100%**	**0**	**0%**	**16014**	**14290**	**89.23%**	**1724**	**10.77%**

3. पारिश्रमिक/वेतन/ मजदूरी का ब्योरा

क. औसत पारिश्रमिक/ मजदूरी

	पुरूष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/ वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	6	8,888,345	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	7	8,832,338	0	0
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी	6701	2,293,428	658	2,169,108
कामगार	1668	1,412,334	102	1,472,866

*यह आंकड़ा स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के लिए है।

ख. निम्नलिखित प्रपत्र में कंपनी द्वारा दी गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी:

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पूर्व वित्त वर्ष)
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी	8.04	7.50

*यह आंकड़ा 31.03.2024 के अनुसार स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के लिए है।

4. **क्या आपके पास मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)**

पावरग्रिड का मानना है कि जब मानव अधिकारों और मूल्यों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है तो व्यापार की वृद्धि और सफलता कई गुना बढ़ जाती है। कंपनी ने अपनी मानवाधिकार नीति तैयार की है ताकि हर उस स्थान में मानवाधिकारों का समर्थन करने वाली प्रथाओं को अपनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त और संस्थागत रूप दिया जा सके जहां यह संचालित होती है। मानवाधिकार नीति का अनुपालन कार्यालयों/परियोजनाओं/स्टेशनों/क्षेत्रों में संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट केंद्र में कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों/शिकायतों की प्राप्ति के लिए कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) नोडल अधिकारी भी हैं।

5. **मानवाधिकार संबंधी मामलों से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए स्थापित आंतरिक तंत्र का विवरण दें।**

पावरग्रिड में, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अप्रयुक्त क्षमता के प्रति सम्मान उनके मूल्यों के मूल में है। यह स्वीकार करते हुए कि मानवाधिकार नीति के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता व्यवसाय की वृद्धि और सफलता दोनों के लिए सर्वोपरि है, पावरग्रिड का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

क. **सामाजिक और आर्थिक गरिमा को बनाए रखना:** यह सुनिश्चित करना कि लिंग, जाति, स्थिति या धर्म की परवाह किए बिना सभी कर्मचारियों के साथ सम्मान, निष्पक्षता और समानता के साथ व्यवहार किया जाता है।

ख. **मानव अधिकारों और श्रम मानकों के प्रति प्रतिबद्धता:** भारतीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय मानव का पालन करना अधिकार समझौते, प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा।

मानव अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, पावरग्रिड ने एक मजबूत आंतरिक ढांचा लागू किया है। कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) मानव अधिकारों की शिकायतों और शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, संपर्क अधिकारी भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करते हैं, नोडल अधिकारी व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के तहत मुद्दों का प्रबंधन करते हैं, और आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करती है। ये विशेष उपाय सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति चिंताओं को आवाज दे सकते हैं और समाधान की तलाश कर सकते हैं। इन प्रयासों को पूरा करते हुए, सतर्कता और मानव संसाधन विभाग आचार संहिता के उल्लंघन को संबोधित करते हैं। इस व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से, पावरग्रिड अखंडता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान का वातावरण बनाए रखता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा की गई निम्न शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	3	0	--	1	0	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0		8	0	
बाल मजदूर	0	0		0	0	
बंधुआ मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	0	0		0	0	
मजदूरी	15	0		0	0	
मानवाधिकार से संबंधित मामलों के अलावा	0	0		0	0	

7. निम्नलिखित प्रपत्र में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतेंः

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष)
कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज शिकायतें।	3	1
महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच संबंधी शिकायतें	0.43	0.14
पीओएसएच संबंधी शिकायतों को बनाए रखा गया	3	0

*स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के लिए आंकड़े।

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव के मामलों के लिए, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त व्यक्तियों के लिए संपर्क अधिकारियों की पहचान की गई है ताकि वे निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अपनी शिकायतों को रिकार्ड कर सकें और उनका समाधान कर सकें। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए, उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को हल करने के साथ–साथ शिकायतकर्ता के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने की जिम्मेदारी के साथ कॉर्पोरेट के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी मानवाधिकारों, समान अवसर, यौन उत्पीड़न की रोकथाम आदि के साथ–साथ सरकारी दिशानिर्देशों पर नीतियों के अपने व्यापक सेट के तहत इन तंत्रों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के प्रति शून्य सहिष्णुता है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हाँ/नहीं)

हां, कंपनी मानवाधिकार से संबंधित पहलुओं के संबंध में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के प्रति अपनी बड़ी जिम्मेदारी को समझती है और यह सुनिश्चित करती है कि इससे संबंधित प्रावधान जैसे कि बाल श्रम का निषेध, जबरन और अनिवार्य श्रम की रोकथाम, मजदूरी का भुगतान और श्रम कानूनों से संबंधित अन्य अनुपालन इसके मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ अनुबंधों में अंतर्निहित हैं।

10. वर्ष का मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और अधिकारियों का प्रतिशत जिनका (कंपनी अथवा सांविधिक प्राधिकारी अथवा तृतीय पक्षकारों द्वारा) मूल्यांकन किया गया था
बाल मजदूरी	कंपनी एसए8000:2014 के तहत प्रमाणित है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सामाजिक जवाबदेही मानक है। मानक में बाल श्रम, मजबूर या अनिवार्य श्रम, स्वास्थ्य और सुरक्षा, भेदभाव और पारिश्रमिक सहित कार्यस्थल प्रथाओं की एक श्रृंखला शामिल है। मानक के अनुपालन के लिए ऑडिट तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों द्वारा नमूने के आधार पर आयोजित किए जाते हैं।
बंधुआ / अनैच्छिक मजदूरी	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	
अन्य–कृपया विनिर्दिष्ट करें	

11. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

हमारे पास एक स्वच्छ रिपोर्टिंग वर्ष था जिसमें कदाचार या भेदभाव का कोई उदाहरण नहीं था और हमने सभी लागू मानकों का पालन करके नैतिक कार्य प्रथाओं को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान कराना चाहिए और इसकी रक्षा करने बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा बहु मात्रक में) और ऊर्जा तीव्रता का ब्योरा:

मानक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
नवीकरणीय स्रोत से		
कुल विद्युत खपत (क) जीजे	36,190	30,841
कुल ईंधन खपत (ख)	Nil	Nil
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)	Nil	Nil
नवीकरणीय स्रोत से कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग) जीजे	**36,190**	**30,841**
गैर–नवीकरणीय स्रोत से		
कुल विद्युत खपत (घ) जीजे	13,61,928	12,09,701
कुल ईंधन खपत (ड.) जीजे	1,51,250	1,69,622
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)	Nil	Nil
गैर–नवीकरणीय स्रोत से कुल ऊर्जा खपत (घ+ड.+च)	**15,13,178**	**13,79,323**
कुल ऊर्जा खपत (क+ख+ग+ घ+ड.+च)	**15,49,368**	**14,10,164**
टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व) जीजे / करोड़ रुपये	33.79	30.92
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुजत्रल ऊर्जा खपत / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व) जीजे / करोड़ रु	683.38	625.25
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक)–प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई जीजे / एमवीए द्वारा चुना जा सकता है	2.94	2.78

परिचालन से राजस्व (करोड़ रूपए): वित्त वर्ष 2023–24: 45,843.10 और वित्त वर्ष 2022–23: 45,603.11

परिचालन से पीपीपी समायोजित राजस्व (करोड़ रूपए): वित्त वर्ष 2023–24: 2267.22 और वित्त वर्ष 2022–23: 2255.35

(पीपीपी के लिए स्रोत– https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PPP?skipRedirection=true&view=map)

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / आकलन / आश्वासन किया गया है? (हां / नहीं) यदि हां, तो उक्त बाह्य एजेंसी का नाम क्या है।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बताएँ कि पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं. यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

लागू नहीं। विद्युत पारेषण परियोजनाएं/प्रणालियां भारत सरकार की पीएटी स्कीमों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

3. **निम्नलिखित प्रपत्र में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटन का ब्योरा दें:**

मानक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
स्रोत से जल लेना (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल	68,707	71,034
(ii) भूजल	23,91,200	23,60,841
(iii) तृतीय पक्ष जल (नगरपालिका) जलापूर्ति)	4,03,524	3,45,793
(iv) समुद्री जल/ विलवणीकृत जल	शून्य	शून्य
(v) अन्य	शून्य	शून्य
जल आहरण की कुल प्रमात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	**28,63,430**	**27,77,668**
जल खपत की कुल प्रमात्रा (किलोलीटर में)	**28,63,430**	**27,77,668**
टर्न ओवर के प्रति रूपए जल तीव्रता (जल खपत/टर्नओवर) **किलोलीटर/करोड़ रूपए**	62.46	60.91
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) हेतु समायोजित टर्नओवर के प्रति रूपए जल तीव्रता (पीपीपी केलिए समायोजित कुल जल खपत/परिचालन से राजस्व) किलोलीटर/ करोड़ रूपए	1,262.97	1,231.59
वास्तविक आउटपुट के संदर्भ में जल तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
जल तीव्रता (वैकल्पिक)–कंपनी द्वारा संगत मैट्रिक का चयन किया जा सकता है किलोलीटर/एमवीए	5.43	5.47

टिप्पणी: यह बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

4. **स्रावित जल से संबंधित निम्नलिखित ब्योरा दें:**

मानक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
गंतव्य द्वारा जलस्राव और शोधन स्तर (किलोलीटर में)		
(i) सतह जल के लिए	शून्य	शून्य
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित – कृपया शोधन स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(ii) सतह जल के लिए	10,98,808	
- कोई शोधन नहीं	शून्य	
- शोधन सहित – कृपया शोधन स्तर विनिर्दिष्ट करें	भूजल से स्रावित 100% मलजल को सोक पिट द्वारा शोधित किया जाता है।	
(iii) समुद्री जल के लिए	शून्य	

मानक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित – कृपया शोधन स्तर विनिर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया	1,38,997	
- कोई शोधन नहीं	1,38,997 नगरपालिका सीवेज भेजा जाता है।	
- शोधन सहित – कृपया शोधन स्तर विनिर्दिष्ट करें	1,29,835	
(v) अन्य	मलजल को एसटीपी के माध्यम से शोधित किया जाता है और परिसर में उपयोग किया जाता है।	
- कोई शोधन नहीं		
- शोधन सहित – कृपया शोधन स्तर विनिर्दिष्ट करें	एसटीपी के माध्यम से मलजल शोधन किया जाता है	
स्रावित कुल जल (किलोलीटर में)	13,67,639	

यह ध्यान दिया जा सकता है कि पावरग्रिड प्रतिष्ठानों में, पानी का उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है (पानी की थोड़ी मात्रा को छोड़कर जिसका उपयोग शीतलन के उद्देश्य के लिए मेकअप पानी के रूप में किया जाता है)। औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल का कोई उपयोग नहीं होता है जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक बहिस्रावों का उत्पादन नहीं होता है। इसी समय, हमारी व्यावसायिक गतिविधियों में कोई उत्पाद उत्पादित नहीं किया जाता है। इसलिए, हमारी व्यावसायिक गतिविधियों में कोई उत्पाद एम्बेडेड पानी नहीं है। हमारे प्रतिष्ठानों में उत्पन्न अपशिष्ट जल अनिवार्य रूप से घरेलू सीवेज है जिसमें काला पानी और ग्रे पानी होता है, जिसे या तो सोख गड्ढों या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के साथ उपचारित किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों से उत्पन्न इस घरेलू सीवेज की केवल थोड़ी मात्रा को नगरपालिका सीवरेज सिस्टम में छोड़ा जाता है। इसलिए, आवश्यक स्पष्टता लाने के लिए, पानी की खपत को पानी की निकासी के रूप में लिया गया है, जबकि उत्पन्न अपशिष्ट जल, इसके उपचार और निपटान का विवरण प्रदान किया गया है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

5. **क्या कंपनी ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।**

हां, पावरग्रिड के पास शून्य तरल निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र है, इस तथ्य के बावजूद कि हमारे सबस्टेशनों में कोई औद्योगिक बहिस्राव उत्पन्न नहीं होता है। हमारे परिसरों में उत्पन्न एकमात्र अपशिष्ट जल कार्यालयों और आवासीय परिसरों से घरेलू सीवेज (काले और भूरे पानी का मिश्रण) है, जिसे या तो सोख गड्ढों या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) द्वारा उपचारित किया जाता है और परिसर में ही पुनः उपयोग किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में स्थित कुछेक कार्यालयों में उत्पन्न घरेलू सीवेज की केवल थोड़ी मात्रा को ही नगरपालिका सीवरेज प्रणाली में प्रवाहित किया जाता है।

6. **कृपया कंपनी द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का ब्योरा दीजिए:**

मानक	इकाई	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
एनओएक्स	लागू नहीं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विद्युत ऊर्जा सबस्टेशनों में, कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे संचालन/प्रतिष्ठानों में किसी भी वायु प्रदूषक का उत्पादन नहीं होता है। हमारे सबस्टेशनों में वायु प्रदूषण का एकमात्र स्रोत डीजल जेनरेटर हैं, जिनका उपयोग केवल बैकअप व्यवस्था के रूप में किया जाता है और कभी–कभी मुख्य रूप से बहुत कम अवधि के लिए परीक्षण उद्देश्य के लिए चलाया जाता है, क्योंकि हमारे सबस्टेशनों में सहायक शक्ति के दो बहुत ही स्थिर स्रोत हैं यानी डिस्कॉम से समर्पित फीडर और ग्रिड ट्रांसफार्मर से एक अलग विश्वसनीय बिजली स्रोत।		
एसओएक्स			
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
सतत कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)			
अस्थिर कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचपी)			
अन्य– ओजोन क्षरण वस्तुएं (एचसीएफसी–22 अथवा आर–22)			

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाह्य एजेंसी का नाम।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का ब्योरा दें।:

मानक	एकक	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, क्CFCs, SF_6, NF_3 में ब्योरा, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 समतुल्य का मीट्रिक टन	73,497	1,23,830
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में जीएचजी का ब्योरा, यदि उपलबध हो)	CO_2 समतुल्य का मीट्रिक टन	2,70,872	2,39,561
टर्नओवर की प्रति रूपए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोस्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/परिचालन से राजस्व)	CO_2 समतुल्य का मीट्रिक टन/करोड़ रूपए	7.51	7.97
खरीद विद्युत समता (पीपीपी) हेतु समायोजित टर्नओवार के प्रति रूपए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोस्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/ पीपीपी केतु समायोजित परिचालन से राजस्व)	CO_2 समतुल्य का मीट्रिक टन/करोड़ रूपए	151.89	161.12
वास्तविक आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)–इस संगत मीट्रिक को कंपनी द्वारा चयन किया जा सकता है।	CO_2 समतुल्य का मीट्रिक टन/एमवीए	0.65	0.72

सीईए उपयोगकर्ता गाइड (संस्करण 19) आईपीसीसी एआर–6, सीआईआई डेटासेट और चरण विश्लेषण से प्राप्त सीएफ/ईएफ का मान

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए स्कोप–1 के मूल्यों में वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रिपोर्ट किए गए मूल्यों में मामूली बदलाव अद्यतन सीएफ/ईएफ के उपयोग के कारण है।

टिप्पणी: बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

8. क्या कंपनी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो कृपया ब्योरा दें।

जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, नीति निर्माताओं, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, उद्योगों और नागरिकों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक सहमति है कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए संभवतः सबसे बड़े खतरे को नियंत्रित करने और कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। पावरग्रिड एक जिम्मेदार संगठन के रूप में जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने की तात्कालिकता की इस भावना को व्यापक रूप से साझा करता है, जिसका आज दुनिया सामना कर रही है। हमारे बोर्ड द्वारा अनुमोदित ईएसजी नीति द्वारा अनिवार्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन संगठन बनने के हमारे महत्वाकांक्षी लक्ष्य से प्रेरित होकर, हमने अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कई पहल शुरू की हैं:

- **एसएफ 6 का प्रबंधन:** एसएफ 6 गैस, जो एक अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीन हस गैस है, हमारे स्कोप –1 उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा बनाती है। पावरग्रिड में एक तंग इन्वेंट्री प्रबंधन और रिसाव प्रबंधन प्रणाली का अभ्यास करने के कारण, एसएफ 6 की रिसाव दर स्वीकार्य सीमा (एआईएस के लिए 1% और जीआईएस के लिए 0.5%) से काफी नीचे रहती है। वित्त वर्ष 2023–24 में, हमारा एसएफ6 रिसाव लगभग 44.65% कम हो गया है। तथापि, पावरग्रिड तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आथक रूप से व्यवहार्य अन्य विकल्पों के साथ इसे प्रतिस्थापित करने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। एसएफ 6 के आसपास तेजी से विकसित तकनीकी विकास के साथ, हम उसी से बाहर चरणबद्ध चरण के बारे में आशान्वित हैं। वास्तव में, हमने इम्फाल और बदरपुर में स्थित अपने दो सबस्टेशनों में प्रायोगिक आधार पर एसएफ 6 को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन परीक्षणों के परिणामों के साथ–साथ व्यवहार्य विकल्पों के रूप में उपयुक्त प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के आधार पर, हम उच्च वोल्टेज स्तर सबस्टेशनों पर एसएफ 6 चरण की योजना बनाएंगे।
- ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाकर ग्रिड बिजली पर निर्भरता को कम करना: ग्रिड बिजली की खरीद के परिणामस्वरूप होने वाला हमारा एससीपीई–2 उत्सर्जन हमारे कुल उत्सर्जन का लगभग 66% है। पावरग्रिड 2025 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, हम अपनी सौर पीवी क्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव

प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में, हमारे विभिन्न स्थानों पर, कुल सौर पीवी स्थापित लगभग 10.2 मेगावाट है, जो हमारी कुल बिजली आवश्यकता का लगभग 2.6% पूरा कर रहा है। नागदा (मध्य प्रदेश) में 85 मेगावाट का समर्पित सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमारे बिजली खपत मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रतिशत में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, इस प्रकार हमारे स्कोप –2 उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 80 मेगावाट के समर्पित सौर संयंत्र योजना चरण में हैं।

- **हरित आवरण विकसित करने पर ध्यान केन्द्रीत होना:** पावरग्रिड इस बात से अवगत है कि पेड़ / वन मिट्टी के कटाव, बाढ़ और शहरी ताप द्वीप घटनाओं को रोकने जैसे कई अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तदनुसार, हमने अपने परिसर में एक ग्रीन कवर विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, पहले से मौजूद पेड़ों के अलावा 53885 पेड़ लगाए गए, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में स्थित हमारे परिसर में खड़े पेड़ों की कुल संख्या 7,53,153 है। इसके अतिरिक्त, पिछले 10 वर्षों के दौरान हमारी सीएसआर पहल के तहत 73,549 पेड़ लगाए गए थे। कुल मिलाकर हमारे द्वारा विकसित ग्रीन कवर हमारे कुल उत्सर्जन के 5.23% की भरपाई के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, पावरग्रिड ने भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में भाग लेने की योजना बनाई है, जो देश की अवक्रमित वन भूमि के कायाकल्प पर केंद्रित है।

9. कृपया कंपनी द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित ब्योरा निम्न प्रपत्र में दें:

मानक	वित्त वर्ष 23–24	वित्त वर्ष 22–23
सृजित कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (क)	10.088	38.556
ई–कचरा (ख)	9.766	41.001
जैव मेडिकल कचरा (ग)	शून्य	शून्य
निर्माण और उत्पाटन		
कचरा (घ)	2391.369	1425.974
बैट्री कचरा (ड.)	145.717	269.584
रेडियोसक्रिय कचरा (च)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य खतरनाक कचरा, कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (छ)	139.439 (प्रयुक्त ट्रांसफर्मर तेल और एसटीपी स्लज)	421.586 (प्रयुक्त ट्रांसफर्मर तेल और एसटीपी स्लज)
सृजित अन्य गैर–खतरनाक कचरा (ज). कृपया विनिर्दिष्ट करें, यदि कोई हो (संघटक द्वारा ब्योरा अर्थात् क्षेत्र के लिए संगत सामग्रियों द्वारा)	6609.137 उपर्युक्त आंकड़ों का विवरण: स्टील स्क्रैप - 2490.194 एल्युमिनियम स्क्रैप - 750.166 इंसूलेटर कचरा - 3221.087 कचरा लकड़ी सामग्री - 146.940 खाली गैस सिलेंडर - 0.750	9,131.31 उपर्युक्त आंकड़ों का विवरण: स्टील स्क्रैप - 2977.073 एल्युमिनियम स्क्रैप - 1357.401 इंसूलेटर कचरा - 4562.290 कचरा लकड़ी सामग्री - 234.546
कुल (क+ख+ग+घ+ड.+च +छ+ज)	**9305.516**	**11328.011**
टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (सृजित कुल अपशिष्ट / संचालन से राजस्व) मीट्रिक टन / करोड़ रुपये	0.203	0.248
क्रय शक्ति समता (पीपीपी)के लिए समायोजित टर्नओवर की प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता (पीपीपी केलिए समायोजित कुल अपशिष्ट / प्रचालनों से राजस्व) मीट्रिक टन / करोड़ रु	4.10	5.02
वास्तविक आउटपुट के संदर्भ में कचरा तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
अपशिष्ट तीव्रता **(वैकल्पिक)**–प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई मीट्रिक टन / एमवीए द्वारा चुना जा सकता है	0.017	0.022

मानक	वित्त वर्ष 23–24	वित्त वर्ष 22–23
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, कुल कचरा पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य वसूली परिचालन के माध्यम से जमा किया गया (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट श्रेणी	प्लास्टिक अपशिष्ट, ई–कचरा, बैटरी अपशिष्ट, अन्य खतरनाक अपशिष्ट (एसटीपी कीचड़ को छोड़कर), धातु स्क्रैप और इन्सुलेटर अपशिष्ट	
(i) पुनर्चक्रित	6,692.457	9,659.911
(ii) पुनः उपयोग	शून्य	शून्य
(iii) अन्य रिकवरी परिचालन	शून्य	शून्य
कुल	**6692.457**	**9,659.911**
अपशिष्ट श्रेणी	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट और अपशिष्ट लकड़ी की सामग्री	
(i) पुनर्चक्रित	शून्य	शून्य
(ii) पुनः उपयोग	2,539.059	1,660.52
(iii) अन्य रिकवरी परिचालन	शून्य	शून्य
कुल	**2,539.059**	**1,660.52**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट श्रेणी	शून्य	शून्य
(i) भस्मीकरण	शून्य	शून्य
(ii) लैंडफिलिंग	शून्य	शून्य
(iii) अन्य निपटान परिचालन	(पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर निपटान के लिए अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया)	7.58 (पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर निपटान के लिए अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया)
कुल	**74**	**7.58**

टिप्पणीः जैसा कि पहले अनुभाग में उल्लेख किया गया है, पावरग्रिड की गतिविधियों में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं है। अत इसके प्रतिष्ठानों में कोई प्रक्रमित अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। अधिकांश औद्योगिक अपशिष्टों में सी एंड डी अपशिष्ट और स्क्रैप सामग्री होती है जो प्रचालन और रखरखाव गतिविधियों के दौरान उनके उपयोगी जीवन के बाद उत्पन्न होती है। तदनुसार, उत्पादित विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों की मात्रा में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति संभव नहीं होगी। नोटः बताएं कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/ नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम।

हां, मैसर्स ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

पावरग्रिड की अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को कम करने, रीसायकल करने और पुनः उपयोग के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जैसा कि इसकी "अपशिष्ट प्रबंधन नीति" में परिभाषित किया गया है, जो बदले में इसके बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है। तदनुसार, पावरग्रिड सभी लागू विनियमों का पूर्णत अनुपालन करते हुए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के नए शुरू किए गए सिद्धांत के अनुरूप अथवा मैसर्स एमएसटीसीएल, एक मिनीरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के माध्यम से अथवा उत्पादक को अपशिष्ट सामग्री लौटाकर अथवा अपने प्रतिष्ठान में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का उचित पुनचक्रण और पुन उपयोग सुनिश्चित करता है। एसटीपी कीचड़ से युक्त खतरनाक कचरे की एक छोटी मात्रा को पर्यावरणीय रूप से ध्वनि निपटान के लिए अधिकृत एजेंसियों को सौंप दिया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति हमारे दृष्टिकोण की एक और महत्वपूर्ण विशेषता संसाधनों का जिम्मेदार उपभोग है, जिसके परिणामस्वरूप न केवल बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, बल्कि उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करने में भी मदद मिलती है।

पावरग्रिड की कचरा प्रबंधन नीति को निम्न वेबसाइट पर देखा जा सकता हैः https://www.powergrid.in/policies

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र, आदि) में/उनके आसपास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्र. सं.	परिचालन स्थल/कार्यालय	परिचालन प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/अनुमति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और क्या सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो की गई है?
1	765 केवी डी/सी फतेहपुर–आगरा लाइन जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का 4.6535 हेक्टेयर वन शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
2	400 केवी डी/सी बीकानेर–खेतड़ी लाइन जिसमें राजस्थान राज्य में 1.7066 हेक्टेयर शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
3	400 केवी डी/सी रामगढ़–जैसलमेर लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 0.092 हेक्टेयर भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
4	400 केवी डी/सी खेत्री–भिवाडी लाइन जिसमें हरियाणा राज्य की 4.3654 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
5	400 केवी डी/सी क्वाड बीकानेर (पीजी) –बीकानेर II (पीजी) पारेषण लाइन का निर्माण जिसमें राजस्थान राज्य की 0.8142 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
6	400 केवी डी/सी बीकानेर–खेत्री लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 1.7425 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
7	765 केवी डी/सी खेत्री–झाटीकारा लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 2.2401 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
8	400 केवी डी/सी खेत्री–सीकर लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 1.3706 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
9	765 केवी डी/सी सीकर–अलीगढ़ लाइन जिसमें हरियाणा राज्य की 15.0147 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
10	400 केवी डी/सी खेत्री–भिवाड़ी लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 1.6238 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
11	765 केवी डी/सी खेत्री–झाटीकारा लाइन जिसमें दिल्ली राज्य में 4.89 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
12	400 केवी एम/सी विंध्याचल–सतना 1,2,3,4 का डायवर्जन और 400 केवी डी/सी विंध्याचल शासन रीवा पारेषण लाइन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य में 84.617 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
13	765 केवी एस/सी फतेहपुर–आगरा लाइन जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में 3.8602 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
14	सरोजनी नगर का लीलो (400 केवी) – उन्नाव (765केवी) 400केवी एस/सी लाइन/400 केवी जीआईएस उपकेंद्र मोहनलाल गंज और 400 केवी का लीलो एस/सी लखनऊ–सुल्तानपुर पारेषण लाइन जो 400 केवी उपकेंद्र मोहनलाल गंज में अवस्थित है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की 3.1142 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां

क्र. सं.	परिचालन स्थल/कार्यालय	परिचालन प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/अनुमति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और क्या सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो की गई है?
15	400 केवी डी/सी सीकर–नीमराना लाइन जिसमें हरियाणा राज्य की 0.483 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
16	द्वारका में स्थित 400 केवी का बामनौली–झाटीकारा का लीलो जिसमें दिल्ली राज्य की 10.9736 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
17	400 केवी डीसी नीमच–मंदसौर लाइन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य की 72.4802 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
18	400 केवी एम/सी नवसारी–मंगारवड़ा लाइन जिसमें गुजरात राज्य की 2.5694 वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
19	400 केवी डी/सी तारापुर–बोईसर का विपथन (बुलेट ट्रेन के कारण), 400 केवी डी/सी तारापुर–पडघे, 400 केवी गांधार–पडघे का लीलो, 220 केवी तारापुर–बोईसर और 3400 केवी एम/सी नवसारी–बोईसर लाइन जिसमें महाराष्ट्र राज्य की 22.6944 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
20	765 केवी डी/सी खेत्री–नरेला लाइन जिसमें हरियाणा राज्य की 16.0591 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
21	132 केवी एस/सी गोहपुर–निरजुली लाइन का विपथन जिसमें असम राज्य की 19.791 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
22	400 केवी डी/सी नीमच–चित्तौड़गढ़ लाइन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य की 19.46 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
23	400 केवी डी/सी नीमच–चित्तौडगढ़ लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 50.1952 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां
24	400 केवी डी/सी नीमच–मंदसौर लाइन जिसमें राजस्थान राज्य की 19.46 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है।	पारेषण लाइनें	हां

टिप्पणी: यह ध्यान दिया जा सकता है कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों जैसे राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, वन आदि से बचना हमारे मार्ग/स्थल चयन मानदंड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तदनुसार, कम से कम तीन संभावित वैकल्पिक मार्गों/स्थलों का अध्ययन करके हमारे कॉर्पोरेट पर्यावरण और सामाजिक नीति और प्रक्रिया (ईएसपीपी) के अनुरूप हमारी प्रत्येक परियोजना के लिए एक अनिवार्य पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है और सबसे इष्टतम मार्ग/स्थल कम से कम पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को अंतिम मार्ग/स्थल के रूप में चुना जाता है। तथापि, कुछ मामलों में, जहां हमारी पारेषण लाइनों में वन/वन्यजीव क्षेत्रों से पूर्ण रूप से बचना संभव नहीं है, भू–भाग की विशिष्टता और भौगोलिक बाधाओं के कारण लागू विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वन/वन्यजीव स्वीकृति प्राप्त की जाती है। ऐसी पारेषण लाइनों का ब्यौरा ऊपर दिया गया है।

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

लागू नहीं।

पारेषण परियोजनाएं 1994 और 2006 की ईआईए अधिसूचनाओं के दायरे में शामिल नहीं हैं। तदनुसार, हमारी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित नहीं किया गया है। हालांकि, पावरग्रिड अनिवार्य रूप से अपनी पारेषण परियोजनाओं का पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन करता है जैसा कि पिछले अनुभाग में उल्लेख किया गया है।

13. **क्या कंपनी भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें:**

पावरग्रिड पर्यावरण एवं वन से संबंधित सभी लागू कानूनों/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब सरकारी और विनियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल हो, तो यह कार्य उस तरीके से हो जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

आवश्यक संकेतक

1. **क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान व्यापार और उद्योग मंडलों और संघों के साथ हमारे कुल 11 संबद्धताएं हैं।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिसका यह कंपनी सदस्य है/ जिससे संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ की पहुंच	उद्योग मंडल के बारे में
1	फेडरेशन ऑफ इंडि;न चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एड इंडस्ट्री (फिक्की)	राष्ट्रीय	एक गैर–सरकारी, गैर–लाभकारी संगठन, फिक्की भारत के व्यापार और उद्योग की आवाज है। यह भारतीय निजी और सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करता है। फिक्की विभिन्न क्षेत्रों के भीतर नेटवर्किंग और आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है और यह भारतीय उद्योग, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए पहला आह्वान स्थल है।
2	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय	सीआईआई एक गैर–सरकारी, गैर–लाभकारी, उद्योग–नेतृत्व वाला और उद्योग–प्रबंधित संगठन है, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9000 सदस्य हैं, जिनमें एसएमई और एमएनसी शामिल हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)सलाहकार और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करते हुए भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिए काम करता है।
3	सीआईआई पीएसई काउंसिल	राष्ट्रीय	सीआईआई का हिस्सा जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।
4	दी एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम)	राष्ट्रीय	एसोचैम उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करता है। 100 से अधिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय क्षेत्र परिषदों के साथ, यह भारतीय उद्योग का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि है। यह चार रणनीतिक प्राथमिकताओं – स्थिरता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और डिजिटलीकरण को चला रहा है।
5	पीएचडी चैम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) पिछले 117 वर्षों से भारतीय उद्योग, व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है।
6	सेंट्रल बोर्ड आफ इरीगेशन एंड पावर (सीबीआईपी)	राष्ट्रीय	सीबीआईपी पिछले 90 वर्षों से देश में विद्युत, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित पेशेवर संगठनों, इंजीनियरों और व्यक्तियों को समर्पित सेवाएं प्रदान कर रहा है।
7	वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्ल्यूईसी) इंडिया	राष्ट्रीय	वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल (डब्लूईसी) काएक देश सदस्य, ऊर्जा की सतत आपूर्ति और उपयोग की खोज में विचार नेतृत्व और ठोस जुड़ाव के लिए एक वैश्विक और समावेशी निकाय।
8	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम (आईआईएफ)	राष्ट्रीय	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फोरम इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर पब्लिशिंग की एक पहल है, जो भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर सूचना, विश्लेषण और अंतर्दृष्टि का एक प्रमुख प्रदाता है। इसमें तहत कवर किए जाने वाले क्षेत्रों में ऊर्जा, परिवहन, शहरी बुनियादी ढांचा और संचार शामिल हैं।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ की पहुंच	उद्योग मंडल के बारे में
9	पावर फाउंडेशन	राष्ट्रीय	इस फाउंडेशन का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में एक विश्वसनीय थिंक–टैंक और एक अग्रणी नीति समर्थक निकाय बनना और बिजली क्षेत्र में स्वतंत्र और साक्ष्य–आधारित अध्ययन शुरू करने में अग्रणी प्रयास करना है।
10	साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन (एसएएआईआर)	अंतरराष्ट्रीय	एसएएआईआर की स्थापना मई 1999 में दक्षिण एशिया में बुनियादी ढांचे के विनियमन और संबंधित विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह मंच क्षेत्र के नियामकों के बीच अनुभव साझा करने और दक्षिण एशिया में नियामक निर्णय लेने और प्रतिक्रिया क्षमता का निर्माण करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
11	साउथ एशियन फोरम ऑन एनर्जी इंवेस्टमेंट (एसएएफईआई)	अंतरराष्ट्रीय	यूएसएआईडी ने अपने एसएआरईपी कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक निवेशक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक सुविधा मंच (एसएएफईआई) को संस्थागत बनाया है।

2. **नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर कंपनी द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना।**

वर्ष के दौरान संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण के संबंध में ऐसे किसी मुद्दे की सूचना नहीं दी गई थी।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण।**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पावरग्रिड की किसी भी परियोजना को एसआईए की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों को लागू करते हुए अनैच्छिक रूप से कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी। यह ध्यान दिया जा सकता है कि समीक्षाधीन अवधि में पावरग्रिड ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की धारा – 46 के प्रावधानों के अनुसार, बाजार/बातचीत दर पर "इच्छुक खरीदार इच्छुक विक्रेता" आधार पर सीधी खरीद के माध्यम से बंजर सरकारी भूमि का चयन किया है।.

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्योरा	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना तिथि	क्या किसी स्वतंत्र बाह्य एजेंसी से कराया गया (हाँ/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक किया गया (हाँ/नहीं)	संगत वेबलिंक
कृपया एसआईए की पूर्ण सूची के लिए निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–10 (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए सीएसआर कार्यकलाप संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन) देखें।					

2. **कृपया आपकी कंपनी द्वारा चलायी जाने वाली पुनर्वास और पुनर्वसन (आर एंड आर) की प्रक्रिया के अंतर्गत जारी की जा रही परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें:**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, पावरग्रिड ने जिम्मेदार तरीके से भूमि अधिग्रहण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। चाहे वह अपने सबस्टेशन्स के लिए सरकार की स्वामित्व वाली भूमि को सुरक्षित करने की बात हो, या न्यायसंगत बाजार या समझौते के दरों पर ''इच्छुक खरीददार इच्छुक विक्रेता'' के आधार पर सीधे भूमि खरीदने की बात हो, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि सभी भूमि अधिग्रहणों को अत्यंत पारदर्शिता और आपसी सहमति के साथ किया जाए। महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे किसी भी अस्वेच्छित भूमि अधिग्रहण के कोई मामले नहीं हुए हैं, जिससे प्रोजेक्ट प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) या प्रोजेक्ट विस्थापित व्यक्तियों (पीडीपी) की उपस्थिति को निष्क्रिय किया गया हो। इसके परिणामस्वरूप, पुनर्वास और पुनर्वास (आरएंडआर) गतिविधियों की व्यापक आवश्यकता नहीं पड़ी है।

तथापि, पावरग्रिड भूमि अधिग्रहण से कहीं अधिक सामाजिक प्रगति के प्रति समर्पित है। अपने मजबूत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के माध्यम से, कंपनी सकारात्मक रूप से व्यापक समुदाय का सहयोग करती है। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों का कल्याण और उनकी समृद्धि को बढ़ाना, संधारणीय विकास को प्रोत्साहित करना, और सकारात्मक सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देना है। पावरग्रिड मूल्यशील और प्रभावी सीएसआर प्रयासों में शामिल होकर, जहां यह काम करता है, वहां के समुदायों के सर्वांगीण विकास और कल्याण हेतु योगदान देता है, और खुद को सकारात्मक परिवर्तन के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करता है।

संक्षेप में, पावरग्रिड द्वारा किए जाने वाले भूमि अधिग्रहण ने इसके नैतिक और स्वेच्छिक दृष्टिकोण के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को प्रकट किया है। अनैच्छिक बदलाव ना हो, यह सुनिश्चित करते हुए कंपनी अपने प्रभावी सीएसआर पहलों के माध्यम से समुदाय का बड़े

पैमाने पर सहयोग करती है, जिससे सतत और समावेशी भविष्य बनाने के लिए समर्पित दायित्वपूर्ण कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कंपनी की भूमिका मजबूत होती है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आरएंडआर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों की संख्या (पीएएफ)	आरएंडआर द्वारा शामिल पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को दी गई राशि (रुपये में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त एवं दूर करने के तंत्रों का उल्लेख करें।

नीतिगत ढांचे के व्यापक सिद्धांतों और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट मार्गदर्शिका के मानदंडों के अनुसार, कंपनी में शिकायतों को सुनना और उन्हें निपटाने को सर्वोपरि माना जाता है। हमने एक ऑनलाइन इंटरफ़ेस बनाया है जिसके माध्यम से कर्मचारी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायतों का पूर्व–निर्धारित समय–सीमाओं के भीतर व्यवस्थित और शीघ्र समाधान करने के लिए, कंपनी ने कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी स्थापित किए हैं। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पूर्व सैनिक/दिव्यांग के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए, कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तरों पर एक आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

कंपनी ने एक नागरिक चार्टर भी तैयार किया है जिसमें उसकी दृष्टि, मिशन और उद्देश्य स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में रखे गए हैं। इसमें कंपनी के सिद्धांत, प्रतिबद्धताएं, नागरिकों से की जाने वाली उम्मीदें, एकीकृत प्रबंधन नीति, प्रदान की जाने वाली सेवाएं, मूल्य और सेवाओं के मानक, जानकारी तक पहुँच, और शिकायत समाधान का भी विवरण शामिल है।

समुदाय के साथ संबंध को और भी सुगम बनाने के लिए, हमने समुदाय/जनता की किसी भी शिकायत को सुलझाने के लिए प्रभावी शिकायत सुधार तंत्र (जीआरएम) विकसित किया है। जीआरएम के दो स्तर हैं – पहला है प्रोजेक्ट/सबस्टेशन स्तर की शिकायत समाधान समिति (जीआरसी) और दूसरा कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी, जिसकी अगुआई कंपनी के निदेशक (प्रोजेक्ट्स) के द्वारा की जाती है। प्रोजेक्ट स्तर की जीआरसी द्वारा प्राप्त सभी लिखित और मौखिक शिकायतें, शिकायत प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर हल करनी होती हैं। यदि शिकायतकर्ता प्रोजेक्ट स्तर की जीआरसी के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, तो वह कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी के पास जा सकते हैं, जिसे शिकायत को 45 दिनों के भीतर हल करना होता है। कॉर्पोरेट स्तर की जीआरसी के बारे में सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और इसे निम्न पते पर देखी जा सकती है:

https://www.powergrid.in/sites/default/files/inline-files/Notice-regarding-Corporate-Level-GRC.pdf

इसके अतिरिक्त, आमलोग पावरग्रिड से अपने प्रश्नों और चिंताओं को https://www.powergrid.in/public-complaints-0 पर सीधे भेज सकते हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
एमएसएमई/ छोटे उत्पादकों से प्रत्यक्ष स्रोत*	57.52%	53.34%
भारत ही से प्रत्यक्ष रूप में	100%	100%

*कुल पात्र प्रापण का

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों में नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के : के रूप में भुगतान किए गए वेतन का खुलासा करें

स्थान	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
ग्रामीण क्षेत्र	47.54%	47.09%
अर्द्ध शहरी क्षेत्र	8.07%	8.04%
शहरी क्षेत्र	30.16%	30.30%
महानगर	13.91%	14.23%

(आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली– ग्रामीण/ अर्द्ध शहरी/शहरी/महानगर, के अनुसार श्रेणीबद्ध स्थान)

* यह आंकड़ा स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों के लिए है। भारत के बाहर नियोजित व्यक्तियों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी को कुल मजदूरी लागत की गणना के लिए ध्यान में रखा गया है।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं से जुड़ना और महत्व प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता की शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और उनका उत्तर देने के लिए स्थापित तंत्र का वर्णन करें।**
   कंपनी ने एक एकीकृत शिकायत पोर्टल स्थापित किया है जो सभी उपभोक्ता शिकायतों के लिए वन–स्टॉप सोल्यूशंस है। यह प्राप्त शिकायतों को विभागों/स्थानों के आधार पर वर्गीकृत करता है और त्वरित समाधान करता है।

2. **उत्पादों और/या सेवाओं का टर्नओवर, जो संपूर्ण उत्पाद/सेवाओं के टर्नओवार का प्रतिशत है, जिनमें निम्न जानकारी शामिल होती है:**

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणिक और सामाजिक मानक	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
पुनर्चक्रण और /या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. **निम्नलिखित के संदर्भ में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्त 2023-24		टिप्पणी	वित्त 2022-23		टिप्पणी
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में समाधान के लिए लंबित	
आंकड़ा संबंधी गोपनीयता	0	0		0	0	
विज्ञापन	लागू नहीं	लागू नहीं		लागू नहीं	लागू नहीं	
साइबर सुरक्षा	0	0		0	0	
आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति	0	0		0	0	
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं	0	0		0	0	
अनुचित व्यापार प्रथाएं	0	0		0	0	
अन्य	0	0		0	0	

4. **सुरक्षा संबंधी कारणों से उत्पाद वापस बुलाने (रिकॉल) की घटनाओं का विवरण।**

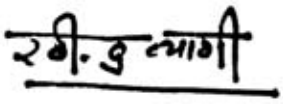
	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं
आवश्यक रिकॉल	लागू नहीं	लागू नहीं

5. **क्या कंपनी के पास आंकड़ा संबंधी गोपनीयता से जुड़े साइबर सुरक्षा और जोखिम संबंधी कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इस नीति से जुड़ा कोई वेबलिंक प्रदान करें।**
   हां, हमारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एक सूचना सुरक्षा नीति है, जो महत्वपूर्ण जानकारी और बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन और निपटान से बचाने पर केंद्रित है, चाहे वह जानबूझकर या अनजाने में हो। यह कर्मचारियों और अन्य संबंधित तृतीय पक्षों की संवेदनशील/व्यक्तिगत जानकारी के साथ–साथ संगठन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और प्रणालियों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता को बनाए रखता है। इकाई अपने व्यवसाय संचालन के सभी क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा जोखिमों की प्रणालीगत कमी के माध्यम से व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी आईएसओ 27001 सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित है, जिसका अर्थ है कि पावरग्रिड सभी लागू कानूनी, वैधानिक, नियामक और संविदात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और उन्हें पूरा करता है, जिससे सिस्टम की आंतरिक और बाहरी ऑडिटिंग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

6. **आवश्यक सेवाओं के विज्ञापन और वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के मामलों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना/ की गई कार्रवाई।**
   वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं हुई है।

7. **आंकड़ा उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:**
   क. आंकड़ा उल्लंघन से संबंधित निम्नलिखित सूचना प्रदान करें:
   ख. उपोक्ताओं की व्यक्तिगत पहचानयोग्य सूचना वाले आंकड़ों के उल्लंघन का प्रतिशत– शून्य
   ग. आंकड़ों के उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो – शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से



दिनांक: 31 जुलाई, 2024
स्थान : गुरूग्राम

(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–III

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ड) के अंतर्गत अपेक्षित विवरण

क. ऊर्जा का संरक्षण

पावरग्रिड द्वारा ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपाय किए गए:

- **प्रभावी और कम हानि वाली पारेषण प्रणाली का विकास**

  पावरग्रिड अपनी पारेषण प्रणालियों को कम हानियों के साथ ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए डिजाइन करता है। पारेषण योजनाओं की योजना से निष्पादन चरण तक और प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) अवधि के दौरान, पारेषण प्रणाली/प्रौद्योगिकी के चयन के लिए प्रमुख मानदंडों के साथ विद्युत पारेषण के लिए विभिन्न विकल्पों/प्रौद्योगिकियों की जांच की जाती है ताकि हानियों को कम किया जा सके।

  पावरग्रिड द्वारा एक कुशल और कम हानि वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क को विकसित करने के लिए किए गए कुछ उपायों में शामिल हैं:

  क) डिजाइन चरण में विभिन्न मापदंडों का अनुकूलन, जैसे विस्तृत अनुकूलन अध्ययन के बाद कंडक्टरों का चयन करना, जो प्राथमिक मानदंडों में से एक के रूप में लाइन घाटे में कमी पर विचार करता है।

  ख) कठोर गुणवत्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बस बार सामग्री और क्लैंप और कनेक्टर्स का चयन ताकि नुकसान को अनुकूलित किया जा सके। ट्रांसफार्मर और रिएक्टर पैकेजों के मामले में, हानियों की सीमा विनिर्माताओं के लिए विनिदष्ट की जाती है जो उन्हें सर्वोत्तम विनिर्माण पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एचवीडीसी प्रणाली के मामले में, पैरामीटरों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि विभिन्न प्रणाली प्रचालन स्थितियों के अंतर्गत समग्र हानियों को न्यूनतम किया जा सके।

  ग) ट्रांसमिशन हार्डवेयर के मामले में, कम नुकसान वाली सामग्री निर्दिष्ट है। विभिन्न अन्य उपकरणों के पैरामीटर और प्रकार भी इस तरह से चुने जाते हैं कि नुकसान को अनुकूलित किया जाता है।

- **एलईडी लाइटों और सोलर स्ट्रीट लैंपों का उपयोग**

  सबस्टेशन परिसर की रोशनी के लिए एलईडी लाइटों और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट–लैंप की स्थापना भी आपकी कंपनी द्वारा की गई है, ये पहल सबस्टेशन परिसर में ऊर्जा के संरक्षण में मदद कर रही हैं।

- **नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना**

  पारंपरिक स्रोतों पर सहायक आवश्यकता की निर्भरता को कम करने के लिए सबस्टेशनों में रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित/स्थापित किए जा रहे हैं। यह पावरग्रिड की प्रतिबद्धता के अनुसार है कि 2025 तक अक्षय स्रोतों के माध्यम से इसकी सहायक बिजली खपत का 50% है।

ख. प्रौद्योगिकी समामेलन

अनुसंधान और विकास एवं प्रौद्योगिकी समामेलन के लिए प्रयास किए गए:

1. आपकी कंपनी बिजली पारेषण प्रणालियों के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को जारी रखती है। पावरग्रिड, अपनी अनुसंधान पहलों के आधार पर विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए सीआईजीआरई, आईईसी, आईईईई आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों का एक हिस्सा है और अपने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

2. **400 केवी आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) का स्वदेशी विकास:** आपकी कंपनी ने एजेंसियों के साथ 400 केवी आपातकालीन बहाली प्रणाली (ईआरएस) के स्वदेशी विकास के लिए पहल की है और ऐसी एक ईआरएस की आपूर्ति की गई है।

3. आपकी कंपनी ने विषम (यानी आईटी, ईआरपी, दूरसंचार, ओटी, आदि) की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) के साथ साझेदारी में एक **स्वदेशी एकीकृत सूचना सुरक्षा संचालन केंद्र** (I3SOC) की स्थापना की है। पावरग्रिड की डिजिटल संपत्ति देश भर में फैली हुई है।

4. **रणनीतिक स्थानों पर स्टेटकॉम:** भारत में पहली बार राजस्थान आरई उत्पादन पार्क के निकट जोड़ने के लिए स्टेटकॉम पर विचार किया गया है जहां सौर और पवन ऊर्जा के साथ मल्टीवेंडर इन्वर्टर आधारित संसाधन (आईबीआर) मौजूदा ग्रिड में बिजली इंजेक्ट कर रहे हैं। सौर ऊर्जा पार्कों के निकट अद्वितीय नियंत्रण विशेषताओं के साथ रणनीतिक स्थानों पर स्टेटकॉम की उपस्थिति ग्रिड स्थिरता और लचीलापन को बढ़ाती है, बिजली की गुणवत्ता में सुधार करती है, और मौजूदा बिजली बुनियादी ढांचे में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के सुचारू एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है। यह वोल्टेज के स्तर को विनियमित करने, ग्रिड में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गतिशील प्रतिक्रियाशील शक्ति समर्थन प्रदान करता है।

5. **नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोगः** आपकी कंपनी ने पूरे भारत में ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए इष्टतम मार्ग का चयन करने के लिए इन–हाउस क्षमताओं का विकास शुरू किया है। इसमें नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करना शामिल है, जैसे उपग्रह मानचित्रण, भू–संदर्भित मानचित्र, गतिशक्ति पोर्टल और विभिन्न अन्य उपलब्ध जीआईएस सॉफ्टवेयर उपकरण।

6. **लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (एलआईडीएआर) तकनीक का उपयोगः** आपकी कंपनी ने ऊंचे पहाड़ों और अन्य दुर्गम क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने के लिए एलआईडीएआर तकनीक की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में एक विमान या हेलीकॉप्टर पर लगे एलआईडीएआर उपकरण के साथ लाइन कॉरिडोर के माध्यम से उड़ान भरना शामिल है। एलआईडीएआर दूरी मापने और इलाके के 3D मानचित्र उत्पन्न करने के लिए लेजर बीम का उपयोग करता है, जिसका उपयोग तब ट्रांसमिशन लाइनों को प्रभावी और इष्टतम तरीके से रूट करने के लिए किया जाता है।

7. **पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ रिएक्टर की रीप्रोफाइलिंगः** आइजोल में स्थित 132 केवी, 20 एमवीएआर बस रिएक्टर को पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक एस्टर तेल के साथ सफलतापूर्वक पुनर्प्रोफाइल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कई लाभ होंगे जैसे पर्यावरणीय प्रभाव में कमी, बायोडिग्रेडेबिलिटी में सुधार जिसके परिणामस्वरूप अग्नि सुरक्षा में सुधार होगा और जीवन चक्र में वृद्धि होगी।

8. **विश्वसनीयता केंद्रित रखरखाव (आरसीएम) कार्यप्रणालीः** आपकी कंपनी ने ट्रांसफ़ॉर्मर, रिएक्टर और ट्रांसमिशन लाइनों सहित अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों के लिए आरसीएम प्रथाओं को लागू किया है। इस रणनीतिक दृष्टिकोण में प्रत्येक घटक की विश्वसनीयता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण, संभावित विफलता मोड की पहचान करना और समग्र सिस्टम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लक्षित रखरखाव योजना विकसित करना शामिल है। यह नियमित रखरखाव गतिविधियों पर खर्च किए गए मानव–घंटों में महत्वपूर्ण कमी लाएगा और केंद्रित और गुणवत्ता रखरखाव को सक्षम बनाता है।

9. **उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) –संरक्षण और एससीएडीएः** आपकी कंपनी ने लगभग 36,000 आईईडी और 190 नग के डेटाबेस का प्रबंधन और सत्यापन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) – संरक्षण और एससीएडीए की स्थापना की। एसएएस गेटवे योजना का उचित कार्यान्वयन, सेटिंग्स/कॉन्फ़िगरेशन की एकरूपता और केंद्रीकृत स्थान से मांग पर मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए। यह केंद्रीय स्थान से सुरक्षा मुद्दों को संभालने के लिए सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता को सक्षम बनाता है और संवर्धित वास्तविकता आदि जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए साइटों को दूरस्थ समर्थन के लिए विशेषज्ञ जनशक्ति का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है।

10. आपकी कंपनी ने क्यूआर कोड का उपयोग करके एक **बुद्धिमान निरीक्षण मॉड्यूल** लागू किया है जो सबस्टेशन उपकरणों के कुशल निरीक्षण को सक्षम करता है। सबस्टेशन रखरखाव कर्मियों को बीहड़ औद्योगिक गोलियों और संबंधित कार्य अनुप्रयोगों से लैस किया जा रहा है ताकि उनकी कार्य प्रक्रियाओं को डिजिटल किया जा सके, काम के दोहराव को कम किया जा सके और रखरखाव विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके। आवश्यक रखरखाव डेटा को संसाधित करने के लिए एप्लिकेशन को बैकएंड रिमोट सेंट्रल सर्वर के साथ एकीकृत किया गया है।

11. इंसुलेटेड बकेट का उपयोग करके 765केवी और 400केवी स्तर पर ट्रांसमिशन लाइनों और सब–स्टेशनों का हॉटलाइन अनुरक्षण।

12. **ट्रांसमिशन लाइनों की ड्रोन–आधारित पेट्रोलिंगः** यह अभिनव दृष्टिकोण निगरानी गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे ट्रांसमिशन लाइनों के तेज और व्यापक निरीक्षण की अनुमति मिलती है। ड्रोन गश्त संभावित मुद्दों की पहचान करने और समय पर रखरखाव के प्रयासों को सुविधाजनक बनाने में सक्षम बनाता है।

13. आपकी कंपनी ने ओ एंड एम से संबंधित कार्यों में **एआर/वीआर आधारित डिजिटल हेडगियर** का उपयोग किया है। इन हेडसेट्स ने फील्डवर्क में दूरस्थ विशेषज्ञ सहायता को सक्षम किया है, जिससे डाउनटाइम, ज्ञान हस्तांतरण, उच्च सुरक्षा और उपकरण प्रदर्शन में उच्च विश्वसनीयता कम हो गई है।

14. पारेषण लाइन टावरों के संरचनात्मक स्वास्थ्य मूल्यांकन की दिशा में, परीक्षण बिस्तर में वायरलेस स्ट्रेन गेज का उपयोग करके विविध लोडिंग स्थितियों के दौरान टॉवर के महत्वपूर्ण सदस्यों में तनाव का मूल्यांकन किया गया है।

15. कम वोल्टेज स्तर के उपकरणों में **रेसिन इम्प्रिगनेंट पेपर (आरआईपी) बुशिंग** में जाने पर अर्जित लाभों और प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए तथा 765केवी ट्रांसफार्मर और रिएक्टर अनुप्रयोगों के लिए उच्च वोल्टेज स्तर आरआईपी बुशिंग्स के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की खोज में, आपकी कंपनी ने 800केवी और 420केवी आरआईपी बुशिंग के संबंध में, औरंगाबाद सबस्टेशन में एक 800केवी और एक 420केवी आरआईपी बुशिंग का विकास और आपूर्ति सफलतापूर्वक पूरी की गई है, साथ ही तिरुवलम सबस्टेशन पर एक 800केवी आरआईपी बुशिंग भी है।

16. विभिन्न खण्डों में कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर (सीवीटी) की कुशल स्थिति की निगरानी के लिए, एक व्यापक समाधान विकसित किया गया है, जिसमें आरएफ संचार के माध्यम से वास्तविक समय में दो सीवीटी के बीच वोल्टेज और आवृत्ति को ठीक से मापने में सक्षम सिंक्रनाइज़ वोल्टमीटर की एक जोड़ी शामिल है।

17. आपकी कंपनी ने एक अभिनव **ट्विन स्टील मोनोपोल** तैयार किया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 64 मीटर है, 400 केवी डबल–सर्किट ट्रांसमिशन लाइनें, लाइन को समकोण पर मोड़ने में सक्षम। इस जुड़वां ध्रुव संरचना में दो मोनोपोल होते हैं, जो उच्च शक्ति वहन क्षमता प्रदान करते हुए जमीन पर एक छोटे पदचिह्न पर कब्जा कर लेते हैं।

18. आपकी कंपनी ने **पत्थर के स्तंभों का उपयोग करते हुए ढीली मिट्टी जमा की भार वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक पद्धति विकसित** की है यह तकनीक बहुत ढीली मिट्टी को बदल देती है, जो अन्यथा किसी भी संरचना का समर्थन करने, भारी लगाए गए भार को बनाए रखने में सक्षम नींव के लिए अनुपयुक्त होगी।

19. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में 400 केवी और 765 केवी पारेषण लाइनों के कारण **विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र परिमाण का व्यापक मौसमी माप** 23 लाइनों पर किया गया था। डिजाइन मूल्यों को मान्य करने के लिए लाइनें। मापों से यह पता लगाया जाता है कि ईएमएफ स्तर अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अच्छी तरह से रहता है।

20. आपकी कंपनी ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से **सुपर–हाइड्रोफोबिक कोटिंग इंसुलेटर का विकास** शुरू किया है, जो इसके प्रदर्शन में सुधार करेगा और रखरखाव को कम करेगा। आर्किंग और फ्लैशओवर के खिलाफ बेहतर सुरक्षा से लाभ, दीर्घकालिक हाइड्रोफोबिसिटी द्वारा सुनिश्चित रिसाव धाराओं में निरंतर कमी से पूरक, एक अतिरिक्त लाभ है।

21. आपकी कंपनी ने 132 केवी बदरपुर एआईएस सब–स्टेशन को ग्रीन सब–स्टेशन में बदलने की योजना बनाई है। यह भारत में पहला ग्रीन गैस से भरा सबस्टेशन होगा। इस पहल के तहत, हरित गैस का उपयोग उपकरणों में SF_6 विकल्प के रूप में किया जाएगा। इससे 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस पहल के तहत, आपकी कंपनी ने इम्फाल सब–स्टेशन पर पारंपरिक 145 केवी सर्किट ब्रेकर के 3 सेटों को पायलट आधार पर एसएफ 6 फ्री सर्किट ब्रेकर के साथ बदलने की भी योजना बनाई है।

22. बिजली लाइनों के साथ टक्कर/इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण पक्षी मृत्यु दर से बचने के लिए, आपकी कंपनी जीआईबी क्षेत्र से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइनों में बर्ड डायवर्टर स्थापित कर रही है।

23. आपकी कंपनी ने एपीएम (एसेट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट) सिस्टम को लागू करने, परिसंपत्ति प्रदर्शन को अनुकूलित करने, डाउनटाइम को कम करने और समग्र परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत विश्लेषिकी और भविष्य कहनेवाला रखरखाव तकनीकों का लाभ उठाने की योजना बनाई है।

24. आपकी कंपनी ने ट्रांसमिशन टावरों के प्रबंधन के लिए स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसमें बाढ़, नदी मार्ग परिवर्तन, भूस्खलन, जंगल की आग, बिजली, चक्रवात आदि जैसी विभिन्न आपदाओं से ग्रस्त टावरों के दृश्य और विश्लेषण के लिए भू–स्थानिक डैशबोर्ड और उपकरणों का विकास शामिल है। यह राइट–ऑफ–वे ऑफ ट्रांसमिशन कॉरिडोर के साथ वनस्पति विकास की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करेगा।

25. आपकी कंपनी ने बस रिएक्टरों को बार–बार बदलने की आवश्यकता को कम करने के लिए 02 वैरिएबल शंट रिएक्टर (वीएसआर) खरीदने की योजना बनाई है।

26. आपकी कंपनी ने अगस्त 2021 में ईआर2 के मैथन एस/एस में दुनिया का पहला 420केवी 50एमवीएआर प्राकृतिक एस्टर आधारित रिएक्टर चालू किया था और रिएक्टर तब से संतोषजनक संचालन में है। रिएक्टरों में सिंथेटिक एस्टर के प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी सिंथेटिक एस्टर से भरे 02 नग 420केवी 63एमवीएआर स्पेयर रिएक्टर खरीद रही है।

27. आपकी कंपनी अत्याधुनिक प्रक्रिया बस प्रौद्योगिकी के साथ 765/400/220 केवी डिजिटल सबस्टेशन निष्पादित कर रही है। प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अन्य सभी प्रमुख लाभों के साथ, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को सीमित करने के लिए पीवीसी केबल्स के उपयोग का अनुकूलन करेगी।

28. आपकी कंपनी ने वर्षा जल संचयन के लिए वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश तैयार किए हैं, न कि वर्षा को बहने देने के लिए। वर्षा जल को अंतःस्रवण के साथ जलाशय में संग्रहित किया जाना है, ताकि यह नीचे रिसता रहे और भूजल को पुनर्स्थापित करे ताकि स्थायी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके जो भविष्य की जरूरतों के लिए पानी को संरक्षित करने में मदद करती है।

29. आपकी कंपनी मॉड्यूलर जल शोधक प्रकार के छोटे **सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी)** के लिए अपशिष्ट जल एकत्र करने, उपचार करने और निर्वहन करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट कर रही है, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सेवा प्रदान करती है।

30. आपकी कंपनी ने संरचना के भविष्य के प्रबंधन के बारे में निर्णय लेने के लिए मौजूदा भवन और संरचनाओं के लिए **संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी (एसएचएम)** दिशानिर्देश तैयार किए हैं, रखरखाव की आवश्यकता से संबंधित, संरचना के जीवन को लम्बा करने के लिए आवश्यक कदम, उपयोग को डाउनग्रेड करने के लिए या यदि आवश्यक हो तो संरचना के उपयोग को त्यागने के लिए विचाराधीन संरचना।

31. आपकी कंपनी ने एक अभिनव ढेर नींव डिजाइन विकसित किया है, जिसमें पारंपरिक चार के बजाय प्रत्येक पैर के नीचे तीन ढेर हैं। यह दृष्टिकोण कम ढेर को चलाने की आवश्यकता के द्वारा लाइन पूरा करने में तेजी लाएगा, जिससे निर्माण समय और समग्र लागत दोनों कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त, एक पैर के नीचे एक पोर्टल संरचना को शामिल करने वाली एक नींव प्रणाली महत्वपूर्ण उतार–चढ़ाव वाले क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। यह नवाचार बहुत लंबे समय तक चलने वाली चिमनी एक्सटेंशन की आवश्यकता को समाप्त करता है।

32. कुरुक्षेत्र में स्थापित 500 एमवीएआर टीसीआर (थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर) प्रतिक्रियाशील वीएआर अवशोषण के लिए एक स्व–विनियमन उपकरण है।

33. मल्टी–लेवल गैन्ट्री का उपयोग जीआईएस और एआईएस सबस्टेशनों में मल्टी–सीकेटी के साथ किया गया है ताकि सबस्टेशन के पास लाइन कॉरिडोर क्षेत्रों को अनुकूलित किया जा सके।

34. आरओडब्ल्यू बाधाओं वाले क्षेत्रों के लिए बेहतर यांत्रिक स्थिरता और कम पदचिह्न के लिए समृद्ध भार वहन क्षमता वाले 400 केवी ट्विन मोनो पोल अपनाए जा रहे हैं। यह दृश्य प्रभाव को भी कम करेगा और आसान स्थापना और रखरखाव की सुविधा प्रदान करेगा।

35. रणनीतिक स्थानों पर रॉक बोल्ट नींव के साथ बॉटम क्रॉस–आर्म के बिना नैरो बेस मल्टी–सकट टॉवर को अपनाया जा रहा है।

36. खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में वाइब्रो स्टोन कॉलम का उपयोग कर जमीन सुधार रणनीति अपनाई गई है ताकि चुनौतीपूर्ण उप–मृदा स्थितियों में उपकरण नींव के निर्माण की सुविधा प्रदान की जा सके।

ग. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्ययः

(₹ करोड़ में)

क. निम्न के कारण वास्तविक विदेशी मुद्रा व्ययः		
1.	पूंजी वस्तु और अतिरिक्त पूर्जा	105.00
2.	पेशागत और परामर्श शुल्क	2.12
3.	ब्याज	1927.98
4.	अन्य	21.30
कुल		**2056.40**

ख. निम्न के कारण वास्तविक विदेशी मुद्रा व्ययः		
1.	पेशागत और परामर्श शुल्क	51.60
कुल		**51.60**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः **09632316**

स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः **31 जुलाई, 2024**

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Date: 29/07/2024

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The Act preparation of consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Power Grid Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of financial statements of Power Grid Corporation of India Limited and subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure I but did not conduct supplementary audit of the financial statements of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities listed in Annexure II for the year ended on that date. Further, section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to Powerlinks Transmission Limited, Torrent Power Grid Limited, Parbati Koldam Transmission Company Limited and Butwal-Gorakhpur Cross Border Power Transmission Limited being private entities and Power Transmission Company Nepal Limited being incorporated in foreign country under the respective laws, for appointment of their Statutory Auditors and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller and Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditors nor conducted the supplementary audit of these companies. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditor's report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Ahlladini Panda)
Director General of Audit (Energy)

Place: New Delhi
Date: 29/07/2024

Annexure I

List of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities whose financial statements were audited by the Comptroller and Auditor General of India	
Subsidiaries incorporated in India:	
Sl. No.	Name of entity
1.	Powergrid Ramgarh Transmission Limited
2.	Powergrid Bikaner Transmission System Limited
3.	Powergrid Bhadla Transmission Limited
4.	Powergrid Aligarh Sikar Transmission Limited
5.	Powergrid Narela Transmission Limited
6.	Powergrid Southern Interconnector Transmission System Limited
7.	Powergrid Bhadla Sikar Transmission Limited
8.	Powergrid Himachal Transmission Limited
9.	Powergrid Ananthpuram Kurnool Transmission Limited
10.	Bidar Transmission Limited
11.	Powergrid Mednipur Jeerat Transmission Limited
12.	Powergrid Vemagiri Transmission Limited
13.	Powergrid NM Transmission Limited
14.	Central Transmission Utility of India Limited
15.	Powergrid Sikar Transmission Limited

Joint Ventures incorporated in India:	
S No.	Name of entity
1	Nil

Annexure II

List of Subsidiaries, Associate Companies and Jointly Controlled Entities whose financial statements were not audited by the Comptroller and Auditor General of India

Subsidiaries incorporated in India:

S No.	Name of entity
1.	Powergrid Unchahar Transmission Limited
2.	Powergrid Mithilanchal Transmission Limited
3.	Powergrid Varanasi Transmission System Limited
4.	Powergrid Jawaharpur Firozabad Transmission Limited
5.	Powergrid Khetri Transmission System Limited
6.	Powergrid Bhuj Transmission Limited
7.	Powergrid Bhind Guna Transmission Limited
8.	Powergrid Ajmer Phagi Transmission Limited
9.	Powergrid Fatehgarh Transmission Limited
10.	Powergrid Rampur Sambhal Transmission Limited
11.	Powergrid Meerut Simbhavali Transmission Limited
12.	Powergrid Teleservices Limited
13.	Powergrid Energy Services Limited
14.	Powergrid Gomti Yamuna Transmission Limited
15.	Powergrid Neemuch Transmission System Limited
16.	Powergrid ER NER Transmission Limited
17.	Powergrid ERWR Power Transmission Limited
18.	Powergrid Khavda RE Transmission System Limited
19.	Powergrid Khavda II- B Transmission Limited
20.	Powergrid Khavda II-C Transmission Limited
21.	Powergrid KPS2 Transmission System Limited
22.	Powergrid KPS3 Transmission Limited
23.	Powergrid Raipur Pool Dhamtari Transmission Limited
24.	Powergrid Dharamjaigarh Transmission Limited
25.	Powergrid Bhadla III Transmission Limited
26.	Powergrid Beawar Dausa Transmission Limited
27.	Powergrid Ramgarh II Transmission Limited
28.	Powergrid Bikaner Neemrana Transmission Limited

29.	Powergrid Neemrana Bareilly Transmission Limited
30.	Powergrid Vataman Transmission Limited
31.	Powergrid Koppal Gadag Transmission Limited
32.	Sikar Khetri Transmission Limited

Joint Ventures incorporated in India:	
S No.	Name of entity
1.	North East Transmission Company Limited
2.	National High Power Test Laboratory Private Limited
3.	Bihar Grid Company Limited
4.	Energy Efficiency Services Limited
5.	Cross Border Power Transmission Company Limited
6.	RINL Powergrid TLT Private Limited
7.	Sikkim Power Transmission Limited

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–V

प्रपत्र संख्या एमआर-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कपंनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी

(प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्यगण,

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएन L40101DL1989GOI038121

बी–9 कुतुब इंस्टीट्युशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016

हमने **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (जिसे इसके बाद ''कंपनी'' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय **बी–9, कुतुब इंस्टीट्युशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016** में है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/ वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

कंपनी के बही–खातों, कागजात, कार्यवाही पुस्तिका, फॉर्म और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे द्वारा सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च, 2014** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है। इनका पालन यहां दी गई सूचना में बताए गए तरीके से किया गया है:

हमने **31 मार्च, 2024** को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए बही–खातों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, कंपनी द्वारा भरे गए प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न तथा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच, निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्दिष्ट हैं:–

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और नियंत्रण प्राप्ति) विनियम, 2011;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण की शर्तों का निर्गम) विनियम, 2018;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**;

ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार)** विनियम, 1993;

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**; और

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(अवसंरचना निवेश ट्रस्ट)** विनियम, 2014

(vi) अन्य कानून, जैसा कि प्रबंधन द्वारा चिह्नित ओर पुष्टि किया गया है, निम्नलिखित कानून विशेष रूप से क्षेत्र/ उद्योग के आधार पर लागू होता है:

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की इस ऑडिट में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण की शर्तें) विनियम, 2015।

iii केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अपने ओएम नंबर 18(8)/2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी किए।

iv केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश, जैसा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओएमएफ संख्या 5/2/2016–नीति दिनांक 27 मई, 2016 में निर्दिष्ट है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जिसके संबंध में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

i कंपनी का आधा निदेशक मंडल स्वतंत्र नहीं है, जो कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत आवश्यक है।

ii कंपनी के बोर्ड में विनियमन के तहत आवश्यक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं है, जो कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के 17(1)(ए) के अंतर्गत आवश्यक है और कम से कम एक महिला निदेशक नहीं है, जो कि कंपनी अधिनियम, (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के अंतर्गत आवश्यक है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि:

1. ऊपर उल्लिखित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) के अंतर्गत टिप्पणियों को छोड़कर, और इस संबंध में कंपनी को बीएसई और एनएसई से नोटिस मिला है, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो बदलाव हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों का पालन करके किए गए।

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सरकारी कंपनियों को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में धारा 178(2) और अनुसूची 4 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन विद्युत मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

3. बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट आम तौर पर इस संबंध में वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद होती है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड/समिति के निर्णयों को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

हम यह भी सूचित करते हैं कि हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय है कि, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी सूचित करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का पालन करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई की है जिसका कंपनी के कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा है।

i कंपनी ने निम्नलिखित अंतरिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है:

क) 7 नवम्बर, 2023 को 10 रूपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4.00 रूपए प्रति इक्विटी शेयर अर्थात् चुकता पूंजी का 40 प्रतिशत प्रथम अंतरिम लाभांश।

ख) 7 फरवरी, 2024 को 10 रूपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 4.50 रूपए प्रति इक्विटी शेयर अर्थात् चुकता पूंजी का 45 प्रतिशत दूसरा अंतरिम लाभांश।

ii 22 मई, 2024 को हुई बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 2.75 रूपए प्रति शेयर अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है (अर्थात् चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी पर 27.5 प्रतिशत की दर पर) जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

iii. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने टीबीसीबी मार्ग के अंतर्गत 10 कंपनियों का अधिग्रहण किया है।

iv. कंपनी ने 6900 करोड़ रूपए का बांड जारी किया है जिसका ब्योरा निम्नवत् हैः

क्र. सं.	बांड का प्रकार	राशि (करोड़ रूपए में)
1.	7.50% पावरग्रिड बांड–LXXIII इश्यू 2023–24 (बांड 73वां इश्यू) असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, करयोग्य, डिबेंचर के रूप में शोध्य बांड।	1250 करोड़
2.	7.70% पावरग्रिड बांड– LXXIV इश्यू 2023–24 (बांड 74वां इश्यू) असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, करयोग्य, डिबेंचर के रूप में शोध्य बांड।	2250 करोड़
3.	7.65% पावरग्रिड बांड– LXXV इश्यू 2023–24 (बांड 75वां इश्यू) असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, करयोग्य, डिबेंचर के रूप में शोध्य बांड।	2200 करोड़
4	7.35% पावरग्रिड बांड– LXXVI इश्यू 2023–24 (बांड 76वां इश्यू) सूचीबद्ध, असुरक्षित, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, करयोग्य, डिबेंचर के रूप में शोध्य बांड।	1200 करोड़

कृते कुमार नरेश सिन्हा एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा (स्वामी)
एफसीएसः 1807; सीपी सं.: 14984
पीआरः 610/2019
एफआरएनः S2015UP440500
यूडीआईएनः F001807F000609986

स्थानः नोएडा
दिनांकः 24 जून, 2024

*टिप्पणीः इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो "**अनुलग्नक–क**" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।*

अनुलग्नक क

सेवा में,

सदस्यगण

पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः L40101DL1989GOI038121

बी–9 कुतुब इंस्टीच्युशनल एरिय, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

लेखपरीक्षक की जिम्मेदारी

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन और रिकॉर्ड के रखरखाव पर विचार व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान (''आईसीएसआई'') द्वारा प्रावधान किए गए लेखापरीक्षा मानक सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 (''सीएसएएस'') के अनुसार की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि लेखापरीक्षक संविधिक और विनियामकीय आवश्यकताओं को पूरा करे और लागू कानूनों के अनुपालन तथा रिकॉर्डों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करे।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत विवरण या महत्वपूर्ण अअनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा न केवल सही और योजनाबद्ध तरीके से तथा सीएसएएस के अनुसार किया गया हो। उसी सम संख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है।

1. सचिविक रिकॉर्ड की रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिविक रिकॉर्डों पर एक विचार व्यक्त करें।

2. हमने सचिविक रिकॉर्डों के सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत अश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सहमति देने के लिए सही तथ्य सचिविक रिकॉर्डों में प्रतिबिम्बित हों, इसका सत्यापन यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि हमने जिन प्रक्रियाओं और अभ्यासों का पालन किया है, वह हमारे अनुसार एक तार्किक आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की सहीपन और उपयुक्तता की सत्यापन नहीं किया है, और इसके लिए हमने सांविधिक लोखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विश्वास किया है।

4. जहां आवश्यक था, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानून, नियमों. विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जॉच यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी के मामलों का संचालन को लेकर न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन देती है और न ही उसकी प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का।

कृते कुमार नरेश सिन्हा एवं एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह/–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा (स्वामी)

एफसीएसः 1807; सीपी सं.: 14984

पीआरः 610/2019

एफआरएनः S2015UP440500

यूडीआईएनः F001807F000609986

स्थानः नोएडा

दिनांकः 24 जून, 2024

निदेशक रिपोर्ट का संलग्नक – VI

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट

1. कंपनी का प्रशासन दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उद्देश्य कंपनी के विभिन्न शेयरधारकों के सर्वोत्तम हितों में कॉर्पोरेट निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आपकी कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड या कंपनी) यह मानती है कि सरकारी नीतियों के प्रति सक्रिय बन कर अच्छे गवर्नेंस में प्रबंधन, सशक्तिकरण और जवाबदेही शामिल है। कंपनी की प्रशासन प्रक्रिया उसके दृष्टिकोण और मिशन को प्राप्त करने पर केंद्रित है।

विजन

विश्व स्तरीय, एकीकृत और एक वैश्विक ट्रांसमिशन कंपनी के रूप में उभरते पावर मार्केट में प्रभावी नेतृत्व के साथ विश्वसनीयता, सुरक्षा और आर्थिकता की गारंटी देना।.

मिशन



विश्व स्तरीयः उद्योग और हमारे लिए पंजी परियोजना प्रंधन और परिचालन में उत्कृष्ट मानकों को स्थापित करना ।



वैष्विक : योग्यताओं का उपयोग करके भारत तथा उभरती व विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में सभी हितधारकों के लिए नियमित रूप से अधिकतम मूल्य उत्पन्न करने की क्षमताओं का लाभ उठाना।



पेशेवरों की अगली पीढ़ी को प्रेश्रित करना, पोषित करन और सशक्त बनाना ।



नवाचार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से निरंतर सुधार प्राप्त करना



स्वास्थ्य, संरक्षा, सुरक्षा और पर्यावरण में उच्चतम मानकों के प्रति प्रतिबद्ध होना।

पावरग्रिड का कॉर्पोरेट प्रशासन निम्नलिखित द्वारा संचालित है:

i जॉब प्रोफाइल/कार्यों को देखते हुए सबसे उपयुक्त स्तरों पर लोगों को सशक्त करके भारत सरकार और प्रत्येक वर्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित लघुकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करना।

ii संघर्षों और उभरते हुए अवसरों का सामना करना और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संरचना का निर्धारण कंपनी में विभिन्न प्रतिभागियों के बीच कर्तव्यों, अधिकारों, जिम्मेदारियों और शक्तियों का वितरण निर्दिष्ट करता है। निवेश, विविधीकरण, खरीदी के महत्वपूर्ण निर्णय, वाणिज्यिक और वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बोर्ड की मंजूरी के बाद लागू किए जाते हैं।

निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, सरकार नामित निदेशक, और गैर–आधिकारिक पार्ट–टाइम निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं।

निदेशक मंडल ने कई समितियों का गठन किया है; इनमें से कुछ कानून द्वारा अनिवार्य हैं और अन्य कंपनी के प्रभावी कार्यक्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गये हैं।

सांविधिक समितियां	गैर–सांविधिक समितियां
लेखापरीक्षा समिति	परियोजनाओं पर निवेश संबंधी समिति
हितधारक संबंध समिति	संविदा देने संबंधी समिति
	बांड संबंधी समिति
नामांकन और पारिश्रमिक समिति	शेयरों के हस्तांतरण/विभाजन/पुनर्कार्यान्वयन आदि संबंधी समिति
	नए कारोबार हेतु निदेशकों की समिति
जोखिम प्रबंधन समिति	अवसंरचना निवेश ट्रस्ट (आईएनबीआईटी) के माध्यम से परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण संबंधी समिति
	टीबीसीबी परियोजनाओं संबंधी समिति
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति	विनिमय जोखिम प्रबंधन समिति
	खरीद और राष्ट्रीय मिशन संबंधी भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन से जुड़ी निदेशकों की समिति।

प्रमुख व्यक्तियों को शामिल कर पर्यावरण व सामाजिक नीति और प्रक्रिया, अनुसंधान और विकास, और टेलीकॉम व्यापार के लिए सलाहकार मंडलियों का गठन किया गया है, ताकि इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर कंपनी को परामर्श मिल सके।

संगठन के भीतर अधिकार और शक्तियों का वितरण 'शक्तियों के प्रत्यायोजन' मैट्रिक्स के अनुसार तय किया गया है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। आपकी कंपनी ने 'कार्य और खरीद नीति और पुरस्कार–पूर्व और पुरस्कार–पश्चात चरणों ˙ लिए प्रक्रिया' लागू की है, ताकि नीतियों और प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और प्रशासन में सुविधाजनक बनाया जा सके, और त्वरित और विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के साथ जिम्मेदारी पर मुख्य बल हो।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करने के अतिरिक्त, कंपनी को भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों का भी पालन करने की आवश्यकता है।

इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिस्क्लोजर आवश्यकताओं के संबंध में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आपकी कंपनी की अनुपालन स्थिति का विवरण दिया गया है।

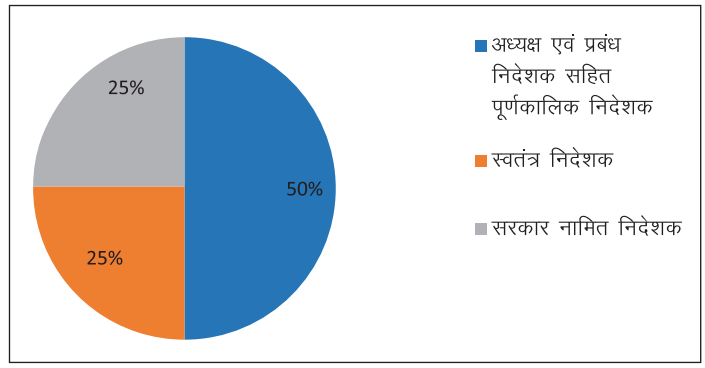
2. निदेशक मंडल

2.1. बोर्ड का आकार और संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (उक्त अधिनियम) की धारा 2(45) के अंतर्गत पावरग्रिड एक सरकारी कंपनी है और वर्तमान में इसके पास कुल चुकता पूंजी का 51.34 प्रतिशत धारित है। निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। सभी निदेशकों की योग्यता, अनुभव, विशेषज्ञता आदि इस वार्षिक प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या 59 से 61 पर निदेशक के प्रोफाइल में दिया गया है।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के बोर्ड में आठ निदेशक शामिल थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित चार पूर्णकालिक निदेशक, दो सरकार नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक शामिल थे।

निदेशक मंडल की संरचना अर्थात् बोर्ड में कम से कम 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक का होना सेबी (एलओडीआर) के अनुरूप नहीं है। चूंकि बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है, इसलिए, कंपनी समय–समय पर प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् विद्युत मंत्रालय को बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने का अनुरोध करता रहा है ताकि सेबी (एलओडीआर) और लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।



निदेशकों के बीच संबंध

सभी स्वतंत्र निदेशक 2013 के इस अधिनियम की धारा 149(6) और सेबी (एलओडीआर) के विनियम 16 के उप विनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार 'स्वतंत्र निदेशक' के पद को धारण करने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और कंपनी के किसी भी निदेशक का एक–दूसरे से संबंध नहीं होता है और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

2.2. निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की अवधि पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्ति होने पर, इन निदेशकों को अतिरिक्त निदेशक के रूप में ले लिया जाता है और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा नियुक्ति को मान्यता दी जाती है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार नामित निदेशकों को अधिनियम की धारा 161(3) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा सरकार नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को आमतौर पर भारत सरकार द्वारा तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

31 मार्च, 2024 तक निदेशकों का विवरण इस प्रकार था:

निदेशकों का विवरण		नाम	बोर्ड में शामिल होने की तिथि
श्रेणी	पदनाम		
1. पूर्णकालिक निदेशक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी'	01.01.2024
	निदेशक (कार्मिक)	डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी	31.08.2023
	निदेशक (परियोजना)	श्री अभय चौधरी (30.06.2024 तक)	01.11.2020
	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	श्री रविशंकर गणेशन	21.09.2022
2. सरकार द्वारा नामित अंशकालिक निदेशक	सरकार द्वारा नामित निदेशक	श्री दिलीप निगम (17.04.2024 तक)	06.06.2022
		डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला	18.05.2023
3. गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	श्री चेतन बंसीलाल कंकरिया	17.11.2021
		श्री राम नरेश तिवारी	18.11.2021

*** श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 12.08.2022 से 31.12.2023 तक निदेशक (परिचालन) के पद पर रहे।**

2.3. बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सोलह बोर्ड बैठकें विभिन्न तिथियों पर आयोजित की गईं – 19 मई, 2023, 8 जून, 2023, 16 जून, 2023, 14 जुलाई, 2023, 31 जुलाई, 2023, 30 अगस्त, 2023, 10 अक्टूबर, 2023, 20 अक्टूबर, 2023, 7 नवंबर, 2023, 22 नवंबर, 2023, 16 दिसंबर, 2023, 19 जनवरी, 2024, 7 फरवरी, 2024, 18 फरवरी, 2024, 5 मार्च, 2024 और 19 मार्च, 2024। बैठकें आम तौर पर अग्रिम रूप से निर्धारित की गयीं तथा सूचना, बोर्ड की विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बोर्ड टिप्पण निदेशकों को परिचालित किए गए। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी आवश्यक जानकारी तक पूरी पहुंच थी। बोर्ड द्वारा चर्चा की गई मदों के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने हेतु आवश्यक होने पर वरिष्ठ प्रबंधन को भी बोर्ड की बैठकों में आमंत्रित किया गया। आवश्यकता होने पर, प्रस्ताव परिसंचरण द्वारा पारित किए गए।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, किन्हीं भी दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 40 दिन रहा। निदेशकों द्वारा भाग ली गई बोर्ड बैठकों की संख्या, पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य निदेशक पद पर/समिति की सदस्यता की संख्या ख्यथा वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उनके द्वारा आयोजित सेबी एलओडीआर के वनियमन 26 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति, का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

निदेशक का नाम	बोर्ड संबंधी बैठकों की संख्या		पिछले एजीएम में उपस्थिति (30.08.2023 को आयोजित)	अन्य कंपनियों में 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार निदेशक पद की संख्या	सेबी (एलओडीआर) के विनियम के अनुसार 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार समिति की सदस्यता या अध्यक्षता वाली कंपनियों की संख्या		दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में धारित निदेशक पद और निदेशक पद की श्रेणी	
	उपस्थित के लिए हकदार	उपस्थित			अध्यक्षता	सदस्यता	कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
पूर्णकालिक निदेशक								
श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.01.2024 से) और निदेशक (परिचालन) (31.12.2023 तक)	16	16	हां	03	शून्य	शून्य शून्य	शून्य	शून्य शून्य
डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी, निदेशक (कार्मिक) (31.08.2023 से)	11	11	एन/ए	06	शून्य	01	शून्य	शून्य
श्री अभय चौधरी, निदेशक (परियोजना)	16	16	हां	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्री रविशंकर गणेशन, निदेशक (वित्त) और सीएफओ	16	16	हां	08	01	02	शून्य	शून्य
श्री के. श्रीकांत, सीएमडी (31.12.2023 तक)	11	11	हां	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए
डॉ. विनोद कुमार सिंह, निदेशक (कार्मिक) (31.05.2023 तक)	01	01	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए
गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित)								
श्री दिलीप निगम, सलाहकार, एमएनआरई –सरकार नामित निदेशक	16	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. साईबाब दरबामुल्ला, संयुक्त सचिव – सरकार नामित निदेशक	16	15	हां	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य
श्री मोहम्मद अफजल, संयुक्त सचिव, सरकार नामित निदेशक (17.05.2023 तक)	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए
स्वतंत्र निदेशक								
श्री ओंकाराप्पा के. एन. (13.12.2023 तक)	10	10	हां	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए	एन/ए
श्री चेतन बंसीलाल कंकरिया	16	16	हां	शून्य	02	02	NIL	NIL
श्री राम नरेश तिवारी	16	16	हां	01	02	04	NIL	NIL

टिप्पणी:

एन/ए बताता है कि संबंधित व्यक्ति उस तिथि को निदेशक नहीं था।

*इसमें पावरग्रिड में समिति स्थिति शामिल है।

2.4. 31 मार्च, 2024 के अनुसर निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/दक्षताएं

निदेशक का नाम	कौशल/ विशेषज्ञता/दक्षताएं						
	उर्जा क्षेत्र विशेषज्ञता	तकनीकी/ अभियांत्रिकी	वित्तीय प्रबंधन	नेतृत्व	मानव संसाधन प्रबंधन	जोखिम और रणनीतिक प्रबंधन	पर्यावरण अनुसंधान और विकास
श्री रवीन्द्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री रवीन्द्र अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	✓		✓	✓	✓	✓
डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी, निदेशक (कार्मिक)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
श्री रविशंकर गणेशन, निदेशक (वित्त)– सीएफओ	✓		✓	✓		✓	
श्री दिलीप निगम, सरकार नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला सरकार नामित निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री चेतन बंसीलाल कंकरिया, स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राम नरेश तिवारी, स्वतंत्र निदेशक	✓			✓	✓	✓	✓

2.5. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

23.03.2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन किया जो बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढ़ंग से और उचित रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक है।

2.6. निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सम्मिलित होती हैं:

बोर्ड के पास कंपनी की सभी जानकारी की पूरी पहुंच होती है। बोर्ड को नियमित रूप से प्रदान की जाने वाली जानकारी में सम्मिलित है:

i. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट एवं अद्यतन, यदि कोई हो।
ii. वार्षिक खाते, निवेशकों की रिपोर्ट आदि।
ii. कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणाम।
iv. सहायक कंपनियों के कार्यवृत सहित लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
v. प्रमुख निवेश, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का गठनख् रणनीतिक गठबंधन आदि।
vi. बडे ठेकों का आबंटन।
vii. सभी संबंधित पार्टी लेनदेन।
viii. निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों में उनके निदेशक पद और समिति पदों के बारे में हित का खुलासा।
ix. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा।
x. कंपनी की वाणिज्यिक स्थिति संबंधी मासिक रिपोर्ट।
xi. विभिन्न सहायक कंपनियों की व्यावसायिक गतिविधियों संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
xii. विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट।
xiii. कार्पोरेट शासन के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट शेयर पूंजी लेखा परीक्षा और निवेशकों की शिकायतों का समाधान।
xiv. विभिन्न चालू परियोजनाओं/योजनाओं और बजट उपयोग की स्थिति संबंधी रिपोर्ट।

xv. ओ एंड एम समीक्षा संबंधी रिपोर्ट।

xvi. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण कार्य जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर आदि।

xvii. किसी भी नियामक, वैधानिक या लिस्टिंग आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

xviii. अधिशेष निधि का अल्पकालिक निवेश।

xix. भौतिक रूप से महत्वपूर्ण अन्य जानकारी।

2.7. बैठक पश्चात अनुवर्ती प्रणाली

कंपनी की अभिशासन प्रक्रिया में बोर्ड और बोर्ड समिति (समितियों) के निर्णयों पर की गई कार्रवाई के लिए बैठक के बाद प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई समीक्षा और रिर्पोटिंग प्रक्रिया सम्मिलित है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल ने निम्नलिखित सांविधिक समितियों का गठन किया है:

i. लेखा परीक्षा समिति

ii. हितधारक संबंध समिति

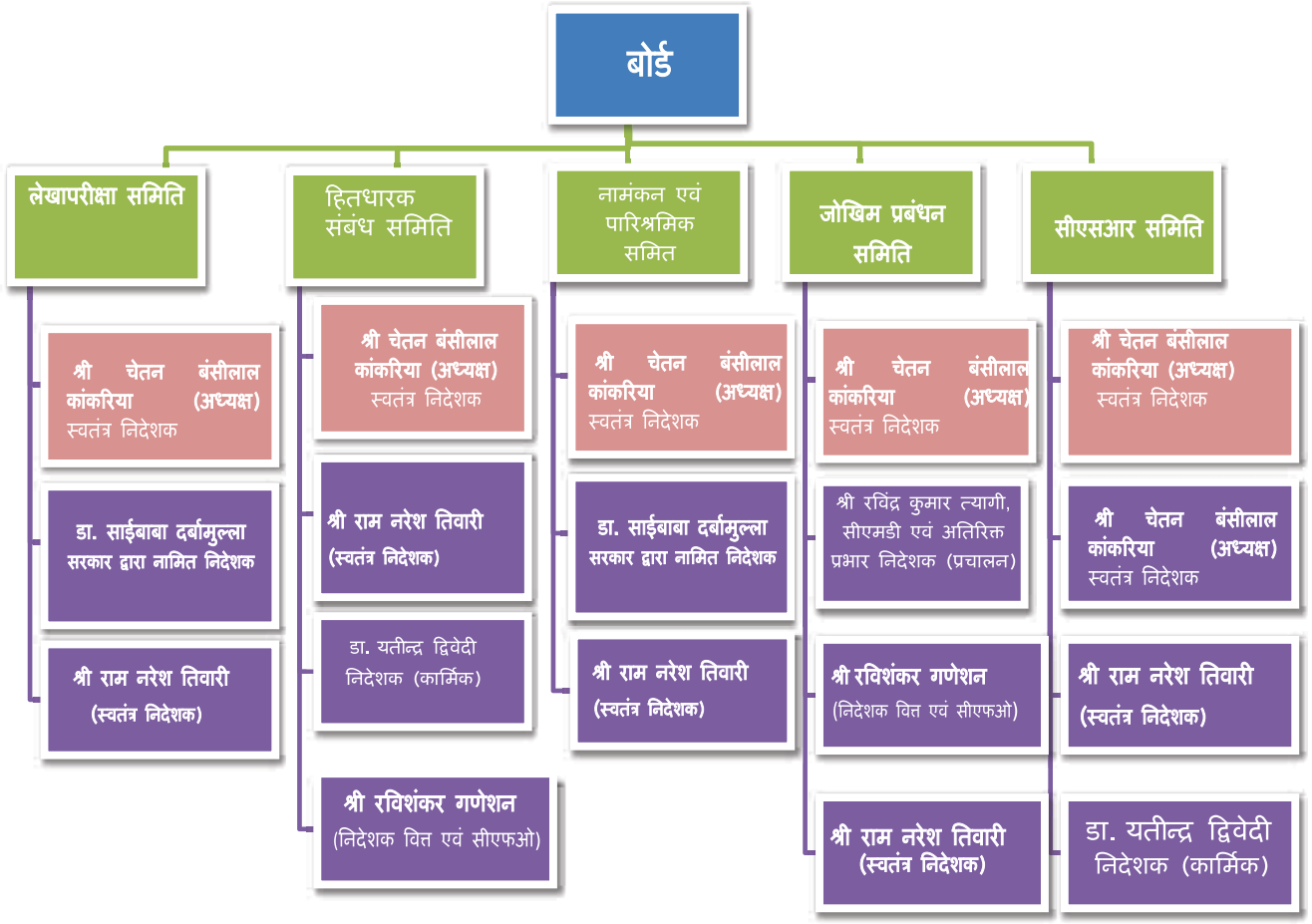
iii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

iv. जोखिम प्रबंधन समिति

v. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

निदेशक मंडल की समिति

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार



3.1. लेखापरीक्षा समिति

बैठक, उपस्थिति, गठन और संरचना

कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 18 के उपबंधों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की ग्यारह बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठक में उपस्थितिः

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लेने के लिए पात्र हैं	बैढकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	अध्यक्ष	11	11
डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला (16.12.2023 से)	सदस्य	4	4
श्री राम नरेश तिवारी	सदस्य	11	11
श्री ओंकारप्पा के.एन. (13.12.2023 तक)	सदस्य	7	7

कंपनी सचिव समिति के सचिव हैं।

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

लेखापरीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैः

i. अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली गतिविधियों की जांच करना
ii. किसी भी कर्मचारी से और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।
iii. बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर से सलाह लेना।
iv. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
v. व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा करना।
vi. बोर्ड द्वारा भेजे गए अन्य मामलों पर विचार करना।

विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र संक्षिप्त में इस प्रकार है–

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है, हमारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसकी वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण की निगरानी।
ii. कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले ऑडिट शुल्क के निर्धारण और वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सेवा के संबंध में भुगतान के अनुमोदन के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।
iii. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले, निम्नलिखित के विशेष संदर्भ में, प्रबंधन के साथ स्टैंडअलोन और समेकित वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करनाः
   क. वे मामले, जिन्हें अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा 3 के खंड (ग़) के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में संलग्न किए जाने वाले निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में सम्मिलित करना आवश्यक है।
   ख. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण।
   ग़. ऐसी प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ जिनमें प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमान लगाए गए हों।
   घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।
   ड. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी शर्तों का अनुपालन।
   च. किसी भी संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन
   छ. ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट में योग्यताएं/संशोधित विचार।
iv. अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले, उन सभी संस्थाओं/कंपनियोंए जिनके लेखाओं को समेकित किया जाना हैए के तिमाही स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और समेकित तिमाही वित्तीय विवरणों के साथ–साथ कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों

द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा/जांच करना ।

v. प्रबंधन के साथ, किसी इश्यू (सार्वजनिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि) के माध्यम से जुटाए गए फंड के उपयोग/आवेदन का विवरण, ऑफर दस्तावेज में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए फंड के विवरण की समीक्षा करना। प्रॉस्पेक्टस/नोटिस और निगरानी एजेंसी द्वारा सार्वजनिक या राइट्स इश्यू और संबंधित मामलों की आय के अंतिम उपयोग/उपयोग की निगरानी करने वाली रिपोर्ट और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

vi. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।

vii. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचनाए स्टाफिंग और विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठताए रिपोर्टिंग संरचनाए कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

viii. आंतरिक लेखापरीक्षकों और/या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा करना और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

ix. ऐसे मामलों में जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है, आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और मामले को बोर्ड को रिपोर्ट करना।

x. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के संबंध में चर्चा करना एवं चिंता के किसी क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण के बाद चर्चा।

xi. जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करना।

xii. कंपनी के सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा/देखरेख करना।

xiii. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

xiv. संसद की सरकरी उपक्रमों संबंधी समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

xv. स्वतंत्र लेखापरीक्षकए आंतरिक लेखापरीक्षक और बोर्ड के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

xvi. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।

xvii. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा करना। (इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा समिति एक सदस्य को नामित कर सकती है जो संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा)। "संबंधित पक्ष लेनदेन" शब्द का वही अर्थ होगा जो सेबी एलओडीआर के विनियम 2(1)(ज़ेडसी) में दिया गया है।

xviii. कवरेज की पूर्णताए अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी ऑडिट संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।

xix. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना

क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तताय और

ख) स्वतंत्र लेखापरीक्षक और आंतरिक लेखापरीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशेंए प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ।

xx. प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करनाः

क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा सिफारिशों की स्थिति भी सम्मिलित है, और

ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे या आवश्यक जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध सम्मिलित है।

xxi. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

xxii. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

xxiii. जब भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।

xxiv. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

xxv. वित्त वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियमए 2018 के उपबंधों के अनुपालन की समीक्षा करना और यह सत्यापित करना कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहीं हैं।

xxvi. वर्तमान तारीख तक पहले से मौजूद ऋणों/अग्रिमों/निवेशों समेत कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या अनुषंगी कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, के ऋण और/या अग्रिम/निवेश की उपयोगिता की समीक्षा करना।

xxvii. समय–समय पर संशोधित अधिनियम, सेबी एलओडीआर और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति के कार्यक्षेत्रों में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को करना।

लेखापरीक्षा स्मिति द्वरा सूचना की समीक्षाः

लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है:

i. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण।

ii. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण।

iii. वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से संबंधित पत्र।

iv. आंतरिक नियंत्रण की विफलताओं से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

v. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें।

vi. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

vii. विचलन का विवरणः

क) विनियम 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन का त्रैमासिक विवरणए यदि लागू हो।

ख) विनियमन 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

3.2. हितधारक संबंध समिति

अधिनियम की धारा 178(5) और सेबी एलओडीआर के विनियमन 20 के प्रावधानों के अनुरूप हितधारक संबंध समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान हितधारक संबंध समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठक में उपस्थितिः

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	उन बैठकों की संख्या जिनके लिए पात्र हैं	उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया लिए पात्र हैं
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	अध्यक्ष	2	2
श्री राम नरेश तिवारी	सदस्य	2	2
श्री रविशंकर गणेशन	सदस्य	2	1
डॉ, यतिन्द्र द्विवेदी (31.08.2023 से)	सदस्य	1	1
शारी ओंकारप्प के.एन. (13.12.2023 तक)	अध्यक्ष	1	1
डॉ. विनोद कुमार सिंह (31.05.2023 तक)	सदस्य	1	1

विचारार्थ विषय

समिति का कार्यक्षेत्र प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना है जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, घोषित लाभांश न मिलना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

सेबी एलओडीआर के अनुसार, बोर्ड ने कंपनी सचिव श्री मृणाल श्रीवास्तव को 30.04.2024 तक अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है और बोर्ड ने कंपनी सचिव श्री सत्यप्रकाश दास को 01.05.2024 से अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है ।

निवेशकों की शिकायतें

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों पर तेजी से ध्यान दिया है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	विवरण	योग			
		आरंभिक शेष	प्राप्त	सुनी गईं	लंबित
क.	**सांविधिक निकायों से प्राप्त शिकायतें**				
	सेबी	-	10	10	-
	स्टॉक एक्सचेंज	-	1	1	-
	उपभोक्ता मंच/न्यायालय वाद	-	-	-	-
	अधिवक्ता नोटिस	-	-	-	-

क्र.सं.	विवरण	योग			
		आरंभिक शेष	प्राप्त	सुनी गईं	लंबित
ख.	**लाभांश**				
	लाभांश वारंट का प्राप्त न होना	-	4,281	4,281	-
ग.	शेयर प्रमाण–पत्र				
	शेयर प्रमाण–पत्रों का प्राप्त न होना	-	287	287	-
घ.	रिफंड आदेश				
	रिफंड आदेशों का प्राप्त न होना	-	-	-	-
योग		**-**	**4,579**	**4,579**	**-**

स्कोर्स एक केंद्रीकृत वेब–आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है जिसके माध्यम से निवेशक अपनी शिकायत के लिए कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सेबी ने 31 जुलाई 2023 के परिपत्र के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (''ओडीआर पोर्टल'') की स्थापना की है। निवेशक अपनी शिकायत के समाधान के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों की पूर्ति करने के बाद ओडीआर पोर्टल (**https://smartodr.in/login**) के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।

शेयर एस्क्रो खाते में पडे शेयर

सेबी एलओडीआर की अनुसूची V(च) के अनुसारए शेयर एस्क्रो खाते में पड़े शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

शेयर एस्क्रो खाते में शेयर										
विवरण	आईपीओ		एफपीओ (2010)		एफपीओ (2013)		बोनस इश्यू (2021)		बोनस इश्यू (2023)	
	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों संख्या
01.04.2023 को	5	1379	0	0	0	0	0	0	5	458
वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2024 को	5	1379	0	0	0	0	0	0	5	458

एस्क्रो खाते में पड़े शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक प्रयुक्त नहीं किए जा सकेंगे जब तक ऐसे शेयरों का असली मालिक शेयरों पर दावा नहीं करता। ये शेयर रजिस्ट्रार यानी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास एक पूल खाते में डीमैट फॉर्म में पड़े हुए हैं और उन पर अर्जित लाभों को उचित रूप से हिसाब में लिया जा रहा है।

3.3. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी ने अधिनियम की धारा 178 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 19 के उपबंधों के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में उपस्थिति:

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	उन बैठकों की संख्या जिनके लिए पात्र हैं	उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	अध्यक्ष	2	2
श्री राम नरेश तिवारी	सदस्य	2	2
डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला (18.05.2023 से)	सदस्य	2	2
श्री मोहम्मद अफजल (17.05.2023 तक)	सदस्य	0	0

विचारार्थ विषय

नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड को कर्मचारियों के प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और अन्य परिवर्तनीय वेतन से संबंधित एक नीति/योजनाय समय–समय पर होने वाले किसी भी संशोधन सहित सेबी (एलओडीआर) की अनुसूची II के भाग घ के पैरा (क) के

साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम)/विनियमन 19 में निर्दिष्ट बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपी जाने वाली अन्य भूमिकाएं/जिम्मेदारियों की सिफारिश करती है।

निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने बोर्डए इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में अधिनियम की धारा 178 (2) और अनुसूची IV के पैरा VIII के प्रावधानों का अनुपालन करने से सरकारी कंपनियों को छूट दी है। आपकी कंपनी के कार्यात्मक निदेशकोंए सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन ऊर्जा मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा प्रभावी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

3.4. जोखिम प्रबंधन समिति

पावरग्रिड ने सेबी एलओडीआर के विनियम 21 के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की उपस्थितिः

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	उन बैठकों की संख्या जिनके लिए पात्र हैं	उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री अभय चौधरी	अध्यक्ष	3	3
श्री रवीन्द्र कुमार तिवारी* (31.12.2023 तक)	सदस्य	3	2
श्री रविशंकर गणेशन	सदस्य	3	3
श्री राम नरेश तिवारी (16.12.2023 से)	सदस्य	0	0
श्री ओंकार्प्पा के.एन. (13.12.2023 तक)	सदस्य	3	3

*निदेशक (प्रचालन) की हैसियत में

विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति का कार्यक्षेत्र संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से है–

i. कंपनी की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षाय
ii. प्रमुख जोखिमों और उनके शमन पर बोर्ड को अपडेट प्रदान करनाय और
iii. समय–समय पर बोर्ड द्वारा सौंपी जाने वाली अन्य भूमिका/उत्तरदायित्व।

आपकी कंपनी ने एक ''एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क'' (ईआरएम फ्रेमवर्क) लागू किया है। इसका विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

3.5. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

पावरग्रिड ने अधिनियम की धारा 135 की आवश्यकताओं और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक सीएसआर समिति का गठन किया है।

वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान सीएसआर समिति की आठ बैठकें आयोजित की गईं।

वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति की उपस्थितिः

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	उन बैठकों की संख्या जिनके लिए पात्र हैं	उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी* (01.01.2024 से)	अध्यक्ष	4	4
डॉ. यतिन्द्र द्विवेदी (w.e.f. 31.08.2023 से)	सदस्य	6	6
श्री राम नरेश तिवारी	सदस्य	11	11
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	सदस्य	11	11
श्री के. श्रीकांत (31.12.2023 तक)	अध्यक्ष	7	7

समिति सदस्य का नाम	समिति में पद	उन बैठकों की संख्या जिनके लिए पात्र हैं	उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री ओंकार्प्पा के.एन. (13.12.2023 तक)	सदस्य	6	6
डॉ. विनोद कुमार सिंह (31.05.2023 तक)	सदस्य	1	1

विचारार्थ विषय

सीएसआर समिति का कार्यक्षेत्र संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार है:–

i. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (ऐसी गतिविधियां जिन्हें कंपनियों द्वारा उनकी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीतियों में शामिल किया जा सकता है) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाते हुए एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) निर्मित करना और बोर्ड को इसकी संस्तुति करना,

ii. उपर्युक्त क्रम संख्या (i) में उल्लिखित गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की संस्तुति करना, और

iii. समय–समय पर सीएसआर नीति की निगरानी करना और कंपनी द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना।

4. निदेशकों को पारिश्रमिक

एक सरकारी कंपनी होने के कारणए निदेशकों की नियुक्तिए कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान उनकी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केवल बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ही शुल्क का भुगतान किया जाता है {कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन निर्दिष्ट अधिकतम सीमा के भीतर और बोर्ड की बैठकों तथा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित दर कै अनुसार}।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक	पदनाम	वेतन (₹ में)	लाभ (₹ में)	बोनस/ कमीशन (₹ में)	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (₹ में)	कुल (₹ में)
1.	श्री रविंद्र कुमार त्यागी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	58,03,023	6,17,715	-	27,56,141	91,76,879
2.	श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)	50,56,741	5,07,648	-	28,47,490	84,11,879
3.	श्री रविशंकर गणेशन	निदेशक (वित्त एवं सीएफओ)	48,14,176	6,72,349	-	26,37,575	81,24,100
4.	डॉ. यतिंद्र द्विवेदी (31.08.2023 से)	निदेशक (कार्मिक)	29,75,761	7,55,495	-	16,12,518	53,43,774
5.	श्री के. श्रीकान्त (31.12.2023 तक)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	68,32,099	6,92,424	-	22,39,735	97,64,258
6.	डॉ. विनोद कुमार सिंह (31.05.2023 तक)	निदेशक (कार्मिक)	31,10,054	2,13,692	-	4,76,326	38,00,072

कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क नहीं लेते हैं।

टिप्पणियां:

1. पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी के कर्मचारियों के रूप में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यनिष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

2. भारत सरकार द्वारा जारी की गई पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तों में सेवा विच्छेद के लिए तीन महीने की नोटिस अवधि या उसके बदले वेतन का प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2022.23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है:

स्वतंत्र निदेशक	बैठने को शुल्क		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक (₹)	समिति की बैठक (₹)	
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	6,80,000/-	13,80,000/-	20,60,000/-
श्री राम नरेश तिवारी	6,80,000/-	9,30,000/-	16,10,000/-

स्वतंत्र निदेशक	बैठने को शुल्क		कुल (₹)
	बोर्ड बैठक (₹)	समिति की बैठक (₹)	
श्री ओंकारप्पा के.एन. (13.12.2023 तक)	4,40,000/-	7,50,000/-	11,90,000/-

निदेशकों की शेयरधारिता

31 मार्च, 2024 तक निदेशकों द्वारा धारित कंपनी के शेयरों का विवरण निम्न प्रकार से है:

निदेशक का नाम	पदनाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	77
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजना)	1425
श्री रविशंकर गणेशन	निदेशक (वित्त)	1034
डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी	निदेशक (कार्मिक)	2044
श्री दिलीप निगम	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
डॉ. साईबाबा दरबामुल्ला	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	स्वतंत्र निदेशक	शून्य
श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

5. अनुषंगियों की निगरानी

कंपनी के पास लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्रक के सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर जारी दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित सेबी एलओडीआर या सहायक कंपनियों के रूप में मूर्त रूप से कोई गैर–सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। हालांकिए सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त (मिनट्स) और अनुषंगियों की स्थिति को आवधिक रूप से कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1) (ग) और 46 के आधार पर कंपनी ने 'मूर्त' अनुषंगियों के निर्धारण हेतु एक नीति तैयार की है। इस नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है और उसका वेब लिंक भी नीचे दिया गया है:
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/06_Policy%20on%20Subsidiaries.pdf

6. आम सभा की बैठकों

वार्षिक आम बैठकों की तारीख, समय और स्थान, जहां पिछली तीन बैठकें आयोजित की गईं थीं, निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2022-23	30 अगस्त, 23	प्रातः 11:00 बजे	वीडियो कॉफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की सहायता से	1. वित्तीय वर्ष 2023.24 के लिए निजी प्लेसमेंट के तहत प्रतिभूत / गैर–प्रतिभूत, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी / संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य / कर–मुक्त डिबेंचर / बॉन्ड जारी करके घरेलू बाजार से उधार सीमा को ₹6000 करोड़ से बढ़ाकर ₹8,000 करोड़ करना। 2. वित्तीय वर्ष 2024.25 के दौरान एक या एक से अधिक चरणों / प्रस्तावों में निजी प्लेसमेंट के तहत प्रतिभूत / गैर–प्रतिभूत, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी / संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य / कर–मुक्त डिबेंचर / बॉन्ड जारी करके घरेलू बाजार से ₹12,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाना।
2021-22	29 अगस्त, 22	प्रातः 11:00 बजे	वीडियो कॉफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की सहायता से	1. श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया (डीआईएन:009402860) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना। 2. श्री ओंकारप्पा के.एन. (डीआईएन:09403906) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना। 3. श्री राम नरेश तिवारी (डीआईएन:09405377) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देना। 4. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निजी प्लेसमेंट के तहत प्रतिभूत / गैर–प्रतिभूत, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी / संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य / कर मुक्त डिबेंचर / बॉन्ड जारी करके घरेलू बाजार से ₹6,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाना।

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2020-21	24 सितम्बर, 21	प्रातः 11:00 बजे	वीडियो कॉफ्रेंसिंग / अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की सहायता से	1. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान निजी प्लेसमेंट के तहत प्रतिभूत / गैर–प्रतिभूत, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी / संचयी, प्रतिदेय, कर योग्य / कर–मुक्त डिबेंचर / बॉन्ड जारी करके घरेलू बाजार से 20 किस्तों / ऑफर के माध्यम से ₹6,000 करोड़ तक की धनराशि जुटाना।

डाक मतों के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरानए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। साथ हीए डाक मतपत्र द्वारा तत्काल कोई विशेष संकल्प पारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

7. क्रेडिट रेटिंग

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण प्रपत्रों के लिए दी क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैः

घरेलू रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	लंबी अवधि कै लिए रेटिंग ऋन लिखत / बैंक उधारी	छोटी अवधि की बैंक उधारी के लिए रेटिंग	वाणिज्यिक पत्र के लिए रेटिंग
1	आईसीआरए	(आईसीआरए) III (स्थिर)	(आईसीआरए) ए1+	(आईसीआरए) ए1+
2	क्रिसिल	क्रिसिल एएए / स्थिर	क्रिसिल ए1+	क्रिसिल ए1+
3	केयर	केयर एएए; स्थिर	केयर ए1+	केयर ए1+

विदेशी रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दी गई रेटिंग
1	मूडीज़ इंवेस्टर सर्विस	बीएए3 आउटलुकः स्टेब्ल
2	एसएंडपी	बीबीबी (-) आउटलुकः स्टेब्ल
3	फिच	बीबीबी (-) आउटलुकः स्टेब्ल

8. प्रकटीकरण

i. संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन में (i) संयुक्त उद्यम करार के अंतर्गत कंपनियों को कार्यों / सेवाओं के अनुबंध के लिए भुगतान, (ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक, और (iii) अनुषंगियों को दिए गए वैसे इक्विटी योगदान शामिल हैंए जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों से संभावित टकराव पैदा करने वाले न हों। संबंधित पक्षों से लेन–देन को का ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडीएएस–24) के अनुसार लेखाओं पर की गई टिप्पणी में शामिल है।

ii. कंपनी की कोई मूर्त अनुषंगी कंपनी नहीं है और नीति का वेब लिंक नीचे दिया गया हैः
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/06_Policy%20on%20Subsidiaries.pdf

iii. कंपनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) / मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन के लिए एक उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा और आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। वरिष्ठ महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना) को कंपनी के मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

iv. संबंधित पक्षों के साथ व्यवसाय के हिसाब से सामान्य लेनदेन के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भौतिक लेनदेन नहीं है।

v. संबंधित पक्षकारों या अन्य लोगों के साथ ऐसा कोई भौतिक व्यक्तिगत लेनदेन नहीं हैं, जो भी है पारस्परित आधार पर हैं। इसके अलावाए सेबी एलओडीआर विनियम 23 के आधार परए आपकी कंपनी ने संबंधित पक्ष के लेनदेन की भौतिकता पर एक नीति तैयार की है और पावरग्रिड की वेबसाइट पर इसका प्रकटीकरण किया गया है। इसका वेब लिंक नीचे दिया गया हैः

https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/11_Policy%20on%20Related%20Party%20Transactions.pdf

vi. आपकी कंपनी ने सेबी एलओडीआर की आवश्यकताओं तथा, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्रक के सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, कंपनी केवल कंपनी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का अनुपालन नहीं कर पा रही है।

vii. गैर–अनुपालन के विवरणः

आपकी कंपनी वित्त वर्ष 2023–24, वित्त वर्ष 2022–23, 2021–22 और 2020–21 के लिए कंपनी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या से संबंधित अपेक्षा को छोडकर सेबी एलओडीआर और अधिनियम की अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

उपर्युक्त गैर–अनुपालन के कारण, एनएसई और बीएसई ने स्पष्टीकरण मांगा है और उपरोक्त अवधि के लिए जुर्माना लगाया है। आपकी कंपनी ने स्पष्टीकरण का उपयुक्त उत्तर दिया और एनएसई और बीएसई से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है।

पावरग्रिड के कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार में निहित है। स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद को भरने के लिए इस मामले को प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात ऊर्जा मंत्रालय के साथ पहले ही उठाया जा चुका है।

viii. कंपनी का अपना अलग सतर्कता विभाग है। यह आपूर्तिकर्ताओं के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाता, या पावरग्रिड के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य पक्ष से जुड़ी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी का निपटान करता है। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद पावरग्रिड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी निवारण नीति का वेब लिंक नीचे इस प्रकार से है:
https://www.powergrid.in/sites/default/files/code_of_conduct_policies/Whistle_Blower_Fraud_Prevention_Policy.pdf

ix. वित्त वर्ष 2023.24 के लिए वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 के अनुसार, अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं।

x. कारपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने (और अनुपालन)/गैर–अंगीकरण के संबंध में सूचना अनुलग्नक–I में दी गई है।

xi. सेबी एलओडीआर के विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) और विनियम 17 से 27 में विनिदष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।

xii. सेबी एलओडीआर के विनियम 34(3) और अनुसूची V, पैरा ग, खंड (10)(i) के आधार परए कंपनी सचिव से इस बात का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

xiii. वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान पावरग्रिड द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क का विवरण 'सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान' उप–शीर्ष के तहत 'टिप्पणी 40–अन्य व्यय' में दर्शाया गया है।

xiv. कंपनी या उसकी अनुषंगी कंपनी ने निदेशकों की रुचि (हित) वाली फर्मों/कंपनियों को कोई ऋण/अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

xv. वित्त वर्ष 2022.23 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने इस्तीफा नहीं दिया। मृत्यु होने के कारण, श्री ओंकारप्पा के.एन. स्वतंत्र निदेशक 13.12.2023 से निदेशक पद पर नहीं रहे।

xvi. कंपनी की किसी भी प्रतिभूति को कभी भी व्यापार से निलंबित नहीं किया गया।

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी एलओडीआर के विनियम 17(8) के अनुसार, उक्त विनियम की अनुसूची II के भाग–ख में निर्दिष्ट अनुपालन प्रमाण–पत्र, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री रविंद्र कुमार त्यागी और निदेशक (वित्त और सीएफओ) श्री रविशंकर जी. द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रूप में 22 मई, 2024 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

9. संवाद के साधन

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकए समाचारपत्रों और वेबसाइट के माध्यम से संवाद स्थापित करती है।

कंपनी प्रत्येक तिमाही के अंत में विश्लेषकों और निवेशकों की बैठकों के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ संवाद भी करती है। कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी निवेशक समुदाय के साथ बातचीत करते हैं।

कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और नवीनतम अपडेट और घोषणाओं के अवलोकन के लिए कंपनी की वेबसाइट https://www.powergrid.in/ पर विजिट किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र. सं.	विवरण	लिंक
1	तिमाही/अर्ध–वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम	https://www.powergrid.in/en/annual-quarterly-results https://www.powergrid.in/en/annual-results
2	तिमाही शेयरधारिता पैटर्न	https://www.powergrid.in/en/share-holding-pattern
3	तिमाही कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	https://www.powergrid.in/en/corporate-governance
4	स्टॉक एक्सचेंजों के लिए समय–समय पर कॉरपोरेट सूचनाओं का प्रकटीकरण	https://www.powergrid.in/en/meetingsnotices

तिमाही परिणाम

समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में वित्तीय परिणाम			
क्र. सं.	समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का प्रकाशन	प्रकाशन की तारीख	समाचारपत्र और पत्रिका
1	30.06.2023	01.08.2023 और 02.08.2023	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, एनआईई, फाइनेंशियल एक्सप्रेसए मिड डे, पायनियर, आज.
		अगस्त, 2023 अंक	पत्रिका :दलाल स्ट्रीट, बिजनेस टुडे
			वेबसाइट: PSU Watch.com, TOI.com+ET.com
2	30.09.2023	08.11.2023 और 09.11.2023	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, एचटी, मिंट, दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड (दोनों) बिजनेस लाइनए स्टेट्समैन, फ्री प्रेस जर्नल, मिलेनियम पोस्ट, राष्ट्रीय सहारा।
		नवम्बर, 2023 अंक	पत्रिका : फोर्ब्स, बिजनेस टुडे
			वेबसाइट: midday.com+gujaratimidday.com
3	31.12.2023	08.02.2024 और 09.02.2024	टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, मिड डे, अमर उजाला, आज, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर
		फरवरी 2024 अंक	पत्रिका . इंडिया टुडे, ओपन मैगज़ीन, दलाल स्ट्रीट, वेल्थ इनसाइट
			वेबसाइट: Moneycontrol.com, Livemint.com
4	31.03.2024	23.05.2024 और 24.05.2024	टाइम्स ऑफ इंडिया, इकनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान, मिंट, बिजनेस लाइन, द स्टेट्समैन, बिजनेस स्टैंडर्ड (दोनों) मिड डे, दिव्य भास्कर, फ्री प्रेस जर्नल + नवशक्ति, मिलेनियम पोस्ट
		जून 2024 अंक	पत्रिका : बिजनेस वर्ल्ड, फोर्ब्स, बिजनेस टुडे
			वेबसाइट: TOI.com+ET.com, businesstoday.in

ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट: https://www.powergrid.in/en/ पर भी देखे जा सकते हैं।

अधिकारिक विज्ञप्ति और प्रस्तुतियां

कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को दी गई प्रस्तुतियां भी कंपनी की वेबसाइट पर भी डाली जाती हैं जिन्हें यहां एक्सेस किया जा सकता हैं:

https://www.powergrid.in/en/investors-relations and https://www.powergrid.in/en/financials-presentations

10. आचार संहिता

निदेशक मंडल ने दो अलग–अलग आचार संहिताएं निर्धारित की हैं – एक बोर्ड के सदस्यों के लिए और दूसरा कंपनी के मिशन और उद्देश्यों को संरेखित करते हुए वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए। इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। 'बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' तथा 'वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यापार और नैतिकता संहिता' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(3) के तहत घोषणा आवश्यक है।

बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 31 जुलाई, 2024
स्थान : गुरूग्राम

11. इंसाइडर ट्रेडिंग कोड

समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनिमय, 2015 के अनुसरण में, बोर्ड ने अप्रकाशित मूल्य के उचित प्रकटीकरण, व्यापार के विनियमनए निगरानी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इनसाइड द्वारा ट्रेडिंग की रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं को इस उद्देश्य से निर्धारित किया है कि 'नामित व्यक्ति' कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संबंधी वैसी संवेदनशील जानकारी ख्जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और अंदरूनी जानकारी (इनसाइडर इंफॉर्मेशन) मानी जाती है, तक उसकी पहुंच और कब्जे से कोई न कोई लाभ प्राप्त कर सकेगा और न ही ऐसा करने में दूसरों की सहायता करेगा। कंपनी सचिव को इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

12. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

कंपनीए स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से कंपनी की गतिविधियों और कामकाज, उनकी भूमिकाओं, अधिकारों, कंपनी में जिम्मेदारियों, उद्योग की प्रकृति (जिसमें कंपनी संचालित होती है) के साथ–साथ कंपनी के व्यवसाय मॉडल आदि से परिचित कराती है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है और उसका वेब लिंक निम्नलिखित है:

https://www.powergrid.in/en/familiarisation-programme-independent-directors

13. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

क्र. सं.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1.	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	3
2.	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	3
3.	वित्त वर्ष 2023–24 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	0

14. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन और उसमें परिवर्तन के विवरण

क्र. सं.	नाम	पदनाम (ईडी / सीएफओ / कंपनी सचिव)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	समाप्ति की तारीख
1.	मुकेश खन्ना	ईडी	05-08-2021	-
2.	अनीश आनंद	उप सीवीओ	02-09-2020	-
3.	सुबीर सेन	ईडी	14-09-2015	-
4.	अशोक पाल	उप सीओओ	01-03-2021	-
5.	दिलीप नागेश रोज़ेकर	सीओओ	01-11-2022	-
6.	मंजू गुप्ता	ईडी	04-09-2023	-
7.	अतुल कुमार बाली	ईडी	04-09-2023	-
8.	आदीश कुमार गुप्ता	ईडी	01-09-2022	-
9.	कैलाश कुमार गुप्ता	ईडी	04-09-2023	-
10.	पंकज पांडे	ईडी	04-09-2023	-
11.	बुर्रा वामसी रामा मोहन	सीओओ	01-12-2022	-
12.	डोमन यादव	ईडी / सीआईएस	01-01-2024	-
13.	एल गणेश	ईडी	01-11-2023	31-12-2023
14.	विक्रम सिंह भाल	ईडी	12-08-2022	-
15.	राजेश श्रीवास्तव	ईडी	06-07-2022	-
16.	एस के मिश्रा	ईडी / सीईओ	14-09-2015	06-07-2023
17.	राजेश कुमार	ईडी	17-12-2019	-
18.	अनूप सिंह	ईडी	01-12-2022	-
19.	आलोक	ईडी	05-08-2021	-
20.	रविंदर नागपाल	ईडी	01-10-2021	30-04-2023
21.	राकेश कुमार	ईडी	04-09-2023	-
22.	राजिल श्रीवास्तव	सीईओ	01-01-2023	-
23.	लक्ष्मण एस नेगी	ईडी (एचआर)	01-03-2024	-
24.	आर के रोहिल्ला	ईडी	04-09-2023	-
25.	ए भारत	ईडी	05-08-2021	-
26.	सुभाष चंदर तनेजा	ईडी	01-01-2023	31-05-2023
27.	प्रमोद कुमार	ईडी (वित्त)	02-09-2020	30-06-2023
28.	स्टेनली मैथ्यूज	ईडी (एचआरडी)	04-09-2023	-
29.	तरुण बजाज	ईडी	06-07-2022	-
30.	जसबीर सिंह	ईडी	04-09-2023	-
31.	पी सी गर्ग	सीओओ	01-12-2020	-
32.	धर्मेंद्र कुमार जावेरी	ईडी	04-09-2023	-
33.	विभय कुमार	ईडी	04-09-2023	-
34.	उपेन्द्र पांडे	ईडी	21-06-2017	-

क्र. सं.	नाम	पदनाम (ईडी / सीएफओ / कंपनी सचिव)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख	समाप्ति की तारीख
35.	अरुण के मिश्रा	ईडी	05-08-2021	30-11-2023
36.	नवीन श्रीवास्तव	ईडी	16-01-2021	-
37.	बी अनंत सरमा	ईडी	18-01-2019	-
38.	पी जयचंद्रन	ईडी	05-08-2021	31-05-2023
39.	ए पी गंगाधरन	ईडी	05-08-2021	30-04-2023
40.	ए नागराजू	ईडी	06-07-2022	-
41.	बालानारायण के पी	ईडी	01-12-2023	28-02-2024
42.	तिरुचित्राम्बलम कृष्णकुमार	ईडी	01-09-2022	-
43.	ए के मिश्रा	ईडी	17-12-2019	-
44.	युगेश कुमार दीक्षित	ईडी	01-02-2021	-
45.	राम नरेश सिंह	ईडी	14-09-2015	31-08-2023
46.	सतीश चंद्र	ईडी	02-09-2020	31-08-2023
47.	एम के गुप्ता	ईडी	04-09-2023	31-10-2023
48.	अशोक कुमार बेहरा	ईडी	01-02-2024	-
49.	उपनंदा कटकी	ईडी	04-09-2023	-
50.	उत्पल शर्मा	ईडी	04-09-2023	31-01-2024
51.	पुरषोत्तम अग्रवाल	ईडी (वित्त)	06-07-2022	-
52.	मृणाल श्रीवास्तव	कंपनी सचिव	01-07-2020	-

15. सामान्य शेयरधार्को संबंधी जानकारी

i. वार्षिक आम बैठक

दिनांकः 22 अगस्त, 2024

समयः प्रातः 11:00 बजे

स्थानः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्र और सेबी ने 5 जनवरी, 2023 के परिपत्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) की सहायता से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

ii. वित्त वर्ष

कंपनी का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च है।

iii. लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 2.75 रुपये प्रति शेयर 27.5% के अंतिम लाभांश की संस्तुति की। इसके अतिरिक्त, 6 दिसम्बर, 2023 और 5 मार्च, 2024 को क्रमशः 4 रुपये प्रति शेयर (40%) का पहला अंतरिम लाभांश और 4.5 रुपये प्रति शेयर (450%) का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया गया।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तारीख 16 अगस्त, 2024 है।

iv. लाभांश इतिहास

वर्ष	वर्ष में 31 मार्च को कुल पेडअप पूंजी (₹ करोड में)	वितीय वर्ष के लिए संदत्त भुगतान की कुल राशि (₹ करोड में)	एजीएम की तारीख जन लाभांश घोषित किया गया	अंतिम लाभांश भुगतान की तारीख
2016-17	5,231.59	2,275.75	19.09.2017	04.10.2017
2017-18	5,231.59	2,746.58	18.09.2018	26.09.2018
2018-19	5,231.59	4,357.91	27.08.2019	04.09.2019
2019-20	5,231.59	5,231.59	22.09.2020	09.10.2020

वर्ष	वर्ष में 31 मार्च को कुल पेडअप पूंजी (₹ करोड में)	वितीय वर्ष के लिए संदत्त भुगतान की कुल राशि (₹ करोड में)	एजीएम की तारीख जन लाभांश घोषित किया गया	अंतिम लाभांश भुगतान की तारीख
2020-21	5,231.59	6,801.08	24.09.2021	08.10.2021
2021-22	6,975.45	10,288.79	29.08.2022	20.09.2022
2022-23	6,975.45	8,544.92	30.08.2023	11.09.2023
2023-24	9,300.60	3,720.24^	07.11.2023^^	06.12.2023^^^
2023-24	9,300.60	4,185.27^	07.02.2024^^	05.03.2024^^^

^अंतरिम लाभांश की राशि

^^अंतरिम लाभांश घोषित करने वाली बोर्ड की बैठक की तारीख

^^^अंतरिम लाभांश के भुगतान की तारीख

v. दावामुक्त/असंदत्त राशियों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियमए 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124ए 125 और अन्य लागू उपबंधों (यदि कोई हों) के अनुसारए अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए दावारहित या असंदत्त लाभांश की राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करना अपेक्षित है।

इसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख कंपनी की वेबसाइट
https://www.powergrid.in/en/iepf-details-0 पर किया गया है।

आईईपीं नोडल अधिकारी के विवरण

नोडल अधिकारी	उप नोडल अधिकारी
श्री सत्यप्रकाश दास कम्पनी सचिव **ईमेलः** companysecretary@powergrid.in	**श्री अरुप सामंत** वरिष्ठ उप महाप्रबंधक **ईमेल:** arupsamanta@powergrid.in

vi. स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग

पावरग्रिड इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

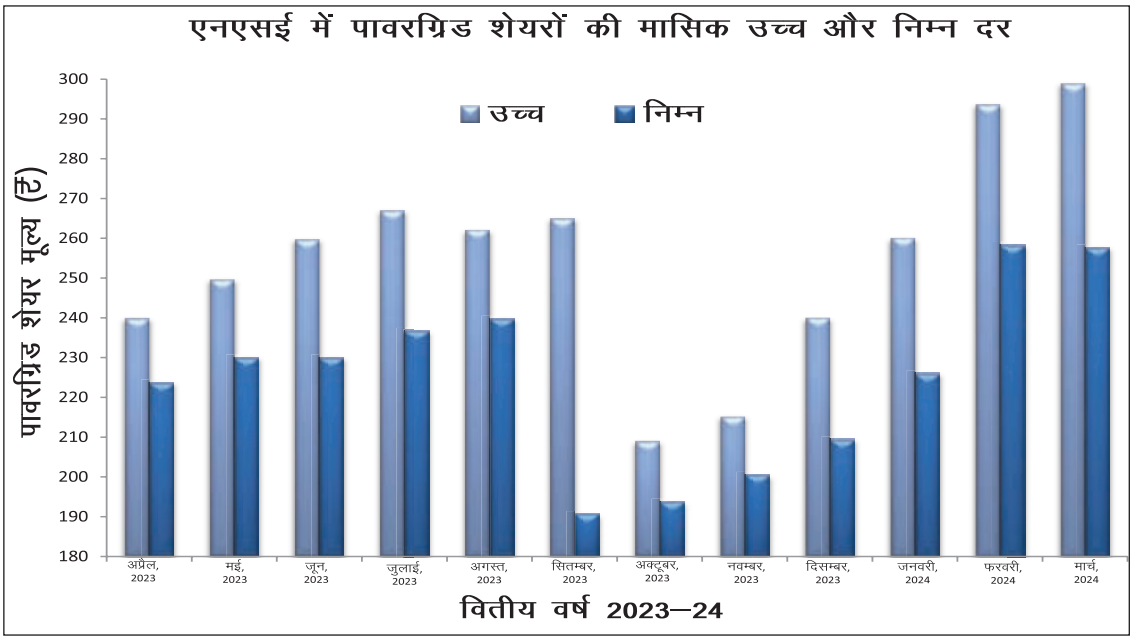
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉकए बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्सए बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.	**बीएसई लिमिटेड** फिरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट मुंबई – 400 001
स्क्रिप्ट कोड : POWERGRID EQ	स्क्रिप्ट कोड: 532898
स्टॉक कोड: ISIN – INE752E01010	

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया था।

vii. पावरग्रिड शेयर बाजार मूल्य आँकड़े – एनएससी

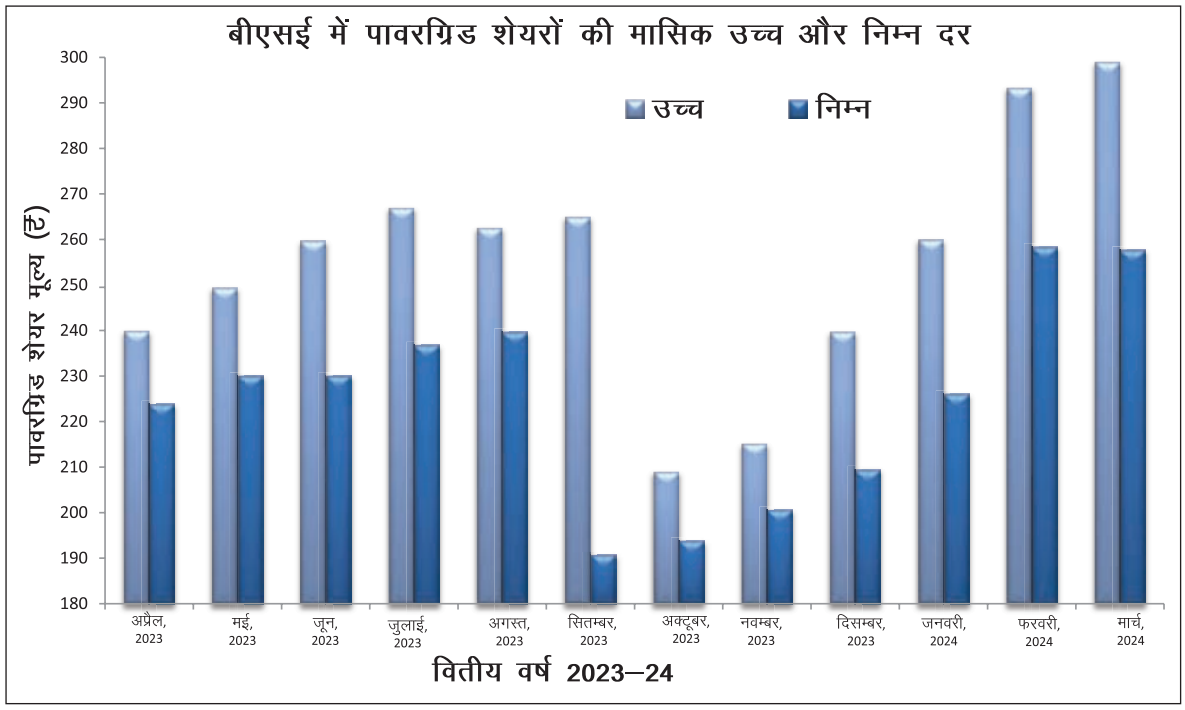
	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह के दौरान टर्नओवर का योग लाख (₹)
अप्रैल, 2023	239.90	223.70	2,74,040.56
मई, 2023	249.60	230.00	4,70,257.19
जून, 2023	259.70	230.05	4,74,568.81
जुलाई, 2023	267.00	236.70	6,70,472.47
अगस्त, 2023	262.00	239.75	5,59,422.64
सितम्बर, 2023	265.00	190.65	7,04,721.01
अक्तूबर, 2023	209.00	193.75	5,23,170.97

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह के दौरान टर्नओवर का योग लाख (₹)
नवम्बर, 2023	215.10	200.50	6,17,063.49
दिसम्बर, 2023	239.95	209.45	10,43,357.35
जनवरी, 2024	260.00	226.05	8,94,766.51
फरवरी, 2024	293.65	258.30	16,44,701.95
मार्च, 2024	298.90	257.65	10,77,988.23

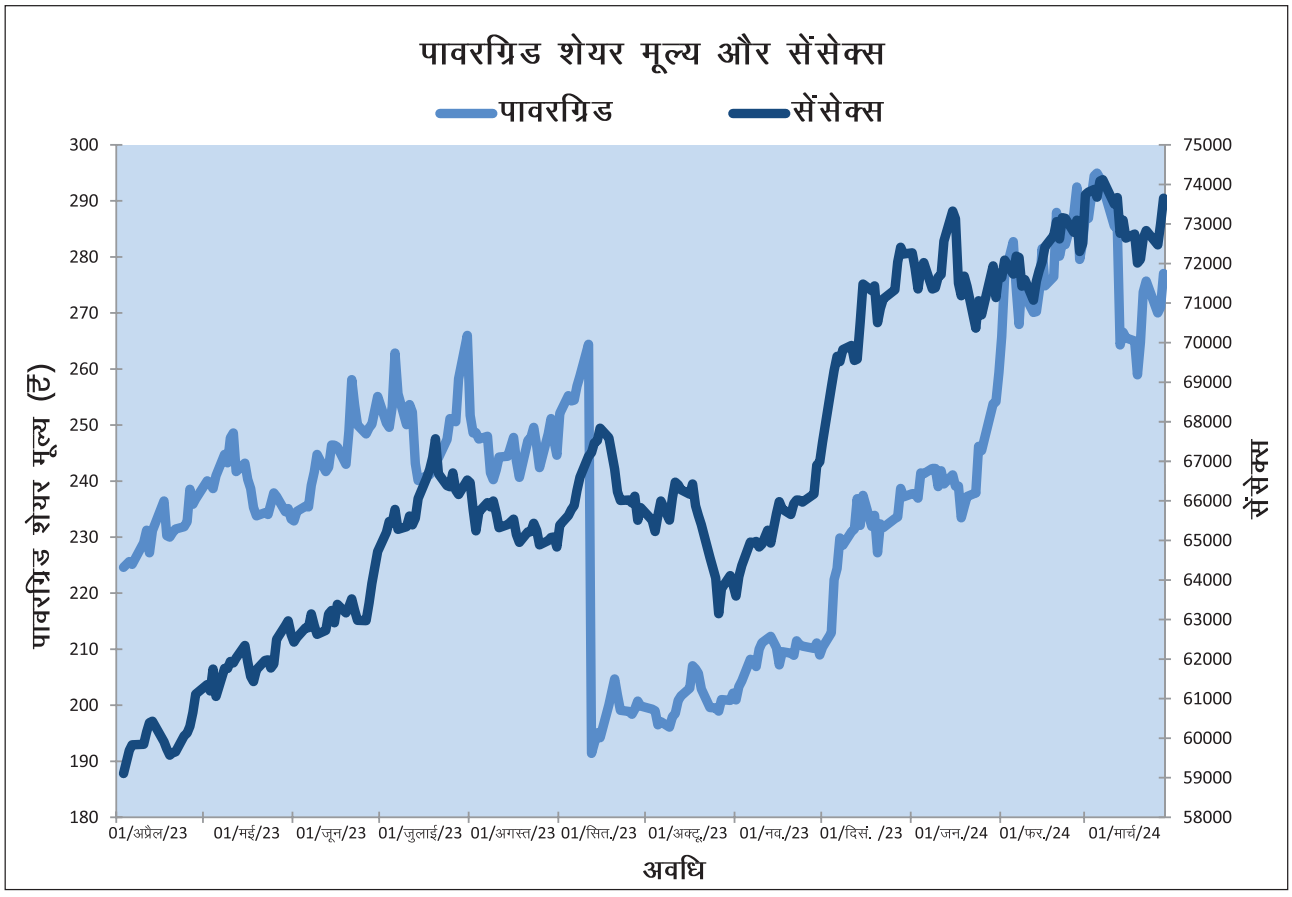


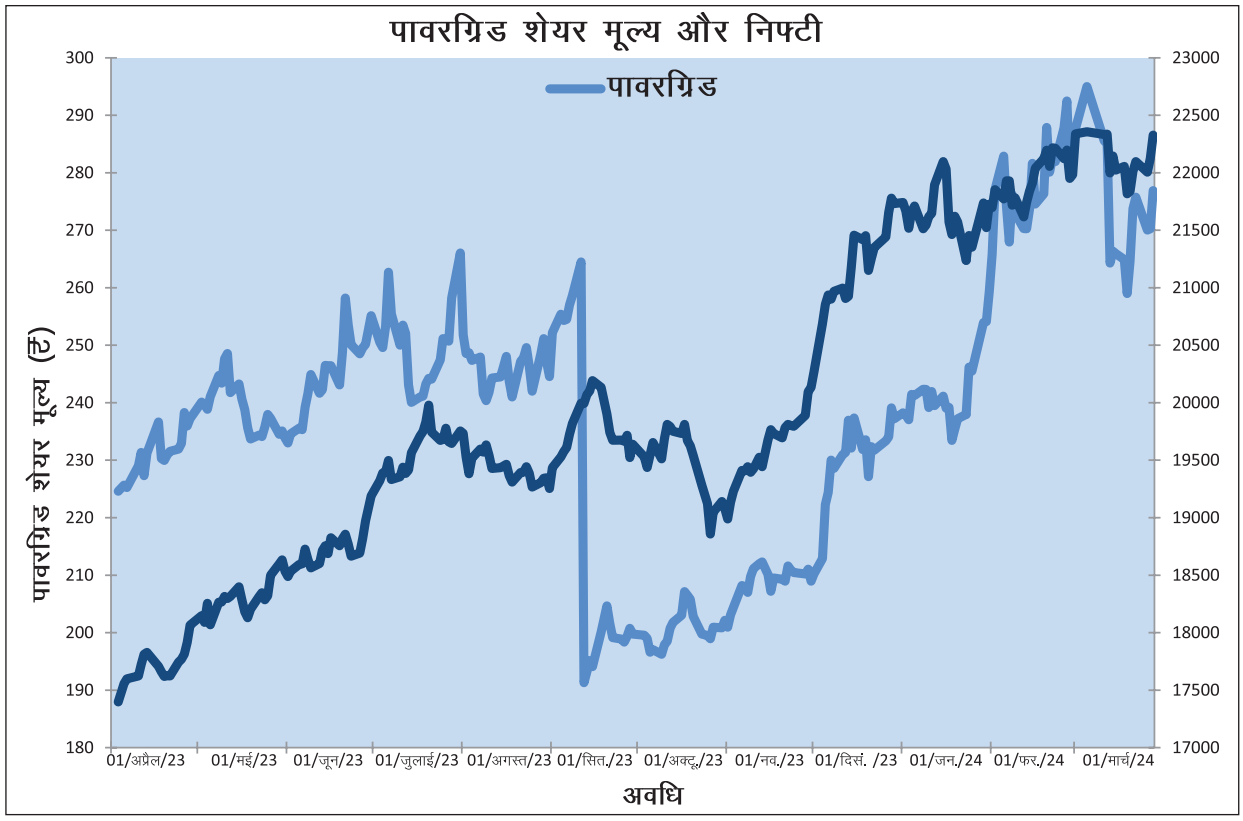
viii. पावरग्रिड शेयर बाजार मूल्य आँकड़े – बीएसई

	उच्च (₹)	निम्न (₹)	टर्नओवर का योग लाख में (₹) माह के दौरान
अप्रैल, 2023	239.85	223.8	13,050.50
मई, 2023	249.45	230.05	19,372.12
जून, 2023	259.8	230.05	11,263.08
जुलाई, 2023	266.85	236.8	14,777.33
अगस्त, 2023	262.45	239.75	16,710.92
सितम्बर, 2023	264.95	190.65	25,368.55
अक्तूबर, 2023	208.9	193.8	60,582.47
नवम्बर, 2023	215.1	200.55	22,237.08
दिसम्बर, 2023	239.75	209.5	74,591.48
जनवरी, 2024	260	226.1	44,607.77
फरवरी, 2024	293.3	258.45	58,054.30
मार्च, 2024	298.95	257.75	51,943.43



ix. सूचकांक – निफ्टी, बीएसई सेंसेक्स और पावरग्रिड के निष्पादन की तुलना





x. रजिसट्रार और ट्रांसफर एजेंट

इक्विटी शेयर	बांड
केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जिला, नानकरामगुडा, रिलिंगमपल्ली, हैदराबाद – 500 032 टोल फ्री नंबर 1800–309–4001 ई–मेलः einward.ris@kfintech.com	बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली – 110062 फ़ोन : 011-29961281-283, 26051061, 26051064 फैक्स.: 011-29961284 ई–मेल:beetalrta@gmail.com, beetal@beetalfinancial.com

xi. शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी एलओडीआर के विनियम–40ए यथासंशोधित, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियों के प्रेषण या परिवहन के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैलए 2019 से प्रभावित होकर केवल अमूर्त (डिमेटेरियलाइज्ड) रूप में ही हस्तांतरित की जा सकती हैए

सेबी एलओडीआर के विनियम 40(9) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर हस्तांतरण प्रक्रियाओं के संबंध में योग्य व्यावसायिक कंपनी सचिव के द्वारा योग्यता पुष्टि करने वाला प्रमाण–पत्र विनिर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया।

xii. 31 मार्च, 2024 को शेयरधारिता

31 मार्च, 2024 को विभिन्न शेयरधारकों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा धारिता के आकार के अनुसार धारित शेयर निम्नलिखित प्रकार से हैं:

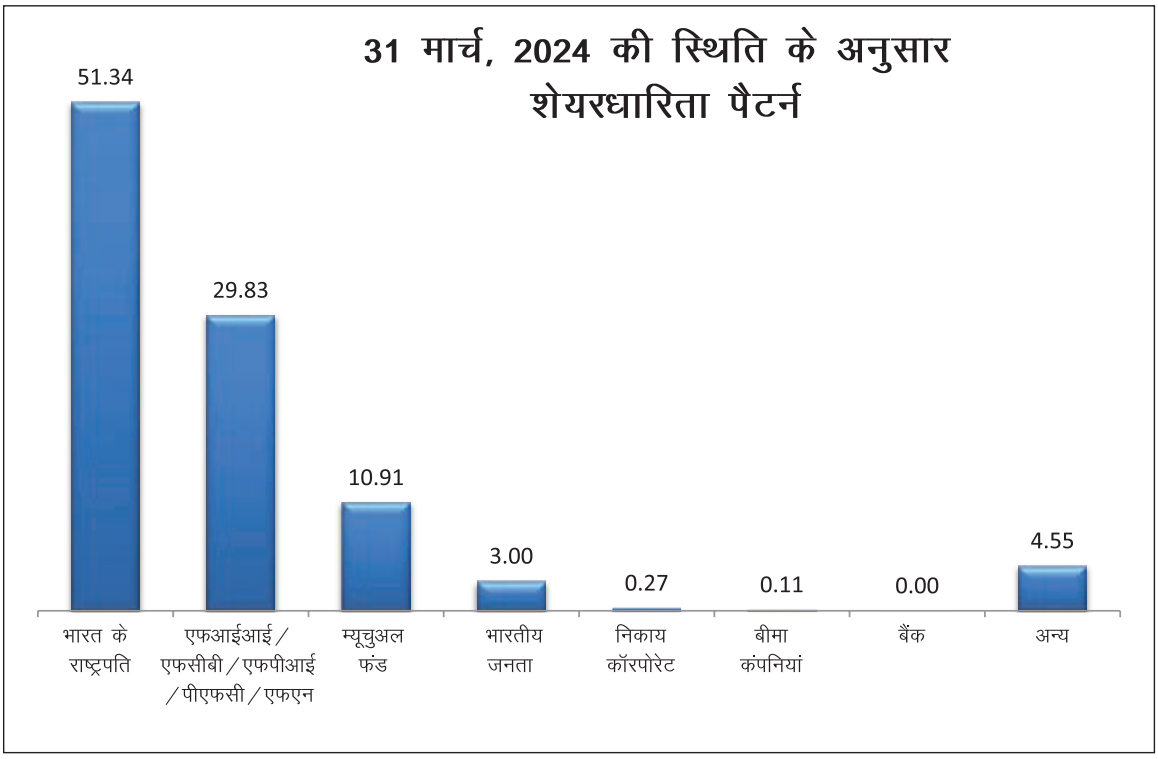
क. 31 मार्च, 2024 को आकार के अनुसार शेयरधारिता, धारिता का प्रतिशत इस प्रकार हैः

श्रेणी	कुल मामले	कूल मामले %	कुल शेयर	कुल राशि (₹)	कुल राशि %
1 – 5000	10,95,071	99.48	24,41,90,888	2,44,19,08,880	2.63
5001 – 10000	2,775	0.25	1,93,80,347	19,38,03,470	0.21
10001 – 20000	1,078	0.10	1,51,14,818	15,11,48,180	0.16
20001 – 30000	299	0.03	73,86,110	7,38,61,100	0.08
30001 – 40000	160	0.01	56,21,657	5,62,16,570	0.06

श्रेणी	कुल मामले	कूल मामले %	कुल शेयर	कुल राशि (₹)	कुल राशि %
40001 – 50000	98	0.01	44,51,709	4,45,17,090	0.05
50001 – 100000	234	0.02	1,71,04,709	17,10,47,090	0.18
100001 & Above	1,135	0.10	8,98,73,53,581	89,87,35,35,810	96.63
योग	**11,00,850**	**100.00**	**9,30,06,03,819**	**93,00,60,38,190**	**100.00**

ख. 31 मार्च, 2024 को शेयरधारिता पैटर्न

क्र.सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी के लिए %
1	भारत के राष्ट्रपति	4,77,48,84,280	51.34
2	एफआईआइई / एफसीबी / एफपीआई / पीएफसी / एफएन	2,77,39,31,259	29.83
3	म्यूचुअल फंड्स	1,01,51,40,875	10.91
4	भर्तियाँ जनता	27,86,25,223	3.00
5	निकाय कॉर्पोरेट	2,52,42,808	0.27
6	बीमा कंपनियां	99,28,097	0.11
7	बैंक	1,23,291	0.00
8	अन्य	42,27,27,986	4.45
योग		**9,30,06,03,819**	**100.00**



ग. प्रमुख शेयरधारक

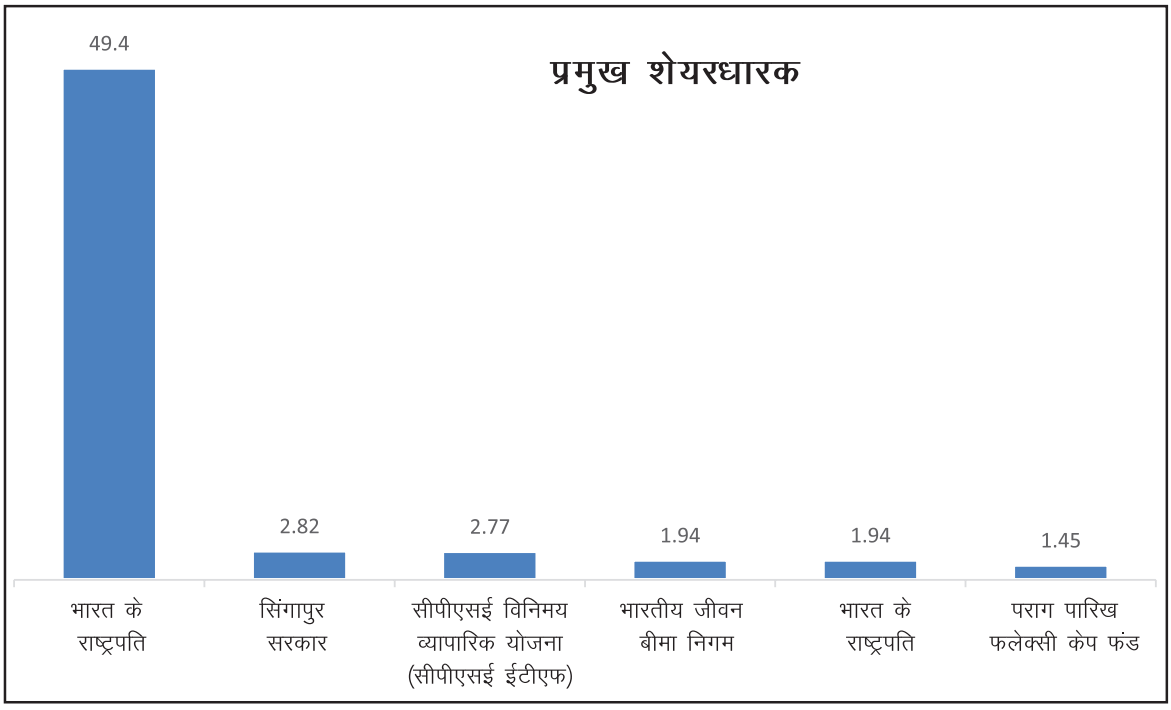
31 मार्च, 2024 को शेयर धारण के आकार के अनुसार विभिन्न शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर और निम्नलिखित प्रकार से हैं:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर	% इक्विटी	श्रेणी
1	भारत के राष्ट्रपति^	4,59,48,49,080	49.40	पीओआई
2	सिंगापुर सरकार	26,18,53,613	2.82	एफपीसी
3	सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम (सीपीएसई ईटीएफ)	25,73,88,775	2.77	एमयूटी
4	भारतीय जीवन बीम निगम	18,08,02,466	1.94	क्यूआईबी

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	शेयर	% इक्विटी	श्रेणी
5	भारत के राष्ट्रपति^^	18,00,35,200	1.94	POI
6	पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड	13,49,58,517	1.45	MUT

^ विद्युत मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व

^^ डीओएनईआर मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व

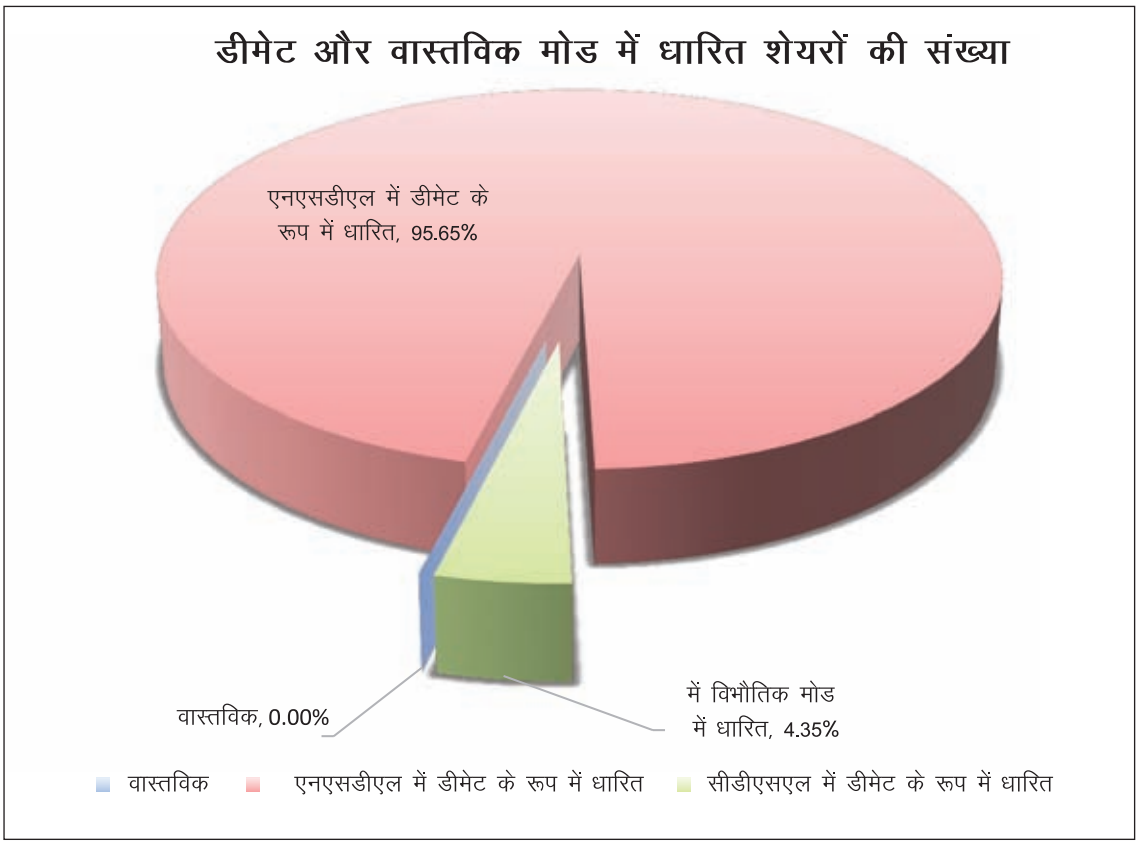


xiii. शेयरों का विभौतिकरण

कंपनी के शेयर अनिवार्य डिमेटेरियलाइज्ड (विभौतिकरण) सेगमेंट में हैं और वे राष्ट्रीय सुरक्षा डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के व्यापारिक प्रणाली में उपलब्ध हैं।

विभौतिकरण और भौतिक मोड में धारित शेयरों की संख्या

क्रमांक	भौतिक/डीमैट	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी कुल पूंजी का %
1	भौतिक	9,913	49,187	0.00
2	एनएसडीएल में डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा गया	4,48,472	8,89,59,71,858	95.65
3	सीडीएसएल में डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा गया	6,77,361	40,45,82,774	4.35
योग		**11,35,746**	**9,30,06,03,819**	**100.00**



डिपॉजिटरी के नाम और पते इस प्रकार हैंःरू

1. **नेशनल सिक्यूरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड**

   ट्रेड वर्ल्ड, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड,
   मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013

2. **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड**

   मैराथन फ्यूचरएक्स, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग,
   लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013ए महाराष्ट्र

xiv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर संभावित परिणाम

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किए गए हैं।

xv. कमॉडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग क्रियाकलाप .

कंपनी कमोडिटी में व्यापार नहीं करती हैए इसलिए सेबी सर्कुलर दिनांक 15 नवम्बरए 2018 के अनुसार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

xvi. पावरग्रिड संयंत्रों का स्थान

पावरग्रिड के पूरे देश में 278 सब–स्टेशन स्थित हैं।

xvii. पत्राचार के लिए पतारू

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडए
बी–9ए कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरियाए
कटवारिया सरायए नई दिल्ली – 110 016.
टेलीफोन नंबरः 011-26560112, 26560115, 26560193,
ई–मेल आईडी : **investors@powergrid.in** वेबसाइट वेबसाइटः **https://www.powergrid.in/**

दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषण

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी एलओडीआर के नियम 36 के साथ पठित अधिनियम की धारा 101 और 136 तथा 28 दिसंबर, 2022 के परिपत्र और दिनांक 5 जनवरी 2023 के सेबी के परिपत्र के अनुसारए कंपनी के शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता में 30 सितंबरए 2023 तक छूट दी गई है और एजीएम की सूचनाए बोर्ड

की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेजों आदि वाली वार्षिक रिपोर्ट को केवल अपने वैसे शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से भेजने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने अपने डीपी/कंपनी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत कराया है।

16. अनुबंध-I

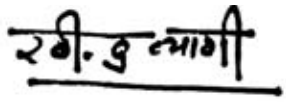
गैर–अनिवार्य अपेक्षाएं

1. **बोर्ड:** कंपनी का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।
2. **शेयरधारक के अधिकार:** कंपनी के आर्थिक परिणाम, 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले छमाही के वित्तीय परिणाम, 8 नवम्बर, 2022 को बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित किए गए थे, और इन्हें वेबसाइट पर भी डाल दिया गया था। शेयरधारकों को अलग से छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाएँ कंपनी की वेबसाइट: **www.powergrid.in** पर दर्ज की गई हैं
3. **लेखापरीक्शा रिपोर्ट में आशोधित राय:** वैधानिक लेखापरीक्षको ने 31 मार्च, 2024 के समापन हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र और संघटित वित्तीय विवरणों पर अपरिवर्तित राय जारी की है।
4. **आन्तरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग:** आंतरिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

कॉर्पोरेट शासन पर प्रमाण–पत्र

कॉरपोरेट गवर्नेंस पर प्रमाणपत्र निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक- VII** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से



(रवींद्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09632316

तारीख: 31 जुलाई, 2024
स्थान: गुरुग्राम

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध - VII

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण-पत्र

सेवामें,

सदस्य,

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमए 2015 (''सूचीबद्धता विनियम'') कई उपबंधों और मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों में निर्धारित उपबंधों के आधार पर **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडए सीआईएनः L40101DL1989GOI038121 ("**कंपनी'') द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के किए गए अनुपालन की जांच की है।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के पालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। इस जिम्मेदारी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों की पालन के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का निर्माण, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, ताकि सूचीकरण नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों में निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित हो सके।

3. हमारा उत्तरदायित्व केवल उन प्रक्रियाओं की जाँच करने और उनके कार्यान्वयन की है, जो कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है, जैसा कि सूचीकरण नियमों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों में निर्धारित किया गया है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर किसी राय की अभिव्यक्ति है।

4. हमारे द्वारा की गई जाँच और हमारे पास उपलब्ध संबंधित रिकॉर्डों की जाँच के आधार पर, हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित के अध्यधीन 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेबी सूचीकरण विनियमों की अनुसूची V के पैरा ग और घ और विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) और विनियम 17 से 27 के अनुसार है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई मार्गदर्शकों के निर्देशों के अधीन के निर्दिष्ट शर्तों का पालन किया है:

   i. कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत स्वतंत्र नहीं था।

   ii. कंपनी के बोर्ड पर कम–से–कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी जैसाकि सेबी (एलओडीआर) विनियमए 2015 के विनियम 17(1) (क) द्वारा अपेक्षित है, और 1 जून 2022 से कम से कम एक महिला निदेशक नहीं थी जैसाकि कंपनीं (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमों, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) द्वारा अपेक्षित है।

5. हम आगे उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

स्थानः नोएडा

दिनांकः 24.06.2024

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

ह./–

सीएस नरेश कुमार सिन्हा

(प्रोपराइटर)

एफसीएस: 1807; C P No.: 14984

पीआर: 610/2019

एफआरएन: S2015UP440500

यूडीआईएन: F001807F000610085

फॉर्म सं. एओसी-2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में) कंपनी द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ, जिसमें उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ निश्चित लेन–देन शामिल हैं, की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म

1.	**संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों के विवरण आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं हैं**	
	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	-
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	-
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	-
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	-
	ड.) ऐसी संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	-
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	-
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें)	-
	ज) धारा 188 के पहले परंतुक के तहत आवश्यक सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यकत्ता के तहत विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख	-
2.	**आर्म्स लेंथ आधार पर भौतिक संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों के विवरण**	
(क)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	1. पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड 2. पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड 3. पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 4. पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड 5. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड 6. पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 7. पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड 8. पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 9. पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड 10. पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड 11. पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड 12. पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड 13. पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड 14. पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड 15. पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड 16. पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 17. पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड 18. पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 19. पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 20. पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड

		21. पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड 22. पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 23. पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड 24. पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड 25. पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड 26. पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 27. पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड 28. पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड 29. पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड 30. पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड 31. पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड 32. पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड 33. पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड 34. पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड 35. पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड 36. पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड 37. पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड 38. पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड 39. पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड 40. पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड 41. सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड 42. बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड उपर्युक्त प्रोजेक्ट एसपीवीए शत–प्रतिशत पूर्णतः पावरग्रिड की सहायक कंपनियां हैं जो पावरग्रिड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) द्वारा अर्जित की गई हैं।
	ख) संविदाओ / व्यवस्थाओं / लेनदेनों की प्रकृति	भाग (क) – पावरग्रिड उपर्युक्त प्रोजेक्ट एसपीवी को 50,527.10 करोड़ रुपये (रुपये पचास हजार पांच सौ सत्ताईस करोड़ और दस लाख) की राशि तक ऋण और / या किसी प्रकार के ऋण के साथ सुरक्षा / गारंटी प्रदान करने के लिए और / या लागत–दर–लागत आधार पर या मौजूदा बाजार दरों पर अंतर–कंपनी ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग करने के लिए है। तथापि, किए गए समझौते वर्तमान में निम्नलिखित राशियों के अनुसार 46,054.51 करोड़ रुपये (केवल छियालीस हजार चौवन करोड़ और इकावन लाख रुपये) तक सीमित हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो
1	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1150 करोड़	01/02/2018
2	ट्रांसमिशन लिमिटेड ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹90 करोड़	21/06/2014
3	ट्रांसमिशन लिमिटेड ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹2964 करोड़ ₹5.93 करोड़	12/09/2020 06/07/2022
4	पावरग्रिड मेदिनीपुर पावरग्रिड मेदिनीपुर	₹2800 करोड़	29/03/2017
5	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1000 करोड़	02/11/2017
6	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹795.58 करोड़	20/06/2020

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो
7	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद	₹378 करोड़	03/01/2019
8	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹854 करोड़	02/08/2019
9	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹506 करोड़	01/10/2019
10	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹485 करोड़	01/10/2019
11	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹945.92 करोड़	09/02/2022
12	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹570 करोड़	01/10/2019
13	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹889.90 करोड़	23/03/2023
14	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹691 करोड़	19/12/2019
15	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹290 करोड़ ₹482.12 करोड़ ₹4.85 करोड़	11/02/2021 31/07/2023 14/07/2023
16	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹1264 करोड़ ₹163.75 करोड़ ₹17.66 करोड़ ₹4.03 करोड़ ₹64.72 करोड़	09/11/2021 19/05/2023 06/03/2023 29/08/2022 06/07/2022
17	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹804.11 करोड़	14/07/2023
18	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1325 करोड़	11/02/2021
19	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1020.89 करोड़	23/03/2023
20	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1375 करोड़	07/02/2024
21	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹973 करोड़	11/10/2021
22	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹704 करोड़	29/08/2022
23	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹257 करोड़	26/09/2022
24	पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹956 करोड़	06/03/2023
25	पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹2310 करोड़	06/03/2023
26	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹666 करोड़	06/03/2023

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो
27	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	₹790 करोड़	06/03/2023
28	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹758 करोड़	06/03/2023
29	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹230 करोड़	06/03/2023
30	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹224 करोड़	06/03/2023
31	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹215 करोड़	06/03/2023
32	पावरग्रिड भाडला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1176 करोड़	06/03/2023
33	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1032 करोड़	30/08/2023
34	पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1795 करोड़	30/08/2023
35	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1799 करोड़	20/10/2023
36	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1459 करोड़	20/10/2023
37	पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹2431 करोड़	07/02/2024
38	पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹1690 करोड़	07/02/2024
39	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹3128 करोड़	07/02/2024
40	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹2400 करोड़	07/02/2024

अल्पावधि ऋण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख, यदि कोई हो
1	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹68.50 करोड़	02/11/2017
2	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹22 करोड़	
3	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹7 करोड़	
4	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹11.50 करोड़	
5	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	₹11.50 करोड़	

		भाग (ख) पावरग्रिड उपर्युक्त परियोजना एसपीवी द्वारा अपेक्षित सभी इनपुट और सेवाएं प्रदान करेगा। भाग (ग) पावरग्रिड परियोजना एसपीवी द्वारा अपेक्षित ओएंडएम परामर्श सहित पोस्ट–सीओडी गतिविधियां संचालित करेगा।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	भाग (क) जैसी पारस्परिक सहमति हो भाग (ख) जैसी पारस्परिक सहमति हो भाग (ग) जैसी पारस्परिक सहमति हो
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	(ख) देखें
	ड.) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(ख)	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	पावरग्रिड और पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड के बीच ऋण समझौता 29 अप्रैल, 2021 को हुआ।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 मई 2021 से 31 अगस्त, 2024
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	पावरग्रिड द्वारा पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएचटीएल को 1 मई, 2021 को लागत के आधार पर ₹15,914.24 लाख का अंतर कॉर्पोरेट ऋण प्रदान किया गया। ऋण ₹4 करोड़ प्रत्येक की मासिक किस्तों में चुकाया जाना है।
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	21 अप्रैल, 2021 21 अप्रैल, 2021
	ड.) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(ग)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	अब्दुल्लापुर सबस्टेशन में 400 केवी बे में स्थापित सभी इनडोर और आउटडोर उपकरणों के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए पावरग्रिड और पीएचटीएल के बीच 7 जनवरी, 2020 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गएए जैसा कि एमओयू में विस्तृत रूप से दिया गया है।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	एमओयू में दी गई वर्षवार तालिका के अनुसार पीएचटीएल द्वारा पावरग्रिड को तिमाही आधार पर ओएंडएम प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
	च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	लागू नहीं
	ड.) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(घ)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	पावरग्रिड और पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड के बीच पट्टा किराया समझौता।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1 जून, 2021 से 31 मई, 2026
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	अनुबंध में दिए गए वर्षवार विवरण के अनुसार पीएचटीएल द्वारा पावरग्रिड को मासिक आधार पर पट्टा किराया देय होगा।

	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	19 मई, 2023
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(ङ.)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए पोस्ट–अवार्ड टेक्नो मैनेजरियल सेवाओं के लिए परामर्श – चरण– IV, (भाग– II)।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	24 माह (करार के अनुसार कार्यक्षेत्र के समाप्ति तक विलंब के मामले में स्वचालित रूप से विस्तार योग्य)
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए चरण–IV, (भाग–II) के अंतर्गत बीजीसीएल द्वारा दिए गए पैकेजों के लिए अवार्ड के बाद इंजीनियरिंगए डिजाइनए गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करना। 24 अप्रैल, 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत ₹1,688.36 करोड़ (आईईडीसी और आईडीसी को छोड़कर) है और सेवा शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत के 2% की दर से पावरग्रिड को देय है।
	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	16 मार्च, 2018 (पावरग्रिड बोर्ड की 351वीं बैठक)
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(च)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल)ए संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए पोस्ट–अवार्ड टेक्नो मैनेजरियल सेवाओं (केवल पोपोस्ट–अवार्ड इंजीनियरिंग और क्यूए एंड आई) के लिए परामर्श – चरण– IV (भाग– I)।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	24 माह (अनुबंध के अनुसार कार्य पूरा होने तक देरी होने पर स्वचालित रूप से विस्तार योग्य)।
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए चरण–IV (भाग–1) के अंतर्गत बीजीसीएल द्वारा दिए गए पैकेजों के लिए पुरस्कार के बाद इंजीनियरिंग, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण संबंधी सेवाएं प्रदान करना।1 जनवरी, 2015 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की संशोधित लागत ₹2,024.11 करोड़ है और सेवा शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत का 2: है।
	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	24 दिसम्बर, 2014 (पावरग्रिड बोर्ड की 308वीं बैठक)
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(छ)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (बीजीसीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्री–अवार्ड तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श – चरण– IV, (भाग– II)
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	पारस्परिक रूप से सहमत
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	बिहार में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करने के अंतर्गत बीजीसीएल को प्री–अवार्ड तकनीकी प्रबंधकीय सेवाओं के लिए परामर्श – चरण– IV, (भाग– II) 30 मई, 2019 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत ₹111.14 करोड़ है।
	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	7 मई, 2019 (पावरग्रिड बोर्ड की 365वीं बैठक)
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य

(ज)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**तीस्तावैली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (टीपीटीएल),संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	1. किशनगंज पावरग्रिड एस/एस में 2 400केवी एआईएस बे और 2x63 एमवीएआर रिएक्टरों के निष्पादन के लिए परामर्श (बाद मेंमें, एआईएस से जीआईएस में कार्यक्षेत्र संशोधित)। 2. रंगपो और तीस्ता लाइन के लिए किशनपुर एस/एस में 02 लाइन रिएक्टरों के साथ–साथ 02 400 केवी लाइन बे के लिए ओएंडएम परामर्श सेवा।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	1. 26 महीने (अनुबंध के अनुसार कार्यक्षेत्र पूरा होने तक देरी के मामले में स्वचालित रूप से विस्तार योग्य)। 2. वित्त वर्ष 2018–19 से वित्त वर्ष 2023–24 तक 72 महीने।
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	1. किशनगंज में 2, 400 केवी जीआईएस बे और 2x63 एमवीएआर रिएक्टरों के लिए परीक्षण और कमीशनिंग सहित खरीदए इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन जैसी सभी सेवाएँ प्रदान करना। 1 सितंबर, 2009 को हस्ताक्षरित समझौते की संशोधित परियोजना लागत 31 मार्च, 2021 तक ₹56.10 करोड़ है और परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत का 15% है। 2. रंगपो और तीस्ता लाइन के लिए किशनपुर एस/एस में 02 लाइन रिएक्टरों के साथ–साथ 02 400 केवी लाइन बे के लिए ओएंडएम परामर्श सेवाए लागू करों को छोड़कर अनुमानित शुल्क ₹48.230 लाख (वित्त वर्ष 2021.22)।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	10 अगस्त, 2020 (पावरग्रिड बोर्ड की 368वीं बैठक))
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(झ)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल), संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	बीना सबस्टेशन पर ऑन–लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा की स्थापना के लिए परामर्श।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	पारस्परिक रूप से सहमत
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	बीना सबस्टेशन पर ऑन–लाइन हाई पावर शॉर्ट सर्किट टेस्ट सुविधा की स्थापना के लिए परीक्षण और कमीशनिंग सहित सभी सेवाएँ प्रदान करना अर्थात खरीद, इंजीनियरिंग, कार्यान्वयन। 25 नवंबर, 2010 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी अनुमानित परियोजना लागत ₹247.06 करोड़ है और परामर्श शुल्क परियोजना की वास्तविक निष्पादित लागत का 10% है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	लागू नहीं
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	इस संविदा के लिए एनएचपीटीएल को अग्रिम के रूप में किसी राशि का भुगतान नहीं किया गया।
(ट)	**क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति**	**क्रॉस–बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	मुजफ्फरपुर सबस्टेशन पर 220 केवी बे के साथ 400 केवी डी/सी मुजफ्फरपुर (भारत) – धालकेबार (नेपाल) ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से (मुजफ्फरपुर से सुरसंड) का ओ एंड एम प्रदान करना।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	ओएंडएम समझौते पर 23 अगस्तए 2023 को हस्ताक्षर किए गएए जिसकी वैधता 31 मार्च 2024 तक है। इसके अलावा, ओएंडएम समझौते को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का अनुमोदन किया जा रहा है।

	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	उपरोक्त ट्रांसमिशन लाइन का नियमित और निवारक रखरखाव अर्थात ऐसे कार्य जिनके लिए शट डाउन की आवश्यकता नहीं होती है जैसे (क) नियमित अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन की नियमित गश्त और रिकॉर्ड बनाए रखना (ख) नींव का निरीक्षण और टावर सदस्यों की पूर्णता की जांच करनाए (ग) लोपिंग और चॉपिंग और झाड़ी की सफाई जिसमें पेड़ों की कटाई/चॉपिंग और रास्ते के अधिकार के मुद्दे शामिल नहीं हैंए (घ) चिमनी की छोटी–मोटी मरम्मत और अतिरिक्त मिट्टी को हटानाए (ड.) गायब टावर सदस्यों/क्षतिग्रस्त टावर सदस्यों को बदलना। च) टावरों में फास्टनरों को सुरक्षित कार्य स्तर/ऊंचाई तक कसनाए (छ) जंपर्स और इंसुलेटर का दृश्य निरीक्षणए और (ज) किसी भी ट्रिपिंग या ऑटो रिक्लोज के मामले में लाइन की विशेष गश्त। छोटे शटडाउन प्रकृति के कार्य जैसेः क) गायब स्पेसर/स्पेसर डैम्पर्सए कंडक्टर वाइब्रेशन डैम्पर्सए आर्किंग हॉर्नए टूटे हुए इंसुलेटरए टावर सदस्यों का प्रतिस्थापन और सुरक्षित कार्य ऊंचाई/स्तर से ऊपर टावरों में फास्टनरों को कसनाए अर्थ वायर वीडीए ख) कंडक्टर और अर्थ वायर के टूटने के संबंध में सुधार जिसमें टावर का गिरनाए जम्पर का कटना शामिल न होए ग) कंडक्टर वाइब्रेशन डैम्पर्स के विस्थापन की देखभाल करनाए और घ) कंडक्टर की मरम्मत।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	27 अगस्त, 2019
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	16 अगस्तए 2016 को परिक्रामी निधि के रूप में ₹50 लाख प्राप्त हुए। उसके बाद अग्रिम के रूप में कोई राशि नहीं दी गई।
(ठ)	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीजीसीपीटीएल)**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	24 मई 2023 को बीजीसीपीटीएल के साथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमसी) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	22 माह (31 जुलाई 2025)
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	न्यू बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस–बॉर्डर इंटरकनेक्शन के भारतीय हिस्से के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करनाए जिसकी कुल परामर्श फीस ₹29.26 करोड़ है।
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	31 जुलाई 2023 (पावरग्रिड बोर्ड की 419 वीं बैठक)
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य
(ड)	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (पावरग्रिड की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी)**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	भाग (क) पावरग्रिड और पीईएसएल के बीच सहमत दायरे के अनुसार ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों की ओएंडएम गतिविधियों के लिए तकनीकीए कानूनी, लॉजिस्टिक्स और अन्य सहायता सहित विशेषज्ञ जनशक्ति सेवाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पीईएसएल के साथ व्यापक समझौता। भाग (ख) गुजरात राज्य के दो डिस्कॉम में स्मार्ट मीटरिंग कार्य के लिए और किसी भी अन्य आवश्यकता के लिए आवश्यकतानुसार 2000 करोड़ रुपये (दो हजार करोड़ रुपये) तक की राशि के लिए अंतर–कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना। भाग (सी) नागदा सौर पीवी पावर परियोजना के लिए पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड को भूमि का पट्टा।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	भाग (क) जैसा कि परस्पर सहमति से हो। भाग (ख) जैसा कि परस्पर सहमति से हो। भाग (ग) जैसा कि परस्पर सहमति से हो।
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	भाग (क) – (ख) का अवलोकन करें भाग (ख) – (ख) का अवलोकन करें भाग (ग) – (ख) का अवलोकन करें

	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	भाग (क) के लिए बोर्ड की 415वीं बैठक 19.05.2023 को आयोजित की गई भाग (ख) के लिए बोर्ड की 420वीं बैठक 30.08.2023 को आयोजित की गई भाग (ग) के लिए बोर्ड की 429वीं बैठक 05.03.2024 को आयोजित की गई
(ढ)	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज़ लिमिटेड (पावरग्रिड की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी)**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आरडीएसएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इनपुट और सेवाएं प्रदान करने हेतु पीईएसएल को परामर्श सेवाएं।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	पीईएसएल और पावरग्रिड के बीच समझौते की अवधि पीईएसएल द्वारा परियोजना के बंद होने तक है। पीईएसएल और ग्राहकों के बीच समझौते के अनुसारए परियोजना की अवधि है – • जेपीडीसीएल और केपीडीसीएलः 02 वर्ष • एलपीडीडीः 03 वर्ष
	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	समझौते की तारीखः 20.03.2024 आरडीएसएस कार्यों की कुल परियोजना लागतः 2146.29 करोड़ आरडीएसएस कार्यों की कुल परामर्श फीसः लागू करों को छोड़कर वास्तविक निष्पादित परियोजना लागत का 7% कुल सीएफ में पावरग्रिड का हिस्साः 5% कुल सीएफ में पीईएसएल का हिस्साः शेष 2%
	ङ.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	बोर्ड की 429वीं बैठक 05.03.2024 को आयोजित की गई।
(ण)	क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**पावरग्रिड टेलीसर्विसेज़ लिमिटेड (पावरग्रिड की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी)**
	ख) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	भाग (क) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए पावरटेल को अंतर–कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना। भाग (ख) पावरटेल से कोई अन्य उत्पाद/सेवा प्राप्त करना। भाग (ग) दूरसंचार परियोजना के निष्पादन के लिए पावरटेल को अंतर–कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना। भाग (घ) मानेसर में पायलट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए पावरटेल को अंतर–कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करना। भाग (ड.) प्रायोगिक डाटा सेंटर की स्थापना के लिए पावरटेल को पावरग्रिड मानेसर सबस्टेशन पर लीज/किराये के आधार पर भूमि प्रदान करना। भाग (च) मानेसर में डाटा सेंटर परियोजना के निष्पादन के दौरान पावरटेल को सहायता सेवाएं प्रदान करना। भाग (छ) ओपीजीडब्ल्यू बिछाने और ओएंडएम से संबंधित पावरटेल को सहायता सेवाएं प्रदान करना।
	ग) संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की अवधि	भाग (क) 12 महीने का अनुबंध। भाग (ख) आज तक कोई सेवा नहीं ली गई। भाग (ग) 60 महीने का अनुबंध। भाग (घ) 60 महीने का अनुबंध। भाग (ड.) 240 महीने का अनुबंध। भाग (च) मानेसर में डेटा सेंटर के निवेश अनुमोदन की तारीख से परियोजना के पूरा होने तक लागू होगा। भाग (छ) प्रस्ताव पावरटेल बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है और उसके बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

	घ) संविदा या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है	भाग (क) कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए 200 करोड़ रुपये (केवल दोदो सौ करोड़ रुपये) तक की राशि के लिए अंतर कॉर्पोरेट ऋण। भाग (ख) पावरटेल से किसी भी अन्य उत्पाद/सेवा का लाभ उठाना जो पावरटेल द्वारा तीसरे पक्ष से प्रदान और/या खरीदा जाएगाए उसे पावरटेल की लागत और ओवरहेड्स को कवर करने के लिए लागत प्लस 10% पर प्राप्त किया जा सकता है। भाग (ग) दूरसंचार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता के लिए अंतर कॉर्पोरेट ऋण, जब भी पावरग्रिड से लागत के आधार पर आवश्यकता हो, 605.92 करोड़ रुपये तक की राशि। भाग (घ) पावरग्रिड मानेसर सबस्टेशन पर प्रायोगिक डाटा सेंटर की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता हेतु अंतर–कॉर्पोरेट ऋण, जिसकी राशि 571.06 करोड़ रुपये तक होगी, जब भी पावरग्रिड से लागत के आधार पर आवश्यकता होगी। भाग (ड.) सीईआरसी के आदेश के अनुसार पट्टे/किराये का मूल्यांकन एक बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा। पहले और दूसरे वर्ष के लिए पट्टा किराया 15 लाख रुपये/वर्ष है। उसके बाद हर 2 साल में 5% की वृद्वि होगी)। भाग (च) प्रायोगिक डाटा सेंटर परियोजना की स्थापना के लिए इनपुट और सेवाएं प्रदान करना। इनपुट और सेवाओं के लिए लागू वास्तविक परियोजना लागत (आईडीसी और परामर्श शुल्क को छोड़कर) का 0.5% परामर्श शुल्क और जीएसटी। **भाग (छ)** i) पावरटेल के लिए पावरग्रिड/एसईबी/अन्य उपयोगिताओं की ट्रांसमिशन लाइनों पर ओपीजीडब्ल्यू बिछाना, लागत और ओवरहेड को कवर करने के लिए लागत प्लस 0.5%। ii) पावरग्रिड/एसईबी/अन्य उपयोगिताओं की ट्रांसमिशन लाइनों पर बिछाई गई ओपीजीडब्ल्यू के लिए ओ एंड एम, जिसका उपयोग विशेष रूप से पावरटेल द्वारा किया जाता है, लागत और ओवरहेड को कवर करने के लिए 10% अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। iii) छोटे–मोटे काम जैसे कि एक नए संयुक्त बॉक्स का निर्माणए एक छोटे से हिस्से पर ओपीजीडब्ल्यू बिछानाए आदिए विशेष रूप से पावरटेल के लिए लागत के साथ–साथ लागत और ओवरहेड को कवर करने के लिए 10% अतिरिक्त दिया जाएगा।''
	ड.) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख(खें)	भाग (क) 418वीं बोर्ड बैठक 14.07.2023 को आयोजित की गई। भाग (ख) 425वीं बोर्ड बैठक 16.12.2023 को आयोजित की गई। भाग (ग) 422वीं बोर्ड बैठक 20.10.2023 को आयोजित की गई। भाग (घ) 422 वीं बोर्ड बैठक 20.10.2023 को आयोजित की गई। भाग (ड.) 422वीं बोर्ड बैठक 20.10.2023 को आयोजित की गई। भाग (च) 422वीं बोर्ड बैठक 20.10.2023 को आयोजित की गई। भाग (छ) 433वीं बोर्ड बैठक 05.06.2024 को आयोजित की गई।
	च) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	शून्य

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(रवींद्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09632316

तारीखः 31 जुलाई, 2024
स्थानः गुरुग्राम

फॉर्म एओसी 1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों या सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

भाग ''क'': अनुषंगियां

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिंग का %
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(19.48)	-	19.43	शून्य	-	-	-	-		100%
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	490.95	6.20	1,121.40	624.25	शून्य	169.67	73.57	18.94	54.63		100%
3	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	12.96	15.68	62.78	34.14	शून्य	28.29	14.98	0.59	14.39		100%
4	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	709.00	21.59	3,456.74	2,726.15	शून्य	477.08	172.90	43.97	128.93		100%
5	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	661.60	10.83	3,245.87	2,573.44	शून्य	591.21	285.95	72.95	213.00		100%
6	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	233.20	5.95	1,184.07	944.92	शून्य	175.06	53.71	13.85	39.86		100%

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिंग का %
7	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	187.56	3.77	919.57	728.24	शून्य	120.50	35.22	8.97	26.25		100%
8	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	89.60	10.34	450.43	350.49	शून्य	58.04	35.77	9.09	26.68		100%
9	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	198.75	14.72	982.92	769.05	शून्य	153.52	64.79	16.38	48.41		100%
10	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	232.00	3.92	1,159.67	923.75	शून्य	131.75	24.82	6.25	18.57		100%
11	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	111.95	2.13	569.94	455.86	शून्य	70.63	30.79	7.57	23.22		100%
12	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	115.00	9.03	570.03	446.00	शून्य	76.85	27.68	6.99	20.69		100%
13	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	141.00	6.05	656.11	509.06	शून्य	90.26	32.99	8.37	24.62		100%
14	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	151.30	38.35	863.99	674.34	शून्य	104.80	43.45	10.95	32.50		100%

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावध ान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिंग का %
15	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	205.98	28.23	1,198.13	963.92	शून्य	107.42	37.93	9.52	28.41		100%
16	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	54.87	2,096.68	2,041.76	शून्य	21.97	92.18	23.40	68.78		100%
17	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	32.01	2.32	355.48	321.15	शून्य	12.82	3.81	0.96	2.85		100%
18	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	300.00	102.22	423.47	21.25	शून्य	126.93	62.72	2.64	53.20		100%
19	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	140.00	11.18	1,539.66	1,388.48	शून्य	119.64	29.43	7.41	22.02		100%
20	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	142.00	(0.98)	1,327.56	1,186.54	शून्य	-	(0.51)	(0.13)	(0.38)		100%
21	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	73.21	(0.93)	806.59	734.31	शून्य	-	(0.38)	(0.10)	(0.28)		100%
22	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	99.95	(0.06)	1,079.10	979.21	शून्य	-	(0.07)	(0.02)	(0.05)		100%

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावधान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिंग का %
23	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	664.02	95.20	1,537.53	778.31	शून्य	470.01	198.20	40.87	157.33		100%
24	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	97.75	(1.25)	473.44	376.94	शून्य	67.15	12.93	4.85	8.08		100%
25	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	100.00	(1.16)	1,380.04	1,281.20	शून्य	-	(1.04)	(0.26)	(0.78)		100%
26	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	96.00	9.90	984.12	878.22	शून्य	26.72	14.27	3.59	10.68		100%
27	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	125.81	(1.50)	811.67	687.36	शून्य	-	(1.72)	(0.44)	(1.28)		100%
28	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	10.05	(0.70)	64.02	94.67	शून्य	-	(0.36)	(0.09)	(0.27)		100%
29	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	-	31.53	31.48	शून्य	-	-	-	-		100%
30	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	12.76	(1.12)	292.90	281.26	शून्य	-	(1.50)	(0.38)	(1.12)		100%

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावध ान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिग का %
31	पावरग्रिड खावड़ा II. बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	26.05	(0.19)	499.48	473.62	शून्य	-	(0.26)	(0.07)	(0.19)		100%
32	पावरग्रिड खावड़ा प्. सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.01)	1,157.39	1,157.35	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%
33	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	1.30	(0.07)	85.27	84.04	शून्य	-	(0.09)	(0.02)	(0.07)		100%
34	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	6.30	(0.06)	133.66	127.42	शून्य	-	(0.08)	(0.02)	(0.06)		100%
35	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.01)	45.41	45.41	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%
36	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	60.50	60.49	शून्य	-	-	-	-		100%
37	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.27)	515.15	515.41	शून्य	-	(0.36)	(0.09)	(0.27)		100%
38	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	95.79	95.78	शून्य	-	-	-	-		100%
39	पावरग्रिड भडला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.01)	131.31	131.31	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%
40	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.01)	124.82	124.82	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	अनुषंगी कंपनियों का नाम	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	विदेशी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	शेयर पूंजी	रिजर्व और अधिशेष	कुल संपत्ति	कुल देयताएं	निवेश	टर्न ओवर	कराधान से पहले का मुनाफा	कराधान के लिए प्रावध ान	कराधान के बाद का मुनाफा	प्रस्तावित लाभांश	शेयर होल्डिंग का %
41	पावरग्रिड रामगढ़ ॥ ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.56)	160.41	160.92	शून्य	-	(0.01)	(0.19)	0.18		100%
42	पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.01)	22.65	22.65	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%
43	पावरग्रिड नीमराण ा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	(0.01)	21.12	21.12	शून्य	-	(0.01)	-	(0.01)		100%
44	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	72.26	72.25	शून्य	-	-	-	-		100%
45	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.01	-	22.20	22.19	शून्य	-	-	-	-		100%
46	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.55)	59.23	59.73	शून्य	-	(0.01)	(0.18)	0.17		100%
47	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	लगू नहीं	लगू नहीं	0.05	(0.13)	68.48	68.56	शून्य	-	(0.01)	(0.03)	0.02		100%

उन अनुषंगियों के नाम जिन्हें अभी अपने प्रचालन आरंभ करने हैं:

1	पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (गोइंग कंसर्न नहीं)	14	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड
2	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	15	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	पावरग्रिड भडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	16	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड
4	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	18	पावरग्रिड भडला III ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	19	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड
7	पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20	पावरग्रिड रामगढ II ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21	पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	22	पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	23	पॉवरग्रिड वेटमैन ट्रांसमिशन लिमिटेड
11	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	24	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड
12	पॉवरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	25	बीदर खेतडी ट्रांसमिशन लिमिटेड
13	पॉवरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	26	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड

वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेची गई अनुषंगी कंपनियों के नामः शून्य

भाग "ख": सहयोगी कंपनियां और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धार129(3) के अनुसरण में विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुषंगी कंपनियों का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्रा की तिथि	वर्ष के समाप्ति पर कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उसका विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न किए जाने का कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	वर्ष के दौरान लाभ/हानि	
		संख्या	निवेश की राशि	धारित का विस्तार %				i. समेकन में विचार किया गया	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया
संयुक्त उद्यम									
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	22,93,20,000	229.32	49%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	475.20	40.06	लागू नहीं
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	31.03.2024	2,34,00,000	23.40	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	37.72	4.42	लागू नहीं
पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	आलेख परीक्षित	7,09,37,620	70.94	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	92.90	12.10	लागू नहीं
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	आलेख परीक्षित	12,01,20,000	120.12	30.92%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	182.13	20.85	लागू नहीं
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	31.03.2024	10,69,64,000	106.96	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	142.49	22.00	लागू नहीं
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	आलेख परीक्षित	4,88,00,000	48.80	22%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	12.32	(6.08)	लागू नहीं
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	31.03.2024	33,73,92,404	337.39	50%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	412.33	(70.52)	लागू नहीं
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	आलेख परीक्षित	84,66,10,000	846.61	39.25%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	624.35	(51.10)	लागू नहीं
आरआईएनएल पावरग्रिड क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	Unaudited	40,00,000	4.00	50%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	-	-	लागू नहीं
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	1,00,00,000	10.00	50%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	9.91	(0.08)	लागू नहीं

अनुषंगी कंपनियों का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्रा की तिथि	वर्ष के समाप्ति पर कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर			किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है उसका विवरण	सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न किए जाने का कारण	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य	वर्ष के दौरान लाभ/हानि	
		संख्या	निवेश की राशि	धारित का विस्तार %				i. समेकन में विचार किया गया	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	Unaudited	11,70,000	6.50	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	लागू नहीं	14.51	2.23	लागू नहीं
एसोसिएट									
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	1,58,60,000	15.86	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	इंड एएस 105 के अनुसार बिक्री के लिए राशि गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	5,89,96,600	59.00	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	इंड एएस 105 के अनुसार बिक्री के लिए राशि गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पावरग्रिड वरारा ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	10,22,58,000	102.26	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	इंड एएस 105 के अनुसार बिक्री के लिए राशि गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.03.2024	8,37,46,000	83.74	26%	शेयरधारिता 20% से अधिक है	इंड एएस 105 के अनुसार बिक्री के लिए राशि गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

उन सहयोगी या संयुक्त उद्गमों के नाम जिन्होंने अभी तक प्रचालन शुरू नहीं की है — आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राईवेट लिमिटेड (प्रचालन में नहीं है)

Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year: NIL

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन

सीए पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928

कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 003510एस

सीए अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750डब्ल्यू/डब्ल्यू – 100010

सीए अविलास अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 062668

कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515डब्ल्यू

सीए सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024
स्थानः मुम्बई

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-X

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

इस नीति को पावरग्रिड की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व एवं संवहनीयता (सीएसआर एंड एस) नीति का नाम दिया गया है।

दृष्टि

एक ऐसी कॉर्पोरेट बनना जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ग्रामीण विकासए कौशल विकास, स्वच्छता और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में पहल के माध्यम से समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति निर्धारित करे और संवहनीय पर्यावरणीय प्रथाओं का पालन करे।

मिशन

सीएसआर और संवहनीयता नीति को व्यवसाय नीति के अनुरूप बनानाए ताकि व्यवसाय को संवहनीय तरीके से संचालित किया जा सके, पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों से निपटने में बचाव, न्यूनीकरण और शमनीकरण के सिद्धांतों का पालन किया जा सके और राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व की उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं हितधारकों के परामर्श से शुरू की जा सकें।

सीएस आर के अंतर्गत क्रियाकलाप

सीएसआर के अंतर्गत निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची VII में उल्लिखित सभी गतिविधियां सम्मिलित होंगी।

निगम सीएसआर गतिविधियों के लिए उन हितधारकों को प्राथमिकता देगा जो इसके संचालन से सीधे प्रभावित होते हैं। चूंकि ऐसे हितधारक आम तौर पर निगम के वाणिज्यिक संचालन की परिधि में स्थित होते हैंए पावरग्रिड अपने संचालन के स्थानीय क्षेत्रों और पड़ोस के क्षेत्रों में सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता देगा।

किसी जिले की भौगोलिक सीमा जहां पावरग्रिड की उपस्थिति हैए सीएसआर एंड एस गतिविधियों के लिए ''स्थानीय क्षेत्र'' माना जाएगा। इसके अतिरिक्तए पावरग्रिड अपनी सीमा से बाहर भी सीएसआर गतिविधियां संचालित करेगा। स्थानीय क्षेत्रों और बाहर के बीच सीएसआर खर्च का अनुपात लगभग 75:25 होगा। यद्यपि, भारत सरकार के निर्देशों के अंतर्गत निष्पादित या राष्ट्रीय विकास एजेंडे की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाएँ/गतिविधियाँ इस अनुपात के दायरे से बाहर होंगी। सीएसआर एंड एस समिति किसी भी परियोजना को मंजूरी देने के लिए अधिकृत है, भले ही इसमें सम्मिलित राशि कुछ भी हो, जो उपरोक्त अनुपात से परे है।

निगम के संचालन से सीधे प्रभावित हितधारकों को सीएसआर गतिविधियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में शुरू की गई सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां केवल सीएसआर व्यय के बराबर होंगी।

सीएसार क्रियाकलापों के निष्पादन तरीका

सीएसआर गतिविधियों को अधिमानतः एक परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन आम तौर पर निगम की कार्य और खरीद नीति के अनुसार निगम द्वारा पुरस्कार देकर किया जाएगा। जमा कार्य के आधार पर सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रए राज्य सरकारोंए पंचायती राज संस्थानों आदि के विभिन्न विभागों की सेवाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है।

सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों को एक पंजीकृत ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसायटी या निगम या इसकी होल्डिंग या सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी द्वारा स्थापित कंपनी के सहयोग से भी शुरू किया जा सकता है। इन्हें अधिनियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

संचार की रणनीति

हितधारकों के साथ व्यापक संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाएगा। वेबसाइटए ईमेलए वार्षिक सीएसआर पुस्तिका, वार्षिक रिपोर्ट आदि पर प्रदर्शन पावरग्रिड की सीएसआर पहल को समझने के लिए प्रमुख उपकरण होंगे।

सीएसआर क्रियाकलापों का वित्तपोषण

निगम को सीएसआर पर सालाना तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करना होगा।

2. सीएसआर समिति की संरचना

31.03.2024 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुसारए सीएसआर समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

क्र .सं॰	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें वर्ष के दौरान भाग लिया
1.	श्री रवीन्द्र कुमार त्यागी (01.01.2024 से)	अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक/ सीएसआर समिति के अध्यक्ष	4	4
2.	डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी (31.08.2023 से)	निदेशक (कार्मिक)/सीएसआर समिति के सदस्य	6	6
3.	श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक (कार्मिक)/ सीएसआर समिति के सदस्य	11	11
4.	श्री चेतन बंसीलाल कांकरिया	स्वतंत्र निदेशक (कार्मिक)/ सीएसआर समिति के सदस्य	11	11

3. वेब–लिंक जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं कों कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट किया गया है

क्र. सं.	निम्नलिखित विवरणों तक पहुंच	वेब–लिंक
1.	सीएसआर समिति की संरचना समिति की संरचना	https://www.powergrid.in/en/composition-committees-board-directors
2.	सीएसआर पॉलिसी	https://www.powergrid.in/en/aboutus-csr
3.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://apps.powergrid.in/pgdocs/2024/07/Comp_Sect_Docs/Projects_detail.pdf

4. रूल्स 2014 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमए 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ कार्यकारी सारांश

कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमए 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के तहत प्रभाव मूल्यांकन के लिए पात्र सीएसआर परियोजनाओं का विवरण यहां उपलब्ध है:

https://apps.powergrid.in/pgdocs/2024/07/Comp_Sect_Docs/Projects_eligible_for_Impact_Assessment.pdf

प्रभाव आकलन पर पूरी रिपोर्ट यहां उपलब्ध है:

https://apps.powergrid.in/pgdocs/2024/07/Comp_Sect_Docs/Annu_Rep_Docs_2024.pdf

5. क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभः **₹17,134.07** करोड़

ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशतः **₹342.69** करोड़

ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेषः शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई होः **₹30.45** करोड़

ड.) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+ (ग) – (घ)]: **₹312.24** करोड़

6. क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशिःरू **₹317.14** करोड़ ;चल रहीं परियोजनाएं **= ₹176.21** करोड़ चल रही परियोजनाओं से भिन **= ₹140.93** करोड)

ख) प्रशासनिक मद में खर्च की गई राशि:**: ₹13.07** करोड़

ग) सीएसआरआकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः **₹0.27** करोड़

घ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि **[(क)(ख)(ग)]: ₹330.48** करोड़

ड.) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्त वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ में)	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार व्यय न की गई सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135 की उप–धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि		
	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	मात्रा	अंतरण की तिथि
330,47,63,608	0.00	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

च) सेट–ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि :

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	3,12,22,93,466
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3,30,47,63,608
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	18,24,70,142
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजित किए जाने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	18,24,70,142

7. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण**

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (₹ में)	कमी, यदि कोई है
					राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि		
1.	2020-21	0	0	2,40,48,01,918	0	शून्य	शून्य	-
2.	2021-22	0	0	2,71,13,87,826	0	शून्य	शून्य	-
3.	2022-23	0	0	3,21,66,10,491	0	शून्य	शून्य	-
	कुल			**8,33,28,00,235**				-

8. **क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की खर्च की गई राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है**

◯ हाँ ✓ नहीं

यदि हाँ, तो सृजितध/अर्जित पूजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र. सं	संपत्ति या परिसम्पत्तियों को संक्षिप्त विवरण [संपत्ति के पूरा पता और अवस्थिति सहित]	संपत्ति अथवा परिसम्पत्ति का पिनकोड	सृजन की तिथि	व्यय की गई सीएसआर की राशि	पंजीकृत स्वामित्व की संख्या/प्राधिकरण/लाभार्थी का ब्यौरा		
					पंजीकृत सीएसआर संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
लागू नहीं							

9. **यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण बताएं:** उपलब्ध नहीं लागू नहीं

दिनांक: 31 जुलाई, 2024
स्थान: गुरूग्राम

डॉ. यतीन्द्र द्विवेदी
निदेशक (कार्मिक)
डीआईएन: 10301390

(रवीन्द्र कुमार त्यागी)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09632316

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार स्टैंडअलोन तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023* को	01 अप्रैल, 2022* को
परिसम्पत्तियां				
गैर–चालू परिसम्पत्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	161,333.81	170,801.36	178,175.63
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	9,581.16	7,668.13	7,344.46
निवेश सम्पत्ति	6	1.84	-	-
अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	1,366.70	1,476.19	1,556.13
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	8	91.01	31.08	31.53
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश	9	8,731.63	7,414.95	7,228.53
व्यापार प्राप्य	10क	282.95	695.57	-
ऋण	10	21,502.52	16,897.29	14,269.78
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	11	4,662.16	4,810.79	4,414.47
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	12	4,569.56	4,905.63	4,797.73
		212,123.34	**214,700.99**	**217,818.26**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19क	-	-	245.00
		212,123.34	**214,700.99**	**218,063.26**
चालू परिसम्पत्तियां				
मालसूची	13	1,303.73	1,323.55	1,352.60
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश	14क	608.26	-	-
व्यापार प्राप्य	14	10,825.80	14,304.13	13,017.04
नकदी एवं नकदी समतुल्य	15	2,620.55	4,146.24	2,457.47
नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष	16	2,406.18	588.20	513.57
ऋण	17	450.49	455.10	328.27
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	18	5,020.57	1,930.57	6,125.77
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	19	201.89	222.77	210.99
		23,437.47	**22,970.56**	**24,005.71**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19क	260.86	260.86	15.86
		23,698.33	**23,231.42**	**24,021.57**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	9,599.74	10,283.76	9,973.04
कुल परिसम्पत्तियां		**245,421.41**	**248,216.17**	**252,057.87**
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	21	9,300.60	6,975.45	6,975.45
अन्य इक्विटी	22	77,566.45	75,868.73	69,184.82
		86,867.05	**82,844.18**	**76,160.27**
देयताएं				
गैर–चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधारी	23	105,066.95	113,891.29	114,199.40
पट्टा देयताएं		37.24	61.63	27.04
अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं	24	3,553.22	3,564.67	3,523.00
प्रावधान	25	643.11	577.61	517.05
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	9,981.40	10,619.90	11,416.08
अन्य गैर–चालू देयताएं	27	4.77	197.10	240.89
		119,286.69	**128,912.20**	**129,923.46**

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार स्टैंडअलोन तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023* को	01 अप्रैल, 2022* को
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधारी	28	18,381.67	14,626.22	24,646.10
पट्टा देयताएं		4.18	4.09	2.74
व्यापार संबंधी देय राशियां				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	29	49.79	48.69	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	29	304.28	276.33	218.95
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	30	7,875.60	7,392.53	7,408.90
अन्य चालू देयताएं	31	2,606.93	3,132.40	3,203.41
प्रावधान	32	583.36	781.41	932.31
चालू कर देयताएं (निवल)	33	-	34.60	-
		29,805.81	**26,296.27**	**36,459.60**
आस्थगित राजस्व	34	9,461.86	10,163.52	9,514.54
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**245,421.41**	**248,216.17**	**252,057.87**

* पुनः कथित (टिप्पणी 66(क) देखें)

संलग्न टिप्पणियां (1 से 67) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास	**जी. रविशंकर**	**आर. के. त्यागी**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08816101	डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
सतत प्रचालन			
प्रचालनों से राजस्व	35	42,391.16	42,635.90
अन्य आय	36	3,424.21	2,591.62
कुल आय		**45,815.37**	**45,227.52**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	37	2,376.88	2,400.35
वित्त लागत	38	9,046.87	9,707.20
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	39	12,558.19	12,858.52
अन्य व्यय	40	3,259.46	3,274.50
कुल व्यय		**27,241.40**	**28,240.57**
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि		**18,573.97**	**16,986.95**
कर व्ययः			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		3,238.91	2,948.58
–– पूर्ववर्ती वर्ष		(2.48)	(73.76)
आस्थगित कर	26	(604.45)	(755.98)
		2,631.98	**2,118.84**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ		**15,941.99**	**14,868.11**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उत्तार–चढ़ाव – आय (व्यय) (निवल कर)	41	(564.51)	256.43
सतत परिचालन से लाभ		**15,377.48**	**15,124.54**
बंद परिचालन से कर–पूर्व लाभ		116.27	227.74
बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		19.14	16.74
बंद परिचालन से लाभ (टिप्पणी 65 देखें)		**97.13**	**211.00**
अवधि के लिए लाभ		**15,474.61**	**15,335.54**
अन्य व्यापक आय			
सतत परिचालन			
वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि (निवल कर) में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	42	(231.94)	(108.04)
बंद किए गए परिचालन (टिप्पणी 65 देखें)			
वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि (निवल कर) में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.95)	1.34
सतत परिचालन से कुल व्यापक आय		**15,145.54**	**15,016.50**
बंद परिचालन से कुल व्यापक आय (टिप्पणी 65 देखें)		**96.18**	**212.34**
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय		**15,241.72**	**15,228.84**

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि लेखा का विवरण (जारी)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
सतत परिचालन से प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10/–)	60		
विनियामक आस्थगित खाता शेष में होने वाली परिवर्तन सहित: मूल और मिश्रित (₹ में)		16.54	16.26
विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन को छोड़कर: मूल और मिश्रित (₹ में)		17.15	15.98
बंद परिचालनों से प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10/– है): मूल और मिश्रित (₹ में)	60	0.10	0.23
सतत और बंद परिचालनों से प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10/– है)	60		
विनियामक आस्थगित खाता शेष में होने वाले उतार–चढ़ाव सहित: मूल और मिश्रित (₹ में)		16.64	16.49
नियामक आस्थगित खाता शेष में होने वाले उतार–चढ़ाव को छोड़कर: मूल और मिश्रित (₹ में)		17.25	16.21

* पुनः कथित (टिप्पणी 66(क) देखें)

संलग्न टिप्पणियां (1 से 67) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2023 को	**6,975.45**
वर्ष के दौरान परिवर्तन (टिप्पणी 21 देखें)	2,325.15
31 मार्च, 2024 को	**9,300.60**
1 अप्रैल, 2022 को	6,975.45
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को	**6,975.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	
1 अप्रैल, 2023 को	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,047.96**	**58,457.37**	**3,989.19**	**371.61**	**75,868.73**
वर्ष हेतु लाभ					15,474.61		15,474.61
अन्य व्यापक आय					(33.96)	(198.93)	(232.89)
कुल व्यापक आय					**15,440.65**	**(198.93)**	**15,241.72**
वर्ष के दौरान समायोजन							-
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित				6,000.00	(6,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(1,247.15)			1,247.15		-
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के लिए उपयोग किया गया	(2,325.15)						(2,325.15)
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			301.53		(301.53)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(108.86)	108.86	-		-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2022–23					(3,313.34)		(3,313.34)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2023–24					(7,905.51)		(7,905.51)
31 मार्च 2024 को	**5,509.28**	**2,921.02**	**1,240.63**	**64,566.23**	**3,156.61**	**172.68**	**77,566.45**

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी स्टैंडअलोन विवरण (जारी)

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष					अन्य व्यापक आय	योग
	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	
1 अप्रैल, 2022 को	**7,834.43**	**5,532.80**	**853.09**	**50,352.82**	**4,110.89**	**492.09**	**69,176.12**
जोड़े/(घटाए): इंड एएस 12 समायोजन					8.70		8.70
	7,834.43	**5,532.80**	**853.09**	**50,352.82**	**4,119.59**	**492.09**	**69,184.82**
वर्ष हेतु लाभ					15,335.54		15,335.54
अन्य व्यापक आय					17.22	(123.92)	(106.70)
कुल व्यापक आय					**15,352.76**	**(123.92)**	**15,228.84**
वर्ष के दौरान समायोजन							-
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित				8,000.00	(8,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित		(1,364.63)			1,364.63		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित			299.42		(299.42)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(104.55)	104.55	-		-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22					(1,569.48)		(1,569.48)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2022–23					(6,975.45)		(6,975.45)
अन्य समायोजन					(3.44)	3.44	-
31 मार्च 2023 को	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,047.96**	**58,457.37**	**3,989.19**	**371.61**	**75,868.73**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

प्रारक्षित निधि व अधिशेष के प्रकार व लेन देन के लिये के टिप्पणी सं 22 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024.

स्थानः मुम्बई

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ एवं विनियामक आस्थागन लेखा शेष (बंद प्रचालन सहित)	**18,690.24**	**17,214.69**
जोड़ें : विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ (कर निवल)	(564.51)	256.43
जोड़ें : विनियामक आस्थगन कर शेष में निवल घट–बढ़ पर कर	(119.51)	54.29
कर पूर्व निवल लाभ (विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ सहित)	**18,006.22**	**17,525.41**
निम्न हेतु समायोजन :		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	12,601.43	12,939.88
सहायता अनुदानों से अंतरण	(311.41)	(315.33)
आस्थगित राजस्व–मूल्यहास के प्रति अग्रिम	(130.24)	(151.56)
प्रावधान	200.76	65.18
लाभ अथवा हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(13.05)	(27.90)
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बटटे खाते में डालने पर निवल हानि	19.99	22.09
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसम्पत्ति	415.85	(159.19)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय	(273.94)	1,116.10
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	684.02	(310.72)
वित्त लागत	9,062.58	9,744.25
पुनरांकित प्रावधान	(95.65)	(29.93)
एफईआरवी हानि/(लाभ)	41.97	268.20
एफवीपीएल में पाए गए वर्तमान निवेश के उचित मूल्य में बिक्री/परिवर्तन पर लाभ	(9.46)	-
संयुक्त उद्यमों, पीजीइनविट आदि को जमाओं, बांड, ऋणों पर ब्याज आय	(1,739.17)	(1,265.48)
अधिभार आय	(131.25)	(163.54)
वित्तीय पट्टे से लाभ	(72.25)	(150.80)
लाभांश आय	(1,038.17)	(671.71)
	19,212.01	**20,909.54**
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**37,218.23**	**38,434.95**
परिसम्पत्तियों एवं देयत्ताओं में परिवर्तन हेतु समायोजनः		
माल सूचियों में (वृद्धि)/कमी	9.51	25.96
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	3,364.35	(1,847.06)
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(2,850.22)	4,216.70
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(18.68)	1.25
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(14.04)	(6.12)
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	328.75	(189.22)
	819.67	**2,201.51**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**38,037.90**	**40,636.46**
संदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,247.77)	(2,797.04)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**34,790.13**	**37,839.42**

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	(5,511.80)	(4,404.60)
अनुदान की प्राप्ति	0.29	0.35
म्युचुअल फंड में निवेश	(2,080.00)	-
म्युचुअल फंड की बिक्री	1,483.92	-
सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं अन्य में निवेश (निवल)	(1,042.69)	(358.83)
सहायक, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम (चुकौती सहित)	(4,650.02)	(3,089.78)
वित्तीय पट्टे से प्राप्त राशियां	217.59	132.33
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	(1,913.50)	(45.53)
सहायक, संयुक्त उद्यमों एवं पीजीइनविट आदि को जमाओं, बाण्डों एवं ऋणों पर प्राप्त ब्याज	1,748.70	1,200.14
प्राप्त अधिभार	275.95	192.79
प्राप्त लाभांश	1,038.02	671.71
निवेशकारी कार्यकलापों से/(प्रयुक्त से) निवल नकदी	**(10,433.54)**	**(5,701.42)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
गैर–चालू उधारियों से प्राप्ति	8,053.00	9,140.44
गैर–चालू उधारियों की चुकौती	(13,440.72)	(15,540.65)
चालू उधारियों से लाभ/की चुकौती	70.91	(6,857.62)
पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित)	(6.25)	(8.82)
वित्तीय लागत का भुगतान	(9,339.19)	(8,637.65)
लाभांश का भुगतान	(11,218.85)	(8,544.93)
बोनस शेयर की जारी हेतु प्रदत्त व्यय	(1.18)	-
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी	**(25,882.28)**	**(30,449.23)**
घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**(1,525.69)**	**1,688.77**
ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य (आरम्भिक शेष)	**4,146.24**	**2,457.47**
च. नकदी एवं नकदी समतुल्य (अन्त शेष) (टिप्पणी सं.15 देखें)*	**2,620.55**	**4,146.24**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 67) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

'इसमें नामोदिष्ट खाते में रखा गया ₹622.93 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹1048.54 करोड़) शामिल है, जो कंपनी के इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।

दूरसंचार व्यवसाय के अंतरण पर आगे के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 'बंद प्रचालन' देखें।

टिप्पणी

1. नकद एवं नकदी समतुल्य राशियों में चेक, ड्राफ्ट, हस्तगत स्टाम्प, बैंकों में शेष और तीन माह तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशियां शामिल हैं।
2. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक शेष एवं अन्त शेषों के बीच लेखा मिलान।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2023 को	65.72	128,851.49	2,622.61
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(6.25)	(14,298.54)	70.91
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	(18.05)		
– उधारियों पर ब्याज		8,865.07	
– विनिमय दर में परिवर्तन		247.92	
–– उचित मूल्य समायोजन		(3.96)	
31 मार्च, 2024 को	**41.42**	**123,661.98**	**2,693.52**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2022 को	29.78	132,147.04	9,480.23
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.82)	(14,514.55)	(6,857.62)
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	44.76		
– उधारियों पर ब्याज		8,285.51	
– विनिमय दर में परिवर्तन		2,929.84	
–– उचित मूल्य समायोजन		3.65	
31 मार्च, 2023 को	**65.72**	**128,851.49**	**2,622.61**

#गैर–चालू उधारियों की चालू परिपक्वता और उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन

कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0 03510एस

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010

कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू

सीए पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928

सीए अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468

सीए अविलास अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 062668

सीए सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024.
स्थानः मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेशन एवं सामान्य सूचना

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कम्पनी'') एक सार्वजनिक कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कूतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कारपोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं., 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।

कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्य रूप से अन्तर–राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम); दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण 22 मई, 2024 को निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित किए गए थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश नीचे दिया है। यह लेखाकरण नीतियां प्रस्तुत सभी अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों में समान रूप से अपनायी गई हैं।

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, प्रत्येक मामले में अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा–संशोधित रूप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

ii) मूल्यांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और निम्नलिखित को छोड़कर, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है:

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछेक वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति की टिप्पणी 2.13 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना परिसंपत्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा रू) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित राशि के।

iv) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दशति हैं। यद्यपि, ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सत्तत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, तो संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों में किया जाता है, (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी–3 को देखें।)

v) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में प्राप्तियों एवं देयताओं को दर्शाता है।

परिसंपत्ति तब चालू होती है जब इसे:

- क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो अथवा सामान्य प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा उपभोग में लाये जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से कारोबार करने के प्रयोजनार्थ रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो; अथवा
- नकदी एवं नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान हेतु विनियमित अथवा प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता तब चालू होती है, जब :

- सामान्य प्रचालन तरीके में इसे निपटाया जा सकता हो;

- इसे मुख्य रूप से कारोबार के प्रयोजनार्थ रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाना निर्धारित हो; अथवा
- इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देयत्ताओं को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह बारह माह की अवधि को इसकी रिपोर्टिंग चक्र के रूप में स्वीकार करती है।

2.2 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, कंपनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने का विकल्प चुना था, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय कोई लागत शामिल है। शुरूआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति, यदि कोई हो, पर पूरा किया जाता है।

अधिकृत परिसंपत्तियों, निक्षेप कार्यों/लागत–जमा संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसिशशन सिस्टम के लिए सामान्य परिसंपत्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रूप में समझा जाता है और त्तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो, अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य व्यय शामिल हैं।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत ₹5,00,000/– और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हों, को पूंजीकृतत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत में, जब भी यह संभव हो, कि उपगत लागत से प्राप्त हो रहे भावी आर्थिक लाभ, कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता हो, वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के भाग को बदलने की लागत को मद की रखरखाव लागत में स्वीकार किया जाता है, यदि यह संभव हो कि भाग के अन्तर्गत भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है। यदि प्रतिस्थापन भाग या पहले की निरीक्षण घटक की लागत उपलब्ध नहीं है, तो एक जैसे नए भागों/निरीक्षण घटक की अनुमानित लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में कियी जाता है किमद के अधिग्रहण या निरीक्षण किए जाने पर मौजूदा भाग/निरीक्षण घटक की लागत क्या थी।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन की चुकौती की लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत्त के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और अमान्यकरण की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.3 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण व्यय एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की पहचान की जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवलद्ध को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए परिसंपत्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन /विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.4 अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकरण मानक में (1 अप्रैल, 2015) पारगमन की तारीख को समूह ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बारगी स्वीकण'' के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर आरम्भिक स्वीकरण पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों से पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरव्यापी रूप से परिशोधित होता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजातन महत्त्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत्त व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में माना जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हो।

विकास संबंधी व्यय को आअमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त परिसंपत्ति'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा तब अमान्य किया जाता है जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब परिसंपत्ति आमान्य हो।

2.5 निवेश सम्पत्ति

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, कंपनी ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने की सोची थी, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

निवेश सम्पत्ति में उस भूमि और अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और, अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

निवेश सम्पत्तियों का मूल्यांकन शुरूआती तौर पर लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल होता है। शुरूआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, से पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा उसमें हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में कोई बदलाव हो अर्थात जब कोई परिसंपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या समाप्त कर देती है और जब उपयोग में बदलाव का साक्ष्य होता है।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, जब या तो उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने से कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

2.6 मूल्यह्रास/परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास /परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वूसली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है और दूरसंचार, परामर्शी व्यवसाय और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट संपत्ति, संयत्र और उपकरण शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी परिसंपत्तियों को 6.67% प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को

अथवा इसके बाद अधिकृत्त ऐसी परिसंपत्तियों को टैरिफ की वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईईपीसीओ), 1 अप्रैल, 1992 संस्थानांतरित नेमवली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाईन तथा 01 अगस्त, 1993 से टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मामले में मूल्यहास को सकल ब्लॉक के आधार पर, जैसा कि आवश्यक समायोजनों के साथ अन्तरणकर्त्ता के बहियों में इंगित है, प्रभारित किया जाता है, ताकि टैरिफ हेतु सीईआरसी की अधिसूचना में यथा–निर्धारित परिसंपत्तियों की कार्य अवधि को बनाए रखा जा सके।

अतिरिक्त पुर्जा, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत हों, पर मूल्यहास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जिस तारीख को वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद पारेषण कारोबार की संबंधित परिसंपत्तियों के बाकी उपयोगी कार्यअवधि पर प्रयोग हेतु उपलब्ध होते हैं।

निम्नलिखित संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी कार्यअवधि
क. कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
ख. सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष

उपरोक्त में दी गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रूप में समझा जाता है।

मोबाइल फोन खरीद वर्ष में प्रभारित होते हैं।

₹5000/– अथवा कम की लागत के अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

जहां; अवमूल्यनीय सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट–बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृश कारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन किया गया हो, वहां, ऐसे परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रूप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट दरों पर एवं कार्य प्रणाली पर मूल्यहसित किया जाता है, इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर मूल्यहास को उस तारीख से/उस तारीख तक समानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार परिसम्पत्तियों का पट्टा प्रारंभ तिथि से पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर पूरी तरह से ह्रास किया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि को सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार लीज अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन जो भी कम हो, पर पूरी तरह से परिशोधित्त किया जाता है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगाधिकार अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाता है।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों को छोड़कर, वनारोपण खर्चों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद संबंधित पारेषण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

दूरसंचार लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी कार्यअवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास पर व्यय को 10 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर परिशोधन को उस तारीख से /उस तारीख तक यथा–अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग /निपटान हेतु उपलब्ध हो।

अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती और भारतीय लेखाकरण मानक–8 "लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन" के अनुसार लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

2.7 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यशील पूंजीके लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उदिदष्ट किया जाता है। उधारी लागतों को (जिसमें बॉण्ड निर्गम व्यय, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी

प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल हैं) इस तरह उदिदष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में मानी जाने वाली सीमा तक विदेशी मुद्रा उधार से सृजन होने वाले विनिमय अंतर को उधार लागत के रूप में माना जाता है।

मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रूप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों। मान्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जो अपने अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं।

अन्य उधारी लागतों को लाभ व हानि विवरण में दिखाया गया है जिस अवधि में वे व्यय किये गये।

2.8 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में यह निर्धारित करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि भारतीय लेखाकरण मानक–36 ''परिसंपत्तियों की क्षति'' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षति का कोई संकेतन हो, तब परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि अनुमानित होती है।

परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पादक यूनिट की वसूलीयोग्य राशि इसके उचित मूल्य घटा निपटान लागत और इसके प्रचलित मूल्य से अधिक होती है। प्रचलित मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, पूर्व कर छूट दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य में छूटप्राप्त होता है जो राशि के समय मान और परिसंपत्ति के जोखिम विशेष के चालू बाजार निर्धारणों को दर्शाता है। अपसामान्य जांच के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों को, जिनकी अलग–अलग रूप में जांच नहीं की जा सकती है, छोटे–छोटे परिसंपत्ति समूह में एक साथ समूहित किया जाता है, जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो द्सरे परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों (नकदी उउत्पादक यूनिट'' अथवा ''सीजीयू') के नकदी अन्तप्रवाहों में अत्यधिक स्वतंत्र हैं।

नकदी अन्तर्प्रवाह में अपसामान्य क्षतियों को तब मान्य किया जाता है, यदि परिसंपत्ति अथवा इसके सीजीयू की रखरखाव राशि इसकी अनुमानित वसूलनीय राशि से अधिक हो। अपसामान्य हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। सीजीयू के संबंध में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को सीजीयू के परिसंपत्तियों की रखरखाव राशियों से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में इन संकेतनों के लिए निर्धारित किया जाता है कि हानि कम हुई है अथवा अधिक समय तक नहीं रहती है। अपसामान्य हानि को लौटाया जाता है, यदि वसूलनीय राशि के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अनुमानों में बदलाव किया गया हो। अपसामान्य हानि को सिर्फ उसी सीमा में लौटाया जाता है जिस सीमा में परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से, जिसे निर्धारित किया जाएगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन, यदि अपसामान्य हानि को मान्य नहीं किया गया था, अधिक न हो।

2.9 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.10 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी लागत ₹5,00,000 से कम है, को मालसूचियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा–निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित/अनुप्रयोज्य और अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षा पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.11 पट्टे

पट्टा एक अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिये किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का प्रयोगाधिकार निहित होता है।

किसी भी अनुबंध में प्रयोगाधिकार का आकुलन करने के लिए कंपनी सुनिश्चत करता है कि : (i) निर्धारित परिसंपत्ति में प्रयोगाधिकार निहित है। (ii) पट्टे की अवधि के दौरान केता को काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ निहित हैं। (iii) क्रेता को परिसंपत्ति का उपयोगाधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

i) पट्टादाता के रूप में

पट्टे के शुरू होने की तारीख में, कंपनी उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा दायित्व को पहचानता है, जिसमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम की अवधि के पट्टे को छोड़कर (यानि अल्पकालिक पढे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर पढट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कतिपय लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि की समाप्ति से पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प

शामिल हैं। आरओयू की संपत्ति और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाली दायित्वों के साथ या पट्टे की स्थापना तिथि से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि और प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन शामिल होती है।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करता है कि क्या आरओयू परिसंपत्ति खराब है और 'गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि' पर लेखांकन नीति 2.9 में वर्णित किसी भी पहचान की गई हानि के लिए जिम्मेदार है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

लीज देयता पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है, जब तक कि ''उधार लागत' पर लेखांकन नीति 2.8 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो।

लीज देयता और आरओयू परिसंपत्ति को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) पट्टेदार के रूप में

पट्टे को स्थापना तिथि पर वित्त पट्टे या एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

अ) वित्त पट्टे

कोई पट्टा जो किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्टेट सेक्टर यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी/फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी/द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां जो लाभार्थियों को लीज पर दी गई हैं, उन्हें फाइनेंस लीज माना जाता है। ऐसी पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति में निवल निवेश को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय के तहत लीज प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल लीज की गणना की जाती है।

लीज के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार शुद्ध निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दशनि वाले पैटर्न के आधार पर लीज अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर रोटो एफईआरवी को लीज प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि के निवल मान्यता प्राप्त है।

ख) प्रचालनात्मक पट्टा

प्रचालनात्मक पट्टा एक वित्त पट्टे के अलावा एक पट्टा है। पट्टे जिसमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा बरकरार रखा जाता है, को परिचालन पढट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पहट्टों के लिए, संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है। परिचालन पढट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.12 कर्मचारी हितलाभ

2.12.1 निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान योजना एक नियोजन उपरांत लाभ योजना है, जिसके तहत कम्पनी अलग ईकाइयों (निधि) को निश्चित अंशदान अदा करती है और इसमें और अंशदान अदा करने के लिए कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी, यदि निधि में चालू एवं पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों को अदा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं रखता हो। निर्धारित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यता को उस अवधि में जिस अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

कंपनी की एक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है, जिसे एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है। कंपनी की बाध्यता ट्रस्ट में ऐसी सीमा में जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता छटा भविष्य निधि के संबंध में अंशदान, उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के 30 प्रतिशत से अधिक न हो, अंशदान करना है। वर्ष हेतु निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.12.2 निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना से भिन्न

एक नियोजनबाद लाभ योजना है। उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति पर दीर्घ सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा में भविष्य निधि योजना के संबंध में कंपनी की देयता निर्धारित लाभ योजनाओं के स्वरूप में हैं।

उपदान कंपनी द्वारा वित्तपोषित होता है और अलग न्यास द्वारा व्यवस्थित होता है। कंपनी की सेवानिवृत्तिबाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को कंपनी के पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बाह्यरोगी के रूप में भी उपचार का लाभ ले सकते हैं।

कंपनी पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी की बाध्यता ऐसे निर्धारित अंशदानों तक सीमित होती है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर को सुनिश्चित करने के लिए सीमित होती है।

कंपनी के अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु खर्चों के संबंध में बैगेज भत्तों के भुगतान हेतु और अधिवर्षिता पर कम्पनी के सभी नियमित कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजना है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी का निवल दायित्व प्रत्येक योजना के लिए अलग से गणना की जाती है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी अमान्य पिछली सेवा लागतों और किसी प्लान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम किया जाता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित मुनाफे पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो कंपनी की देयताओं के अनुसार लगभग परिपक्वता तारीख होती है और जो उसी करेंसी में मूल्यवर्गित होती है, जिसमें लाभों को अदा किए जाने की उम्मीद हो।

परिकलन को मान्य बीमांकन द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोजन करते हुए वार्षिक रूप से पूरा किया जाता है। जब परिकलन के परिणाम कंपनी के हित में हों, तो मान्य परिसंपत्ति किन्हीं अमान्य पिछली सेवा लागतों और योजना के भावी अंशदानों में योजना कटौतियों से किसी भावी वापसियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होता है, यदि यह योजना के कार्यकाल के दौरान वसूलनीय हो अथवा प्लान देयताओं के निपटान पर वसूलनीय हो।

किसी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानि को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, ओसीआई में मान्य किया जाता है।

जब योजना के लाभ संशोधित हों, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित संवर्धित लाभ के भाग को औसत अवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर, जब तक कि लाभ निहित न हो, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। इस सीमा में, कि लाभ तुरन्त प्राप्त हो, तो व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में तुरन्त स्वीकार किया जाता है।

2.12.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ

कंपनी के छुट्टी नकदीकरण और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी हितलाभ को संघटित करते हैं।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी की निवल देयता भावी लाभ की राशि होती है, जिसे कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के प्रतिफल में अर्जित की होती है; वह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूटप्राप्त होता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार मुनाफों पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो परिपक्वता तारीखें होती हैं, कंपनी की देयताओं की अवधि के लगभग होती हैं। परिकलन को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करते हुए पूरा किया जाता है। किसी भी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

''पावरग्रिड की कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना'' के अनुसार, जो वैकल्पिक है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर अथवा स्थाई पूर्ण अशक्तता की स्थिति में, आश्रित(तों) अथवा कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि को, जो ब्याजमुक्त होगी, जमा करने पर कर्मचारी की अधिवर्षिता की काल्पनिक तारीख तक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि अदा की जाती है।

2.12.4 अल्पावधि लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी हितलाभ देयताओं का मूल्यांकन अछूटप्राप्त आधार पर किया जाता है और व्यय किया जाता है, क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध होती है।

देयता को निष्पादन संबंधित वेतन के तहत अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि हेतु मान्य किया जाता है; यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि के भुगतान हेतु कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक देयता कंपनी की हो और देयता को विश्वसनीय रूप से आंकलित किया जा सकता है।

2.13 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखित कोई संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसंपत्ति को और दूसरी कम्पनी की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत को बढ़ाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

वर्गीकरण

कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर
- लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई का व्यवसाय मॉडल और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, जिन्हें लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है। तथापि, ऐसे व्यापार प्राप्य, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक निहित नहीं होता है, को लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखतें: परिसंपत्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह को केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत: संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीपीएल): ऐसी परिसंपत्तियां जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एक ऋण साधन पर ब्याज आय और निवल लाभ या हानि जिसे बाद में एफवीपीएल में मापा जाता है, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' कार्य क्षेत्र में सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। कम्पनी आरंभिक स्वीकरण पर लिखत–दर–लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दशनि के लिए अविकल्पी विधि का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, कम्पनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यीकरण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

i) परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) (क) कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है (या) वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है (या) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिए कंपनी भा. ले. मा.–109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरल तरीके का प्रयोग करता है, जिसमें प्राप्यों के शुरूआती स्वीकरण से स्वीकार किए जाने वाले पूर्णकालिक क्षतियां हो सकती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं जोखिम प्रकटनों पर संभावित हानि को स्वीकार करने के लिए कंपनी निर्धारित करता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में शुरूआती स्वीकरण से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में विशेष रूप से वृद्धि हुई हो, तो 12 माह की संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को संभावित हानि हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हो,

तो जीवनकालिक ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि परवर्ती अवधि में लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि इसमें शुरूआती स्वीकरण से क्रेडिट में कोई विशेष वृद्धि लम्बे समय तक नहीं होती है, तब कम्पनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर संभावित हानि छूट को वापस मान्य करती है।

वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं दूसरी कम्पनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी संस्था के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदलाबदली करने का दायित्व है, जो संभवतः कंपनी के लिए अनुकुल न हो।

कंपनी की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस में मान्यता दी जाती है, वित्तीय देनदारियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (निवल लेनदेन लागत) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत बाध्यता पूरी हो जाती है अथवा निरस्त हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। जब मौजूदा देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयता की शर्तें पर्याप्त रूप से आशोधित हों, एक उधारदाता से दूसरे उधारदाता में बदला जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा अशोधन को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में समझा जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर–नकदी परिसंपत्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अन्तर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को क्रियान्वित करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने के निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.14 सहायक कंपनियों में निवेश

सहायक कंपनी, कंपनी द्वारा नियंत्रित संस्था है। यह तब नियंत्रण होता है जब कंपनी की संस्था पर अधिकार होता है, इसे उजागर करती है, या संस्था के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ का अधिकार रखती है और संस्था पर अपनी शक्ति का उपयोग करके उन लाभों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

शक्ति मौजूदा अधिकारों के माध्यम से प्रदर्शित होती है जो प्रासंगिक कार्यकलापों को निदेशित करने की क्षमता देती है, जो संस्था के आय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

सहायक कंपनियों में निवेश लागत घटाने के लिए किया जाता है, यदि कोई हो। इस लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है।

2.15 संयुक्त उद्यम और सहयोगियों में निवेश

संयुक्त उद्यम एक प्रकार की संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक कार्यकलापों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश, निवेश लागत में से हानि घटाकर किया जाता है, यदि कोई हो। इस लागत में निवेश प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई कीमत और सीधे तौर पर देय लागत शामिल होती है।

2.16 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक मुद्रा

कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल मदों को उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा का उपयोग करके मूल्यांकन जाता है जिसमें कंपनी काम करती है ('कार्यात्मक मुद्रा')। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (रुपये या ₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रतिनिधिक मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन–देनों को शुरू में लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलनपत्र की तारीख को प्रभावी विनियमन दरों के संदर्भ में अन्तरित्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों का गैर–मौद्रिक

पूर्व भुगतान परिसंपत्ति अथवा आस्थगित आय देयता की शुरूआती स्वीकरण की तारीख को अथवा वित्तीय विवरणों में संबंधित मद का स्वीकार करने की तारीख को, जो भी पहले हो, का प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है।

विदेशी विनिमय लाभ एवं हानियों को (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ऋण से भिन्न) दूसरे लाभ/(हानि) के अन्तर्गत निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋण:

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर भिन्नता (एफईआरवी) को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरपी) के मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखरखाव लागत हेतु समायोजित एफईआरवी वसूलीयोग्य/देय राशि को ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय व्यय'' के तदनुरूपी क्रेडिट/डेबिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय, व्यय'' को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यहास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तदनुरुपी डेबिट/क्रेडिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' में समायोजित किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में से पहले प्रभावित और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित एफईआरवी को ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के प्रति समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋण:

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रूप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रूप में मान्य किया जाता है।

2.17 आय कर

आय कर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

वर्तमान कर अधिनियमित कर कानूनों के तहत वर्ष के लिए कराधेय लाभ पर आधारित है और उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है जहां कंपनी कराधेय आय संचालित करता है और उत्पन्न करता है और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलन पत्र देयता विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि इसमें यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे, जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन लागत की प्रत्येक तुलपन पत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि संभावना कम हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर पर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर (और कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति को क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा मूल रूप में अधिनियमित किया गया हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है यदि इसमें चालू कर देयताओं को समायोजित करने का कानूनी प्रवन्ननीय अधिकार है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों संबंधित हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भावी आयकर देयता के प्रति समायोजन की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।

2.18 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछेक व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो /इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक 114, ''विनियामक आस्थगन लेखा'' के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे व्यय एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रूप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में समझा जाता है।

कंपनी निम्न के संबंध में तुलन पत्र में पृथक कार्य मदों को दर्शाता है:

क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेविट शेष राशियों के योग; और

ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के योग।

पृथक कार्य मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है, जिस वर्ष में वह लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा इन्हें देय हो।

2.19 राजस्व

राजस्व का मूल्यांकन उस लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए ग्राहकों के साथ सम्पन्न संविदा में कंपनी की हकदारी प्रत्याशित है और इसमें तीसरे पक्षों की ओर से वसूली गई राशियां शामिल होती हैं। कम्पनी राजस्व को तब स्वीकार करती है जब यह उत्पाद अथवा सेवा के नियंत्रण को ग्राहक को अन्तरित्त करती है।

महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक

जहां, ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं अथवा सेवाओं के अन्तरण एवं ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां कंपनी संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। परिणामतः कंपनी धनराशि के समयमान के प्रभावों हेतु लेन–देन मूल्यों में समंजन करती है।

2.19.1 प्रचालन से राजस्व

पारगमन

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। इसमें संवर्धित भिन्नता, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पारेषण आय में ग्राहकों को दी गई सेवाओं के लिए प्रोद्भवन शामिल होता है, परन्तु यह बिलीकृत नहीं होता, अर्थात अबिलीकृत राजस्व।

जल्द भुगतान से लाभार्थियों को दी गयी प्रोत्साहन छूट को राजस्व राशि में काट दिया जाता है।

पारगमन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। जहां आरपीसी का प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं हो, वहां, कम्पनी द्वारा उपलब्धता के अनुमान के अनुसार प्रोत्साहन/विफलता को अस्थायी आधार पर हिसाब में लिया जाता है तथा अन्तर, यदि कोई हो, को आरपीसी के प्रमाणीकरण पर हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यहास के संबंध में अग्रिम, (एएडी) जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004–09 तक से संबंधित टैरिफ का मुख्य भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगितत आय के रूप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें परिसंपत्ति को अधिकृत किया गया था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यह्रास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रूप में मया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यहास से कम होता है।

दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवाओं, निष्क्रिय क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है। प्रयोगकर्त्ता को अलोप्य अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाली दीर्घ अवधि संविदाओं के

तहत अग्रिम में प्राप्त अपफ्रंट शुल्क को संविदा अवधि में राजस्व अनुमान के आधार पर राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है।

परामर्शी सेवाएं

'लागत–जमा–परामर्शी संविदाओं' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तारीख में निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के समानुपात में मान्य किया जाता है, जिसे इनपुट विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

2.19.2 अन्य आय

ब्याज आय को तब मान्य किया जाता है जब प्रभावी ब्याज दर प्रणाली (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए बकाया एवं अनुप्रयोज्य ब्याज दर राशि को हिसाब में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मापीयता अथवा संग्रहयता के रूप में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारन्टी दावों और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज से वसूलनीय अधिभार को तब मान्य किया जाता है; जब मापीयता और संग्रहायता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

स्क्रैप को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार को स्थापित किया जाता है।

लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को स्वीकृति वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। अन्य बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

किरायों एवं प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संगत करार की सार्थकता के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

2.20 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है जब इसमें उचित आश्वासन किया गया हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़े शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को और संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुदान, जो उपगत व्ययों के संबंध में कंपनी की क्षतिपूर्ति करता है, को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिनमें संबंधित लागतें उपगत हुई हों और संबंधित व्यय में से कम किया जाता है।

2.21 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक–मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.22 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता (कानूनी अथवा रचनात्मक) हो, इसमें संभावना होती है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बर्हिगमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि को तैयार किया जा सकेगा। यदि राशि के समयमान का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शनि के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी पुनरीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमान को लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि कंपनी के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बर्हिगमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

2.23 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्गम पर लागू होते हैं, प्राप्तियों से कर के निवल कटौती के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पट्टा प्राप्य के रूप में समझी गई सहित) के मूल सकल ब्लॉक पर 0.12: प्रतिवर्ष की जोखिम मूल्यांकन सीमा दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले परिसंपत्तियों को छोड़कर और एसी सब स्टेशन के टावरों एवं उपकरण को सुदृढ़ बनाने सहित टॉवरों एवं अन्य ट्रांसमिशन लाईन सामग्रियों के प्रापण द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। उपरोक्तानुसार सृजित प्राराक्षित निधि को ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रूप में दर्शाया जाता है।

2.24 पूर्व अवधि मदें

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को दर्शाए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करते हुए जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि, प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो प्रारंभिक शेष पत्र का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.25 प्रचालन खण्ड

कंपनी का निदेशक–मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक–108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' अथवा ''सीओडीएम''' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निणर्य लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रूप में वित्तीय विवरणों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर–खण्ड लेन–देनों सहित्त खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल हैं।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निधार्य हों, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः कंपनी से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिर्धार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः कंपनी से संबंधित हो और खण्डों हेतु निधार्य नहीं हो, को अनिर्धार्य आय में शामिल किया जाता है।
- खण्ड परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वे परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, जो संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हों। अनिर्धार्य आस्थतियां एवं देयताएं उन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शाततती करती हैं जो पूर्णतः कम्पनी से संबंधित हों और किसी खण्ड हेतु निधार्य नहीं हों।
- खण्ड पूंजी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

2.26 प्रतिशेयर आय

प्रतिशियर मूल आय को वर्ष हेतु शेयर धारकों को प्राप्य निवल लाभ अथवा हानि का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रतिशियर कम की गई आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय उनके, जिनके जहां परिणाम न्यूनीकृत रोधी होंगे।

इसके अतिरिक्त मूल एवं तनुकृत प्रतिशेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट–बढ़ शामिल नहीं हैं।

2.27 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.28 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह) और बंद परिचालन

गैर–वर्तमान संपत्ति और निपटान समूहों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रप गीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति (या निपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर मापा जाता है और तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) के किसी प्रारंभिक या बाद के अवलेखन के लिए क्षति हानि की पहचान की जाती है। किसी परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि के लिए लाभ की पहचान की जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी संचयी हानि हानि से अधि क नहीं। एक गैर–वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तारीख पर मान्यता प्राप्त है।

कोई बंद प्रचालन, कंपनी का एक घटक है जिसमें प्रचालन और नकदी प्रवाह शामिल होते हैं, जिन्हें बाकी कंपनी से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, जिसे या तो निपटाया गया है, या बिक्री के लिए वर्गीकृत किया गया है, और

- व्यापार या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र की एक अलग प्रमुख रेखा का प्रतिनिधित्व करता है;
- व्यापार की एक अलग प्रमुख लाइन या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र को निपटाने के लिए एकुल समन्वित योजना का हिस्सा है; या
- पुनर्विक्रय की दृष्टि से विशेष रूप से अधिग्रहित सहायक कंपनी है।

बंद किए गए प्रचालन को जारी प्रचालन के परिणामों से बाहर रखा गया है और लाभ और हानि के विवरण में बंद किए गए प्रचालन से कर के बाद लाभ या हानि के रूप में एकुल राशि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

3. महत्त्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों से खासतौर पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को भी कंपनी के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों के अवलोकन की व्यवस्था प्रदान करता है जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता और वे मद्दे शामिल है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रूप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रूप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

राजस्व स्वीकरण:

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि काई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष:

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का अनुमान

निर्धारित लाभ बाध्यता के अनुमान में कूछेक महत्त्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी 63 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वे एतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं, जिनका कंपनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी कार्य अवधि

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि कई कारकों पर आधारित होती है; जिसमें अपक्षय का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारण (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय अग्रिम) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रखरखाव व्यय के स्तर शामिल हैं।

कंपनी पारेषण कार्य परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी संयंत्र एवं उपकरण की जो सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिशासित हैं और भूतलक्षी प्रभाव से, यदि उपयुक्त हो, समायोजित किया जाता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनरीक्षा की जाती है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के स्वीकरण में किए गए मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के प्रकटन की संभाव्यता के संबंध में बेहतर मूल्यांकन अपेक्षित है। यदि अप्रत्याशित विकास के बाद परिस्थितियों बदल सकती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

बिक्री के लिए धारित की गई परिसंपत्तियां:

भारतीय ले.मा. 105– ''बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान संपत्ति और बंद प्रचालन' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकुलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

आय कर:

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान, वसूली की अपेक्षित राशि सहित वर्तमान और आस्थगित कर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,332.69	130.28	-	(8.85)	2,471.82	-	-	-	-	-	2,471.82	2,332.69
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	3,018.10	51.75	-	4.36	3,065.49	497.96	108.77	-	1.07	605.66	2,459.83	2,520.14
ख) नगर	853.03	80.74	-	-	933.77	207.62	36.08	-	(1.00)	244.70	689.07	645.41
अस्थायी निर्माण	1.81	0.02	-	-	1.83	1.81	0.02	-	-	1.83	-	-
सड़क एवं पुल	322.41	8.26	-	(0.21)	330.88	69.67	12.52	-	-	82.19	248.69	252.74
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	197.39	3.69	-	(0.47)	201.55	39.63	7.66	-	(0.05)	47.34	154.21	157.76
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	147,477.58	308.55	15.43	(89.51)	147,860.21	50,393.83	7,409.66	8.59	5.61	57,789.29	90,070.92	97,083.75
ख) सब स्टेशन	93,170.30	2,810.15	24.18	(93.25)	96,049.52	29,117.37	5,025.34	11.03	(2.02)	34,133.70	61,915.82	64,052.93
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,878.67	322.19	-	(499.31)	2,700.17	570.52	111.71	-	(369.25)	1,051.48	1,648.69	1,308.15
घ) दूरसंचार	1,621.97	51.52	1,116.01	557.48	-	822.60	27.14	498.13	351.61	-	-	799.37
ङ) एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली	-	146.85	-	-	146.85	-	7.32	-	-	7.32	139.53	-
फर्नीचर फिक्सचर्स	204.01	17.57	3.84	(2.79)	220.53	89.70	23.62	2.17	(1.07)	112.22	108.31	114.31
वाहन	5.43	0.60	0.21	(0.20)	6.02	2.06	0.51	0.04	(0.27)	2.80	3.22	3.37
कार्यालय उपकरण	331.59	30.04	7.20	2.12	352.31	198.93	33.76	4.24	0.28	228.17	124.14	132.66
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	237.44	24.22	10.80	(26.57)	277.43	198.41	33.95	10.02	(23.94)	246.28	31.15	39.03
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	623.94	5.76	1.00	(4.82)	633.52	169.37	33.07	0.31	(1.99)	204.12	429.40	454.57
वैद्युत प्रतिष्ठापन	180.91	8.33	0.05	(2.17)	191.36	59.79	9.78	0.02	(0.17)	69.72	121.64	121.12
प्रयोगशाला उपकरण	92.46	1.23	0.09	-	93.60	31.00	4.66	0.03	-	35.63	57.97	61.46
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	379.66	10.18	0.27	(0.06)	389.63	97.60	20.29	0.04	-	117.85	271.78	282.06
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.71	0.10	-	-	0.81	0.05	0.06	-	-	0.11	0.70	0.66
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – पट्टाधारी भूमि	511.34	1.27	0.21	(0.06)	512.46	105.79	18.73	0.18	-	124.34	388.12	405.55
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.70	1.58	3.24	0.06	11.98	8.95	2.11	2.54	0.17	8.35	3.63	4.75
ग) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	6.03	0.01	-	-	6.04	0.30	1.21	-	-	1.51	4.53	5.73
घ) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	23.55	(0.00)	23.40	0.15	-	0.40	0.77	1.16	0.01	-	-	23.15
कुल	**253,484.72**	**4,014.89**	**1,205.93**	**(164.10)**	**256,457.78**	**82,683.36**	**12,928.74**	**538.50**	**(41.01)**	**95,114.61**	**161,343.17**	**170,801.36**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	9.36	-	-	9.36	-	-	-	-	-	9.36	-
कुल योग	**253,484.72**	**4,005.53**	**1,205.93**	**(164.10)**	**256,448.42**	**82,683.36**	**12,928.74**	**538.50**	**(41.01)**	**95,114.61**	**161,333.81**	**170,801.36**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,288.56	39.54	-	(4.59)	2,332.69	-	-	-	-	-	2,332.69	2,288.56
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,884.44	131.23	-	(2.43)	3,018.10	388.05	108.36	-	(1.55)	497.96	2,520.14	2,496.39
ख) नगर	771.95	81.08	-	-	853.03	173.01	34.61	-	-	207.62	645.41	598.94
अस्थायी निर्माण	1.19	0.62	-	-	1.81	1.19	0.62	-	-	1.81	-	-
सड़क एवं पुल	314.18	8.23	-	-	322.41	57.14	12.53	-	-	69.67	252.74	257.04
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	177.25	20.14	-	-	197.39	32.60	7.03	-	-	39.63	157.76	144.65
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	145,171.90	1,297.51	10.98	(1,019.15)	147,477.58	42,803.26	7,593.94	4.24	(0.87)	50,393.83	97,083.75	102,368.64
ख) सब स्टेशन	90,408.28	2,508.17	116.60	(370.45)	93,170.30	24,161.95	5,042.47	91.03	(3.98)	29,117.37	64,052.93	66,246.33
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,689.99	197.14	-	8.46	1,878.67	465.01	105.29	-	(0.22)	570.52	1,308.15	1,224.98
घ) दूरसंचार	1,508.62	107.65	-	(5.70)	1,621.97	709.12	113.64	-	0.16	822.60	799.37	799.50
ङ) एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फर्नीचर फिक्सचर्स	190.91	15.61	2.46	0.05	204.01	61.82	28.99	1.06	0.05	89.70	114.31	129.09
वाहन	4.77	1.07	0.41	-	5.43	1.48	0.67	0.09	-	2.06	3.37	3.29
कार्यालय उपकरण	291.20	42.26	2.46	(0.59)	331.59	88.58	111.10	0.91	(0.16)	198.93	132.66	202.62
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	225.72	19.97	8.25	-	237.44	157.64	47.54	6.77	-	198.41	39.03	68.08
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	616.36	8.72	1.43	(0.29)	623.94	137.17	32.77	0.65	(0.08)	169.37	454.57	479.19
वैद्युत प्रतिष्ठापन	165.97	14.62	-	(0.32)	180.91	48.37	11.45	-	0.03	59.79	121.12	117.60
प्रयोगशाला उपकरण	91.53	1.20	0.01	0.26	92.46	27.04	4.01	0.01	0.04	31.00	61.46	64.49
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	351.22	27.00	0.05	(1.49)	379.66	75.43	21.92	0.01	(0.26)	97.60	282.06	275.79
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.23	0.48	-	-	0.71	0.03	0.02	-	-	0.05	0.66	0.20
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – पट्टाधारी भूमि	495.64	15.80	0.10	-	511.34	88.54	17.26	0.01	-	105.79	405.55	407.10
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.14	2.45	1.89	-	13.70	8.44	2.38	1.87	-	8.95	4.75	4.70
ग) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	-	6.03	-	-	6.03	-	0.30	-	-	0.30	5.73	-
घ) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	0.22	23.33	-	-	23.55	0.03	0.37	-	-	0.40	23.15	0.19
कुल	**247,663.27**	**4,569.85**	**144.64**	**(1,396.24)**	**253,484.72**	**69,485.90**	**13,297.27**	**106.65**	**(6.84)**	**82,683.36**	**170,801.36**	**178,177.37**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	1.74
कुल योग	**247,661.53**	**4,569.85**	**144.64**	**(1,397.98)**	**253,484.72**	**69,485.90**	**13,297.27**	**106.65**	**(6.84)**	**82,683.36**	**170,801.36**	**178,175.63**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी

क) कंपनी के पास 7,463 हेक्टेयर भूमि है (पूर्ववर्ती वर्ष 7,568 हेक्टेयर) जो ₹2,984.28 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹2,844.03 करोड़) जिसे 6,320 हेक्टेयर भूमि के पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (पूर्ववर्ती वर्ष 6,452 हेक्टेयर), जो ₹2,471.82 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष 2,332.69 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1,143 हेक्टेयर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,143 हेक्टेयर), जो ₹512.46 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹511.34 करोड़), जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) कंपनी के पास 62.01 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष ₹198.93 हेक्टेयर) अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि है, जिसकी राशि ₹155.42 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹48.01 करोड़) है। जिसके संबंध में कंपनी के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख लंबित है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को कंपनी द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

घ) प्रयोगाधिकार – भूमि, जिसमें 16.31 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 16.31 हेक्टेयर), जो ₹107.52 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹107.52 करोड़), जो कम्पनी द्वारा स्थायी पट्टा आधार पर ग्रहण की गयी थी अतः परिशोधित नहीं की गयी।

ङ) 5.63 हेक्टेयर भूमि (पूर्ववर्ती वर्ष 5.63 हेक्टेयर), जिसका मूल्य ₹0.04 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹0.04 करोड़), जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब्रोटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

च) 106.47 हेक्टेयर की पूर्ण स्वामित्व भूमि जिसकी कीमत ₹1.84 करोड़ है, को निवेश संपत्ति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। निवेश संपत्ति के बारे में जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 6 देखें।

छ) "निपटान" में ₹1,137.80 करोड़ की लागत वाली परिसंपत्तियां और ₹505.56 करोड़ का संचित मूल्यह्रास शामिल है, जिसे पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है।

ज) भा.ले.मा. 116–''पट्टे' के अनुसार उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं 50 देखें।

झ) कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 23 देखें।

ञ) जिन संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं, उन अचल संपत्तियों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 64 (क) देखें।

ट) ओपीजीड्ब्ल्यू केबल्स आदि के सभी प्रमुख केबल्स सहित महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन परिसंपत्तियाँ कंपनी के पास रखी जाती हैं और दूरसंचार व्यवसाय (टिप्पणी संख्या 65 देखें) को अलग करने के समय पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की जाती हैं। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और अवशिष्ट मूल्य कंपनी की लेखा नीति के अनुसार अपनाया जाता है जो ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों पर लागू होता है। इसका कंपनी की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी 5: पूंजीगत कार्य प्रगति में

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित	31 मार्च, 2024 को
भूमि							
भूमि का विकास	-	-	-	-	-	-	**-**
भवन							
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	53.43	15.24	-	-	33.85	**0.04**	**34.78**
ख) नगर	65.56	58.39	-	-	80.29	**-**	**43.66**
अस्थायी निर्माण	-	-	-	-	-	**-**	**-**
सड़क एवं पुल	0.16	4.15	0.57	-	3.68	**-**	**0.06**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	2.72	3.88	0.91	-	3.54	**-**	**2.15**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)							
क) ट्रांसमिशन	1,780.49	1,457.08	-	8.22	255.25	**-**	**2,974.10**
ख) सब–स्टेशन	1,956.08	1,983.72	-	-	2,425.96	**-**	**1,513.84**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	228.34	175.96	-	35.60	199.87	**-**	**168.83**
घ) दूरसंचार	53.55	32.51	16.40	-	51.68	**17.98**	**-**
ङ) एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली	-	92.95	-	-	92.95	**-**	**-**
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-	**-**	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	-	-	-	-	**-**	**1.02**
वैद्युत प्रतिष्ठापन	1.89	10.88	0.02	-	6.77	**-**	**5.98**
निर्माण सामग्री (निवल प्रावधान)	2,439.44	3,942.50	2,524.26	-	-	**259.60**	**3,598.08**
आबंटन होने तक व्यय							
i) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	1.70	4.75	-	-	0.04	**-**	**6.41**
ii) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	14.45	0.43	0.04	-	-	**-**	**14.84**
iii) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,069.30	528.63	62.14	3.26	292.17	**22.95**	**1,217.41**
	7,668.13	**8,311.07**	**2,604.34**	**47.08**	**3,446.05**	**300.57**	**9,581.16**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	-	-	-	-	-	-	**-**
कुल योग	**7,668.13**	**8,311.07**	**2,604.34**	**47.08**	**3,446.05**	**300.57**	**9,581.16**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
भूमि						
भूमि का विकास	-	-	-	-	-	**-**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	72.05	86.08	5.19	-	99.51	**53.43**
ख) नगर	75.35	53.81	7.55	-	56.05	**65.56**
अस्थायी निर्माण	-	0.29	-	-	0.29	**-**
सड़क एवं पुल	12.30	3.96	12.00	-	4.10	**0.16**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	0.98	4.98	(1.29)	-	4.53	**2.72**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	1,616.44	1,311.74	-	124.45	1,023.24	**1,780.49**
ख) सब–स्टेशन	2,766.65	1,342.03	-	25.11	2,127.49	**1,956.08**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	251.38	178.87	(3.35)	33.82	171.44	**228.34**
घ) दूरसंचार	61.34	86.22	-	-	94.01	**53.55**
ङ) एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली	-	-	-	-	-	**-**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.03	-	-	0.03	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	0.03	-	-	0.03	**1.02**
वैद्युत प्रतिष्ठापन	2.62	9.99	0.01	-	10.71	**1.89**
निर्माण सामग्री (निवल प्रावधान)	1,251.27	3,422.14	2,233.97	-	-	**2,439.44**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	3.43	1.10	-	-	2.83	**1.70**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	12.00	2.45	-	-	-	**14.45**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,219.89	416.49	73.02	32.98	461.08	**1,069.30**
	7,346.72	**6,920.21**	**2,327.10**	**216.36**	**4,055.34**	**7,668.13**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	2.26	-	**-**	**-**
कुल योग	**7,344.46**	**6,920.21**	**2,324.84**	**216.36**	**4,055.34**	**7,668.13**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(निर्माण सामग्री के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निर्माण सामग्री		
टॉवर	**552.31**	209.81
कंडक्टर	**928.60**	527.97
अन्य संबर्धित सामग्रियाँ	**204.27**	162.89
सब स्टेशन उपकरण	**1,675.34**	1,133.50
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**15.37**	18.38
एकीकृत्त लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**200.01**	200.86
दूरसंचार सामग्री	**-**	176.87
अन्य	**22.18**	9.16
योग	**3,598.08**	**2,439.44**
निर्माण सामग्री में शामिल है :		
i) मार्गस्थ सामग्री		
टॉवर	**1.37**	39.04
कंडक्टर	**1.74**	61.76
अन्य लाइन सामग्रियाँ	**1.18**	39.16
सब – स्टेशन उपकरण	**272.22**	129.87
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**10.27**	0.27
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**-**	1.84
दूरसंचार सामग्री	**-**	90.66
योग	**286.78**	**362.60**
ii) ठेकेदार के पास सामग्री		
टॉवर	**550.94**	170.77
कंडक्टर	**926.86**	466.21
अन्य संबर्धित सामग्रियां	**203.09**	123.73
सब–स्टेशन उपकरण	**1,403.12**	1,003.63
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**5.10**	18.11
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**200.01**	199.02
दूरसंचार सामग्री	**-**	86.21
अन्य	**22.18**	9.16
योग	**3,311.30**	**2,076.84**
कुल योग	**3,598.08**	**2,439.44**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अधिकृत लाइनों के संबंध में ₹9.93 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹9.73 करोड़) की राशि की सामग्री ठेकेदारों के पास लेखासमाधान हेतु लंबित है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।
2. प्रगति में पूंजीगत कार्य के लम्बित होने की जानकारी के लिये (सीडब्ल्यूआईपी) संदर्भ टिप्पणी सं 64(ख) में देखें। ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है। सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम के लिए टिप्पणी संख्या 66(ग) देखें।

टिप्पणी 6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	01 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	01 अप्रैल 2023 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
भूमि (र्ण स्वामित्व)	-	1.84	-	-	1.84	-	-	-	-	-	1.84	-
कुल	**-**	**1.84**	**-**	**-**	**1.84**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.84**	**-**

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल आय मूल्य	
	01 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 तक	01 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भूमि–पूर्ण स्वामित्व)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

टिप्पणी 6: निवेश संपत्ति (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

i) निवेश संपत्ति के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
किराये से आय	Nil	Nil
किराये से आय सृजन करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	Nil	Nil
किराये से आय सृजन न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	Nil	Nil
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्ति से लाभ	Nil	Nil
मूल्यह्रास	Nil	Nil
निवेश संपत्ति से लाभ	Nil	Nil

ii) भविष्य की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है जिसे 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

iii) 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक कोई लीजिंग व्यवस्था नहीं है।

iv) उचित मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
संपत्ति मे निवेश	13.13	-

उचित मूल्य का अनुमान

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य सरकारी दरों के आधार पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है।

टिप्पणी 7: अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इलैक्ट्रोनिकडेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	88.31	2.45	1.28	-	89.48	76.38	6.96	1.24	-	82.10	7.38	11.93
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,176.11	12.21	-	(7.28)	2,195.60	736.48	112.32	-	(2.89)	851.69	1,343.91	1,439.63
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	-	2.80	-	-	0.83	0.07	0.90	-	-	-	1.97
1200 केवीटीएस** विकास	71.86	-	-	-	71.86	49.20	7.25	-	-	56.45	15.41	22.66
योग	**2,339.08**	**14.66**	**4.08**	**(7.28)**	**2,356.94**	**862.89**	**126.60**	**2.14**	**(2.89)**	**990.24**	**1,366.70**	**1,476.19**

*आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

'' निपटान'' में ₹1.28 करोड़ की लागत वाली परिसंपत्तियां और ₹1.24 करोड़ का संचित मूल्यह्रास शामिल है, जिसे पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इलैक्ट्रोनिक	79.47	8.86	0.02	-	88.31	68.90	7.50	0.02	-	76.38	11.93	10.57
डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	2,138.04	38.07	-	-	2,176.11	624.48	112.00	-	-	736.48	1,439.63	1,513.56
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2.80	-	-	-	2.80	0.69	0.14	-	-	0.83	1.97	2.11
दूरसंचार लाइसेंस	71.86	-	-	-	71.86	41.97	7.23	-	-	49.20	22.66	29.89
1200 केवीटीएस* का विकास	**2,292.17**	**46.93**	**0.02**	**-**	**2,339.08**	**736.04**	**126.87**	**0.02**	**-**	**862.89**	**1,476.19**	**1,556.13**
योग												

*आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी 8 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य को अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	31.08	71.90	-	-	11.97	**91.01**
योग	**31.08**	**71.90**	**-**	**-**	**11.97**	**91.01**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य को अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	31.53	29.46	-	-	29.91	31.08
योग	**31.53**	**29.46**	**-**	**-**	**29.91**	**31.08**

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति लंबित होने के लिए टिप्पणी संख्या 64 (ङ) देखें और उन परियोजनाओं के लिए विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए संख्या 64 (घ) देखें जिनकी पूर्णता अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है।

टिप्पणी 9: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य में निवेश (ओसीआई)		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 12000006 (पिछले वर्ष 12000006) इक्विटी शेयर	223.14	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजी इनविट) की इकाइयों में निवेश 136500100 (पिछले वर्ष 136500100) इकाइयाँ (निर्गम मूल्य ₹100 प्रत्येक) (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 7 देखें)	1,292.79	1,672.40
लागत पर निवेश (पूरी तरह से प्रदत्त)		
अउद्धृत		
i) सहायक कंपनियाँ		
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 490950000 (पिछले वर्ष 490950000) इक्विटी शेयर	490.95	490.95
पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 4 देखें)	0.05	0.05
घटाएँ: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.05	0.05
	-	-
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 12961067 (पिछले वर्ष 12961067) इक्विटी शेयर	12.96	12.96
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 709004000 (पिछले वर्ष 709004000) इक्विटी शेयर	709.00	709.00
पॉवरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 661600000 (पिछले वर्ष 647000000) इक्विटी शेयर	661.60	647.00
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 233200000 (पिछले वर्ष 233200000) इक्विटी शेयर	233.20	233.20
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 187560000 (पिछले वर्ष 187560000) इक्विटी शेयर	187.56	187.56

टिप्पणी 9: निवेश (जारी) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 89600000 (पिछले वर्ष 89600000) इक्विटी शेयर	89.60	89.60
पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 198750000 (पिछले वर्ष 198250000) इक्विटी शेयर	198.75	198.25
पॉवरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 111950000 (पिछले वर्ष 111950000) इक्विटी शेयर	111.95	111.95
पॉवरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 115000000 (पिछले वर्ष 115000000) इक्विटी शेयर	115.00	115.00
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 141000000 (पिछले वर्ष 141000000) इक्विटी शेयर	141.00	141.00
पॉवरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 232000000 (पिछले वर्ष 232000000) इक्विटी शेयर	232.00	232.00
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 151299000 (पिछले वर्ष 142100000) इक्विटी शेयर	151.30	142.10
पॉवरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 205980000 (पिछले वर्ष 195130000) इक्विटी शेयर	205.98	195.13
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	0.05	0.05
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 32011900 (पिछले वर्ष 25000000) इक्विटी शेयर	32.01	25.00
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 300000000 (पिछले वर्ष 300000000) इक्विटी शेयर	432.50	432.50
पॉवरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 140000000 (पिछले वर्ष 100000000) इक्विटी शेयर	140.00	100.00
पॉवरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक 142000000 (पिछले वर्ष 80000000) इक्विटी शेयर	142.00	80.00
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 73210000 (पिछले वर्ष 32210000) इक्विटी शेयर	73.21	32.21
पॉवरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 99950000 (पिछले वर्ष 77950000) इक्विटी शेयर	99.95	77.95
पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 664020000 (पिछले वर्ष 9000000) इक्विटी शेयर	664.02	9.00
पॉवरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 96000000 (पिछले वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	96.00	0.01
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 100000000 (पिछले वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	100.00	0.01
पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 97750000 (पिछले वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर	97.75	10.00
पॉवरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 125810000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	125.81	0.05
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10050000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	10.05	0.05

टिप्पणी 9: निवेश (जारी) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 26050000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	26.05	0.05
पावरग्रिड केपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 1300000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	1.30	0.05
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 12760000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	12.76	0.05
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	0.05	0.05
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	0.01	0.01
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	0.01	0.01
पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 6300000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	6.30	0.05
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष 10000) इक्विटी शेयर	0.01	0.01
पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष 50000) इक्विटी शेयर	0.05	0.05
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 10000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.01	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50000 (पिछले वर्ष शून्य) इक्विटी शेयर	0.05	-
	5,600.96	**4,272.86**
ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 23400000 (पिछले वर्ष 23400000) इक्विटी शेयर	23.40	23.40

टिप्पणी 9: निवेश (जारी) :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 70937620 (पिछले वर्ष 70937620) इक्विटी शेयर	70.94	70.94
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 120120000 (पिछले वर्ष 120120000) इक्विटी शेयर	120.12	120.12
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 229320000 (पिछले वर्ष 229320000) इक्विटी शेयर	229.32	229.32
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 106964000 (पिछले वर्ष 106964000) इक्विटी शेयर	106.96	106.96
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 48800000 (पिछले वर्ष 30400000) इक्विटी शेयर	48.80	30.40
घटाएँ: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 6 देखें)	48.80	30.40
	-	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 12612473 (पिछले वर्ष 12612473) इक्विटी शेयर	12.62	12.62
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 337392404 (पिछले वर्ष 334127260) इक्विटी शेयर	337.39	334.13
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड ₹100/– प्रत्येक के 1170000 (पिछले वर्ष 1170000) नेपाली इक्विटी शेयर	6.50	6.50
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 4000000 (पिछले वर्ष 4000000) इक्विटी शेयर	4.00	4.00
घटाएँ: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 3 देखें)	4.00	4.00
	-	-
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 846610000 (पिछले वर्ष 463610000) इक्विटी शेयर	846.61	463.61
घटाएँ: निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 5 देखें)	149.12	-
	697.49	463.61
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10/– प्रत्येक के 10000000 (पिछले वर्ष 25000) इक्विटी शेयर	10.00	0.03
	1,614.74	**1,367.63**
iii) अन्य		
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (₹10/–) 1 (पिछले वर्ष 1) ₹10/– के प्रत्येक शेयर	-	-
कुल	**8,731.63**	**7,414.95**
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) क) उद्धृत निवेश की कुल राशि		
लागत पर (नीचे अतिरिक्त टिप्पणी 7 देखें)	1,340.42	1,367.04
बाजार मूल्य	1,515.93	1,774.46
ख) गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि	7,215.70	5,640.49
ग) निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	201.97	34.45

टिप्पणी 9: निवेश (जारी) :

1) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.13, 2.14 एवं 2.15 के अनुसार किया गया है।

2) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी पार्टनर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय से दिनांक 11.07.2022 को अनुमोदन प्राप्त हुआ था। तथापि, इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकारी कार्यों के संविदाकार ने दिनांक 17.12.2022 को मध्यस्थता का आह्वान करते हुए नोटिस सुपुर्द किया। सुलहकर्ता की नियुक्ति की गई है और सुलह की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3) पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए टिप्पणी संख्या 11 देखें।

4) वर्ष के दौरान, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में निवेश की हानि के लिए ₹149.12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हानि भत्ते के मिलान के लिए टिप्पणी 61(क)(vi) देखें।

5) 23.04.2024 के पूरक संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते के अनुसार और नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की पुनरुद्धार योजना के हिस्से के रूप में, सभी जेवी भागीदारों द्वारा जेवी कंपनी को दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया तथा कंपनी द्वारा ₹94.71 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया, कंपनी द्वारा अतिरिक्त इक्विटी अंशदान और अन्य जेवी भागीदारों द्वारा काल्पनिक विचार पर शेयरों के अंतरण के माध्यम से कंपनी की शेयर धारिता 50% तक बढ़ जाएगी। हानि भत्ते के मिलान के लिए टिप्पणी 61(क)(vi) देखें।

7) कंपनी को चालू वर्ष के दौरान एसपीवी ऋण के पुनर्भुगतान के लिए पीजी इनविट से ₹26.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.96 करोड़) प्राप्त हुए। परिणामस्वरूप, इसे निवेश की लागत से घटा दिया गया है।

टिप्पणी 10क व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	282.95	695.57
कुल	**282.95**	**695.57**

अतिरिक्त टिप्पणी:

कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के तहत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022 या अन्यथा के अनुसार पुनःनिर्धारित किया गया है।

व्यापार प्राप्तियों की समयसीमा इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	282.95	-	-	-	-	-	282.95
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**282.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**282.95**
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	695.57	-	-	-	-	-	695.57
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**695.57**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**695.57**

टिप्पणी 10: ऋण

(शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पक्षों को ऋण*		
सहायक कंपनियों को ऋण– अप्रतिभूत	20,931.28	16,450.85
संयुक्त उद्यमों को ऋण– अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	85.24	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	15.02
	85.24	**15.02**
घटाएं: हानि भत्ता**	-	15.02
	85.24	**-**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	0.01	-
	21,016.53	**16,450.85**
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)		
प्रतिभूत#	436.90	404.22
अप्रतिभूत	49.09	42.22
	485.99	**446.44**
कुल	**21,502.52**	**16,897.29**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 55 पर उपलब्ध हैं।

** क्षति के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 61(क)(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी तथा कर्मचारियों को गृह–निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्तियों के बंधक अथवा वाहनों के रेहन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी के नीतियों के अनुपालन में दिए गए हैं।

टिप्पणी 11: अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टा प्राप्य	600.74	642.98
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियां#	154.63	39.56
भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय##	3,487.50	3,487.50
संबंधित पक्षों (सहायक और अन्य) को अग्रिम राशि*		
शोध्य समझे गए	419.29	640.75
संदिग्ध समझे गए **	19.43	19.43
	438.72	**660.18**
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान**	19.43	19.43
	419.29	**640.75**
योग	**4,662.16**	**4,810.79**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में बैंक में जमा राशि।

वित्त वर्ष 2018–19 में, कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के पत्र सं. 7/1/2018–का.ज्ञा. दिनांक 21 जनवरी, 2019 के अनुसार पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रोदभूत देयताओं को पूरा करने के लिए पावर सिस्टम डेवलमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) बढ़ाने के लिए ₹3487.50 करोड़ की राशि के लिए ''भारत सरकार के पूर्ण प्रचलित बाण्ड'' जारी किए। ऐसे बाण्डों पर मूल की चुकौती एवं ब्याज भुगतान को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। बाण्ड निर्गम की आय में से ₹3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

* संबंधित पक्षों को दिए गए अग्रिमों का विवरण टिप्पणी 55 में दिया गया है।

टिप्पणी 11: अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (जारी)

** सीईआरसी ने याचिका संख्या 127/2012 में दिनांक 06/04/2015 के आदेश के तहत निर्देश दिया था कि वेमागिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (वीटीएसएल) के लिए कंपनी द्वारा किए गए अधिग्रहण मूल्य का 80% दीर्घकालिक ट्रांसमिशन ग्राहकों (एलटीटीसी) द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और शेष 20% के साथ–साथ अधिग्रहण की तारीख से कंपनी के परिसमापन तक वीटीएसएल द्वारा किए गए व्यय को कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके पश्चात, कंपनी द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर, सीईआरसी ने दिनांक 20/10/2016 के आदेश के तहत माना कि अधिग्रहण मूल्य का 20% भुगतान करने के लिए कंपनी की देयता की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त कारण हैं और तदनुसार, निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर एलटीटीसी द्वारा विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीई) में दायर अपीलों के निपटारे के बाद मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए नए सिरे से फैसला किया जाएगा। एपीटीईएल में दायर अपीलों की अंतिम सुनवाई 02.03.2020 को हुई और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षकारों को लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया और फैसला सुरक्षित रख लिया। तथापि, मार्च 20–मई 20 के दौरान कोविड महामारी लॉकडाउन के कारण, मामले को 24.08.2020 को फिर से सूचीबद्ध और सुना गया और माननीय एपीटीईएल ने सभी पक्षकारों को ईमेल के माध्यम से संक्षिप्त व्यापक लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया और फैसला फिर से सुरक्षित रख लिया। तदनुसार, एपीटीईएल में संक्षिप्त व्यापक लिखित दलीलें दाखिल की गईं। चूंकि एपीटीईएल के माननीय सदस्यों में से एक फैसला सुनाए जाने से पहले दिसंबर 2020 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए, इसलिए मामले पर फिर से सुनवाई की आवश्यकता हो सकती है।

उपर्युक्त मामले में दर्ज की गई शीघ्र सुनवाई हेतु एपीटीईएल के आरंभ दिनांक 05.07.2021 के अंतर्गत अनुमति दी गई थी, परन्तु एपीटीईएल में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के कारण मामले पर विचार नहीं किया जा सका। एपीटीईएल में नए अध्यक्ष की नियुक्ति 02.12.2022 को हुई थी, तब से यह मामला कई तारीखों पर सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। वर्तमान में, माननीय न्यायाधिकरण ने मामले की अंतिम सुनवाई 22.04.2024 को रखी थी और मामले की आंशिक सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई की तारीख 28.05.2024 है।

टिप्पणी 12 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम		
अप्रतिभूत		
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	295.23	311.54
ख. अन्य	68.39	66.99
संदिग्ध समझे गए अप्रतिभूत	1.19	1.19
	364.81	**379.72**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	1.19	1.19
	363.62	**378.53**
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	16.48	17.03
आस्थगित कर्मचारी लागत	48.87	37.78
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति	4,011.90	4,427.75
वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने हेतु अग्रिम		
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष	30.51	10.53
अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर#	83.23	-
अन्य कर	0.63	0.66
अन्य*		
शोध्य समझे गए	14.32	33.35
संदिग्ध समझे गए	0.37	0.37
	14.69	**33.72**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.37	0.37
	14.32	**33.35**
	128.69	**44.54**
योग	**4,569.56**	**4,905.63**

अतिरिक्त टिप्पणी:

निवल चालू कर देयताएं – टिप्पणी 33

* अन्य में ग्राहकों एवं राज्य सरकारों से वसूली जाने वाली राशि, बीमा दावे आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 13 माल-सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.10 देखें)		
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	1,242.21	1,294.19
खुले औजार	53.66	26.98
खपतयोग्य सामान	8.28	9.44
	1,304.15	**1,330.61**
घटाएं : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	0.42	7.06
योग	**1,303.73**	**1,323.55**
मालसूची में पारगमन सामग्री शामिल है		
संघटक, स्पेयर और अन्य स्पेयर पार्ट्स	1.56	-

टिप्पणी 14क: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
उचित मूल्य पर निवेश के लाभ के माध्यम से उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है		
उद्धरित		
म्यूचुअल फंड		
केनरा रोबेको लिक्विड फंड (364737.241 इकाई (पिछले वर्ष शून्य))	105.54	-
एसबीआई लिक्विड फंड (1330210.403 इकाई (पिछले वर्ष शून्य)	502.72	-
योग	**608.26**	**-**
अतिरिक्त टिप्पणी:		
1) उद्धरित निवेश की कुल राशि		
लागत पर	604.42	-
बाजार मूल्य	608.26	-
2) निवेशों का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 2.13 के अनुसार किया गया है।		

टिप्पणी 14 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य– अप्रतिभूति		
शोध्य समझे गए	10,778.48	14,251.18
ऋण हानि	289.52	294.00
	11,068.00	**14,545.18**
संबंधित पक्षों से प्राप्य– अप्रतिभूति		
शोध्य समझे गए	47.32	52.95
	11,115.32	**14,598.13**
घटाए: क्षति भत्ते	289.52	294.00
योग	**10,825.80**	**14,304.13**

टिप्पणी 14 व्यापार प्राप्य (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के लिए आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी सं 46 और संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों के विवरण के लिए टिप्पणी सं 55 देखें।

ख) व्यापार प्राप्तियों में ₹3,810.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,088.77 करोड़) की राशि के पारेषण खंड से संबंधित बिना बिल प्राप्तियां शामिल हैं, जिसमें से मार्च महीने के लिए पिछले तिमाहियों के बकाया बिलों सहित, वित्तीय वर्ष की राशि ₹3,283.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6,634.84 करोड़) शामिल हैं। लाभार्थियों को बाद के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में बिल किया गया। व्यापार प्राप्य में डीआईसी को अंतरित की जाने वाली गैर–टैरिफ आय ₹75.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹82.81 करोड़) शामिल है, जिसे अबिलीकृत प्राप्य के सापेक्ष घटाया गया है क्योंकि इसे निवल आधार पर बिलीकृत किया जाएगा।

ग) कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर, लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। वर्ष के अंत तक छूट के माध्यम से कंपनी द्वारा अभी तक प्राप्त की गई राशि और लाभार्थियों द्वारा बैंकों को निपटान किया जाना है, जिसे उधार के रूप में दिखाया गया है (टिप्पणी संख्या 28 देखें) क्योंकि बिल कंपनी की सहायता हेतु छूट दी गई हैं। इस संबंध में बैंकों द्वारा कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, पूरी राशि लाभार्थियों से अधिभार के साथ वसूल की जाएगी। बकाया व्यापार प्राप्तियों में ₹2,693.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,922.61 करोड़) की राशि शामिल है जिसे कंपनी की सहायता हेतु छूट दी गई हैं और इसे उधार के रूप में दिखाया गया है (टिप्पणी संख्या 28 देखें)। कुल व्यापार प्राप्य (गैर–चालू सहित) बिलों की भुनाई के माध्यम से प्राप्त निवल राशि ₹8,415.23 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹13,077.09 करोड़)।

घ) व्यापार प्राप्तियों की समय सीमा इस प्रकार है

(₹ in crore)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	0.53	138.14	722.43	200.66	14.71	112.34	1,188.81
	अविवादित	3,844.77	4,974.37	602.72	134.06	65.39	6.05	9.63	9,636.99
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	0.94	-	-	-	273.06	274.00
	अविवादित	-	-	-	-	0.36	6.06	9.10	15.52
कुल		**3,844.77**	**4,974.90**	**741.80**	**856.49**	**266.41**	**26.82**	**404.13**	**11,115.32**
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	7.77	147.95	70.41	11.29	81.71	161.71	480.84
	अविवादित	8,160.21	4,678.15	633.10	254.07	69.54	19.44	8.78	13,823.29
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	273.78	273.78
	अविवादित	-	-	-	0.40	6.09	0.25	13.48	20.22
कुल		**8,160.21**	**4,685.92**	**781.05**	**324.88**	**86.92**	**101.40**	**457.75**	**14,598.13**

टिप्पणी 15 नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंकों में शेष		
– चालू खातों में	1,718.62	1,343.47
–– नामोदिष्ट खाते में (परामर्शी ग्राहकों एवं अन्य हेतु)	86.28	240.30
मियादी जमाओं में (3 माह से कम की परिपक्वता वाले)* (ब्याज सहित)	815.65	2,562.47
योग	**2,620.55**	**4,146.24**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* मियादी जमा में परामर्शी ग्राहकों एवं अन्यों के लिए ₹536.65 करोड़ (पूर्ववर्ती ₹808.24 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी 16 नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक में निर्दिष्ट शेष*	33.22	29.91
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए) उपार्जित ब्याज सहित#	2,372.96	558.29
योग	**2,406.18**	**588.20**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

* बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश शामिल है।

\# मियादी जमा में परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए ₹1620.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹558.29 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी 17 ऋण (शोध्य समझे गए जब तक अन्य उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पक्षों को ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)		
सहायक कंपनियों को ऋण – अप्रतिभूत	318.25	348.07
संयुक्त उद्यमों को ऋण – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	13.41	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	0.16	6.72
	13.57	**6.72**
घटाएं: हानि भत्ता**	0.16	6.72
	13.41	**-**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	0.02	0.01
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	-	0.08
	331.68	**348.16**
कर्मचारियों को ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत#	72.59	60.63
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया	46.22	46.31
	118.81	**106.94**
योग	**450.49**	**455.10**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* संबंधित पक्षों को ऋणों के ब्यौरे टिप्पणी सं. 55 में उपलब्ध हैं।

** क्षतिग्रस्तता के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 6(क)(vi) देखें।

\# निदेशकों, एमपी एवं कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्ति को बंधक रखने अथवा वाहनों के दृष्टिबंधन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी की नीतियों के अनुपालन में दिए जाते हैं।

टिप्पणी 18 अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	64.25	76.72
अनुबन्ध परिसंपत्तियां #	4,322.28	812.39
भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय (उद्भूत ब्याज सहित)	36.90	36.22
संबंधित पक्षों को अग्रिम/प्राप्त योग्य राशियां ##	443.67	498.01
अन्य ###		
शोध्य समझा गया	153.47	507.23
संदिग्ध समझा गया	7.94	7.94
	161.41	**515.17**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	7.94	7.94
	153.47	**507.23**
योग	**5,020.57**	**1,930.57**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

\# अनुबंध संपत्ति में संबंधित पक्षों से ₹0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.16 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी 55 देखें)। इंड–एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

\## संबंधित पक्षों के अग्रिमों के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

\### अन्य, में शामिल हैं :–

(क) हक अन्तरण हेतु कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक तुगलगाबाद और द्वारका सब स्टेशन में 2.427 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष 2.427 हेक्टेयर) भूमि के अन्तरण के संबंध में मै. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से वसूलनीय ₹59.88 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹59.88) की राशि।

(ख) ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय आवास हेतु अग्रिम किराया पीफ न्यास एवं उपदान न्यास को अग्रिम, अन्य अग्रिम आदि।

टिप्पणी 19 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई, जब तक अन्यथा उल्लेखित हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता	5.75	9.95
कर्मचारी	8.19	9.11
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	20.64	28.49
वसूली योग्य दावे	-	18.83
	34.58	**66.38**
आस्थगित कर्मचारी लागत	8.24	6.54
अन्य*		
शोध्य समझे गए	159.07	149.85
संदिग्ध समझे गए	0.01	0.01
	159.08	**149.86**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.01	0.01
	159.07	**149.85**
योग	**201.89**	**222.77**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* अन्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु दिए गए अग्रिम तथा इनपुट कर क्रेडिट– जीएसटी आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 19क बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
इक्विटी लिखत में निवेश (पूर्णतः संदत्त)				
सहयोगी कंपनियां				
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 15860000 (पूर्ववर्ती वर्ष 15860000) इक्विटी शेयर	15.86	-	15.86	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 58996600 (पूर्ववर्ती वर्ष 58996600) इक्विटी शेयर	59.00	-	59.00	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 102258000 (पूर्ववर्ती वर्ष 102258000) इक्विटी शेयर	102.26	-	102.26	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 83746000 (पूर्ववर्ती वर्ष 83746000) इक्विटी शेयर	83.74	-	83.74	-
कुल	**260.86**	**-**	**260.86**	**-**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

अतिरिक्त ब्यौरों के लिए टिप्पणी संख्या 67(क) देखें।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी पांच सहायक कंपनियों की 74% शेयरधारिता का मुद्रीकरण किया है और एसपीवी में से एक के शेष 26% शेयर मार्च 2022 में अंतरित किए गए थे। एसपीवी की 04 सहभागी कंपनी की शेष 26% शेयरधारिता जिसका मूल्य ₹260.86 करोड़ है, को ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के अनुरूप द्रीकरण किया जाना है और इसे "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 20 विनियामक आस्थगन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्तियां'	7,316.30	7,880.80
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	2,273.87	2,398.86
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	9.57	4.10
योग	**9,599.74**	**10,283.76**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनायमक आस्थगन लेखा शेष पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 51 देखें।

टिप्पणी 21 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
₹10/–प्रत्येक के सम मूल्य पर 10,00,00,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹10/–प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रदत्त 9300603819 (पूर्ववर्ती वर्ष 6,97,54,52,864) इक्विटी शेयर	9,300.60	6,975.45

टिप्पणी 21 इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) सूचना अवधि के शुरू में और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	6975452864	6,975.45	6975452864	6,975.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	2325150955	2,325.15	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	**9300603819**	**9,300.60**	**6975452864**	**6,975.45**

* चालू वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग करके 12 सितंबर 2023 की रिकॉर्ड तिथि पर धारित प्रत्येक तीन इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में ₹10/– प्रत्येक के 2325150955 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

2. कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, जिनका ₹10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य है।
3. इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों को बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।
4. शेयरधारक, जिसके पास कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023		धारित%
	शेयरों की सं.	धारित%	शेयरों की सं.	धारित%	
भारत सरकार (प्रवर्तक)	4774884280	51.34	3581163210	51.34	-

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारक्षित एवं अधिशेष		
प्रतिभूति प्रीमियम	5,509.28	7,834.43
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	2,921.02	4,168.17
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	1,240.63	1,047.96
सामान्य प्रारक्षित निधि	64,566.23	58,457.37
प्रतिधारित आय	3,156.61	3,989.19
अन्य प्रारक्षित निधियां		
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	172.68	371.61
योग	**77,566.45**	**75,868.73**

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी (जारी)

22.1 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	7,834.43	7,834.43
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	2,325.15	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,509.28**	**7,834.43**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम में दर्ज किया गया है और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण संदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए किया गया है।

22.2 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	4,168.17	5,532.80
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	1,247.15	1,364.63
वर्ष के अंत में शेष	**2,921.02**	**4,168.17**

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है। कंपनी (शेयर पूजी और डिबेन्चर) नियम 2014 के अन्तर्गत 16.08.2019 से सूचीबद्ध कंपनी को बोनस शोधन प्रारक्षित निधी सृजन की आवश्यकता नहीं है।

22.3 स्व–बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	1,047.96	853.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन	301.53	299.42
वर्ष के दौरान कटौती	108.86	104.55
वर्ष के अंत में शेष	**1,240.63**	**1,047.96**

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि का सृजन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल सकल ब्लॉक (जिसमें लीज प्राप्तियां शामिल हैं) और वर्ष के अंत में आरओयू परिसंपत्तियों और बीमा के तहत कवर की गई परिसंपत्तियों को छोड़कर इन्वेंट्री के मूल्य पर प्रति वर्ष 0.12% (पिछले वर्ष में प्रति वर्ष 0.12%) के आधार पर किया जाता है, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसानों को पूरा किया जा सके, जो बीमाकृत जोखिमों से उत्पन्न हो सकते हैं और टावरों और अन्य ट्रांसमिशन लाइन सामग्रियों की खरीद के लिए, जिसमें भविष्य की आकस्मिकताओं का ध्यान रखने के लिए एसी सब–स्टेशन के टावरों और उपकरणों को मजबूत करना शामिल है।

22.4 सामान्य प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	58,457.37	50,352.82
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,108.86	8,104.55
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**64,566.23**	**58,457.37**

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है, जिसको कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए तथा शेयरधारकों का लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

टिप्पणी 22 अन्य इक्विटी (जारी)

22.5 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	3,989.19	4,110.89
जोड़े / (घटाऐं) :इंड एएस 12 समायोजन परिवर्धन	-	8.70
	3,989.19	4,119.59
जोड़े : परिवर्धन		
अवधि हेतु निवल लाभ	15,474.61	15,335.54
अधिशेष में सीधे स्वीकृत अन्य व्यापक आय की मदें		
– नियोजन उपरांत लाभ बाध्यताओं का पुर्नमूल्यांकन	(33.96)	17.22
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से हस्तान्तरण	1,247.15	1,364.63
घटाएं : विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	6,000.00	8,000.00
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	301.53	299.42
संदत्त अंतरिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) देखें)	7,905.51	6,975.45
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 59(ख) देखें)	3,313.34	1,569.48
अन्य समायोजन	-	3.44
वर्ष के अंत में शेष	**3,156.61**	**3,989.19**

22.6 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	371.61	492.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	(198.93)	(120.48)
वर्ष के दौरान कटौती		-
वर्ष के अंत में शेष	**172.68**	**371.61**

अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि को दूसरे व्यापक आय के जरिए उचित रूप में मूल्यांकित वर्गीकृत इक्विटी लिखतों में गैर–चालू निवेशों के मूल्यांकन में वृद्धि / कमी से सृजित किया जाता है (एफवीओसीआई)।

टिप्पणी 23 उधारियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क) बांड			
क1) प्रतिभूत (कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, असंपरिवर्तनीय)			
क1.1 i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		
	LV निर्गम–7.55% दिनांक 21.09.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,289.21	1,289.07
	LX निर्गम–7.20% दिनांक 09.08.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,201.96	3,201.72
	LIX निर्गम–7.30% दिनांक 19.06.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,245.63	3,245.47
	XXXIX निर्गम–9.40% दिनांक 29.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,801.35	1,801.34
	LVIII निर्गम–7.89% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,070.15	2,070.09
	XXXVIII निर्गम–9.25% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	859.95	859.93
	LVI निर्गम–7.36% दिनांक 18.10.2026 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,100.47	1,100.32
	LXII निर्गम–8.36% दिनांक 07.01.2025 से 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय	2,038.72	2,038.34
ii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		

टिप्पणी 23 उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	LIV निर्गम–7.97% दिनांक 15.07.2021 से प्रतिदेय	2,113.57	2,113.43
iii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LII निर्गम–8.32% दिनांक 23.12.2020 से प्रतिदेय	953.10	952.93
iv)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, प्रत्येक को 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIII निर्गम–8.13 % दिनांक 25.04.2020 से प्रतिदेय	2,866.30	3,224.54
v)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLIX निर्गम–8.15% दिनांक 09.03.2020 से प्रतिदेय	874.40	874.36
vi)	प्रत्येक ₹40 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23. 01.2030 को 4 (चार) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVIII निर्गम–8.20% दिनांक 23.01.2020 से प्रतिदेय	1,309.89	1,309.64
vii)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LI निर्गम–8.40% दिनांक 14.09.2019 से प्रतिदेय	1,830.26	2,091.51
viii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVI निर्गम–9.30% दिनांक 04.09.2019 से प्रतिदेय	3,063.11	3,062.77
ix)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	L निर्गम–8.40% दिनांक 27.05.2019 से प्रतिदेय	1,829.46	2,090.73
x)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVII निर्गम–8.93% दिनांक 20.10.2018 से प्रतिदेय	1,372.77	1,601.34
xi)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड को 15.07.2018, 15.07.2023 और 15. 07.2028 को 3 समान किस्तों में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।		
	XLIV निर्गम–8.70% दिनांक 15.07.2018 से प्रतिदेय	1,403.97	2,807.80
xii)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLV निर्गम–9.65% दिनांक 28.02.2018 से प्रतिदेय	840.20	1,008.00
	XLIII निर्गम–7.93% दिनांक 20.05.2017 से प्रतिदेय	1,391.93	1,670.26
xiii)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLI निर्गम–8.85% दिनांक 19.10.2016 से प्रतिदेय	985.29	1,231.45
xiv)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10.00 लाख के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XXXVI निर्गम– 9.35% दिनांक 29.08.2016 से प्रतिदेय	1,521.55	1,738.74

टिप्पणी 23 उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
xv)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XL निर्गम–9.30% दिनांक 28.06.2016 से प्रतिदेय	1,426.62	1,783.17
	XXXVII निर्गम–9.25% दिनांक 26.12.2015 से प्रतिदेय	510.97	681.17
	XXXV निर्गम–9.64% दिनांक 31.05.2015 से प्रतिदेय	528.81	705.05
	XXXIV निर्गम–8.84% दिनांक 21.10.2014 से प्रतिदेय	604.13	906.08
	XXXIII निर्गम–8.64% दिनांक 08.07.2014 से प्रतिदेय	510.37	765.50
	XXXII निर्गम–8.84% दिनांक 29.03.2014 से प्रतिदेय	86.31	172.62
	XXXI निर्गम–8.90% दिनांक 25.02.2014 से प्रतिदेय	172.12	344.16
	XXX निर्गम–8.80% दिनांक 29.09.2013 से प्रतिदेय	203.02	405.99
	XXIX निर्गम–9.20% दिनांक 12.03.2013 से प्रतिदेय	-	108.67
	XXVIII निर्गम–9.33% दिनांक 15.12.2012 से प्रतिदेय	-	205.47
		42,005.59	**47,461.66**
क2) अप्रतिभूत			
क) 2.1 प्रतिदेय घरेलू बांड			
i)	प्रत्येक 1 लाख रुपये के बांड		
	LXXVI निर्गम–7.35% दिनांक 12.03.2034 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,204.18	-
ii)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		
	LXVIII निर्गम–6.28% दिनांक 11.04.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	520.57	520.54
	LXVI निर्गम–7.38% दिनांक 12.04.2030 को सममूल्य पर प्रतिदेय	508.30	508.20
iii)	प्रत्येक ₹50 लाख के बांड में ₹10.00 लाख के 5 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में भुनाए जा सकते हैं।		
	XLI निर्गम–7.74% दिनांक 12.12.2028 को प्रतिदेय	3,070.26	3,069.80
iv)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		
	LXIX निर्गम–6.05% दिनांक 25.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	530.50	530.49
	LXVII निर्गम–6.85% दिनांक 15.04.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,984.40	2,984.33
v)	प्रत्येक ₹1 लाख के बांड, 10 समान वार्षिक किस्तों/में भुनाए जा सकते हैं।		
	LXXV Issue-7.65% redeemable w.e.f. 11.01.2025	2,236.08	-
vi)	₹10 लाख के प्रत्येक बांड में ₹3.00 लाख, ₹3.00 लाख और ₹4.00 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 25.10.2024, 25.10.2029 और 25.10.2034 को 3 (तीन) किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIV निर्गम–7.49% दिनांक 25.10.2024 से प्रतिदेय	2,601.84	2,601.52
vii)	प्रत्येक ₹1 लाख के बांड, 10 समान वार्षिक किस्तों/में भुनाए जा सकते हैं।		
	LXXIV निर्गम–7.70% दिनांक 12.10.2024 से प्रतिदेय	2,330.28	-
	LXXIII निर्गम–7.50% दिनांक 24.08.2024 से प्रतिदेय	1,305.99	-
viii)	₹30 लाख के प्रत्येक बांड में ₹10.00 लाख के 03 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2024, 15.07.2029 और 15.07.2034 को 03 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		

टिप्पणी 23 उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
	LXIII निर्गम–7.34% दिनांक 15.07.2024 से प्रतिदेय	1,894.07	1,893.94
ix)	₹1 लाख के बांड जिन्हें 40 समान त्रैमासिक किस्तों में भुनाया जा सकता है #		
	LXXI निर्गम–7.52% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	809.19	868.56
	LXXII निर्गम–7.56% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	396.68	425.07
	LXX निर्गम–7.40% दिनांक 17.05.2023 से प्रतिदेय	1,924.89	2,138.38
x)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		
	LXV निर्गम–6.35% दिनांक 14.04.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	202.89
		22,317.23	**15,743.72**
	कुल (क)	**64,322.82**	**63,205.38**
ख) सावधि ऋण			
	बैंकों से		
	प्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	23,030.79	24,964.95
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	6,557.96	7,037.27
	रुपया ऋण	6,366.98	7,821.01
		35,955.73	**39,823.23**
	अप्रतिभूत		
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	2,679.08	3,127.73
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	2,176.41	2,575.72
	रुपया ऋण	18,527.94	20,119.43
		23,383.43	**25,822.88**
	कुल (ख)	**59,339.16**	**65,646.11**
	कुल (क से ख)	**123,661.98**	**128,851.49**
	घटाएं: गैर चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 28देखें)	15,688.15	12,003.61
	घटाएं: उपार्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30देखें)	2,906.88	2,956.59
	कुल	**105,066.95**	**113,891.29**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

@चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने चार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात पावरग्रिड भुज सिस्टम लिमिटेड और पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को सुरक्षित किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए कुल ₹5,700 करोड़ जुटाए हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी तीन सहायक कंपनियों नामतः पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को प्रतिभूत किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए तीन किश्तों में कुल ₹3,412 करोड़ जुटाए।

चुकौती एवं ब्याज दर के संबंध में ब्यौरे

1. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें दैनिक एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार सार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। सिवाय, ₹414.52 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹408.08 करोड़) के एक ऋण थे, जिसपर 0.25% की प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर है।
2. प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6 एम (ईयूआरओईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ड्न ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त चुकाया जाता है।
3. बैंकों से ग्रतिभूत रुपया, जिसमें 3 एमएससीएलआर से जुड़े ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ये ऋण 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है।
4. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभती जिसमें 1.63% प्रतिवर्ष से 2.30% प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर है। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार कित्त में चुकाया जाता हैं।

टिप्पणी 23 उधारियां (जारी)

5. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम (एसटीआईबीओआर /ईयुआरबीओआर) से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अधधे वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
6. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण, जिसमें 3 एम टोना से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण पांच सामान्य वार्षिक किस्तों में चुकाए जाते हैं।
7. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण 3 एमसीएलआर या रेपो दर से सबन्धित फ्लोटिंग ब्याज दर हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।
8. ये ऋण समझौतों के अंत में ऋणों की चुनौती अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
9. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय सस्थानों से उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उधार लिया है जिसके लिए इसे तुलन–पत्र की तारीख में लिया गया था।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1. स्वदेशी बाण्ड, जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड के रूप में प्रतिभूत है और कम्पनी की परिसंपत्तियों पर अस्थायी प्रभार पर प्रतिभूत हैं।
2. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत), ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।
3. प्रतिभूत अन्य विदेशी ऋण और रुपया ऋण निम्न के संबंध में प्रतिभूत होते हैं :–
   (i) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू परिसंपत्तियों के।
   ii) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेश एवं चालू परिसंपत्तियों के अथवा,
   iii) संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 24 अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	58.40	70.24
भारत सरकार की पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड*	3,487.50	3,487.50
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	7.32	6.93
कुल	**3,553.22**	**3,564.67**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 49 में दिया गया है।

* भारत सरकार के पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड जिन्हें 14.02.2029 को समूल्य पर विमोच्य 8.24% की दर पर जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी सं. 11 को देखें।

टिप्पणी 25/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कर्मचारी हितलाभ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	577.61	517.05
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	65.50	60.56
अन्त शेष	**643.11**	**577.61**

अतिरिक्त टिप्पणी:

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन, टिप्पणी 63 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
आय मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	26,950.03	26,335.66
वित्त पट्टा परिसंपत्तियाँ	130.65	130.60
अन्य	163.58	199.73
आस्थगित कर देयता (क)	**27,244.26**	**26,665.99**
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
निर्माण अवधि के दौरान आय	13.65	18.87
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	476.95	554.51
मूल्यह्रास के लिए अग्रिम	201.45	246.96
एमएटी क्रेडिट पात्रता	16,519.19	15,142.61
अन्य	51.62	83.14
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (ख)	**17,262.86**	**16,046.09**
आस्थगित कर देयता (निवल) (क–ख)	**9,981.40**	**10,619.90**

अतिरिक्त टिप्पणी:

आस्थगित कर देयता में घट–बढ़ निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	वित्त पट्टा परिसंपत्ति	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2022 को	**25,174.38**	**72.18**	**207.61**	**25,454.17**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	1,161.28	58.42	10.21	1,229.91
अन्य व्यापक आय में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)			(18.09)	(18.09)
31 मार्च, 2023 को	**26,335.66**	**130.60**	**199.73**	**26,665.99**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	614.37	0.05	(3.17)	611.25
अन्य व्यापक आय में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)			(32.98)	(32.98)
31 मार्च, 2024 को	**26,950.03**	**130.65**	**163.58**	**27,244.26**

आस्थगित कर परिसंपत्ति में घट–बढ़ निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्माण के दौरान सम्पत्ति संयंत्र उपकरण– आय	भुगतान आधार पर अनुमत्य प्रावधान व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	एमएटी क्रेडिट	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2022 को	**18.26**	**532.23**	**299.92**	**13,157.43**	**30.25**	**14,038.09**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	0.61	22.28	(52.96)	1,985.18	52.89	2,008.00
31 मार्च, 2023 को	**18.87**	**554.51**	**246.96**	**15,142.61**	**83.14**	**16,046.09**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	(5.22)	(77.56)	(45.51)	1,376.58	(31.52)	1,216.77
31 मार्च, 2024 को	**13.65**	**476.95**	**201.45**	**16,519.19**	**51.62**	**17,262.86**

टिप्पणी 26 आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)

लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के विवरण में मान्यता प्राप्त निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि/(कमी)	611.25	1,229.91
आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(1,216.77)	(2,008.00)
लाभ अथवा हानि* में प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि#	**(605.52)**	**(778.09)**
आस्थगन कर परिसंपत्ति में वृद्धि/(कमी)	(32.98)	(18.09)
अन्य व्यापक आय प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(32.98)**	**(18.09)**

* इसमें बंद परिचालन से प्राप्त ₹ (1.07) करोड़ (पिछले वर्ष ₹ (22.11) करोड़) शामिल हैं।

क. प्रबंधन की राय में यह संभव है कि भावी आर्थिक लाभ मैट क्रेडिट को स्वीकार करके भावी आय कर देयता के प्रति छूट की उपलब्धता के रूप में कंपनी को निम्नानुसार प्राप्त होंगे :

भावी कराधेय लाभों को (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू किए गए परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर राहत के संबंध में समायोजित किया जाएगा (ख) भविष्य में शुरू किए जाने वाले परिसंपत्तियों पर शुरूआती मूल्यहास (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत नियमित आय कर मूल्यह्रास के संबंध में समायोजित किया जाएगा और इसके बाद कर राशि में मैट क्रेडिट के प्रति छूट प्राप्त होगी। अतः इसे वर्ष के दौरान आस्थगित्त कर परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

ख. भविष्य में कंपनी को प्राप्त मैट क्रेडिट परन्तु बाहियों में स्वीकार नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को	समाप्ति तारीख	31 मार्च, 2023 को	समाप्ति तारीख
2015-16	1,421.20	31 मार्च 2026	1,421.20	31 March 2026
2014-15	1,281.23	31 मार्च 2025	1,281.23	31 March 2025
2013-14	-	31 मार्च 2024	1,085.14	31 March 2024

टिप्पणी 27 अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी/दूरसंचार सेवाएं)'	-	194.15
अन्य	4.77	2.95
योग	**4.77**	**197.10**

अतिरिक्त टिप्पणी :

* भा.ले.मा. 115 के तहत ''ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 46 देखें।

टिप्पणी 28 उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बांड	6,495.35	5,191.48
रुपया सावधि ऋण	1,454.00	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	2,789.59	2,856.77
	10,738.94	**9,502.25**
अप्रतिभूत		
बांड	2,267.20	508.90
रुपया सावधि ऋण	1,994.44	1,300.00

टिप्पणी 28 उधारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
विदेशी मुद्रा ऋण	687.57	692.46
	4,949.21	**2,501.36**
	15,688.15	**12,003.61**
ख) चालू उधार		
प्रतिभूत		
बैंकों से– छूट दी गई बिल के प्रति (नीचे टिप्पणी 3 देखें)	2,693.52	1,922.61
अप्रतिभूत		
बैंकों से	-	700.00
योग	**18,381.67**	**14,626.22**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अप्रतिभूत अल्पावधिक ऋण 7.12% (पिछले वर्ष की सीमा 4.45% से 6.70% थी) से जुटाई जाती है और निकासी की तारीख से 90 दिन (पिछले वर्ष में 90 दिन के भीतर चुकौती योग्य था) के भीतर चुकौती योग्य होते हैं।
2. वर्ष की समाप्ति पर ऋणों की चुकौती में अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नही हुई है।
3. बैंक से प्रतिभूति ऋण, व्यापार प्राप्तियों के प्रति छूट प्राप्त बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि के लिए है। (टिप्पणी संख्या 14(ग) देखें।

टिप्पणी 29 व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सामान एवं सेवा हेतु		
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	49.79	48.69
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से इतर क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं*	304.28	276.33
योग	**354.07**	**325.02**

अतिरिक्त टिप्पणी:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खण्ड I और ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 49 में दिया गया है।

* व्यापार देयताओं में संबंधित पक्षों से ₹45.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.15 करोड़) शामिल है। (टिप्पणी संख्या 55 देखें)

व्यापार देय की एजेईंग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	**-**
अविवादित	27.73	22.06	-	-	-	**49.79**
कुल	**27.73**	**22.06**	**-**	**-**	**-**	**49.79**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	**-**
अविवादित	142.84	157.51	2.44	1.16	0.33	**304.28**
कुल	**142.84**	**157.51**	**2.44**	**1.16**	**0.33**	**304.28**
कुल व्यापार देयताएं	**170.57**	**179.57**	**2.44**	**1.16**	**0.33**	**354.07**
31 मार्च, 2023 को						
एमएसएमई						

टिप्पणी 29 व्यापार देयताएं (जारी)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	33.34	15.35	-	-	-	**48.69**
कुल	**33.34**	**15.35**	**-**	**-**	**-**	**48.69**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	141.21	125.10	8.77	0.63	0.62	**276.33**
कुल	**141.21**	**125.10**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**276.33**
कुल व्यापार देयताएं	**174.55**	**140.45**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**325.02**

टिप्पणी 30 अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ब्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	503.20	473.70
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्डों	2,403.68	2,482.89
	2,906.88	**2,956.59**
ब्याज उपार्जित लेकिन भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बांडों से देय नहीं है	36.90	36.22
अन्य		
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	1,322.01	884.07
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	124.48	141.81
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ*	33.22	29.91
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण राशि	2,626.52	2,528.47
संबंधित पक्ष**	89.10	18.94
अन्य#	736.49	796.52
	4,931.82	**4,399.72**
योग	**7,875.60**	**7,392.53**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 49 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु, कोई राशि देय नहीं है।

** संबंधित पक्षों के देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

\# अन्य में अदालतों में लंबित विभिन्न मुआवजा मामलों की देयता शामिल है।

टिप्पणी 31 अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम*	2,459.18	2,857.98
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष#	30.04	106.85
सांविधिक देय	117.71	167.57
योग	**2,606.93**	**3,132.40**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* भारतीय ले.मा. 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 46 देखें।

\# संबंधित पक्ष को देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 55 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 32. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क) कर्मचारी हितलाभ		
i) निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
प्रारंभिक शेष	427.71	438.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन	415.42	427.71
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	427.71	438.74
अन्त शेष	**415.42**	**427.71**
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)		
प्रारंभिक शेष	104.81	251.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	(14.47)	(147.05)
अन्त शेष	**90.34**	**104.81**
योग (क)	**505.76**	**532.52**
ख) अन्य		
i) निष्क्रिय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम		
प्रारंभिक शेष	1.32	3.25
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	1.67	8.59
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	2.99	10.52
अंत शेष	**-**	**1.32**
ii) अन्य प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	247.57	238.46
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	(169.97)	9.11
अंत शेष	**77.60**	**247.57**
योग (ख)	**77.60**	**248.89**
कुल योग (क+ख)	**583.36**	**781.41**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

क. कर्मचारी हितलाभ

i. निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

कार्यपालकों एवं गैर–कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया गया है।

ii. अन्य कर्मचारी हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता, दीर्घ सेवा प्रतिफल और पावर ग्रिड कर्मचारी परिवार पुर्वास योजना को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

ख. अन्य

i. डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट – दूरसंचार

प्रावधान उस मामले में सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को मांग पर ग्राहक को दिया जाता है।

तथापि, किसी मामले में, अकार्य सेवा का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध में आवश्यक प्रावधान, नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए लिंकों को गैर–प्रचालन अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

ii. अन्य प्रावधान :

पिछले वर्षों में अन्य प्रावधानों में राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए ₹174.36 करोड़ के प्रवेश कर के लिए विवादित प्रावधान शामिल था, जिसका कंपनी ने विरोध किया था। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने "छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड अधिनियम, 2023 के बकाया का निपटान" के तहत विवादित प्रवेश कर के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, कंपनी ने माफी योजना के तहत ब्याज सहित ₹42.27 करोड़ की देनदारी का भुगतान किया है और शेष राशि वापस कर दी गई है।

टिप्पणी 33 चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
प्रारंभिक शेष	3,045.37	8,243.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,129.94	2,971.61
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	3,042.88	8,169.28
योग	**3,132.43**	**3,045.37**
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	3,132.43	3,010.77
अन्त शेष	**-**	**34.60**

टिप्पणी 34 आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
मूल्यहास के संबंध में अग्रिम	576.49	706.73
सहायता अनुदान (अतिरिक्त टिप्पणी देखें)		
प्रारंभिक शेष	3,332.33	3,647.89
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13.93	1.70
वर्ष के दौरान समायोजन	311.41	317.26
अन्त शेष	**3,034.85**	**3,332.33**
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय (निवलद्ध	5,850.52	6,124.46
योग	**9,461.86**	**10,163.52**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

1. ईआर (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में सिस्टम सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) के अंतर्गत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से ब्याज सहित ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.41 करोड़) की सहायता अनुदान को मान्यता दी गई है।
2. एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के अंतर्गत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से ब्याज सहित ₹13.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.34 करोड़) की सहायता अनुदान को मान्यता दी गई है।
3. कंपनी की विभिन्न भवनों में सौर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्धि से जुड़ी/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है।
4. आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के लिए जागरूकता कार्यकलाप सृजन करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से पिछले वर्षों में सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। एमएनआरई, भारत सरकार (जीओआई) को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ₹1.06 करोड़ की राशि चुकाने योग्य है और अन्य चालू वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत दिखाई गई है।

टिप्पणी 35 प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	40,432.40	40,467.74
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	130.24	151.56
	40,562.64	**40,619.30**

टिप्पणी 35 प्रचालनों से राजस्व (जारी)

(₹ in crore)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
अन्य प्रचालन राजस्व		
विभेदी अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ पर ब्याज	965.56	1,161.34
पट्टा कार्यों से आय	8.69	8.81
आस्थगित राजस्व से मान्य–सहायता अनुदान	311.41	315.33
अन्य	24.41	21.83
	1,310.07	**1,507.31**
	41,872.71	**42,126.61**
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	518.45	509.29
योग	**42,391.16**	**42,635.90**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत्त विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 07.03.2019 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन 2019'' को अधिसूचित किया है।

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है:

i) 2019–24 तक की ब्लाक अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार ₹38,305.35 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹35,385.69 करोड़); और

ii) ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में ₹2,257.29 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹5,233.61 करोड़), जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने बाकी थे।

ग) सीइआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में पिछले वर्षों से संबंधित 825.88 करोड़ ''वृद्धि'' (पिछले वर्ष 1,597.30 करोड़ ''वृद्धि'') शामिल है।

घ) आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' संदर्भ टिप्पणी संख्या 46 देखें।

ङ) अन्य परिचालन राजस्व के अंतर्गत "अन्य" में पीपीई के अलावा अन्य से उत्पन्न स्क्रैप की बिक्री से आय शामिल है।

टिप्पणी 36. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर धारित वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय:		
भारतीय बैंक	172.41	41.78
सहयोगी कंपनियों को ऋण	1,455.06	1,115.93
संयुक्त उद्यमों (जेवी) को ऋण	3.73	0.07
पीजी इनविट में निवेश (एफवीओसीआई में मूल्यांकन)	107.97	107.70
अन्य'	34.74	28.49
	1,773.91	**1,293.97**
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से ब्याज	23.38	18.16
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट की अनवाइंडिंग	52.16	77.73
	1,849.45	**1,389.86**
निम्नलिखित से लाभांश आय		
सहयोगी कंपनी	891.01	482.03

टिप्पणी 36. अन्य आय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उद्यम	68.36	77.76
एसोसिएट्स	40.23	58.82
पीजी इनविट में निवेश (एफवीओसीआई द्वारा मूल्यांकित)	29.21	46.14
एफवीओसीआई पर निर्दिष्ट इक्विटी निवेश	9.36	6.96
	1,038.17	**671.71**
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	0.36	5.97
बिक्री पर लाभ/एफवीपीएल में मूल्यांकित वर्तमान निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	9.46	-
वित्त पट्टे से वित्त आय	72.25	150.80
अधिभार	131.25	163.54
प्रावधानों को वापस लिखा गया	95.06	24.57
वित्तीय दायित्व/निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लाभ	18.04	42.04
विविध आय**	237.84	169.27
	564.26	**556.19**
	3,451.88	**2,617.76**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवलद्ध – टिप्पणी 43	27.67	26.14
योग	**3,424.21**	**2,591.62**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत की अनवाइंडिंग आदि शामिल है।

** विविध आय में स्क्रैप की बिक्री, बीमा, दावा वसूली, यूआई प्रभार आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 37 कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	2,089.10	2,053.19
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	259.79	327.89
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	286.60	269.57
	2,635.49	**2,650.65**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) – टिप्पणी 43	246.41	240.40
सीएसआर व्ययों में स्थानान्तरित्त – टिप्पणी–40	12.20	9.90
योग	**2,376.88**	**2,400.35**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारश्रमिक हेतु टिप्पणी 55 देखें।

ख) कर्मचारी हितलाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 63 देखें।

ग) कर्मचारी हित लाभ व्यय में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित ₹38.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.59 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी संख्या 66ग देखें)।

टिप्पणी 38 वित्त लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	2,171.46	1,997.81
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	1,957.21	1,221.96
प्रतिभूति/अप्रतिभूति विमोच्य बाण्ड	4,745.37	5,044.89
विदेशी मुद्रा बाण्ड	-	136.55
वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना	33.80	20.68
ब्याज – अन्य	0.10	0.21
पट्टा देयताओं पर ब्याज	2.96	4.29
	8,910.90	**8,426.39**
अन्य वित्त प्रभार		
वचनबद्धता प्रभार	330.74	337.66
अन्य*	36.30	16.08
	367.04	**353.74**
उधारी लागत के समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अन्तर	14.94	1,072.04
	381.98	**1,425.78**
	9,292.88	**9,852.17**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) – टिप्पणी 43	246.01	144.97
योग	**9,046.87**	**9,707.20**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में एजेंसी शुल्क, ट्रस्टी शुल्क, आरटीए और लिस्टिंग शुल्क, रेटिंग शुल्क, भूमि पर ब्याज, पेड़ और फसल क्षतिपूर्ति आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 39 मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	12,881.70	13,196.51
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	126.51	126.71
आरओयू की संपत्ति पर मूल्यह्रास	21.79	19.56
	13,030.00	**13,342.78**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 43	7.27	11.35
	13,022.73	**13,331.43**
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यह्रास	464.54	472.91
कुल	**12,558.19**	**12,858.52**

टिप्पणी 40 अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मरम्मत और अनुरक्षण		
भवन	122.69	103.15
संयंत्र और मशीनरी		
सब–स्टेशन	413.20	399.34
ट्रांसमिशन लाईन	210.19	192.07
अन्य	66.87	55.90
	690.26	**647.31**
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	130.86	88.61
विद्युत प्रभार	312.51	298.17
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	0.42	0.44
	312.09	**297.73**
डीजल जेनरेटिंग सेटों के व्यय	3.94	5.41
उपभुक्त सामान	3.79	4.61
जल प्रभार शुल्क	5.48	5.33
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	60.97	40.08
घटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	0.71	0.36
	60.26	**39.72**
कानूनी व्यय	19.51	19.27
व्यावसायिक व्यय	37.85	36.86
परामर्शदायी व्यय	1.40	1.36
संचार व्यय	27.08	21.55
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	138.07	133.02
विदेश यात्रा	6.42	7.04
	144.49	**140.06**
निविदा व्यय	5.39	0.88
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	1.97	0.87
	3.42	**0.01**
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान		
लेखा–परीक्षा शुल्क	1.88	1.71
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.53	0.49
अन्य क्षमत्ता में	1.28	1.18
फुटकतर व्यय	0.91	0.60
	4.60	**3.98**
विज्ञापन और प्रचार	12.57	15.93
मुद्रण और लेखन सामग्री	6.49	4.88
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल	1.69	2.54
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	25.95	14.65
मनोरंजन संबंधी व्यय	4.43	4.25
ब्रोकरेज और कमीशन	1.99	2.00
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	1.45	1.29
किराया#	12.84	16.43
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	87.96	86.08
विविध व्यय	159.79	156.50

टिप्पणी 40 अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
बागवानी व्यय	45.23	41.71
सुरक्षा व्यय	343.46	332.26
वाहन को किराए पर लेना	160.32	150.86
बीमा व्यय	144.71	139.29
दरें और कर	60.09	45.64
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा प्रभार	47.94	-
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय*	312.24	321.66
मार्गस्थ निवास व्यय	48.87	41.05
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	2.12	1.76
	46.75	**39.29**
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	38.94	292.71
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्यांकन हानि	9.50	153.83
निम्नलिखित हेतु प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि	39.64	2.44
सामग्रियों का अप्रचलित होना	-	3.09
पीपीई की क्षति	9.36	-
अन्य**	149.12	59.65
	198.12	**65.18**
	3,290.18	**3,301.94**
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)–टिप्पणी 43	49.05	55.45
	3,241.13	**3,246.49**
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि	18.33	28.01
योग	**3,259.46**	**3,274.50**

अतिरिक्त टिप्पणी

* इसमें टिप्पणी सं. 37 – ''कर्मचारी हितलाभ व्यय'' से स्थानान्तरित ₹12.20 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹9.90) की राशि शामिल है।

** अन्य में निम्नलिखित शामिल हैं {टिप्पणी 61(क)(vi) देखें}:–

(क) चालू वर्ष के दौरान एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में निवेश की हानि के लिए ₹149.12 करोड़ की राशि।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) में निवेश और ऋण (उस पर अर्जित ब्याज) की हानि के लिए ₹52.14 करोड़ की राशि।

\# अल्पकालिक पट्टे व्यय के लिए टिप्पणी संख्या 50 देखें।

"अन्य व्यय" में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित ₹7.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7.58 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी संख्या 66ग देखें)।

टिप्पणी 41 विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़-आय/(व्यय) (निवल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्ति	(564.50)	(773.91)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	(124.99)	1,216.29
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	5.47	(131.66)

टिप्पणी 41 विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़-आय/(व्यय) (निवल कर) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
	(684.02)	**310.72**
विनियामक आस्थगन लेखा शेषो मे निवल घटबढ़ पर कर	(119.51)	54.29
योग	**(564.51)**	**256.43**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के संबंध में विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 51 देखें।

टिप्पणी 42 अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ/हानि)	(231.91)	(142.01)
बीमाकन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	(43.22)	37.93
	(275.13)	**(104.08)**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवलद्ध – टिप्पणी–43	(3.22)	18.67
	(271.91)	**(122.75)**
घटाएं : मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
वर्तमान कर	(6.99)	3.38
आस्थगित कर	(32.98)	(18.09)
	(39.97)	**(14.71)**
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (कर निवल)	**(231.94)**	**(108.04)**

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

अन्य व्यापक आय में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से संबंधित ₹ 0.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹(0.41) करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी संख्या 66 ग देखें)।

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 202.4 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	208.87	199.45
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	24.82	28.63
कल्याण व्यय	12.72	12.32
योग (क)	**246.41**	**240.40**
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	0.01	0.08
विद्युत प्रभार (ठेकेदारों से वसूली का निवल)	3.81	3.33
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर व्यय	0.03	0.09
जल प्रभार	0.06	0.10
कानूनी व्यय	0.89	1.04

टिप्पणी 43 निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 202.4 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
व्यावसायिक व्यय	4.17	4.66
परामर्शदायी व्यय	0.06	0.07
संचार व्यय	1.54	1.25
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	17.68	16.43
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	0.01	0.02
ब्रोकरेज और कमीशन	0.02	0.01
किराया	0.44	0.67
सुरक्षा व्यय	6.89	7.58
वाहनों को किराए पर लेना	9.26	7.36
मार्गस्थ निवास व्यय	0.75	0.81
अन्य व्यय	3.43	11.95
योग (ख)	**49.05**	**55.45**
ग. मूल्यहास/परिशोधन	7.27	11.35
योग (ग)	**7.27**	**11.35**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	87.02	72.79
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	2.30	2.46
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बांड	145.06	62.18
अन्य	11.08	5.82
	245.46	**143.25**
ख) अन्य वित्त व्यय		
गारंटी शुल्क और अन्य	0.37	0.36
	0.37	**0.36**
ग) उधारी लागत में एफईआरवी समायोजन	0.18	1.36
योग (घ)	**246.01**	**144.97**
ङ. घटाएं: अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
संविदाकार	19.62	9.88
अन्य	0.27	0.03
	19.89	**9.91**
विविध आय	7.78	16.23
योग (ङ.)	**27.67**	**26.14**
च. घटाएं: अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	(3.22)	18.67
योग (च)	**(3.22)**	**18.67**
कुल योग (क+ख+ग+घ–ङ.–च)	**524.29**	**407.36**

44. वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त अनुसंधान व्यय ₹103.13 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹28.61 करोड़)।

45. क) देयताओं के तहत दिखाए गए परिसंपत्तियों और व्यापार और अन्य देयताओं के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य कुछ शेष में स्थाय/सामंजस्य और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष राशि शामिल है। तथापि, सुलह सतत आधार पर की जाती है। प्रबंधन को सुलह के परिणामस्वरूप खातों की बही में किसी भी वास्तविक समायोजन की उम्मीद नहीं है।

ख) प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान वसूली पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–वर्तमान निवेश के अलावा किसी भी परिसंपत्ति का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर वे तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं।

46. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण - ''ग्राहकों सहित अनुबंधों से राजस्व''

क) उपलब्धि–आधारित अनुबंधों (परामर्श अनुबंधों) के लिए, असंतुष्ट निष्पादन दायित्व इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
असंतुष्ट (या आंआंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	1,019.26	1,023.65
इन निष्पादन दायित्वों को समय–सीमा के भीतर पूरा किए जाने की अपेक्षा की जाती है।	3 Years	3 Years

ख) वर्ष के दौरान अनुबध परिसंपत्तियों में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
शुरुआत में शेष राशि	812.39	5,588.82
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	6,651.65	1,815.89
घटाएँ: अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों के लिए चालान/अंतरण	3,136.28	6,592.32
घटाएँ: पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को अंतरण	5.48	-
अंत में शेष राशि	**4,322.28**	**812.39**

ग) वर्ष के दौरान अनुबंध देयता में उतार–चढ़ाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
शुरुआत में शेष राशि	1,086.58	1,022.73
जोड़ें: अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	263.34	537.39
घटाएँ: अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों में मान्यता प्राप्त/अंतरित राजस्व		
क) अवधि की शुरुआत में अनुबंध देयता से	266.37	405.47
ख) अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त अनुबंध देयता से	85.22	68.47
जोड़ें: परिवर्तन लाभ/(हानि) और अन्य समायोजन	(28.79)	0.40
घटाएँ: पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को अंतरण	457.27	-
अंत में शेष राशि	**512.27**	**1,086.58**

घ) संस्था अपने पिछले अनुभवों जैसे कि धनवापसी या राजस्व की राशि में महत्वपूर्ण उलटफेर को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित मूल्य विधि के आधार पर लेनदेन मूल्य निर्धारित करती है। महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक का अनुमान लगाने में, प्रबंधन प्रत्यारोपित संबंधी लाभ दर के आधार पर लेनदेन मूल्य में अंतर्निहित वित्तपोषण तत्व पर विचार किया जाता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व सहित अनुबंधित मूल्य का मिलान (बंद किए गए परिचालनों सहित टिप्पणी संख्या 65 देखें) इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुबंधित मूल्य	40,999.87	41,371.03
जोड़ें/(घटाएं)– ग्राहक को दी गई छूट/घटौती	(185.15)	(210.71)
जोड़ें/(घटाएं)– निष्पादन बोनस	507.59	480.16
जोड़ें/(घटाएं)– महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के लिए समायोजन	21.37	65.53
जोड़ें/(घटाएं)– अन्य समायोजन	1,440.30	1,658.87
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व (बंद किए गए परिचालनों सहित)	**42,783.98**	**43,364.88**

47. (i) ₹191.14 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष ₹1,589.78 करोड़ की एफईआरवी हानि) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)/अमूर्त परिसंपत्तियों/पट्टा प्राप्तियों की संबंधित वहन राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) 38.59 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष ₹293.14 करोड़ की एफईआरवी हानि) को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गई है।

48. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत इंड एएस 23 'उधार लागत' के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में ₹246.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹145.03 करोड़) है।

49. कंपनी में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अतर्गत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	व्यापार प्राप्य		अन्य	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और उस पर देय ब्याज:				
	मूलधन	49.79	48.69	34.54	23.39
	ब्याज	-	-	-	-
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) परंतु; इसमें एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज शामिल नहीं है।	-	-	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि	-	-	-	-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान नहीं कर दी जाती।	-	-	-	-

50. भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण - ''पट्टे''

क) क) पट्टादाता के रूप में – वित्त पट्टे:

कंपनी ने राज्य क्षेत्र यूएलडीसी परिसंपत्तियों और द्विपक्षीय परिसंपत्तियों हेतु व्यवस्थाओं को वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत और लेखाबद्ध किया है। राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के लिए समझौते 15 वर्ष की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी सहित द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं।

50. भारतीय लेखा मानक 116 के अनुसार प्रकटीकरण - ''पट्टे'' (जारी)

अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में पट्टा प्राप्तियाँ शामिल हैं जो राज्य क्षेत्र यूएलडीसी और द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी द्वारा घटकों सहित किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्त होने वाले भविष्य के पट्टा किराए के वर्तमान मूल्य को दर्शाती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 116 'पट्टों' की प्रकटीकरण आवश्यकताएँ निम्नानुसार हैं:

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश, अर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पट्टें में सकल निवेश	1,471.77	1,590.02
गैर–अर्जित वित्त आय	901.98	951.49
न्यूनतम पट्टा भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	569.79	638.53

(ii) ऐसे पट्टों की संविदागत परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

Particulars	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपी का वर्तमान मूल्य	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	115.23	160.55	62.98	73.74
एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्ष से अधिक नहीं	114.63	160.55	60.53	73.18
दो वर्ष से अधिक परंतु तीन वर्ष से अधिक नहीं	113.88	159.19	59.16	68.01
तीन वर्ष से अधिक परंतु चार वर्ष से अधिक नहीं	113.28	151.33	58.74	64.83
चार वर्ष से अधिक परंतु पांच वर्ष से अधिक नहीं	113.28	140.76	56.27	58.24
पांच वर्ष से अधिक	901.47	817.64	272.11	300.53
कुल	**1,471.77**	**1,590.02**	**569.79**	**638.53**

(iii) 95.20 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 81.17 करोड़ रुपये) के ऋण पर अघोषित देनदारियों और गैर– परिशोधित एफईआरवी के कारण खातों और टैरिफ रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में बकाया पट्टा प्राप्य में भिन्नता देखी गई है। अघोषित देनदारियां केवल ऐसी देनदारियों के निर्वहन पर ही परियोजना लागत का हिस्सा बनती हैं और एफईआरवी को वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूलना जाता है।

ख) पट्टेदार के रूप में:

कंपनी ने डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस तथा कार्यालय भवन आदि जैसी परिसंपत्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए पट्टे पर लिया है, जिनका मूल्यांकन तथा लेखा भारतीय लेखा मानक 116 – "पट्टे" की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है तथा उक्त भारतीय लेखा मानक के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(i) आरओयू परिसंपत्तियां:

वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार परिसंपत्तियों पर परिवर्धन, समाप्ति/निपटान तथा मूल्यह्रास प्रभार तथा वित्तीय वर्ष के अंत में अंतर्निहित परिसंपत्ति के वर्ग के अनुसार उनकी वहन राशि को टिप्पणी संख्या 4 में एक अलग लाइन मद के रूप में प्रकट किया गया है।

(ii) पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय को टिप्पणी संख्या 38 के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह को वित्तपोषण कार्यकलापों के अंतर्गत नकद प्रवाह विवरण में अलग लाइन मद के रूप में प्रकट किया गया है तथा पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण टिप्पणी संख्या 61 में प्रकट किया गया है।

(iii) अल्पावधि पट्टे:

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अल्पावधि पट्टों के संबंध में ₹21.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.53 करोड़) व्यय किए हैं।

कंपनी अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में ऐसे पट्टों की कुल प्रतिबद्धता ₹4.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.45 करोड़) थी।

51. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण:

i). दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृतिः

कंपनी मुख्य रूप से बिजली के संचरण के व्यवसाय में लगी हुई है। बिजली के संचरण के लिए टैरिफ टैरिफ नियमों के माध्यम से आरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। टैरिफ सीईआरसी द्वारा भर्ती पूंजी लागत पर आधारित है और ट्रांसमिशन शुल्क वसूली के लिए प्रदान करता है, जिसमें इक्विटी पर वापसी, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन अनुरक्षण व्यय पर ब्याज शामिल है।

ii). मान्यता और मापन

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान/रुपांतरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) विदेशी मुद्रा में विनियामक टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय सीमा के रूप में विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के अनुसार 01.04.2016 को या उसके बाद खींची गई लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, ओवरलाइन सीईआरसी टैरिफ नियमों के अनुसार पुनर्प्राप्त करने योग्य अंतर के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। कंपनी को उम्मीद है कि परिसंपत्ति के जीवन पर टैरिफ के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से इन राशियों को पुनप्राप्त करने की उम्मीद है या ऋण के पुनर्भुगतान पर परिवर्तन दर भिन्नता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ मानदंड वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर पारेषण पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के विरुद्ध आधार पर इक्विटी पर प्रतिलाभ के सकल योग के लिए प्रावधान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित संपत्ति वर्ष के रूप में लेखाबद्ध किया जाता हैं। वर्ष के लिए कर देयता के विरुद्ध आस्थगित्त संपत्तियां भविष्य के वर्षो (कर अवकाश अवधि सहित) में उलट दी जाएंगी जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक भाग है।

चालू वर्ष के दौरान, सीईआरसी ने दिनांक 26.12.2022 के आदेश के तहत वेतन संशोधन (2017) के कारण ₹134.16 करोड़ की राशि के दावे को अस्वीकार कर दिया है, जिसे विनियामक आस्थगन खाता शेष के रूप में दर्ज किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगन खाता शेष – आय/(व्यय) (कर निवल) में निवल संचलन शीर्ष के तहत चालू वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य के रूप में दर्शाई गई राशि को रिवर्स कर दिया है। दिनांक 26.12.2022 के आदेश के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वर्ष 2023 की अपील संख्या 236 दायर की गई है। अपील को 29 अगस्त 2023 को एपीटीईएल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है और एपीटीईएल ने इसे लघु मामलों की सूची में शामिल किया है। सुनवाई की तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

अन्य व्यय के कारण ₹9.57 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि रु 4.10 करोड़) वसूलीयोग्य है जो कि पूंजीकृत नहीं की गई है लेकिन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में अनुमत है और इसे विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में लेखांकित किया गया था। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि बिना छूट के आधार पर है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

(क) विनियमों में परिवर्तन के कारण नियामक जोखिम।

(ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान टैरिफ अवधि के बाद टैरिफ विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली खातों में मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगित खाता शेष (परिसंपत्ति) इस प्रकार हैं:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रारम्भिक में शेष	10,283.76	9,973.04
ख. वर्ष के दौरान योग/(कटौती)	(863.92)	427.69
ग. वर्ष के दौरान एकत्रित /(वापस की गई राशि)	(179.90)	116.97
घ. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय) (ख – ग)	(684.02)	310.72
ङ. अंतशेष (क + घ)	**9,599.74**	**10,283.76**
च. के बयान में मान्य विनियमित आय, (व्यय) पर कर लाभ और हानि	(119.51)	54.29

52. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम

1. सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया शेष	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सहायक कंपनी				
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	603.84	867.35	867.35	905.06
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.09	33.34	33.34	34.59
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2,339.32	2,491.97	2,492.29	2,659.59
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,324.65	2,433.71	2,455.61	2,566.25
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	896.42	933.41	933.43	945.98
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	699.81	742.43	742.43	758.35
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	317.60	349.51	379.60	351.03
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	727.59	761.89	762.49	786.83
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	892.33	912.31	912.31	912.31
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	435.99	427.10	440.96	431.10
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	434.23	461.35	461.65	467.00
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	490.61	515.55	516.65	524.63
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	618.41	590.98	618.41	590.98
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	914.13	800.92	914.13	800.92
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	292.35	228.61	292.35	228.61
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.14	67.14	67.14	115.14
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1,229.19	1,014.14	1,259.18	1,014.14
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,066.64	760.08	1,066.64	760.08
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	628.57	457.63	628.57	457.63
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	934.43	785.47	934.43	785.47
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	37.23	-	37.23	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	19.16	-	19.16	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,118.64	425.23	1,118.64	425.23
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	777.73	429.95	777.73	429.95
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	593.38	184.51	593.38	184.51
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	44.15	14.93	44.15	14.93
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.56	-	19.56	-
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	205.03	-	205.03	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	345.46	-	345.46	-
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	898.10	-	898.10	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	54.83	-	54.83	-
पॉवरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	81.76	-	81.76	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.10	-	15.10	-

52. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया शेष	
	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.78	-	33.78	-
पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	447.58	-	447.58	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	78.50	-	78.50	-
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	103.54	-	103.54	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.87	-	120.87	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	153.11	-	153.11	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.42	-	19.42	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.73	-	18.73	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.72	-	67.72	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.24	-	19.24	-
संयुक्त उद्यम				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	94.71	18.40	94.71	18.40
कुल	**21,264.67**	**16,707.91**	**22,146.29**	**17,168.71**

2. ऐसी फर्म / कंपनियां, जिनमें निदेशकों के हित हैं : शून्य

ख. पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि विस्तार में दिया गया हैं) : शून्य

53. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय

डीपीई दिशानिर्देश संख्या फा. संख्या 15(13) / 2013–डीपीई (जीएम) के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि	342.69	311.97
	पिछले वर्षों में व्यय की गई अतिरिक्त राशि से उपयोग की गई राशि	30.45	-
	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली निवल राशि	312.24	311.97
ख	बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि जिसे वर्ष के दौरान व्यय किया जाना है	342.69	311.97
ग	सीएसआर पर व्यय की गई राशि .		
(i)	किसी भी परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण	179.68	138.81
(ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य हेतु	150.80	182.85
घ	कुल कमी / (अतिरिक्त) राशि	(18.24)	(9.69)
ड.	सीएसआर पर व्यय की गई राशि का ब्यौरा		
1	शिक्षा और कौशल विकास व्यय	46.78	56.08
2	पारिस्थितिकी और पर्यावरण व्यय	4.14	10.73
3	स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यय	238.50	229.43
4	खेलए कला और संस्कृति व्यय	3.63	4.27
5	राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण जिसमें ऐतिहासिक महत्व वाले भवनों और स्थलों का जीर्णोद्धार शामिल है	15.21	0.03
6	अन्य सीएसआर कार्यकलाप	8.89	10.25

53. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
7	कंपनी के अपने सीएसआर कर्मियों के वेतन, मजदूरी और अन्य लाभ सीएसआर पर व्यय की जाने वाली कुल राशि के 5% तक सीमित हैं	13.33	10.87
	सीएसआर पर व्यय की गई कुल राशि	**330.48**	**321.66**
	प्रारंभिक सीएसआर देयताध्प्रावधान	22.61	11.32
	जोड़ें: सीएसआर व्यय	330.48	321.66
	घटाएँ: नकद भुगतान की गई राशि	321.44	310.37
	अंत सीएसआर देयता / प्रावधान	31.65	22.61

अतिरिक्त व्यय की गई राशि और अगले वित्तीय वर्ष के लिए वहन की जाने वाली राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	30.45	20.76
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि	342.69	311.97
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
निम्नलिखित में मान्यता प्राप्त राशिरू		
तुलन पत्र	18.24	-
लाभ और हानि का विवरण	312.24	321.66
कुल	**330.48**	**321.66**
अंत शेष	**18.24**	**30.45**

54. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	223.14		102.06	
पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,292.79		1,672.40	
व्यापार प्राप्य		11,108.75		14,999.70
ऋण		21,953.01		17,352.39
नकदी एवं नकदी समतुल्य		2,620.55		4,146.24
बैंक में शेष		2,560.81		627.76
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
चालू		5,020.57		1,930.57
गैर–चालू		4,507.53		4,771.23
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,515.93**	**47,771.22**	**1,774.46**	**43,827.89**

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय देयताएं				
उधारी		1,26,355.50		1,31,474.10
व्यापार देय		354.07		325.02
अन्य वित्तीय देयताएं				
चालू		4,968.72		4,435.94
गैर–चालू		3,553.22		3,564.67
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**1,35,231.51**	**-**	**1,39,799.73**

म्यूचुअल फंड में ₹608.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) के निवेश को एफवीपीएल पर मापा जाता है और इसे स्तर 1 लिखत माना जाता है।

यह भाग वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और वित्तीय साधनों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण सारणी के नीचे दिया गया है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2024 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	223.14	-	-	223.14
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 इकाई)	1,292.79	-	-	1,292.79
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,515.93**	**-**	**-**	**1,515.93**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2023 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹10 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06	-	-	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 इकाई)	1,672.40	-	-	1,672.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**-**	**-**	**1,774.46**

इक्विटी लिखत में ये निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे जाते हैं। इसके विपरीत इन्हें मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य के लिए रखा जाता है। भारतीय लेखा मानक 109 के आवेदन पर, कंपनी ने इक्विटी लिखत में इन निवेशों को एफवीटीओसीएल के रूप में नामित करने का विकल्प चुना है क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह लाभ या हानि में तुरंत उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने की तुलना में मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशों के लिए अधिक सार्थक प्रस्तुतिकरण करता है।

54. उचित मूल्य मापन (जारी)

वित्तीय उपकरण जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण					
सहायक कंपनियों को ऋण	2	21,249.53	21,734.79	16,798.92	16,637.39
संयुक्त उद्यमों को ऋण	2	98.65	77.97	-	-
कर्मचारियों को ऋण	2	604.83	515.74	553.47	467.33
गैर–चालू व्यापार प्राप्य	2	282.95	242.20	695.57	606.55
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**22,235.96**	**22,570.70**	**18,047.96**	**17,711.27**
वित्तीय देयताएं					
उधारी	2	1,26,355.50	1,26,800.31	1,31,474.10	1,32,099.75
संविदाकारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	2	3,590.12	3,719.06	3,600.89	3,741.03
कुल वित्तीय देनदारियाँ		**1,29,945.62**	**1,30,519.37**	**1,35,074.99**	**1,35,840.78**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों की वहन राशि अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है। वित्त पट्टा प्राप्य के लिए अग्रणी मूल्य का अनुमान लगाता है। क्योकि इनका समय–समय पर मूल्यांकन ग्राहक की केडिट योग्यत्ता के आधार पर किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित नुकसान के लिए भत्ता दर्ज किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1: स्तर 1 क्रम में, उधृत मूल्यों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकित वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉण्ड शामिल है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, इन्हें सूचना अवधि के अनुसार अंतिम मूल्य का प्रयोजन करते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जो क्रियाशील बाजार में सक्रिय नहीं है (उदाहरणार्थ, लेन–देन वाले बाण्ड) को मूल्यांकन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो उल्लेखनीय बाजार डेटा के प्रयोग को बढ़ाता है और विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि लिखत के उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय हो, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित न हों, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में सम्मिलित असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक प्रतिफलों तथा क्षतिपूरण परिसंपत्ति का मामला है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अन्तरण नहीं है। कंपनी की नीति सूचना अवधि के अन्त में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अन्तरणों को मान्य करना और इस अनुक्रम में से अन्तरणों को मान्य करना है।

उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी

वित्तीय लिखतों के मूल्य के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकियों में निम्न शामिल हैं:

- उद्धृत बाजार मूल्यों का प्रयोग अथवा डीलर सदृश लिखतों के लिए उद्धृत करता है;
- शेष वित्तीय लिखतों को उचित्त मूल्य को छूट प्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट के इक्विटी लिखतों, जिन्हें स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया जाता है, को छोड़कर, सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में सम्मिलित किए जाते हैं।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) सहायक कंपनियां

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड'	भारत	100%	100%
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड वाराणसी ट्रॉसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड भिन्डगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड अजमेरफागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड फतेहगढ़ दरांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावर्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100%	100%
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा II बी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान / निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रायपुरपूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	100%
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड)[3]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर III नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमराणा II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती वतामनट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	NA
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	NA
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	NA
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	NA

[1]27.09.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[2]30.10.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[3]26.10.2023 को आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[4]27.12.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[5]26.12.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[6]09.02.2024 को आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(ख) संयुक्त उद्यम

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	30.92%	30.92%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड[2]	भारत	21.63%	20%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड#	भारत	39.25%	33.33%
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	50%
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड[5]	नेपाल	26%	26%

[1]पावरग्रिड और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई, जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2]दिनांक 23.04.2024 के पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत और संयुक्त उद्यम कंपनी के पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था जिसमें कंपनी द्वारा ₹94.71 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया, कंपनी द्वारा अतिरिक्त इक्विटी योगदान और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा काल्पनिक विचार पर शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से कंपनी की शेयरधारिता 50% तक बढ़ जाएगी।

[3]कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी प्रतीक्षित है।

[4]पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएलद्ध को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही समाप्त करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय (एमओएस), भारत सरकार से अनुमोदन लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। एमओएस से आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी 11.07.2022 को प्राप्त हुई। तथापि, समापन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षम कार्यों के ठेकेदार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए 17–12–2022 को नोटिस दिया है।

[5]कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 दिसंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीटीसीएन (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा रखे गए 1,30,000 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, यह प्रस्ताव एनसीएलएटी के पास समीक्षाधीन है।

 # संयुक्त उद्यम कंपनियों की सहायक कंपनियाँ

क) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड*

ख) ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी*

ग) कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

*भारत के बाहर निगमित

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(ग) सहयोगी कंपनी

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
[1]13.05.2021 से सहयोगी कंपनी (12.05.2021 तक सहायक कंपनी) और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति देखें।			

(घ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2023 तक) और 01.06.2022 से 31.08.2023 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार
श्री आर. के. त्यागी	निदेशक (प्रचालन) (31.12.2023 तक) एवं 01.01.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 02.02.2024 से निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक) 31.05.2023 तक
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री जी रविशंकर	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डॉ. यतिंद्र द्विवेदी	31.08.2023 से निदेशक (कार्मिक)

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
श्री ऑकारप्पा के.एन	स्वतंत्र निदेशक 12.12.2023 तक
श्री चेतन बंसीलाल कंकारिया	स्वतंत्र निदेशक
श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक

सरकारी नामित निदेशक व अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	17.04.2024 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री मोहम्मद अफजल	11.10.2022 से 17.05.2023 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री साईबाबा दरबामुल्ला	18.05.2023 से सरकारी नामिती निदेशक
श्री मृणाल श्रीवास्तव	30.04.2024 तक कंपनी सचिव
श्री सत्यप्रकाश दाश	01.05.2024 से कंपनी सचिव

(ङ) अन्य संबंधित पक्षों की सूची

कम्पनी का नाम	कार्यस्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पैंशन) स्कीम ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

कम्पनी का नाम	कार्यस्थान/निगमन देश	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की सेवानिवृत्ति लाभ योजना
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	भारत	प्रायोजक

(च) सरकार से संबंधित कम्पनियां

कम्पनी, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारत सरकार की जारी एवं प्रदत्त 51.34% इक्विटी शेयर जमा पूंजी हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 51.34%)।

कम्पनी का दसरी कम्पनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेनदेन है। इन कम्पनियों के साथ लेन–देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदों/एकुल निविदा आधार पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जों/सेवाओं के कुछ मामलों को कर है। ऐसे एकुल निविदा प्रापण उन्हीं /सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन–देन समान्य दिन–प्रतिदिन के कार्य प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से होता है या फिर सामूहिक रूप से।

(छ) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष राशि बकाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्राप्य राशि		
सहायक कंपनियों को ऋण		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	603.84	867.35
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.09	33.34
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2,339.32	2,491.97
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	2,324.65	2,433.71
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	896.42	933.41
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	699.81	742.43
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	317.60	349.51
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	727.59	761.89
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	892.33	912.31
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	435.99	427.10
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	434.23	461.35
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	490.61	515.55
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	618.41	590.98
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	914.13	800.92
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	292.35	228.61
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.14	67.14
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1,229.19	1,014.14
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,066.64	760.08
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	628.57	457.63
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	934.43	785.47

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	37.23	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	19.16	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,118.64	425.23
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	777.73	429.95
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	593.38	184.51
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	44.15	14.93
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.56	-
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	205.03	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	345.46	-
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	898.10	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	54.83	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	81.76	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.10	-
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.78	-
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	447.58	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	78.50	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	103.54	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.87	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	153.11	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.42	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.73	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.72	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.24	-
कुल	**21,169.96**	**16,689.51**
संयुक्त उद्यमों को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	94.71	18.40
कुल	**94.71**	**18.40**
सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज		
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	8.28	0.74
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	14.80
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.71
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.76	10.21
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	13.49
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	3.89
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.17	16.04
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	12.47
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.99	7.98
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	13.46
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	0.30	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.74	4.61
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.35	5.21

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	9.41	2.63
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.73	0.17
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14	-
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.83	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.01	-
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	13.23	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.91	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.26	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.31	-
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.62	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.73	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.35	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.34	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.38	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.35	-
कुल	**79.57**	**109.41**
संयुक्त उद्यमों को ऋण पर अर्जित ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	4.10	3.34
कुल	**4.10**	**3.34**
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को ऋण	**0.03**	**0.09**
अन्य प्राप्य		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूरी तरह से उपलब्ध . टिप्पणी संख्या 11 देखें)	19.43	19.43
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.12
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.75	2.03
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.14	0.17
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	0.30
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.04	0.06
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	14.35
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.06	2.48
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	2.93
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	0.09
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.06	0.71
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	1.09
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.75	7.00
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.08
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (कर अधिकारियों से धनवापसी होने पर सीटीयूआईएल द्वारा राशि का भुगतान किया जाएगा)	725.79	640.75

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.45	0.02
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.65	1.20
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3.77	3.86
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.10	1.86
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.73	0.33
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	1.20
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	33.24	0.48
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	13.52	18.43
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.66	22.37
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.41	4.56
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.51	1.49
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.19	-
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	6.84
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.21	53.07
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.38	75.78
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.55	153.65
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.07	37.24
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.53	12.42
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30	7.36
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.34	6.79
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.16	101.88
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.73	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.55	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.51	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.62	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.57	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.76	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.83	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.30	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	58.74	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.80	-
कुल	**917.76**	**1,202.42**
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10	0.11
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.76	0.25
पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.38	0.39
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.80	2.86
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.33	0.32
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.78	0.01
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	-	0.15
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.26	2.82
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.13	1.08
बुटवल.गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.75	0.01
कुल	**11.29**	**8.00**

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.44	0.16
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.09
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28	0.33
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.29	0.30
कुल	**1.10**	**0.88**
अन्य प्राप्य	**930.15**	**1,211.30**
अग्रिम / देय राशि		
सहायक कंपनी		
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.50	1.50
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.50	-
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6.06	0.18
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	14.90
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	7.17	-
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	76.10	-
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	0.05
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.95	55.37
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.11	7.18
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	17.95	33.01
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.99	2.34
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	11.26
सहयोगी		
पावरग्रिड पारली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी:		
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.73	1.15
संबंधित पक्षकारों को कुल देय	**126.25**	**126.94**
अन्य संबंधित पक्ष		
कर्मचारी लाभ ट्रस्ट के साथ देय / (प्राप्तियां)		
पावरग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	26.42	27.26
पावरग्रिड कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) योजना ट्रस्ट	0.42	0.57
पावरग्रिड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	2.74	(12.02)
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	9.26	12.03
कुल	**38.84**	**27.84**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संबंधित पक्षकारों में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 9 और संबंधित पक्षकारों की ओर से दी गई गारंटी के लिए टिप्पणी संख्या 58 देखें।

(ज) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन–देन

संबंधित पक्षकारों के साथ निम्नलिखित लेन–देन हुए:

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ		
परामर्श आय		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.78	3.01
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.35	1.37
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.87	11.47
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.76	17.69
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.45	15.11
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.34	1.21
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.58	6.25
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	(1.63)	8.94
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.85	4.31
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.76	3.92
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	(0.96)	2.55
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	(0.72)	3.72
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.65	4.92
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.51	2.57
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.77	2.24
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.74	0.71
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	12.99	10.62
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.61	4.69
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.55	2.55
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.03	2.93
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	2.80	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.98	5.96
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.88	10.90
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.52	1.38
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.41	0.42
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.45	0.07
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.05	1.17
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.83	1.28
पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.89	1.79
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.18	1.36
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.56	1.03
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.64	0.07
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.66	0.19
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.89	1.89
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.27	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.07	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.29	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.56	-

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.91	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.27	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.62	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.91	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.91	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.91	-
कुल	**101.74**	**138.29**
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.74	0.71
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.52	1.10
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.03	0.73
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.91	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	1.13	1.06
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.58	1.55
बुटवल.गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.97	-
कुल	**6.88**	**5.15**
एसोसिएट्स		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.19	4.58
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.11	3.01
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.28	9.14
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.28	8.99
कुल	**27.86**	**25.72**
परामर्श आय	**136.48**	**169.16**
ब्याज आय		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	55.67	70.61
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.69	2.78
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	192.64	187.36
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	189.24	186.00
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	71.26	67.25
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	56.67	54.38
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	25.83	24.95
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	56.00	55.13
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	70.83	62.69
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.96	28.97
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	32.41	32.48
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	37.18	36.49
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	48.08	39.09
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	64.70	53.40
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.88	12.18

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.67	6.86
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	91.22	52.72
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	71.22	43.62
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	43.09	28.33
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	68.64	51.22
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	0.10	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	0.34	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	54.86	7.95
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	49.59	8.24
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	30.41	2.92
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.85	0.31
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.57	-
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	7.01	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	11.75	-
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	29.03	-
पावरग्रिड केपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3.44	-
पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.07	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.59	-
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.84	-
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.14	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.20	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.46	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.19	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.16	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.39	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.38	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.42	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.39	-
कुल	**1,455.06**	**1,115.93**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	3.73	0.07
कुल	**3.73**	**0.07**
अन्य संबंधित पक्ष		
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	107.97	107.70
कुल	**107.97**	**107.70**
ब्याज आय	**1,566.76**	**1,223.70**
लाभांश प्राप्त		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	46.15	-
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.32	11.28

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	149.60	18.43
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	262.27	218.26
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	45.71	50.60
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	30.76	29.88
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	47.31	-
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	42.32	23.79
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.94	-
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.45	2.11
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.24	7.25
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	23.26	10.43
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.00	65.00
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	78.00	45.00
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	10.51	-
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	41.17	-
कुल	**891.01**	**482.03**
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	38.98	43.57
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	2.11	4.45
पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.55	7.09
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	19.25	18.18
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	3.15	3.15
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	1.32	1.32
कुल	**68.36**	**77.76**
सहयोगी		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.27	6.66
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.90	11.21
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.99	21.27
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.07	19.68
कुल	**40.23**	**58.82**
अन्य संबंधित पक्षकार		
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	29.21	46.14
कुल	**29.21**	**46.14**
प्राप्त लाभांश	**1,028.81**	**664.75**
अन्य आय		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.38	0.34
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.17	0.47
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.31	0.16
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	-

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.12	0.21
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.56	1.35
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.01	-
अन्य आय	**1.56**	**2.53**
अन्य व्यय		
सहायक कंपनियाँ		
पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	40.35	-
संयुक्त उद्यम		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.65	0.93
सहयोगी:		
पॉवरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी		
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	7.40	1.22
कुल	**48.55**	**2.15**
पुनःपूर्ति के आधार पर प्राप्त सामग्री		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	9.22
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	9.22
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	12.53
कुल	**-**	**30.97**
पुनःपूर्ति के लिए भेजी गई / जारी की गई सामग्री		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	9.22
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	9.22
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.53	-
कुल	**12.53**	**18.44**
वर्ष के दौरान किए गए निवेश		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	2.00
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.60	9.00
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	1.56
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.50	-
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	52.00
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	21.80
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.20	33.10
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.85	65.42
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	7.01	23.90
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	40.00	77.79
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.00	32.65

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	41.00	11.90
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	22.00	15.60
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (नोट संख्या 65 देखें)	655.02	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	87.75	10.00
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	99.99	0.01
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	95.99	0.01
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	125.76	0.05
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.00	0.05
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	12.71	0.05
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.00	0.05
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.25	0.05
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.25	0.05
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कुल	**1,328.10**	**357.17**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (ऋण से इक्विटी में परिवर्तित)	18.40	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	3.26	11.59
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	383.00	-
बुटवल.गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.97	0.03
कुल	**414.63**	**11.62**
वर्ष के दौरान किए गए निवेश	**1,742.73**	**368.79**
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	2.17	60.60
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.94	60.17

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.76	30.24
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	29.98
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.09	6.45
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	5.20	4.23
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	146.56
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.89	64.45
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.30	8.78
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.10	17.30
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.43	151.18
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	113.21	185.93
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	63.74	136.77
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	253.53	589.55
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	306.56	285.61
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	170.94	177.91
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	148.96	214.22
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	40.84	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	19.16	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	693.41	425.23
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	347.78	429.95
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	408.87	184.51
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	29.22	14.93
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.56	-
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	205.03	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	345.46	-
पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	898.10	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	54.83	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	81.76	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.10	-
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.78	-
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	447.58	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	78.50	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	103.54	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	120.87	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	153.11	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.42	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.73	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	67.72	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.24	-
कुल	**5,411.43**	**3,224.55**
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	94.71	-
कुल	**94.71**	**-**
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण	**5,506.14**	**3,224.55**

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए ऋण	**0.07**	**0.31**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	263.51	37.71
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.25	1.25
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	154.82	219.96
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	141.00	150.00
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	46.75	24.21
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	42.62	27.04
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.00	2.60
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	39.50	29.05
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	19.98	-
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.00	4.00
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.42	14.22
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	26.04	18.81
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	48.00	48.00
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	38.48	-
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	4.50
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	3.61	-
कुल	930.98	581.35
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (इक्विटी में परिवर्तित)	18.40	-
कुल	**18.40**	**-**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती	**949.38**	**581.35**
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा चुकाया गया ऋण	**0.13**	**0.33**
व्यय की प्रतिपूर्ति (माल/सेवाएं)(शुद्ध)		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.04	0.11
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	0.02
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.40
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.03
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.06	4.88
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.08	0.01
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	0.18
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.01
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	12.79	0.02

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.08	-
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	0.62	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	0.79	3.81
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.24	16.98
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.04
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	0.03
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.13	0.02
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0.05
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.06	-
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.07	0.20
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.11
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.04	-
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	-
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	0.14
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	-
पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.74	-
पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.56	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.53	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.37	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.89	-
पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.50	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.27	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.72	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.69	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.86	-
कुल	**21.48**	**27.05**
संयुक्त उद्यम		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.19	-
बुटवल.गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.44	0.01
कुल	**0.63**	**0.01**
सहयोगी		
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11
कुल	**-**	**0.11**
अन्य संबंधित पक्ष		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान		
पावरग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	125.44	122.90
पावरग्रिड कर्मचारी परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) योजना ट्रस्ट	8.11	91.25
पावरग्रिड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	24.41	(14.85)
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	23.65	(8.25)
कुल	**181.61**	**191.05**

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

Particulars	For the year ended 31 March 2024	For the year ended 31 March 2023
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ लेनदेन		
ऋण घटक का वितरण	26.62	9.96
कुल	**26.62**	**9.96**
प्राप्त अग्रिम राशि		
सहायक कंपनियाँ		
पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	1.50
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.50	-
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1.25	-
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	169.35	-
कुल अग्रिम प्राप्त	**171.10**	**1.50**
दिए गए अग्रिम		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	6.72
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	52.02
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	74.43
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	151.93
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-	36.02
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	11.50
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	7.15
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	6.62
पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	100.18
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	56.03	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	18.83	-
कुल दिए गए अग्रिम	**74.86**	**446.57**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली		
सहायक कंपनियां		
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.45	5.92
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.73	2.02
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	56.00	-
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	34.28	12.40
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	1.08	0.04
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	3.17	3.03
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.32	0.65
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.92	0.99
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.79	0.99
बुटवल.गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.37	-
कुल	**105.11**	**26.04**
सी.टी.यू. की क्षमता में सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ लेन–देन	42,731.36	43,056.94
डी.आई.सी. के साथ पी.टी.एल. से दूरसंचार राजस्व का बंटवारा	45.49	-

55. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

निबंधन और शर्तें

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अन्य सभी लेनदेन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया राशि अप्रतिभूत हैं और नकद में चुकाने योग्य हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को ऋण स्वीकृत निबंधन और शर्तों के अनुसार 7.35% से 8.20% पर दिया जाता है।

(ज) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	4.66	5.67
रोजगार के बाद के लाभ	0.50	0.84
दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.65	0.49
कुल	**5.81**	**7.00**
बैठक शुल्क	0.48	0.44

उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को 2000/– रु प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्रा सहित) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–V/13 दिनांक 21/01/2013 में निहित है।

56. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल कंपनी का मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है जो संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- **पारेषण सेवाएं–** कंपनी का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- **दूरसंचार सेवाएं–** कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकुल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकुल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ लीजिंग व्यवसाय में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है। वर्ष के दौरान, कंपनी के दूरसंचार और डिजिटल प्रौद्योगिकी व्यवसाय को दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है और बंद किए गए परिचालनों के प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।
- **परामर्शी सेवाएं–** यह कंपनी योजना डिजाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, खरीद प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव, वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन, वितरण और दूरसंचार क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

ख) कंपनी का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है और इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी: किसी एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व कंपनी के कुल के 10% के बराबर या उससे अधिक नहीं है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

सेगमेंट से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है। भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व ₹42,882.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹43,118.57 करोड़) और भारत के बाहर ₹65.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹57.28 करोड़) है।

ङ) खंड परिसंपत्ति और देयताएं

खंड की परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश असंबद्ध संपत्तियों में शामिल हैं। खंड देनदारियों में परिचालन देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

56. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ in crore)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड राजस्व (आवंटन योग्य अन्य आय सहित)		
– ट्रांसमिशन	42,313.38	42,647.15
– परामर्श	634.26	528.70
आबंटित अन्य आय सहित कुल राजस्व	**42,947.64**	**43,175.85**
अन्य गैर–आबंटित आय	2,867.73	2,051.67
कुल आय	**45,815.37**	**45,227.52**
खंड परिणाम		
– ट्रांसमिशन	23,957.49	24,862.69
– परामर्श	111.60	90.51
ब्याज और कर से पहले कुल लाभ	**24,069.09**	**24,953.20**
जोड़ें: अन्य असंबद्ध आय	2,867.73	2,051.67
घटाएँ: असंबद्ध ब्याज और वित्त प्रभार	9,046.87	9,707.20
निरंतर प्रचालन से प्राप्त कर से पहले लाभ (विनियामक आस्थगित खाता शेष सहित)	**17,889.95**	**17,297.67**
बंद परिचालन से कर से पहले लाभ	116.27	227.74
कर से पहले लाभ (विनियामक आस्थगित खाता शेष सहित)	18,006.22	17,525.41
घटाएँ: कर व्यय (बंद परिचालन सहित)	2,531.61	2,189.87
अवधि के लिए लाभ	**15,474.61**	**15,335.54**
खंड परिसंपत्तियाँ		
– ट्रांसमिशन	2,00,072.34	2,09,477.12
– परामर्श	1,364.37	1,578.62
– दूरसंचार	-	1,083.58
असंबद्ध परिसंपत्तियाँ	43,723.84	35,815.99
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ	260.86	260.86
कुल परिसंपत्तियाँ	**2,45,421.41**	**2,48,216.17**
खंड देयताएँ		
– ट्रांसमिशन	12,148.74	12,892.08
– परामर्श	2,496.85	2,670.81
– दूरसंचार	-	637.16
असंबद्ध देयताएँ	1,43,908.77	1,49,171.94
कुल देयताएँ	**1,58,554.36**	**1,65,371.99**
अन्य जानकारी:		
ट्रांसमिशन		
मूल्यह्रास और परिशोधन	12,553.09	12,852.43

56. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	217.11	90.98
पूंजीगत व्यय	5,920.61	5,736.66
परामर्श		
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.10	6.09
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	1.98	2.21
पूंजीगत व्यय	9.83	2.78

57. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली और लेखांकित न की गई शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम)	6,683.66	8,065.30
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में अतिरिक्त निवेश/ऋण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता	291.55	712.80
सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश/ऋण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता	38,371.52	14,780.64
अन्य संस्थाओं में अतिरिक्त निवेश/ऋण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता	81.43	-

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

(i) पूंजीगत कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की है। कंपनी द्वारा इन दावों का संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के कारण विरोध किया जा रहा है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। ऐसे मामलों में ₹3,075.98 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2945.71 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

(ii) भूमि मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरण अदालतों के समक्ष उच्च मुआवजे का दावा किया है जिनका निपटान किया जाना बाकी है। ऐसे मामलों में, ₹3,191.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,541.50 करोड़) की आकस्मिक देयता की गई है।

(iii) अन्य दावे

भवन अनुज्ञा शुल्क के संबंध में विभिन्न राज्य/ केंद्र सरकार के विभागों /प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग में बदलने पर जुर्माना। नाला कर, जल रॉयल्टी आदि और अन्य द्वारा, आकस्मिक देयता ₹408.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.71 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

(iv) विवादित आयकर, बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष ₹564.39 करोड़ (पिछले वर्ष रू 444.69 करोड़) के विवादित आयकर/ बिक्री कर/ उत्पाद शुल्क/ नगरपालिका कर मामलों का विरोध किया जा रहा है। इनमें से कई मामलों को कंपनी के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। ₹1.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹210.34 करोड़) के दावों के विरुद्ध, ₹0.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹174.64 करोड़) का प्रावधान किया गया है और जुर्माने के रूप में ₹1.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.70 करोड़) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया चूक नहीं है और प्रबंधन की राय में, इसे न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने की उम्मीद नहीं है।

(v) अन्य

क) अन्य आकस्मिक देयताएं ₹800.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹820.75 करोड़) हैं, जिसमें मध्यस्थता मामलों/आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित ₹569.23 करोड़ (पिछले वर्ष ₹563.25 करोड़) का दावा शामिल है।

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (जारी)

ख) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ग) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन सेवा समझौते (टीएसए) के तहत, कंपनी का दायित्व है कि वह जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) को टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद मूल्य पर खरीदे। ऐसा दायित्व तब उत्पन्न हो सकता है जब जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) या तो "पावरग्रिड की डिफ़ॉल्ट घटना" या टीएसए के तहत निर्धारित "अप्रत्याशित घटना" पर समाप्ति नोटिस दे। इस खाते पर कोई आकस्मिक देयता नहीं मानी गई है क्योंकि यह खोज करने योग्य नहीं है।

2. टैरिफ आधारित बोली के तहत दिए गए कारोबार को पूरा करने के लिए अधिग्रहित एसपीवी कंपनियों की ओर से कंपनी द्वारा दिए गए कार्य के निष्पादन के लिए दी गई बैंक गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

एसपीवी का नाम	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	21.60	27.11
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	12.69
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	25.63
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	28.14	28.14
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	33.75	33.75
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	14.04	14.04
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	34.65	34.65
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	37.13	37.13
पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	10.50	10.50
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	17.33	17.33
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	43.72	-
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.01	31.01
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.33	15.33
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	18.60	18.60
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.84	6.84
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.80	4.80
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	24.00	24.00
पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	30.00	30.00
पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	39.90	39.90
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	18.00	18.00
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.90	15.90
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.80	4.80
पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.00	9.00
पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	16.28	16.28
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	60.00	-
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	27.60	-
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	44.40	-
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	34.20	-
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	81.00	-
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	42.00	-
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	76.00	-
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	126.00	-
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	42.00	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	85.90	-

58. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (जारी)

ख. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

कंपनी के कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे मुद्दों से व्यथित कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के लिए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि अनुकूल परिणाम संभावित है। तथापि, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर है।

59. पूंजी प्रबंधान

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं

- शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना;
- सतत धारणा के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की सुरक्षा करना;
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, इक्विटी पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार अन्य सभी इक्विटी आरक्षण शामिल हैं। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक स्थितियों, नियामक कार्यढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय वाचाओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के मद्देनजर समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकता है, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकता है या नए शेयर निर्गम कर सकता है। कंपनी ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है, जो कि कुल निवल मूल्य के लिए दीर्घकालिक ऋण का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात को बनाए रखने की है, जिसमें ऋण कुल नियोजित पूंजी का 75% से कम है (आर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75:25 से कम)। कुल उधारी में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता और बिल छूट के लिए उधारी शामिल हैं।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार थाः–

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कुल उधार (करोड़ में)	1,23,448.62	1,28,517.51
इक्विटी (करोड़ में)	86,867.05	82,844.18
ऋण इक्विटी अनुपात	1.42	1.55

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, कंपनी को वित्तीय प्रसंविदाओं का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय वाचाओं को पूरा करने में उल्लंघन करने से ऋणदाताओं को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में किसी भी ब्याज–असर वाले ऋण और उधार की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

31.03.2024 और 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ईक्वटी शेयर		
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर ₹3.5625 (31.03.2022 – ₹1.6875) का अंतिम लाभांश प्रति*	3,313.34	1,569.48
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर ₹8.50 (31.03.2023 – ₹7.50*) का अंतरिम लाभांश प्रति	7,905.51	6,975.45

*बोनस शेयरों पर विचार करने के बाद

<u>रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गईः</u>

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 22 मई 2024 को प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹2.75 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

60. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
सतत प्रचालन से		
विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन सहित	16.54	16.26
विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन को छोड़कर	17.15	15.98
निरंतर प्रचालन से कंपनी के इक्विटी धारकों को देय प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**16.54**	**16.26**
बंद किए गए प्रचालन से	0.10	0.23
सतत उपर बंद किए गए प्रचालन से		
विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन सहित	16.64	16.49
विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन को छोड़कर	17.25	16.21
निरंतर प्रचालन से कंपनी के इक्विटी धारकों को देय प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**16.64**	**16.49**

(₹ करोड़ में)

(ख) कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर प्रचालन से		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय आय जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल है	15,377.48	15,124.54
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय आय जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल नहीं है	15,941.99	14,868.11
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल आय	**15,377.48**	**15,124.54**
बंद प्रचालन से कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली आय	**97.13**	**211.00**
सतत और बंद परिचालन से		
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय आयए जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल है	15,474.61	15,335.54
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय आयए जिसमें विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल नहीं है	16,039.12	15,079.11
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय कुल आय	**15,474.61**	**15,335.54**

(ग) हर के रूप में इस्तेमाल किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित्त औसत संख्या'	9300603819	9300603819
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए समायोजन	-	-
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिये हर के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**9300603819**	**9300603819**

60. प्रति शेयर आय (जारी)

*कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹10/– प्रत्येक के 232,51,50,955 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए हैं, जो 12 सितंबर 2023 की रिकॉर्ड तिथि पर रखे गए प्रत्येक 3 इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक के 1 इक्विटी शेयर के अनुपात में है। सभी तुलनात्मक अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना करने के लिए इस पर विचार किया गया है। उपरोक्त के अनुरूप, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईपीएस को फिर से घोषित किया गया है।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित ऋण और उधार, व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के पूंजी निवेश और प्रचालन को वित्तपोषित करना है।

कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और इसके प्रचालन से उत्पन्न नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी की गतिविधियां इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, अर्थात्

(क) क्रेडिट जोखिम

(ख) नकदी जोखिम

(ग) बाजार जोखिम

यह टिप्पणी इन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के जोखिम, उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा

कंपनी में निदेशक (परियोजनाएं) की अध्यक्षता में विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। उद्यम द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के उद्देश्य से, कंपनी में उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, जुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं/जोखिमों की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड अद्यतन प्रदान करती है।

कंपनी द्वारा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का सारांश नीचे दिया गया है:

(अ) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। कंपनी व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिमों के कारण अपनी परिचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय रस्थानों के पास जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों के कारण अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर एक डिफॉल्ट तब होता है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 साल के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। डिफॉल्ट की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें कंपनी संचालित होता है और अन्य मैक्रो–इकोनॉमिक कारक होते हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे देनदार दिवालिया घोषित कर देता है या कंपनी के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहता है, तो संपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं। जहां ऋण या प्राप्य को बट्ढे खाते में डाल दिया गया है, कंपनी प्राप्य बकाया की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि में व्यस्त रहता है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्ति

कंपनी मुख्य रूप से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं और मुख्य राजस्व ट्रांसमिशन शुल्क से है। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क और घाटे का साझाकरण) विनियम, 2020 (''सीईआरसी साझाकरण विनियम'') केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) को पावरग्रिड सहित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों की ओर से बिलिंग, संग्रह और संवितरण संबंधी कार्य सौंपता है।

सीईआरसी शेयरिंग विनियमन मासिक बिलों के लिए देय तिथि के भीतर ट्रांसमिशन शुल्क के भुगतान की अनुमति देता है, अर्थात बिल प्रस्तुत करने की तिथि से 45 दिन और 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान पर अधिभार लगाया जाता है। तथापि, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के नकदी प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए, सीटीयूआईएल 45 दिनों के भीतर किए गए भुगतानों के लिए ग्रेडेड छूट प्रदान करता है।

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक किसी बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना सकता है और बिल की राशि या उसके हिस्से की राशि के लिए जो अतिदेय है और साथ ही विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो तो इसका उपयोग कर सकता है।

सीटीयूआईएल में त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के रूप में सुदृढ़ भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों के बकाये के लिए एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाये के भुगतान में कोई चूक होती है तो टीपीए के अंतर्गत शर्तों को पूरा करने पर, बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और पावर ग्रिड सहित संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है।

सीईआरसी साझाकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो सीटीयूआईएल को प्रस्तुत किया जाने वाला साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक दशमलव शून्य पांच) के बराबर राशि के लिए होगा; बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो दशमलव एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

साख–पत्र के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयूआईएल के पास विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में ₹11,223.00 करोड़ करोड़ (पिछले वर्ष ₹14,860.82 करोड़) की पारेषण सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ, ₹175.27 करोड़ की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ (पिछले वर्ष ₹182.11 करोड़) और दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियाँ ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹250.77 करोड़) शामिल हैं।

अनुबंध परिसंपत्तियां सुख्य रूप से पूर्ण किए गए कार्य के लिए कंपनी के विचार के अधिकार से संबंधित हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है इसमें समान प्रकार के अनुबंधों के लिए व्यापार प्राप्तियों के समान जोखिम विशेषताएं हैं।

(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी के समतुल्य**

  कंपनी के पास ₹1,840.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,583.77 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास हैं और उनमें कोई महत्त्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा**

  कंपनी के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ₹3,376.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,190.23 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

- **ऋण**

  कंपनी ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के खिलाफ प्रतिभूत हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कंपनी की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। समूह कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य माना जाता है।

(iii) ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–चालू ऋण	21,502.52	16,912.31
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4,526.96	4,790.66
नकद और नकदी के समतुल्य	1,804.90	1,583.77
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि	3,376.46	3,190.23
चालू ऋण	450.65	461.82

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति	706.23	1,126.12
कुल	**32,367.72**	**28,064.91**
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता लाइफ टाइम अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	11,398.27	15,293.70
अनुबंध परिसंपत्ति	4,322.28	812.39

(iv) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, इस टिप्पणी में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

दूरसंचार और परामर्श से व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम को बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ट्रांसमिशन खंड के संबंध में, कंपनी के पास ऐसे ग्राहक हैं जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताएँ हैं जो दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं और इसलिए डिफ़ॉल्ट का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, देय तिथि से 30 दिन पहले की अप्रभावित राशियाँ अभी भी पूरी तरह से वसूली योग्य हैं।

उपर्युक्त कारकों और प्रचलित विनियमों पर विचार करते हुए, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों में प्रारंभिक मान्यता और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर नगण्य ऋण जोखिम बना रहता है।

(v) व्यापार प्राप्य का एजेईंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का एजेईंग विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

एजेईंग	बिल न किया गया	देय नहीं	देय से 0–30 दिन पहले	31–60 दिन पहले बकाया	61–90 दिन पहले बकाया	91–120 दिन पहले बकाया	देय से 120 दिन पहले	कुल
31.03.2024 को सकल वहन राशि	3,844.77	5,257.85	440.54	62.24	39.52	66.27	1,687.08	11,398.27
31.03.2023 को सकल वहन राशि	8,160.21	5,381.49	402.59	188.11	44.88	58.32	1,058.10	15,293.70

(vi) क्षतिग्रस्तता हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	निवेश	ऋण	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	**300.73**	**4.05**	**-**	**19.42**	**324.20**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि / (रिवर्स्ड)	(6.73)	30.40	21.74	7.95	53.36
प्रतिलेखित राशि					-
31.03.2023 तक शेष राशि	**294.00**	**34.45**	**21.74**	**27.37**	**377.56**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि / (रिवर्स्ड)	41.48	167.52	(21.58)		187.42
पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को अंतरण	(45.96)				(45.96)
31.03.2024 को शेष	**289.52**	**201.97**	**0.16**	**27.37**	**519.02**

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

चालू वर्ष में हानि में मुख्य रूप से ₹149.12 करोड़ की हानि भत्ता राशि शामिल है, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में निवेश की हानि के लिए प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड को ऋण की हानि के लिए पिछले वर्ष जो प्रावधान किया गया था, उसे इक्विटी में परिवर्तित करने पर नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड की इक्विटी में निवेश संबंधी हानि प्रावधान के रूप में अंतरित कर दिया गया है। ऐतिहासिक डिफॉल्ट दरों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि, उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य संपत्ति के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि राशियाँ महत्वहीन हैं।

(ख) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। कंपनी नकदी योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बांड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में समुत्थानशील बरकरार रखता है।

प्रबंधन कंपनी की नकदी स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है जिसमें अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नीचे की ओर आहरित उधार लेने की सुविधाएं और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए नकदी के आंतरिक और विदेशी दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	5,885.75	9,131.01

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित्त की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग की निरंतरता के अधीन, बैंक ऋण सुविधाएं किसी भी समय ली जा सकती हैं और शेष उपलब्धता अवधि 1 वर्ष (पिछले वर्ष 1 वर्ष) तक हो सकती है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पनन वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अघोषित नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	27,106.45	83,221.46	53,536.54	1,63,864.45
व्यापार देय	354.07			354.07
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	6.19	17.49	95.25	118.93
अन्य	5,219.98	4,707.64	12.38	9,940.00
कुल	**32,686.69**	**87,946.59**	**53,644.17**	**1,74,277.45**
31.03.2023 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	23,329.59	88,030.93	60,352.50	1,71,713.02
व्यापार देनदारियां	325.02			325.02
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	8.17	28.09	125.34	161.60
अन्य	4,691.97	1,228.45	3,788.04	9,708.46
कुल	**28,354.75**	**89,287.47**	**64,265.88**	**1,81,908.10**

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार में बदलाव के कारण उत्तार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

(1) मुद्रा जोखिम

(2) ब्याज दर जोखिम

(3) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

(i) मुद्रा जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिसका खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। ट्रांसमिशन टैरिफ सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 2019–24 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज कर सकता है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्जित विदेशी ऋण की अदायगी, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने विवेक से कर सकता है और लागत की वसूली कर सकता है। प्रासंगिक वर्ष में मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता की हेजिंग की।

यदि विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये की देनदारी ट्रांसमिशन टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते यह उत्पादन के लिए जिम्मेदार न हो कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए कोई हेजिंग नहीं की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। परिचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को डेरिवेटिव लिखत या अन्यथा द्वारा हेज नहीं किया गया जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण		विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)		राशि (करोड़ में)	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उधारी	यूएसडी	329.17	361.60	27,640.40	29,918.78
	यूरो	46.50	53.68	4,246.85	4,877.90
	एसईके	100.04	125.20	790.32	1,004.10
	जेपीवाई	2,254.53	2,272.71	1,257.13	1,423.40
एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज लेकिन उस पर देय नहीं है	यूएसडी	5.35	5.16	449.24	426.94
	यूरो	0.43	0.35	39.27	31.80
	एसईके	1.52	1.43	12.01	11.47
	जेपीवाई	5.35	5.32	2.98	3.33
व्यापार देय, जमा और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	3.68	4.19	309.01	346.68
	यूरो	1.63	1.04	148.87	94.50
	एसई के	1.18	4.53	9.32	36.33
	जीबीपी	1.61	1.14	171.72	117.65
	एनपीआर	0.38	-	0.24	-
	जेपीवाई	9.71	11.57	5.41	7.25
व्यापार प्राप्य और बैंक में शेष राशि	यूएसडी	0.08	0.05	6.63	4.08
	एनपीआर	26.84	18.92	16.78	11.83
	यूरो	0.01	0.01	0.89	0.88
निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की राशि	यूएसडी	0.35	0.96	29.39	79.43
	यूरो	0.33	0.64	30.14	58.16
	जीबीपी	0.46	0.62	49.06	63.98

61. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के बयान पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

कंपनी मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। कंपनी ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार–चढ़ाव होगा। कंपनी घरेलू और विदेशी मुद्रा में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट उधार के मिश्रण वाले ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय लिखतों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	24,894.92	27,940.45
–विदेशी	30,858.43	33,708.81
उप योग	**55,753.35**	**61,649.26**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घावधि ऋण		
–घरेलू	61,919.14	60,722.49
–विदेशी	3,082.61	3,523.15
उप योग	**65,001.75**	**64,245.64**
कुल दीर्घकालिक ऋण	**1,20,755.10**	**1,25,894.90**
कुल दीर्घावधि ऋण के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**46.17%**	**48.97%**

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज टैरिफ के प्रयोजन के लिए परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के भारित औसत ब्याज दर को लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर गणना किए गए टैरिफ के माध्यम से वसूला जा सकता है।

तदनुसार, कंपनी के ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है; इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(iii) अन्य मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों में कंपनी का जोखिम मूल्य जोखिम कंपनी द्वारा धारित और ओसीएल के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत निवेशों से उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

62. आय कर व्यय

यह टिप्पणी कंपनी के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है और गैर–निर्धारण योग्य और यह बताता है कि गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह कंपनी की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की भी व्याख्या करता है।

62. आयकर व्यय

(क) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
सतत प्रचालन वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	3,238.91	2,948.58
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	(2.48)	(73.76)
विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	(119.51)	54.29
बंद प्रचालन वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	20.21	38.85
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**3,137.13**	**2,967.96**
आस्थगित कर व्यय		
इस वर्ष आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त अस्थायी अंतर और पहले से गैर–मान्यता प्राप्त कर क्रेडिट की उत्पत्ति और उत्क्रमण (बंद प्रचालन सहित)	(605.52)	(778.09)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ (ग)	**(605.52)**	**(778.09)**
आयकर व्यय (ख+ग–क)	**2,651.12**	**2,135.58**
नियामक आस्थगित्त खाता शेष से संबंधित	**(119.51)**	**54.29**
नियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय (बंद प्रचालन सहित)	**2,531.61**	**2,189.87**

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्य आयकरः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्ति	(564.50)	(773.91)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	(124.99)	1,216.29
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	5.47	(131.66)
कर से पहले कुल विनियामक आस्थगित खाता शेष – आय/(व्यय)	(684.02)	310.72
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	(119.51)	54.29
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन – आय/(व्यय) (निवल कर)	**(564.51)**	**256.43**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवल कर	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवल कर
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभ/(हानि)	(231.91)	(32.98)	**(198.93)**	(142.01)	(18.09)	**(123.92)**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	(44.39)	(7.76)	**(36.63)**	39.56	6.91	**32.65**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय को अंतरित (निवल)	(3.24)	(0.57)	**(2.67)**	18.69	3.26	**15.43**
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	**(273.06)**	**(40.17)**	**(232.89)**	**(121.14)**	**(14.44)**	**(106.70)**

62. आयकर व्यय (जारी)

(घ) कर व्यय और लेखा लाभ का भारत की कर दर से गुणा करके मिलानः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर व्यय से पहले लाभ जिसमें नियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल है	18,006.22	17,525.41
34.944% कंपनी की घरेलू कर दर पर कर	**6,292.09**	**6,124.08**
कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर मदें	263.72	(297.10)
कर मुक्त आय	(4,794.69)	(4,766.80)
पिछले वर्षों की कर देयता	(2.48)	(73.76)
आस्थगित कर व्यय /(आय)	(605.52)	(778.09)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	1,378.49	1,981.54
आयकर व्यय	**2,531.61**	**2,189.87**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

क. रोजगार पश्चात जिम्मेदारियाँ

I) परिभाषित अंशदान योजनाएँः

i) पेंशन

कंपनी में एनपीएस योजना को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन अंशदान और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की योजना है। कंपनी अंशदान कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन अंशदान के साथ–साथ एनपीएस के लिए अलग–अलग ट्रस्ट को दिया जाता है। वर्ष के लिए भुगतान/देय अंशदान की राशि ₹104.10 करोड़ (पिछले वर्ष ₹183.09 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

II) परिभाषित लाभ योजनाएँः

परिभाषित लाभ योजनाओं का सारांशः

(₹ करोड़ में)

fooj.k	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल	वर्तमान	गैर वर्तमान	कुल
ग्रेच्युटी (उपदान)	68.52	453.22	521.74	72.31	450.92	523.23
पीएफ (भविष्य निधि)	427.65	3,093.63	3,521.28	669.65	2,757.41	3,427.06
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमफ)	50.71	737.67	788.38	45.02	660.41	705.43
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)/ सामान्य भत्ता	2.19	19.83	22.02	2.25	19.12	21.37
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)/ दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.61	23.17	24.78	1.66	21.55	23.21
कुल कर्मचारी परिभाषित लाभ दायित्व (परिभाषित लाभ योजना)	**550.68**	**4,327.52**	**4,878.20**	**790.89**	**3,909.41**	**4,700.30**

i) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी में परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, 15 दिनों के वेतन (15/26 x अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस, महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख तक। यह योजना कंपनी द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी ने 20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

उपदान (ग्रेच्युटी) की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**523.23**	**539.12**	**(15.89)**	**563.79**	**553.29**	**10.50**
सेवा लागत	24.74	-	24.74	23.21	-	23.21
ब्याज व्यय (आय)	38.72	39.90	(1.18)	39.46	39.53	(0.07)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**63.46**	**39.90**	**23.56**	**62.67**	**39.53**	**23.14**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर आयए ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	14.43	-	14.43	(18.78)	-	(18.78)
अनुभव (लाभ) / हानि	(12.26)	1.32	(13.58)	(5.62)	13.63	(19.25)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**2.17**	**1.32**	**0.85**	**(24.40)**	**13.63**	**(38.03)**
नियोक्ता योगदान	-	10.30	(10.30)	-	11.50	(11.50)
लाभ भुगतान	(67.12)	(67.12)	-	(78.83)	(78.83)	-
प्रारंभिक / अन्य समायोजन	-	(4.52)	4.52	-	-	-
अंत शेष	**521.74**	**519.00**	**2.74**	**523.23**	**539.12**	**(15.89)**

योजना परिसंपत्तियों (ग्रेच्युटी) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	18.31	-	**18.31**	3.53%	8.34	-	**8.34**	1.55%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	323.03	-	**323.03**	62.24%	340.35	-	**340.35**	63.13%
पीएसयू और निजी बांड	169.48	-	**169.48**	32.65%	177.97	-	**177.97**	33.01%
बैंक में जमा राशि / अन्य प्राप्य	8.18	-	**8.18**	1.58%	12.46	-	**12.46**	2.31%
कुल*	**519.00**	**-**	**519.00**	**100.00%**	**539.12**	**-**	**539.12**	**100.00%**

*बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹519.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹539.12 करोड़) है।

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए कंपनी के अपने हस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹19.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30.45 करोड़) है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ii) भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देता है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। पारिवारिक पेंशन योजना में अंशदान समुचित प्राधिकारियों को दिया जाता है। वर्ष के लिए निधि और ईपीएस योजना में ₹137.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹134.88 करोड़) का अंशदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, एक्चुअरी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज अर्जन और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। इसलिए, कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाता है। चूंकि कंपनी में पीएफ कॉर्पस पर बिना शर्त अधिकार नहीं है, इसलिए अधिशेष को तुलन पत्र में मान्यता नहीं दी गई है।

पीएफ की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**3,427.06**	**3,441.10**	**(14.04)**	**3,334.99**	**3,163.93**	**171.06**
सेवा लागत	126.24	-	126.24	123.12	-	123.12
ब्याज व्यय (आय)	271.80	280.80	(9.00)	262.45	265.01	(2.56)
कुल	**398.04**	**280.80**	**117.24**	**385.57**	**265.01**	**120.56**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.27	(3.23)	3.50	-	176.48	(176.48)
अनुभव (लाभ) / हानि	(5.68)	-	(5.68)	(6.06)	-	(6.06)
कुल	**(5.41)**	**(3.23)**	**(2.18)**	**(6.06)**	**176.48**	**(182.54)**
कर्मचारी योगदान	183.32	183.32	-	191.71	191.71	-
नियोक्ता योगदान	-	126.24	(126.24)	-	123.12	(123.12)
लाभ भुगतान	(481.73)	(481.73)	-	(479.15)	(479.15)	-
अंत शेष	**3,521.28**	**3,546.50**	**(25.22)**	**3,427.06**	**3,441.10**	**(14.04)**

योजना परिसंपत्तियों (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	189.46	-	189.46	5.34%	130.83	-	130.83	3.80%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	2,011.53	-	2,011.53	56.72%	1,898.27	-	1,898.27	55.16%
पीएसयू और निजी बांड	1,134.73	-	1,134.73	32.00%	1,284.61	-	1,284.61	37.33%
बैंक में जमा राशि	182.29	-	182.29	5.14%	26.66	-	26.66	0.78%
अन्य प्राप्य	28.49	-	28.49	0.80%	100.73	-	100.73	2.93%
कुल	**3,546.50**	**-**	**3,546.50**	**100.00%**	**3,441.10**	**-**	**3,441.10**	**100.00%**

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए कंपनी के अपने अंतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹33.45 करोड़) है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य–रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए देयता को तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और दिनांक 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

पीआरएमएफ की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**705.43**	**692.84**	**12.59**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**
सेवा लागत	26.01	-	26.01	20.70	-	20.70
ब्याज व्यय (आय)	52.20	52.20	-	46.11	46.07	0.04
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	1.05	(1.05)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**78.21**	**52.20**	**26.01**	**66.81**	**47.12**	**19.69**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर आयए ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	35.81	-	35.81	(32.35)	-	(32.35)
अनुभव (लाभ) / हानि	17.03	5.87	11.16	53.84	7.88	45.96
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**52.84**	**5.87**	**46.97**	**21.49**	**7.88**	**13.61**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	75.93	(75.93)	-	(0.66)	0.66
लाभ भुगतान	(48.10)	(48.10)	-	(41.55)	(20.28)	(21.27)
प्रारंभिक / अन्य समायोजन	-	0.38	(0.38)	-	-	-
अंत शेष	**788.38**	**779.12**	**9.26**	**705.43**	**692.84**	**12.59**

योजना परिसंपत्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	9.58	-	9.58	1.23%	3.60	-	3.60	0.52%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	415.19	-	415.19	53.29%	367.12	-	367.12	52.99%
पीएसयू और निजी बांड	342.34	-	342.34	43.94%	307.16	-	307.16	44.33%
बैंक में जमा राशि / अन्य प्राप्य	12.01	-	12.01	1.54%	14.96	-	14.96	2.16%
कुल#	**779.12**	**-**	**779.12**	**100.00%**	**692.84**	**-**	**692.84**	**100.00%**

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹779.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹692.84 करोड़) है।

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए कंपनी के अपने अंतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

क) सामान्य भत्ता

कंपनी के पास भारत में कहीं भी सेवानिवृत्ति के समय तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निपटान की योजना है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है तथा इसके लिए देयता तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ख) दीर्घ सेवा पुरस्कार

यह लाभ कंपनी के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों तथा सीएमडी को छोड़कर) पर लागू है, जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। यह योजना वित्तपोषित नहीं है तथा इसके लिए देयता तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ओडीआरबी के देयताओं में बदलाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य – सामान भत्ता		दायित्व का वर्तमान मूल्य – दीर्घ सेवा पुरस्कार	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**21.37**	**23.09**	**23.21**	**22.04**
सेवा लागत	1.37	1.33	2.00	1.91
ब्याज व्यय (आय)	1.58	1.61	1.72	1.54
कर्मचारी अंशदान	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**2.95**	**2.94**	**3.72**	**3.45**
पुनः मापन				
योजना परिसंपत्तियों पर आय, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.67	(0.86)	0.89	(1.13)
अनुभव (लाभ)/हानि	(2.91)	(3.63)	(2.08)	0.28
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2.24)**	**(4.49)**	**(1.19)**	**(0.85)**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.06)	(0.17)	(0.96)	(1.43)
अंत शेष	**22.02**	**21.37**	**24.78**	**23.21**

v) रोजगार के बाद के लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक धारणाएँ:

आर्थिक धारणाएँ

विवरण	ग्रेच्युटी, ओडीआरबी, पेंशन,पीआरएमएफ, पीएफ	
	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट दर	7.10%	7.40%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ को छोड़कर)	6.50%	6.50%

छूट दर आम तौर पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जो देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए लेखांकन तिथि पर प्रासंगिक होती है। वेतन वृद्धि दर कंपनियों का वेतन वृद्धि के रूप में दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

जनसांख्यिकीय धारणाएं

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i) सेवानिवृत्ति	60	60
ii) दिव्यांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012 - 14)	आईएएलएम का 100% (2012-14)
iii) आयु		
निकासी दर प्रतिशत		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर
15	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.001680	70	0.024058	100	0.397733

vi) निश्चित हितलाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रैच्युटी	पीएफ	पीआरएमएफ	सामान्य भत्ता	दीर्घ सेवा पुरस्कार
31 मार्च 2024 को					
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	521.74	3,521.28	788.38	22.02	24.78
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव					
0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(23.66)	(0.34)	(47.89)	(1.03)	(1.48)
0.5% की कमी के कारण प्रभाव	25.86	0.36	50.06	1.14	1.60
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
–0.5% की बढत के कारण प्रभाव	6.59	NA	50.19	1.12	1.53
–0.5% की कमी के कारण प्रभाव	(7.62)	NA	(47.74)	(1.05)	(1.49)
31 मार्च 2023 को					
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.23	3,427.06	705.43	21.37	23.21
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव					
–0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.75)	(0.44)	(40.43)	(0.98)	(1.42)
–0.5% की कमी के कारण प्रभाव	23.73	0.46	41.86	1.06	1.49
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
–0.5% की वृद्धि के कारण प्रभाव	6.87	NA	42.27	1.05	1.52
–0.5% की कमी के कारण प्रभाव	(7.55)	NA	(39.92)	(0.98)	(1.43)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती।

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लेता है, यह दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रापोलेशन करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में धारणाओं की विधि और प्रकार में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

vii) जोखिम संसर्ग का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो प्रकृति में गतिशील होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसा कि कंपनी विभिन्न जोखिमों के संपर्क में रहती है:

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन वृद्धि दर अनुमानों में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकन में भी देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम–यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और छूट से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई दर देयता को प्रभावित कर सकती है

ग) छूट दर– बाद के वैल्यूएशन में छूट दर में कमी से प्लान की देनदारी बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु दर और दिव्यांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियां प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी जो अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

viii) परिभाषित लाभ योजनाओं का परिपक्वता विश्लेषण:

रोजगार के बाद परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.52 वर्ष (पिछले वर्ष 39.48 वर्ष) है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए अपेक्षित योगदान ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.39 करोड़) है। बिना छूट वाली ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 को					
ग्रेच्युटी	68.52	53.63	108.78	766.38	997.31
पीएफ	427.65	306.81	928.29	1,858.53	3,521.28
सेवापोरांत चिकित्सा सुविधा	50.71	61.46	247.33	993.79	1,353.29
सामान्य भत्ता	2.19	2.01	4.39	35.21	43.80
दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.61	1.34	3.21	48.72	54.88
कुल	**550.68**	**425.25**	**1,292.00**	**3,702.63**	**5,970.56**
31 मार्च 2023 को					
ग्रेच्युटी	72.31	65.10	126.75	794.67	1,058.83
पीएफ	669.65	307.98	530.94	1,918.49	3,427.06
सेवापोरांत चिकित्सा सुविधा	45.02	54.24	208.15	1,036.90	1,344.31
सामान्य भत्ता	2.25	2.40	5.15	35.10	44.90
दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.66	1.60	3.77	47.26	54.29
कुल	**790.89**	**431.32**	**874.76**	**3,832.42**	**5,929.39**

63. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ख. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का सारांशः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
	चालू	गैर–चालू	कुल	चालू	गैर–चालू	कुल
छुट्टी नकदीकरण	78.03	581.51	**659.54**	82.53	521.27	**603.80**
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.18	18.61	**20.79**	2.47	15.68	**18.15**

I) छुट्टी दायित्व

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन अर्जित होती है। अर्जित छुट्टी सेवा में रहते हुए नकदीकरण की जा सकती है। अर्ध–वेतन छुट्टी (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ने पर अधिकतम 300 दिन (एचपीएल) तक नकदीकरण की जा सकती है। तथापिए सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण की जा सकने वाली छुट्टियों की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध–वेतन छुट्टी का कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टियों के दायित्वों में बदलाव इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	603.80	531.98
सेवा लागत	94.01	87.52
ब्याज व्यय (आय)	44.68	37.24
कर्मचारी योगदान	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	27.88	53.05
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**166.57**	**177.81**
लाभ भुगतान	(110.83)	(105.99)
अंत शेष	**659.54**	**603.80**

II) पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार हेतु पुनर्वास योजना

कंपनी ने दिनांक 24 जून 2017 को पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के मामले में और सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते कि लाभार्थी कंपनी के साथ पीएफ (वीपीएफ को छोड़कर) शेष ग्रेच्युटी राशि और समूह बीमा (ईडीएलआई) राशि के बराबर राशि जमा करता है। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य अनुमानित तारीख तक जारी रहेगा जिस दिन संबंधित कर्मचारी ने कंपनी की सेवा में बने रहने पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होगी। यह योजना वैकल्पिक है। पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 2.64 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.52 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

क) अचल संपत्तियों का विवरण जहां स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

संपत्ति का प्रकारः संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	**341.59**	**231.53**				
टाउनशिप–सेक्टर 46, गुड़गांव	11.00	11.00	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	02-12-1998	बकाया मांग की समीक्षा के लिए कंपनी द्वारा एचएसवीपी को दिए गए अभ्यावेदन के परिणाम के लंबित रहने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में हस्तांतरण के लिए लंबित है।
बीरपारा	0.00	0.00	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01-11-1996	प्रखंड भूमि सुधार कार्यालय द्वारा बीरपारा मौजा का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद म्यूटेशन किया जाएगा।
मैथन	0.00	0.00	कई निजी मालिक	नहीं	01-04-1992	कंपनी जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (डीएलएलआरओ) के कार्यालय से टाइटल डीड पंजीकृत कराने का कार्य प्रक्रियाधीन है। स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत विलंब हो रही है।
मैथन	0.02	0.02	सीएलडब्ल्यू–भारतीय रेलवे	नहीं	01-04-1992	पंजीकरण के निष्पादन के लिए सीएलडब्ल्यू (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स) के साथ मामले का अनुसरण किया जा रहा है
मैथन	0.32	0.32	कई निजी मालिक	नहीं	28-03-2018	जनजातीय बोर्ड से एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं हुई है।
अलीपुरद्वार–माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.67	0.67	कई निजी मालिक	नहीं	31-12-2012	प्रक्रियागत देरी के कारण स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण लंबित है।
राजारहाट	23.23	23.23	कई निजी मालिक	नहीं	30-11-2014	
आइजोल	0.03	0.03	मिजोरम सरकार	नहीं	1991	

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
फ़रीदाबाद एनआर–1 आरएचक्यू (टाउनशिप)	6.42	6.42	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	01-04-1999	एचएसवीपी द्वारा मांगे गए वृद्धि और विस्तार शुल्क के लिए उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में अपील के निपटान तक, स्वामित्व विलेख को कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित किया जाना लंबित है।
हिसार फतेहाबाद और भिवानी जिले में टीएल भूमि	0.57	0.57	एनएचपीसी	नहीं	30-09-1991	कंपनी कई स्थानों पर स्थित भूमि के हस्तांतरण के लिए कई प्राधिकरणों से संपर्क कर रही है। प्रक्रियागत विलंभ के कारण स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण लंबित है।
संपर्क कार्यालय बनीखेत, तहसील और जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश)	0.00	0.00	एचपी सरकार	नहीं	28-02-1994	हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में विषयगत भूमि सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी उद्देश्य के लिए परिवर्तित की गई वन भूमि को परिवर्तन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होगा।
कुरनूल भूमि	NA	16.52	एपी राज्य सरकार	नहीं	28-03-2023	चालू वर्ष के दौरान, स्वामित्व विलेख पावरग्रिड के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
कुरनूल भूमि	0.03	NA	एपी राज्य सरकार	नहीं	13-06-2023	कंपनी म्यूटेशन प्रमाणपत्र और स्वामित्व विलेख प्राप्त करने का कार्य कर रही है।
हिरियूर 400/220 केवी सबस्टेशन	0.34	0.34	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-02-2004	केआईएडीबी द्वारा किए जाने वाले कुछ भूमि खंडों के लिए शीर्षक सुधार लंबित हैं, तथा पावरग्रिड के नाम पर शीर्षक विलेख का पंजीकरण होना अभी बाकी है।
येलहंका 400/220 केवी सबस्टेशन	30.72	30.72	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	23-03-2011	प्रक्रियागत विलंब के कारण मेसर्स केपीटीसीएल के कार्यालय में स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण लंबित है।
सोमनहल्ली 400/220 केवी सबस्टेशन	0.34	0.34	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	वित्तीय वर्ष 1992–93 से आगे	

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
कोलार सिद्धलगट्टा एचवीडीसी सबस्टेशन	0.91	0.91	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-04-2002	प्रक्रियागत विलंब के कारण शीर्षक विलेख का हस्तांतरण केआईएडीबी कार्यालय में लंबित है।
तुमकुर 765/400/220 केवी सबस्टेशन	42.29	42.29	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्रविकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	25-09-2013	
कुदुगी 765/400 केवी जीआईएस	8.83	8.83	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) और अन्य	नहीं	28-02-2014	
बिदादी 400/220 केवी जीआईएस	20.00	20.00	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	23-03-2011	
पावागडा 400/220 केवी सबस्टेशन	0.26	0.26	निजी पक्ष में श्रीमती संजीवम्मा पुत्री वेंकटप्पा, एम. चैपलैनशिप पुत्र वेंकटप्पा और अन्य शामिल हैं	नहीं	30-06-2017	भूमि का कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के कारण पंजीकरण और म्यूटेशन लंबित है तथा उक्त भूमि के लिए प्रतिफल का भुगतान भी अभी किया जाना है।
पुगलुर एचवीडीसी सबस्टेशन	0.31	0.31	भूदान ट्रस्ट बोर्ड	नहीं	01-04-2017	यह भूमि भूदान ट्रस्ट बोर्ड द्वारा कंपनी को आवंटित की गई है। भूदान ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों तथा अन्य औपचारिकताओं में विलंब के कारण कंपनी के नाम पर पंजीकरण लंबित है।
कोविलपट्टी 400/220 केवी जीआईएस	49.25	47.31	श्री रमेश और श्री आर राजन	नहीं	19-10-2011	चेन्नई के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और एक रिवार्ड पारित किया गया है। पुरस्कार से व्यथित होकर, दोनों पक्षकारों ने मुआवज़े के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय उच्च न्यायालय चेन्नई ने अभी तक मामले का फैसला नहीं किया है। इसलिए, कंपनी के नाम पर स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण होना शेष है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
नया नवसारी सबस्टेशन	146.05	21.44	गुजरात सरकार	नहीं	20-06-2022	दिनांक 20–06–2022 को भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और कंपनी स्वामित्व पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है।
आरओयू संपत्ति– भूमि	**269.50**	**282.00**				
पांडियाबिली	लागू नहीं	9.23	ओडिशा सरकार	नहीं	12-01-2018	चालू वर्ष के दौरान, कंपनी के नाम पर पट्टा विलेख पंजीकृत किया गया है।
राउरकेला	0.26	0.26	सेल–राउरकेला	नहीं	25-07-2020	ओडिशा सरकार, राउरकेला स्टील प्लांट और पावरग्रिड के बीच मूल त्रिपक्षीय उप–लीज़ समझौता समाप्त हो गया है। यह नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।
दुर्गापुर	21.48	21.48	सेल.दुर्गापुर	नहीं	01-05-2017	सेल के साथ मूल पट्टा समझौता समाप्त हो चुका है तथा उसका नवीकरण किया जा रहा है।
मैथन	लागू नहीं	4.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	04-05-2019 और 24-04-2021	चालू वर्ष के दौरान, कंपनी के नाम पर पट्टा विलेख पंजीकृत किया गया है।
अलीपुरद्वार–माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	1.48	0.30	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	17-03-2017	4.85 हेक्टेयर पट्टा भूमि के लिए पट्टा समझौते को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 23.11.21 को मंजूरी दे दी गई है। पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। शेष 1.16 हेक्टेयर भूमि के लिए राज्य मंत्रिमंडल में अनुमोदन हेतु प्रक्रिया चल रही है।
जमशेदपुर	1.46	1.46	वन विभाग	नहीं	वित्तीय वर्ष 1992–93 से आगे	जेआईएडीए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए मंजूरी लेने का प्रयास कर रहा है ताकि इसे पावरग्रिड को हस्तांतरित किया जा सके।
अजमेर टाउनशिप	0.96	0.96	अजमेर जिला प्राधिकरण	नहीं	01-04-1999	संशोधित भूमि लागत पर ब्याज की मांग के लिए संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष याचिका के निपटारे के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
400/220 केवी एस/एस द्वारका	63.13	63.13	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	प्रक्रियागत विलंब के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस तुगलकाबाद	35.52	35.52	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	
विशाखापत्तनम	0.08	0.08	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	23.03.2022	पट्टा समझौता समाप्त हो चुका है और कंपनी पट्टा शर्तों पर बातचीत कर रही है।
400/220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा, गांव मोहल राजेरा तहसील और जिला चंबा (एचपी)	12.36	12.36	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	19-10-2011	हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में विषयगत भूमि सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी उद्देश्य के लिए परिवर्तित की गई वन भूमि को परिवर्तन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होगा।
एसएलटीएस–कारगिल सबस्टेशन (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख)	0.00	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31-10-2019	भारत सरकार (एमओपी) ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम (एससलटीएस) परियोजना को अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना (आईएसटीएस) घोषित किया है और इसे पावरग्रिड को हस्तांतरित कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य) में भूमि राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाती है। कानून के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है, और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए ही कब्जा दिया जाता है।
एसएलटीएस–द्रास सबस्टेशन (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख)	0.00	0.00	पीडीडी कारगिल	नहीं	31-10-2019	
एसएलटीएस–लेह सबस्टेशन (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख)	0.00	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31-10-2019	
एसएलटीएस–खलस्ती सबस्टेशन (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख)	0.00	0.00	पीडीडी लेह	नहीं	31-10-2019	

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

संपत्ति के मद का विवरण	31 मार्च 2024 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	31 मार्च 2023 तक सकल वहन मूल्य (करोड़ रुपये में)	जिनके नाम पर स्वामित्व विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण
वागूरा– 400/220 केवी सब–स्टेशन वागूरा, गांव वागूरा तहसील और जिला बडगाम, कश्मीर	1.33	1.33	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण संघ राज्य क्षेत्र /राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किया जाता है। कानून के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए ही भूमि पर कब्ज़ा दिया जाता है।
न्यू वानपोह– 400/220 केवी सब–स्टेशन न्यू वानपोह, गांव दमजान, तहसील डूरू, जिला अनंतनाग, कश्मीर	25.45	25.45	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	30-11-2010	
किशनपुर टाउनशिप– 800/400 /220 केवी सब–स्टेशन किशनपुर, गांव खारता तहसील जिंधरा और जिला जम्मू (टाउनशिप भूमि)	0.06	0.06	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1995	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किया जाता है। कानून के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र /राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए ही भूमि पर कब्ज़ा दिया जाता है।
किशनपुर– 800/400/220 केवी सब–स्टेशन किशनपुर, गांव खारता तहसील जिंधरा और जिला जम्मू	0.34	0.34	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1993	
नरवाल लाइन ऑफिस नरवाल	0.00	0.00	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	
सांबा–सांबा एस/एस भूमि	11.60	11.60	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	19-04-2012	
जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र में टीएल भूमि	93.99	93.95	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	
भवन	**2.96**	**2.96**				
भवन (मुंबई में फ्लैट)	2.96	2.96	एमएचएडीए	नहीं	Since 02-01-2017	प्रक्रियागत विलंब के कारण स्वामित्व विलेख का हस्तांतरण लंबित है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

ख) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की एजिंग निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवर.I	1 वर्ष या उससे कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक					
प्रगति अधीन परियोजना	5,700.61	1,858.02	615.61	1,406.92	9,581.16
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**5,700.61**	**1,858.02**	**615.61**	**1,406.92**	**9,581.16**
31.03.2023 तक					
प्रगति अधीन परियोजनाएं	4,701.42	1,092.43	444.69	1,429.59	7,668.13
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**4,701.42**	**1,092.43**	**444.69**	**1,429.59**	**7,668.13**

(ग) पूंजी–कार्य–प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड एनटीपीसी की उत्तरी करणपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से संबंधित कार्य	51.79	-	-	-	51.79
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसएपीडीसी की अरुण–3 (900 मेगावाट) एचईपी, नेपाल से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम – भारतीय भाग	150.51	-	-	-	150.51
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XXVII (ईआरईएस-XXVII)	13.55	-	-	-	13.55
प्रगति पर परियोजना	केंद्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में एससीएडीए/आरटीयू/एसएएस का उन्नयन तथा पूर्वी क्षेत्र में ओपीजीड्ब्लू नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना	19.04	-	-	-	19.04
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरेसएस-XII)	475.29	-	-	-	475.29
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	4.61	-	-	-	4.61
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील स्थिति माप (यूआरटीडीएसएम))	3.27	-	-	-	3.27
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	9.61	-	-	-	9.61
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	5.21	-	-	-	5.21
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरणा योजना–XXXVII (एनआरएसएस-XXXVII)	27.81	-	-	-	27.81
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरणा योजना से संबद्ध आईसीटी और बे – XXXVIII (एनआरएसएस-XXXVIII)	293.76	-	-	-	293.76

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस-XL)	42.32	-	-	-	42.32
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे के 2 नग का निर्माण।	35.27	-	-	-	35.27
प्रगति पर परियोजना	एनआर में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर रिएक्टिव पावर संबंधी मुआवजा	1.44	-	-	-	1.44
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V (ड्ब्लूआरएसएस-ट) (वापी–नई मुंबई)	482.62	-	-	-	482.62
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तारए ताकि आईएसटीएस भाग ख से एटीसी को बढ़ाया जा सके	2,179.34	-	-	-	2,179.34
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	-	121.07	-	-	121.07
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड गोवा को अतिरिक्त 400 कि.वा. फ़ीड से संबंधित कार्य	23.91	-	-	-	23.91
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली योजना–XIX (पावरग्रिड निर्माण कार्य)	67.19	-	-	-	67.19
प्रगति पर परियोजना	महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र में पवन ऊर्जा क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (1 जीड्ब्लू): परली (पीजी).पुणे (जीआईएस) 400 के. वी. डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 50 एमवीएआर फिक्स्ड लाइन रिएक्टरों को परली (पीजी) छोर पर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों में परिवर्तित करना	2.25	-	-	-	2.25
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना–XXV (ड्ब्लूआरईएस-XXV)	53.95	-	-	-	53.95
प्रगति पर परियोजना	ईआरपीसी और डब्ल्यूआरपीसी की सिफारिशों के अनुसार ट्रांसफार्मर और रिएक्टर की खरीद	0.51	-	-	-	0.51
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (पीजी) सब–स्टेशन पर 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्वि	23.31	-	-	-	23.31
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.76	-	-	-	0.76
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन परियोजना – रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की जामनगर ऑयल रिफाइनरी को जाम खंभालिया आईएसटीएस पीएस से जोड़ा जाएगा	213.07	-	-	-	213.07
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	4.21	-	-	-	4.21
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट लेवल को नियंत्रित करने की योजना	0.06	-	-	-	0.06
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	11.46	-	-	-	11.46
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत विश्वसनीय संचार योजना	10.73	-	-	-	10.73

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	765/400 केवी कुरनूल (नया) सब–स्टेशन पर 1 नग 400 केवी बे	4.35	-	-	-	4.35
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुरनूल न्यू सब–स्टेशन पर 1 नंबर 400 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन (मेसर्स ग्रीनको के लिए दूसरा 400 केवी लाइन बे)	4.92	-	-	-	4.92
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – उत्तरी त्रिचूर (केरल) –योजना#2: पुगलूर छोर पर एसी प्रणाली सुदृढ़ीकरण	37.86	-	-	-	37.86
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरिन–II जीआईएस पीएस पर 230 केवी की संख्या 1 का कार्यान्वयन	4.50	-	-	-	4.50
प्रगति पर परियोजना	पावगड़ा (तुमकुर) पीएस में 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (6वां) और सामान्य सुविधा कार्यों द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	2.31	-	-	-	2.31
प्रगति पर परियोजना	अरासुर सब–स्टेशन में 1X500 एमवीएए 400/230 केवी आईसीटी (4वां) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	5.96	-	-	-	5.96
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के सब–स्टेशनों और जनरेटिंग स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.89	-	-	-	0.89
प्रगति पर परियोजना	टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	3.71	-	-	-	3.71
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबर्धित लाइन बे	20.76	-	-	-	20.76
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़–II और भड़ला–II में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	63.45	-	-	-	63.45
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के तहत – भाग– क1	51.38	-	-	-	51.38
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के तहत – भाग– जी1	165.25	-	-	-	165.25
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के अंतर्गत – भाग ख1	185.63	-	-	-	185.63
प्रगति पर परियोजना	भादला–II पीएस और फतेहगढ़–II पीएस में आरई जनरेटर के लिए 400 केवी बे का कार्यान्वयन	15.50	-	-	-	15.50
प्रगति पर परियोजना	भादला–II सब–स्टेशन पर 1X80 एमवीएआर 765 केवी स्पेयर रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	1.54
प्रगति पर परियोजना	400 केवी सबस्टेशन पीजी खटकर (जींद) और नग्गल (पंचकूला) सबस्टेशन पर 220 केवी बे	17.35	-	-	-	17.35

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	1X315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा) द्वारा भीनमाल (पीजी) सब–स्टेशन पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार	4.76	-	-	-	4.76
प्रगति पर परियोजना	चरण–III भाग–जे के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (20 गीगावाट)	-	5.68	-	-	5.68
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर पीएस में एन–1 आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार	7.79	-	-	-	7.79
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर– I परियोजना	1,702.45	-	-	-	1,702.45
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड निर्माण कार्य	71.10	-	-	-	71.10
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XIV के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम (एनईआरएसएस-XIV)	53.30	-	-	-	53.30
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–ख (एनआरएसएस-II-ख) से संबंधित पावरग्रिड कार्य	91.67	-	-	-	91.67
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– IX (एनआरएसएस -IX)	6.42	-	-	-	6.42
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XIII (एनआरएसएस.ग्प्प्)	39.41	-	-	-	39.41
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XVII (एनआरईएस -XVII)	1.65	-	-	-	1.65
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	39.41	-	-	-	39.41
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (अतिरिक्त) की स्थापना	28.20	-	-	-	28.20
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.21	-	-	-	2.21
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) आईएसटीएस और राज्य उपयोगिता संचार नेटवर्क के लिए अत्याधुनिक एकीकृत केंद्रीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली यू–एनएमएस की स्थापना	78.51	-	-	-	78.51
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	2.99	-	-	-	2.99
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस-XLI)	21.24	-	-	-	21.24
प्रगति पर परियोजना	220 केवी करियन–चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग के लिए चमेरा पूलिंग पॉइंट पर 220 केवी की एक नग बे	13.01	-	-	-	13.01

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पीएसटीसीएल द्वारा 400/220 केवी अमृतसर (पीजी) में 220 केवी की 1 नग बे लाइन की आवश्यकता	2.16	-	-	-	2.16
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र हेतु विश्वसनीय संचार योजना	15.03	-	-	-	15.03

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ in crore)

विवर.ा	परियोजना	कब तक पू.ा किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान के भादला में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए पारेषण प्रणाली	21.11	-	-	-	21.11
प्रगति पर परियोजना	चरण–II – भाग–च1के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1जीड्ब्लू) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण	96.63	-	-	-	96.63
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबद्ध बे लाइन	25.06	-	-	-	25.06
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस-XL)	49.70	-	-	-	49.70
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में दोष स्तर को नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	10.94	-	-	-	10.94
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़–II और भड़ला–II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	85.79	-	-	-	85.79
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पी.जी) में 220 के.वी. की 2 नग बे लाइन	2.73	-	-	-	2.73
प्रगति पर परियोजना	चरण II भाग– क1 के तहत – राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	50.60	-	-	-	50.60
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग ख1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	787.76	-	-	-	787.76
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त आईसीटी का प्रावधान	0.20	-	-	-	0.20
प्रगति पर परियोजना	भादला–II सब–स्टेशन पर 1X80 एमवीएआर 765 केवी अतिरिक्त रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	1.54
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी बे लाइन का प्रावधान	18.98	-	-	-	18.98
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	14.36	-	-	-	14.36
प्रगति पर परियोजना	कुरुक्षेत्र 400 केवी बस में 500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर का कार्यान्वयन	129.75	-	-	-	129.75

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवर.I	परियोजना	कब तक पूर्ा किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	20.07	-	-	-	20.07
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLII (एनआरएसएस–XLII)	10.06	-	-	-	10.06
प्रगति पर परियोजना	220 केवी करियन–चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग के लिए चमेरा पूलिंग पॉइंट पर 220 केवी की एक नग बे	10.26	-	-	-	10.26
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	44.29	-	-	-	44.29
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस–XXXVII)	-	28.24	-	-	28.24
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस–XXXVIII) से संबंधित आईसीटी और बे	274.21	-	-	-	274.21
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस की 2 नग बे लाइन का निर्माण	34.93	-	-	-	34.93
प्रगति पर परियोजना	शाहजहांपुर (पीजी) 400/220 केवी सब–स्टेशन पर 220 केवी बे का कार्यान्वयन	2.12	-	-	-	2.12
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढ़ीकरण के तहत सोहावल (पीजी) में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी का संवर्धन (तीसरा)	22.74	-	-	-	22.74
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	1,498.19	-	-	-	1,498.19
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से संबंधित पावरग्रिड कार्य	68.33	-	-	-	68.33
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–X (एनईआरएसएस–X)	46.69	-	-	-	46.69
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरएसएस -XII)	407.91	-	-	-	407.91
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XIV (एनईआरएसएस –XIV)	50.39	-	-	-	50.39
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस -II-B) से संबंधित पावरग्रिड कार्य	87.48	-	-	-	87.48
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस -III)	54.26	-	-	-	54.26
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से संबंधित पावरग्रिड कार्य	24.19	-	-	-	24.19
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और रिएक्टर का प्रावधान	27.55	-	-	-	27.55
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XI (एनईआरएसएस -XI)	40.17	-	-	-	40.17
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XIII (एनईआरएसएस -XIII)	51.16	-	-	-	51.16
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	36.73	-	-	-	36.73

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवर.I	परियोजना	कब तक पूर्ा किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (अतिरिक्त) की स्थापना	23.01	-	-	-	23.01
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.18	-	-	-	2.18
प्रगति पर परियोजना	वीएसएटी आधारित संचार प्रणाली	0.21	-	-	-	0.21
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से संबंधित कार्य	45.99	-	-	-	45.99
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XXVI (ईआरईएस–XXVI)	1.68	-	-	-	1.68
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल और डीवीसी) में स्काडा/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	17.17	-	-	-	17.17
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	38.29	-	-	-	38.29
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–ख) [ईआरएसएस-XVII (भाग–ख)]	50.06	-	-	-	50.06
प्रगति पर परियोजना	भूटान में नए एचईपी से बिजली के हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण से जुड़े पावरग्रिड कार्य	30.02	-	-	-	30.02
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	26.69	-	-	-	26.69
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.87	-	-	-	9.87
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र में वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.44	-	-	-	6.44
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम)	3.31	-	-	-	3.31
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	467.64	-	-	-	467.64
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	116.12	-	-	-	116.12
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तमनार) पूल में शामिल उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	83.26	-	-	-	83.26
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली के निर्यात के लिए कोल्हापुर से आगे ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करना कोल्हापुर (पीजी) – कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन की पुनर्संयोजन	34.21	-	-	-	34.21
प्रगति पर परियोजना	गोवा के लिए अतिरिक्त 400 केवी फीड से जुड़े पावरग्रिड कार्य	23.39	-	-	-	23.39
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.75	-	-	-	0.75
प्रगति पर परियोजना	खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम क्षेत्र में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़े पावरग्रिड कार्य	103.53	-	-	-	103.53

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवर.I	परियोजना	कब तक पू.र्ा किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.53	-	-	-	5.53
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	5.51	-	-	-	5.51
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट लेवल को नियंत्रित करने की योजना	0.02	-	-	-	0.02
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना (अतिरिक्त आवश्यकता) के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत विश्वसनीय संचार योजना	11.28	-	-	-	11.28
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	11.78	-	-	-	11.78
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XXV	38.87	-	-	-	38.87
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	44.11	-	-	-	44.11
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	39.23	-	-	-	39.23
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – उत्तरी त्रिचूर (केरल) – योजना#2: पुगलूर छोर पर एसी सिस्टम सुदृढ़ीकरण	39.16	-	-	-	39.16
प्रगति पर परियोजना	नेवेलीए तमिलनाडु में 2X500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कॉर्प लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट) (एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	40.55	-	-	-	40.55
प्रगति पर परियोजना	तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) में 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी	33.10	-	-	-	33.10
प्रगति पर परियोजना	मौजूदा हिरियूर और कोच्चि उप–स्टेशनों में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	34.59	-	-	-	34.59
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरिन–II जीआईएस पीएस में 230 केवी बे की 1 संख्या का कार्यान्वयन	4.65	-	-	-	4.65
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.83	-	-	-	0.83
प्रगति पर परियोजना	ओपीजीडब्ल्यू परियोजना (1517 किमी)–दूरसंचार	1.99	-	-	-	1.99
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–यू.वी,डब्ल्यू.एक्स,आई–1एआई–2 और आई–3 –दूरसंचार	30.00	-	-	-	30.00
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–एम–1, एम–2 और एम–3–दूरसंचार	13.82	-	-	-	13.82
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–जेड – दूरसंचार	0.69	-	-	-	0.69
प्रगति पर परियोजना	एनटीएएमसी के लिए नेटवर्क – दूरसंचार	7.19	-	-	-	7.19

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(घ) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति की एजिंग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	59.93	0.18	24.66	6.24	91.01
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**59.93**	**0.18**	**24.66**	**6.24**	**91.01**
31.03.2023 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	0.18	24.66	-	6.24	31.08
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**0.18**	**24.66**	**-**	**6.24**	**31.08**

(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसएपीडीसी की अरुण–3 (900 मेगावाट) एचईपी, नेपाल से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम – भारतीय भाग	1.04	-	-	-	1.04
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V (डब्ल्यूआरएसएस-V) (वापी–नई मुंबई)	6.24	-	-	-	6.24
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, आईएसटीएस भाग ख से एटीसी बढ़ाने के लिए	51.87	-	-	-	51.87
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन परियोजना – रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की जामनगर ऑयल रिफाइनरी जाम खंभालिया आईएसटीएस पीएस से जोड़ना	0.02	-	-	-	0.02
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	24.81	-	-	-	24.81

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	24.66
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	6.24

(च) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(छ) कंपनी को बैंकों के संघ द्वारा वर्तमान के मुकाबले प्रतिभूत ₹6,950 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7,200 करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों का त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया गया है और खातों की पुस्तकों के साथ समझौता किया गया है।

(ज) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया था।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(झ) बंद कंपनियों के साथ संबंधः

(₹ in crore)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 को बकाया शेष	31.03.2023 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ऐस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्यूटेक्स एडवरटाइजिंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्रेनटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
डिलिजेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
एरिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	(0.00)	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
फॉर्च्यून मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
एचवीएसी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जे के पेपर सैक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेसन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मैट्रिक्स टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मिट्सू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मोनार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओम सर्विसेज एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओरिएंट कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राज केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राणा एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
शर्मा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिद्धराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिग्मा सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिनर्जी टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.16	संबंधित पक्षकार नहीं है
टीजीएन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विसाग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
युमिको ग्लोबल इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.11	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सीलेंट इंफ्रा इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.09	0.07	संबंधित पक्षकार नहीं है
ग्रिड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	4.56	3.65	संबंधित पक्षकार नहीं है
पीसीएन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	देय	-	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
अम्बाला ब्रॉडबैण्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्लस्की कम्यूनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
वाल्टेयर इन्टरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
आर्कटोस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड ञओपीसी)	प्राप्तियों	-	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है
बीमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सपेडिटिव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 को बकाया शेष	31.03.2023 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ग्लान सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
रूफर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
शुभ्रा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाली कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विस्कॉम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
यश टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.06	संबंधित पक्षकार नहीं है
पिनाकल इंडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.06	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंजल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
सेंचुरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.28	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
इसैरिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जे.बी. एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.64	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाख शेयर्स लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विटालिंक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेनिथ इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	NA	संबंधित पक्षकार नहीं है

(ञ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान वैधानिक अवधि के भीतर रजिस्ट्रार में प्रभारों या प्रभारों की संतुष्टि को पंजीकृत किया है।

(ट) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत यथानिर्धारित संख्या का अनुपालन किया है।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना (जारी)

(ठ) अनुपात

अनुपात#	अंश–गणक	हर	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	विचरण	विचरण का कारण >25%
क) चालू अनुपात	चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयताएँ	0.80	0.88	-9%	
ख) ऋण.इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	1.42	1.55	-8%	
ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	अवधि के लिए लाभ + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + वित्त लागत + एफईआरवी + अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	वित्त लागत + पट्टा भुगतान + मूलधन की चुकौती	1.65	1.52	9%	
घ) इक्विटी अनुपात पर आय	अवधि के लिए लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	18%	19%	-5%	
ङ) इन्वेंट्री कारोबार अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री (प्रावधान घटाने से पहले)	32.48	32.24	1%	
च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य (प्रावधान घटाने से पहले)	3.21	3.03	6%	
छ) व्यापार देय कारोबार अनुपात	सकल अन्य व्यय (–) एफईआरवीए प्रावधानए पीपीई के निपटान के लिए हानि	औसत व्यापार देय	9.49	10.94	-13%	
ज) निवल पूंजी कारोबार अनुपात*	प्रचालन से राजस्व	चालू परिसंपत्ति . चालू देयताएँ	-	-	-	
झ) निवल लाभ अनुपात	अवधि के लिए लाभ	परिचालन से राजस्व	36%	35%	3%	
ञ) नियोजित पूंजी पर आय	ब्याज और करों से पहले की आय	मूर्त निवल मूल्य . कुल ऋण. आस्थगित कर देयता	13%	13%	0%	
ट) निवेश पर आय	निवेश और पूंजी वृद्धि से आय	समय भारित निवेश	11%	8%	38%	सहायक कंपनियों में निवेश से आय में वृद्धि के कारण

* अनुपात की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि हर ऋणात्मक है।

\# सभी अनुपातों की गणना बंद परिचालनों, बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों सहित की जाती है।

ठ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बिचौलियों के माध्यम से निधि प्राप्त/अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है (या तो उधार लिया गया निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि)।

ड) कंपनी का कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था और जिसे सरेंडर कर दिया गया हो या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया।

ढ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

65. बंद किए गए प्रचालन

निदेशक मंडल ने दिनांक 14 जुलाई 2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के दूरसंचार व्यवसाय को कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड (पीटीएल) को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओपीजीडब्ल्यू केबल आदि के सभी कोर सहित महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों को कंपनी में रखा गया है और कंपनी की लेखा नीति के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है और अवशिष्ट मूल्य अपनाया जाता है। इसका कंपनी की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, कंपनी का दूरसंचार व्यवसाय जिसे 01 अक्टूबर 2023 से ₹655.02 करोड़ के विचार पर स्लंप सेल के आधार पर पीटीएल को हस्तांतरित किया गया था, उसे बंद परिचालन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भारतीय लेखा मानक 105– "बिक्री के लिए रखी गई गैर–चालू परिसंपत्तियों और बंद परिचालन" के अनुसार चालू और पिछले वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में निरंतर परिचालन से बाहर रखा गया है।

दूरसंचार व्यवसाय की निवल परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अक्तूबर, 2023 को
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ	940.07
चालू परिसंपत्तियाँ	307.70
दूरसंचार से जुड़ी कुल परिसंपत्तियाँ	**1,247.77**
गैर–चालू देयताएँ	274.73
चालू देयताएँ	318.02
दूरसंचार से सीधे जुड़ी कुल देयताएँ	**592.75**
दूरसंचार से सीधे जुड़ी निवल परिसंपत्तियाँ	**655.02**
इक्विटी शेयरों के रूप में अंतरण पर प्राप्त प्रतिफल	**655.02**

बंद प्रचालन का लाभ और हानिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व	392.82	728.98
अन्य आय	7.26	11.57
कुल आय	**400.08**	**740.55**
कर्मचारी लाभ व्यय	51.70	104.61
वित्त लागत	15.71	37.05
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25.34	81.36
अन्य व्यय	173.16	289.79
कुल व्यय	**265.91**	**512.81**
बंद प्रचालन की परिसंपत्तियों के निर्धारण पर उचित मूल्यांकन हानि	17.90	-
बंद प्रचालन से कर से पहले लाभ	**116.27**	**227.74**
कर व्ययः		
चालू कर	20.21	38.85
आस्थगित कर	(1.07)	(22.11)
	19.14	**16.74**
बंद प्रचालन से लाभ	**97.13**	**211.00**

*30 सितंबर 2023 तक लेन–देन

14 जुलाई 2023 (अर्थात दूरसंचार व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि) से 30 सितंबर 2023 तक दूरसंचार परिसंपत्तियों पर ₹17.90 करोड़ की मूल्यह्रास राशि रोक दी गई है।

65. बंद किए गए प्रचालन (जारी)

दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित निवल नकदी प्रवाह निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन कार्यकलापों से/(उपयोग में) नकदी प्रवाह	74.13	252.93
निवेश कार्यकलापों से/(उपयोग में) नकदी प्रवाह	(58.62)	(216.23)
वित्तीय कार्यकलापों से/(उपयोग में) नकदी प्रवाह	(15.51)	(36.70)
नकदी और नकदी समकक्ष में निवल वृद्धि/(कमी)	-	-

*30 सितंबर 2023 तक लेनदेन

66. अन्य टिप्पिणियां

क. तुलनात्मक वर्षों में पुनर्वर्गीकरण

इंड एएस 8 ''लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां'' और इंड एएस 1 ''वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'' के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 01 अप्रैल 2022 (पिछले वर्ष की शुरुआत) को वित्तीय विवरणों में राशियों को निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यक्त किया है:

क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई के ईएसी) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, व्यापार प्राप्तियों को बैंक से प्राप्त विचार के लिए वित्तीय देयता की मान्यता सहित संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना है। इस राय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा बिल छूट के माध्यम से कंपनी की सहायता से प्राप्त राशि को पिछले वर्ष के पुनर्वर्गीकरण से व्यापार प्राप्तियों सहित नेट ऑफ करने के बजाय वर्तमान उधार में शामिल किया गया है, जो ₹1,922.61 करोड़ है और पिछले वर्ष की शुरुआत ₹4,180.23 करोड़ थी।

ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित इंड एएस 12 "आयकर" में संशोधन के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल 2022 तक ₹8.70 करोड़ की आस्थगित कर राशि को अन्य इक्विटी और आस्थगित कर देनदारियों (निवल) में मान्यता दी गई है और वित्त वर्ष 2022–23 के आस्थगित कर व्यय में ₹2.52 करोड़ की कमी आई है।

ग) कर अधिकारियों से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिमिटेड (सीटीयूआईएल) द्वारा धन वापसी प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा वसूली योग्य राशि को पिछले वर्ष के अंत में ₹640.75 करोड़ और पिछले वर्ष की शुरुआत में ₹270.01 करोड़ की राशि के अनुसार 'अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों' से 'अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों' में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 महीने बाद वसूली होने की उम्मीद है।

घ) आईसीएआई के ईएसी की राय के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से इतर अन्य से उत्पन्न स्क्रैप से आय को 'अन्य परिचालन राजस्व' में शामिल किया जाना है क्योंकि यह कंपनी की मुख्य परिचालन कार्यकलाप के कारण उत्पन्न होती है। राय पर विचार करते हुए, ₹21.83 करोड़ की राशि को 'संचालन से राजस्व' के अंतर्गत 'अन्य आय' से 'अन्य परिचालन राजस्व' में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

इन पुनर्वर्गीकरणों का भारतीय लेखा मानक 12 संशोधनों को छोड़कर पिछले वर्षों के रिपोर्ट किए गए लाभ और हानि, कुल व्यापक आय और इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि उपरोक्त बिंदु (क) में उल्लिखित कारण से पिछले वर्ष की शुरुआत में तुलन पत्र में प्रदान की गई जानकारी पर भौतिक प्रभाव है, इसलिए कंपनी ने पिछले वर्ष की शुरुआत में तीसरी तुलन पत्र प्रस्तुत की है।

दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 01 अप्रैल 2022 तक इक्विटी का मिलान इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 अप्रैल 2022 को
पहले रिपोर्ट की गई कुल इक्विटी	82,832.96	76,151.57
इंड एएस 12 संशोधनों के अनुसार आस्थगित कर प्रभाव	11.22	8.70
पुनः घोषित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल इक्विटी	82,844.18	76,160.27

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पश्चात लाभ जैसा कि पहले रिपोर्ट की गई है	15,333.02
जोड़ें: भारतीय लेखा मानक 12 संशोधनों के अनुसार आस्थगित कर प्रभाव	2.52
पुनः घोषित वित्तीय विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ	15,335.54
मूल पर प्रभाव और प्रति शेयर तनु आय (₹)	0.00

ख. प्रक्रियाधीन अधिग्रहण:

कंपनी एसपीवी के तहत 5 टीबीसीबी परियोजनाओं में सफल बोलीदाता थी, जिनके निम्नलिखित नाम हैं (i) खावड़ा IV–ड. पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (ii) राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (iii) राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (iv) सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और (v) ब्यावर–मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड। जिनमें से कंपनी ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 को संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयक से पहली 3 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है और शेष 2 कंपनियों के संबंध में आशय पत्र (आ.प.) दिनांक 09 मई 2024 को संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयक से प्राप्त कर लिया गया है।

ग. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 25 फरवरी 2022 के आदेश के अनुसार कहा है कि सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीटीयूआईएल) के कर्मचारियों से संबंधित व्यय और अन्य संबंधित व्यय दिनांक 31 मार्च 2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे, क्योंकि विभिन्न प्रशुल्क आदेशों के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी। इसलिए, सीटीयू के कार्यों से संबंधित व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा रहे हैं। प्रभावित कर्मचारी लागतए अन्य व्यय और अन्य व्यापक आय के लिए क्रमशः टिप्पणी संख्या 37, 40 और 42 देखें।

67. क) आंकड़ों को दो दशमलव तक निकटतम करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास	**जी. रविशंकर**	**आर. के. त्यागी**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08816101	डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

स्वतंत्रा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक स्टैंडअलोन तुलन–पत्र, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद ''स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) का विवरण शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और देते हैं 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकदी प्रवाह में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय के हमारे लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा के संदर्भ में एक के रूप में संबोधित किया गया था, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले	हमारे लेखापरीक्षा में इन मामले का कैसे समाधान किए गए थें
1	**पारेषण आय से राजस्व की मान्यता** पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के टैरिफ विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, अर्थात, बिल न किया गया राजस्व।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और बिजली के संचरण से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करना। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन, ऑर्डर, सर्कूलर, गाइडलाइंस और कंपनी के आंतरिक सर्कुलर के आधार पर ट्रांसमिशन राजस्व का सत्यापन किया।

क्रमांक	प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले	हमारे लेखापरीक्षा में इन मामले का कैसे समाधान किए गए थें
	सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा और राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के कारण इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। (टिप्पणी संख्या 35(ख)(ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें)	• परीक्षण के आधार पर सत्यापित, हाल के मामलों में सीईआरसी के नियामक दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार अनंतिम आधार पर मान्यता प्राप्त आय, जहां वाणिज्यिक की तारीख के आधार पर, उन परिसंपत्तियों के लिए जिनके अंतिम आदेश सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए जाने बाकी हैं। क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी प्रचालन (डीओसीओ) पत्र, और पूंजी लागत, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, विद्युत के पारेषण से राजस्व की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
2	**<u>अधिकतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट हकदार से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां</u>** कंपनी ने भविष्य में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है। वर्ष और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर संपत्ति बनाई। उक्त एमएटी क्रेडिट हकदार के अनुरूप, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकुलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या 26 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ से संबंधित पूर्वानुमानों का आकुलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित नियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	**भूमि मुआवजे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकुलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।** आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकुलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें)	हमने आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • कानूनी एवं अन्य व्यावसायिक व्ययों की समीक्षा की गई तथा प्रबंधन से हाल के घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण मुकदमों की स्थिति के बारे में पूछताछ की गई। • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया। • सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच की गई। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों का अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित माना जाता है।

अन्य मामले

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए संगत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैंए जिनका लेखा–जोखा कंपनी के पूर्ववर्ती तीन संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया हैए जहाँ उन्होंने ऐसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 19 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषणए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारीए बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकए व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टए कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल हैए लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर बताई गई अन्य जानकारी इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध मेंए हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध होए तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समयए इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम उन दस्तावेजों को पढ़ते हैंए जिनमें अनुबंध शामिल हैंए यदि कोई होए अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें कोई वास्तविक गलत बयान हैए तो हम मामले को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार हैए जो कंपनी की वित्तीय स्थितिए अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शनए इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैंए जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैए जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़ा गया है।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधि ानियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल हैय उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगानाय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइनए कार्यान्वयन और अनुरक्षणए जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थेए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत बयानी से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने मेंए प्रबंधन कंपनी की सतत धारणाओं के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करनेए उन्हें लागू होने पर सतत धारणाओं से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के सतत धारणाओं से संबंधित आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। अधिनियम की धारा 143(3)(छ) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में शामिल कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कंपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंधित क्षमता पर एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है्, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी और सहायक उद्यमों को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

महत्वपूर्ण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का वह परिणाम है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ सांझा करते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

(ख) हमारी राय में, कंपनी ने कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा–बहियां रखी हैं, जैसा कि उन बहियों में हमारी जांच से पता चलता है;

(ग) इस रिपोर्ट में शामिल स्टैंडअलोन तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण और नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं, जिसे इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ा जाए;

(ङ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के तहत दी गई छूट के मद्देनजर, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुबंध '1' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(छ) भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी पर लागू नहीं होते हैं; और

(ज) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण निम्नानुसार हैं:

i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 58 देखें।

ii) कंपनी को लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत 31 मार्च 2024 तक किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें दीर्घकालिक अनुबंधों (व्युत्पन्न अनुबंधों सहित) पर कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित घाटा नहीं है।

iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण की जाने वाली राशि को अंतरित करने में कोई विलंब नहीं हुई है।

iv) (क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) भी शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ,

चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल है, से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) (क) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

(ग) जैसा कि वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 59(ख) में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है, जहां तक लाभांश की घोषणा लागू होता है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों–बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा–परीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा–परीक्षा के दौरान हमें लेखा–परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 01 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक '2' में दे रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम अनुबंध '3' में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं।

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928
यूडीआईएनः 24520928बीजेजेडड्ब्लूटीके6775
कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 003510एस

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468
यूडीआईएनः 24205468बीकेजीपीबीएफ3403

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू –100010

अविलास अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 062668
यूडीआईएनः 24062668बीकेबीआईड्ब्लूके9955

कृते जी.डी. आप्टे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515ड्ब्लू

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532
यूडीआईएनः 24017532बीकेईएसडीवाई3200

दिनांकः 22 मई, 2024.

स्थानः मुम्बई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '1'

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट की भाग "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत संदर्भित पैराग्राफ 1(च)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधक–मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन टिप्पणी में यथा.उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय सूचना मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइनए कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैंए जो कंपनी की नीतियों के पालनए इसकी परिसंपत्तियों के परिरक्षणए जालसाजी व चूकों का निवारण करने और पता लगानेए लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियमए के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करने सहित इसकी कारोबार के समुचित और कुशल प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हम अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा लेखापरीक्षा संबंधी मार्गनिर्देशन और ('मार्गनिर्देशक टिप्पणी') तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों और कंपनी अधिनियम धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने गए लेखांकन संबंधी मानकों के अनुसार करते हैं, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं, जो दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हों और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गनिर्देशक टिप्पणी में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं तथा लेखापरीक्षा पूरी करते हैं ताकि इस सबंध में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण किया गया था और यह कि सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी प्रचालनीय प्रभावकारिता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को पूरा करना शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में की समझ, जोखिम का निर्धारणए जिसमें महत्वपूर्ण कमी मौजूद होए और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता की जांच व मूल्यांकन शामिल है। इसमें चयनित प्रक्रियाए चाहे धोखाधाड़ी के कारण हो अथवा चूक के कारण होए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के लिए हमारी लेखापरीक्षा राय पर आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय सूचना और समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे वित्तीय नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं।

1. जो अभिलेखों के रख–रखाव से संबंधित हैं, जिनमें दिए गए समुचित ब्यौरों से कपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देनों और उनके प्रबंधन की सही और स्पष्ट जानकारी मिले;
2. जो उचित आश्वासन प्रदान करे कि लेन–देन को सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किया गया है और यह कि कंपनी की प्राप्तियों तथा व्यय को कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकार से और कंपनी के निदेशकों के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है; तथा

3. जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा प्रबंधन की रोकथाम अथवा समय पर जानकारी के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान को जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की मौजूदा सीमाओं के कारणए जिनमें नियंत्रण ों से हटकर अनुचित प्रबंधन अथवा मिलीभगत की संभावना शामिल है, चूक अथवा हेराफेरी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता न चलता हो। साथ ही, भावी अवधियों की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की परिकल्पना ऐसे जोखिम के अधीन होती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकती है अथवा यह कि नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुरूप परिणाम में त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं।

राय

हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित्त कंपनियां हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय सूचना पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा से संबंधित मार्गनिर्देशन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार प्रभावी रूप से प्रचालन में थे।

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928
यूडीआईएनः 24520928बीजेजेडब्लूटीके6775
कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 003510एस

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468
यूडीआईएनः 24205468बीकेजीपीबीएफ3403

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750डब्ल्यू/डब्ल्यू –100010

अविलास अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 062668
यूडीआईएनः 24062668बीकेबीआईडब्लूके9955

कृते जी.डी. आप्टे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515डब्लू

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532
यूडीआईएनः 24017532बीकेईएसडीवाई3200

दिनांकः 22 मई, 2024.
स्थानः मुम्बई

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '2'

जैसा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी")** के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांकित रिपोर्ट की "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग के पैराग्राफ 2 में संदर्भित

क्रम सं॰	दिशा.निर्देश	लेखापरीक्षकों की टिप्पणी
I.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास एक प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई होए कहा जा सकता है।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए ईआरपी सिस्टम (एसएपी) है। हमारे सत्यापन के आधार पर, ईआरपी प्रणाली के अलावा कोई भी लेखा लेनदेन दर्ज/संसाधित नहीं किया जा रहा है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्व ारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आधार परए कंपनी की अक्षमता के कारण कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था। हालांकिए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ("एनएचपीटीएल), जो कि कंपनी का संयुक्त उद्यम है, को दिए गए ₹18.40 करोड़ के मौजूदा ऋण को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया है और ₹2.28 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया गया है। इसका समुचित हिसाब–किताब रखा गया है।
3.	क्या केंद्रध्राज्य या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्तध्प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया। इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारे सत्यापन और स्पष्टीकरण और हमें दी गई जानकारी के आधार परए केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित हिसाब रखा गया और हमारे द्वारा कोई विचलन नहीं देखा गया।

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928
यूडीआईएनः 24520928बीजेजेडड्ब्लूटीके6775

कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 003510एस

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468
यूडीआईएनः 24205468बीकेजीपीबीएफ3403

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू –100010

अविलास अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 062668
यूडीआईएनः 24062668बीकेबीआईड्ब्लूके9955

कृते जी.डी. आप्टे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515ड्ब्लू

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532
यूडीआईएनः 24017532बीकेईएसडीवाई3200

दिनांकः 22 मई, 2024.

स्थानः मुम्बई

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "3"

जैसा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर **पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की आज की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" भाग के पैराग्राफ 3 में संदर्भित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) क) क) कंपनी ने आम तौर पर रिकॉर्ड बनाए रखा हैए जिसमें मात्रात्मक विवरण और संपत्तिए संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूरा विवरण दिखाया गया हैए जिसमें इंड.एएस 116, पट्टों के तहत शामिल उपयोग के अधिकार के विवरण शामिल हैं।

ख) कंपनी ने आम तौर पर अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की आवृत्ति उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में शामिल वित्तीय विवरणों में प्रकट अचल संपत्तियों के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और पंजीकृत बिक्री विलेख की जांच के आधार पर/हस्तांतरण विलेख/कनवेंस विलेख हमें प्रदान किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि, ऐसी अचल संपत्तियों के शीर्षक कंपनी का नाम तुलन–पत्र की तारीख में विलेख में रखे गए हैं, निम्नलिखित को छोड़कर:

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पट्टे पर धारित भूमि					
राउरकेला	0.26	सेल–राउरकेला	नहीं	25-07-2020	ओडिशा सरकार, राउरकेला स्टील प्लांट और पावरग्रिड के बीच मूल त्रिपक्षीय उप पट्टा समझौता समाप्त हो गया है। इसके नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
दुर्गापुर	21.48	सेल– दुर्गापुर	नहीं	01-05-2017	सेल के साथ मूल लीज समझौता समाप्त हो गया था और वह नवीनीकरण की प्रक्रिया में है।
अलीपुरद्वार – माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	1.48	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	17-03-2017	लीज समझौते को 23.11.21 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। लीज समझौते पर हस्ताक्षर की प्रक्रिया चल रही है। शेष 1.16 हेक्टेयर भूमि के लिए राज्य कैबिनेट में अनुमोदन हेतु प्रक्रिया जारी है।
जमशेदपुर	1.46	वन विभाग	नहीं	वि.व. 1992-93 के आगे	पावरग्रिड को आगे हस्तांतरण के लिए वन विभाग से भूमि हस्तांतरण के लिए मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।
अजमेर टाउनशिप	0.96	अजमेर जिला प्राधिकरण	नहीं	01-04-1999	संशोधित भूमि लागत पर ब्याज की मांग हेतु संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष याचिका के निस्तारण के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस द्वारका	63.13	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	प्रक्रियागत देरी के कारण पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
400/220 केवी एस/एस तुगलकाबाद	35.52	जीएनसीटीडी	नहीं	01-04-2018	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
400/220 केवी जीआईएस पूलिंग स्टेशन चंबा, गांव मोहाल राजेरा तहसील और जिला चंबा (हिमाचल प्रदेश)	12.36	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	19-10-2011	विषयगत भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर–वानिकी उद्देश्य के लिए परिवर्तित की गई वन भूमि को, परिवर्तन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त रहेगा।
एसएलटीएस–कारगिल सबस्टेशन (लद्दाख) संघ राज्य क्षेत्र)	0.00*	पीडीडी कारगिल	नहीं	31-10-2019	भारत सरकार (एमओपी) ने श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम (एसएलटीएस) परियोजना को अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स (आईएसटीएस) घोषित किया है और इसे पावरग्रिड को हस्तांतरित कर दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख (तत्कालीन जम्मूऔर कश्मीर राज्य) में भूमि राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाती है। कानून के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार अधिग्रहीत भूमि की मालिक बनी रहती है, और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्ज़ा दिया जाता है।
एसएलटीएस–द्रास सबस्टेशन (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र)	0.00*	पीडीडी कारगिल	नहीं	31-10-2019	
एसएलटीएस लेह सबस्टेशन (लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र)	0.00*	पीडीडी लेह	नहीं	31-10-2019	
एसएलटीएस खालस्टी सबस्टेशन (संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख)	0.00*	पीडीडी लेह	नहीं	31.10.2019	
वागुरा 400/220 केवी सब–स्टेशन वागूरा, गांव वागुरा तहसील एवं जिला. बडगाम, कश्मीर	1.33	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	वित्तीय वर्ष 1993–94 से आगे	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कानून के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्जा दिया जाता है।
न्यू वानपोह 400/220 के.वी सब–स्टेशन न्यू वानपोह, गांव दमजान, तहसील दूरू, जिला अनंतनाग, कश्मीर	25.45	जम्मू–कश्मीर सरकार	नहीं	30-11-2010	
किशनपुर टाउनशिप 800/400/220 के.वी सब–स्टेशन किशनपुर, गाँव खरता तहसील जिन्धा और जिला जम्मू (टाउनशिप भूमि)	0.06	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1995	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
किशनपुर – 800/400/220 के.वी सब–स्टेशन किशनपुर, ग्राम खरता तहसील जिन्ध्रा एवं जिला. जम्मू	0.34	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	31-03-1993	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर में भूमि का अधिग्रहण राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। कानून के अनुसार, संघ राज्य क्षेत्र/राज्य सरकार अधिग्रहित भूमि की मालिक बनी रहती है और कंपनी को केवल विशिष्ट उपयोग के लिए कब्जा दिया जाता है।
नरवाल– लाईन कार्यालय नाउल	0.00*	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	FY 1993-94 onwards	
सांबा– सांबा एस/एस भूमि	11.60	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	19-04-2012	
जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में टी एल भूमि	93.99	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	नहीं	FY 1993-94 onwards	
विशाखापत्तनम	0.08	रहत्रिया इस्पात निगम लिमिटेड	नहीं	23-03-2022	लीज समझौता समाप्त हो गया था और कंपनी लीज शर्तों पर बातचीत की प्रक्रिया में है
पूर्ण स्वामित्व भूमि					
टाउनशिप–सेक्टर 46, गुडगाँव	11.00	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	02-12-1998	देय मांग की समीक्षा के लिए कंपनी द्वारा एचएसवीपी को दिए गए अध्यावेदन के परिणाम के लंबित रहने तक शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हस्तांतरण के लिए लंबित है।
बीरपाड़ा	0.00*	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01-11-1996	बीरपारा मौजा का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद म्यूटेशन किया जाएगा।
मैथन	0.00*	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	01-04-1992	कंपनी जिला भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी (डीएलएलआरओ) के कार्यालय से शीर्षक विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।
मैथन	0.02	सीएलडब्ल्यू– इंडियन रेलवे	नहीं	01-04-1992	पंजीकरण विलेख के निष्पादन के लिए सीएलडब्ल्यू (चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स) के साथ मामले का पालन किया जा रहा है। शीर्षक विलेख के हस्तांतरण में प्रक्रियागत देरी हो रही है।
मैथन	0.32	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	28-03-2018	जनजातीय बोर्ड से एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जबकि स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हस्तांतरित नहीं किया गया है।
अलीपुरद्वार – माथाभांगा अर्थ इलेक्ट्रोकोड	0.67	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	31-12-2012	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
राजारहाट	23.23	एकाधिक निजी मालिक	नहीं	30-11-2014	
आइजोल	0.03	मिजोरम सरकार	नहीं	1991	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
फ़रीदाबाद एनआर.1 आरएचक्यू (टाउनशिप)	6.42	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)	नहीं	01-04-1999	एचएसवीपी द्वारा मांगी गई वृद्धि और विस्तार शुल्क के खिलाफ उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में अपील का निपटारा होने तक, स्वामित्व विलेख कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित होने के लिए लंबित है।
टीएल लैंड इन हिसार फ़तेहाबाद और जिला भिवाणी	0.57	एनएचपीसी	नहीं	30-09-1991	कंपनी कई स्थानों पर स्थित भूमि के हस्तांतरण के लिए कई प्राधिकरणों के साथ काम कर रही है। प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
संबंधित कार्यालय बनीखेत, तहसील एवं जिला चंबा (एचपी)	0.00*	हिमाचल प्रदेश सरकार	नहीं	28-02-1994	विषय भूमि एचपी सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी/वन भूमि है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, एफसीए 1980 के तहत गैर वानिकी उद्देश्य के लिए हस्तांतरित वन भूमि को डायवर्जन के बाद भी "वन" के रूप में कानूनी दर्जा प्राप्त होगा।
कुरनूल भूमि	0.03	आंध्र प्रदेश सरकार	नहीं	13-06-2023	कंपनी म्यूटेशन प्रमाणपत्र और शीर्षक विलेख प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।
हिरियुर 400/220 केवी सबस्टेशन	0.34	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-02-2004	पार्सल के लिए केआईएडीबी द्वारा किए जाने वाले शीर्षक सुधार के लंबित होने के कारण, शीर्षक विलेख को अभी तक पावरग्रिड के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।
येलाहंका 400/220 केवी सबस्टेशन	30.72	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल)	नहीं	23-03-2011	मेसर्स केपीटीसीएल के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
सोमनहल्ली 400/220 केवी एसएस	0.34	कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीटीसीएल)	नहीं	वि.व. 1992-93 से आगे	
कोलार सिद्दलगट्टा एचवीडीसी एसएस	0.91	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	01-04-2002	केआईएडीबी के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
तुमकुर 765/400/220 केवी एसएस	42.29	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	25-09-2013	

परिसंपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	के नाम पर स्वामित्व	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित किए जाने की अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
कुडुगी 765/400 केवी जीआईएस	8.83	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) और अन्य	नहीं	28-02-2014	केआईएडीबी के कार्यालय में प्रक्रियात्मक देरी के कारण शीर्षक विलेख का स्थानांतरण लंबित है।
बिदादी 400/220 केवी सबस्टेशन	20.00	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी)	नहीं	23-03-2011	
पवागडा 400/220 केवी सब स्टेशन	0.26	निजी पक्षकार, श्रीमती संजीवम्मा पुत्री श्री वेंकटप्पा, एम. चपलेनशिप पुत्र वेंकटप्पा और अन्य	नहीं	30-06-2017	भूमि का कानूनी स्वामित्व स्थापित करने के कारण पंजीकरण और उत्परिवर्तन लंबित है और उक्त भूमि के लिए प्रतिफल का भुगतान भी किया जाना बाकी है।
पुगलुर एचवीडीसी सब स्टेशन	0.31	भूदान ट्रस्ट बोर्ड	नहीं	01-04-2017	कंपनी को भूदान ट्रस्ट बोर्ड द्वारा जमीन आवंटित की गयी है . भूदान ट्रस्ट बोर्ड की बैठकों और अन्य औपचारिकताओं में देरी के कारण कंपनी के नाम पर पंजीकरण लंबित है।
कोविलपट्टी 400/220 केवी जीआईएस	49.25	श्री रमेश और श्री आर राजन	नहीं	19-10-2011	माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है और एक पुरस्कार पारित किया गया है। फैसले से व्यथित दोनों पक्षों ने मुआवजे के फैसले के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास ने अभी तक मामले का फैसला नहीं किया है। इसलिए, शीर्षक विलेख को कंपनी के नाम पर स्थानांतरित किया जाना बाकी है।
नया नवसारी एस.एस	146.05	गुजरात सरकार	नहीं	20-06-2022	20.06.2022 को भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और कंपनी शीर्षक विलेख पंजीकृत कराने की प्रक्रिया में है।
भवन					
मुंबई में फ्लैट	2.96	एमएचएडीए	नहीं	Since 02-01-2017	प्रक्रियागत देरी के कारण शीर्षक विलेख का हस्तांतरण लंबित है।

*राशि करोड़ के दशमलव से कम है

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्तिए संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसारए आदेश के खंड 3(i)(ध) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ''बेनामी लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंटरी को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमारी राय में, सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई सत्यापन की आवृत्तिए कवरेज और क्रियाविधि कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के संदर्भ में उचित है। भौतिक सत्यापन पर भौतिक मालसूची या बहि अभिलेखों के बीच प्रत्येक श्रेणी की मालसूची के लिए संचित रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक की कोई भी महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई।

(ख) कंपनी को वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर किए गए त्रैमासिक रिटर्न/स्टेटमेंट कंपनी के खाते की किताबों के साथ समझौते में हैं।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निवेश किया हैए बैंक गारंटी प्रदान की है और सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को वर्ष के दौरान अप्रतिभूत ऋण प्रदान किया है

(क) वर्ष के दौरान कुल राशि, और ऐसे ऋणों के संबंध में तुलन–पत्र तिथि पर बकाया राशि या सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों को ऋण या गारंटी या सुरक्षा की प्रकृति में अग्रिम निम्नानुसार हैंः

(₹ करोड़ में)

क्रम संण	विवरण	गारंटी		अप्रतिभूत ऋण	
		वर्ष के दौरान स्वीकृत/प्रदान की गई कुल राशि	बकाया शेष 31.03.2024 तक	वर्ष के दौरान स्वीकृत/प्रदान की गई कुल राशि	बकाया शेष 31.03.2024 तक
1	सहायक कंपनियां	628.56*	1,094.42*	5,411.43	21,170.00
2	संयुक्त उद्यम	-	-	94.71	94.71
3	सहयोगी कंपनी	-	-	-	-

* निष्पादन बैंक गारंटी को दर्शाता है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए कंपनी ने लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को ऋण या अग्रिम या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किए गए निवेशए प्रदान की गई गारंटी और प्रदान किए गए सभी ऋण और गारंटी के नियम और शर्तें कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए ऋण के संबंध में चुकौती की अनुसूची मूलधन और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है, तथा कंपनी के एक संयुक्त उद्यम, जिसने ऋण के मूलधन की देय राशि और ब्याज का भुगतान नहीं किया है, को छोड़कर चुकौती या प्राप्तियां नियमित हैं, जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः

इकाई का नाम	बकाया की प्रकृति	अतिदेय राशि (₹ करोड़ में)	देय तारीख	विलंब की सीमा	टिप्पणी
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल)	मूलधन	0.30 0.30 0.30 0.62 0.62 0.62	31/10/2022 01/04/2023 01/10/2023 30/09/2022 31/03/2023 30/09/2023	72 दिन से 18 माह की सीमा में	वर्ष के दौरान, 18.40 करोड़ रुपये के ऋण की बकाया मूल राशि एनएचपीटीएल के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित हो गई।
	ब्याज	4.10	30.09.2020 से	18 से 42 माह की सीमा में	

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, एनएचपीटीएल, एक संयुक्त उद्यम कंपनी, को दिए गए ऋण के संबंध में ₹1.84 करोड़ के मूलधन और ₹4.10 करोड़ के ब्याज की प्राप्ति 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय है। हमारी राय में, कंपनी ने उपरोक्त मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार परए हमारी राय है कि दिए गए ऋण की प्रकृति का कोई भी ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान बकाया हो गया हो, नवीनीकृत या बढ़ाया नहीं गया है या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नया ऋण नहीं दिया गया है।

(च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है जो या तो मांग पर चुकाया जा सकता है या वर्ष के दौरान किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना हो।

कंपनी ने उपरोक्त खंड 3(iii)(क) में उल्लिखित कंपनियों के अलावा, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, के रूप में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के तहत प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(अ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और किसी भी राशि को धारा 73 से 76 या किसी अन्य के प्रावधानों के अनुसार जमा नहीं माना गया है। अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम तदनुसारए आदेश का पैरा 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vi) हमने कंपनी अधिनियमए 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के तहत कंपनी के ट्रांसमिशन और दूरसंचार प्रचालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हम कंपनी के हैं राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित रिकॉर्ड बनाए गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही हैं या पूर्ण।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए कंपनी आम तौर पर निर्विवाद रूप से प्रोविडेंट फंड, इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और कंपनी पर लागू अन्य वैधानिक बकाया सहित उपयुक्त लेखकों के साथ वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है और यह कि कोई निर्विवाद नहीं है देय होने की तारीख से महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2024 तक बकाया वैधानिक बकाया। जैसा कि सूचित किया गया है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सिवाय निम्नलिखित के उप–खंड (क) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जो विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि*(₹ करोड़ में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	4.18	वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए	टीएएन के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	4.80	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए	सीआईटी (क) आयकर
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	62.37	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए	सीआईटी (क) आयकर
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.05	अप्रैल 2016 से जून 2017	आयुक्त (अपील) भोपाल
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	0.51	अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 तक	आयुक्त (अपील) गुरूग्राम
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	22.05	वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18	सेस्टैट, मुंबई
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1.54	वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिए	माननीय पटना उच्च न्यायालय

अधिनियम का नाम	बकाया की प्रकृति	राशि*(₹ करोड़ में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
पंजाब स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000	प्रवेश कर	9.64	वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक	माननीय उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़
दिल्ली नगर निगम अधिनियम. 1957	संपत्ति कर	221.08	वित्तीय वर्ष 2004–05– से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	26.82	16 अप्रैल–17 जून	सीईएसटीएटी, अहमदाबाद
मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिताए 1959	परिवर्तन कर	2.97	वित्त वर्ष 2004–05 से वित्त वर्ष 2017–18 तक	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर
दिल्ली नगर निगम अधिनियमए 1957	संपत्ति कर	98.86	वित्त वर्ष 2007–08 से वित्त वर्ष 2017–18 तक	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	28.87	वित्त वर्ष 2016–17 और अप्रैल 2017 से जून 2017 तक की अवधि।	सीईएसटीएटी, कोलकाता
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जुर्माना	1.00	2023–24	सीईएसटीएटी, मुंबई
माल एवं सेवा कर अधिनियमए 2017	माल वं सेवा कर (जीएसटी)	24.77	वित्त वर्ष 2017–18	आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017	माल एवं सेवा कर (जीएसटी)	0.22	वित्त वर्ष 2017–18	आयुक्त (अपील), नई दिल्ली
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	विभेदक सीमा शुल्क	23.43	वित्त वर्ष 2016–17 से वित्त वर्ष 2017–18 तक और वित्त वर्ष 2019–20 से वित्त वर्ष 2021–22 तक	सीईएसटीएटी, चेन्नई
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.45	वित्त वर्ष 2008	सीईएसटीएटी, चंडीगढ़
आंध्र प्रदेश गैर कृषि भूमि मूल्यांकन, 1963	गैर कृषि भूमि मूल्यांकन (एनएएलए) कर	0.09	2005–06	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

*मांग राशि ब्याज सहितए विरोध के तहत भुगतान की गई राशि का निवल राशि ₹30ण्85 करोड़

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान कोई आय समर्पित या आय के रूप में प्रकट नहीं की गई है और इसलिए, ऐसे किसी भी लेनदेन को लेखा बहियों में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ix) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार परए हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा ऐच्छिक चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के लिए आवेदन किया गया था और उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त किया गया था।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच परए हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी धन का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच परए हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं से धन लिया है:

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बांड	बांड धारक	-	263.51	603.84	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	-	1.22	31.23	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	0.03	0.86	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	1.99	57.42	1,282.22	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.18	47.41	1,057.10	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	31.54	74.34	1,230.45	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.40	56.39	925.69	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरात ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	9.48	23.37	449.45	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.28	20.32	388.43	पावर ग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	-	22.19	364.43	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	16.36	268.55	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	7.99	32.68	259.98	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.09	4.40	34.67	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	4.85	23.38	432.45	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.35	8.59	157.37	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	-	5.58	249.27	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	4.24	189.20	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बांड	बांड धारक	19.90	6.29	178.65	पॉवरग्रिड भिण्ड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	5.00	4.95	132.28	पॉवरग्रिड भिण्ड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	0.30	22.67	359.00	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	2.42	38.31	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	1.10	18.00	339.09	पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	-	4.42	83.31	पावर ग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	637.91	-	810.16	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	55.50	-	287.23	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	19.16	-	19.16	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	23.98	-	81.43	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.80	-	209.72	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	43.81	-	225.15	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	2.90	-	203.36	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	274.39	-	338.40	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	32.17	-	232.77	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	49.84	-	60.77	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	7.90	-	141.33	पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	156.39	-	164.99	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	14.55	-	159.87	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बांड	बांड धारक	129.85	-	197.10	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	19.11	-	170.79	पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	227.13	9.26	374.67	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	26.40	13.78	403.83	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	305.67	-	425.33	पॉवरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	42.11	-	352.40	पॉवरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	37.23	-	37.23	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	337.07	-	440.01	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	71.80	-	153.37	पावर ग्रिड नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	28.05	-	35.12	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	1.17	-	9.03	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	19.12	-	19.12	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.44	-	0.44	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	200.02	-	200.02	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	5.01	-	5.01	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	338.72	-	338.72	पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	6.74	-	6.74	पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	840.60	-	840.60	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	57.50	-	57.50	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बांड	बांड धारक	47.63	-	47.63	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	7.20	-	7.20	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	15.10	-	15.10	पॉवरग्रिड रइपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	33.63	-	33.63	पॉवरग्रिड धरमजयगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	0.15	-	0.15	पॉवरग्रिड धरमजयगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	74.03	-	74.03	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	7.73	-	7.73	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	444.33	-	444.33	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
सावधि ऋण	बैंक	3.25	-	3.25	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	78.50	-	78.50	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	103.54	-	103.54	पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	120.87	-	120.87	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	153.11	-	153.11	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	19.42	-	19.42	पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	18.73	-	18.73	पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	67.72	-	67.72	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स
बांड	बांड धारक	19.24	-	19.24	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	कैपेक्स

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
बांड	बांड धारक	94.71	-	94.71	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	कैपेक्स
गारंटी	बैंक	-	5.51	21.60	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	12.69	-	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	25.63	-	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	28.14	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	33.75	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	14.04	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	34.65	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	37.13	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	10.50	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	17.33	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	31.01	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	15.33	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	18.60	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	6.84	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	4.80	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	24.00	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	30.00	पावरग्रिड खावड़ा II-बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी

ली गई निधि की प्रकृति	ऋणदाता का नाम	वर्ष के दौरान वितरित / गारंटी जारी या नवीनीकृत की गई राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान चुकाई गई / गारंटी की राशि कम की गई या चुकाई गई या नवीनीकृत की गई (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि (₹ करोड़ में)	सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहयोगी कंपनी का नाम	संबंध	लेन–देन की प्रकृति जिसके लिए निधि का उपयोग किया गया
गारंटी	बैंक	-	-	39.90	पावरग्रिड खावड़ा II-सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	18.00	पावरग्रिड केपीएस2ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	15.90	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	4.80	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	9.00	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	-	-	16.28	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	60.00	-	60.00	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	27.60	-	27.60	पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	44.40	-	44.40	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	34.20	-	34.20	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	81.00	-	81.00	पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	42.00	-	42.00	पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	76.00	-	76.00	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	126.00	-	126.00	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	42.00	-	42.00	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	85.90	-	85.90	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी
गारंटी	बैंक	9.46**	-	43.72**	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी	निष्पादन बैंक गारंटी

**दिनांक 01 अक्टूबर 2023 से कंपनी का दूरसंचार खंड पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है। तथापि, दिनांक 31 मार्च 2024 तक ऊपर बताई गई निष्पादन बैंक गारंटी कंपनी के नाम पर बनी रहेगी।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(भ)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए खंड 3(भ)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और हमारे आधार पर वर्ष के दौरान देखा गया है कि कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच, कंपनी पर या कंपनी द्वारा सामग्री धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं है।

(ख) ऊपर खंड (xi) (क) में यथाउल्लिखित जैसा वर्ष के दौरान पाया गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्दिष्ट फॉर्म एडीटी–4 में रिपोर्ट लागू नहीं है।

(ग) हमने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है और लेखापरीक्षा करते समय हमें प्रदान किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि अधिनियम की धारा 406 के तहत निर्धारित है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमारी राय में संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां लागू हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और जैसा कि लागू भारतीय लेखाकरण मानकों में अपेक्षित है, विवरण का प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया गया है।

(xiv) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में लेखापरीक्षा के तहत वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है, जो वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार परए कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत शामिल निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(xv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(xvi) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसारए कंपनी ने कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का प्रचालन नहीं किया है, इसलिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(घ) हमारी राय में, समूह के भीतर कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है; जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित है)। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी के रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कोई नगद घाटा नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड–3 (xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी और प्रबंधन योजनाओं और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर,

हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है तुलन–पत्र की तारीख पर जब और जब वे तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हों। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन–पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को, जैसे ही वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(xx) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार आवश्यक राशि व्यय की है। तदनुसार खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928
यूडीआईएनः 24520928बीजेजेडड्ब्लूटीके6775
कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 003510एस

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468
यूडीआईएनः 24205468बीकेजीपीबीएफ3403

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू –100010

अविलास अग्रवाल
पार्टनर
सदस्यता संख्या 062668
यूडीआईएनः 24062668बीकेबीआईड्ब्लूके9955

कृते जी.डी. आप्टे एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515ड्ब्लू

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532
यूडीआईएनः 24017532बीकेईएसडीवाई3200

दिनांकः 22 मई, 2024.
स्थानः मुम्बई



समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023* को	01 अप्रैल, 2022* को
परिसम्पत्तियां				
गैर–चालू परिसम्पत्तियां				
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	4	176,222.51	183,777.39	190,048.35
पूंजीगत कार्य प्रगति पर	5	18,081.73	13,741.24	12,799.90
अमूर्त परिसम्पत्तियां	6	1,538.04	1,659.60	1,724.49
विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां	7	115.76	31.08	53.70
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में निवेश	8क	2,038.98	1,714.65	1,861.21
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश	8	1,515.93	1,774.46	1,926.43
व्यापार प्राप्य	9क	294.48	733.18	-
ऋण	9	571.24	446.44	406.45
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	10	7,832.08	5,953.45	4,591.16
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	26	61.64	54.90	74.73
अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियां	11	6,023.50	6,229.48	5,263.40
		214,295.89	**216,115.87**	**218,749.82**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19क	-	-	245.00
		214,295.89	**216,115.87**	**218,994.82**
चालू परिसम्पत्तियां				
मालसूची	12	1,406.29	1,339.95	1,357.17
वित्तीय परिसम्पत्तियां				
निवेश	13	608.26	-	-
व्यापार प्राप्य	14	11,539.63	14,883.96	13,369.56
नकदी एवं नकदी समतुल्य	15	3,463.95	5,192.17	2,577.11
नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष	16	4,031.17	2,192.41	2,471.07
ऋण	17	132.27	107.03	98.59
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पत्तियां	18	5,042.49	1,710.09	6,156.69
अन्य चालू परिसम्पत्तियां	19	567.63	236.28	224.28
		26,791.69	**25,661.89**	**26,254.47**
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पत्तियां	19क	260.86	260.86	15.86
		27,052.55	**25,922.75**	**26,270.33**
विनियामक आस्थगन खाता शेष	20	9,542.08	10,234.44	9,933.24
कुल परिसम्पत्तियां		**250,890.52**	**252,273.06**	**255,198.39**
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	21	9,300.60	6,975.45	6,975.45
अन्य इक्विटी	22	77,844.51	76,050.84	69,280.84
		87,145.11	**83,026.29**	**76,256.29**
देयताएं				
गैर–चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधारी	23	105,066.95	113,891.29	114,199.40
पट्टा देयताएं		62.57	62.17	27.58
अन्य गैर–चालू वित्तीय देयताएं	24	3,566.73	3,564.67	3,523.00

31 मार्च, 2024 की स्थिति अनुसार समेकित तुलनपत्र (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023* को	01 अप्रैल, 2022* को
प्रावधान	25	643.66	577.87	517.14
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	26	10,298.57	10,721.99	11,422.55
अन्य गैर–चालू देयताएं	27	224.25	200.36	242.89
		119,862.73	**129,018.35**	**129,932.56**
चालू देयताएं				
वित्तीय देयताएं				
उधारी	28	18,381.67	14,626.22	24,646.10
पट्टा देयताएं		5.02	4.13	2.78
व्यापार संबंधी देय राशियां				
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	29	75.17	49.34	47.19
(ख) सूक्ष्म उद्यम एवं लघु उद्यमों से भिन्न क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं	29	296.19	278.45	219.91
अन्य चालू वित्तीय देयताएं	30	11,611.23	10,711.68	10,174.00
अन्य चालू देयताएं	31	3,212.52	3,326.10	3,228.45
प्रावधान	32	826.65	1,016.22	1,167.12
चालू कर देयताएं (निवल)	33	12.37	52.76	9.45
		34,420.82	**30,064.90**	**39,495.00**
आस्थगित राजस्व	34	9,461.86	10,163.52	9,514.54
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**250,890.52**	**252,273.06**	**255,198.39**

* पुनः कथित (टिप्पणी 67(क) देखें)

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास	**जी. रविशंकर**	**आर. के. त्यागी**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08816101	डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनों से राजस्व	35	45,843.10	45,603.11
अन्य आय	36	1,070.02	1,002.53
कुल आय		**46,913.12**	**46,605.64**
व्यय			
कर्मचारी हितलाभ व्यय	37	2,434.44	2,508.53
वित्त लागत	38	8,772.75	9,633.94
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	39	13,095.27	13,333.38
अन्य व्यय	40	3,505.77	3,594.62
कुल व्यय		**27,808.23**	**29,070.47**
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित – संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभों के हिस्से से पहले लाभ असाधारण मदें, कर और विनियामक आस्थगन खाता शेष		19,104.89	17,535.17
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित – संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभों/(हानि) का हिस्सा		(19.55)	(82.12)
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष राशि		**19,085.34**	**17,453.05**
कर व्यय:			
वर्तमान कर – वर्तमान वर्ष		3,340.69	3,018.28
– पूर्ववर्ती वर्ष		(2.48)	(73.76)
आस्थगित कर	26	(397.42)	(662.64)
		2,940.79	**2,281.88**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ		**16,144.55**	**15,171.17**
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल उत्तार–चढ़ाव – आय (व्यय) (निवल कर)	41	(571.39)	248.57
धारक कंपनी के स्वामियों को अवधि हेतु लाभ		**15,573.16**	**15,419.74**
अन्य व्यापक आय			
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)	42	(232.90)	(106.69)
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय का हिस्सा		(1.71)	2.19
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**15,338.55**	**15,315.24**

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि लेखा का विवरण (जारी)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023* को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव सहित प्रति इक्विटी शेयर (सममूल्य ₹10/–प्रत्येक):			
मूल एवं न्यूनीकृत (₹)	62	16.74	16.58
विनियामक आस्थागन लेखा शेष में उत्तार–चढ़ाव को छोड़कर प्रति इक्विटी शेयर आय (सममूल्य ₹10/–प्रत्येक)			
मूल एवं न्यूनीकृत (₹)	62	17.36	16.31

* पुनः कथित (टिप्पणी 67(क) देखें)

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास	**जी. रविशंकर**	**आर. के. त्यागी**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08816101	डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल, 2023 को	**6,975.45**
वर्ष के दौरान परिवर्तन (टिप्पणी 21 देखें)	2,325.15
31 मार्च, 2024 को	**9,300.60**
1 अप्रैल, 2022 को	**6,975.45**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 को	**6,975.45**

ख. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय	योग
	पूंजीगत प्रा. नि.	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	
1 अप्रैल, 2023 को	**9.88**	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,088.46**	**58,534.81**	**4,043.48**	**371.61**	**76,050.84**
वर्ष हेतु लाभ						15,573.16		15,573.16
अन्य व्यापक आय						(35.68)	(198.93)	(234.61)
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय						**15,537.48**	**(198.93)**	**15,338.55**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					6,000.00	(6,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(1,247.15)			1,247.15		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित				312.63		(312.63)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित				(108.86)	108.86	-		-
बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के लिए उपयोग किया गया		(2,325.15)						(2,325.15)
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2022–23						(3,313.34)		(3,313.34)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2023–24						(7,905.51)		(7,905.51)
अन्य समायोजन						(0.88)	-	(0.88)
31 मार्च 2024 को	**9.88**	**5,509.28**	**2,921.02**	**1,292.23**	**64,643.67**	**3,295.75**	**172.68**	**77,844.51**

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण (जारी)

ख. अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष						अन्य व्यापक आय	योग
	पूंजीगत प्रा. नि.	प्रतिभूति प्रीमियम	बॉण्ड शोधन प्रा. नि.	स्व बीमा प्रा. नि.	सामान्य प्रा. नि.	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय के जरिए इक्विटी लिखित	
1 अप्रैल, 2022 को	**9.88**	**7,834.43**	**5,532.80**	**874.86**	**50,430.26**	**4,097.36**	**492.09**	**69,271.68**
इंड एएस 12 समायोजन						9.16		9.16
	9.88	**7,834.43**	**5,532.80**	**874.86**	**50,430.26**	**4,106.52**	**492.09**	**69,280.84**
वर्ष हेतु लाभ						15,419.74		15,419.74
अन्य व्यापक आय						19.42	(123.92)	(104.50)
धारक कंपनी के स्वामियों को आरोप्य अवधि के लिए कुल व्यापक आय						**15,439.16**	**(123.92)**	**15,315.24**
वर्ष के दौरान समायोजन								
सामान्य प्रारक्षित निधि में अन्तरित					8,000.00	(8,000.00)		-
बॉण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से अन्तरित			(1,364.63)			1,364.63		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि में अन्तरित				318.15		(318.15)		-
स्व बीमा प्रारक्षित निधि से अन्तरित				(104.55)	104.55	-		-
अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2021–22						(1,569.48)		(1,569.48)
अन्तरिम लाभांश वित्त वर्ष 2022–23						(6,975.45)		(6,975.45)
अन्य समायोजन						(3.75)	3.44	(0.31)
31 मार्च 2023 को	**9.88**	**7,834.43**	**4,168.17**	**1,088.46**	**58,534.81**	**4,043.48**	**371.61**	**76,050.84**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

प्रारक्षित निधि व अधिशेष के प्रकार व लेन देन के लिये के टिप्पणी सं 22 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन

कृते सागर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0 03510एस

कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010

कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू

सीए पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या 520928

सीए अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या 205468

सीए अविलास अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या 062668

सीए सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ एवं विनियामक आस्थागन लेखा शेष	**19,085.34**	**17,453.05**
जोड़ें : विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ (कर निवल)	(571.39)	248.57
जोड़ें : विनियामक आस्थगन कर शेष में निवल घट–बढ़ पर कर	(120.97)	52.63
कर पूर्व निवल लाभ (विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट–बढ़ सहित)	**18,392.98**	**17,754.25**
निम्न हेतु समायोजन :		
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	13,095.27	13,333.38
सहायता अनुदानों से अंतरण	(311.41)	(315.33)
आस्थगित राजस्व–मूल्यहास के प्रति अग्रिम	(130.24)	(151.56)
प्रावधान	70.96	37.65
लाभ अथवा हानि के जरिए वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	(15.71)	(27.90)
इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों के निवल लाभों का हिस्सा	19.55	82.12
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बटटे खाते में डालने पर निवल हानि	19.99	22.09
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसम्पत्ति	415.85	(159.19)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय	(273.94)	1,116.10
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	692.36	(301.20)
वित्त लागत	8,772.75	9,633.94
पुनरांकित प्रावधान	(114.05)	(29.93)
एफईआरवी हानि	41.97	268.20
एफवीपीएल में पाए गए वर्तमान निवेश के उचित मूल्य में बिक्री/परिवर्तन पर लाभ	(9.46)	-
संयुक्त उद्यमों, पीजीइनविट आदि को जमाओं, बांड, ऋणों पर ब्याज आय	(385.18)	(220.11)
अधिभार आय	(145.96)	(181.98)
वित्तीय पट्टे से लाभ	(439.86)	(241.34)
लाभांश आय	(78.80)	(111.92)
	21,224.09	**22,753.02**
परिसम्पत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**39,617.07**	**40,507.27**
परिसम्पत्तियों एवं देयत्ताओं में परिवर्तन हेतु समायोजनः		
माल सूचियों में (वृद्धि)/कमी	(60.42)	14.13
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	3,602.36	(2,120.17)
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3,216.98)	4,505.92
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	211.06	(382.13)
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(331.35)	(6.34)
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	848.49	537.23
	1,053.16	**2,548.64**
प्रचालनों से उत्पन्न नकदी	**40,670.23**	**43,055.91**

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संदत्त प्रत्यक्ष कर	(3,380.73)	(2,853.04)
प्रचालन कार्यकलापों से निवल नकदी	**37,289.50**	**40,202.87**
ख. निवेशकारी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा कार्यशील पूंजी (पूंजीगत व्यय हेतु अग्रिम सहित)	(11,403.74)	(8,242.63)
अनुदान की प्राप्ति	0.29	0.35
म्युचुअल फंड में निवेश	(2,080.00)	-
म्युचुअल फंड की बिक्री	1,483.92	-
संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं अन्य में निवेश	(369.61)	(1.66)
संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम (चुकौती सहित)	(94.71)	-
वित्तीय पट्टे से प्राप्त राशियां	480.26	180.46
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	(1,928.56)	327.51
संयुक्त उद्यमों एवं पीजीइनविट आदि को जमाओं, बाण्डों एवं ऋणों पर प्राप्त ब्याज	349.11	206.19
प्राप्त अधिभार	301.49	201.85
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश	68.36	77.76
अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	78.80	111.92
निवेशकारी कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	**(13,114.39)**	**(7,138.25)**
ग. वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
गैर–चालू उधारियों से प्राप्ति	8,053.00	9,140.44
गैर–चालू उधारियों की चुकौती	(13,440.72)	(15,540.65)
चालू उधारियों से लाभ/की चुकौती	70.91	(6,857.62)
पट्टा देयताओं की चुकौती (ब्याज सहित)	(9.63)	(8.86)
वित्तीय लागत का भुगतान	(9,356.86)	(8,637.94)
लाभांश का भुगतान	(11,218.85)	(8,544.93)
बोनस शेयर की जारी हेतु प्रदत्त व्यय	(1.18)	-
वित्तीय कार्यकलापों प्रयुक्त में निवल नकदी	**(25,903.33)**	**(30,449.56)**
घ. नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	(1,728.22)	2,615.06
ड. नकदी एवं नकदी समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	5,192.17	2,577.11
च. नकदी एवं नकदी समतुल्य (अन्त शेष) (टिप्पणी सं.15 देखें)*	**3,463.95**	**5,192.17**

संलग्न टिप्पणियां (1 से 68) वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग हैं।

* इसमें नामोदिष्ट खाते में रखा गया ₹622.93 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹1048.54 करोड़) शामिल है, जो समूह के इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी

1. नकद एवं नकदी समतुल्य राशियों में चेक, ड्राफ्ट, हस्तगत स्टाम्प, बैंकों में शेष और तीन माह तक की मूल परिपक्वता के साथ जमा राशियां शामिल हैं।
2. पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
3. वित्तीय कार्यकलापों से उत्पन्न देयताओं के लिए तुलनपत्र में प्रारंभिक शेष एवं अन्त शेषों के बीच लेखा मिलान।

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2023 को	66.30	128,851.49	2,622.61
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(9.63)	(14,298.54)	70.91
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	10.92		
– उधारियों पर ब्याज		8,865.07	
– विनिमय दर में परिवर्तन		247.92	
–– उचित मूल्य समायोजन		(3.96)	
31 मार्च, 2024 को	**67.59**	**123,661.98**	**2,693.52**

(₹ करोड़ में)

विवरण	वित्तीय पट्टा उत्तरदायित्व	गैर–चालू उधारी#	चालू उधारी
1 अप्रैल, 2022 को	30.36	132,147.04	9,480.23
वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह	(8.86)	(14,514.55)	(6,857.62)
निम्न के कारण गैर–नकदी परिवर्तनः			
– वित्तीय पट्टे के तहत समायोजन/अधिग्रहण	44.80		
– उधारियों पर ब्याज		8,285.51	
– विनिमय दर में परिवर्तन		2,929.84	
–– उचित मूल्य समायोजन		3.65	
31 मार्च, 2023 को	**66.30**	**128,851.49**	**2,622.61**

गैर–चालू उधारियों की चालू परिपक्वता और उन पर प्रोद्भूत ब्याज सहित

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास
कंपनी सचिव

जी. रविशंकर
निदेशक (वित्त)
डीआईएनः 08816101

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	**कृते सागर एंड एसोसिएट्स**	**कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**	**कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515ड्ब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024
स्थानः मुम्बई

समेकित वित्तीय विवरणों हेतु टिप्पणियां

1. समूह से संबंधित सूचना

पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (श्कंपनीश्) एक सार्वजनिक कम्पनी है, जो कम्पनी अधिनियम के उपबंधों के तहत भारत में स्थापित एवं निगमित है और इसके शेयर भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय बी–9, कूतुब संस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत में स्थित है और इसका कारपोरेट कार्यालय सौदामिनी, प्लॉट नं., 2, सेक्टर, 29, गुडगांव, हरियाणा में स्थित है।

कम्पनी विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित है। यह मुख्य रूप से अन्तर–राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएम) ; दूरसंचार एवं परामर्शी सेवाओं की योजना बनाने, इसे लागू करने, प्रचालन तथा रखरखाव का कार्य करती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरण 22 मई, 2024 को निदेशक–मण्डल द्वारा जारी करने हेतु अनुमोदित किए गए थे।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश नीचे दिया है। यह लेखाकरण नीतियां प्रस्तुत सभी अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों में समान रूप से अपनायी गई हैं। समूह के समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों मे समूह के हित शामिल हैं।

2.1 तैयार करने का आधार

i) भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन

समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमद्ध की धारा 133, कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 और कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिसूचित सीमा में) के संगत उपबंधों, कंपनी अधिनियम, 1956 और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंध, प्रत्येक मामले में अनुप्रयोज्य सीमा में तथा इसके बाद यथा–संशोधित रूप में अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक (भा. ले. मा.) के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

ii) मूल्यांकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और निम्नलिखित को छोड़कर, मूल लागत परिपाटी आधार पर तैयार किया गया है और उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है:

- उचित मूल्य पर मूल्यांकित कुछेक वित्तीय परिसंपत्तियां एवं देयताएं (वित्तीय लिखतों के संबंध में लेखाकरण नीति की टिप्पणी 2.14 को देखें);
- निर्धारित लाभ योजनाएं – उचित मूल्य पर मूल्यांकित योजना परिसंपत्तियां।

iii) कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए में (रुपए अथवा रू) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं प्रस्तुतीकरण करेंसी है और सभी राशियों को निकटतम करोड़ में और उसके दो दशमलव में पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय अन्यथा उल्लिखित राशि के।

iv) अनुमानों का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमान और पूर्वानुमान अपेक्षित हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व एवं खर्चों की उल्लिखित राशि को दशति हैं। यद्यपि, ऐसे अनुमान और पूर्वानुमान समस्त उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए उचित एवं तर्कसंगत आधार पर किए जाते हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों एवं मूलाधार पूर्वानुमानों की सत्तत आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों के संशोधन को उस अवधि में स्वीकार किया जाता है जिस अवधि में अनुमान को संशोधित किया जाता है, यदि संशोधन केवल उस अवधि में अथवा संशोधन की अवधि में और भावी अवधि में किया जाता है, तो संशोधन चालू एवं भावी, दोनों वर्षों में किया जाता है, (महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुमानों, पूर्वानुमानों एंव समायोजनों के लिए टिप्पणी–3 को देखें।)

v) चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण

समूह चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में प्राप्तियों एवं देयताओं को दर्शाता है।

परिसंपत्ति तब चालू होती है जब इसेः

- क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो अथवा सामान्य प्रचालन चक्र में बेचे जाने अथवा उपभोग में लाये जाने की उम्मीद हो;
- मुख्य रूप से कारोबार करने के प्रयोजनार्थ रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर क्रियान्वित किए जाने की उम्मीद हो; अथवा
- नकदी एवं नकदी समतुल्य, जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान हेतु विनियमित अथवा प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

देयता तब चालू होती है, जब :

- सामान्य प्रचालन तरीके में इसे निपटाया जा सकता हो;
- इसे मुख्य रूप से कारोबार के प्रयोजनार्थ रखा गया हो;
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर निपटाया जाना निर्धारित हो; अथवा
- इसमें रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो।

अन्य सभी देयत्ताओं को गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को गैर चालू रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

समूह बारह माह की अवधि को इसकी रिपोर्टिंग चक्र के रूप में स्वीकार करती है।

2.2 समेकन और इक्विटी लेखांकन का सिद्धांत

सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियाँ वे संस्थाएँ हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह संस्था के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय प्रतिलाभ के संपर्क में आता है, या उसका अधिकार रखता है और संस्था की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिलाभ को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। समूह को नियंत्रण हस्तांतरित होने की तिथि से सहायक कंपनियाँ पूरी तरह से समेकित हो जाती हैं। वे नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से विघटित हो जाते हैं।

लेखांकन की अधिग्रहण विधि का उपयोग समूह द्वारा व्यवसाय संसर्ग के लेखांकन हेतु किया जाता है।

समूह सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की मदों को एक साथ शामिल करके समेकित करता है। अंतर–समूह लेनदेन, कंपनियों के बीच लेनदेन पर शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो जाते हैं। जब तक लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का साक्ष्य नहीं होता, तब तक अवास्तविक घाटे को भी समाप्त कर दिया जाता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएएस) 110 'समेकित वित्तीय विवरण' और भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएएस) 28 'सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

संयुक्त व्यवस्था

इंड एस 111 संयुक्त व्यवस्था के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकार और दायित्वों पर निर्भर करता है। समूह में केवल संयुक्त उद्यम हैं।

संयुक्त उपक्रम

संयुक्त उद्यमों में हित को शुरू में समेकित तुलनपत्र में लागत पर मान्य करने के बाद, इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखांकित किया जाता है।

इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेश को शुरू में लागत पर मान्य किया जाता है और उसके बाद लाभ और हानि के विवरण में निवेशित कंपनी के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह की हिस्सेदारी और निवेशिती कंपनी की अन्य व्यापक आय में समूह की हिस्सेदारी को मान्य करने के लिए अन्य व्यापक आय में समायोजित किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाना जाता है।

जब इक्विटी पद्धति के तहत किए गए निवेश में समूह के घाटे का हिस्सा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य सहित इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान को मान्य नहीं करता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम संस्थाओं की ओर से दायित्व वहन नहीं किया हो या भुगतान नहीं किया हो।

समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेनदेन पर अप्राप्त लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। जब तक लेन–देन में हस्तांतरित संपत्ति की हानि का साक्ष्य नहीं दिया जाता तब तक अवास्तविक घाटे को भी समाप्त कर दिया जाता है। जहां आवश्यक हो, इक्विटी में लेखांकित निवेशितियों की लेखांकन नीतियों को परिवर्तित किया जाता है।

समेकन में सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरण समूह की रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार ही तैयार किए जाते हैं।

स्वामित्व हितों में परिवर्तन

जब समूह नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण के नुकसान के कारण इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को समेकित करना या उसका लेखांकन करना बंद कर देता है, तो संस्था में प्रतिधारित ब्याज लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। एक सहयोगी कंपनी या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में प्रतिधारित ब्याज के बाद के लेखांकन के उद्देश्य से उचित मूल्य, प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है।

लेखांकन नीतियों में अंतर और उस पर प्रभावः

कुछ मदों के लिए समूह और संयुक्त उद्यम संस्थाओं ने

अलग–अलग लेखांकन नीतियों का पालन किया है। तथापि, इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

2.3 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने का विकल्प चुना था, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें परिसंपत्ति को आवश्यक स्थान एवं स्थिति में लाने तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रेत तरीके में इसे प्रचालन हेतु सक्षम बनाने के लिए पर प्रत्यक्ष रूप से व्यय कोई लागत शामिल है। शुरूआती स्वीकरण के बाद सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को लागत घटा संचित मूल्यहास/आशोधन एवं संचित अनर्जक क्षति, यदि कोई हो, पर पूरा किया जाता है।

अधिकृत परिसंपत्तियों, निक्षेप कार्यों/लागत–जमा संविदा सहित लागत के मामले में, जहां ठकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी किया जाना है, वहां पूंजीकरण अंतिम निपटान वर्ष में आवश्यक समायोजनों के अधीन अस्थायी आधार पर किया जाता है।

एक से अधिक ट्रांसिशशन सिस्टम के लिए सामान्य परिसंपत्तियों एवं सिस्टमों को तकनीकी अनुमानों/निर्धारणों के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार रूप में समझा जाता है और त्तदनुसार पूंजीकृत किया जाता है। हालाँकि, सहायक कंपनियों के मामले में, ट्रांसमिशन सेवा करार (टीएसए) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ट्रांसमिशन सिस्टम परिसंपत्तियों को इच्छित उपयोग के लिए तैयार माना जाता है और तद्नुसार पूंजीकृत किया जाता है।

भूमि की लागत में, जहां कहीं भी भूमि का स्वामित्व लिया गया हो, अस्थायी जमा राशियां, क्षतिपूरण के संबंध में भुगतान/देयताएं, पुनर्वास एवं अन्य व्यय शामिल हैं।

भूमि को समतल करने, साफ करने तथा ढाल बराबर करने पर व्यय को संबंधित भवनों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जिनकी लागत ₹5,00,000/– और अधिक हो, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की स्वीकरण मापदण्ड को पूरा करते हों, को पूंजीकृतत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कुछ वस्तुओं का अधिग्रहण या निर्माण, हालांकि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी विशेष मौजूदा वस्तु के भविष्य के आर्थिक लाभों को सीधे नहीं बढ़ा रहा है, कंपनी को अपनी अन्य परिसंपत्तियों से भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनुवर्ती लागतें

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्तियों की रखरखाव लागत में, जब भी यह संभव हो, कि उपगत लागत से प्राप्त हो रहे भावी आर्थिक लाभ, समूह को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता हो, वृद्धि के रूप में स्वीकार किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद के भाग को बदलने की लागत को मद की रखरखाव लागत में स्वीकार किया जाता है, यदि यह संभव हो कि भाग के अन्तर्गत भावी आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होंगे और इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से मूल्यांकित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि को मान्यता से हटा दिया जाता है। यदि प्रतिस्थापन भाग या पहले की निरीक्षण घटक की लागत उपलब्ध नहीं है, तो एक जैसे नए भागों/निरीक्षण घटक की अनुमानित लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में कियी जाता है किमद के अधिग्रहण या निरीक्षण किए जाने पर मौजूदा भाग/निरीक्षण घटक की लागत क्या थी।

संपत्ति, संयत्र और उपकरण की दिन–प्रतिदिन की चुकौती की लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

अमान्यकरण

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मद को तब अमान्य किया जाता है जब उनके इस्तेमाल से अथवा निपटान करने पर कोई आगामी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान अथवा निष्कासन पर उत्पन्न अभिलाभ अथवा हानि को निवल निपटान प्राप्तियों एवं सम्पत्ति की रखाव लागत्त के बीच अन्तर के रूप में निर्धारित किया जाता है और अमान्यकरण की तारीख को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

2.4 कार्यशील पूंजी (सीडब्ल्यूआईपी)

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण के लिए उपगत सामग्री लागत, निर्माण व्यय एवं अन्य खर्चों को निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर पूंजीकरण की तारीख तक सीडब्ल्यूआईपी में दर्शाया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निर्माण हेतु निर्धारित कारपोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं परियोजनाओं के व्यय की पहचान की जाती है और संबंधित परिसंपत्तियों के लागत हेतु एक व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

उपरोक्त नीति के अनुसार निर्माण हेतु आबंटित निर्माण के दौरान ब्याज एवं व्यय (निवलद्ध को सीडब्ल्यूआईपी के तहत एक अलग मद के रूप में रखा जाता है और सीडब्ल्यूआईपी

के अंत शेष के समानुपात में पूंजीकृत किए गए परिसंपत्तियों में संविभाजित किया जाता है।

निक्षेप कार्यों/संविदा सहित लागत को ठेकेदारों से प्राप्त विवरण अथवा पूरे किए गए कार्य के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

संविदाओं के मामले में मूल्य परिवर्तन/विनिमय दर परिवर्तन संबंधी अनिष्पादित देयता को संविदाओं के अनुसार अनुमानित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

2.5 अमूर्त परिसंपत्तियां और निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

भारतीय लेखाकरण मानक में (1 अप्रैल, 2015) पारगमन की तारीख को समूह ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के रखरखाव मूल्य पर विचार किया है, जो भारतीय लेखाकरण मानक 101 ''भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बारगी स्वीकण'' के अनुसार मानित लागत है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत पर आरम्भिक स्वीकरण पर किया जाता है। आरंभिक स्वीकरण के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत घटा किसी संचित परिशोधन एवं संचित अपसामान्य क्षतियों से पूरा किया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर परवर्ती व्यय को तब पूंजीकृत किया जाता है, जब यह मौजूदा परिसंपत्ति में सन्निहित आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ाता है और उत्तरव्यापी रूप से परिशोधित होता है।

आन्तरिक इस्तेमाल हेतु प्राप्त साफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है) तथा इसके नतीजातन महत्त्वपूर्ण आगामी आर्थिक लाभों को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जब यह इस्तेमाल के लिए तैयार हो।

ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने के लिए मार्गाधिकार प्राप्त करने हेतु वनरोपण खर्चों को संबंधित ट्रांसिमशन लाइनों के पूंजीकरण की तारीख को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

शीर्ष अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण हेतु मान्य उपगत्त व्यय को तब तक ''निर्माणाधीन अमूर्त परिसंपत्ति'' के रूप में माना जाता है जब तक ऐसी परिसंपत्तियां अपने अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों।

अनुसंधान संबंधी व्यय को व्यय के रूप में तभी स्वीकार किया जाता है जब यह उपगत हो।

विकास संबंधी व्यय को आअमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तभी स्वीकार किया जाएगा, यदि यह लेखाकरण मानक 38 ''अमूर्त परिसंपत्ति'' के अनुसार पात्रता मापदण्ड को पूरा करता हो अन्यथा इसे व्यय के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

अमूर्त परिसंपत्ति की मद को निपटान पर अमान्य किया जाता है अथवा तब अमान्य किया जाता है जब इसके इस्तेमाल अथवा निपटान से आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। अमूर्त परिसंपत्ति के अस्वीकरण से उत्पन्न अभिलाभों अथवा हानियों का मूल्यांकन निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्ति की रखरखाव राशि के बीच अन्तर के रूप में किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में तब स्वीकार किया जाता है जब परिसंपत्ति आमान्य हो।

2.6 निवेश परिसम्पत्ति

भारतीय लेखाकरण मानक (1 अप्रैल, 2015) में अंतरण की तारीख को, समूह ने सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रख–रखाव मूल्य पर पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार विचार करने की सोची थी, जिसे भारतीय ले.मा. 101 ''भारतीय लेखाकरण मानक का प्रथम बार स्वीकरण'' के अनुसार लागत समझा जाता है।

निवेश परिसम्पत्ति में उस भूमि और अथवा भवन के भाग शामिल हैं, जिन्हें दीर्घ अवधि किराया मुनाफा के लिए और, अथवा मूल्य वृद्धि के लिए रखा जाता है।

निवेश सम्पत्तियों का मूल्यांकन शुरूआती तौर पर लागत पर किया जाता है जिसमें, लेनदेन लागत शामिल होता है। शुरूआती स्वीकरण के बाद, निवेश सम्पत्तियों को लागत घटा संचित मूल्यह्रास और संचित अपसामान्य क्षति, यदि कोई हो, से पूरा किया जाता है।

निवेश सम्पत्ति से अथवा उसमें हस्तान्तरण तभी किया जाता है जब प्रयोग में कोई बदलाव हो। अर्थात जब कोई परिसंपत्ति निवेश संपत्ति की परिभाषा को पूरा करती है या पूरा करना बंद कर देती है और उसके उपयोग में परिवर्तन का साक्ष्य होता है।

निवेश सम्पत्तियों को तब अमान्य किया जाता है, जब या तो उनका निपटान किया गया हो या फिर जब उन्हें इस्तेमाल से पूरी तरह से हटाया गया हो और उनके निपटाने से कोई आगामी आर्थिक लाभ संभव न हो। निवल निपटान प्राप्तियों एवं परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत के बीच अन्तर को अमान्य अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में मान्य किया जाता है।

2.7 मूल्यह्रास/परिशोधन

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास/परिशोधन सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का पालन करते हुए टैरिफ की वूसली के प्रयोजनार्थ सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है और दूरसंचार, परामर्शी व्यवसाय और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट उपयोगी अवधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध है, इसमें निम्नलिखित पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं।

01 अप्रैल, 2014 से पहले अधिकृत यूएलडीसी परिसंपत्तियों को 6.67% प्रति वर्ष की दर पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है। 01 अप्रैल, 2014 को अथवा इसके बाद अधिकृत्त ऐसी परिसंपत्तियों को टैरिफ की

वसूली के प्रयोजनार्थ सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली का अनुपालन करते हुए सीधी कटौती प्रणाली आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), नॉर्थ–ईस्टन इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसईईपीसीओ), 1 अप्रैल, 1992 संस्थानांतरित नेमवली लिगनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएलसी), 1 अप्रैल, 1993 से जम्मू एवं कश्मीर लाईन तथा 01 अगस्त, 1993 से टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मामले में मूल्यहास को सकल ब्लॉक के आधार पर, जैसा कि आवश्यक समायोजनों के साथ अन्तरणकर्त्ता के बहियों में इंगित है, प्रभारित किया जाता है, ताकि टैरिफ हेतु सीईआरसी की अधिसूचना में यथा–निर्धारित परिसंपत्तियों की कार्य अवधि को बनाए रखा जा सके।

अतिरिक्त पुर्जा, आपात उपयोगी उपकरण और सर्विसिंग उपकरण, जो पूंजीकृत हों, पर मूल्यहास उस तारीख से सीधी कटौती प्रणाली आधार पर उपलब्ध होता है, जिस तारीख को वे सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद पारेषण कारोबार की संबंधित परिसंपत्तियों के बाकी उपयोगी कार्यअवधि पर प्रयोग हेतु उपलब्ध होते हैं।

निम्नलिखित संपत्तियों, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर किया गया है।

विवरण	उपयोगी कार्यअवधि
क) कम्प्यूटर एवं बाह्य सामान	3 वर्ष
ख) सर्वर एवं नेटवर्क संघटक	5 वर्ष
ग) टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों की पीपीई	
भवन	35 वर्ष
पारेषण लाइन	35 वर्ष
सबस्टेशन उपकरण	35 वर्ष

उपरोक्त (क) और (ख) में दी गई परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को शून्य रूप में समझा जाता है।

मोबाइल फोन खरीद वर्ष में प्रभारित होते हैं।

रू 5000/– अथवा कम की लागत के अचल परिसंपत्तियों को अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है।

जहां; अवमूल्यनीय सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की लागत में विनिमय पर घट–बढ़, मूल्य समायोजन, शुल्कों अथवा सदृश कारकों में परिवर्तन के कारण दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों में वृद्धि/कमी के कारण परिवर्तन किया गया हो, वहां, ऐसे परिसंपत्ति के अपरिशोधित शेष को उत्तरव्यापी रूप से सीईआरसी टैरिफ विनियमनों द्वारा यथा–विनिर्दिष्ट दरों पर एवं कार्य प्रणाली पर मूल्यहसित किया जाता है, इसमें दूरसंचार एवं परामर्श कारोबार परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं, जहां अवशिष्ट अवधि को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी कार्य अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर मूल्यहास को उस तारीख से/उस तारीख तक समानुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

ट्रांसमिशन कारोबार से संबंधित परिसंपत्तियों से भिन्न परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास के अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी कार्य अवधि एवं विधियों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पुनरीक्षा की जाती है और जहां कहीं अपेक्षित हो, उत्तरव्यापी रूप से समायोजित किया जाता है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार परिसम्पत्तियों का पट्टा प्रारंभ तिथि से पट्टा अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर पूरी तरह से ह्रास किया जाता है।

लीजहोल्ड भूमि को सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन में निर्दिष्ट दरों और कार्यप्रणाली के अनुसार लीज अवधि या संबंधित संयंत्र के जीवन जो भी कम हो, पर पूरी तरह से परिशोधित्त किया जाता है। स्थायी पट्टे पर अधिग्रहित लीजहोल्ड भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को शून्य अपशिष्ट मूल्य के साथ कानूनी प्रयोगाधिकार अथवा 3 वर्ष, जो भी कम हो, पर परिशोधित किया जाता है।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों को छोड़कर, वनारोपण खर्चों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) टैरिफ विनियमन द्वारा अधिसूचित दरों एवं कार्यप्रणाली के बाद संबंधित पारेषण परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्ष में परिशोधित किया जाता है।

टीबीसीबी प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत सहायक कंपनियों से संबंधित वनारोपण प्रभार अवशिष्ट मूल्य के साथ ऋजुरेखीय पद्धति का पालन करते हुए संबंधित ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की तारीख से पैंतीस वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

दूरसंचार लाइसेंसों को उनके संबंधित उपयोगी कार्यअवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर परिशोधित किया जाता है।

1200 केवी ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास पर व्यय को 10 वर्ष की अवधि पर परिशोधित किया जाएगा।

वर्ष के दौरान अमूर्त परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/इसमें से कटौतियों पर परिशोधन को उस तारीख से/उस तारीख तक यथा–अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है, जिस तारीख को परिसंपत्ति प्रयोग/निपटान हेतु उपलब्ध हो।

अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि एवं परिशोधन विधि की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पुनरीक्षा की जाती और भारतीय लेखाकरण मानक–8 ''लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण

अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन'' के अनुसार लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

2.8 उधारी लागत

सभी उधार लिए गए निधियों को (कार्यषील पूंजी के लिए अल्प अवधि निधियों को छोड़कर) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए उदिदष्ट किया जाता है। उधारी लागतों को (जिसमें बॉण्ड निर्गम व्यय, ब्याज, बाण्डों पर छूट, ऋण संबंधी प्रारंभिक शुल्क, गारंटी शुल्क, प्रबंधन शुल्क, आदि शामिल हैं) इस तरह उदिदष्ट निधियों के समानुपात में परियोजनाओं को आबंटित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा उधार से प्राप्त विनिमय भिन्नता को ब्याज लागत में समायोजन किया जाता है और उधार लागत के रूप में माना जाता है।

मान्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण से सीधे आबद्ध उधारी लागतों को (निधियों के अस्थायी रूप से नियोजन पर आय का निवल) ऐसी परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है, जब तक परिसंपत्तियां अभिप्रेत इस्तेमाल के लिए तैयार न हों। मान्य परिसंपत्तियां वे परिसंपत्तियां हैं, जो अपने अभिप्रेत प्रयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेते हैं।

अन्य उधारी लागतों को लाभ व हानि विवरण में दिखाया गया है जिस अवधि में वे व्यय किये गये।

2.9 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कम्पनी की गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में यह निर्धारित करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि भारतीय लेखाकरण मानक–36 ''परिसंपत्तियों की क्षति'' के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए क्षति का कोई संकेतन हो, तब परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि अनुमानित होती है।

परिसंपत्ति अथवा नकदी उत्पादक यूनिट की वसूलीयोग्य राशि इसके उचित मूल्य घटा निपटान लागत और इसके प्रचलित मूल्य से अधिक होती है। प्रचलित मूल्य के निर्धारण में, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह, पूर्व कर छूट दर का प्रयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य में छूटप्राप्त होता है जो राशि के समय मान और परिसंपत्ति के जोखिम विशेष के चालू बाजार निर्धारण ों को दर्शाता है। अपसामान्य जांच के प्रयोजनार्थ परिसंपत्तियों को, जिनकी अलग–अलग रूप में जांच नहीं की जा सकती है, छोटे–छोटे परिसंपत्ति समूह में एक साथ समूहित किया जाता है, जो निरन्तर प्रयोग से नकदी अन्तर्प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जो द्सरे परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्ति समूहों (नकदी उउत्पादक यूनिट'' अथवा ''सीजीयू') के नकदी अन्तप्रवाहों में अत्यधिक स्वतंत्र हैं।

नकदी अन्तर्प्रवाह में अपसामान्य क्षतियों को तब मान्य किया जाता है, यदि परिसंपत्ति अथवा इसके सीजीयू की रखरखाव राशि इसकी अनुमानित वसूलनीय राशि से अधिक हो। अपसामान्य हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। सीजीयू के संबंध में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को सीजीयू के परिसंपत्तियों की रखरखाव राशियों से कम किया जाता है।

पूर्व अवधियों में स्वीकृत अपसामान्य हानियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में इन संकेतनों के लिए निर्धारित किया जाता है कि हानि कम हुई है अथवा अधिक समय तक नहीं रहती है। अपसामान्य हानि को लौटाया जाता है, यदि वसूलनीय राशि के निर्धारण हेतु प्रयुक्त अनुमानों में बदलाव किया गया हो। अपसामान्य हानि को सिर्फ उसी सीमा में लौटाया जाता है जिस सीमा में परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि उस रखरखाव राशि से, जिसे निर्धारित किया जाएगा, निवल मूल्यह्रास अथवा परिशोधन, यदि अपसामान्य हानि को मान्य नहीं किया गया था, अधिक न हो।

2.10 नकदी एवं नकदी समतुल्य

नकदी एवं नकदी समतुल्य में हस्तगत नकदी और बैंक में जमा राशि तथा मांगने पर बैंकों में रखी जमा राशियां, जिनकी परिपक्वता अवधि अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा कम है, जिन्हें सहजता से एक ज्ञात नकदी राशि में परिवर्तित किया जाता है और मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अध्यधीन हो, शामिल हैं।

2.11 मालसूचियां

मालसूचियों को भारित औसत आधार पर निर्धारित निम्नतर लागत पर एवं निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

अतिरिक्त पुर्जे, जो सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य मापदण्ड को पूरा नहीं करते हैं, जिनकी लागत रु 5,00,000 से कम है, को मालसूचियों के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

प्रबंधन द्वारा यथा–निर्धारित अतिरिक्त सामग्री को अभिप्रेत प्रयोग के लिए रखा जाता है और मालसूची में शामिल किया जाता है।

अप्रचलित/अनुप्रयोज्य और अतिरिक्त सामानों एवं अतिरिक्त पुर्जों की मूल्य में कमी का पुनरीक्षा पर पता लगाया जाता है और उपलब्ध कराया जाता है।

2.12 पट्टे

पट्टा एक अनुबंध है जिसमें एक निश्चित अवधि के लिये किसी विशिष्ट परिसंपत्ति का प्रयोगाधिकार निहित होता है।

किसी भी अनुबंध में प्रयोगाधिकार का आकुलन करने के लिये समूह सुनिश्चत करता है कि : (i) निर्धारित परिसंपत्ति में प्रयोगाधिकार निहित है। (ii) पट्टे की अवधि के दौरान केता को काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ निहित हैं। (iii) क्रेता को परिसंपत्ति का उपयोगाधिकार प्रत्यक्ष रूप से मिला है।

i) पट्टादाता के रूप में

पट्टे के शुरू होने की तारीख में, समूह उपयोग के अधिकार की संपत्ति (आरओयू) और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए एक समान पट्टा दायित्व को पहचानता है, जिसमें वह एक पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम की अवधि के पट्टे को छोड़कर

(यानी अल्पकालिक पट्टे) और पट्टे जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है। इन अल्पकालिक और पट्टों के लिए, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, समूह पट्टे की अवधि के दौरान सीधी–रेखा के आधार पर पढट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

कतिपय लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि की समाप्ति से पहले लीज को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल हैं। आरओयू की संपत्ति और लीज देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, बहाली दायित्वों के साथ या पट्टे की स्थापना तिथि से पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता के प्रारंभिक माप की राशि और प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन शामिल होती है।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार की संपत्ति को किसी भी संचित मूल्यह्रास, संचित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है और पट्टा देयता के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। समूह यह निर्धारित करने के लिए इंड एएस 36 लागू करता है कि क्या आरओयू परिसंपत्ति खराब है और 'गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि' पर लेखांकन नीति 2.9 में वर्णित किसी भी पहचान की गई हानि के लिए जिम्मेदार है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जो उस तिथि पर भुगतान नहीं किए जाते हैं।

लीज देयता पर ब्याज लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है, जब तक कि ''उधार लागत' पर लेखांकन नीति 2.8 के अनुसार पूंजीकरण के लिए पात्र न हो।

लीज देयता और आरओयू परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण ों में अलग से प्रस्तुत किया गया है और लीज भुगतानों को वित्तीय नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में

एक पट्टे को स्थापना तिथि पर वित्त पट्टे या एक परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क) वित्त पट्टे

एक पट्टा जो एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है, उसे वित्त के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्टेट सेक्टर यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर (यूएलडीसी)/ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन एसेट्स (एफओसी)/ द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां जो लाभार्थियों को लीज पर दी गई हैं, उन्हें फाइनेंस लीज माना जाता है। ऐसी पट्टे पर दी गई संपत्ति में शुद्ध निवेश को पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के निचले स्तर पर प्राप्य के रूप में दर्ज किया जाता है और बाद के वर्षों में वृद्धि के साथ न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य वर्तमान और गैर–वर्तमान अन्य वित्तीय के तहत लीज प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है। जहां कहीं भी राज्य क्षेत्र यूएलडीसी के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्राप्त होता है, ऐसे अनुदान के निवल लीज की गणना की जाती है।

लीज के ब्याज तत्व को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ के अनुसार निवल निवेश पर रिटर्न की निरंतर आवधिक दर को दशनि वाले पैटर्न के आधार पर लीज अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

पट्टे पर दी गई आस्तियों से संबंधित विदेशी मुद्रा ऋणों पर रोटो एफईआरवी को लीज प्राप्तियों की राशि में समायोजित किया जाता है और पट्टे की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है। घटकों से एफईआरवी वसूली (सीईआरसी मानदंडों के अनुसार) ऐसी परिशोधन राशि के निवल मान्यता प्राप्त है।

ख) प्रचालनात्मक पट्टा

प्रचालनात्मक पट्टा एक वित्त पट्टे के अलावा एक पट्टा है। पट्टे जिसमें जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पट्टेदार द्वारा बरकरार रखा जाता है, को परिचालन पढट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिचालन पहट्टों के लिए, संपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और इसके आर्थिक जीवन पर मूल्यहास किया जाता है। परिचालन पढट्टे से किराये की आय को व्यवस्था की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है।

2.13 कर्मचारी हितलाभ

2.13.1 निर्धारित अंशदान योजना

निर्धारित अंशदान योजना एक नियोजन उपरांत लाभ योजना है, जिसके तहत कम्पनी अलग ईकाइयों (निधि) को निश्चित अंशदान अदा करती है और इसमें और अंशदान अदा करने के लिए कानूनी अथवा रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी, यदि निधि में चालू एवं पूर्व अवधियों में कर्मचारी सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी लाभों को अदा करने के लिए पर्याप्त परिसंपत्तियां नहीं रखता हो। निर्धारित अंशदान योजनाओं में अंशदान की बाध्यता को उस अवधि में जिस अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई हों, लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

समूह की एक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना है, जिसे एक अलग न्यास के जरिए नियंत्रित किया जाता है। समूह की

बाध्यता ट्रस्ट में ऐसी सीमा में जो मूल वेतन और महंगाई भत्ता छटा भविष्य निधि के संबंध में अंशदान, उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफद्ध अथवा कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के 30 प्रतिशत से अधिक न हो, अंशदान करना है। वर्ष हेतु निधि में किए गए अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित होता है।

2.13.2 निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ योजना निर्धारित अंशदान योजना से भिन्न एक नियोजनबाद लाभ योजना है। उपदान, सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सा सुविधा, सेवानिवृत्ति के बाद गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्ति पर दीर्घ सेवा पुरस्कार और भविष्य निधि अंशदान पर ब्याज देयता की सीमा में भविष्य निधि योजना के संबंध में समूह की देयता निर्धारित लाभ योजनाओं के स्वरूप में हैं।

उपदान समूह द्वारा वित्तपोषित होता है और अलग न्यास द्वारा व्यवस्थित होता है। समूह की सेवानिवृत्तिबाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और पति/पत्नी को समूह के पैनलीकृत अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वे समूह द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बाह्यरोगी के रूप में भी उपचार का लाभ ले सकते हैं।

समूह पूर्वनिर्धारित दरों पर एक अलग ट्रस्ट भविष्य निधि में निर्धारित अंशदान अदा करती है, जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वर्ष हेतु निधि में अंशदानों को व्यय के रूप में मान्य किया जाता है और लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह की बाध्यता ऐसे निर्धारित अंशदानों तक सीमित होती है और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर ब्याज की न्यूनतम दर को सुनिश्चित करने के लिए सीमित होती है।

समूह के अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए गृहनगर में व्यवस्थापन हेतु खर्चों के संबंध में बैगेज भत्तों के भुगतान हेतु और अधिवर्षिता पर कम्पनी के सभी नियमित कर्मचारियों को दीर्घ सेवा पुरस्कार प्रदान करने के लिए योजना है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह का निवल दायित्व प्रत्येक योजना के लिए अलग–अलग गणना करके किया जाता है, जिसमें कर्मचारी द्वारा वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के लिए अर्जित भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाया जाता है और उस लाभ्ज्ञ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है।

परिकलन को मान्य बीमांकन द्वारा प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोजन करते हुए वार्षिक रूप से पूरा किया जाता है। जब परिकलन के परिणाम समूह के हित में हों, तो मान्य परिसंपत्ति किन्हीं अमान्य पिछली सेवा लागतों और योजना के भावी अंशदानों में योजना कटौतियों से किसी भावी वापसियों के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होता है, यदि यह योजना के कार्यकाल के दौरान वसूलनीय हो अथवा प्लान देयताओं के निपटान पर वसूलनीय हो। किसी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानि को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, ओसीआई में मान्य किया जाता है।

जब योजना के लाभ संशोधित हों, तो कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित संवर्धित लाभ के भाग को औसत अवधि पर सीधी कटौती प्रणाली आधार पर, जब तक कि लाभ निहित न हो, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। इस सीमा में, कि लाभ तुरन्त प्राप्त हो, तो व्यय को लाभ एवं हानि विवरण में तुरन्त स्वीकार किया जाता है।

2.13.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हित लाभ

समूह के छुट्टी नकदीकरण और कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना के तहत लाभ अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी हितलाभ को संघटित करते हैं।

छुदटी नकदीकरण के संबंध में समूह की निवल देयता भावी लाभ की राशि होती है, जिसे कर्मचारियों ने चालू अथवा पूर्व अवधियों में अपनी सेवा के प्रतिफल में अर्जित की होती है; वह लाभ इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूटप्राप्त होता है। छूट दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार मुनाफों पर आधारित होती है, क्योंकि रिपोर्टिंग तारीख में, जो परिपक्वता तारीखें होती हैं, समूह की देयताओं की अवधि के लगभग होती हैं। परिकलन को प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट प्रणाली का प्रयोग करते हुए पूरा किया जाता है। किसी भी बीमांकन अभिलाभ अथवा हानियों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होती हैं, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

''समूह की कर्मचारी परिवार आर्थिक पुनर्वास योजना'' के अनुसार, जो वैकल्पिक है, कर्मचारी की मृत्यु होने पर अथवा स्थाई पूर्ण अशक्तता की स्थिति में, आश्रित(तों) अथवा कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, अंतिम भविष्य निधि और उपदान राशि को, जो ब्याजमुक्त होगी, जमा करने पर कर्मचारी की अधिवर्षिता की काल्पनिक तारीख तक कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि अदा की जाती है।

2.13.4 अल्पावधि लाभ

अल्प अवधि कर्मचारी हितलाभ देयताओं का मूल्यांकन अछूटप्राप्त आधार पर किया जाता है और व्यय किया जाता है, क्योंकि संबंधित सेवा उपलब्ध होती है।

देयता को निष्पादन संबंधित वेतन के तहत अदा किए जाने वाले प्रत्याशित राशि हेतु मान्य किया जाता है; यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि के भुगतान हेतु कोई वर्तमान कानूनी अथवा रचनात्मक देयता समूह की हो और देयता को विश्वसनीय रूप से आंकलित किया जा सकता है।

2.14 वित्तीय लिखतें

वित्तीय लिखित कोई संविदा है जो एक कम्पनी की वित्तीय परिसंपत्ति को और दूसरी कम्पनी की वित्तीय देयता अथवा इक्विटी लिखत को बढ़ाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

वर्गीकरण

समूह अपने वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- परिशोधित लागत पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर
- लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर

वर्गीकरण निम्नलिखित पर निर्भर करता है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए इकाई का व्यवसाय मॉडल और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ

आरंभिक स्वीकरण एवं मूल्यांकन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता है, जिन्हें लाभ अथवा हानि, लेनदेन लागत, यदि कोई हो, के जरिए उचित मूल्य में रिकॉर्ड नहीं किया गया हो, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में समझा जाता है। तथापि, ऐसे व्यापार प्राप्य, जिनमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक निहित नहीं होता है, को लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

परिशोधित लागत पर ऋण लिखतें: परिसंपत्तियों का, जिन्हें संविदात्मक नकदी प्रवाह को वसूली के लिए रखा गया हो, जहां वे नकदी प्रवाह को केवल मूल राशि एवं ब्याज के भुगतानों को दर्शाते हों, परिशोधित लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। ऋण निवेश पर अभिलाभ अथवा हानि, जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है, को लाभ अथवा हानि में तब मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को अमान्य अथवा अनर्जक माना गया हो। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए वित्त आय में शामिल किया जाता है।

अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत:

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने के लिए रखी गई संपत्तियां, जहां परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है, को उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण लिखत (एफवीपीएल):

ऐसी परिसंपत्तियां जो परिशोधन लागत या एफवीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एक ऋण साधन पर ब्याज आय और निवल लाभ या हानि जिसे बाद में एफवीपीएल में मापा जाता है, को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत किया जाता है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 ''वित्तीय लिखतें'' कार्य क्षेत्र में सभी इक्विटी लिखतों का मूल्यांकन उचित मूल्य पर किया जाता है। समूह आरंभिक स्वीकरण पर लिखत–दर–लिखत आधार पर अन्य व्यापक आय में (एफवीओसीआई) उचित मूल्य पर परवर्ती बदलाव को दशनि के लिए अविकल्पी विधि का चयन कर सकती है।

एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत इक्विटी लिखतों के लिए लिखत में सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को, जिसमें लाभांश शामिल नहीं है, ओसीआई में मान्य किया जाता है। इसमें निवेश बिक्री पर भी राशियों का ओसीआई से लाभ अथवा हानि में पुनर्निवेश नहीं होता है। तथापि, समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ अथवा हानि को हस्तान्तरित कर सकती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का आमान्यीकरण

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तभी रद्द की जाती है जब

i) परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या

ii) (क) समूह ने वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है (या) वित्तीय परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने के लिए संविदात्मक अधिकारों को बरकरार रखता है, लेकिन एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को नकदी प्रवाह का भुगतान करने के लिए एक संविदात्मक दायित्व मानता है और

(ख) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है (या) समूह ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वहन राशि और प्राप्त/प्राप्य राशि के बीच अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

व्यापार प्राप्यों के लिए समूह भा. ले. मा.–109 वित्तीय लिखत द्वारा अपेक्षित सरल तरीके का प्रयोग करता है, जिसमें प्राप्यों के शुरूआती स्वीकरण से स्वीकार किए जाने वाले पूर्णकालिक क्षतियां हो सकती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं जोखिम प्रकटनों पर संभावित हानि को स्वीकार करने के लिए समूह निर्धारित करता है कि क्या क्रेडिट जोखिम में शुरूआती स्वीकरण से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में विशेष रूप से वृद्धि हुई हो, तो 12 माह की संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को संभावित हानि हेतु उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, यदि क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई हो, तो जीवनकालिक ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। यदि परवर्ती अवधि में लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि इसमें शुरूआती स्वीकरण से क्रेडिट में कोई विशेष वृद्धि लम्बे समय तक नहीं होती है, तब कम्पनी 12 माह के ईसीएल के आधार पर संभावित हानि छूट को वापस मान्य करती है।

वित्तीय देयताएं

समूह की वित्तीय देयताएं दूसरी कम्पनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है अथवा ऐसी स्थितियों में दूसरी संस्था के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों अथवा वित्तीय देयताओं की अदलाबदली करने का दायित्व है, जो संभवतः समूह के लिए अनुकुल न हो।

समूह की वित्तीय देयताओं में ऋण एवं उधारियां, व्यापार तथा अन्य देयताएं शामिल हैं।

वर्गीकरण, आरंभिक स्वीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य माइनस में मान्यता दी जाती है, वित्तीय देनदारियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की जाती है, लेनदेन की लागत जो सीधे वित्तीय देनदारियों के मुद्दे के लिए जिम्मेदार होती है।

अनुवर्ती मूल्यांकन

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। आय (लेनदेन लागत का निवल) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। जब देनदारियों को अमान्य कर दिया जाता है तो लाभ और हानि के विवरण में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया गया है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यीकरण

वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयताओं के तहत बाध्यता पूरी हो जाती है अथवा निरस्त हो जाती है अथवा समाप्त हो जाती है। जब मौजूदा देयता को पर्याप्त रूप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयता की शर्तें पर्याप्त रूप से आशोधित हों, एक उधारदाता से दूसरे उधारदाता में बदला जाता है, तो ऐसे विनिमय अथवा अशोधन को मूल देयता के अस्वीकरण और नई देयता के स्वीकरण के रूप में समझा जाता है। वित्तीय देयता, जो समाप्त हो गई है अथवा दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित हो गई है, के रखरखाव राशि और प्रदत्त प्रतिफल, जिसमें हस्तान्तरित कोई गैर–नकदी परिसंपत्तियां अथवा स्वीकृत देयताएं शामिल हैं, के बीच अन्तर को अन्य आय अथवा वित्त लागत के रूप में लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

वित्तीय लिखतों का प्रतितुलन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है और निवल राशि का तुलनपत्र में उल्लेख किया जाता है, यदि इसमें स्वीकृत राशियों के प्रतितुलन का वर्तमान में कोई प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियों को क्रियान्वित करने के और साथ ही देयताओं को निपटाने के निवल आधार पर निपटाने की धारणा हो।

2.15 विदेशी मुद्रा अन्तरण

(क) कार्यात्मक एवं प्रतिनिधिक मुद्रा

समूह के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित मदों का मूल्यांकन प्राथमिक आर्थिक परिवेश, जिसमें समूह का प्रचानल होता है, की मुद्रा (''कार्यात्मक मुद्रा'') का प्रयोग करते हुए किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (रुपए अथवा रु) में पेश किया जाता है, जो समूह की कार्यात्मक एवं प्रदेय मुद्रा होती है।

(ख) लेनदेन एवं शेष राशियां

विदेशी मुद्रा में लेन–देनों को शुरू में लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर रिकॉर्ड किया जाता है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलनपत्र की तारीख को के प्रभावी विनियमन दरों के संदर्भ में अन्तरित्त किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित गैर–मौद्रिक मदों का गैर–मौद्रिक पूर्व भुगतान परिसंपत्ति अथवा आस्थगित आय देयता की शुरूआती स्वीकरण की तारीख को अथवा वित्तीय विवरणों में संबंधित मद का स्वीकार करने की तारीख को, जो भी पहले हो, का प्रभावी दर पर उल्लेख किया जाता है। यदि लेन–देन को चरणों के आधार पर मान्यता दी जाती है तो प्रत्येक चरण के लिए लेन–देन की तिथि निर्धारित की जाती है।

विदेशी विनिमय लाभ एवं हानियों को (बकाया विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ऋण से भिन्न) दूसरे लाभ/(हानि) के अन्तर्गत निवल आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

समूह ने 31 मार्च, 2016 को बकाया दीर्घ अवधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के अन्तरण से उत्पन्न विनियम अंतरों संबंधी लेखाकरण हेतु अपनाई गई नीति को जारी रखने के लिए भारतीय लेखाकरण मानक 101 में उपलब्ध छूट का लाभ लिया है।

31 मार्च, 2016 को बकाया विदेशी मुद्रा ऋणः

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण, कार्यशील पूंजी से संबंधित ऐसे विदेशी मुद्रा ऋणों के निपटान/अन्तरण पर उत्पन्न विदेशी

मुद्रा दर भिन्नता (एफइआरवी) को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है और 1 अप्रैल 2004 से, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरपी) के मानकों के अनुसार अथवा वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (डीओसीओ), जो भी बाद में हो, वास्तविक भुगतान आधार पर लाभार्थियों से वसूलीयोग्य/देय है। सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलीय अथवा देय सीमा में उपरोक्त एफईआरवी को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण के रखरखाव लागत हेतु समायोजित एफईआरवी वसूलीयोग्य/देय राशि को ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय व्यय'' के तदनुरूपी क्रेडिट/डेबिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ii) ''विदेशी मुद्रा घट–बढ़ खाते से आस्थगित आय, व्यय'' को उसी समानुपात में आशोधित किया जाता है जिसमें मूल्यहास को ऐसे एफईआरवी पर प्रभारित किया जाता है।

iii) वर्ष–दर–वर्ष आधार पर सीईआरसी मानकों के अनुसार वसूलनीय/देय राशि को कारोबार प्राप्यों के तदनुरुपी डेबिट/क्रेडिट के साथ ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' में समायोजित किया जाता है।

लाभ एवं हानि विवरण में से पहले प्रभावित और टैरिफ के प्रयोजनार्थ पूंजीगत लागत में सम्मिलित एफईआरवी को ''आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति/देयता खाते'' के प्रति समायोजित किया जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/सीडब्ल्यूआईपी से संबंधित दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों (विदेशी मुद्रा ऋण से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से उत्पन्न एफईआरवी को संबंधित परिसंपत्तियों के रखरखाव लागत में समायोजित किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों से वसूलनीय/देय सीमा में विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट मौद्रिक मदों (गैर चालू ऋणों से भिन्न) के निपटान/अन्तरण से निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न एफईआरवी को विनियामक आस्थगन लेखा शेष राशि के रूप में हिसाब में लिया जाता है। ऐसी राशि पर स्वीकृत पारगमन शुल्कों को उपरोक्त खाते में समायोजित किया जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को उस अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न हुए हैं, आय अथवा व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

01 अप्रैल, 2016 को अथवा इसके बाद लिया गया विदेशी मुद्रा ऋणः

ब्याज लागतों के समायोजन के रूप में समझी गई सीमा में विदेशी मुद्रा उधारी से उत्पन्न विनिमय अन्तरों को उधारी लागत के रूप में समझा जाता है। अन्य विनिमय अन्तरों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वसूलनीय सीमा में विनिमय अन्तर को लाभ एवं हानि विवरण के जरिए विनियामक आस्थगन लेखा शेष के रूप में मान्य किया जाता है।

(ग) विदेशी समूह कंपनियां

विदेशी प्रचालनों के परिणाम और वित्तीय स्थिति (जिनमें से किसी में भी उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था की मुद्रा नहीं है) जिनकी कार्यात्मक मुद्रा प्रस्तुति मुद्रा से भिन्न है, उन्हें प्रस्तुति मुद्रा में निम्नानुसार अंतरित किया गया है:

i) परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस तुलनपत्र की तारीख पर समापन दर पर अंतरित किया जाता है।

ii) आय और व्यय को औसत विनिमय दरों पर अंतरित किया जाता है (जब तक कि यह लेनदेन की तारीख पर प्रचलित दरों के संचयी प्रभाव का उचित अनुमान न हो, जिस स्थिति में आय और व्यय लेनदेन की तिथि पर अंतरित होते हैं) और

iii) सभी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

2.16 आय कर

आय कर व्यय, चालू एवं आस्थगित कर के योग को दर्शाता है। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है, जो इस सीमा को छोड़कर है कि यह सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में स्वीकृत मदों से संबंधित हो। इस मामले में कर को सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय में भी मान्य किया जाता है।

चालू आय कर

वर्तमान कर अधिनियमित कर कानूनों के तहत वर्ष के लिए कराधेय लाभ पर आधारित है और उन देशों में रिपोर्टिंग अवधि पर लागू होता है जहां समूह कराधेय आय संचालित करता है और उत्पन्न करता है और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन होता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को समूह के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन राशियों और कराधेय लाभ की संगणना में प्रयुक्त तदनुरूपी कर आधारों के बीच अस्थायी अन्तरों पर मान्य किया जाता है और तुलन पत्र देयता विधि का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सामान्य तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के लिए इस सीमा में मान्य किया जाता है कि इसमें यह संभव हो कि आगामी कराधेय लाभ इस संबंध में उपलब्ध होंगे, जिनके संबंध में कटौती योग्य अस्थायी अन्तरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त क्रेडिटों को उपयोग में लाया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन लागत की प्रत्येक तुलपन पत्र तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और इस सीमा में कम किया जाता है कि संभावना कम हो कि पर्याप्त कराधेय लाभ उस संबंध में प्राप्य होंगे जिनके प्रति अस्थायी अन्तरों को उपयोग किया जा सकता हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन कर दर पर किया जाता है जिन्हें उस अवधि में लागू किया जा

सकता है, जिस अवधि में देयता का कर दर के आधार पर (और कर कानून) निपटान किया जाता है अथवा परिसंपत्ति को क्रियान्वित किया जाता हो, जिसे तुलन पत्र की तारीख तक अधिनियमित किया गया हो अथवा मूल रूप में अधिनियमित किया गया हो।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक कंपनियों में निवेश की वहन राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता नहीं दी जाती है, जहां समूह अस्थायी अंतरों के रिवर्स के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अंतर निकट भविष्य में रिवर्स नहीं होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं को प्रतितुलित किया जाता है यदि इसमें चालू कर देयताओं को समायोजित करने का कानूनी प्रवन्ननीय अधिकार है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकरों संबंधित हो।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमटी) शामिल है, जो भावी आयकर देयता के प्रति समायोजन की उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि संपत्ति से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।

2.17 विनियामक आस्थगन खाता शेष

सीईआरसी विनियमनों के तहत स्वीकृत कुछेक व्यय एवं आय के, जिसे भविष्य में लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाना हो/इनको दिया जाना हो, भारतीय लेखाकरण मानक 114, "विनियामक आस्थगन लेखा" के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है। ऐसे व्यय एवं आय को सीईआरसी विनियमनों के तहत टैरिफ के भाग के रूप में वसूलनीय/देय सीमा में विनियामक आस्थगन परिसंपत्ति/देयताओं के रूप में समझा जाता है।

समूह निम्न के संबंध में तुलन पत्र में पृथक कार्य मदों को दर्शाता है:

क) सभी विनियामक आस्थगन खाता डेविट शेष राशियों के योग; और

ख) सभी विनियामक आस्थगन खाता क्रेडिट शेष राशियों के योग।

पृथक कार्य मद को सूचना अवधि हेतु सभी विनियामक आस्थगन खाता शेषों में निवल कार्य व्यापार हेतु लाभ एवं हानि विवरण के लाभ अथवा हानि भाग में दर्शाया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेषों को उस वर्ष में समायोजित किया जाता है, जिस वर्ष में वह लाभार्थियों से वसूलनीय अथवा इन्हें देय हो।

2.18 राजस्व

राजस्व का मूल्यांकन उस लेन–देन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए ग्राहकों के साथ सम्पन्न संविदा में कंपनी की हकदारी प्रत्याशित है और इसमें तीसरे पक्षों की ओर से वसूली गई राशियां शामिल होती हैं। समूह राजस्व को तब स्वीकार करती है जब यह उत्पाद अथवा सेवा के नियंत्रण को ग्राहक को अन्तरित्त करती है।

महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक

जहां, ग्राहक को प्रतिबद्ध वस्तुओं अथवा सेवाओं के अन्तरण एवं ग्राहक द्वारा भुगतान के बीच की अवधि एक वर्ष से अधिक हो, वहां समूह संविदा में महत्वपूर्ण वित्तीय संघटक के प्रभावों का मूल्यांकन करती है। परिणामतः समूह धनराशि के समयमान के प्रभावों हेतु लेन–देन मूल्यों में समंजन करती है।

2.18.1 प्रचालन से राजस्व

पारगमन

पारगमन आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारगमन आय को टैरिफ विनियमनों एवं सदृश मामलों में सीईआरसी के आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेशों के प्रचालन पर हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारगमन आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। जैसा कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पारेषण आय में ग्राहकों को दी गई सेवाओं के लिए प्रोद्भवन शामिल होता है, परन्तु यह बिलीकृत नहीं होता, अर्थात अबिलीकृत राजस्व। हालाँकि, सहायक कंपनियों के ट्रांसमिशन के मामले में ट्रांसमिशन शुल्क को अपनाने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के तहत सीईआरसी द्वारा जारी आदेशों के आधार पर आय का लेखांकन किया जाता है।

जल्द भुगतान से लाभार्थियों को दी गयी प्रोत्साहन छूट को राजस्व राशि में काट दिया जाता है।

पारगमन सिस्टम प्रोत्साहन/विफलता को संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समितियों (आरपीसी) द्वारा उपलब्धता के प्रमाणीकरण के आधार पर तथा सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। जहां आरपीसी का प्रमाणीकरण उपलब्ध नहीं हो, वहां, कम्पनी द्वारा उपलब्धता के अनुमान के अनुसार प्रोत्साहन/विफलता को अस्थायी आधार पर हिसाब में लिया जाता है तथा अन्तर, यदि कोई हो, को आरपीसी के प्रमाणीकरण पर हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यहास के संबंध में अग्रिम, (एएडी) जो ऋणों की चुकौती को सुगम बनाने के लिए ब्लॉक अवधि 2004–09 तक से संबंधित टैरिफ का मुख्य भाग है, को ट्रांसमिशन आय से कम किया गया था और आस्थगितत आय के रूप में समझा गया था, जिसे बाद के वर्षों में ट्रांसमिशन आय में शामिल किया जाना है। एएडी के संबंध में बकाया आस्थगित आय को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से, जिसमें परिसंपत्ति को अधिकृत किया गया

था, बारह वर्ष बाद वर्ष के दौरान टैरिफ में वसूली गई मूल्यह्रास की सीमा में ट्रांसमिशन आय के रूप में मया जाता है, जो खातों में प्रभारित मूल्यहास से कम होता है।

दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार सेवाओं, निष्क्रिय क्रेडिट के निवल से प्राप्त आय को ग्राहकों से हुए करारों/खरीद आदेशों की शर्तों के आधार पर मान्य किया जाता है। प्रयोगकर्त्ता को अलोप्य अधिकार (आईआरयू) प्रदान करने वाली दीर्घ अवधि संविदाओं के तहत अग्रिम में प्राप्त अपफ्रंट शुल्क को संविदा अवधि में राजस्व अनुमान के आधार पर राजस्व के रूप में मान्य किया जाता है।

परामर्शी सेवाएं

'लागत–जमा–परामर्शी संविदाओं' के संबंध में, जिसमें ग्राहक की ओर से निष्पादन शामिल है, राजस्व को रिपोर्टिंग तारीख में निष्पादित कार्य के समापन के स्तर के समानुपात में मान्य किया जाता है, जिसे इनपुट विधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अन्य परामर्शी संविदाओं से प्राप्त आय को दी गई सेवाओं की प्रगति के तकनीकी मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है।

2.18.2 अन्य आय

ब्याज आय को तब मान्य किया जाता है जब प्रभावी ब्याज दर प्रणाली (ईआईआर) का प्रयोग करते हुए बकाया एवं अनुप्रयोज्य ब्याज दर राशि को हिसाब में लेते हुए समय अनुपात आधार पर मापीयता अथवा संग्रहयता के रूप में महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

व्यापार प्राप्यों, परिसमाप्त क्षतियों, वारन्टी दावों और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज से वसूलनीय अधिभार को तब मान्य किया जाता है; जब मापीयता और संग्रहायता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो।

सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस (एलटीओए) के लिए आवेदन शुल्क का लेखांकन प्राप्ति पर किया जाता है।

स्क्रैप को तभी हिसाब में लिया जाता है जब उसे बेचा जाता है।

लाभांश आय को तब मान्य किया जाता है जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार को स्थापित किया जाता है।

लाभ की हानि हेतु बीमा दावों को स्वीकृति वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। अन्य बीमा दावों को वसूली की निश्चितता के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

किरायों एवं प्रचालन पट्टों से प्राप्त राजस्व को संगत करार की सार्थकता के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर मान्य किया जाता है।

2.19 सरकारी अनुदान

केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकरणों से परियोजनाओं, पारेषण प्रणालियों की बेहतरी तथा विशिष्ट मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के लिए पूंजीगत व्यय के संबंध में प्राप्त सहायता अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में समझा जाता है जब इसमें उचित आश्वासन किया गया हो कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और समूह अनुदान से जुड़े शर्तों का पालन करेगी। आस्थगित आय को और संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी कार्य अवधि पर उसी समानुपात में, जिसमें इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास उपलब्ध हुआ है, लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। गैर–मौद्रिक सरकारी अनुदानों के मामले में परिसंपत्ति और अनुदान दोनों को नाममात्र मूल्य पर दर्ज किया जाता है।

अनुदान, जो उपगत व्ययों के संबंध में समूह की क्षतिपूर्ति करता है, को उस अवधि में मान्य किया जाता है, जिनमें संबंधित लागतें उपगत हुई हों और संबंधित व्यय में से कम किया जाता है।

2.20 लाभांश

शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्य किया जाता है जिसमें लाभांश को शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अदा किए गए किसी अन्तरिम लाभांश को निदेशक–मण्डल की मंजूरी पर मान्य किया जाता है। देय लाभांश, लाभांश वितरण पर तदनुरूपी कर को सीधे इक्विटी में मान्य किया जाता है।

2.21 प्रावधान और आकस्मिकताएं

क) प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्य किया जाता है जब समूह के पास पिछले कार्य के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता (कानूनी) अथवा रचनात्मक) हो, इसमें संभावना होती है कि आर्थिक लाभों को अंतःस्थापित करते हुए संसाधनों का बर्हिगमन बाध्यता के निपटान हेतु आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि को तैयार किया जा सकेगा। यदि राशि के समयमान का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, तो प्रावधानों में छूट दी जाती है। छूट में कमी को वित्त लागत के रूप में लाभ एवं हानि विवरण में मान्य किया जाता है। प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में पुनरीक्षा की जाती है और वर्तमान उत्कृष्ट अनुमान को दर्शनि के लिए समायोजित किया जाता है।

ख) आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताओं को प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र तारीख पर इनकी पुनरीक्षा की जाती है और चालू प्रबंधन अनुमान को लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं को तब प्रकट किया जाता है जब पिछले कार्यों से उत्पन्न कोई संभावित बाध्यता हो, जिसकी मौजूदगी को केवल एक अथवा अधिक अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति अथवा गैर उपस्थिति से निर्धारित किया जाएगा, न कि समूह के पूर्ण नियंत्रण में अथवा वर्तमान बाध्यता में, जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है, जहां दोनों में से यह संभव नहीं है कि संसाधनों का बर्हिगमन निपटान हेतु आवश्यक होगा या

फिर राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकेगा। आकस्मिक देयता संबंधी जानकारी को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है, इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

2.22 शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी

साधारण शेयरों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

वर्धनात्मक लागतों को, जो सीधे नये शेयरों के निर्गम पर लागू होते हैं, प्राप्तियों से कर के निवल कटौती के रूप में इक्विटी में दर्शाया जाता है।

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि को सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पट्टा प्राप्य के रूप में समझी गई सहित) के मूल सकल ब्लॉक पर 0.04% प्रतिवर्ष से 0.12% प्रतिवर्ष की जोखिम मूल्यांकन सीमा दर पर सृजित किया जाता है, जो अबीमाकृत जोखिमों से अगामी हानियों को कम करने के लिए चालू वर्ष के लाभ के विनियोजन द्वारा वर्ष की समाप्ति पर बीमा के अन्तर्गत आने वाले परिसंपत्तियों को छोड़कर और ए सी सब स्टेशन के टावरों एवं उपकरण को सुदृढ़ बनाने सहित टॉवरों एवं अन्य ट्रांसमिशन लाईन सामग्रियों के प्रापण द्वारा भविष्य में आकस्मिकताओं पर ध्यान देने के लिए किया जाता है। उपरोक्तानुसार सृजित प्राराक्षित निधि को ''अन्य इक्विटी'' के अन्तर्गत ''स्व बीमा प्रारक्षित निधि'' के रूप में दर्शाया जाता है।

2.23 पूर्व अवधि मुद्दे

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को दर्शाए गए पूर्व अवधि संबंधी तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख करते हुए जिसमें त्रुटि उत्पन्न हुई है, भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है अथवा यदि त्रुटि, प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक अवधि से पहले उत्पन्न हो गई हो, तो प्रारंभिक शेष पत्र का पुनः उल्लेख करके ठीक किया जाता है।

2.24 प्रचालन खण्ड

समूह का निदेशक–मण्डल, भारतीय लेखाकरण मानक–108 ''प्रचालन खण्ड'' के संदर्भ में ''मुख्य प्रचालन निर्णायक'' अथवा ''सीओडीएम''' होता है। सीओडीएम संसाधन निर्धारण एवं निष्पादन मूल्यांकन के बारे में निणर्य लेने के प्रयोजनार्थ अलग से अपने व्यावसायिक खण्डों के प्रचालन परिणामों को मॉनीटर करता है। खण्ड निष्पादन का मूल्यांकन लाभ अथवा हानि के आधार पर किया जाता है और सुसंगत रूप में वित्तीय विवरण ों में लाभ अथवा हानि में मूल्यांकित किया जाता है।

प्रचालन खण्डों की पहचान उत्पादों/सेवाओं के स्वरूप के आधार पर की गई है।

- खण्ड राजस्व में अन्तर–खण्ड लेन–देनों सहित्त खण्ड में सीधे अभिज्ञेय/ निर्धार्य बिक्रियां और अन्य आय शामिल हैं।
- व्यय, जो सीधे खण्डों में अभिज्ञेय/निधार्य हों, को खण्ड परिणाम के निर्धारण हेतु समझा जाता है। व्यय, जो पूर्णतः समूह से संबंधित हो और खण्डों को आबंटन योग्य न हो, को अनिर्धार्य व्यय में शामिल किया जाता है।
- आय, जो पूर्णतः समूह से संबंधित हो और खण्डों हेतु निधार्य नहीं हो, को अनिर्धार्य आय में शामिल किया जाता है।
- खण्ड परिसंपत्तियों एवं देयताओं में वे परिसंपत्तियां एवं देयताएं शामिल हैं, जो संबंधित खण्डों में सीधे अभिज्ञेय हों। अनिर्धार्य आस्थतियां एवं देयताएं उन परिसंपत्तियों एवं देयताओं को दर्शाततती करती हैं जो पूर्णतः समूह से संबंधित हों और किसी खण्ड हेतु निधार्य नहीं हों।
- खण्ड पूंजी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के अधिग्रहण अवधि के दौरान उपगत कुल लागत है।

2.25 प्रतिशेयर आय

प्रतिशियर मूल आय को वर्ष हेतु शेयर धारकों को प्राप्य निवल लाभ अथवा हानि का प्रयोग करते हुए और वर्ष के दौरान बकाया शेयरों के भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

प्रतिशियर कम की गई आय को वर्ष हेतु शेयरधारकों को देय निवल लाभ तथा वर्ष के दौरान इक्विटी एवं संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, सिवाय उनके, जिनके जहां परिणाम न्यूनीकृत रोधी होंगे।

अतिरिक्त रूप से, मूल एवं तनुकृत प्रतिशेयर अर्जनों को अर्जन राशियों का प्रयोग करते हुए संगणित किया जाता है, जिसमें विनियामक आस्थगन लेखा शेष में घट–बढ़ शामिल नहीं हैं।

2.26 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण को भारतीय लेखाकरण मानक 7 ''नकदी प्रवाह विवरण'' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

2.27 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां (या निपटान समूह) और बंद परिचालन

गैर–वर्तमान संपत्ति और निपटान समूहों को बिक्री के लिए ध ारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस शर्त को तभी पूरा माना जाता है जब संपत्ति (या निनिपटान समूह) अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों

के अधीन जो ऐसी संपत्ति (या निनिपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है।

बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनकी अग्रणीत राशि और बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य से कम पर मापा जाता है और तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री की लागत घटाकर उचित मूल्य पर परिसंपत्ति (या निनिपटान समूह) के किसी प्रारंभिक या बाद के अवलेखन के लिए क्षति हानि की पहचान की जाती है। किसी परिसंपत्ति (या निनिपटान समूह) को बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य में किसी बाद की वृद्धि के लिए लाभ की पहचान की जाती है, लेकिन पहले से मान्यता प्राप्त किसी संचयी हानि हानि से अधिक नहीं। किसी गैर–वर्तमान संपत्ति (या निनिपटान समूह) की बिक्री की तारीख से पहले मान्यता प्राप्त नहीं होने वाले लाभ या हानि को मान्यता रद्द करने की तारीख पर मान्यता प्राप्त है।

जब समूह एक बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध होता है जिसमें किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण खो जाता है, तो उस सहायक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, जब ऊपर वर्णित मानदंड पूरे होते हैं, भले ही समूह बिक्री के बाद अपनी पूर्व सहायक कंपनी में गैर–नियंत्रित हित बरकरार रखे।

कोई बंद प्रचालन, समूह का एक घटक है जिसमें प्रचालन और नकदी प्रवाह शामिल होते हैं, जिन्हें बाकी समूह से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, जिसे या तो निपटाया गया है, या बिक्री के लिए वर्गीकृत किया गया है, और

- व्यापार या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र की एक अलग प्रमुख रेखा का प्रतिनिधित्व करता है;
- व्यापार की एक अलग प्रमुख लाइन या प्रचालन के भौगोलिक क्षेत्र को निपटाने के लिए एकुल समन्वित योजना का हिस्सा है; या
- पुनर्विक्रय की दृष्टि से विशेष रूप से अधिग्रहित सहायक कंपनी है।

बंद किए गए प्रचालन को जारी प्रचालन के परिणामों से बाहर रखा गया है और लाभ और हानि के विवरण में बंद किए गए प्रचालन से कर के बाद लाभ या हानि के रूप में एकल राशि के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

2.28 व्यवसाय संसर्ग

व्यावसायिक संसर्ग का लेखांकन अधिग्रहण की तारीख के अनुसार अधिग्रहण लेखांकन पद्धति का उपयोग करके किया जाता है, जो वह तारीख होती है जिस पर नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। अधिग्रहण में हस्तांतरित प्रतिफल और अर्जित की गई निर्धार्य संपत्ति और ग्रहण की गई देयताओं को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। प्रतिष्ठा को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जो अर्जित की गई शुद्ध निर्धार्य संपत्तियों और ग्रहण की गई देयताओं पर हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक होता है। जहां अर्जित शुद्ध निर्धार्य संपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य हस्तांतरित प्रतिफल से अधिक है, निवल संपत्तियों और आकस्मिक देयताओं के उचित मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद, अतिरिक्त को पूंजी प्रारक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण संबंधी लागतें व्यय के अनुसार व्यय की जाती हैं।

3. महत्त्वपूर्ण अनुमान एवं मूल्यांकन

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु लेखाकरण अनुमानों का प्रयोग आवश्यक है, जो वास्तविक परिणामों से खासतौर पर भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन को भी समूह के लेखाकरण नीतियों को लागू करते समय मूल्यांकन को लागू करने की आवश्यकता हो सकती है।

यह टिप्पणी उन क्षेत्रों के अवलोकन की व्यवस्था प्रदान करता है जिनमें उच्च स्तर का मूल्यांकन अथवा जटिलता और वे मद्दे शामिल है जिनकी अनुमानों और पूर्वानुमानों के कारण विशेष रूप से समायोजित किए जाने की अधिक संभावना है, जिनका मूल रूप से निर्धारित उन अनुमानों एवं पूर्वानुमानों से भिन्न होना प्रतीत होता है।

महत्वपूर्ण अनुमानों अथवा पूर्वानुमानों वाले क्षेत्र इस प्रकार हैं:

राजस्व स्वीकरण:

पारेषण आय को सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में, जहां, अंतिम टैरिफ आदेशों को अभी अधिसूचित किया जाना हो, वहां पारेषण आय को टैरिफ विनियमनों और सदृश मामलों में सीईआरसी के अन्य आदेशों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। अन्तर, यदि कोई हो, को सीईआरसी द्वारा अंतिम आदेशों के प्रचालन पर ही हिसाब में लिया जाता है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद उपगत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के संबंध में पारेषण आय को सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष आधार पर उपगत वास्तविक व्यय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

विनियामक आस्थगन शेष:

विनियामक आस्थगन शेष राशियों के स्वीकरण में महत्वपूर्ण मूल्यांकन शामिल है, जिनमें आगामी टैरिफ विनियमनों के बारे में मूल्यांकन शामिल हैं, क्योंकि ये भविष्य में टैरिफ के माध्यम से वसूलनीय/देय हेतु संभावित राशियों के अनुमान पर आधारित होते हैं।

निर्धारित लाभ बाध्यता का अनुमान

निर्धारित लाभ बाध्यता के अनुमान में कूछेक महत्त्वपूर्ण वास्तविक पूर्वानुमान शामिल हैं, जो टिप्पणी 65 में सूचीबद्ध हैं।

अनुमानों और मूल्यांकनों का आवधिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। वे एतिहासिक अनुभव एवं अन्य कारकों पर आधारित होते हैं, जिनमें, आगामी घटनाओं की प्रत्याशाएं शामिल हैं,

जिनका समूह पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और उन्हें परिस्थितियों में उचित होना माना जाता है।

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की उपयोगी कार्य अवधि

सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की अनुमानित उपयोगी कार्य अवधि कई कारकों पर आधारित होती है; जिसमें अपक्षय का प्रभाव, मांग, प्रतिस्पर्धा एवं अन्य आर्थिक कारण (जैसे कि उद्योग की स्थिरता तथा ज्ञात प्रौद्योगिकीय अग्रिम) और परिसंपत्ति से प्रत्याशित भावी नकदी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रखरखाव व्यय के स्तर शामिल हैं।

समूह पारेषण कार्य परिसंपत्तियों से भिन्न उपयोगी संयंत्र एवं उपकरण की जो सीईआरसी विनियमों द्वारा अधिशासित हैं और भूतलक्षी प्रभाव से, यदि उपयुक्त हो, समायोजित किया जाता है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में पुनरीक्षा की जाती है।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं के स्वीकरण में किए गए मूल्यांकन भारतीय लेखाकरण मानक 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना का मूल्यांकन प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के प्रकटन की संभाव्यता के संबंध में बेहतर मूल्यांकन अपेक्षित है। यदि अप्रत्याशित विकास के बाद परिस्थितियों बदल सकती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

बिक्री के लिए धारित की गई परिसंपत्तियां:

भारतीय ले.मा. 105– ''बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान संपत्ति और बंद प्रचालन' के तहत बिक्री के लिए धारित गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकुलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए निर्णय का प्रयोग किया है, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्ध ता और एक वर्ष के भीतर बिक्री की संभावना का निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से जारी रखने के बजाय मुख्य रूप से वसूल की जाएगी।

आय कर:

अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान वसूली की अपेक्षित राशि सहित वर्तमान और आस्थगित कर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,451.30	135.25	-	9.83	2,576.72	-	-	-	-	-	2,576.72	2,451.30
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	3,043.94	60.19	-	4.34	3,099.79	499.23	109.64	-	1.07	607.80	2,491.99	2,544.71
ख) नगर	858.19	80.74	-	(0.01)	938.94	207.79	36.23	-	(1.00)	245.02	693.92	650.40
अस्थायी निर्माण	2.00	0.02	-	-	2.02	2.00	0.02	-	-	2.02	-	-
सड़क एवं पुल	335.28	8.26	-	(0.21)	343.75	70.18	12.87	-	-	83.05	260.70	265.10
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	197.58	3.69	-	(0.47)	201.74	39.64	7.67	-	(0.05)	47.36	154.38	157.94
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	158,270.03	1,354.15	21.78	(141.64)	159,744.04	51,329.18	7,755.60	9.00	2.19	59,073.59	100,670.45	106,940.85
ख) सब स्टेशन	96,203.69	3,452.03	58.12	(93.16)	99,690.76	29,282.67	5,117.56	11.78	(1.94)	34,390.39	65,300.37	66,921.02
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,919.82	322.19	-	(499.31)	2,741.32	577.23	113.72	-	(369.25)	1,060.20	1,681.12	1,342.59
घ) दूरसंचार	1,621.97	96.47	(8.90)	557.48	1,169.86	822.60	89.40	(0.71)	369.23	543.48	626.38	799.37
ङ) एकीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली	-	146.85	-	-	146.85	-	7.32	-	-	7.32	139.53	-
फर्नीचर फिक्सचर्स	204.97	18.01	1.91	(2.79)	223.86	89.94	23.90	1.34	(1.03)	113.53	110.33	115.03
वाहन	5.69	0.60	0.21	(0.20)	6.28	2.08	0.56	0.04	(0.27)	2.87	3.41	3.61
कार्यालय उपकरण	332.30	32.06	2.39	2.12	359.85	199.04	34.65	1.52	0.40	231.77	128.08	133.26
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	237.59	24.40	9.15	(26.57)	279.41	198.42	34.16	8.69	(23.91)	247.80	31.61	39.17
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	623.94	5.76	0.44	(4.82)	634.08	169.37	33.10	0.09	(1.98)	204.36	429.72	454.57
वैद्युत प्रतिष्ठापन	181.37	8.33	0.01	(2.17)	191.86	59.83	9.81	-	(0.17)	69.81	122.05	121.54
प्रयोगशाला उपकरण	92.46	1.22	0.08	-	93.60	31.00	4.65	0.02	-	35.63	57.97	61.46
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	380.28	10.19	0.01	(0.06)	390.52	97.92	20.33	-	-	118.25	272.27	282.36
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.71	0.10	-	-	0.81	0.05	0.06	-	-	0.11	0.70	0.66
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – भूमि	566.82	9.36	0.21	(0.06)	576.03	108.00	19.19	0.18	0.01	127.00	449.03	458.82
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.71	2.28	3.24	0.06	12.69	8.96	2.24	2.54	0.18	8.48	4.21	4.75
ग) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	23.55	22.80	23.40	0.15	22.80	0.40	1.17	1.16	0.01	0.40	22.40	23.15
घ) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	6.03	0.01	-	-	6.04	0.30	1.21	-	-	1.51	4.53	5.73
कुल	**267,573.22**	**5,794.96**	**112.05**	**(197.49)**	**273,453.62**	**83,795.83**	**13,435.06**	**35.65**	**(26.51)**	**97,221.75**	**176,231.87**	**183,777.39**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	-	9.36	-	-	9.36	-		-	-	-	9.36	-
कुल योग	**267,573.22**	**5,785.60**	**112.05**	**(197.49)**	**273,444.26**	**83,795.83**	**13,435.06**	**35.65**	**(26.51)**	**97,221.75**	**176,222.51**	**183,777.39**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित मूल्यह्रास					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
भूमि												
पूर्ण स्वामित्व	2,407.23	39.54	-	(4.53)	2,451.30	-	-	-	-	-	2,451.30	2,407.23
भवन												
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	2,908.33	133.21	-	(2.40)	3,043.94	388.56	109.12	-	(1.55)	499.23	2,544.71	2,519.77
ख) नगर	776.98	81.14	-	(0.07)	858.19	173.04	34.75	-	-	207.79	650.40	603.94
अस्थायी निर्माण	1.38	0.62	-	-	2.00	1.38	0.62	-	-	2.00	-	-
सड़क एवं पुल	327.03	8.23	-	(0.02)	335.28	57.30	12.88	-	-	70.18	265.10	269.73
जल आपूर्ति जल निकासी एवं मल निकासी व्यवस्था	177.25	20.33	-	-	197.58	32.60	7.04	-	-	39.64	157.94	144.65
संयंत्र एवं उपकरण												
क) ट्रांसमिशन	155,094.80	2,166.08	10.98	(1,020.13)	158,270.03	43,431.12	7,901.45	4.24	(0.85)	51,329.18	106,940.85	111,663.68
ख) सब स्टेशन	92,813.17	3,134.81	116.60	(372.31)	96,203.69	24,250.72	5,118.99	91.03	(3.99)	29,282.67	66,921.02	68,562.45
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	1,727.62	200.66	-	8.46	1,919.82	469.75	107.25	-	(0.23)	577.23	1,342.59	1,257.87
घ) दूरसंचार	1,508.62	107.65	-	(5.70)	1,621.97	709.12	113.64	-	0.16	822.60	799.37	799.50
फर्नीचर फिक्सचर्स	191.33	16.15	2.46	0.05	204.97	61.97	29.08	1.06	0.05	89.94	115.03	129.36
वाहन	5.03	1.07	0.41	-	5.69	1.44	0.73	0.09	-	2.08	3.61	3.59
कार्यालय उपकरण	291.29	42.88	2.46	(0.59)	332.30	88.59	111.20	0.91	(0.16)	199.04	133.26	202.70
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं वर्ड प्रोसेसिंग मशीन	225.82	20.02	8.25	-	237.59	157.61	47.59	6.77	0.01	198.42	39.17	68.21
निर्माण और कर्मशाला के उपकरण	616.36	8.72	1.43	(0.29)	623.94	137.17	32.77	0.65	(0.08)	169.37	454.57	479.19
वैद्युत प्रतिष्ठापन	166.13	14.92	-	(0.32)	181.37	48.39	11.47	-	0.03	59.83	121.54	117.74
प्रयोगशाला उपकरण	91.53	1.20	0.01	0.26	92.46	27.04	4.01	0.01	0.04	31.00	61.46	64.49
कर्मशाला एवं परीक्षण के उपकरण	351.84	27.00	0.05	(1.49)	380.28	75.71	21.96	0.01	(0.26)	97.92	282.36	276.13
विविध परिसंपत्तियां/उपकरण	0.23	0.48	-	-	0.71	0.03	0.02	-	-	0.05	0.66	0.20
उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्ति												
क) आरओयू परिसंपत्ति – भूमि	565.86	15.80	0.10	14.74	566.82	91.09	17.80	0.01	0.88	108.00	458.82	474.77
ख) आरओयू परिसंपत्ति – भवन	13.15	2.45	1.89	-	13.71	8.45	2.38	1.87	-	8.96	4.75	4.70
ग) आरओयू परिसंपत्ति – संयंत्र एवं मशीनरी – दूरसंचार	0.22	23.33	-	-	23.55	0.03	0.37	-	-	0.40	23.15	0.19
घ) आरओयू परिसंपत्ति – वाहन	-	6.03	-	-	6.03	-	0.30	-	-	0.30	5.73	-
कुल	**260,261.20**	**6,072.32**	**144.64**	**(1,384.34)**	**267,573.22**	**70,211.11**	**13,685.42**	**106.65**	**(5.95)**	**83,795.83**	**183,777.39**	**190,050.09**
घटाएं – हटाई गई परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	1.74	-	-	1.74	-	-	-	-	-	-	-	1.74
कुल योग	**260,259.46**	**6,072.32**	**144.64**	**(1,386.08)**	**267,573.22**	**70,211.11**	**13,685.42**	**106.65**	**(5.95)**	**83,795.83**	**183,777.39**	**190,048.35**

टिप्पणी 4 सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी

क) समूह के पास 8,047 हेक्टेयर भूमि है (पूर्ववर्ती वर्ष 7,793 हेक्टेयर) जो ₹3,152.75 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹3,018.12 करोड़) जिसे 6,670 हेक्टेयर भूमि के पूर्ण स्वामित्व में वर्गीकृत किया गया है (पूर्ववर्ती वर्ष 6,573 हेक्टेयर), जो ₹2,576.72 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹2,451.30 करोड़) और पट्टायुक्त भूमि 1,377 हेक्टेयर है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,220 हेक्टेयर), जो ₹576.03 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹566.82 करोड़), जो उपलब्ध प्रलेखन पर आधारित है।

ख) समूह के पास 62.01 हेक्टेयर (पूर्ववर्ती वर्ष 198.93 हेक्टेयर) अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि है, जिसकी राशि ₹155.42 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹48.01 करोड़) है। जिसके संबंध में समूह के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख लंबित है।

ग) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित पारेषण प्रणाली को समूह द्वारा 1 अप्रैल, 1993 से नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचपीसी) से कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तथा आपसी रूप से सहमत शर्तों पर अपने अधिकार में लिया है।

घ) प्रयोगाधिकार – भूमि, जिसमें 60.35 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 60.35 हेक्टेयर), जो ₹148.75 करोड़ की है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹148.75 करोड़), जो कम्पनी द्वारा स्थायी पट्टा आधार पर ग्रहण की गयी थी अतः परिशोधित नहीं की गयी।

ङ) 5.63 हेक्टेयर भूमि (पूर्ववर्ती वर्ष 5.63 हेक्टेयर), जिसका मूल्य ₹0.04 करोड़ है (पूर्ववर्ती वर्ष ₹0.04 करोड़), जिसे स्वामित्व प्रदान किए बगैर प्रयोगाधिकार पर नेशनल हाई पावर टेस्ट लैब्रोटरी प्रा. लि. को हस्तान्तरित किया गया है।

च) भा.ले.मा. 116–''पट्टे' के अनुसार उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति पर प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी सं 51 देखें।

छ) समूह द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 23 देखें।

ज) ओपीजीड्ब्ल्यू केबल्स आदि के सभी प्रमुख केबल्स सहित महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन परिसंपत्तियाँ कंपनी के पास रखी जाती हैं और दूरसंचार व्यवसाय को अलग करने के समय पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को हस्तांतरित नहीं की जाती हैं। इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है और अवशिष्ट मूल्य कंपनी की लेखा नीति के अनुसार अपनाया जाता है जो ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों पर लागू होता है। इसका समूह की लाभप्रदता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 को
भूमि						
भूमि का विकास	-	7.68	-	-	7.47	**0.21**
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	59.45	18.50	-	-	34.37	**43.58**
ख) नगर	67.82	59.13	1.06	-	80.29	**45.60**
सड़क एवं पुल	0.16	4.15	0.57	-	3.68	**0.06**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	2.72	3.88	0.91	-	3.54	**2.15**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	3,836.72	3,815.50	-	917.20	1,252.30	**5,482.72**
ख) सब–स्टेशन	2,584.60	3,700.33	-	890.19	2,999.56	**2,395.18**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	228.34	175.96	-	35.60	199.87	**168.83**
घ) दूरसंचार	53.55	77.03	16.40	-	51.68	**62.50**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	-	-	-	-	**1.02**
वैद्युत प्रतिष्ठापन	1.89	10.88	0.02	-	6.77	**5.98**
निर्माण सामग्री (निवल प्रावधान)	5,367.19	8,107.18	5,605.32	-	-	**7,869.05**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	1.70	4.75	-	-	0.04	**6.41**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	14.45	0.43	0.04	-	-	**14.84**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,521.63	1,057.51	56.27	137.26	402.01	**1,983.60**
कुल योग	**13,741.24**	**17,042.91**	**5,680.59**	**1,980.25**	**5,041.58**	**18,081.73**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2021 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्यों में अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
भवन						
क) सब–स्टेशन एवं कार्यालय	73.81	88.63	2.20	-	100.79	**59.45**
ख) नगर	77.91	55.55	9.53	-	56.11	**67.82**
अस्थायी निर्माण	-	0.29	-	-	0.29	
सड़क एवं पुल	12.30	3.96	12.00	-	4.10	**0.16**
जल आपूर्ति निकासी एवं मल व्यवस्था	0.98	4.98	(1.29)	-	4.53	**2.72**
संयंत्र एवं उपकरण (संबद्ध सिविल कार्यों सहित)						
क) ट्रांसमिशन	3,526.34	2,757.18	2.30	597.17	1,847.33	**3,836.72**
ख) सब–स्टेशन	3,746.06	2,337.86	3.31	807.83	2,688.18	**2,584.60**
ग) एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण	251.38	178.87	(3.35)	33.82	171.44	**228.34**
घ) दूरसंचार	61.34	86.22	-	-	94.01	**53.55**
फर्नीचर एवं फिक्सचर	-	0.32	-	0.29	0.03	**-**
अन्य कार्यालय उपकरण	1.02	0.03	-	-	0.03	**1.02**
इलेक्ट्रीकुल संस्थापन	2.62	9.99	0.01	-	10.71	**1.89**
निर्माण सामान (निवल प्रावधान)	3,452.65	4,868.10	2,953.56	-	-	**5,367.19**
आबंटन होने तक व्यय						
I) सर्वे, जांच, परामर्श सेवा एवं पर्यवेक्षण व्यय	3.43	1.10	-	-	2.83	**1.70**
II) विदेशी मुद्रा ऋणों संबंधी विनिमय में अन्तर	12.00	2.45	-	-	-	**14.45**
III) निर्माण अवधि के दौरान व्यय (निवल) (टिप्पणी 43)	1,580.32	743.60	62.22	172.62	567.45	**1,521.63**
	12,802.16	**11,139.13**	**3,040.49**	**1,611.73**	**5,547.83**	**13,741.24**
घटाएं : अप्रयोज्य परिसंपत्तियों संबंधी प्रावधान	2.26	-	2.26	-	**-**	**-**
कुल योग	**12,799.90**	**11,139.13**	**3,038.23**	**1,611.73**	**5,547.83**	**13,741.24**

टिप्पणी 5 कार्यशील पूंजी (जारी)

(निर्माण सामग्री के ब्यौरे) (लागत पर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
निर्माण सामान		
टॉवर	**1,824.36**	986.62
कंडक्टर	**2,602.69**	1,457.32
अन्य लाइन सामग्रियां	**478.31**	336.94
सब स्टेशन उपकरण	**2,307.51**	2,128.35
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**15.37**	18.50
एकीकृत्त लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**231.87**	242.66
दूरसंचार सामग्री	**245.99**	176.87
अन्य	**162.95**	19.93
योग	**7,869.05**	**5,367.19**
निर्माण सामान में शामिल है :		
i) मार्गस्थ सामग्री		
टॉवर	**1.37**	78.18
कंडक्टर	**1.75**	128.78
अन्य लाइन सामग्रियां	**1.18**	46.72
सब – स्टेशन उपकरण	**332.97**	183.09
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**10.27**	0.27
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**-**	1.84
दूरसंचार सामग्री	**-**	90.66
अन्य	**136.35**	-
योग	**483.89**	**529.54**
ii) ठेकेदार के पास सामग्री		
टॉवर	**1,822.99**	908.44
कंडक्टर	**2,600.94**	1,328.54
अन्य लाइन सामग्रियां	**477.13**	290.22
सब–स्टेशन उपकरण	**1,974.54**	1,945.26
हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) उपकरण	**5.10**	18.23
एकीकृत लोड प्रेषण एवं सम्प्रेषण (यूएलडीसी) सामग्री	**231.87**	240.82
दूरसंचार सामग्री	**246.35**	86.21
अन्य	**26.24**	19.93
योग	**7,385.16**	**4,837.65**
कुल योग	**7,869.05**	**5,367.19**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अधिकृत लाइनों के संबंध में ₹9.93 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹9.73 करोड़) की राशि की सामग्री ठेकेदारों के पास लेखासमाधान हेतु लंबित है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है।
2. प्रगति में पूंजीगत कार्य के लम्बित होने की जानकारी के लिये (सीडब्ल्यूआईपी) संदर्भ टिप्पणी सं 66(क) में देखें। ऐसी परियोजनाएँ जिनका पूरा होना अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है। सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम के लिए टिप्पणी संख्या 66(ख) देखें।

टिप्पणी 6 अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	1 अप्रैल, 2023 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इलैक्ट्रोनिकडेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	88.32	2.45	-	-	90.77	76.38	6.98	-	-	83.36	7.41	11.94
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,365.99	15.57	-	2.72	2,378.84	748.02	117.50	-	(2.89)	868.41	1,510.43	1,617.97
दूरसंचार लाइसेंस	8.10	-	2.80	-	5.30	1.07	0.34	0.90	-	0.51	4.79	7.03
1200 केवीटीएस* का विकास	71.86	-	-	-	71.86	49.20	7.25	-	-	56.45	15.41	22.66
योग	**2,534.27**	**18.02**	**2.80**	**2.72**	**2,546.77**	**874.67**	**132.07**	**0.90**	**(2.89)**	**1,008.73**	**1,538.04**	**1,659.60**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	लागत					संचित परिशोधन					निवल अर्जित मूल्य	
	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 203 को	1 अप्रैल, 2022 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	निपटान	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इलैक्ट्रोनिक डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	79.47	8.87	0.02	-	88.32	68.90	7.50	0.02	-	76.38	11.94	10.57
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	2,312.68	53.31	-	-	2,365.99	630.76	117.25	-	(0.01)	748.02	1,617.97	1,681.92
दूरसंचार लाइसेंस	2.80	5.30	-	-	8.10	0.69	0.38	-	-	1.07	7.03	2.11
12 केवीटीएस' का विकास	71.86	-	-	-	71.86	41.97	7.23	-	-	49.20	22.66	29.89
योग	**2,466.81**	**67.48**	**0.02**	**-**	**2,534.27**	**742.32**	**132.36**	**0.02**	**(0.01)**	**874.67**	**1,659.60**	**1,724.49**

* आंतरिक रूप से तैयार की गई अमूर्त परिसंपत्तियां

टिप्पणी 7 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2023	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य को अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2024 को
इलैक्ट्रोनिकडेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर	-	0.18	-	-	-	0.18
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	31.08	96.47	-	-	11.97	115.58
योग	**31.08**	**96.65**	**-**	**-**	**11.97**	**115.76**

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021	परिवर्धन	समायोजन	पट्टा प्राप्य को अंतरित	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 को
मार्गाधिकार – वनरोपण व्यय	53.70	29.46	-	6.94	45.14	31.08
योग	**53.70**	**29.46**	**-**	**6.94**	**45.14**	**31.08**

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की उम्र बढ़ने के लिए टिप्पणी संख्या 66(ग) देखें और उन परियोजनाओं के लिए विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति के लिए संख्या 66(घ) देखें जिनकी पूर्णता अतिदेय है या मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है।

टिप्पणी 8क: इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
गैर उद्धृत		
ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 23400000 (पिछले वर्ष 23400000) इक्विटी शेयर	37.72	35.41
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 70937620 (पिछले वर्ष 70937620) इक्विटी शेयर	92.90	84.35
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 120120000 (पिछले वर्ष 120120000) इक्विटी शेयर	182.13	161.28
पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 229320000 (पिछले वर्ष 229320000) इक्विटी शेयर	475.20	474.12
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 106964000 (पिछले वर्ष 106964000) इक्विटी शेयर	142.49	139.74
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 48800000 (पिछले वर्ष 30400000) इक्विटी शेयर	12.32	-
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 12612473 (पिछले वर्ष 12612473) इक्विटी शेयर	35.12	34.09
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 846610000 (पिछले वर्ष 463610000) इक्विटी शेयर	624.35	292.45
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 337392404 (पिछले वर्ष 334127260) इक्विटी शेयर	412.33	479.59
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 10000000 (पिछले वर्ष 25000) इक्विटी शेयर	9.91	0.02
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड		
नेपीली ₹100 प्रत्येक के 1170000 (पिछले वर्ष 1170000) इक्विटी शेयर	14.51	13.60
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 4000000 (पिछले वर्ष 4000000) इक्विटी शेयर (नीचे टिप्पणी 2 देखें)	-	-
कुल	**2,038.98**	**1,714.65**

टिप्पणी 8क: इक्विटी विधि का उपयोग करके लेखांकित संयुक्त उद्यमों में निवेश (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.2 एवं 2.14 के अनुसार किया गया है।

2) पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएल) को बंद करने और अन्य जेवी पार्टनर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय से दिनांक 11.07.2022 को अनुमोदन प्राप्त हुआ था। तथापि, इसे बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकारी कार्यों के संविदाकार ने दिनांक 17.12.2022 को मध्यस्थता का आह्वान करते हुए नोटिस सुपुर्द किया। सुलहकर्ता की नियुक्ति की गई है और सुलह की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

टिप्पणी 9: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
इक्विटी लिखतों में निवेश (पूर्ण प्रदत्त)		
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर निवेश		
उद्धृत		
पीटीसी इंडिया लिमिटेड		
₹10 प्रत्येक के 12000006 (पिछला वर्ष 12000006) इक्विटी शेयर	223.14	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (पीजी इनविट) की इकाइयों में निवेश		
136500100 (पिछला वर्ष 136500100) इकाई (निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी 3 देखें)	1,292.79	1,672.40
अन्य		
''भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (₹10/–) ₹10 प्रत्येक का 1 (पिछले वर्ष 1) शेयर''	0.00	0.00
कुल	**1,515.93**	**1,774.46**

अतिरिक्त टिप्पणी:

(₹ करोड़ में)

1)	क) उद्धृत निवेश की कुल राशि		
	लागत पर	1,340.42	1,367.04
	बाजार मूल्य	1,515.93	1,774.46
	ख) अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	0.00	0.00

2) निवेशों का मूल्यांकन लेखाकरण नीति 2.2 एवं 2.14 के अनुसार किया गया है।

3) कंपनी को एसपीवी ऋण की चुकौती हेतु पीजी इनविट से वर्तमान वर्ष के दौरान ₹26.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.96 करोड़) प्राप्त हुई है जिसे निवेश लागत से घटा दिया गया है।

टिप्पणी 9क: व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	294.48	733.18
कुल	**294.48**	**733.18**

अतिरिक्त टिप्पणी:

कंपनी के बकाया हिस्से को व्यापार प्राप्य (गैर–चालू/चालू) के तहत उनके उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022 या अन्यथा के अनुसार पुनःनिर्धारित किया गया है।

टिप्पणी 9क: व्यापार प्राप्य (जारी)

व्यापार प्राप्तियों की समयसीमा इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	294.48	-	-	-	-	-	294.48
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**294.48**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**294.48**
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	733.18	-	-	-	-	-	733.18
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल		**-**	**733.18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**733.18**

टिप्पणी 9: ऋण

(शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पक्षों को ऋण*		
संयुक्त उद्यमों को ऋण– अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	85.24	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	-	15.02
	85.24	**15.02**
घटाएं: हानि भत्ता**	-	15.02
	85.24	**-**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	0.01	-
	85.25	**-**
कर्मचारियों को ऋण (उद्भूत ब्याज सहित)		
प्रतिभूत#	436.90	404.22
अप्रतिभूत	49.09	42.22
	485.99	**446.44**
कुल	**571.24**	**446.44**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* संबंधित पक्षों को ऋण के ब्यौरे टिप्पणी 57 पर उपलब्ध हैं।

** क्षति के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 63(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी तथा कर्मचारियों को गृह–निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्तियों के बंधक अथवा वाहनों के रेहन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी के नीतियों के अनुपालन में दिए गए हैं।

टिप्पणी 10: अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(शोध्य समझे गए अप्रतिभूत, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टा प्राप्य	4,179.53	2,426.01
12 माह से अधिक की समय अवधि वाली बैंक जमा राशियां#	165.01	39.90
भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय##	3,487.50	3,487.50
अन्य	0.04	0.04
योग	**7,832.08**	**5,953.45**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

परामर्शी कार्य हेतु नामोदिष्ट खाते के संबंध में बैंक में जमा राशि 154.63 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹39.56 करोड़)

वित्त वर्ष 2018–19 में, कम्पनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के पत्र सं. 7/1/2018–का.ज्ञा. दिनांक 21 जनवरी, 2019 के अनुसार पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु प्रोदभूत देयताओं को पूरा करने के लिए पावर सिस्टम डेवलमेंट फण्ड (पीएसडीएफ) की भारत सरकार की योजना हेतु अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) बढ़ाने के लिए ₹3487.50 करोड़ की राशि के लिए ''भारत सरकार के पूर्ण प्रचलित बाण्ड'' जारी किए। ऐसे बाण्डों पर मूल की चुकौती एवं ब्याज भुगतान को भारत सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा। बाण्ड निर्गम की आय में से ₹3487.50 करोड़ की राशि को सहायता अनुदान के रूप में स्वीकार किया गया है।

टिप्पणी 11: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी व्यय हेतु अग्रिम		
अप्रतिभूत		
क. बैंक गारण्टियों के संबंध में	1,088.71	906.56
ख. अन्य	181.70	73.21
संदिग्ध समझे गए अप्रतिभूत	1.19	1.19
	1,271.60	**980.96**
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	1.19	1.19
	1,270.41	**979.77**
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
प्रतिभूति जमा	18.74	17.68
आस्थगित कर्मचारी लागत	48.87	37.78
आस्थगित विदेशी मुद्रा घट–बढ़ परिसंपत्ति	4,011.90	4,427.75
वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम अथवा मूल्य में प्राप्त किए जाने हेतु अग्रिम		
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों में शेष	31.57	10.76
अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर एवं अन्य कर #	174.34	44.05
अन्य*		
शोध्य समझे गए	467.67	711.69
संदिग्ध समझे गए	0.37	0.37
	468.04	**712.06**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों हेतु प्रावधान	0.37	0.37
	467.67	**711.69**
	673.58	**766.50**
योग	**6,023.50**	**6,229.48**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में ग्राहकों एवं राज्य सरकारों से वसूलनीय राशि, बीमा दावे, कर अधिकारियों से धन वापसी प्राप्त होने पर समूह द्वारा वसूली जाने वाली आदि राशि शामिल हैं।

निवल चालू कर देयताएं – टिप्पणी 33

टिप्पणी 12: माल-सूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
(मूल्यांकन विधि के लिए टिप्पणी 2.11 देखें)		
संघटक, पुर्जे एवं अन्य अतिरिक्त पुर्जे	1,344.16	1,310.59
खुले औजार	54.17	26.98
खपत योग्य सामान	8.38	9.44
	1,406.71	**1,347.01**
घटाएं : कमी/क्षतियों आदि हेतु प्रावधान	0.42	7.06
योग	**1,406.29**	**1,339.95**
मालसूची में पारगमन सामग्री शामिल है		
संघटक, स्पेयर और अन्य स्पेयर पार्ट्स	1.56	-

टिप्पणी 13: निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
उचित मूल्य पर निवेश के लाभ/(हानि) के माध्यम से उचित मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है		
उद्धरित		
म्यूचुअल फंड		
केनरा रोबेको लिक्विड फंड {364737.241 इकाई (पिछले वर्ष शून्य)}	105.54	-
एसबीआई लिक्विड फंड {1330210.403 इकाई (पिछले वर्ष शून्य)}	502.72	-
योग	**608.26**	**-**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) उद्धरित निवेश की कुल राशि

लागत पर	604.42	-
बाजार मूल्य	608.26	-

2) निवेशों का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या 2.14 के अनुसार किया गया है।

टिप्पणी 14: व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
व्यापार प्राप्य– अप्रतिभूति		
शोध्य समझे गए	11,530.93	14,878.65
ऋण हानि	351.37	296.93
	11,882.30	**15,175.58**
संबंधित पक्षों से प्राप्य– अप्रतिभूति		
शोध्य समझे गए	8.70	5.31
	11,891.00	**15,180.89**
घटाए:क्षति भत्तें	351.37	296.93
योग	**11,539.63**	**14,883.96**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के लिए आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण हेतु टिप्पणी सं 47 और संबंधित पक्षों से व्यापार प्राप्तियों के विवरण के लिए टिप्पणी सं 57 देखें।

टिप्पणी 14: व्यापार प्राप्य (जारी)

ख) व्यापार प्राप्तियों में ₹4,073.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,558.49 करोड़) की राशि के पारेषण खंड से संबंधित बिना बिल प्राप्तियां शामिल हैं, जिसमें से मार्च महीने के लिए पिछले तिमाहियों के बकाया बिलों सहित, वित्तीय वर्ष की राशि ₹3,547.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7,094.28 करोड़) शामिल हैं। लाभार्थियों को बाद के वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में बिल किया गया। व्यापार प्राप्य में डीआईसी को अंतरित की जाने वाली गैर–टैरिफ आय ₹75.41 करोड़ (पिछले वर्ष ₹82.81 करोड़) शामिल है, जिसे अबिलीकृत प्राप्य के सापेक्ष घटाया गया है क्योंकि इसे निवल आधार पर बिलीकृत किया जाएगा।

ग) कंपनी, बैंकों और लाभार्थियों के बीच व्यवस्था के आधार पर, लाभार्थियों के बिलों में छूट दी गई है। वर्ष के अंत तक छूट के माध्यम से कंपनी द्वारा अभी तक प्राप्त की गई राशि और लाभार्थियों द्वारा बैंकों को निपटान किया जाना है, जिसे उधार के रूप में दिखाया गया है (टिप्पणी संख्या 28 देखें) क्योंकि बिल कंपनी की सहायता हेतु छूट दी गई हैं। इस संबंध में बैंकों द्वारा कंपनी पर किसी भी दावे के मामले में, पूरी राशि लाभार्थियों से अधिभार के साथ वसूल की जाएगी। बकाया व्यापार प्राप्तियों में ₹2,693.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,922.61 करोड़) की राशि शामिल है जिसे कंपनी की सहायता हेतु छूट दी गई हैं और इसे उधार के रूप में दिखाया गया है (टिप्पणी संख्या 28 देखें)। कुल व्यापार प्राप्य (गैर–चालू सहित) बिलों की भुनाई के माध्यम से प्राप्त निवल राशि ₹9,140.59 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹13,694.53 करोड़)।

घ) व्यापार प्राप्तियों की समय सीमा इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण		बिल नहीं भेजा गया	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	0.53	138.14	722.43	200.66	14.71	112.34	**1,188.81**
	अविवादित	4,114.27	5,078.70	788.74	247.88	94.85	16.49	9.89	**10,350.82**
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	0.94	-	0.16	0.12	310.45	**311.67**
	अविवादित	-	-	-	-	0.45	6.16	33.09	**39.70**
कुल		**4,114.27**	**5,079.23**	**927.82**	**970.31**	**296.12**	**37.48**	**465.77**	**11,891.00**
31.03.2023 तक									
शोध्य समझे गए	विवादित	-	7.77	147.95	70.41	11.29	81.71	161.71	**480.84**
	अविवादित	8,621.36	4,710.20	707.23	261.09	74.66	19.80	8.78	**14,403.12**
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	विवादित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
	अविवादित	-	-	-	-	-	-	-	**-**
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	विवादित	-	-	-	-	0.13	-	273.78	**273.91**
	अविवादित	-	-	0.07	0.40	6.13	0.25	16.17	**23.02**
कुल		**8,621.36**	**4,717.97**	**855.25**	**331.90**	**92.21**	**101.76**	**460.44**	**15,180.89**

टिप्पणी 15: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंकों में शेष		
– चालू खातों में	1,813.81	1,633.53
–– नामोदिष्ट खाते में (परामर्शी ग्राहकों एवं अन्य हेतु)	86.28	240.30
मियादी जमाओं में (3 माह से कम की परिपक्वता वाले)* (ब्याज सहित)	1563.86	3318.34
योग	**3,463.95**	**5,192.17**

अतिरिक्त टिप्पणी:

*मियादी जमा में परामर्शी ग्राहकों एवं अन्यों के लिए ₹536.65 करोड़ (पूर्ववर्ती ₹808.24 करोड़) शामिल हैं।

टिप्पणी 16: नकदी एवं नकदी समतुल्य से भिन्न, बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
बैंक में निर्दिष्ट शेष*	33.22	29.91
मियादी जमा में, जिनमें 3 माह से अधिक परन्तु 12 माह तक की परिपक्वता हो (परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए) उपार्जित ब्याज सहित#	3,997.95	2,162.50
योग	**4,031.17**	**2,192.41**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

* बैंक में निर्दिष्ट शेष में अप्रदत्त लाभांश शामिल है।

मियादी जमा में परामर्शी एवं अन्य सेवाओं के लिए ₹1620.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹558.29 करोड़) शामिल है।

टिप्पणी 17: ऋण

शोध्य समझे गए जब तक अन्य उल्लेख न किया गया हो

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
संबंधित पक्षों को ऋण उपार्जित ब्याज सहित*		
संयुक्त उद्यमों को ऋण – अप्रतिभूत		
शोध्य समझे गए	13.41	-
क्रेडिट क्षतिग्रस्त	0.16	6.72
	13.57	**6.72**
घटाएं: हानि भत्ता**	0.16	6.72
	13.41	**-**
निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) को ऋण		
प्रतिभूत#	0.02	0.01
अप्रतिभूत शोध्य समझा गया	-	0.08
	0.02	**0.09**
	13.43	**0.09**
कर्मचारियों को ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)		
प्रतिभूत#	72.59	60.63
अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया	46.25	46.31
	118.84	**106.94**
योग	**132.27**	**107.03**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* संबंधित पक्षों को ऋणों के ब्यौरे टिप्पणी सं. 57 में उपलब्ध हैं।

** क्षतिग्रस्तता के लिए भत्ते के समाधान हेतु टिप्पणी 63(vi) देखें।

निदेशकों, एमपी एवं कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण एवं वाहन अग्रिम गृह सम्पत्ति को बंधक रखने अथवा वाहनों के दृष्टिबंधन के संबंध में प्रतिभूत होते हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण कम्पनी की नीतियों के अनुपालन में दिए जाते हैं।

टिप्पणी 18: अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई जब तक अन्यथा उल्लेख न हो)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टे से प्राप्त योग्य राशियां	391.49	220.23
अनुबन्ध परिसंपत्तियां#	4,327.75	828.48

टिप्पणी 18: अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
भारत सरकार द्वारा पूर्णरूप से चालू बाण्डों के लिए वसूलनीय (उद्भूत ब्याज सहित)	36.90	36.22
संबंधित पक्षों को अग्रिम/प्राप्त योग्य राशियां ##	5.30	3.41
अन्य ###		
शोध्य समझा गया	281.05	621.75
संदिग्ध समझा गया	7.94	7.94
योग	**288.99**	**629.69**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	7.94	7.94
	281.05	**621.75**
योग	**5,042.49**	**1,710.09**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

\# अनुबंध संपत्ति में संबंधित पक्षों से ₹0.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.16 करोड़) शामिल हैं (टिप्पणी 57 देखें)। इंड–एएस 115 'ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व' के अनुसार प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी 46 देखें।

\## संबंधित पक्षों के अग्रिमों के ब्यौरे टिप्पणी 57 में उपलब्ध हैं।

\### अन्य, में शामिल हैं :–

क) हक अन्तरण हेतु कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने तक तुगलगाबाद और द्वारका सब स्टेशन में 2.427 हेक्टेयर भूमि के अन्तरण के संबंध में मै. दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड से वसूलनीय ₹59.88 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹59.88) की राशि।

ख) ग्राहकों से वसूलनीय राशि, आवासीय एवं कार्यालय आवास हेतु अग्रिम किराया पीफ न्यास एवं उपदान न्यास को अग्रिम, अन्य अग्रिम आदि।

ग) समूह संस्था ने सीईआरसी आदेश के अनुसार पहले से जारी बैंक गारंटी के लिए विनिमय के रूप में एलटीटीसी को ₹110.04 करोड़ जमा किया है। (टिप्पणी संख्या 32 देखें)

टिप्पणी 19: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(अप्रतिभूत शोध्य समझी गई, जब तक अन्यथा उल्लेखित हो) (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पूंजी व्यय से भिन्न अग्रिम		
वस्तु रूप में वसूली योग्य अग्रिमों अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए		
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	11.24	15.46
कर्मचारी	8.48	9.11
सीमाशुल्क पत्तन न्यास एवं अन्य प्राधिकरणों के पास शेष	22.17	28.63
वसूलीयोग्य दावे	-	18.83
	41.89	**72.03**
आस्थगित कर्मचारी लागत	8.24	6.54
अन्य*		
शोध्य समझे गए	517.50	157.71
संदिग्ध समझे गए	0.01	0.01
	517.51	**157.72**
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.01	0.01
	517.50	**157.71**
योग	**567.63**	**236.28**

अतिरिक्त टिप्पणी :

*अन्य में सीएसआर कार्यकलापों हेतु दिए गए अग्रिम तथा इनपुट कर क्रेडिट– जीएसटी आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 19क: बिक्री के लिये धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	चालू	गैर–चालू	चालू	गैर–चालू
इक्विटी लिखत में निवेश (पूर्णतः संदत्त)				
सहयोगी कंपनियां				
पावरग्रिड कालाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 15860000 (पूर्ववर्ती वर्ष 15860000) इक्विटी शेयर	15.86	-	15.86	-
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 58996600 (पूर्ववर्ती वर्ष 58996600) इक्विटी शेयर	59.00	-	59.00	-
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 102258000 (पूर्ववर्ती वर्ष 102258000) इक्विटी शेयर	102.26	-	102.26	-
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 83746000 (पूर्ववर्ती वर्ष 83746000) इक्विटी शेयर	83.74	-	83.74	-
कुल	**260.86**	**-**	**260.86**	**-**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ('पीजीइनविट/ट्रस्ट') के माध्यम से अपनी पांच (05 नग)सहायक कंपनियों की 74% शेयरधारिता का मुद्रीकरण किया है और एसपीवी में से एक के शेष 26% शेयर मार्च 2022 में अंतरित किए गए थे। एसपीवी की 04 सहभागी कंपनी की शेष 26% शेयरधारिता जिसका मूल्य ₹260.86 करोड़ है, को ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट (टीएसए) के अनुरूप द्रीकरण किया जाना है और इसे "बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी 20: विनियामक आस्थगन लेखा शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियां		
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्तियां	7,258.64	7,831.48
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	2,273.87	2,398.86
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	9.57	4.10
योग	**9,542.08**	**10,234.44**

अतिरिक्त टिप्पणी:

विनायमक आस्थगन लेखा शेष पर विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 52 देखें।

टिप्पणी 21: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकृत		
₹10/–प्रत्येक के सम मूल्य पर 10,00,00,00,000 (पूर्ववर्ती वर्ष 10,00,00,00,000) इक्विटी शेयर	10,000.00	10,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
₹10/–प्रत्येक सम मूल्य पर पूर्ण रूप से प्रदत्त 9300603819 (पूर्ववर्ती वर्ष 6,97,54,52,864) इक्विटी शेयर	9,300.60	6,975.45

टिप्पणी 21: इक्विटी शेयर पूंजी (जारी)

अतिरिक्त टिप्पणी:

1) सूचना अवधि के शुरू में और अन्त में बकाया शेयर पूंजी की संख्या एवं राशि का मिलान।

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं	राशि (₹ करोड़ में)	शेयरों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	6975452864	6,975.45	6975452864	6,975.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	2325150955	2,325.15	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	9300603819	9,300.60	6975452864	6,975.45

* कंपनी ने प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग करके 12 सितंबर 2023 की रिकॉर्ड तिथि पर धारित प्रत्येक तीन इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक के इक्विटी शेयर के अनुपात में पूर्णतः भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में ₹10/– प्रत्येक के 2325150955 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

2. कम्पनी के पास केवल एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, जिनका ₹10/– प्रति शेयर अंकित मूल्य है।

3. इक्विटी शेयरों के धारक समय–समय पर यथा–घोषित लाभांशों को प्राप्त करने के लिए हकदार हैं और शेयरधारकों को बैठक में अपने शेयरधारण के अनुपात में मत देने का अधिकार है।

4. शेयरधारक, जिसके पास कम्पनी के 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर हैं।

विवरण	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023		% Change
	शेयरों की सं.	धारित%	शेयरों की सं.	धारित%	
भारत सरकार (प्रवर्तक)	4774884280	51.34	3581163210	51.34	-

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
प्रारक्षित एवं अधिशेष		
पूंजीगत निधि	9.88	9.88
प्रतिभूति प्रीमियम	5,509.28	7,834.43
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि	2,921.02	4,168.17
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	1,292.23	1,088.46
सामान्य प्रारक्षित निधि	64,643.67	58,534.81
प्रतिधारित आय	3,295.75	4,043.48
अन्य प्रारक्षित निधियां		
अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि	172.68	371.61
योग	**77,844.51**	**76,050.84**

22.1 पूंजीगत प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	9.88	9.88
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**9.88**	**9.88**

22.2 प्रतिभूति प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	7,834.43	7,834.43
वर्ष के दौरान कटौती	2,325.15	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,509.28**	**7,834.43**

शेयरों के निर्गम पर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम में दर्ज किया गया है और इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान पूर्ण संदत्त बोनस शेयर जारी करने के लिए किया गया है।

22.3 बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	4,168.17	5,532.80
वर्ष के दौरान कटौती	1,247.15	1,364.63
वर्ष के अंत में शेष	**2,921.02**	**4,168.17**

बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है। कंपनी (शेयर पूजी और डिबेन्चर) नियम 2014 के अन्तर्गत 16.08.2019 से सूचीबद्ध कंपनी को बोनस शोधन प्रारक्षित निधी सृजन की आवश्यकता नहीं बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि का सृजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार ऋण पत्रों के शोधन के प्रयोजनार्थ किया जाता है।

22.4 स्व–बीमा प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	1,088.46	874.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन	312.63	318.15
वर्ष के दौरान कटौती	108.86	104.55
वर्ष के अंत में शेष	**1,292.23**	**1,088.46**

स्व–बीमा प्रारक्षित निधि का सृजन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल सकल ब्लॉक (जिसमें लीज प्राप्तियां शामिल हैं) और वर्ष के अंत में आरओयू परिसंपत्तियों और बीमा के तहत कवर की गई परिसंपत्तियों को छोड़कर इन्वेंट्री के मूल्य पर 0.04% प्रति वर्ष से 0.12% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष में 0.12%) के जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, ताकि भविष्य में होने वाले नुकसानों को पूरा किया जा सके, जो बीमाकृत जोखिमों से उत्पन्न हो सकते हैं और टावरों और अन्य ट्रांसमिशन लाइन सामग्रियों की खरीद के लिए, जिसमें भविष्य की आकस्मिकताओं का ध्यान रखने के लिए एसी सब–स्टेशन के टावरों और उपकरणों को मजबूत करना शामिल है।

22.5 सामान्य प्रारक्षित निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	58,534.81	50,430.26
वर्ष के दौरान परिवर्धन	6,108.86	8,104.55
वर्ष के अंत में शेष	**64,643.67**	**58,534.81**

सामान्य प्रारक्षित निधि कम्पनी की प्रतिधारित आय है, जिसको कम्पनी के लाभों से अलग रखा जाता है। यह एक स्वतंत्र प्रारक्षित निधि है, जिसे किसी अज्ञात आगामी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए तथा शेयरधारकों का लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

22.6 प्रतिधारित आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	4,043.48	4,097.36
जोड़े / (घटाएं) :इंड एएस 12 समायोजन परिवर्धन	-	9.16
	4,043.48	**4,106.52**

टिप्पणी 22: अन्य इक्विटी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
जोड़े : परिवर्धन		
अवधि हेतु निवल लाभ	15,573.16	15,419.74
अधिशेष में सीधे स्वीकृत अन्य व्यापक आय की मदें		
– नियोजन उपरांत लाभ बाध्यताओं का पुर्नमूल्यांकन	(35.68)	19.42
बाण्ड शोधन प्रारक्षित निधि से हस्तान्तरण	1,247.15	1,364.63
घटाएं : विनियोजन		
सामान्य प्रारक्षित निधि	6,000.00	8,000.00
स्व–बीमा प्रारक्षित निधि	312.63	318.15
संदत्त अंतरिम लाभांश (टिप्पणी 61(ख) देखें)	7,905.51	6,975.45
अंतिम लाभांश (टिप्पणी 61(ख) को देखें)	3,313.34	1,569.48
अन्य समायोजन	0.88	3.75
वर्ष के अंत में शेष	**3,295.75**	**4,043.48**

22.7 अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
वर्ष के शुरू में शेष	371.61	492.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन	(198.93)	(120.48)
वर्ष के अंत में शेष	**172.68**	**371.61**

अन्य व्यापक आय प्रारक्षित निधि को दूसरे व्यापक आय के जरिए उचित रूप में मूल्यांकित वर्गीकृत इक्विटी लिखतों में गैर–चालू निवेशों के मूल्यांकन में वृद्धि/कमी से सृजित किया जाता है (एफवीओसीआई)।

टिप्पणी 23: उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
क) बांड			
क1) प्रतिभूत (कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, असंपरिवर्तनीय)			
क1.1 i)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		
	LV निर्गम–7.55% दिनांक 21.09.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,289.21	1,289.07
	LX निर्गम–7.20% दिनांक 09.08.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,201.96	3,201.72
	LIX निर्गम–7.30% दिनांक 19.06.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	3,245.63	3,245.47
	XXXIX निर्गम–9.40% दिनांक 29.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,801.35	1,801.34
	LVIII निर्गम–7.89% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,070.15	2,070.09
	XXXVIII निर्गम–9.25% दिनांक 09.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय	859.95	859.93
	LVI निर्गम–7.36% दिनांक 18.10.2026 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,100.47	1,100.32
	LXII निर्गम–8.36% दिनांक 07.01.2025 से 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय	2,038.72	2,038.34
ii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2021, 15.07.2026 और 15.07.2031 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIV निर्गम–7.97% दिनांक 15.07.2021 से प्रतिदेय	2,113.57	2,113.43

टिप्पणी 23: उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
iii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.12.2020, 23.12.2025 और 23.12.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LII निर्गम–8.32% दिनांक 23.12.2020 से प्रतिदेय	953.10	952.93
iv)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, प्रत्येक को 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LIII निर्गम–8.13 % दिनांक 25.04.2020 से प्रतिदेय	2,866.30	3,224.54
v)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 09.03.2020, 09.03.2025 और 09.03.2030 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLIX निर्गम–8.15% दिनांक 09.03.2020 से प्रतिदेय	874.40	874.36
vi)	प्रत्येक ₹40 लाख के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 4 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 23.01.2020, 23.01.2022, 23.01.2025 और 23.01.2030 को 4 (चार) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVIII निर्गम–8.20% दिनांक 23.01.2020 से प्रतिदेय	1,309.89	1,309.64
vii)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LI निर्गम–8.40% दिनांक 14.09.2019 से प्रतिदेय	1,830.26	2,091.51
viii)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड में ₹10 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 04.09.2019, 04.09.2024 और 04.09.2029 को 3 (तीन) समान किस्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVI निर्गम–9.30% दिनांक 04.09.2019 से प्रतिदेय	3,063.11	3,062.77
ix)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	L निर्गम–8.40% दिनांक 27.05.2019 से प्रतिदेय	1,829.46	2,090.73
x)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLVII निर्गम–8.93% दिनांक 20.10.2018 से प्रतिदेय	1,372.77	1,601.34
xi)	प्रत्येक ₹30 लाख के बांड को 15.07.2018, 15.07.2023 और 15.07.2028 को 3 समान किस्तों में सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा।		
	XLIV निर्गम–8.70% दिनांक 15.07.2018 से प्रतिदेय	1,403.97	2,807.80
xii)	प्रत्येक ₹1.20 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLV निर्गम–9.65% दिनांक 28.02.2018 से प्रतिदेय	840.20	1,008.00
	XLIII निर्गम–7.93% दिनांक 20.05.2017 से प्रतिदेय	1,391.93	1,670.26
xiii)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XLI निर्गम–8.85% दिनांक 19.10.2016 से प्रतिदेय	985.29	1,231.45
xiv)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹10.00 लाख के 15 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 15 (पन्द्रह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XXXVI निर्गम– 9.35% दिनांक 29.08.2016 से प्रतिदेय	1,521.55	1,738.74
xv)	प्रत्येक ₹1.50 करोड़ के बांड में प्रत्येक ₹12.50 लाख के 12 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 12 (बारह) समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	XL निर्गम–9.30% दिनांक 28.06.2016 से प्रतिदेय	1,426.62	1,783.17

टिप्पणी 23: उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
	XXXVII निर्गम–9.25% दिनांक 26.12.2015 से प्रतिदेय	510.97	681.17
	XXXV निर्गम–9.64% दिनांक 31.05.2015 से प्रतिदेय	528.81	705.05
	XXXIV निर्गम–8.84% दिनांक 21.10.2014 से प्रतिदेय	604.13	906.08
	XXXIII निर्गम–8.64% दिनांक 08.07.2014 से प्रतिदेय	510.37	765.50
	XXXII निर्गम–8.84% दिनांक 29.03.2014 से प्रतिदेय	86.31	172.62
	XXXI निर्गम–8.90% दिनांक 25.02.2014 से प्रतिदेय	172.12	344.16
	XXX निर्गम–8.80% दिनांक 29.09.2013 से प्रतिदेय	203.02	405.99
	XXIX निर्गम–9.20% दिनांक 12.03.2013 से प्रतिदेय	-	108.67
	XXVIII निर्गम–9.33% दिनांक 15.12.2012 से प्रतिदेय	-	205.47
		42,005.59	**47,461.66**
क2) अप्रतिभूत			
क2.1 प्रतिदेय घरेलू बांड			
i)	प्रत्येक 1 लाख रुपये के बांड		
	LXXVI निर्गम–7.35% दिनांक 12.03.2034 को सममूल्य पर प्रतिदेय	1,204.18	-
ii)	प्रत्येक ₹10 लाख के बांड		
	LXVIII निर्गम–6.28% दिनांक 11.04.2031 को सममूल्य पर प्रतिदेय	520.57	520.54
	LXVI निर्गम–7.38% दिनांक 12.04.2030 को सममूल्य पर प्रतिदेय	508.30	508.20
iii)	प्रत्येक ₹50 लाख के बांड में ₹10.00 लाख के 5 एसटीआरपीपी शामिल हैं जो 5 (पांच) समान वार्षिक किस्तों में भुनाए जा सकते हैं।		
	XLI निर्गम–7.74% दिनांक 12.12.2028 को प्रतिदेय	3,070.26	3,069.80
	प्रत्येक ₹10 लाख के बांड		
iv)	**LXIX निर्गम–6.05% दिनांक 25.03.2027 को सममूल्य पर प्रतिदेय**	530.50	530.49
	LXVII निर्गम–6.85% दिनांक 15.04.2025 को सममूल्य पर प्रतिदेय	2,984.40	2,984.33
v)	प्रत्येक ₹1 लाख के बांड, 10 समान वार्षिक किस्तों/ में भुनाए जा सकते हैं @		
	LXXV Issue-7.65% redeemable w.e.f. 11.01.2025	2,236.08	-
vi)	₹10 लाख के प्रत्येक बांड में ₹3.00 लाख, ₹3.00 लाख और ₹4.00 लाख के 3 एसटीआरपीपी शामिल हैं, जिन्हें 25.10.2024, 25.10.2029 और 25.10.2034 को 3 (तीन) किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIV निर्गम–7.49% दिनांक 25.10.2024 से प्रतिदेय	2,601.84	2,601.52
vii)	प्रत्येक ₹1 लाख के बांड, 10 समान वार्षिक किस्तों/ में भुनाए जा सकते हैं @		
	LXXIV निर्गम–7.70% दिनांक 12.10.2024 से प्रतिदेय	2,330.28	-
	LXXIII निर्गम–7.50% दिनांक 24.08.2024 से प्रतिदेय	1,305.99	-
viii)	₹30 लाख के प्रत्येक बांड में ₹10.00 लाख के 03 एसटीआरपीपी शामिल हैं जिन्हें 15.07.2024, 15.07.2029 और 15.07.2034 को 03 (तीन) समान किश्तों में भुनाया जा सकता है।		
	LXIII निर्गम–7.34% दिनांक 15.07.2024 से प्रतिदेय	1,894.07	1,893.94
ix)	₹1 लाख के बांड जिन्हें 40 समान त्रैमासिक किस्तों में भुनाया जा सकता है#		
	LXXI निर्गम–7.52% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	809.19	868.56
	LXXII निर्गम–7.56% दिनांक 17.08.2023 से प्रतिदेय	396.68	425.07
	LXX निर्गम–7.40% दिनांक 17.05.2023 से प्रतिदेय	1,924.89	2,138.38
x)	प्रत्येक 10 लाख रुपये के बांड		

टिप्पणी 23: उधारियां (जारी)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
	LXV निर्गम–6.35% दिनांक 14.04.2023 को सममूल्य पर प्रतिदेय	-	202.89
		22,317.23	**15,743.72**
	कुल (क)	**64,322.82**	**63,205.38**
ख) सावधि ऋण			
बैंकों से			
प्रतिभूत			
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	23,030.79	24,964.95
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	6,557.96	7,037.27
	रुपया ऋण	6,366.98	7,821.01
		35,955.73	**39,823.23**
अप्रतिभूत			
	विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	2,679.08	3,127.73
	अन्य विदेशी मुद्रा ऋण	2,176.41	2,575.72
	रुपया ऋण	18,527.94	20,119.43
		23,383.43	**25,822.88**
	कुल (ख)	**59,339.16**	**65,646.11**
	कुल (क से ख)	**123,661.98**	**128,851.49**
	घटाएं: गैर चालू उधार की वर्तमान परिपक्वता (टिप्पणी 28 देखें)	15,688.15	12,003.61
	घटाएं: उपार्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं (टिप्पणी 30 देखें)	2,906.88	2,956.59
	कुल	**105,066.95**	**113,891.29**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

@ चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने चार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात पावरग्रिड भुज सिस्टम लिमिटेड और पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को सुरक्षित किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए कुल ₹5,700 करोड़ जुटाए हैं।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी तीन सहायक कंपनियों नामतः पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड से अपने नकदी प्रवाह को प्रतिभूत किया है और नई राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के अनुसरण में अपने पूंजीगत व्यय को आंशिक रूप से वित्तपोषित करने के लिए तीन किश्तों में कुल ₹3,412 करोड़ जुटाए।

चुकौती एवं ब्याज दर के संबंध में ब्यौरे

1. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत) : जिनमें दैनिक एलआईबीओआर से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। इन ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार सार अर्ध वार्षिक किस्त में चुकाया जाता है। सिवाय, ₹414.52 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹408.08 करोड़) के एक ऋण थे, जिसपर 0.25% की प्रतिवर्ष निर्धारित ब्याज दर है।
2. प्रतिभूत अन्य विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6 एम (ईयूआरओईबीओआर) से जुड़ी ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ड्न ऋणों को 3 से 5 वर्ष की बिलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्त चुकाया जाता है।
3. बैंकों से ग्रतिभूत रुपया, जिसमें 3 एमएमसीएलआर से जुड़े ब्याज की अस्थायी दर शामिल है। ये ऋण 5 वर्ष की विलंबन अवधि के बाद शुरू होने वाले संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है।
4. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभती जिसमें 1.63% प्रतिवर्ष से 2.30% प्रतिवर्ष की सीमा में स्थायी ब्याज दर है। इन ऋणों को संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार कित्त में चुकाया जाता हैं।
5. अप्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण, जिसमें 6एम एसटीआईबीओआर/ईयुआरबीओआर से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार आधे वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।

टिप्पणी 23: उधारियां (जारी)

6. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण, जिसमें 3 एम टीओएनए से जुड़ी अस्थायी ब्याज दर शामिल है। ऋण करार की शर्तों के अनुसार यह ऋण पांच सामान्य वार्षिक किस्तों में चुकाए जाते हैं।

7. बैंक से अप्रतिभूत रुपए में ऋण 3 माह एमसीएलआर या रेपो दर से सबन्धित फ्लोटिंग ब्याज दर हैं। ये ऋण विलंबन अवधि के बाद आरंभ संबंधित ऋण करार की शर्तों के अनुसार अर्ध वार्षिक वित्त में चुकाए जाते हैं।

8. ये ऋण समझौतों के अंत में ऋणों की चुनौती अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

9. कंपनी ने बैंकों और वित्तीय सस्थानों से उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उधार लिया है जिसके लिए इसे तुलन–पत्र की तारीख में लिया गया था।

प्रतिभूतियों के ब्यौरे

1. स्वदेशी बाण्ड, जिला वलसाड़ गुजरात में मौजे अम्भेटी तालुका कापराडा में स्थित अचल सम्पत्ति पर समरूप रैंकिंग में पंजीकृत बाण्ड ट्रस्ट डीड के रूप में प्रतिभूत है और कम्पनी की परिसंपत्तियों पर अस्थायी प्रभार पर प्रतिभूत हैं।
2. प्रतिभूत विदेशी मुद्रा ऋण (भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत), ऋणों हेतु प्रतिभूति के रूप में परिसंपत्तियों पर सृजित धारणाधिकार में समरूप ब्याज द्वारा प्रतिभूत हैं।
3. प्रतिभूत अन्य विदेशी ऋण और रुपया ऋण निम्न के संबंध में प्रतिभूत होते हैं :–

   i) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेशों भूमि एवं भवन, सड़क एवं पुलों, जल आपूर्ति, जल निकासी एवं मल निकासी तथा चालू परिसंपत्तियों के।

   ii) कम्पनी की परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार, सिवाय निवेश एवं चालू परिसंपत्तियों के अथवा,

   iii) संबंधित ऋण करारों की शर्तों के अनुसार की अचल सम्पत्तियों पर अस्थायी प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

टिप्पणी 24: अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	71.91	70.24
भारत सरकार की पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड*	3,487.50	3,487.50
पूंजीगत व्यय हेतु देयताएं	7.32	6.93
योग	**3,566.73**	**3,564.67**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 50 में दिया गया है।

* भारत सरकार के पूर्ण प्रचालनरत बाण्ड जिन्हें 14.02.2029 को समूल्य पर विमोच्य 8.24% की दर पर जारी किया गया। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी सं. 10 को देखें।

टिप्पणी 25: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कर्मचारी हितलाभ		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	577.87	517.14
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	65.79	60.73
अन्त शेष	**643.66**	**577.87**

अतिरिक्त टिप्पणी:

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ते, और दीर्घ सेवा प्रतिफल एवं अन्य लाभों के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है। कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान से संबंधित विस्तृत प्रकटन, टिप्पणी 65 में दिए गए हैं।

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
निर्माण अवधि के दौरान आय	13.65	18.87
भुगतान आधार पर स्वीकार्य प्रावधान	477.03	554.54
मूल्यहास के प्रति अग्रिम	201.45	246.96
अप्रयुक्त कर हानि	821.45	665.22
मैट क्रेडिट हकदारिता	16,653.27	15,265.10
अन्य	299.40	285.80
	18,466.25	**17,036.49**
घटाएं: आस्थगित कर देयताओं सहित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की भरपाई	18,404.61	16,981.59
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**61.64**	**54.90**
आस्थगित कर देयता (निवल)		
अर्जित मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	28,408.75	27,373.14
वित्तीय पट्टा परिसंपत्तियां	130.65	130.60
अन्य	163.78	199.84
	28,703.18	**27,703.58**
घटाएं: आस्थगित कर परिसंपत्तियां सहित आस्थगित कर देयताओं की भरपाई	18,404.61	16,981.59
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**10,298.57**	**10,721.99**

अतिरिक्त टिप्पणी:

आस्थगित कर देयता में घट–बढ़ निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	वित्त पट्टा परिसंपत्ति	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2022 को	**26,146.21**	**91.48**	**207.61**	**26,445.30**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	1,226.93	39.12	10.32	1,276.37
अन्य व्यापक आय में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)			(18.09)	(18.09)
31 मार्च, 2023 को	**27,373.14**	**130.60**	**199.84**	**27,703.58**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	1,035.61	0.05	(3.08)	1,032.58
अन्य व्यापक आय में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)			(32.98)	(32.98)
31 मार्च, 2024 को	**28,408.75**	**130.65**	**163.78**	**28,703.18**

आस्थगित कर परिसंपत्ति में घट–बढ़ निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्माण के दौरान सम्पत्ति संयंत्र उपकरण– आय	भुगतान आधार पर अनुमत्य प्रावधान व्यय	मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम	एमएटी क्रेडिट	अन्य	योग
1 अप्रैल, 2022 को	**18.26**	**591.26**	**299.92**	**13,268.89**	**919.15**	**15,097.48**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट किया गया)	0.61	(36.72)	(52.96)	1,996.21	31.87	1,939.01
31 मार्च, 2023 को	**18.87**	**554.54**	**246.96**	**15,265.10**	**951.02**	**17,036.49**
लाभ अथवा हानि में प्रभारित / (क्रेडिट कियागया)	(5.22)	(77.51)	(45.51)	1,388.41	169.83	1,430.00
अन्य समायोजन				(0.24)		(0.24)
31 मार्च, 2024 को	**13.65**	**477.03**	**201.45**	**16,653.27**	**1,120.85**	**18,466.25**

टिप्पणी 26: आस्थगित कर देयताएं (निवल) (जारी)

लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के विवरण में मान्यता प्राप्त निम्नानुसार हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता में वृद्धि/(कमी)	1,032.58	1,276.37
आस्थगित कर परिसंपत्ति में कमी/(वृद्धि)	(1,430.00)	(1,939.01)
लाभ अथवा हानि में प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(397.42)**	**(662.64)**
आस्थगन कर परिसंपत्ति में वृद्धि/(कमी)	(32.98)	(18.09)
अन्य व्यापक आय प्रभारित/(क्रेडिट की गई) राशि	**(32.98)**	**(18.09)**

क. प्रबंधन की राय में यह संभव है कि भावी आर्थिक लाभ मैट क्रेडिट को स्वीकार करके भावी आय कर देयता के प्रति छूट की उपलब्धता के रूप में समूह को निम्नानुसार प्राप्त होंगे :
भावी कराधेय लाभों को (क) 31 मार्च, 2017 तक शुरू किए गए परियोजनाओं के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के तहत कर राहत के संबंध में समायोजित किया जाएगा (ख) भविष्य में शुरू किए जाने वाले परिसंपत्तियों पर शुरूआती मूल्यहास (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के तहत नियमित आय कर मूल्यह्रास के संबंध में समायोजित किया जाएगा और इसके बाद कर राशि में मैट क्रेडिट के प्रति छूट प्राप्त होगी। अतः इसे वर्ष के दौरान आस्थगित्त कर परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार किया गया है।

ख. भविष्य में समूह को प्राप्त मैट क्रेडिट परन्तु बाहियों में स्वीकार नहीं किया गया:

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2024 को	समाप्ति तारीख	31 मार्च, 2023 को	समाप्ति तारीख
2015-16	1,421.20	31 मार्च 2026	1,421.20	31 मार्च 2026
2014-15	1,281.23	31 मार्च 2025	1,281.23	31 मार्च 2025
2013-14	-	31 मार्च 2024	1,085.14	31 मार्च 2024

टिप्पणी 27: अन्य गैर-चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम (परामर्शी / दूरसंचार सेवाएं)$	214.76	194.15
अन्य	9.49	6.21
योग	**224.25**	**200.36**

अतिरिक्त टिप्पणी :

$ भा.ले.मा. 115 के तहत ''ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 47 देखें।

टिप्पणी 28: उधारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क) दीर्घावधि उधारियों की वर्तमान परिपक्वता		
प्रतिभूत		
बांड	6,495.35	5,191.48
रुपया सावधि ऋण	1,454.00	1,454.00
विदेशी मुद्रा ऋण	2,789.59	2,856.77
	10,738.94	**9,502.25**
अप्रतिभूत		
बांड	2,267.20	508.90
रुपया सावधि ऋण	1,994.44	1,300.00
विदेशी मुद्रा ऋण	687.57	692.46
	4,949.21	**2,501.36**
	15,688.15	**12,003.61**

टिप्पणी 28: उधारी (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ख) चालू उधार		
प्रतिभूत		
बैंकों से– छूट दी गई बिल के प्रति (नीचे टिप्पणी 3 देखें)	2,693.52	1,922.61
अप्रतिभूत		
बैंकों से	-	700.00
	2,693.52	**2,622.61**
योग	**18,381.67**	**14,626.22**

अतिरिक्त टिप्पणी:

1. अप्रतिभूत अल्पावधिक ऋण 7.12% (पिछले वर्ष की सीमा 4.45% से 6.70% थी) से जुटाई जाती है और निकासी की तारीख से 90 दिन (पिछले वर्ष में 90 दिन के भीतर चुकौती योग्य था) के भीतर चुकौती योग्य होते हैं।
2. वर्ष की समाप्ति पर ऋणों की चुकौती में अथवा उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नही हुई है।
3. बैंक से प्रतिभूति ऋण, व्यापार प्राप्तियों के प्रति छूट प्राप्त बिलों के कारण लाभार्थियों द्वारा बैंकों को देय राशि के लिए है। (टिप्पणी संख्या 14(ग) देखें।

टिप्पणी 29: व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
सामान एवं सेवा हेतु		
(क) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएं	75.17	49.34
(ख) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों से इतर क्रेडिटरों की कुल बकाया देयताएं'	296.19	278.45
योग	**371.36**	**327.79**

अतिरिक्त टिप्पणी:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के खण्ड I और ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 50 में दिया गया है।

* व्यापार देयताओं में संबंधित पक्षों से ₹2.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.15 करोड़) शामिल है। (टिप्पणी संख्या 57 देखें)

व्यापार देय की एजेंग इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
31 मार्च, 2024 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	34.27	40.90	-	-	-	75.17
कुल	**34.27**	**40.90**	**-**	**-**	**-**	**75.17**
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	141.84	150.42	2.44	1.16	0.33	296.19
कुल	**141.84**	**150.42**	**2.44**	**1.16**	**0.33**	**296.19**
कुल व्यापार देयताएं	**176.11**	**191.32**	**2.44**	**1.16**	**0.33**	**371.36**
31 मार्च, 2023 को						
एमएसएमई						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	33.37	15.97	-	-	-	49.34
कुल	**33.37**	**15.97**	**-**	**-**	**-**	**49.34**

टिप्पणी 29: व्यापार देयताएं (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल नहीं भेजा गया	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
अन्य						
विवादित	-	-	-	-	-	-
अविवादित	142.95	125.48	8.77	0.63	0.62	278.45
कुल	**142.95**	**125.48**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**278.45**
कुल व्यापार देयताएं	**176.32**	**141.45**	**8.77**	**0.63**	**0.62**	**327.79**

टिप्पणी 30: अन्य चालू वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ब्याज उपार्जित लेकिन उधार लेने पर देय नहीं:		
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	503.20	473.70
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बाण्डों	2,403.68	2,482.89
	2,906.88	**2,956.59**
ब्याज उपार्जित लेकिन भारत सरकार के पूर्णतः प्रदत्त बांडों से देय नहीं है	**36.90**	**36.22**
अन्य		
पूंजीगत व्यय हेतु देय राशियां	2,173.31	1,117.48
कर्मचारी से संबंधित देयताएं	124.74	141.87
अदावेकित लाभांश एवं एफपीओ*	33.22	29.91
ठेकेदारों एवं अन्यों से जमा राशियां/प्रतिधारण राशि	3,643.71	3,150.17
संबंधित पक्ष**	41.35	2.36
अन्य#	2,651.12	3,277.08
	8,667.45	**7,718.87**
योग	**11,611.23**	**10,711.68**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के संबंध में प्रकटन, जैसा कि ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के तहत अपेक्षित है, टिप्पणी सं. 50 में दिया गया है।

* निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को भुगतान हेतु, कोई राशि देय नहीं है।

** संबंधित पक्षों के देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 57 में उपलब्ध हैं।

अन्य में दीर्घावधि पहुंच (एलटीए), अल्पावधि खुली पहुंच (एसटीओए), आईएसटीएस, लाइसेंस रिकवरी, मूल्य उतार–चढ़ाव आदि के सापेक्ष भुगतान के लिए देयता शामिल है।

टिप्पणी 31: अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
ग्राहकों से अग्रिम*	2,852.09	2,894.61
ग्राहकों से अग्रिम – संबंधित पक्ष#	30.04	106.85
सांविधिक देय	330.39	324.64
योग	**3,212.52**	**3,326.10**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* भारतीय ले.मा. 115 ''ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व'' के अनुसार प्रकटन हेतु टिप्पणी 47 देखें।

संबंधित पक्ष को देय राशि के ब्यौरे टिप्पणी 57 में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी 32: प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
क) कर्मचारी हितलाभ		
i) निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन		
प्रारंभिक शेष	427.76	438.74
वर्ष के दौरान परिवर्धन	415.80	427.76
वर्ष के दौरान प्रदत्त/समायोजित निधि	427.76	438.74
अन्त शेष	**415.80**	**427.76**
ii) अन्य कर्मचारी लाभ		
(छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता और दीर्घ सेवा पुरस्कार आदि)		
प्रारंभिक शेष	104.86	251.86
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	(14.37)	(147.00)
अन्त शेष	**90.49**	**104.86**
योग (क)	**506.29**	**532.62**
ख) अन्य		
i) निष्क्रिय सेवा क्रेडिट–टेलीकॉम		
प्रारंभिक शेष	1.32	3.25
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	3.50	8.59
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	2.99	10.52
अंत शेष	**1.83**	**1.32**
ii) अन्य प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	482.28	473.27
वर्ष के दौरान परिवर्धन/(समायोजन)	(163.75)	9.01
अंत शेष	**318.53**	**482.28**
योग (ख)	**320.36**	**483.60**
कुल योग (क+ख)	**826.65**	**1,016.22**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

क. कर्मचारी हित लाभ

i. निष्पादन से संबंधित वेतन/विशेष प्रोत्साहन

कार्यपालकों एवं गैर–कार्यपालकों को निष्पादन से संबंधित वेतन हेतु प्रावधान सृजित किया गया है।

ii) अन्य कर्मचारी हितलाभ

छुट्टी नकदीकरण, व्यवस्थापन भत्ता, दीर्घ सेवा प्रतिफल और पावर ग्रिड कर्मचारी परिवार पुनर्वास योजना को पूरा करने के प्रयोजनार्थ प्रावधान सृजित किया गया है ख्कर्मचारी हितलाभ दायित्वों से संबंधित विस्तृत प्रकटीकरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।

ख. अन्य

i) डाउनटाइम सर्विस क्रेडिट – दूरसंचार

प्रावधान उस मामले में सृजित किया जाता है जब वास्तविक अकार्यरत समय अनुमत्य सेवा स्तर करार से अधिक हो, ऐसे मामलों में आवश्यक क्रेडिट को मांग पर ग्राहक को दिया जाता है।

तथापि, किसी मामले में, अकार्य सेवा का ग्राहक द्वारा दावा नहीं किया जाता है, तब ऐसे मामलों में अकार्य समय के संबंध में आवश्यक प्रावधान, नेशनल टेलीकॉम कंट्रोल सेंटर (एनटीसीसी) से प्राप्त लिंक उपलब्धता रिपोर्टों के अनुसार ग्राहकों को दिए गए लिंकों को गैर–प्रचालन अवधि हेतु लेखा बहियों में किया जाता है। अकार्य समय क्रेडिट का परिकलन विभिन्न ग्राहकों द्वारा हस्ताक्षरित एसएलए के आधार पर होता है।

ii) अन्य प्रावधान :

पिछले वर्षों में अन्य प्रावधानों में राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए ₹174.36 करोड़ के प्रवेश कर के लिए विवादित प्रावधान शामिल था, जिसका कंपनी ने विरोध किया था। चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने "छत्तीसगढ़ कर, ब्याज और दंड अधिनियम, 2023 के बकाया का निपटान" के तहत विवादित प्रवेश कर के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, कंपनी ने माफी योजना के तहत ब्याज सहित ₹42.27 करोड़ की देनदारी का भुगतान किया है और शेष राशि वापस कर दी गई है।

टिप्पणी 32: प्रावधान (जारी)

समूह की किसी इकाई ने फोर्स मेज्योर और कानून में बदलाव की घटनाओं के कारण ट्रांसमिशन शुल्क में वृद्धि के लिए सीईआरसी में याचिका दायर की थी। सीईआरसी ने कानून में बदलाव की घटनाओं के कारण ट्रांसमिशन शुल्क में आंशिक वृद्धि की अनुमति दी और इसके समय विस्तार संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। समूह की इकाई ने उपरोक्त सीईआरसी आदेश को चुनौती देते हुए विद्युत के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में अपील दायर की है। मामला विचाराधीन है। तथापि, समय सीमा से अधिक होने के लिए परिसमाप्त क्षति के लिए ₹234.55 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। समूह इकाई ने सीईआरसी के आदेश के अनुसार पूर्व में जारी बैंक गारंटी के बदले में एलटीटीसी के पास ₹110.04 करोड़ की राशि जमा की है और इसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल किया है (टिप्पणी संख्या 18 देखें)।

टिप्पणी 33: चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
कराधान (कर पर ब्याज सहित)		
प्रारंभिक शेष	3,069.48	8,257.62
वर्ष के दौरान परिवर्धन	3,210.05	3,000.80
वर्ष के दौरान समायोजित राशि	3,118.32	8,188.94
योग	**3,161.21**	**3,069.48**
अग्रिम कर एवं टीडीएस के संबंध में निवल छूट	3,148.84	3,016.72
अन्त शेष	**12.37**	**52.76**

टिप्पणी 34: आस्थगित राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
मूल्यहास के संबंध में अग्रिम	576.49	706.73
सहायता अनुदान (अतिरिक्त टिप्पणी देखें)		
प्रारंभिक शेष	3,332.33	3,647.89
वर्ष के दौरान परिवर्धन	13.93	1.70
वर्ष के दौरान समायोजन	311.41	317.26
अन्त शेष	**3,034.85**	**3,332.33**
विदेशी मुद्रा घट–बढ़ से आस्थगित आय (निवल)	5,850.52	6,124.46
योग	**9,461.86**	**10,163.52**

अतिरिक्त टिप्पणियां:

1. ईआर (ईआरएसएस–XI) और एसआर (एसआर–XXI में सिस्टम सुदृढ़ीकरण) में स्टेटकॉम की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार (जीओआई) के अंतर्गत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से ब्याज सहित ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.41 करोड़) की सहायता अनुदान को मान्यता दी गई है।
2. एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम) की स्थापना के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के अंतर्गत पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से ब्याज सहित ₹13.93 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.34 करोड़) की सहायता अनुदान को मान्यता दी गई है।
3. कंपनी की विभिन्न भवनों में सौर रूफ टॉप प्लांट स्थापित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए उपलब्धि से जुड़ी/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का सहायता अनुदान प्राप्त हुआ है।
4. आंध्र प्रदेश, केरल और राजस्थान में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) के लिए जागरूकता कार्यकलाप सृजन करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) से पिछले वर्षों में सहायता अनुदान प्राप्त हुआ था। एमएनआरई, भारत सरकार (जीओआई) को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ₹1.06 करोड़ की राशि चुकाने योग्य है और अन्य चालू वित्तीय देनदारियों के अंतर्गत दिखाई गई है।

टिप्पणी 35: प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु
सेवाओं की बिक्री		
ट्रांसमिशन व्यवसाय		
ट्रांसमिशन प्रभार	42,697.44	42,689.01
जोड़े : मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम से स्वीकृत राजस्व	130.24	151.56
	42,827.68	**42,840.57**
अन्य प्रचालन राजस्व		
विभेदी अस्थायी एवं अंतिम टैरिफ पर ब्याज	965.56	1,161.34
पट्टा कार्यों से आय	338.97	99.39
आस्थगित राजस्व से मान्य–सहायता अनुदान	311.41	315.33
अन्य	24.41	21.83
	1,640.35	**1,597.89**
	44,468.03	**44,438.46**
दूरसंचार व्यवसाय	822.27	728.79
परामर्शी परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण	552.80	435.86
योग	**45,843.10**	**45,603.11**

अतिरिक्त टिप्पणी:

क) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत्त विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने दिनांक 07.03.2021 के आदेश के तहत ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण हेतु ''सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें) विनियमन 2019'' को अधिसूचित किया है।

ख) कम्पनी ने निम्नानुसार वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन आय को स्वीकार किया है:

i) 2019–24 तक की ब्लाक अवधि के लिए सीईआरसी द्वारा जारी अंतिम टैरिफ आदेश के अनुसार ₹38,432.28 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹35,516.95 करोड़); और

ii) ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के संबंध में ब्लॉक अवधि 2019–24 के लिए ₹2,257.29 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹5,233.61 करोड़), जिसके संबंध में अंतिम टैरिफ आदेश सीईआरसी टैरिफ विनियमनों के अनुसार तथा सदृश मामलों में अन्य आदेशों के अनुसार अभी जारी किए जाने बाकी थे।

ग) सीइआरसी द्वारा जारी अंतिम आदेश के परिणामस्वरूप, पारेषण आय में पिछले वर्षों से संबंधित 825.88 करोड़ ''वृद्धि'' (पिछले वर्ष 1,597.30 करोड़ ''वृद्धि'') शामिल है।

घ) आईएनडी एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण के लिए ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' संदर्भ टिप्पणी संख्या 47 देखें।

ङ) अन्य परिचालन राजस्व के अंतर्गत "अन्य" में पीपीई के अलावा अन्य से उत्पन्न स्क्रैप की बिक्री से आय शामिल है।

टिप्पणी 36: अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिशोधित लागत पर धारित वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय:		
भारतीय बैंक	273.48	112.34
संयुक्त उद्यमों (जेवी) को ऋण	3.73	0.07
पीजी इनविट में निवेश (एफवीओसीआई में मूल्यांकन)	107.97	107.70
अन्य*	37.44	30.98
	422.62	**251.09**
ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से ब्याज	81.05	27.68
वित्तीय परिसंपत्तियों पर छूट की अनवाइंडिंग	56.07	83.06

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
	559.74	**361.83**
निम्नलिखित से लाभांश आय		
सहयोगी	40.23	58.82
पीजी इनविट में निवेश (एफवीओसीआई में मूल्यांकन)	29.21	46.14
एफवीओसीआई में निर्धारित इक्विटी निवेश	9.36	6.96
	78.80	**111.92**
अन्य		
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की बिक्री पर लाभ	0.44	5.98
बिक्री पर लाभ/एफवीपीएल में मूल्यांकित वर्तमान निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन	9.46	-
वित्त पट्टे से वित्त आय	72.25	150.80
अधिभार	145.96	181.98
प्रावधानों को वापस लिखा गया	114.05	29.93
वित्तीय दायित्व/निवेश की प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लाभ	24.57	43.32
विविध आय**	152.36	152.31
	519.09	**564.32**
	1,157.63	**1,038.07**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में हस्तान्तरित (निवल) – टिप्पणी 43	87.61	35.54
योग	**1,070.02**	**1,002.53**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में कर्मचारी ऋणों पर ब्याज एवं कर्मचारी ऋण पर वित्त लागत की अनवाइंडिंग आदि शामिल है।

** विविध आय में स्क्रैप की बिक्री, बीमा, दावा वसूली, यूआई प्रभार आदि शामिल हैं।

टिप्पणी 37: कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
वेतन, मजदूरियां, भत्ते और लाभ	2,142.40	2,150.47
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान	265.71	341.92
कर्मचारी कल्याण व्यय (आस्थगित कर्मचारी लागत सहित)	288.89	275.08
	2,697.00	**2,767.47**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवलद्ध – टिप्पणी 43	250.36	249.04
सीएसआर व्ययों में स्थानान्तरित्त – टिप्पणी–40	12.20	9.90
योग	**2,434.44**	**2,508.53**

अतिरिक्त टिप्पणियां :

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारश्रमिक हेतु टिप्पणी 57 देखें।

ख) कर्मचारी हितलाभ दायित्वों के विवरण के लिए टिप्पणी संख्या 65 देखें।

टिप्पणी 38: वित्त लागतें

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारतीय बैंक एवं वित्तीय संस्थान	2,171.01	1,997.81
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	1,957.21	1,221.96
प्रतिभूति/अप्रतिभूति विमोच्य बाण्ड	4,745.35	5,044.89
विदेशी मुद्रा बाण्ड	-	136.55
वित्तीय देयताओं पर छूट को कम करना	67.11	57.36
ब्याज – अन्य	0.38	0.29
पट्टा देयताओं पर ब्याज	3.92	4.81
	8,944.98	**8,463.67**
अन्य वित्त प्रभार		
गारण्टी शुल्क	330.74	337.66
अन्य*	36.37	16.24
	367.11	**353.90**
उधारी लागत के समायोजन के रूप में समझा गया विनिमय अन्तर	14.94	1,072.04
	382.05	**1,425.94**
कुल	**9,327.03**	**9,889.61**
घटाएं: निर्माण के दौरान व्यय हेतु अंतरित (निवल) – टिप्पणी 43	554.28	255.67
योग	**8,772.75**	**9,633.94**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* अन्य में एजेंसी शुल्क, न्यासी शुल्क, अग्रिम मोर्चे के शुल्क, भूमि, वृक्ष एवं फसल क्षतिपूरण पर ब्याज आदि शामिल है।

टिप्पणी 39: मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यहास	13,411.28	13,664.57
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	132.07	132.36
आरओयू की संपत्ति पर मूल्यहास	23.78	20.85
	13,567.13	**13,817.78**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय में स्थानांतरित (निवल) टिप्पणी 43	7.32	11.49
	13,559.81	**13,806.29**
घटाएं : एफईआरवी समायोजन के कारण परिशोधित मूल्यहास	464.54	472.91
कुल	**13,095.27**	**13,333.38**

टिप्पणी 40: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मरम्मत और अनुरक्षण		
भवन	124.87	103.46
संयंत्र और मशीनरी		
सब–स्टेशन	413.81	450.56
ट्रांसमिशन लाईन	250.76	153.73
दूरसंचार उपस्कर	73.84	59.37
अन्य	64.41	53.44
	802.82	**717.10**
प्रणाली और बाजार प्रचालन प्रभार	136.24	92.14
विद्युत प्रभार	322.22	306.39
घटाएं : ठेकेदारों से वसूली	0.42	0.44
	321.80	**305.95**
डीजल जेनरेटिंग सेटों के व्यय	4.19	5.72
उपभुक्त सामान	3.85	4.61
जल प्रभार शुल्क	5.49	5.33
मार्गाधिकार व्यय–दूरसंचार	89.05	84.65
पेट्रोलिंग व्यय–दूरसंचार	1.89	2.01
अंतिम चरण की कनेक्टिविटी –दूरसंचार	11.61	9.36
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	61.07	40.51
घटाएं : प्रशिक्षण और आवेदन करने के लिए शुल्क	0.71	0.36
	60.36	**40.15**
कानूनी व्यय	25.10	21.75
व्यावसायिक व्यय	43.95	169.14
परामर्शदायी व्यय	264.35	82.43
संचार व्यय	27.94	22.75
अन्तरदेशीय वाहन भाड़ा व्यय	141.09	138.45
विदेश यात्रा	6.45	7.05
	147.54	**145.50**
निविदा व्यय	5.50	1.16
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	1.97	0.87
	3.53	**0.29**
सांविधिक लेखा–परीक्षकों को भुगतान		
लेखा–परीक्षा शुल्क	2.27	1.97
कर लेखा–परीक्षा शुल्क	0.53	0.52
अन्य क्षमत्ता में	1.32	1.34
बकाया	0.01	-
फुटकर व्यय	0.95	0.66
	5.08	**4.49**
विज्ञापन और प्रचार	14.21	17.24
मुद्रण और लेखन सामग्री	6.58	4.95
पुस्तकें, पत्रिकाएं और जनरल	1.69	2.55
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	26.14	14.68
मनोरंजन संबंधी व्यय	4.55	4.52
ब्रोकरेज और कमीशन	1.99	2.01
लागत लेखा–परीक्षा और वास्तविक सत्यापन शुल्क	1.48	1.30
किराया#	34.47	33.55

टिप्पणी 40: अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
सीईआरसी याचिका और अन्य प्रभार	95.68	91.58
विविध व्यय	171.18	171.81
बागवानी व्यय	45.42	41.75
सुरक्षा व्यय	356.01	341.06
वाहन को किराए पर लेना	162.68	152.27
बीमा व्यय	145.76	142.96
दरें और कर	68.40	48.23
डीओटी का लाइसेंस शुल्क	70.00	64.24
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा प्रभार (दूरसंचार)	38.89	34.32
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय*	324.22	327.09
मार्गस्थ निवास व्यय	48.87	41.05
घटाएं : मार्गस्थ निवास से आय	2.12	1.76
	46.75	**39.29**
विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन	39.04	293.14
वित्तीय परिसंपत्तियों पर उचित मूल्यांकन हानि	9.50	165.16
निम्नलिखित हेतु प्रावधान		
संदिग्ध ऋण, अग्रिम, ऋण, दावे आदि	55.25	5.31
सामग्रियों का अप्रचलित होना	-	3.09
पीपीई की क्षति	9.36	-
अन्य**	6.35	29.25
	70.96	**37.65**
	3,815.26	**3,848.18**
घटाएं : निर्माण के दौरान आय में स्थानान्तरित (निवल)––टिप्पणी 43	329.92	281.63
	3,485.34	**3,566.55**
सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान/बट्टे खाते डालने पर हानि	20.43	28.07
योग	**3,505.77**	**3,594.62**

अतिरिक्त टिप्पणी

* इसमें टिप्पणी सं. 37 – ''कर्मचारी हितलाभ व्यय'' से स्थानान्तरित ₹12.20 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष ₹9.90) की राशि शामिल है।

\# अल्पकालिक पट्टा व्यय के लिए टिप्पणी संख्या 51 देखें।

** इसमें नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीटीएल) को ऋण के लिए ₹21.74 करोड़ की क्षतिग्रस्तता भत्ता शामिल है।

टिप्पणी 41: विनियामक आस्थगन लेखा शेष में निवल घट-बढ़-आय/(व्यय) (निवल कर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
आस्थगित कर देयता हेतु आस्थगित परिसंपत्ति	(572.84)	(783.43)
विदेशी मुद्रा घट–बढ़	(124.99)	1,216.29
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	5.47	(131.66)
	(692.36)	**301.20**
विनियामक आस्थगन लेखा शेषो मे निवल घटबढ़ पर कर	(120.97)	52.63
योग	**(571.39)**	**248.57**

अतिरिक्त टिप्पणी:

* विनियामक आस्थगन लेखा शेषों के संबंध में विस्तृत प्रकटन हेतु टिप्पणी सं. 52 देखें।

टिप्पणी 42: अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
इक्विटी में निवेश के मूल्यांकन पर अभिलाभ / (हानि)	(231.91)	(142.01)
बीमाकन मूल्यांकन हेतु प्रावधान	(44.40)	39.57
	(276.31)	**(102.44)**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय हेतु आस्थगित (निवल) – टिप्पणी–43	(3.24)	18.69
	(273.07)	**(121.13)**
घटाएं : मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ अथवा हानि के पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
वर्तमान कर	(7.19)	3.65
आस्थगित कर	(32.98)	(18.09)
	(40.17)	**(14.44)**
मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)	**(232.90)**	**(106.69)**

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
क. कर्मचारी पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	212.26	207.05
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	25.27	29.40
कल्याण व्यय	12.83	12.59
योग (क)	**250.36**	**249.04**
ख. अन्य व्यय		
मरम्मत और अनुरक्षण	0.06	0.31
विद्युत प्रभार (ठेकेदारों से वसूली का निवल)	3.93	3.87
डीजल जेनरेटिंग सेटों पर व्यय	0.03	0.09
जल प्रभार	0.06	0.10
कानूनी व्यय	1.15	1.70
व्यावसायिक व्यय	4.31	136.26
परामर्शदायी व्यय	258.79	77.40
संचार व्यय	1.56	1.29
यात्रा और वाहन यात्रा व्यय (विदेश यात्रा सहित)	17.78	16.78
निविदा व्यय	0.01	1.38
घटाएं : निविदाओं की बिक्री	-	0.85
निविदा व्यय (निविदा की निवल बिक्री)	0.01	0.53
विज्ञापन और प्रचार	1.09	0.47
मुद्रण और लेखन सामग्री	-	0.15
ईडीपी किराया और अन्य व्यय	0.01	0.02
मनोरंजन संबंधी व्यय	0.01	0.02
ब्रोकरेज और कमीशन	0.02	0.01

टिप्पणी 43: निर्माण के दौरान व्यय (निवल) (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु
किराया	0.45	0.67
सुरक्षा व्यय	6.98	7.58
वाहनों को किराए पर लेना	9.30	7.36
बीमा	-	0.06
दरें और कर	3.91	4.37
बैंडविड्थ प्रभार डार्क फाईबर पट्टा व्यय (दूरसंचार)	0.04	0.39
मार्गस्थ निवास व्यय	0.75	0.81
अन्य	19.68	21.39
योग (ख)	**329.92**	**281.63**
ग. मूल्यहास/परिशोधन	**7.32**	**11.49**
योग (ग)	**7.32**	**11.49**
घ. वित्त लागत		
क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं पर ब्याज एवं वित्त प्रभार		
भारत सरकार		
भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थान	391.42	72.79
विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थान	2.30	2.46
प्रतिभूत/अप्रतिभूत विमोच्य बांड	145.04	62.18
अन्य	14.97	116.45
	553.73	**253.88**
ख) अन्य वित्त व्यय		
गारंटी शुल्क	0.37	0.36
अन्य	-	0.07
	0.37	**0.43**
ग) उधारी लागत में एफईआरवी समायोजन	0.18	1.36
योग (घ)	**554.28**	**255.67**
ङ. घटाएं: अन्य आय		
निम्न से ब्याज		
संविदाकार	76.82	19.16
अन्य	0.27	0.08
	77.09	**19.24**
अन्य	10.52	16.30
योग (ङ.)	**87.61**	**35.54**
च. घटाएं: अन्य व्यापक आय		
अन्य व्यापक आय	(3.24)	18.69
योग (च)	**(3.24)**	**18.69**
कुल योग (क+ख+ग+घ–ङ.–च)	**1,057.51**	**743.60**

44: अन्य संस्थाओं में हित

1. सहायक कंपनियां

31.03.2024 को समूह की सहायक कंपनियाँ नीचे दी गई हैं। जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, उनके पास धारित शेयर पूंजी में केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं जो सीधे समूह द्वारा धारित किए गए हैं, और स्वामित्व हित का अनुपात समूह द्वारा रखे गए मतदान अधिकारों के बराबर है:

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान / निगमन का देश	शेयरधारक का अनुपात %		मूल कार्यकलाप
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	
पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड*	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड उंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड वाराणसी ट्रॉसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भिन्डगुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अजमेरफागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड फतेहगढ़ दरांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावर्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100%	100%	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड टेलीसर्विसिज लिमिटेड	भारत	100%	100%	दूरसंचार

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान / निगमन का देश	शेयरधारक का अनुपात %		मूल कार्यकलाप
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	
पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100%	100%	ऊर्जा प्रबंधन
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खेतड़ी–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	एनए	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमच ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा II बी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस2 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रायपुरपूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान / निगमन का देश	शेयरधारक का अनुपात %		मूल कार्यकलाप
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड)[2]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती रामगढ़प्प ट्रांसमिशन लिमिटेड)[3]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर III नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमराणा II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड)[4]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती वतामनट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड)[5]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	भारत	100%	लागू नहीं	ट्रांसमिशन

* कंपनी का गठन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) पर आवंटित वेमागिरी ट्रांसमिशन प्रणाली के निष्पादन के लिए एसपीवी के रूप में किया गया था। सीईआरसी ने दिनांक 09.05.2013 और 27.09.2013 के आदेश के तहत अन्य बातों के अलावा कहा कि वेमागिरी ट्रांसमिशन प्रणाली को उसके वर्तमान स्वरूप में क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इस परिदृश्य में, कंपनी कोई भी आगे की गतिविधि करने में असमर्थ है और एक प्रगतिशील संस्था का विषय नहीं रह गई है।

[1]27.09.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[2]30.10.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[3]26.10.2023 को आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[4]27.12.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[5]26.12.2023 को पी.एफ.सी. कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

[6]09.02.2024 को आर.ई.सी. पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी प्राप्त की गई

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

i) सभी सहायक कंपनियाँ गैर–सूचीबद्ध इकाइयाँ हैं।

ii) पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड और पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड को छोड़कर समेकन के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय विवरणों का लेखा–परीक्षा किया जाता है।

iii) समूह ने पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

iv) समूह ने पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹14.60 करोड़ (पिछले वर्ष ₹9.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

v) समूह ने पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.56 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

vi) समूह ने पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹0.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

vii) समूह ने पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹52.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

viii) समूह ने पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹21.80 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

ix) समूह ने पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹9.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹33.10 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

x) समूह ने पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹10.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹65.42 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xi) समूह ने पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹7.01 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.90 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xii) समूह ने पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹40.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹77.79 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xiii) समूह ने पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹62.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹32.65 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xiv) समूह ने पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹41.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.90 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xv) समूह ने पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹22.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.60 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xvi) समूह ने पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड में ₹655.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। xvii) समूह ने पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड में ₹87.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xviii) समूह ने पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹99.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xix) समूह ने पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹95.99 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xx) समूह ने पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹125.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxi) समूह ने पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹10.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxii) समूह ने पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxiii) समूह ने पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹12.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxiv) समूह ने पावरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹26.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxv) समूह ने पावरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxvi) समूह ने पावरग्रिड केपीएस 2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड में ₹1.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxvii) समूह ने पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹6.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.05 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxviii) समूह ने पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का अतिरिक्त

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxix) समूह ने पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxx) समूह ने पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.01 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

xxxi) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड) 1 में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया हैए जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को 27.09.2023 के शेयर खरीद समझौते के जरिए पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से लिया गया था, अंतरण के बाद पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया है टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 27.09.2023 के शेयर खरीद समझौते के जरिए कंपनी का अधिग्रहण किया गया था, हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxiii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0. 01 करोड़ का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 30.10.2023 के शेयर खरीद समझौते के जरिए कंपनी का अधिग्रहण किया गया था टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 26.10.2023 के शेयर खरीद समझौते के जरिए कंपनी का अधिग्रहण किया गया थाए हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxiv) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्व में रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.05 करोड़ का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को 26. 10.2023 के शेयर खरीद करार के अंतर्गत आरईसी पावर डेवलेपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से अधिग्रहित किया गया था, जो हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxv) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड बीकानेर नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती बीकानेर III नीमराना ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया हैए जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए 27.12.2023 के शेयर खरीद समझौते के जरिए कंपनी का अधिग्रहण किया गया था।

xxxvi) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती नीमराना II बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 27.12.2023 के शेयर खरीद समझौते के तहत कंपनी का अधिग्रहण पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से किया गया थाए अंतरण के बाद पावरग्रिड नीमराना बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxvii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए 26.12.2023 के शेयर खरीद समझौते के तहत कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से अधिग्रहित किया गया था, जो हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxviii) वर्ष के दौरान समूह ने पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती कोप्पल II गडग II ट्रांसमिशन लिमिटेड) में ₹0.01 करोड़ का निवेश किया है, जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से दिनांक 26. 12.2023 के शेयर खरीद समझौते के तहत लिया गया थाए हस्तांतरण के बाद पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

xxxix) वर्ष के दौरान समूह ने सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.05 करोड़ का निवेश किया हैए जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से दिनांक 09.02.2024 के शेयर खरीद समझौते के तहत अधिग्रहण गया था जो हस्तांतरण के बाद समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन गई।

xl) वर्ष के दौरान समूह ने बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹0.05 करोड़ का निवेश किया है जो समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के तहत दिए गए व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 09.02.2024 के शेयर खरीद समझौते के तहत आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से अधिग्रहित किया गया था जो हस्तांतरण के बाद बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

2. संयुक्त उपक्रम

31.03.2024 तक समूह के संयुक्त उद्यम नीचे दिए गए हैं, जो प्रबंधन की राय में, समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं के पास धारित शेयर पूंजी में पूरी तरह से इक्विटी शेयर शामिल हैं, जो सीधे स्वामित्व हित द्वारा धारित हैं जो कि मतदान के अधिकारों के अनुपात के बराबर हैं:

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान	शेयरधारित का अनुपात (%)		वहन राशि		कार्यकलाप की प्रकृति
			31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%	475.20	474.12	भूटान में ताला एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली – 06 अगस्त से सफल संचालन में है
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%	37.72	35.41	सूरत में 1100 मेगावाट की सुजेन उत्पादन परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली – मार्च 2011 में धीरे–धीरे चालू की गई
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	92.90	84.35	पारबती–II (800 मेगावाट) और कोल्डम (800 मेगावाट) एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें। – नवंबर 2015 में उत्तरोत्तर चालू किया गया
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लि. (पूर्ववर्ती तीस्तावल्लीपावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	30.92%	30.92%	182.13	161.28	सिक्किम में 1200 मेगावाट तीस्ता–III एचईपी से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%	142.49	139.74	त्रिपुरा के पल्लाटाना में 726.6 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली। – फरवरी 2015 में उत्तरोत्तर चालू किया गया
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड[2]	भारत	21.63%	20%	12.32	-	उच्च शक्ति शॉर्ट सर्किट परीक्षण सुविधा बनाना
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%	412.33	479.59	बिहार राज्य में अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली की स्थापना
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	भारत	39.25%	33.33%	624.35	292.45	ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगे हुए हैं।
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%	35.12	34.09	मुजफ्फरपुर से सुरसंड तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से की स्थापना
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%	-	-	ट्रांसमिशन लाइन टावर पार्ट्स प्लांट के निर्माण की स्थापना
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	50%	9.91	0.02	नई बुटवल–गोरखपुर 400 केवी डबल सर्किट (क्वाड मूस) क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के भारतीय हिस्से का कार्यान्वयन
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	नेपाल	26%	26%	14.51	13.60	ढलकेबार से भिट्टामोड़ तक भारत–नेपाल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के नेपाल भाग की स्थापना

44: अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

[1]पावरग्रिड और तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई. जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2]दिनांक 23.04.2024 के पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत और संयुक्त उद्यम कंपनी के पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर दिया गया, कंपनी द्वारा ₹94.71 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया, कंपनी द्वारा अतिरिक्त इक्विटी योगदान और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा काल्पनिक विचार पर शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से कंपनी की शेयरधारिता 50% तक बढ़ जाएगी।

[3]कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को हुई अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयर की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वर्तमान में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी प्रस्तावित है।

[4]पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएलद्ध को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल कार्यवाही को बंद करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी इस्पात मंत्रालय से 11.07.2022 को प्राप्त हुई थी। हालाँकि, बंद करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षमकर्ता कार्यों के संविदाकार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए दिनांक 17–12–2022 को नोटिस दिया है। सुलहकर्ता नियुक्त कर दिया गया है और सुलह की कार्यवाही प्रगति पर है।

[5]कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 दिसंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीटीसीएन (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएल एंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा रखे गए 1,30,000 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, यह प्रस्ताव एनसीएलएटी में समीक्षाधीन है।

क) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ गैर–सूचीबद्ध संस्थाएँ हैं।

ख) पॉवरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड, टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को छोड़कर समेकन के लिए उपयोग किए गए वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षा नहीं हुआ हैं।

ग) समूह ने बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड में ₹3.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹11.59 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50% शेयर समूह के पास है और शेष 50% शेयर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के पास है।

घ) समूह ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड में ₹383.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 39.25% शेयर समूह के पास है और शेष 60.75% शेयर एनटीपीसी लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड के पास है।

ङ) समूह ने बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में ₹9.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.03 करोड़) का अतिरिक्त निवेश किया है, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें 50% शेयर समूह के पास है और शेष 50% शेयर नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के पास है।

संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
समूह का हिस्सा		
प्रतिबद्धता	263.37	117.56
आकस्मिक देयताएं	313.10	211.27
कुल प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक देयताएं	**576.47**	**328.83**

संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी:

नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जो समूह के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रकट की गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को दर्शाती है

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

सारांशित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	25.77	0.27	2.07	1.42	3.68	21.76	52.82	13.54
कुल परिसंपत्तियां	179.11	169.45	42.18	31.51	179.05	140.10	142.63	113.19
कुल चालू परिसंपत्तियां	**204.88**	**169.72**	**44.25**	**32.93**	**182.73**	**161.86**	**195.45**	**126.73**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**809.08**	**833.08**	**111.72**	**113.20**	**497.09**	**547.52**	**1,156.58**	**1,283.70**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	15.84	12.27	5.49	4.39	154.67	153.99	107.95	108.27
अन्य देयताएं	19.14	13.62	3.04	3.08	0.27	0.15	0.26	43.84
कुल चालू देयताएं	**34.98**	**25.89**	**8.53**	**7.47**	**154.94**	**154.14**	**108.21**	**152.11**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	7.28	7.47	-	-	167.48	230.75	579.80	684.61
अन्य देयताएं	1.91	1.85	2.38	2.46	0.11	0.07	74.97	52.12
कुल गैर–चालू देयताएं	**9.19**	**9.32**	**2.38**	**2.46**	**167.59**	**230.82**	**654.77**	**736.73**
निवल परिसंपत्ति	**969.79**	**967.59**	**145.06**	**136.20**	**357.29**	**324.42**	**589.05**	**521.59**

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	0.05	28.49	30.22	7.67	261.92	235.64	353.70	521.29
अन्य परिसंपत्तियां	164.72	144.64	7.58	3.41	493.02	514.78	9,032.16	4,781.31
कुल चालू परिसंपत्तियां	**164.77**	**173.13**	**37.80**	**11.08**	**754.94**	**750.42**	**9,385.86**	**5,302.60**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**1,073.46**	**1,232.01**	**169.29**	**225.13**	**2,729.14**	**2,809.22**	**1,708.85**	**5,106.99**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	112.94	105.88	60.00	97.67	67.80	209.07	4,431.39	4,852.23
अन्य देयताएं	4.90	4.86	4.50	6.23	333.57	162.81	205.01	189.16
कुल चालू देयताएं	**117.84**	**110.74**	**64.50**	**103.90**	**401.37**	**371.88**	**4,636.40**	**5,041.39**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	539.62	693.80	85.24	172.03	2,033.78	2,056.15	4,819.25	4,436.81
अन्य देयताएं	32.72	63.15	0.39	0.38	224.28	172.43	48.35	53.94
कुल गैर–चालू देयताएं	**572.34**	**756.95**	**85.63**	**172.41**	**2,258.06**	**2,228.58**	**4,867.60**	**4,490.75**
निवल परिसंपत्ति	**548.05**	**537.45**	**56.96**	**(40.10)**	**824.65**	**959.18**	**1,590.71**	**877.45**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
चालू परिसंपत्तियां								
नकदी और नकदी समतुल्य	28.95	34.92	0.11	0.11	9.17	0.05	0.66	0.40
अन्य परिसंपत्तियां	41.43	37.80	-	-	4.00	-	53.62	52.73
कुल चालू परिसंपत्तियां	**70.38**	**72.72**	**0.11**	**0.11**	**13.17**	**0.05**	**54.28**	**53.13**
कुल गैर–चालू परिसंपत्तियां	**158.20**	**178.99**	**-**	**-**	**16.35**	**-**	**60.23**	**64.76**
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	13.91	14.99	1.48	1.48	-	0.01	3.20	3.41
अन्य देयताएं	1.11	9.59	0.01	0.01	-	-	5.37	4.26
कुल चालू देयताएं	**15.02**	**24.58**	**1.49**	**1.49**	**-**	**0.01**	**8.57**	**7.67**
गैर–चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं	78.37	95.97	-	-	2.91	-	50.13	57.93
अन्य देयताएं	0.10	0.06	-	-	6.79	-	-	-
कुल गैर–चालू देयताएं	**78.47**	**96.03**	**-**	**-**	**9.70**	**-**	**50.13**	**57.93**
निवल परिसंपत्ति	**135.09**	**131.10**	**(1.38)**	**(1.38)**	**19.82**	**0.04**	**55.81**	**52.29**

वहन राशियों का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03. 2024	31.03. 2023	31.03. 2024	31.03. 2023	31.03. 2024	31.03. 2023	31.03. 2024	31.03. 2023
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	967.59	975.32	136.20	131.99	324.42	308.38	521.59	468.93
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान आय	81.54	81.08	16.98	21.23	46.57	43.18	67.37	51.67
अन्य व्यापक आय	0.22	0.11	(0.02)	0.08	(0.06)	0.07	(0.11)	(0.04)
प्रदत्त लाभांश	79.56	88.92	8.10	17.10	13.64	27.28	-	-
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	0.07	0.20	1.03
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**969.79**	**967.59**	**145.06**	**136.20**	**357.29**	**324.42**	**589.05**	**521.59**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	49%	49%	26%	26%	26%	26%	30.92%	30.92%
समूह का हिस्सा – रुपए में	475.20	474.12	37.72	35.41	92.90	84.35	182.13	161.28
वहन राशि	**475.20**	**474.12**	**37.72**	**35.41**	**92.90**	**84.35**	**182.13**	**161.28**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	537.45	495.41	(40.10)	71.21	959.18	1,024.17	877.45	1,269.23
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	73.60	-	6.54	23.18	766.00	-
वर्ष के दौरान आय	71.13	88.62	20.89	(111.29)	(141.07)	(88.17)	(389.21)	(329.43)
अन्य व्यापक आय	-	(0.21)	-	-	-	-	(4.51)	6.48
प्रदत्त लाभांश	74.05	69.94	-	-	-	-	-	-
अन्य समायोजन	13.52	23.57	2.57	(0.02)	-	-	340.98	(68.83)
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**548.05**	**537.45**	**56.96**	**(40.10)**	**824.65**	**959.18**	**1,590.71**	**877.45**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	26%	26%	21.63%	20%	50%	50%	39.25%	33.33%
समूह का हिस्सा – रुपए में	142.49	139.74	12.32	-	412.33	479.59	624.35	292.45
वहन राशि	**142.49**	**139.74**	**12.32**	**-**	**412.33**	**479.59**	**624.35**	**292.45**

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
आरम्भिक निवल परिसंपत्तियां	131.10	126.90	(1.38)	(1.38)	0.04	-	52.29	48.65
संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा निवेश	-	-	-	-	19.95	0.05	-	-
वर्ष के दौरान आय	16.12	16.33	-	-	(0.17)	(0.01)	8.58	8.70
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभांश	12.13	12.13	-	-	-	-	5.06	5.06
अन्य समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-
अंत में निवल परिसंपत्तियां	**135.09**	**131.10**	**(1.38)**	**(1.38)**	**19.82**	**0.04**	**55.81**	**52.29**
समूह के हिस्सा – प्रतिशत में	26%	26%	50%	50%	50%	50%	26%	26%
समूह का हिस्सा – रुपए में	35.12	34.09	-	-	9.91	0.02	14.51	13.60
वहन राशि	**35.12**	**34.09**	**-**	**-**	**9.91**	**0.02**	**14.51**	**13.60**

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

लाभ एवं हानि का सारांशित विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड		टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड		पारबती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
प्रचालनों से राजस्व	127.17	128.61	25.54	39.11	138.12	138.51	244.32	250.86
अन्य आय	12.37	10.22	2.88	1.28	5.04	4.35	12.09	3.25
कुल आय	**139.54**	**138.83**	**28.42**	**40.39**	**143.16**	**142.86**	**256.41**	**254.11**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	11.56	9.69	3.53	1.45	2.97	3.18	8.22	7.49
वित्त लागतें	0.80	0.77	-	0.15	25.98	28.75	64.00	63.14
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.68	0.68	3.45	16.45	49.49	49.50	87.95	88.55
अन्य व्यय	8.24	10.30	3.32	3.08	8.26	9.32	5.83	8.88
कुल व्यय	**21.28**	**21.44**	**10.30**	**21.13**	**86.70**	**90.75**	**166.00**	**168.06**
कर व्यय	36.72	36.31	1.14	(1.97)	9.89	8.93	23.04	34.38
वर्ष के दौरान लाभ	81.54	81.08	16.98	21.23	46.57	43.18	67.37	51.67
अन्य व्यापक आय	0.22	0.11	(0.02)	0.08	(0.06)	0.07	(0.11)	(0.04)
कुल व्यापक आय	**81.76**	**81.19**	**16.96**	**21.31**	**46.51**	**43.25**	**67.26**	**51.63**
प्राप्त लाभांश	38.98	43.57	2.11	4.45	3.55	7.09	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
प्रचालनों से राजस्व	274.95	278.66	39.55	20.06	219.38	174.62	1,383.96	2,373.39
अन्य आय	10.44	26.32	6.56	0.12	76.48	77.68	487.58	73.47
कुल आय	**285.39**	**304.98**	**46.11**	**20.18**	**295.86**	**252.30**	**1,871.54**	**2,446.86**
व्यापारिक स्टॉक की खरीद	0.54	-	-	-	-	-	699.84	643.81
कर्मचारी हितलाभ व्यय	8.72	8.65	2.37	2.06	15.80	19.98	226.09	183.73
वित्त लागतें	58.82	64.62	9.35	20.96	177.34	158.50	566.79	462.88
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	118.81	118.15	8.58	8.61	151.98	127.40	42.06	756.06
अन्य व्यय	13.22	13.06	4.92	99.84	39.96	36.34	822.80	790.65
कुल व्यय	**200.11**	**204.48**	**25.22**	**131.47**	**385.08**	**342.22**	**2,357.58**	**2,837.13**
कर व्यय	14.15	11.88	-	-	51.85	(1.75)	(92.21)	(58.53)
वर्ष के दौरान लाभ	71.13	88.62	20.89	(111.29)	(141.07)	(88.17)	(393.83)	(331.74)

44. अन्य संस्थाओं में हित (जारी)

विवरण	नार्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड		बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
अन्य व्यापक आय	-	(0.21)	-	-	-	-	(5.20)	7.42
कुल व्यापक आय	**71.13**	**88.41**	**20.89**	**(111.29)**	**(141.07)**	**(88.17)**	**(399.03)**	**(324.32)**
प्राप्त लाभांश	19.25	18.18	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	क्रास बार्डर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड		आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड		बुटवल–गोरखपुर क्रास बार्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड		पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
प्रचालनों से राजस्व	7.74	7.42	-	-	-	-	16.14	16.21
अन्य आय	24.29	25.53	-	-	-	-	4.24	4.53
कुल आय	**32.03**	**32.95**	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.38**	**20.74**
कर्मचारी हितलाभ व्यय	2.52	1.99	-	-	-	-	0.81	0.79
वित्त लागतें	9.86	11.31	-	-	-	-	3.02	3.44
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	0.02	0.02	-	-	-	-	5.20	5.19
अन्य व्यय	3.51	3.30	-	-	0.22	0.01	1.89	1.88
कुल व्यय	**15.91**	**16.62**	**-**	**-**	**0.22**	**0.01**	**10.92**	**11.30**
कर व्यय	-	-	-	-	(0.05)	-	0.88	0.74
वर्ष के दौरान लाभ	16.12	16.33	-	-	(0.17)	(0.01)	8.58	8.70
अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापक आय	**16.12**	**16.33**	**-**	**-**	**(0.17)**	**(0.01)**	**8.58**	**8.70**
प्राप्त लाभांश	3.15	3.15	-	-	-	-	1.32	1.32

45. वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया गया अनुसंधान व्यय ₹103.13 करोड़ (पिछला वर्ष ₹28.61 करोड़) है।

46. क) व्यापारिक प्राप्यों की अधिशेष राशि और परिसम्पत्तियों के अंतर्गत दर्शाई गई वसूलनीय राशि तथा देयताओं के अंतर्गत दर्शाई गई व्यापारिक और अन्य देय राशि में ऐसी अधिशेष राशि शामिल है, जो पुष्टिकरण लेखा समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। तथापि, लेखा समाधान सतत आधार पर किया जाता है। प्रबंधन की राय में, खातों की पुस्तकों में किसी भी भौतिक समायोजन की उम्मीद नहीं है।

ख) प्रबंधन की राय में, सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर गैर–वर्तमान से भिन्न किसी भी परिसम्पत्तियों का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा, जिन पर इन्हें तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

47. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण – ''ग्राहकों के साथ संविदां से राजस्व''

क) महत्वपूर्ण उपलब्धि आधारित अनुबंधों (परामर्श अनुबंध) के लिए, असंतुष्ट निष्पादन दायित्व निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
असंतुष्ट (या आंआंशिक रूप से संतुष्ट) निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य	1,044.23	1,023.65
इन निष्पादन दायित्वों के कितने समय भीतर संतुष्ट होने की उम्मीद है	3 Years	3 Years

47. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार प्रकटीकरण - ''ग्राहकों के साथ संविदां से राजस्व'' (जारी)

ख) वर्ष के दौरान संविदा परिसम्पत्तियों में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
शुरुआत में शेष	828.48	5,607.74
जोड़ें: अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	6,657.12	1,831.98
घटाएं: अवधि के दौरान व्यापार प्राप्तियों में इनवॉइस्ड/अंतरित	3,157.85	6,592.32
घटाएँ: अवधि के दौरान हानि/प्रतिवर्तन	-	18.92
अंत में शेष	**4,327.75**	**828.48**

ग. वर्ष के दौरान अनुबंध दायित्व में उतार–चढ़ाव इस प्रकार है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभ में शेष	1,086.58	1,022.73
जोड़ें: अवधि के दौरान अग्रिम बिलिंग	394.77	537.39
घटाएं: अवधि के दौरान व्यापार प्राप्य में मान्यता प्राप्त राजस्व/अंतरण		
क. अवधि की शुरुवात में अनुबंध दायित्व से	420.43	405.47
ख. अवधि के दौरान मान्यताप्राप्त अनुबंध दायित्व से	110.90	68.47
जोड़ें: रुपांतरण लाभ/हानि और अन्य समायोजन	(28.79)	0.40
अंत में शेष	**921.23**	**1,086.58**

घ. प्रतिष्ठान अपने पिछले अनुभवों के रिफंड या राजस्व की मात्रा में महत्वपूर्ण उलटफेर पर विचार करते हुए अपेक्षित मूल्य पद्धति के आधार पर लेनदेन मूल्य निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का आकुलन करने में, प्रबंधन प्रतिफल की प्रतिनियुक्ति दर के आधार पर अंतर्निहित लेनदेन मूल्य में वित्तपोषण तत्व पर विचार करता है। लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अनुबंधित मूल्य का समाधान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदागत मूल्य	43,660.11	43,464.45
जोड़ें/(घटाएं) – ग्राहक को दी जाने वाली छूट /छूट	(195.80)	(220.77)
जोड़ें/(घटाएं) – निष्पादन बोनस	572.59	544.45
जोड़ें/(घटाएं) – महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के लिए समायोजन	35.61	65.53
जोड़ें/(घटाएं) – अन्य समायोजन	1,770.59	1,749.45
लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राजस्व	**45,843.10**	**45,603.11**

48. (i) रू 191.14 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष ₹1,589.78 करोड़ की एफईआरवी हानि) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी/अमूर्ति परिसंपत्ति/लीज प्राप्य) की संबंधित अग्रेणीत राशि में समायोजित किया गया है।

(ii) ₹39.04 करोड़ की एफईआरवी हानि (पिछले वर्ष ₹293.14 करोड़ की एफईआरवी हानि) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

49. वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत ₹554.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹255.67 करोड़) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/पूंजीगत कार्य प्रगत्ति (सीडब्ल्यूआईपी) की संबंधित वहन राशि में भा.ले.मा. 23 उधार लागत के अनुसार है।

50. समूह के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता हैं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत हैं। जानकारी कंपनी अधिनियम 2013 और एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	व्यापार देय		अन्य	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	मूल राशि और उस पर देय ब्याज प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न किया गया हो:				
	मूलधन	75.17	49.34	34.57	23.43
	ब्याज	-	-	-	-
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ–साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-	-	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगत्तान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से अधिक) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-	-	-
5	आगे के वर्षों में भी शेष देय और देय ब्याज की राशि, जब तक कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य के लिए उपरोक्त के रूप में ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान नहीं की जाती है।	-	-	-	-

51. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण

क) एक पट्टेदार के रूप में–वित्त पट्टे:

समूह ने वित्तीय पट्टों के रूप में राज्य क्षेत्र की यूएलडीसी परिसंपत्तियों और द्विपक्षीय परिसंपत्तियों के लिए व्यवस्थाओं का वर्गीकरण और लेखाकरण किया है। राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी के लिए समझौते 15 साल की अवधि के लिए हैं और लाभार्थी के साथ द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियां सीईआरसी विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के लिए हैं:

अन्य गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियों में राज्य क्षेत्र के यूएलडीसी और द्विपक्षीय लाइन परिसंपत्तियों के संबंध में समूह द्वारा घटकों के साथ किए गए वित्त पट्टा लेनदेन पर प्राप्य भविष्य के लीज रेंटल के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली लीज प्राप्तियां शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' की प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निम्नानुसार दिया गया है।

(i) वित्तीय वर्ष के अंत में पट्टे में सकल निवेश, अनर्जित वित्त आय और न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पट्टे में सकल निवेश	13,370.93	7,038.53
अन–अर्जित वित्त आय	9,034.60	4,559.60
न्यूनतम पट्टे भुगतान (एमएलपी) का वर्तमान मूल्य	4,336.33	2,478.93

51. भा.ले.मा. 116 ''पट्टे'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

ii) ऐसे पट्टों की संविदात्मक परिपक्वता का मूल्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे में सकल निवेश		एमएलपीएस का वर्तमान मूल्य	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को	31.03.2023 को
एक वर्ष से अधिक नहीं	618.71	399.91	150.08	118.47
एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से अधिक नहीं	616.89	399.92	156.05	121.94
दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से अधिक नहीं	614.90	397.44	164.01	120.81
तीन वर्ष से अधिक और चार वर्ष से अधिक नहीं	613.03	388.42	173.89	122.10
चार वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से अधिक नहीं	611.69	376.65	182.85	120.59
पांच वर्ष से अधिक	10,295.71	5,076.19	3,509.45	1,875.02
कुल	**13,370.93**	**7,038.53**	**4,336.33**	**2,478.93**

(iii) ₹234.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹167.31 करोड़) की राशि के ऋणों पर अविमुक्त देनदारियों और अपरिशोधित एफईआरवी तथा ग्राहकों को अनुमत क्रेडिट अवधि के कारण खातों और टैरिफ रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष के अंत में शेष पट्टा प्राप्य में अंतर है। ऐसी देयताओं के उन्मोचन पर ही चुकाई न गई देयताएं परियोजना लागत का हिस्सा बन जाती हैं और वास्तविक भुगतान के आधार पर टैरिफ के हिस्से के रूप में एफईआरवी वसूलने की अनुमति होती है।

ख) एक पट्टेदार के रूप में:

समूह ने विभिन्न अवधियों के लिए डार्क फाइबर, कोलोकेशन और रिपीटर शेल्टर स्पेस और कार्यालय भवन आदि जैसी परिसंपत्तियों को पट्टे पर लिया है, जिनका मूल्यांकन और लेखा भा.ले.मा. 116–''पट्टे'' की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है और उक्त भा.ले.मा. के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं::–

i) प्रयोगाधिकार परिसंपत्तियां

वर्ष के लिए संपत्ति के उपयोग के अधिकार पर परिवर्धन, समाप्ति/निपटान और मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के देनदारियों के वर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में उसी की वहन राशि का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 4 में एक अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है।

ii) पट्टा देयताएं:

वर्ष के लिए पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय टिप्पणी संख्या 38 के तहत दिखाषा गया है और पट्दों के लिए कुल नकद बहिर्वाह का प्रकटीकरण वित्तीय गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह के विवरण में में अलग लाइन आइटम के रूप में किया गया है और पट्टा देनदारियों के परिपक्व विश्लेषण के रूप में टिप्पणी संख्या 63 देखें:–

iii) लघुअवधि के पट्टे:

समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान, अल्पकालिक पट्टों के संबंध में ₹31.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹31.53 करोड़) की राशि वहन की है।

समूह अल्पावधि पट्टों के लिए प्रतिबद्ध थी और वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह के पट्टों की कुल प्रतिबद्धता ₹8.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.45 करोड़) थी।

52. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण:

i) दर विनियमित गतिविधियों की प्रकृति:

समूह मुख्य रूप से बिजली के संचरण के व्यवसाय में लगी हुई है। बिजली के संचरण के लिए टैरिफ टैरिफ नियमों के माध्यम से आरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। टैरिफ सीईआरसी द्वारा भर्ती पूंजी लागत पर आधारित है और ट्रांसमिशन शुल्क वसूली के लिए प्रदान करता है, जिसमें इक्विटी पर वापसी, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन अनुरक्षण व्यय पर ब्याज शामिल है।

52. विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित प्रकटीकरण (जारी)

ii) मान्यता और मापन

मौद्रिक वस्तुओं के निपटान/रुपांतरण के लिए निर्माण अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली (गैर–वर्तमान ऋणों के अलावा) विदेशी मुद्रा में विनियामक टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में लाभार्थियों को वसूली योग्य/देय सीमा के रूप में विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के अनुसार 01.04.2016 को या उसके बाद खींची गई लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में, ओवरलाइन सीईआरसी टैरिफ नियमों के अनुसार पुनर्प्राप्त करने योग्य अंतर के अंतर को विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। समूह को उम्मीद है कि परिसंपत्ति के जीवन पर टैरिफ के मूल्यह्रास घटक के माध्यम से इन राशियों को पुनप्राप्त करने की उम्मीद है या ऋण के पुनर्भुगतान पर परिवर्तन दर भिन्नता है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित ब्लॉक अवधि 2019–2024 के लिए टैरिफ मानदंड वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी कर दर के आधार पर पारेषण पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक कर के विरुद्ध आधार पर इक्विटी पर प्रतिलाभ के सकल योग के लिए प्रावधान करते हैं। तदनुसार, पारेषण आय पर 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रदान किए गए आस्थगित कर को आस्थगित कर देयता के विरुद्ध आस्थगित संपत्ति वर्ष के रूप में लेखाबद्ध किया जाता हैं। वर्ष के लिए कर देयता के विरुद्ध आस्थगित्त संपत्तियां भविष्य के वर्षो (कर अवकाश अवधि सहित) में उलट दी जाएंगी जब संबंधित आस्थगित कर देयता वर्तमान कर का एक भाग है।

चालू वर्ष के दौरान, सीईआरसी ने दिनांक 26.12.2022 के आदेश के तहत वेतन संशोधन (2017) के कारण ₹134.16 करोड़ की राशि के दावे को अस्वीकार कर दिया है, जिसे विनियामक आस्थगन खाता शेष के रूप में दर्ज किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने विनियामक आस्थगन खाता शेष – आय/(व्यय) (कर निवल) में निवल संचलन शीर्ष के तहत चालू वर्ष में लाभार्थियों से वसूली योग्य के रूप में दर्शाई गई राशि को रिवर्स कर दिया है। दिनांक 26.12.2022 के आदेश के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष वर्ष 2023 की अपील संख्या 236 दायर की गई है। अपील को 29 अगस्त 2023 को एपीटीईएल के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है और एपीटीईएल ने इसे लघु मामलों की सूची में शामिल किया है। सुनवाई की तारीख अभी अधिसूचित की जानी है।

अन्य व्यय के कारण ₹9.57 करोड़ की संचयी राशि (पिछले वर्ष की संचयी राशि ₹4.10 करोड़) वसूलीयोग्य है जो कि पूंजीकृत नहीं की गई है लेकिन सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार पूंजीगत लागत के रूप में अनुमत है और इसे विनियामक आस्थगित खाता शेष के रूप में लेखांकित किया गया था। विनियामक आस्थगन खाते की शेष राशि बिना छूट के आधार पर है।

iii) भविष्य की वसूली/विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि के प्रत्यावर्तन से जुड़े जोखिम

(क) विनियमों में परिवर्तन के कारण नियामक जोखिम।

(ख) मुद्रा या अन्य बाजार जोखिम सहित अन्य जोखिम, यदि कोई हो।

31.03.2024 को समाप्त होने वाली वर्तमान टैरिफ अवधि के बाद टैरिफ विनियमों में कोई भी परिवर्तन नियामक आस्थगित खाता शेष की वसूली पर प्रभाव डाल सकता है।

भावी अवधि में लाभार्थियों से वसूल की जाने वाली खातों में मान्यता प्राप्त नियामक आस्थगित खाता शेष (परिसंपत्ति) इस प्रकार हैं:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. आरम्भ में शेष	**10,234.44**	**9,933.24**
ख. वर्ष के दौरान योग/(कटौती)	(872.26)	418.17
ग. वर्ष के दौरान एकत्रित /(वापस की गई राशि)	(179.90)	116.97
घ. लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त विनियमित आय/(व्यय) (ख – ग)	(692.36)	301.20
ङ. अंतशेष (क + घ)	**9,542.08**	**10,234.44**
च. के बयान में मान्य विनियमित आय, (व्यय) पर कर लाभ और हानि	(120.97)	52.63

53. सेबी (सूचीबद्धता बाधयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनिमय 34(3) के अनुसार अपेक्षित प्रकटीकरण

क. ऋणों की प्रकृति में ऋण और अग्रिम

1. संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	बकाया शेष		अधिकतम बकाया राशि	
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संयुक्त उद्म				
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	94.71	18.40	94.71	18.40
कुल	**94.71**	**18.40**	**94.71**	**18.40**

2. ऐसी फर्म/कंपनियां, जिनमें निदेशकों के हित हैं : शून्य

ख. पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में ऋणी द्वारा निवेश (जैसा कि विस्तार में दिया गया हैं) : शून्य

54. कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय

डीपीई दिशानिर्देश संख्या फा. संख्या 15(13)/2013–डीपीई (जीएम) के साथ पठित कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार समूह को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान समूह द्वारा उपार्जित औसत निवल लाभ के न्यूनतम दो प्रतिशत भाग का उपयोग, सामाजिक दायित्वों को निभाने में करना अपेक्षित है। तद्नुसार, समूह ने सीएसआर कार्यकलापों पर ₹324.22 करोड़ (पिछला वर्ष ₹327.09 करोड़) का व्यय किया है:

55. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2024को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
धारक कंपनी																
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	90.90%	79,214.21	92.57%	76,854.01	93.59%	14,574.73	95.10%	14,665.57	99.27%	(232.89)	102.11%	(106.70)	93.50%	14,341.84	95.05%	14,558.87
सहायक कंपनी																
भारतीय																
पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.02%	(19.43)	(0.02%)	(19.43)	0.00%	-	0.00%	(0.02)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.02)
पॉवरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.57%	497.15	0.59%	488.66	0.35%	54.63	1.44%	222.39	0.00%	-	0.00%	-	0.36%	54.63	1.45%	222.39
पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03%	28.64	0.03%	28.58	0.09%	14.39	0.10%	14.83	0.00%	-	0.00%	-	0.09%	14.39	0.10%	14.83
पावरग्रिड साउदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.84%	730.59	0.90%	751.27	0.83%	128.93	0.84%	129.91	0.00%	-	0.00%	-	0.84%	128.93	0.85%	129.91
पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.77%	672.43	0.85%	707.09	1.37%	213.00	1.45%	223.65	0.00%	-	0.00%	-	1.39%	213.00	1.46%	223.65
पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28%	239.15	0.30%	245.02	0.26%	39.86	0.27%	41.11	0.00%	-	0.00%	-	0.26%	39.86	0.27%	41.11
पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.22%	191.33	0.24%	195.84	0.17%	26.25	0.19%	29.15	0.00%	-	0.00%	-	0.17%	26.25	0.19%	29.15
पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.12%	99.94	0.15%	120.57	0.17%	26.68	0.12%	18.97	0.00%	-	0.00%	-	0.17%	26.68	0.12%	18.97
पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.26%	213.47	0.25%	206.88	0.31%	48.41	0.17%	26.84	0.00%	-	0.00%	-	0.32%	48.41	0.18%	26.84
पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.27%	235.92	0.28%	234.28	0.12%	18.57	0.01%	2.31	0.00%	-	0.00%	-	0.12%	18.57	0.02%	2.31
पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.13%	114.08	0.14%	118.31	0.15%	23.22	0.06%	9.18	0.00%	-	0.00%	-	0.15%	23.22	0.06%	9.18
पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.14%	124.03	0.14%	118.57	0.13%	20.69	0.07%	10.25	0.00%	-	0.00%	-	0.13%	20.69	0.07%	10.25
पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.17%	147.05	0.18%	145.70	0.16%	24.62	0.08%	12.87	0.00%	-	0.00%	-	0.16%	24.62	0.08%	12.87

55. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2024को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.22%	189.65	0.18%	147.95	0.21%	32.50	0.04%	6.79	0.00%	-	0.00%	-	0.21%	32.50	0.04%	6.79
पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.27%	234.21	0.23%	194.94	0.18%	28.41	0.00%	(0.17)	0.00%	-	0.00%	-	0.19%	28.41	0.00%	(0.17)
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.06%	54.92	0.03%	26.16	0.44%	68.78	0.33%	51.11	0.01%	(0.02)	0.00%	-	0.45%	68.76	0.33%	51.11
पावरग्रिड रामगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04%	34.33	0.03%	24.47	0.02%	2.85	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.02%	2.85	0.00%	(0.01)
पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.46%	402.22	0.51%	427.00	0.34%	53.20	0.32%	49.69	0.00%	0.01	(0.01%)	0.01	0.35%	53.21	0.32%	49.70
पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.17%	151.18	0.12%	99.68	0.14%	22.02	0.00%	(0.30)	0.00%	-	0.00%	-	0.14%	22.02	0.00%	(0.30)
पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.16%	141.02	0.10%	79.40	0.00%	(0.38)	0.00%	(0.13)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.38)	0.00%	(0.13)
पावरग्रिड भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.08%	72.28	0.04%	31.55	0.00%	(0.28)	0.00%	(0.09)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.28)	0.00%	(0.09)
पावरग्रिड अलीगढ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11%	99.89	0.09%	77.21	0.00%	(0.05)	0.00%	(0.73)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.05)	0.00%	(0.73)
पॉवरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	0.87%	759.22	0.01%	8.62	1.01%	157.33	0.00%	(0.06)	0.00%	-	0.00%	-	1.03%	157.33	0.00%	(0.06)
पॉवरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	0.11%	96.50	0.00%	0.66	0.05%	8.08	(0.06%)	(9.27)	0.00%	-	0.00%	-	0.05%	8.08	(0.06%)	(9.27)
पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11%	98.84	0.00%	(0.37)	-0.01%	(0.78)	0.00%	(0.38)	0.00%	-	0.00%	-	(0.01%)	(0.78)	0.00%	(0.38)
पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.12%	105.90	0.00%	(0.76)	0.07%	10.68	0.00%	(0.77)	0.00%	-	0.00%	-	0.07%	10.68	(0.01%)	(0.77)
पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.14%	124.31	0.00%	(0.17)	-0.01%	(1.28)	0.00%	(0.22)	0.00%	-	0.00%	-	(0.01%)	(1.28)	0.00%	(0.22)
पॉवरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01%	9.35	0.00%	(0.38)	0.00%	(0.27)	0.00%	(0.12)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.27)	0.00%	(0.12)
पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.05	0.00%	0.05	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

55. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2024को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
पॉवरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01%	11.64	0.00%	0.05	-0.01%	(1.12)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	(0.01%)	(1.12)	0.00%	-
पॉवरग्रिड खावड़ा II–बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03%	25.86	0.00%	0.05	0.00%	(0.19)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.19)	0.00%	-
पॉवरग्रिड खावड़ा II–सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.04	0.00%	0.05	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%	-
पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.00%	1.23	0.00%	0.05	0.00%	(0.07)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.07)	0.00%	-
पावरग्रिड केपीएस 3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01%	6.24	0.00%	0.05	0.00%	(0.06)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.06)	0.00%	-
पॉवरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.00	0.00%	0.01	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%	-
पॉवरग्रिड धर्मजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	0.00%	0.01	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
पॉवरग्रिड भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.26)	0.00%	0.01	0.00%	(0.27)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.27)	0.00%	-
पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA
पावरग्रिड भादला III ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.00)	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA
पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.00)	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA
पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.51)	NA	NA	0.00%	0.18	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	0.18	NA	NA
पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.00)	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA
पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.00	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	(0.01)	NA	NA
पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA

55. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के तहत यथा-अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएं				लाभ अथवा हानि में हिस्सा				अन्य व्यापक आय में हिस्सा				कुल व्यापक आय में हिस्सा			
	31.03.2024को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2024 को		31.03.2023 को	
	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परि संपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ अथवा हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	0.01	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	-	NA	NA
सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.50)	NA	NA	0.00%	0.17	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	0.17	NA	NA
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00%	(0.08)	NA	NA	0.00%	0.02	NA	NA	0.00%	-	NA	NA	0.00%	0.02	NA	NA
संयुक्त उद्यम																
भारतीय																
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.55%	475.20	0.57%	474.12	0.26%	39.95	0.26%	39.73	(0.05%)	0.11	(0.05%)	0.05	0.26%	40.06	0.26%	39.78
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.04%	37.72	0.04%	35.41	0.03%	4.42	0.04%	5.52	0.00%	-	(0.02%)	0.02	0.03%	4.42	0.04%	5.54
पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.11%	92.90	0.10%	84.35	0.08%	12.12	0.07%	11.24	0.01%	(0.02)	(0.02%)	0.02	0.08%	12.10	0.07%	11.26
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.21%	182.13	0.19%	161.28	0.13%	20.88	0.11%	16.30	0.01%	(0.03)	0.01%	(0.01)	0.14%	20.85	0.11%	16.29
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.16%	142.49	0.17%	139.74	0.14%	22.00	0.19%	29.16	0.00%	-	0.05%	(0.05)	0.14%	22.00	0.19%	29.11
नेशनल हाई पावर टेस्ट लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.01%	12.32	0.00%	-	-0.04%	(6.08)	(0.09%)	(14.24)	0.00%	-	0.00%	-	(0.04%)	(6.08)	(0.09%)	(14.24)
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.47%	412.33	0.58%	479.59	-0.45%	(70.52)	(0.29%)	(44.09)	0.00%	-	0.00%	-	(0.46%)	(70.52)	(0.29%)	(44.09)
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.72%	624.35	0.35%	292.45	-0.32%	(49.33)	(0.86%)	(132.74)	0.75%	(1.77)	(2.07%)	2.16	(0.33%)	(51.10)	(0.85%)	(130.58)
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.04%	35.12	0.04%	34.09	0.03%	4.18	0.03%	4.25	0.00%	-	0.00%	-	0.03%	4.18	0.03%	4.25
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
बुतवल–गौरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01%	9.91	0.00%	0.02	0.00%	(0.08)	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	(0.08)	0.00%	(0.01)
विदेशी																
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड	0.02%	14.51	0.02%	13.60	0.01%	2.23	0.01%	2.27	0.00%	-	0.00%	-	0.01%	2.23	0.01%	2.27
कुल	**100.00%**	**87,145.11**	**100.00%**	**83,026.29**	**100.00%**	**15,573.16**	**100.00%**	**15,419.74**	**100.00%**	**(234.61)**	**100.00%**	**(104.50)**	**100.00%**	**15,338.55**	**100.00%**	**15,315.24**

56. उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

श्रेणीगत वित्तीय लिखतें	31 मार्च, 2024 को		31 मार्च, 2023 को	
	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखतें				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹100 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	223.14		102.06	
पावरग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंन्ट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,292.79		1,672.40	
व्यापार प्राप्य		11,834.11		15,617.14
ऋण		703.51		553.47
नकदी एवं नकदी समतुल्य		3,463.95		5,192.17
बैंक में शेष		4,196.18		2,232.31
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां				
चालू		5,042.49		1,710.09
गैर–चालू		7,667.07		5,913.55
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,515.93**	**32,907.31**	**1,774.46**	**31,218.73**
वित्तीय देयताएं				
उधारी		1,26,355.50		1,31,474.10
व्यापार देय		371.36		327.79
अन्य वित्तीय देयताएं				
चालू		8,704.35		7,755.09
गैर–चालू		3,566.73		3,564.67
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**1,38,997.94**	**-**	**1,43,121.65**

म्यूचुअल फंड में ₹608.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) के निवेश को एफवीपीएल पर मापा जाता है और इसे स्तर 1 लिखत माना जाता है।

यह भाग वित्तीय लिखतों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और वित्तीय साधनों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण सारणी के नीचे दिया गया है।

वित्तीय लिखत, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2024 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	223.14	-	-	223.14
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,292.79	-	-	1,292.79
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,515.93**	**-**	**-**	**1,515.93**

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
31 मार्च, 2023 को				
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश				
इक्विटी लिखत				

56. उचित मूल्य मापन (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर–1	स्तर–2	स्तर–3	योग
पीटीसी इंडिया लिमिटेड (₹110 प्रत्येक के 12000006 शेयर)	102.06	-	-	102.06
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (136500100 शेयर)	1,672.40	-	-	1,672.40
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,774.46**	**-**	**-**	**1,774.46**

इक्विटी लिखत में ये निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं रखे जाते हैं। इसके विपरीत इन्हें मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक उद्देश्य के लिए रखा जाता है। भारतीय लेखा मानक 109 के आवेदन पर, कंपनी ने इक्विटी लिखत में इन निवेशों को एफवीटीओसीएल के रूप में नामित करने का विकल्प चुना है क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह लाभ या हानि में तुरंत उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाने की तुलना में मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशों के लिए अधिक सार्थक प्रस्तुतिकरण करता है।

वित्तीय उपकरण जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्तर	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
		वहन राशि	उचित मूल्य	वहन राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां					
ऋण					
संयुक्त उद्यमों को ऋण	2	98.65	77.97	-	-
कर्मचारियों को ऋण	2	604.86	515.77	553.47	467.33
गैर–चालू व्यापार प्राप्य	2	294.48	251.92	733.18	640.72
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां		**997.99**	**845.66**	**1,286.65**	**1,108.05**
वित्तीय देयताएं					
उधारी	2	1,26,355.50	1,26,800.31	1,31,474.10	1,32,099.75
संविदाकारों एवं अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	2	3,603.63	3,733.27	3,600.89	3,741.03
कुल वित्तीय देनदारियाँ		**1,29,959.13**	**1,30,533.58**	**1,35,074.99**	**1,35,840.78**

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, नकद और समकक्ष और अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियों की वहन राशि अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है। वित्त पट्टा प्राप्य के लिए अग्रणी मूल्य का अनुमान लगाता है। क्योकि इनका समय–समय पर मूल्यांकन ग्राहक की केडिट योग्यत्ता के आधार पर किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित नुकसान के लिए भत्ता दर्ज किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहन राशि उचित मूल्यों के बराबर होती है।

स्तर 1: स्तर 1 क्रम में, उधृत मूल्यों का प्रयोग करते हुए मूल्यांकित वित्तीय लिखतें शामिल हैं। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी बॉण्ड शामिल है, जो शेयर बाजार में सक्रिय हैं, इन्हें सूचना अवधि के अनुसार अंतिम मूल्य का प्रयोजन करते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य, जो क्रियाशील बाजार में सक्रिय नहीं है (उदाहरणार्थ, लेन–देन वाले बाण्ड) को मूल्यांकन तकनीकियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है जो उल्लेखनीय बाजार डेटा के प्रयोग को बढ़ाता है और विशिष्ट अनुमानों पर कम से कम निर्भर रहता है। यदि लिखत के उचित मूल्य हेतु अपेक्षित सभी महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय हो, तो लिखत को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक अथवा अधिक महत्वपूर्ण इनपुट उल्लेखनीय बाजार डेटा पर आधारित न हों, तो लिखत को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में सम्मिलित असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक प्रतिफलों तथा क्षतिपूरण परिसंपत्ति का मामला है।

वर्ष के दौरान स्तर 1 और 2 के बीच कोई अन्तरण नहीं है। समूह की नीति सूचना अवधि के अन्त में उचित मूल्य अनुक्रम स्तरों में अन्तरणों को मान्य करना और इस अनुक्रम में से अन्तरणों को मान्य करना है।

उचित मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकी

वित्तीय लिखतों के मूल्य के लिए प्रयुक्त विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकियों में निम्न शामिल हैं:

- उद्धृत बाजार मूल्यों का प्रयोग अथवा डीलर सदृश लिखतों के लिए उद्धृत करता है;
- शेष वित्तीय लिखतों को उचित्त मूल्य को छूट प्राप्त नकदी प्रवाह विश्लेषण का प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

पीटीसी इंडिया लिमिटेड और पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की यूनिट के इक्विटी लिखतों, जिन्हें स्तर 1 उचित मूल्य अनुक्रम में शामिल किया जाता है, को छोड़कर, सभी परिणामी उचित मूल्य अनुमान स्तर 2 में सम्मिलित किए जाते हैं।

वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया है।

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण

(क) संयुक्त उद्यम

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमित देश का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	49%	49%
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	भारत	26%	26%
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड)[1]	भारत	30.92%	30.92%
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	भारत	26%	26%
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड[2]	भारत	21.63%	20%
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	भारत	50%	50%
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड#	भारत	39.25%	33.33%
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड[3]	भारत	26%	26%
आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[4]	भारत	50%	50%
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	50%	50%
पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड[5]	नेपाल	26%	26%

[1]पावरग्रिड और सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड तीस्तावल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड में संयुक्त उद्यम भागीदार हैं और शेयरहोल्डिंग समझौते के अनुसार क्रमशः 26 प्रतिशत और 74 प्रतिशत इक्विटी रखते हैं। सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा अतिरिक्त इक्विटी के आह्वान पर, पावरग्रिड ने अपने हिस्से का योगदान दिया, जबकि अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार ने अभी तक अपने हिस्से का योगदान नहीं दिया है। नतीजतन, पावरग्रिड की हिस्सेदारी बढ़कर 30.92 प्रतिशत हो गई. जबकि शेयरहोल्डिंग समझौते में 26 प्रतिशत प्रदान किया गया था।

[2]दिनांक 23.04.2024 के पूरक संयुक्त उद्यम समझौते के तहत और संयुक्त उद्यम कंपनी के पुनरुद्धार योजना के भाग के रूप में, सभी संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को दिए गए ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था जिसमें कंपनी द्वारा ₹94.71 करोड़ का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया, कंपनी द्वारा अतिरिक्त इक्विटी योगदान और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदारों द्वारा काल्पनिक विचार पर शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से कंपनी की शेयरधारिता 50% तक बढ़ जाएगी।

[3]कंपनी के निदेशक मंडल ने 01 मई 2022 को आयोजित अपनी बैठक में क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा धारित 77,30,225 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में संबंधित अधिकारियों से मंजूरी प्रतीक्षित है।

[4]पावरग्रिड के निदेशक मंडल ने 01.05.2018 को आयोजित अपनी बैठक में आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड (आरपीटीपीएलद्ध को बंद करने और अन्य संयुक्त उद्यम भागीदार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) की सहमति लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी। आरआईएनएल के निदेशक मंडल ने 08.03.2019 को आयोजित अपनी बैठक में आरपीटीपीएल की कार्यवाही समाप्त करने और आरपीटीपीएल को बंद करने के लिए इस्पात मंत्रालय (एमओएस), भारत सरकार से अनुमोदन लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। एमओएस से आरपीटीपीएल को बंद करने की मंजूरी 11.07.2022 को प्राप्त हुई। तथापि, समापन प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी, क्योंकि साइट सक्षम कार्यों के ठेकेदार ने मध्यस्थता के आह्वान के लिए 17–12–2022 को नोटिस दिया है।

[5]कंपनी के निदेशक मंडल ने 16 दिसंबर 2023 को आयोजित अपनी बैठक में पीटीसीएन (कंपनी का संयुक्त उद्यम) में आईएलएंडएफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा रखे गए 1,30,000 इक्विटी शेयरों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, यह प्रस्ताव एनसीएलएटी के पास समीक्षाधीन है।

#संयुक्त उद्यम कंपनियों की सहायक कंपनियाँ

क) ईईएसएल एनर्जीप्रो एसेट्स लिमिटेड*

ख) ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी*

ग) कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड

*भारत के बाहर निगमित

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(ख) सहयोगी कंपनी

इकाई का नाम	व्यवसाय का स्थान/ निगमित देश का नाम	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	भारत	26%	26%

[1]13.05.2021 से सहयोगी कंपनी (12.05.2021 तक सहायक कंपनी) और टिप्पणी 19क बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति देखें।

(ग) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री के. श्रीकान्त	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31.12.2023 तक) और 01.06.2023 से 31.08.2023 तक निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार
श्री आर. के. त्यागी	निदेशक (प्रचालन) (31.12.2023 तक) एवं 01.01.2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा 02.02.2024 से निदेशक (प्रचालन) का अतिरिक्त प्रभार
श्री विनोद कुमार सिंह	निदेशक (कार्मिक) 31.05.2023 तक
श्री अभय चौधरी	निदेशक (परियोजनाएं)
श्री जी. रविशंकर	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डॉ. यतिंद्र द्विवेदी	31.08.2023 से निदेशक (कार्मिक)

स्वतंत्र निदेशक

नाम	पदनाम
श्री ऑकारप्पा के.एन	स्वतंत्र निदेशक 12.12.2023 तक
श्री चेतन बंसीलाल कंकारिया	स्वतंत्र निदेशक
श्री राम नरेश तिवारी	स्वतंत्र निदेशक

सरकारी नामित निदेशक व अन्य केएमपी

नाम	पदनाम
श्री दिलीप निगम	17.04.2024 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री मोहम्मद अफजल	11.10.2022 से 17.05.2023 तक सरकारी नामिती निदेशक
श्री साईबाबा दरबामुल्ला	18.05.2023 से सरकारी नामिती निदेशक
श्री मृणाल श्रीवास्तव	30.04.2024 तक कंपनी सचिव
श्री सत्यप्रकाश दास	01.05.2024 से कंपनी सचिव

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(घ) अन्य संबंधित पक्षों की सूची

कम्पनी का नाम	कार्यस्थान निगमित देश का नाम	संबंध का स्वरूप
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की नियोजन उपरांत लाभ योजना
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	भारत	पावरग्रिड की सेवानिवृत्ति लाभ योजना
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	भारत	प्रायोजक

(ङ.) सरकार से संबंधित कम्पनियां

कम्पनी, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो भारत सरकार की जारी एवं प्रदत्त 51.34% इक्विटी शेयर जमा पूंजी हैं (पूर्ववर्ती वर्ष 51.34%)।

कम्पनी का द्सरी कम्पनियों के साथ पूंजीगत उपकरण, अतिरिक्त पुर्जे एवं सेवाओं के प्रापण हेतु भारत सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार लेनदेन है। इन कम्पनियों के साथ लेन–देन खुली निविदाओं के प्रति पारदर्शी मूल्य खोज प्रक्रिया के जरिए आर्म्स लेंथ आधार पर बाजार शर्तों पर किए जाते हैं, जो अत्यावश्यकता, सुसंगता अथवा अन्य कारणों से स्वामित्व मदों/एकुल निविदा आधार पर मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) से अतिरिक्त पुर्जों/सेवाओं के कुछ मामलों को कर है। ऐसे एकुल निविदा प्रापण उन्हीं/सदृश मदों के उपलब्ध मूल्य डेटा के संबंध में मूल्य मानक के साथ वार्ता प्रक्रिया के जरिए भी किया जाता है।

उपरोक्त लेन–देन समान्य दिन–प्रतिदिन के कार्य प्रचालन की प्रक्रिया में है और आकार को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होना नहीं समझा जाता है, जो या तो व्यक्तिगत रूप से होता है या फिर सामूहिक रूप से।

(च) संबंधित पक्षों के साथ बकाया राशि

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के संबंध में रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निम्नलिखित शेष राशि बकाया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
प्राप्य राशियां		
संयुक्त उद्यमों को ऋण		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	94.71	18.40
कुल	**94.71**	**18.40**
संयुक्त उद्यमों को ऋण से ब्याज		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्रा लिमिटेड (पूर्णतः प्रावधानगत)	4.10	3.34
कुल	**4.10**	**3.34**
मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारियों को ऋण	**0.03**	**0.09**
अन्य प्राप्य		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.10	0.11
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.76	0.25

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
पार्वती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.38	0.39
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.80	2.86
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.33	0.32
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.79	0.01
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.24	0.15
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	4.06	2.82
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.13	1.08
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.75	0.01
कुल	**13.34**	**8.00**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.44	0.16
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.09	0.09
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.28	0.33
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.29	0.30
कुल	**1.10**	**0.88**
अन्य प्राप्य	**14.44**	**8.88**
अग्रिम / देय राशि		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	0.05
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.95	55.37
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	5.11	7.18
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	17.95	33.01
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	2.99	2.34
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	-	11.26
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
संयुक्त उद्यमों की सहायक कंपनी		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	1.73	1.15
संबंधित पक्ष को कुल देय	**34.92**	**110.36**
अन्य संबंधित पक्षकार		
कर्मचारी हितलाभ ट्रस्ट में बकाया शेष		
पावरग्रिड एम्प्लोईज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट	26.42	27.26
पावरग्रिड एम्प्लोईज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपरएनुएशन बेनिफिट (पेंशन) स्कीम ट्रस्ट	0.42	0.57
पावरग्रिड एम्प्लोईज ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	2.74	(12.02)
पावरग्रिड एम्प्लोईज पोस्ट–रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट ट्रस्ट	9.26	12.03
कुल	**38.84**	**27.84**

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(छ) संबंधित पक्षकार से लेन देन

संबंधित पक्ष से निम्न लेन देन हुए:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा दी गयी सेवाएं		
परामर्श आय		
संयुक्त उद्यम		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	0.74	0.71
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.52	1.10
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.03	0.73
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.91	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	1.13	1.06
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	1.58	1.55
बुटवल–गौरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1.97	-
कुल	**6.88**	**5.15**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.19	4.58
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	3.11	3.01
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.28	9.14
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.28	8.99
कुल	**27.86**	**25.72**
परामर्श आय	**34.74**	**30.87**
ब्याज आय		
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	3.73	0.07
कुल	**3.73**	**0.07**
अन्य संबंधित पक्ष		
पावरग्रिड इंफास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	107.97	107.70
कुल	**107.97**	**107.70**
ब्याज आय	**111.70**	**107.77**
प्राप्त लाभांश		
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड कलाअंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	5.27	6.66
पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6.90	11.21
पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	12.99	21.27
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.07	19.68
कुल	**40.23**	**58.82**
अन्य संबंधित पक्ष		
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट	29.21	46.14
कुल	**29.21**	**46.14**
प्राप्त लाभांश	**69.44**	**104.96**

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
संयुक्त उद्यम		
पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.31	0.16
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	0.02	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	0.24	0.21
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	1.14	1.35
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.01	-
अन्य आय	**1.72**	**1.72**
अन्य व्यय		
संयुक्त उद्यम:		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.65	0.93
सहायक कंपनी:		
पावरग्रिड पार्ली ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.15	-
संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनी		
कंवर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	7.40	1.22
कुल	**8.20**	**2.15**
वर्ष के दौरान निवेश		
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	18.40	-
बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	3.26	11.59
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	383.00	-
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	9.97	0.03
कुल	**414.63**	**11.62**
वर्ष के दौरान दिए गए ऋण		
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	94.71	-
कुल	**94.71**	**-**
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए ऋण	**0.07**	**0.31**
वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण चुकौती		
संयुक्त उद्यम		
नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड (इक्विटी में परिवर्तित)	18.40	-
कुल	**18.40**	**-**
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा चुकाया गया ऋण	**0.13**	**0.33**
व्यय की प्रतिपूर्ति		
संयुक्त उद्यम		
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.19	-
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.44	0.01
कुल	**0.63**	**0.01**
सहयोगी कंपनी		
पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.11

57. इंड एएस 24-''संबंधित पक्ष द्वारा प्रकटीकरण'' के अनुसार प्रकटीकरण (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल	**-**	**0.11**
अन्य संबंधित पक्ष		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान		
पावरग्रिड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	125.44	122.90
पावरग्रिड कर्मचारी परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन) योजना ट्रस्ट	8.11	91.25
पावरग्रिड कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट	24.41	(14.85)
पावरग्रिड कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ ट्रस्ट	23.65	(8.25)
कुल	**181.61**	**191.05**
पावरग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ लेनदेन		
ऋण घटक का वितरण	26.62	9.96
कुल	**26.62**	**9.96**
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए वसूली		
संयुक्त उद्यम:		
टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	1.08	0.04
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	3.17	3.03
सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.32	0.65
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.92	0.99
क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.79	0.99
बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.37	-
कुल	**6.65**	**5.70**

निबंधन और शर्तें

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऋण उन्हीं नियमों और शर्तों पर हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अन्य सभी लेनदेन सामान्य वाणिज्यिक नियमों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किए गए थे। सभी बकाया राशि अप्रतिभूत हैं और नकद में चुकाने योग्य हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को ऋण स्वीकृत निबंधन और शर्तों के अनुसार 7.50% पर दिया जाता है।

(ज) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ	4.66	5.67
रोजगार के बाद के लाभ	0.50	0.84
दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.65	0.49
कुल	**5.81**	**7.00**
बैठक शुल्क	0.48	0.44

उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को ₹2000/– प्रतिमाह के भुगतान पर स्टाफ कार (निजी यात्रा सहित) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। जैसा कि लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(23)/11–डीपीई (डब्ल्यूसी) जीएल–वी/13 दिनांक 21/01/2013 में निहित है।

58. प्रचालन खंड

क) व्यापार खंड

निदेशक मंडल समूह का मुख्य प्रचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है जो संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के परिचालन परिणामों की अलग से निगरानी करता है। प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य तीन खंडों की पहचान की गई है।

- **पारेषण सेवाएं–** समूह का प्रमुख व्यवसाय भारत के विभिन्न राज्यों में थोक बिजली का संचरण है।
- **दूरसंचार सेवाएं–** कंपनी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क पर रखे ऑप्टिकुल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू) में उपलब्ध अतिरिक्त ऑप्टिकुल फाइबर का उपयोग करती है। यह पॉइंट टू पॉइंट बैंडविड्थ लीजिंग व्यवसाय में एक तटस्थ वाहक के रूप में कार्य करता है।
- **परामर्शी सेवाएं–** यह कंपनी योजना डिजाइन, इंजीनियरिंग, लोड डिस्पैच, अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क पर ओपीजीडब्ल्यू, खरीद प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव, वित्तपोषण और परियोजना प्रबंधन सहित ट्रांसमिशन, वितरण और दूरसंचार क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

ख) समूह का प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर किया जाता है और इसलिए कोई रिपोर्ट योग्य भौगोलिक खंड नहीं है।

ग) प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारीः किसी एक ग्राहक से प्राप्त राजस्व समूह के कुल के 10% के बराबर या उससे अधिक नहीं है।

घ) खंड राजस्व और व्यय

सेगमेंट से सीधे तौर पर जुड़े राजस्व को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए सीधे जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है। भारत में बाहरी ग्राहक से राजस्व ₹46,286.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹46,093.85 करोड़) और भारत के बाहर ₹65.49 करोड़ (पिछले वर्ष ₹57.28 करोड़) है।

ङ) खंड परिसंपत्ति और देयताएं

खंड की परिसंपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, वर्तमान संपत्ति और ऋण और अग्रिम सहित सभी परिचालन संपत्तियां शामिल हैं। निर्माण, कार्य–प्रगति, निर्माण भंडार और अग्रिम और निवेश असंबद्ध संपत्तियों में शामिल हैं। खंड देनदारियों में परिचालन देनदारियां और प्रावधान शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
खंड राजस्व (आवंटन योग्य अन्य आय सहित)		
– ट्रांसमिशन	44,902.27	44,965.81
– परामर्श	718.00	536.62
– दूरसंचार	910.28	813.74
कुल	**46,530.55**	**46,316.17**
घटाएँः अंतर खंड राजस्व – परामर्श	100.64	90.14
–दूरसंचार	78.24	74.90
आबंटित अन्य आय सहित कुल राजस्व	46,351.67	46,151.13
अन्य गैर–आबंटित आय	561.45	454.51
कुल आय	**46,913.12**	**46,605.64**
खंड परिणाम		
ब्याज और कर से पहले लाभ		
– पारेषण	26,168.39	26,618.13
– परामर्श	125.96	84.26
– दूरसंचार	329.48	313.41
ब्याज और कर से पहले कुल लाभ	**26,623.83**	**27,015.80**

58. प्रचालन खंड (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
जोड़ें: संयुक्त उद्यमों में निवेश के निवल लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके गणना किया गया है	(19.55)	(82.12)
जोड़ें: अन्य असंबद्ध आय	561.45	454.51
घटाएँ: असंबद्ध ब्याज और वित्त शुल्क	8,772.75	9,633.94
कर से पहले लाभ (नियामक आस्थगित खाता शेष सहित)	**18,392.98**	**17,754.25**
घटाएँ: कर व्यय	2,819.82	2,334.51
अवधि के दौरान लाभ	**15,573.16**	**15,419.74**
खंड परिसंपत्तियाँ		
– पारेषण	2,20,672.49	2,27,422.09
– परामर्श	1,698.09	1,633.71
– दूरसंचार	1,537.53	1,092.53
असंबद्ध परिसंपत्तियाँ	26,721.55	21,863.87
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ	260.86	260.86
कुल परिसंपत्तियाँ	**2,50,890.52**	**2,52,273.06**
खंड देयताएँ		
– पारेषण	13,971.09	15,733.66
– परामर्श	2,875.70	2,728.17
– दूरसंचार	778.31	637.64
असंबद्ध देयताएँ	1,46,120.31	1,50,147.30
कुल देयताएँ	**1,63,745.41**	**1,69,246.77**
अन्य जानकारी:		
पारेषण		
मूल्यह्रास और परिशोधन	13,000.74	13,226.37
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	63.88	63.45
पूंजीगत व्यय	5,795.91	7,247.76
परामर्श		
मूल्यह्रास और परिशोधन	5.10	6.09
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकदी व्यय	10.12	2.21
पूंजीगत व्यय	9.83	2.78
दूरसंचार		
मूल्यह्रास और परिशोधन	89.43	100.92
मूल्यह्रास के अलावा अन्य गैर–नकद व्यय	17.39	0.06
पूंजीगत व्यय	77.80	130.67

59. पूंजी और अन्य प्रतिबद्धताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजीगत खाते पर निष्पादित की जाने वाली और लेखांकित न की गई शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (निवल अग्रिम)	36,173.04	18,323.86
संयुक्त उद्यम संस्थाओं में और निवेश/ऋण के प्रति समूह की प्रतिबद्धता	291.55	712.80
समूह की अन्य संस्थाओं में निवेश के प्रति समूह की प्रतिबद्धता	81.43	-

60. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) आकस्मिक देयताएं

1. समूह के खिलाफ दावों के संबंध में ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:

i) पूंजीगत कार्य

हमारी परियोजनाओं में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना और कार्यों के निष्पादन के लिए कुछ ठेकेदारों ने समूह पर अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग की है। समूह द्वारा इन दावों का संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के कारण विरोध किया जा रहा है।

समूह इन दावों के निपटान के लिए अनुबंध में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। ऐसे मामलों में ₹3,077.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2856.86 करोड़) की आकस्मिक देयता का अनुमान लगाया गया है।

ii) भूमि मुआवजे के मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत भूमि के संबंध में, भूमि हारने वालों ने विभिन्न प्राधिकरणॉध्अदालतों के समक्ष उच्च मुआवजे का दावा किया है जिनका निपटान किया जाना बाकी है। ऐसे मामलों में, ₹3,514.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,862.48 करोड़) की आकस्मिक देयता की गई है।

iii) अन्य दावे

भवन अनुज्ञा शुल्क के संबंध में विभिन्न राज्य/केंद्र सरकार के विभागों/प्राधिकारियों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, कृषि भूमि को गैर–कृषि उपयोग में बदलने पर जुर्माना। नाला कर, जल रॉयल्टी आदि और अन्य द्वारा, आकस्मिक देयता ₹453.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.71 करोड़) का अनुमान लगाया गया है।

iv) विवादित आयकर, बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामले

विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष ₹608.83 करोड़ (पिछले वर्ष ₹461.85 करोड़) के विवादित आयकर/बिक्री कर/उत्पाद शुल्क/नगरपालिका कर मामलों का विरोध किया जा रहा है। इनमें से कई मामलों को समूह के पक्ष में निपटाया गया है लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। ₹1.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹210.34 करोड़) के दावों के विरुद्ध, ₹0.28 करोड़ (पिछले वर्ष ₹174.64 करोड़) का प्रावधान किया गया है और जुर्माने के रूप में ₹1.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.70 करोड़) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि यह जानबूझकर किया गया चूक नहीं है और प्रबंधन की राय में, इसे न्यायालय द्वारा बरकरार रखे जाने की उम्मीद नहीं है।

v) अन्य

क) अन्य आकस्मिक देयताएं ₹1,175.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹972.94 करोड़) हैं, जिसमें मध्यस्थता मामलों/आरओडब्ल्यू मामलों से संबंधित ₹659.82 करोड़ (पिछले वर्ष ₹563.25 करोड़) का दावा शामिल है।

ख) कुछ लाभार्थियों ने सीईआरसी के टैरिफ आदेशों के खिलाफ अपील दायर की है। इस संबंध में आकस्मिक देयता की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ग) पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड के साथ ट्रांसमिशन सेवा समझौते (टीएसए) के तहत, समूह का दायित्व है कि वह जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) को टीएसए के अनुसार निर्धारित खरीद मूल्य पर खरीदे। ऐसा दायित्व तब उत्पन्न हो सकता है जब जेवी कंपनी (पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड) या तो "पावरग्रिड की डिफ़ॉल्ट घटना" या टीएसए के तहत निर्धारित "अप्रत्याशित घटना" पर समाप्ति नोटिस दे। इस खाते पर कोई आकस्मिक देयता नहीं मानी गई है क्योंकि यह खोज करने योग्य नहीं है।

ख. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

कंपनी के कुछ ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सीईआरसी ने कंपनी द्वारा किए गए कुछ पूंजीगत व्यय को अस्वीकार कर दिया है। ऐसे मुद्दों से व्यथित कंपनी ने सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों के लिए विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल)/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है। पिछले अनुभव के आधार पर, कंपनी का मानना है कि अनुकूल परिणाम संभावित है। तथापि, इसके वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है क्योंकि इसकी प्राप्ति निर्णय के परिणाम पर निर्भर है।

समूह ने 16/12/2016 को पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिग्रहण लागत के लिए एपीटीईएल में अपील दायर की है, जिसकी राशि ₹18.28 करोड़ है, साथ ही अधिग्रहण की तिथि से किए गए अतिरिक्त व्यय और प्रतिपूर्ति की तिथि तक ब्याज और वहन

60. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (जारी)

लागत भी शामिल है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा व्यापक सुनवाई की गई और माननीय न्यायाधिकरण ने 12 फरवरी 2020 के आदेश के माध्यम से सभी पक्षों को लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया है। विवाद के सभी पक्षों ने एपीटीईएल को लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल की हैं। समूह का मानना है कि अनुकूल परिणाम संभावित है। चूंकि ऐसे मामलों पर निर्णयों की कोई मिसाल नहीं है, इसलिए इसके सटीक वित्तीय प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है।

61. पूंजी प्रबंधन

क) जोखिम प्रबंधन

पूंजी प्रबंधन करते समय समूह के उद्देश्य निम्नानुसार हैं

- शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना;
- सतत धारणा के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की सुरक्षा करना;
- पूंजी की लागत को कम करने के लिए इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना।

समूह के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, इक्विटी पूंजी में निर्गम इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम खाता और समूह के इक्विटी धारकों के लिए जिम्मेदार अन्य सभी इक्विटी आरक्षण शामिल हैं। समूह अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक स्थितियों, नियामक कार्यढांचे और उधारदाताओं के साथ वित्तीय वाचाओं की आवश्यकताओं में परिवर्तन के मद्देनजर समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह शेयरधारकों को लाभांश भुगतान को समायोजित कर सकता है, नई परियोजनाओं में निवेश को विनियमित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकता है या नए शेयर निर्गम कर सकता है। समूह ऋण–इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है, जो कि कुल निवल मूल्य के लिए दीर्घकालिक ऋण का अनुपात है। नीति ऋण–इक्विटी अनुपात को बनाए रखने की है, जिसमें ऋण कुल नियोजित पूंजी का 75% से कम है (आर्थात ऋण से इक्विटी अनुपात 75:25 से कम)। कुल उधारी में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण, दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता और बिल छूट के लिए उधारी शामिल हैं।

समूह का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:–

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
कुल उधार (करोड़ में)	1,23,448.62	1,28,517.51
इक्विटी (करोड़ में)	87,145.11	83,026.29
ऋण इक्विटी अनुपात	1.42	1.55

प्रमुख उधार सुविधाओं की शर्तों के तहत, समूह को वित्तीय प्रसंविदाओं का पालन करना आवश्यक है। वित्तीय वाचाओं को पूरा करने में उल्लंघन करने से ऋणदाताओं को तुरंत ऋण और उधार लेने की अनुमति मिल जाएगी। वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि में किसी भी ब्याज–असर वाले ऋण और उधार की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

31.03.2024 और 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया हैं।

ख) लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ईक्वटी शेयर		
31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर ₹3.5625 (31.03.2022 – ₹1.6875*) का अंतिम लाभांश प्रति	3,313.34	1,569.48
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त शेयर पर ₹8.50 (31.03.2023 – ₹7.50*) का अंतरिम लाभांश प्रति	7,905.51	6,975.45

*बोनस शेयरों पर विचार करने के बाद

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई:

उपरोक्त लाभांश के अलावा, निदेशक मंडल ने 22 मई 2024 को प्रति पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के लिए ₹2.75 के अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

62. प्रति शेयर आय

(₹ करोड़ में)

(क) समूह के इक्विटी धारकों को अंकित प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित	16.74	16.58
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन को छोड़कर	17.36	16.31
समूह के इक्विटी धारकों को प्रति शेयर कुल मूल और तनुकृत आय	**16.74**	**16.58**

(₹ करोड़ में)

(ख) आय की गणना में अंश के रूप में उपयोग की जाने वाली आय प्रति शेयर का समाधान	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	15,573.16	15,419.74
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाली विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन सहित कंपनी के इक्विटी धारकों को अंकित आय	16,144.55	15,171.17
समूह के इक्विटी धारकों को अंकित कुल आय	**15,573.16**	**15,419.74**

(ग) हर के रूप में इस्तेमाल किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय की गणना में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित्त औसत संख्या*	9300603819	9300603819
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिए समायोजन	-	-
प्रति शेयर तनुकृत आय की गणना के लिये हर के रूप में उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की कुल भारित औसत संख्या	**9300603819**	**9300603819**

*कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹10/– प्रत्येक के 232,51,50,955 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयरों के रूप में जारी किए हैं, जो 12 सितंबर 2023 की रिकॉर्ड तिथि पर रखे गए प्रत्येक 3 इक्विटी शेयरों के लिए ₹10/– प्रत्येक के 1 इक्विटी शेयर के अनुपात में है। सभी तुलनात्मक अवधियों के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना करने के लिए इस पर विचार किया गया है। उपरोक्त के अनुरूप, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईपीएस को फिर से घोषित किया गया है।

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में भारतीय रुपये या विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित ऋण और उधार, व्यापार देय और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के पूंजी निवेश और प्रचालन को वित्तपोषित करना है।

समूह की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके प्रचालन से उत्पन्न होते हैं।

समूह की गतिविधियां इसे निम्नलिखित वित्तीय जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, अर्थात्

(क) क्रेडिट जोखिम

(ख) नकदी जोखिम

(ग) बाजार जोखिम

यह टिप्पणी इन जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने के लिए समूह के जोखिम, उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है।

जोखिम प्रबंधन कार्यढांचा

धारक कंपनी में निदेशक (परियोजना) की अध्यक्षता में एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है, जिसमें निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त) और एक स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। उद्यम द्वारा सामना की जाने वाली अनिश्चितताओं के मूल्यांकन और प्रबंधन के उद्देश्य से, उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया गया है। यह ढांचा जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए एक संरचित, जुसंगत और सतत प्रक्रिया है। इस ढांचे के अनुसार, विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं/जोखिमों

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है। समिति अंतराल पर बैठक करती है और केपीआई की समीक्षा करती है और लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड अद्यतन प्रदान करती है।

समूह द्वारा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन का सारांश नीचे दिया गया है:

(अ) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्ष वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय नुकसान हो सकता है। समूह व्यापार प्राप्य और ऋण और अग्रिमों के कारण अपनी परिचालन गतिविधियों से और बैंकों और वित्तीय रस्थानों के पास जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और अन्य वित्तीय साधनों के कारण अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम के संपर्क में है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति पर डिफॉल्ट तब होता है जब प्रतिपक्ष देय होने के 3 साल के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है। डिफॉल्ट की यह परिभाषा उस कारोबारी माहौल को देखते हुए निर्धारित की जाती है जिसमें समूह संचालित होता है और अन्य मैक्रो–इकोनॉमिक कारक होते हैं।

जब वसूली की कोई उचित अपेक्षा नहीं होती है, जैसे देनदार दिवालिया घोषित कर देता है या समूह के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहता है, तो संपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं। जहां ऋण या प्राप्य को बट्ढे खाते में डाल दिया गया है, समूह प्राप्य बकाया की वसूली के प्रयास के लिए प्रवर्तन गतिविधि में संलग्न है। जहां ऐसी वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

(i) व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्ति

समूह मुख्य रूप से अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सेवा ग्राहकों (डीआईसी) को ट्रांसमिशन सुविधाएं प्रदान करता है जिसमें मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली राज्य उपयोगिताएं शामिल हैं और मुख्य राजस्व ट्रांसमिशन शुल्क से है। सीईआरसी (अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों का बंटवारा) विनियम, 2020 (सीईआरसी साझाकरण विनियम), पारेषण प्रभारों के लिए मासिक बिलों के लिए नियत तारीख के भीतर भुगतान की अनुमति देता है, अर्थात, बिल की प्रस्तुति की तारीख से 45 दिनों के भीतर और अधिभार की वसूली 45 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान। हालांकि, समूह के नकदी प्रवाह में सुधार के लिए, 45 दिनों के भीतर किए गए शुगतान के लिए एक श्रेणीबद्ध छूट प्रदान की है। यदि कोई डीआईसी देय तिथि तक बिल या उसके हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) डीआईसी द्वारा प्रदान किए गए लेटर ऑफ क्रेडिट को भुना सकती है और बिल की राशि या उसके हिस्से की राशि, जो अतिदेय है, और विलंबित भुगतान अधिभार, यदि लागू हो, का उपयोग कर सकती है।

कंपनी के पास त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीए) द्वारा समर्थित साख पत्र (एलसी) के रूप में एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। भारत सरकार द्वारा 2001–02 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना जारी करने के बाद भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अलग–अलग राज्य सरकारों के बीच टीपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीए यह भी प्रदान करता है कि यदि किसी राज्य उपयोगिता द्वारा वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक होती है, तो बकाया राशि राज्य के आरबीआई खाते से काट ली जा सकती है और संबंधित सीपीएसयू को भुगतान किया जा सकता है।

सीईआरसी साझाकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, यदि त्रिपक्षीय समझौता मौजूद है, तो साख पत्र एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि के 1.05 (एक दशमलव शून्य पांच) के बराबर राशि के लिए होगा; बशर्ते कि जहां ऐसा त्रिपक्षीय समझौता मौजूद नहीं है, डीआईसी एक वर्ष के पहले बिल की औसत राशि 2.10 (दो दशमलव एक गुना) के बराबर राशि के लिए साख पत्र खोलेगा।

साख–पत्र के नकदीकरण के अलावा, बकाया देय राशि का भुगतान न करने पर, सीटीयू के पास विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विद्युत (एलपीएस और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अनुसार चूककर्ता इकाई पर बिजली आपूर्ति को विनियमित करने या शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस से इनकार करने की शक्ति है।

व्यापार प्राप्तियों में ₹11,671.44 करोड़ करोड़ (पिछले वर्ष ₹15,528.83 करोड़) की पारेषण सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ, ₹134.60 करोड़ की परामर्श सेवाओं से संबंधित प्राप्य राशियाँ (पिछले वर्ष ₹134.47 करोड़) और दूरसंचार व्यवसाय से संबंधित प्राप्तियाँ ₹379.44 करोड़ (पिछले वर्ष ₹250.77 करोड़) शामिल हैं।

अनुबंध परिसंपत्तियां सुख्य रूप से पूर्ण किए गए कार्य के लिए समूह के विचार के अधिकार से संबंधित हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं किया गया है इसमें समान प्रकार के अनुबंधों के लिए व्यापार प्राप्तियों के समान जोखिम विशेषताएं हैं।

(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर)

- **नकद और नकदी के समतुल्य**

  समूह के पास ₹1,900.09 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,873.83 करोड़) के नकद और नकद समकक्ष थे। नकद और नकद समकक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उच्च श्रेणी के निजी क्षेत्र के बैंकों के पास हैं और उनमें कोई महत्त्वपूर्ण ऋण जोखिम नहीं है।

- **बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास जमा**

  समूह के पास बैंकों और वित्तीय संस्थानों में ₹5,760.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,550.65 करोड़) की जमा राशि थी। सावधि जमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास रखे जाते हैं और उनमें ऋण जोखिम नगण्य होता है।

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

- **ऋण**

  समूह ने कर्मचारियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों, भारत सरकार और अन्य पार्टियों को ऋण दिया है। कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण और वाहन अग्रिम घर की संपत्तियों के बंधक या वाहनों के दृष्टिबंधक के खिलाफ प्रतिभूत हैं, जिसके लिए ऐसे ऋण समूह की नीतियों के अनुरूप दिए गए हैं। समूह कंपनियों को प्रदान किए गए ऋण टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग और सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं के लिए हैं। इन ऋणों के संबंध में चूक का जोखिम नगण्य माना जाता है।

(iii) ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता 12 माह के अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–चालू ऋण	571.24	461.46
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	7,667.07	5,913.55
नकद और नकदी के समतुल्य	1,900.09	1,873.83
बैंकों और वित्तीय संस्थानों में जमा राशि	5,760.04	5,550.65
चालू ऋण	132.43	113.75
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति	722.68	889.55
कुल	**16,753.55**	**14,802.79**
वित्तीय संपत्तियां जिनके लिए हानि भत्ता लाइफ टाइम अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	12,185.48	15,914.07
अनुबंध परिसंपत्ति	4,327.75	828.48

(iv) अपेक्षित ऋण हानियों के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानियों का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है

समूह के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। प्रारंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों (व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों को छोड़कर) को नगण्य क्रेडिट जोखिम माना जाता है और प्रारंभिक मान्यता से जोखिम में वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए, इस टिप्पणी में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, हानि के लिए कोई हानि भत्ता मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए हानि भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों का उपयोग करके मापा जाता है

दूरसंचार और परामर्श से व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में, ग्राहक ऋण जोखिम को बकाया प्राप्तियों की नियमित निगरानी और वसूली के लिए उपभोक्ता के साथ अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

ट्रांसमिशन खंड के संबंध में, समूह के पास ऐसे ग्राहक हैं जिनमें से अधिकांश राज्य सरकार की उपयोगिताएँ हैं जो दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखती हैं और इसलिए डिफ़ॉल्ट का जोखिम नगण्य है। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि भुगतान सुरक्षा तंत्र और ऐतिहासिक भुगतान व्यवहार के आधार पर, देय तिथि से 30 दिन पहले की अप्रभावित राशियाँ अभी भी पूरी तरह से वसूली योग्य हैं।

उपर्युक्त कारकों और प्रचलित विनियमों पर विचार करते हुए, व्यापार प्राप्तियों और अनुबंध परिसंपत्तियों में प्रारंभिक मान्यता और उसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर नगण्य ऋण जोखिम बना रहता है।

(v) व्यापार प्राप्य का एजेंग विश्लेषण

व्यापार प्राप्तियों का एजेंग विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

एजेंग	बिल न किया गया	देय नहीं	देय से 0–30 दिन पहले	31–60 दिन पहले बकाया	61–90 दिन पहले बकाया	91–120 दिन पहले बकाया	देय से 120 दिन पहले	कुल
31.03.2024 को सकल वहन राशि	4,114.27	5,373.71	540.45	90.39	80.46	73.85	1,912.35	12,185.48
31.03.2023 को सकल वहन राशि	8,621.36	5,451.15	434.12	214.86	47.48	67.10	1,078.00	15,914.07

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(vi) क्षतिग्रस्तता हानि प्रावधानों का मिलान

वर्ष के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन निम्नानुसार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	व्यापार प्राप्तियां	संविद परिसंपत्ति	ऋण	अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	कुल
01.04.2022 तक शेष राशि	**300.77**	**18.92**	**-**	**-**	**319.69**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि / (रिवर्स्ड)	(3.84)	-	21.74	7.94	25.84
प्रतिलेखित राशि		18.92			18.92
31.03.2023 तक शेष राशि	**296.93**	**-**	**21.74**	**7.94**	**326.61**
मान्य की गई क्षतिग्रस्तता हानि / (रिवर्स्ड)	54.44	-	(21.58)	-	32.86
31.03.2024 को शेष	**351.37**	**-**	**0.16**	**7.94**	**359.47**

वर्ष के दौरान, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ऋण की क्षतिग्रस्तता हेतु ₹21.74 करोड़ की राशि के क्षतिग्रस्तता भत्ते का प्रावधान किया गया है। ऐतिहासिक चूक दरों के आधार पर, समूह का मानना है कि उपरोक्त के अलावा, किसी भी अन्य संपत्ति के संबंध में कोई हानि भत्ता आवश्यक नहीं है क्योंकि राशि नगण्य है।

(ख) नकदी जोखिम

नकदी जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता है। समूह नकदी योजना उपकरण का उपयोग करके धन की कमी के अपने जोखिम की निगरानी करता है। समूह के पास वाणिज्यिक पत्र, बैंक ऋण, बांड और बाहरी वाणिज्यिक उधार जैसे वित्त पोषण के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच है और प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखते हुए वित्त पोषण में समुत्थानशील बरकरार रखता है।

प्रबंधन समूह की नकदी स्थिति के रोलिंग पूर्वानुमानों की निगरानी करता है जिसमें अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर नीचे की ओर आहरित उधार लेने की सुविधाएं और नकदी और नकद समकक्ष शामिल हैं।

समूह कार्यशील पूंजी प्रदान करने और पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए नकदी के आंतरिक और विदेशी दोनों स्रोतों पर निर्भर करता है।

i) वित्तीय व्यवस्था

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के पास निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1 वर्ष के भीतर समाप्त हो रहा है (बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य सुविधाएं)	5,885.75	9,131.01

बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधाएं किसी भी समय आहरित्त की जा सकती हैं और बिना किसी सूचना के बैंक द्वारा समाप्त की जा सकती हैं। संतोषजनक क्रेडिट रेटिंग की निरंतरता के अधीन, बैंक ऋण सुविधाएं किसी भी समय ली जा सकती हैं और शेष उपलब्धता अवधि 1 वर्ष (पिछले वर्ष 1 वर्ष) तक हो सकती है।

ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका सभी गैर–व्युत्पनन वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में समूह की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अघोषित नकदी प्रवाह है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	27,106.45	83,221.46	53,536.54	1,63,864.45

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	एक वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष के भीतर	5 वर्ष से अधिक	कुल
व्यापार देय	371.36			371.36
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	8.64	27.77	126.31	162.72
अन्य	8,955.61	4,723.19	12.40	13,691.20
कुल	**36,442.06**	**87,972.42**	**53,675.25**	**1,78,089.73**
31.03.2023 को				
उधार (ब्याज बहिर्वाह सहित)	23,329.59	88,030.93	60,352.50	1,71,713.02
व्यापार देनदारियां	327.79			327.79
अन्य वित्तीय देनदारियां				
पट्टा देनदारियां	8.21	28.26	129.14	165.61
अन्य	8,011.12	1,228.45	3,788.04	13,027.61
कुल	**31,676.71**	**89,287.64**	**64,269.68**	**1,85,234.03**

(ग) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार में बदलाव के कारण उत्तार–चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम शामिल हैं:

(1) मुद्रा जोखिम

(2) ब्याज दर जोखिम

(3) अन्य मूल्य जोखिम, जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और वस्तु जोखिम।

i) मुद्रा जोखिम

समूह मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के ऋणों और उधारों और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के संबंध में मुद्रा जोखिम के संपर्क में है, जिसका खरीद प्रतिफल विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित है। ट्रांसमिशन टैरिफ सीईआरसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ब्लॉक 2019–24 के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार, समूह विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज के संबंध में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज कर सकता है और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए अर्जित विदेशी ऋण की अदायगी, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अपने विवेक से कर सकता है और लागत की वसूली कर सकता है। प्रासंगिक वर्ष में मानक विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता की हेजिंग की।

यदि विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की हेजिंग नहीं की जाती है, तो संबंधित वर्ष में मानक विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए अतिरिक्त रुपये की देनदारी ट्रांसमिशन टैरिफ के हिस्से के रूप में वसूल करने की अनुमति है, बशर्ते यह उत्पादन के लिए जिम्मेदार न हो समूह या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, समूह द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए कोई हेजिंग नहीं की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए खरीदे गए सामान और सेवाओं के संबंध में, विनिमय दर भिन्नता ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए परियोजना लागत का हिस्सा है। परिचालन गतिविधियों के लिए खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में मुद्रा जोखिम महत्त्वपूर्ण नहीं है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के विदेशी मुद्रा जोखिम को डेरिवेटिव लिखत या अन्यथा द्वारा हेज नहीं किया गया जोखिम निम्नानुसार है:

विवरण	विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)			राशि (करोड़ में)	
	मुद्रा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उधारी	यूएसडी	329.17	361.60	27,640.40	29,918.78
	यूरो	46.50	53.68	4,246.85	4,877.90
	एसईके	100.04	125.20	790.32	1,004.10
	जेपीवाई	2,254.53	2,272.71	1,257.13	1,423.40
एजेंसी शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क और अन्य शुल्क सहित अर्जित ब्याज लेकिन उस पर देय नहीं है	यूएसडी	5.35	5.16	449.24	426.94
	यूरो	0.43	0.35	39.27	31.80
	एसईके	1.52	1.43	12.01	11.47
	जेपीवाई	5.35	5.32	2.98	3.33

63. वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

विवरण	विदेशी मुद्रा में राशि (करोड़ में)			राशि (करोड़ में)	
	मुद्रा	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
व्यापार देय/जमा और प्रतिधारण राशि	यूएसडी	3.68	4.19	309.01	346.68
	यूरो	1.63	1.04	148.87	94.50
	एसई के	1.18	4.53	9.32	36.33
	जीबीपी	1.61	1.14	171.72	117.65
	एनपीआर	0.38	-	0.24	-
	जेपीवाई	9.71	11.57	5.41	7.25
व्यापार प्राप्य और बैंक में शेष राशि	यूएसडी	0.08	0.05	6.63	4.08
	एनपीआर	26.84	18.92	16.78	11.83
	यूरो	0.01	0.01	0.89	0.88
निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की राशि	यूएसडी	0.35	0.96	29.39	79.43
	यूरो	0.33	0.64	30.14	58.16
	जीबीपी	0.46	0.62	49.06	63.98

संवेदनशीलता का विश्लेषण

चूंकि यूएसडी, यूरो, जेपीवाई और अन्य मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के मजबूत होने या कमजोर होने का लाभ और हानि के बयान पर प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा; इसलिए, मुद्रा जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

(ii) ब्याज दर जोखिम

समूह मुख्य रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के उधारों से उत्पन्न होने वाले ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है क्योंकि फ्लोटिंग रेट उधार से जुड़े नकदी प्रवाह में ब्याज दरों में बदलाव के साथ उतार–चढ़ाव होगा। समूह घरेलू और विदेशी मुद्रा में फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट उधार के मिश्रण वाले ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखते हुए ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह के परिवर्तनीय ब्याज दर वाले वित्तीय लिखतों की ब्याज दर प्रोफाइल इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	24,894.92	27,940.45
–विदेशी	30,858.43	33,708.81
उप योग	**55,753.35**	**61,649.26**
ब्याज की निश्चित दर के साथ दीर्घकालिक ऋण		
–घरेलू	61,919.14	60,722.49
–विदेशी	3,082.61	3,523.15
उप योग	**65,001.75**	**64,245.64**
कुल दीर्घकालिक ऋण	**1,20,755.10**	**1,25,894.90**
कुल दीर्घावधि ऋण के लिए अस्थायी ब्याज दर ऋण का प्रतिशत	**46.17%**	**48.97%**

ब्याज दर जोखिम के लिए उचित मूल्य संवेदनशीलता विश्लेषण

सीईआरसी विनियमों के अनुसार, निर्माण के दौरान ऋण पर ब्याज टैरिफ के प्रयोजन के लिए परियोजना लागत का हिस्सा बनता है और वाणिज्यिक संचालन की तारीख के बाद, ऋण पर ब्याज वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के भारित औसत ब्याज दर को लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर गणना किए गए टैरिफ के माध्यम से वसूला जा सकता है।

तदनुसार, समूह के ब्याज दर जोखिम को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है; इसलिए जोखिम के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

iii) अन्य मूल्य जोखिम

इक्विटी प्रतिभूतियों में समूह का जोखिम मूल्य जोखिम समूह द्वारा धारित और ओसीएल के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में तुलन–पत्र में वर्गीकृत निवेशों से उत्पन्न होता है।

इक्विटी निवेश के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, कोई महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है।

64. आयकर व्यय

यह टिप्पणी समूह के आयकर व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है और गैर–निर्धारण योग्य और यह बताता है कि गैर–कटौती योग्य वस्तुओं से कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह समूह की कर स्थिति के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों की भी व्याख्या करता है।

(अ) आयकर व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान कर		
वर्ष के लिए लाभ पर वर्तमान कर	3,340.69	3,018.28
पूर्व अवधियों के वर्तमान कर के लिए समायोजन	(2.48)	(73.76)
विनियामक आस्थगित खाता शेष से संबंधित (क)	(120.97)	52.63
कुल वर्तमान कर व्यय (ख)	**3,217.24**	**2,997.15**
आस्थगित कर व्यय		
इस वर्ष आस्थगित कर संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त अस्थायी अंतर और पहले से गैर–मान्यता प्राप्त कर क्रेडिट की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(397.42)	(662.64)
कुल आस्थगित कर व्यय/लाभ (ग)	**(397.42)**	**(662.64)**
आयकर व्यय (ख+ग–क)	**2,940.79**	**2,281.88**
विनियामक आस्थगित्त खाता शेष से संबंधित	**(120.97)**	**52.63**
विनियामक आस्थगित खाता शेष में संचलन पर कर सहित कुल कर व्यय	**2,819.82**	**2,334.51**

(ख) नियामक आस्थगित खाता शेष में मान्य आयकरः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर देयता के लिए आस्थगित संपत्ति	(572.84)	(783.43)
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	(124.99)	1,216.29
कर्मचारी हितलाभ और अन्य व्यय	5.47	(131.66)
कर से पहले कुल विनियामक आस्थगित खाता योगा – आय/(व्यय)	**(692.36)**	**301.20**
नियामक आस्थगित खाता शेष पर वर्तमान कर	(120.97)	52.63
नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन – आय/(व्यय) (निवल कर)	**(571.39)**	**248.57**

(ग) अन्य व्यापक आय में मान्य आयकर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवल कर	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवल कर
इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर निवल लाभ/(हानि)	(231.91)	(32.98)	**(198.93)**	(142.01)	(18.09)	**(123.92)**
परिभाषित लाभ योजनाओं पर निवल बीमांकिक हानि	(44.40)	(7.76)	**(36.64)**	39.57	6.91	**32.66**
घटाएंः निर्माण के दौरान व्यय को अंतरित (निवल)	(3.24)	(0.57)	**(2.67)**	18.69	3.26	**15.43**
अन्य व्यापक आय (निवल कर)	**(273.07)**	**(40.17)**	**(232.90)**	**(121.13)**	**(14.44)**	**(106.69)**

64. आयकर व्यय (जारी)

(घ) कर व्यय और लेखा लाभ का भारत की कर दर से गुणा करके मिलानः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर व्यय से पहले लाभ जिसमें नियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तन शामिल है	18,392.98	17,754.25
कंपनी की घरेलू कर दर पर कर	6,297.29	6,393.88
कर प्रभावः		
गैर–कटौती योग्य कर मदें	373.80	(286.94)
कर मुक्त आय	(4,815.81)	(4,785.64)
पिछले वर्षों की कर देयता	(2.48)	(73.76)
अशोषित कर हानि	(0.33)	(186.73)
आस्थगित कर व्यय / (आय)	(397.42)	(662.64)
न्यूनतम वैकल्पिक कर समायोजन	1,364.77	1,936.34
आयकर व्यय	**2,819.82**	**2,334.51**

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व

क. रोजगार पश्चात जिम्मेदारियाँ

I) परिभाषित अंशदान योजनाएँः

i) पेंशन

समूह के पास एनपीएस योजना को चुनने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन अंशदान और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की योजना है। समूह अंशदान कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन अंशदान के साथ–साथ एनपीएस के लिए अलग–अलग ट्रस्ट को दिया जाता है। वर्ष के लिए भुगतान / देय अंशदान की राशि ₹104.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹183.09 करोड़) को व्यय के रूप में मान्यता दी गई है और इसे लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

II. परिभाषित लाभ योजनाएँः

परिभाषित लाभ योजनाओं का सारांशः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024			31 मार्च 2023		
	चालू	गैर वर्तमान	कुल	चालू	गैर चालू	कुल
ग्रेच्युटी (उपदान)	68.52	453.59	**522.11**	72.31	451.17	**523.48**
पीएफ	427.65	3,093.63	**3,521.28**	669.65	2,757.41	**3,427.06**
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)	50.71	737.82	**788.53**	45.02	660.46	**705.48**
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) / सामान्य भत्ता	2.19	19.84	**22.03**	2.25	19.12	**21.37**
अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) / दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.61	23.18	**24.79**	1.66	21.55	**23.21**
कुल कर्मचारी परिभाषित लाभ दायित्व (परिभाषित लाभ योजना)	**550.68**	**4,328.06**	**4,878.74**	**790.89**	**3,909.71**	**4,700.60**

i) उपदान (ग्रेच्युटी)

समूह में परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, 15 दिनों के वेतन (15 / 26 x अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस, महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार है। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए अधिवर्षिता, त्यागपत्र, सेवा समाप्ति, निःशक्तता या मृत्यु पर अधिकतम 20 लाख तक। यह योजना समूह द्वारा वित्त पोषित है और एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। उसी के लिए देयता को तुलन–पत्र की तारीख पर वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। समूह ने 20 लाख की सीमा को ध्यान में रखते हुए ग्रेच्युटी लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन किया है।

उपदान (ग्रेच्युटी) की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव इस प्रकार हैः

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**523.48**	**539.37**	**(15.89)**	**563.98**	**553.52**	**10.46**
सेवा लागत	24.85	-	24.85	23.28	-	23.28
ब्याज व्यय (आय)	38.74	39.92	(1.18)	39.47	39.55	(0.08)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**63.59**	**39.92**	**23.67**	**62.75**	**39.55**	**23.20**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर आयए ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	14.43	-	14.43	(18.78)	-	(18.78)
अनुभव (लाभ) / हानि	(12.27)	1.32	(13.59)	(5.64)	13.63	(19.27)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**2.16**	**1.32**	**0.84**	**(24.42)**	**13.63**	**(38.05)**
नियोक्ता योगदान	-	10.30	(10.30)	-	11.50	(11.50)
लाभ भुगतान	(67.12)	(67.12)	-	(78.83)	(78.83)	-
प्रारंभिक / अन्य समायोजन	-	(4.52)	4.52	-	-	-
अंत शेष	**522.11**	**519.27**	**2.84**	**523.48**	**539.37**	**(15.89)**

योजना परिसंपत्तियों (ग्रेच्युटी) की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	18.31	-	**18.31**	3.53%	8.34	-	**8.34**	1.54%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	323.03	-	**323.03**	62.21%	340.35	-	**340.35**	63.10%
पीएसयू और निजी बांड	169.48	-	**169.48**	32.63%	177.97	-	**177.97**	33.00%
बैंक में जमा राशि / अन्य प्राप्य	8.45	-	**8.45**	1.63%	12.71	-	**12.71**	2.36%
कुल*	**519.27**	**-**	**519.27**	**100.00%**	**539.37**	**-**	**539.37**	**100.00%**

*बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹519.27 करोड़ (पिछले वर्ष ₹539.37 करोड़) है।

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए समूह के अपने हस्तांतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹19.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹30.45 करोड़) है।

ii) भविष्य निधि

समूह एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देता है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। पारिवारिक पेंशन योजना में अंशदान समुचित प्राधिकारियों को दिया जाता है। वर्ष के लिए निधि और ईपीएस योजना में ₹137.32 करोड़ (पिछले वर्ष ₹135.08 करोड़) का अंशदान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। समूह का दायित्व ऐसे निश्चित अंशदान तक सीमित है और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, एक्चुअरी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कुल ब्याज अर्जन और संचयी अधिशेष वैधानिक ब्याज भुगतान आवश्यकता से अधिक है। इसलिए, कोई और प्रावधान

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

आवश्यक नहीं माना जाता है। चूंकि समूह के पास पीएफ कॉर्पस पर बिना शर्त अधिकार नहीं है, इसलिए अधिशेष को तुलन पत्र में मान्यता नहीं दी गई है। पीएफ की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**3,427.06**	**3,441.10**	**(14.04)**	**3,334.99**	**3,163.93**	**171.06**
सेवा लागत	126.24	-	126.24	123.12	-	123.12
ब्याज व्यय (आय)	271.80	280.80	(9.00)	262.45	265.01	(2.56)
कुल	**398.04**	**280.80**	**117.24**	**385.57**	**265.01**	**120.56**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल, ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	0.27	(3.23)	3.50	-	176.48	(176.48)
अनुभव (लाभ) / हानि	(5.68)	-	(5.68)	(6.06)	-	(6.06)
कुल	**(5.41)**	**(3.23)**	**(2.18)**	**(6.06)**	**176.48**	**(182.54)**
कर्मचारी योगदान	183.32	183.32	-	191.71	191.71	-
नियोक्ता योगदान	-	126.24	(126.24)	-	123.12	(123.12)
लाभ भुगतान	(481.73)	(481.73)	-	(479.15)	(479.15)	-
अंत शेष	**3,521.28**	**3,546.50**	**(25.22)**	**3,427.06**	**3,441.10**	**(14.04)**

योजना परिसंपत्तियों (पीएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	189.46	-	**189.46**	5.34%	130.83	-	**130.83**	3.80%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	2,011.53	-	**2,011.53**	56.72%	1,898.27	-	**1,898.27**	55.16%
पीएसयू और निजी बांड	1,134.73	-	**1,134.73**	32.00%	1,284.61	-	**1,284.61**	37.33%
बैंक में जमा राशि	182.29	-	**182.29**	5.14%	26.66	-	**26.66**	0.78%
अन्य प्राप्य	28.49	-	**28.49**	0.80%	100.73	-	**100.73**	2.93%
कुल	**3,546.50**	**-**	**3,546.50**	**100.00%**	**3,441.10**	**-**	**3,441.10**	**100.00%**

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए समूह के अपने अंतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹33.45 करोड़) है।

iii) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

समूह के पास सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। वे समूह द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य–रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए देयता को तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है। इस योजना को समूह द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और दिनांक 01 मई 2018 को गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

पीआरएमएफ की योजना परिसंपत्तियों और दायित्वों में बदलाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	निवल देयता / (परिसंपत्ति)
प्रारंभिक शेष	**705.48**	**692.84**	**12.64**	**658.68**	**658.78**	**(0.10)**
सेवा लागत	26.11	-	26.11	20.75	-	20.75
ब्याज व्यय (आय)	52.20	52.20	-	46.11	46.07	0.04
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-	1.05	(1.05)
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**78.31**	**52.20**	**26.11**	**66.86**	**47.12**	**19.74**
पुनः माप						
योजना परिसंपत्तियों पर आयए ब्याज व्यय / (आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ) / हानि	35.81	-	35.81	(32.35)	-	(32.35)
अनुभव (लाभ) / हानि	17.03	5.87	11.16	53.84	7.88	45.96
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**52.84**	**5.87**	**46.97**	**21.49**	**7.88**	**13.61**
कर्मचारी योगदान			-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	75.93	(75.93)	-	(0.66)	0.66
लाभ भुगतान	(48.10)	(48.10)	-	(41.55)	(20.28)	(21.27)
प्रारंभिक / अन्य समायोजन	-	0.38	(0.38)	-	-	-
अंत शेष	**788.53**	**779.12**	**9.41**	**705.48**	**692.84**	**12.64**

योजना परिसंपत्तियों (पीआरएमएफ) की प्रमुख श्रेणियां इस प्रकार हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए				31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में	उद्धृत	गैर–उद्धृत	कुल	% में
इक्विटी लिखत (ईटीएफ)	9.58	-	**9.58**	1.23%	3.60	-	**3.60**	0.52%
ऋण लिखत								
सरकारी / राज्य बांड	415.19	-	**415.19**	53.29%	367.12	-	**367.12**	52.99%
पीएसयू और निजी बांड	342.34	-	**342.34**	43.94%	307.16	-	**307.16**	44.33%
बैंक में जमा राशि / अन्य प्राप्य	12.01	-	**12.01**	1.54%	14.96	-	**14.96**	2.16%
कुल#	**779.12**	**-**	**779.12**	**100.00%**	**692.84**	**-**	**692.84**	**100.00%**

बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्यांकन ₹779.12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹692.84 करोड़) है।

योजना परिसंपत्तियों के रूप में रखे गए समूह के अपने अंतरणीय वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य ₹0.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.00 करोड़) है।

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ (ओडीआरबी)

क) सामान्य भत्ता

समूह के पास भारत में कहीं भी सेवानिवृत्ति के समय तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों के लिए निपटान की योजना है। यह योजना वित्तपोषित नहीं है तथा इसके लिए देयता तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ख) दीर्घ सेवा पुरस्कार

यह लाभ समूह के सभी नियमित कर्मचारियों (निदेशकों तथा सीएमडी को छोड़कर) पर लागू है, जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। यह योजना वित्तपोषित नहीं है तथा इसके लिए देयता तुलन पत्र तिथि पर वार्षिक आधार पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

ओडीआरबी के देयताओं में बदलाव इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	दायित्व का वर्तमान मूल्य – सामान भत्ता		दायित्व का वर्तमान मूल्य – दीर्घ सेवा पुरस्कार	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**21.37**	**23.09**	**23.21**	**22.04**
सेवा लागत	1.38	1.33	2.01	1.91
ब्याज व्यय (आय)	1.58	1.61	1.72	1.54
कर्मचारी अंशदान	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	-	-	-	-
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**2.96**	**2.94**	**3.73**	**3.45**
पुनः मापन				
योजना परिसंपत्तियों पर आय, ब्याज व्यय/(आय) में शामिल राशि को छोड़कर	-	-	-	-
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से (लाभ)/हानि	0.67	(0.86)	0.89	(1.13)
अनुभव (लाभ)/हानि	(2.91)	(3.63)	(2.08)	0.28
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**(2.24)**	**(4.49)**	**(1.19)**	**(0.85)**
कर्मचारी योगदान	-	-	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
लाभ भुगतान	(0.06)	(0.17)	(0.96)	(1.43)
अंत शेष	**22.03**	**21.37**	**24.79**	**23.21**

v) रोजगार के बाद के लाभों के लिए महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताएं:

आर्थिक मान्यताएं

विवरण	ग्रेच्युटी, ओडीआरबी, पेंशन, पीआरएमएफ, पीएफ	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट दर	7.10%	7.40%
वेतन वृद्धि दर (पीएफ को छोड़कर)	6.50%	6.50%

छूट दर आम तौर पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है, जो देनदारियों से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा के लिए लेखांकन तिथि पर प्रासंगिक होती है। वेतन वृद्धि दर कंपनियों का वेतन वृद्धि के रूप में दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और इसमें मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है।

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

जनसांख्यिकीय मान्यताएं

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
i) सेवानिवृत्ति	60	60
ii) दिव्यांगता के प्रावधान सहित मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012 – 14)	आईएएलएम का 100% (2012 – 14)
iii) आयु		
निकासी दर प्रतिशत		
30 वर्ष तक	3	3
31 से 44 वर्ष तक	2	2
44 वर्ष से अधिक	1	1

नमूना उम्र के लिए मृत्यु दर

आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर	आयु	मृत्युदर
15	0.000698	45	0.002579	75	0.038221
20	0.000924	50	0.004436	80	0.061985
25	0.000931	55	0.007513	85	0.100979
30	0.000977	60	0.011162	90	0.163507
35	0.001202	65	0.015932	95	0.259706
40	0.001680	70	0.024058	100	0.397733

vi) निश्चित हितलाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रैच्युटी	पीएफ	पीआरएमएफ	सामान भत्ता	दीर्घ सेवा पुरस्कार
31 मार्च 2024 को					
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	522.11	3,521.28	788.53	22.03	24.79
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव					
0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(23.69)	(0.34)	(47.91)	(1.03)	(1.48)
0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	25.89	0.36	50.08	1.14	1.60
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
–0.5 प्रतिशत की बढत के कारण प्रभाव	6.62	लागू नहीं	50.21	1.12	1.53
–0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(7.65)	लागू नहीं	(47.76)	(1.05)	(1.49)
31 मार्च 2023 को					
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	523.48	3,427.06	705.48	21.37	23.21
क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव					
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.77)	(0.44)	(40.43)	(0.98)	(1.42)
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	23.75	0.46	41.86	1.06	1.49
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव					
– 0.5 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	6.89	लागू नहीं	42.27	1.05	1.52
– 0.5 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	(7.57)	लागू नहीं	(39.92)	(0.98)	(1.43)

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं भौतिक नहीं हैं, इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती।

हालांकि विश्लेषण योजना के तहत अपेक्षित नकदी प्रवाह के पूर्ण वितरण का हिसाब नहीं लेता है, यह दिखाए गए अनुमानों की संवेदनशीलता का अनुमान प्रदान करता है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसे तरीके के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को एक्सट्रापोलेशन करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ मान्यताओं को सहसंबद्ध किया जा सकता है। संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में मान्यताओं की विधि और प्रकार में पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

vii) जोखिम संसर्ग का विवरण

मूल्यांकन कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है जो प्रकृति में गतिशील होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसा कि समूह विभिन्न जोखिमों के संपर्क में रहती है:

क) वेतन वृद्धि (पीएफ को छोड़कर) – वास्तविक वेतन वृद्धि से योजना की देयता बढ़ जाएगी। वेतन वृद्धि दर अनुमानों में वृद्धि भविष्य के मूल्यांकन में भी देयता में वृद्धि होगी।

ख) निवेश जोखिम–यदि योजना को वित्त पोषित किया जाता है तो संपत्ति देनदारियां मेल नहीं खाती हैं और छूट से कम संपत्ति पर वास्तविक निवेश रिटर्न अंतिम मूल्यांकन तिथि पर ग्रहण की गई दर देयता को प्रभावित कर सकती है

ग) छूट दर– बाद के वैल्यूएशन में छूट दर में कमी से प्लान की देनदारी बढ़ सकती है।

घ) मृत्यु दर और दिव्यांगता – वास्तविक मृत्यु और विकलांगता के मामले जो मूल्यांकन में अनुमान से कम या अधिक साबित होते हैं, देनदारियां प्रभावित कर सकते हैं।

ङ) निकासी – वास्तविक निकासी जो अनुमानित निकासी से अधिक या कम साबित होती है और बाद के मूल्यांकन पर निकासी दरों में परिवर्तन योजना की देयता को प्रभावित कर सकता है।

viii) परिभाषित लाभ योजनाओं का परिपक्वता विश्लेषण:

रोजगार के बाद परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत अवधि 39.52 वर्ष (पिछले वर्ष 39.48 वर्ष) है और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए अपेक्षित योगदान ₹28.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹23.39 करोड़) है। बिना छूट वाली ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष के बीच	2–5 वर्ष के बीच	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 को					
ग्रेच्युटी	68.52	53.66	108.82	766.68	997.68
पीएफ	427.65	306.81	928.29	1,858.53	3,521.28
सेवापोरांत चिकित्सा सुविधा	50.71	61.46	247.33	993.94	1,353.44
सामान भत्ता	2.19	2.01	4.39	35.22	43.81
दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.61	1.34	3.21	48.73	54.89
कुल	**550.68**	**425.28**	**1,292.04**	**3,703.10**	**5,971.10**
31 मार्च 2023 को					
ग्रेच्युटी	72.31	65.10	126.80	794.87	1,059.08
पीएफ	669.65	307.98	530.94	1,918.49	3,427.06
सेवापोरांत चिकित्सा सुविधा	45.02	54.24	208.15	1,036.95	1,344.36
सामान भत्ता	2.25	2.40	5.15	35.10	44.90
दीर्घ सेवा पुरस्कार	1.66	1.60	3.77	47.26	54.29
कुल	**790.89**	**431.32**	**874.81**	**3,832.67**	**5,929.69**

65. कर्मचारी हितलाभ दायित्व (जारी)

ख. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का सारांशः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2023 को		
	चालू	गैर–चालू	कुल	चालू	गैर–चालू	कुल
छुट्टी नकदीकरण	78.04	581.82	**659.86**	82.54	521.44	**603.98**
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.18	18.68	**20.86**	2.47	15.71	**18.18**

i) छुट्टी दायित्व

समूह अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी लाभ (क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति सहित) और अर्ध–वेतन छुट्टी प्रदान करता है जो वर्ष में क्रमशः 30 दिन और 20 दिन अर्जित होती है। अर्जित छुट्टी सेवा में रहते हुए नकदीकरण की जा सकती है। अर्ध–वेतन छुट्टी (एचपीएल) केवल 55 वर्ष की आयु के बाद नौकरी छोड़ने पर अधिकतम 300 दिन (एचपीएल) तक नकदीकरण की जा सकती है। तथापिए सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण की जा सकने वाली छुट्टियों की कुल संख्या 300 दिनों तक सीमित होगी और अर्ध–वेतन छुट्टी का कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

छुट्टियों के दायित्वों में बदलाव इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	603.98	532.07
सेवा लागत	94.15	87.61
ब्याज व्यय (आय)	44.69	37.25
कर्मचारी योगदान	-	-
बीमांकिक लाभ/हानि	27.87	53.04
लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**166.71**	**177.90**
लाभ भुगतान	(110.83)	(105.99)
अंत शेष	**659.86**	**603.98**

II. पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार हेतु पुनर्वास योजना

समूह ने दिनांक 24 जून 2017 को पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसी कर्मचारी को उसकी स्थायी पूर्ण दिव्यांगता के मामले में और सेवा में रहते हुए मृत्यु के मामले में उसके परिवार को मौद्रिक सहायता और सहायता प्रदान करना है। लाभार्थी कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर मासिक भुगतान का हकदार होगा, बशर्ते कि लाभार्थी समूह के साथ पीएफ (वीपीएफ को छोड़कर) शेष, ग्रेच्युटी राशि और समूह बीमा (ईडीएलआई) राशि के बराबर राशि जमा करता है। ऐसा मासिक भुगतान उस सामान्य अनुमानित तारीख तक जारी रहेगा जिस दिन संबंधित कर्मचारी ने समूह की सेवा में बने रहने पर सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली होगी। यह योजना वैकल्पिक है। पावरग्रिड की कर्मचारियों के परिवार के लिए आर्थिक पुनर्वास योजना के लिए वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ₹2.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.55 करोड)द्ध का प्रावधान किया गया है।

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

क) प्रगति में पूंजीगत कार्य की एजेंग इस प्रकार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष या उससे कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष या उससे अधिक	कुल
31.03.2024 तक					
कार्यशील परियोजना	10,896.06	3,618.08	2,152.43	1,415.16	18,081.73
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**10,896.06**	**3,618.08**	**2,152.43**	**1,415.16**	**18,081.73**
31.03.2023 तक					
कार्यशील परियोजनाएं	8,316.68	3,335.36	646.91	1,442.29	13,741.24
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
कुल	**8,316.68**	**3,335.36**	**646.91**	**1,442.29**	**13,741.24**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

(ख) पूंजी–कार्य–प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या अपनी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता अनुसूची इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड एनटीपीसी की उत्तरी करणपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से संबंधित कार्य	51.79	-	-	-	**51.79**
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसएपीडीसी की अरुण–3 (900 मेगावाट) एचईपी, नेपाल से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम – भारतीय भाग	150.51	-	-	-	**150.51**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XXVII (ईआरईएस-XXVII)	13.55	-	-	-	**13.55**
प्रगति पर परियोजना	केंद्रीय क्षेत्र के स्टेशनों में एससीएडीए/आरटीयू/एसएएस का उन्नयन तथा पूर्वी क्षेत्र में ओपीजीड्ब्लू नेटवर्क को सुदृढ़ बनाना	19.04	-	-	-	**19.04**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरेसएस-XII)	475.29	-	-	-	**475.29**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	4.61	-	-	-	**4.61**
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील स्थिति माप (यूआरटीडीएसएम)	3.27	-	-	-	**3.27**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के अंतर्गत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	9.61	-	-	-	**9.61**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	5.21	-	-	-	**5.21**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस-XXXVII)	27.81	-	-	-	**27.81**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना से संबद्ध आईसीटी और बे – XXXVIII (एनआरएसएस-XXXVIII)	293.76	-	-	-	**293.76**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस-XL)	42.32	-	-	-	**42.32**
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस लाइन बे के 2 नग का निर्माण।	35.27	-	-	-	**35.27**
प्रगति पर परियोजना	एनआर में 400 केवी ट्रांसमिशन लाइनों पर रिएक्टिव पावर संबंधी मुआवजा	1.44	-	-	-	**1.44**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V (ड्ब्लूआरएसएस-V) (वापी–नई मुंबई)	482.62	-	-	-	**482.62**
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, ताकि आईएसटीएस भाग ख से एटीसी को बढ़ाया जा सके	2,179.34	-	-	-	**2,179.34**
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	-	121.07	-	-	**121.07**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड गोवा को अतिरिक्त 400 कि.वा. फ़ीड से संबंधित कार्य	23.91	-	-	-	**23.91**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली योजना–XIX (पावरग्रिड निर्माण कार्य)	67.19	-	-	-	**67.19**
प्रगति पर परियोजना	महाराष्ट्र के उस्मानाबाद क्षेत्र में पवन ऊर्जा क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (1 जीडब्लू): परली (पीजी)-पुणे (जीआईएस) 400के.वी. डी/सी लाइन के प्रत्येक सर्किट पर 50 एमवीएआर फिक्स्ड लाइन रिएक्टरों को परली (पीजी) छोर पर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों में परिवर्तित करना	2.25	-	-	-	**2.25**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र विस्तार योजना–XXV (डब्लूआरईएस-XXV)	53.95	-	-	-	**53.95**
प्रगति पर परियोजना	ईआरपीसी और डब्ल्यूआरपीसी की सिफारिशों के अनुसार ट्रांसफार्मर और रिएक्टर की खरीद	0.51	-	-	-	**0.51**
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (पीजी) सब–स्टेशन पर 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	23.31	-	-	-	**23.31**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर कम्युनिकेशन प्लान के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.76	-	-	-	**0.76**
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन परियोजना – रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की जामनगर ऑयल रिफाइनरी को जाम खंभालिया आईएसटीएस पीएस से जोड़ा जाएगा	213.07	-	-	-	**213.07**
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	4.21	-	-	-	**4.21**
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट लेवल को नियंत्रित करने की योजना	0.06	-	-	-	**0.06**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	11.46	-	-	-	**11.46**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत विश्वसनीय संचार योजना	10.73	-	-	-	**10.73**
प्रगति पर परियोजना	765/400 केवी कुरनूल (नया) सब–स्टेशन पर 1 नग 400 केवी बे	4.35	-	-	-	**4.35**
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स ग्रीनको एपी01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुरनूल न्यू सब–स्टेशन पर 1 नंबर 400 केवी लाइन बे का कार्यान्वयन (मैसर्स ग्रीनको के लिए दूसरा 400 केवी लाइन बे)	4.92	-	-	-	**4.92**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – उत्तरी त्रिचूर (केरल) . योजना#2: पुगलूर छोर पर एसी प्रणाली सुदृढ़ीकरण	37.86	-	-	-	**37.86**
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरीन–II जीआईएस पीएस में 230 केवी वे की संख्या 1 का कार्यान्वन	4.50	-	-	-	**4.50**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पावगड़ा (तुमकुर) पीएस में 1*500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (6वां) और सामान्य सुविधा कार्यों द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	2.31	-	-	-	**2.31**
प्रगति पर परियोजना	अरासुर सब–स्टेशन में 1X500 एमवीएए 400/230 केवी आईसीटी (4वां) द्वारा परिवर्तन क्षमता में वृद्धि	5.96	-	-	-	**5.96**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र के सब–स्टेशनों और जनरेटिंग स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.89	-	-	-	**0.89**
प्रगति पर परियोजना	टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	3.71	-	-	-	**3.71**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से संबद्ध लाइन बे	20.76	-	-	-	**20.76**
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़–II और भड़ला–II में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली	63.45	-	-	-	**63.45**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के तहत – भाग– क1	51.38	-	-	-	**51.38**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के तहत – भाग– जी1	165.25	-	-	-	**165.25**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण II के अंतर्गत – भाग ख1	185.63	-	-	-	**185.63**
प्रगति पर परियोजना	भादला–II पीएस और फतेहगढ़–II पीएस में आरई जनरेटर के लिए 400 केवी बे का कार्यान्वयन	15.50	-	-	-	**15.50**
प्रगति पर परियोजना	भादला–II सब–स्टेशन पर 1X80 एमवीएआर 765 केवी स्पेयर रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	**1.54**
प्रगति पर परियोजना	400 केवी सबस्टेशन पीजी खटकर (जींद) और नग्गल (पंचकूला) सबस्टेशन पर 220 केवी बे	17.35	-	-	-	**17.35**
प्रगति पर परियोजना	1X315 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तीसरा) द्वारा भीनमाल (पीजी) सब–स्टेशन पर परिवर्तन क्षमता का विस्तार	4.76	-	-	-	**4.76**
प्रगति पर परियोजना	चरण–III भाग–जे के अंतर्गत राजस्थान में आरईजेड से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली (20 गीगावाट)	-	5.68	-	-	**5.68**
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर पीएस में एन–1 आकस्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1X500 एमवीए 400/220 केवी आईसीटी (तृतीय) द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार	7.79	-	-	-	**7.79**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	1,702.45	-	-	-	**1,702.45**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से जुड़े पावरग्रिड निर्माण कार्य	71.10	-	-	-	**71.10**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XIV के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम (एनईआरएसएस-XIV)	53.30	-	-	-	**53.30**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–ख (एनईआरएसएस-II-बी) से संबंधित पावरग्रिड कार्य	91.67	-	-	-	**91.67**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– IX (एनआरएसएस -IX)	6.42	-	-	-	**6.42**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XIII (एनआरएसएस -XIII)	39.41	-	-	-	**39.41**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XVII (एनआरईएस -XVII)	1.65	-	-	-	**1.65**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	39.41	-	-	-	**39.41**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (अतिरिक्त) की स्थापना	28.20	-	-	-	**28.20**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.21	-	-	-	**2.21**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) आईएसटीएस और राज्य उपयोगिता संचार नेटवर्क के लिए अत्याधुनिक एकीकृत केंद्रीकृत नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली यू–एनएमएस की स्थापना	78.51	-	-	-	**78.51**
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	2.99	-	-	-	**2.99**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस-XLI)	21.24	-	-	-	**21.24**
प्रगति पर परियोजना	220 केवी करियन–चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग के लिए चमेरा पूलिंग पॉइंट पर 220 केवी की एक नग बे	13.01	-	-	-	**13.01**
प्रगति पर परियोजना	पीएसटीसीएल द्वारा 400/220 केवी अमृतसर (पीजी) में 220 केवी की 1 नग बे लाइन की आवश्यकता	2.16	-	-	-	**2.16**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र हेतु विश्वसनीय संचार योजना	15.03	-	-	-	**15.03**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण–II के तहत – भाग जी	1,340.65	-	-	-	**1,340.65**
प्रगति पर परियोजना	नीमच एसईजेड से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	779.28	-	-	-	**779.28**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण–II के तहत – भाग ख	803.58	-	-	-	**803.58**
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट) चरण–II के तहत – भाग ग	1,279.94	-	-	-	**1,279.94**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	प्रगतिरत परियोजनाएं – राजस्थान चरण–II भाग–घ (अलीगढ़, सीकर)	1,072.53	-	-	-	**1,072.53**
प्रगति पर परियोजना	आईएलडी के लिए एलआईएमएस की स्थापना	5.09	-	-	-	**5.09**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–जेड	2.22	-	-	-	**2.22**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–एम–1, एम–2 और एम–3	29.35	-	-	-	**29.35**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–आर, एस और टी आदि	0.41	-	-	-	**0.41**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आई–1, आई–2 और आई–3	76.03	-	-	-	**76.03**
प्रगति पर परियोजना	नोकिया स्पेयर कार्ड की खरीद	0.08	-	-	-	**0.08**
प्रगति पर परियोजना	टेलीकॉम बीबी का संवर्धन	0.00	-	-	-	**0.00**

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान के भादला में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए पारेषण प्रणाली	21.11	-	-	-	**21.11**
प्रगति पर परियोजना	चरण–II – भाग–च1 के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों (8.1जीड्ब्लू) से बिजली की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण	96.63	-	-	-	**96.63**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVI से सब–बे लाइन	25.06	-	-	-	**25.06**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XL (एनआरएसएस-XL)	49.70	-	-	-	**49.70**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में दोष स्तर को नियंत्रित करने की योजना (चरण–II)	10.94	-	-	-	**10.94**
प्रगति पर परियोजना	बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़–II और भड़ला–II में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	85.79	-	-	-	**85.79**
प्रगति पर परियोजना	सहारनपुर (पीजीजी) में 220 के.वी. की 2 नग बे लाइन	2.73	-	-	-	**2.73**
प्रगति पर परियोजना	चरण II भाग– क1 के तहत – राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	50.60	-	-	-	**50.60**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	चरण II भाग ख1 के तहत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	787.76	-	-	-	**787.76**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में अतिरिक्त आईसीटी का प्रावधान	0.20	-	-	-	**0.20**
प्रगति पर परियोजना	भादला–II सब–स्टेशन पर 1X80 एमवीएआर 765 केवी अतिरिक्त रिएक्टर का कार्यान्वयन	1.54	-	-	-	**1.54**
प्रगति पर परियोजना	भिवानी (पीजी) में 400 केवी बे लाइन का प्रावधान	18.98	-	-	-	**18.98**
प्रगति पर परियोजना	फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना (अतिरिक्त आवश्यकता)	14.36	-	-	-	**14.36**
प्रगति पर परियोजना	कुरुक्षेत्र 400 केवी बस में 500 एमवीएआर थाइरिस्टर नियंत्रित रिएक्टर का कार्यान्वयन	129.75	-	-	-	**129.75**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLI (एनआरएसएस–XLI)	20.07	-	-	-	**20.07**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण–XLII (एनआरएसएस–XLII)	10.06	-	-	-	**10.06**
प्रगति पर परियोजना	220 केवी करियन–चमेरा पूल लाइन की दूसरी सर्किट स्ट्रिंगिंग के लिए चमेरा पूलिंग पॉइंट पर 220 केवी की एक नग बे	10.26	-	-	-	**10.26**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	44.29	-	-	-	**44.29**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र में प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVII (एनआरएसएस-XXXVII)	-	28.24	-	-	**28.24**
प्रगति पर परियोजना	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XXXVIII (एनआरएसएस एनआरएसएस-XXXVIII) से संबंधित आईसीटी और बे	274.21	-	-	-	**274.21**
प्रगति पर परियोजना	वाराणसी (पीजी) सब–स्टेशन पर 400 केवी हाइब्रिड/जीआईएस की 2 नग बे लाइन का निर्माण	34.93	-	-	-	**34.93**
प्रगति पर परियोजना	शाहजहांपुर (पीजी)400/220 केवी सब–स्टेशन पर 220 केवी बे का कार्यान्वयन	2.12	-	-	-	**2.12**
प्रगति पर परियोजना	सिस्टम सुदृढ़ीकरण के तहत सोहावल (पीजी) में 1x500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी का संवर्धन (तीसरा)	22.74	-	-	-	**22.74**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	1,498.19	-	-	-	**1,498.19**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–V से संबंधित पावरग्रिड कार्य	68.33	-	-	-	**68.33**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–X (एनईआरएसएस-X)	46.69	-	-	-	**46.69**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XII (एनईआरएसएस -XII)	407.91	-	-	-	**407.91**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना–XIV (एनईआरएसएस –XIV)	50.39	-	-	-	**50.39**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–II, भाग–बी (एनईआरएसएस-II-बी)से संबंधित पावरग्रिड कार्य	87.48	-	-	-	**87.48**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–III (एनईआरएसएस -III)	54.26	-	-	-	**54.26**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–VI से संबंधित पावरग्रिड कार्य	24.19	-	-	-	**24.19**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर और रिएक्टर का प्रावधान	27.55	-	-	-	**27.55**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XI (एनईआरएसएस -XI)	40.17	-	-	-	**40.17**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना– XIII (एनईआरएसएस -XIII)	51.16	-	-	-	**51.16**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाइड बैंड संचार विस्तार योजना के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	36.73	-	-	-	**36.73**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत फाइबर ऑप्टिक संचार योजना (अतिरिक्त)की स्थापना	23.01	-	-	-	**23.01**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुराने आरटीयू का प्रतिस्थापन	2.18	-	-	-	**2.18**
प्रगति पर परियोजना	वीएसएटी आधारित संचार प्रणाली	0.21	-	-	-	**0.21**
प्रगति पर परियोजना	पावरग्रिड एनटीपीसी की उत्तरी करनपुरा (3X660 मेगावाट) उत्पादन परियोजना के लिए तत्काल निकासी से संबंधित कार्य	45.99	-	-	-	**45.99**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना–XXVI (ईआरईएस–XXVI)	1.68	-	-	-	**1.68**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के एसएलडीसी (बीएसपीटीसीएल और डीवीसी) में स्काडा/ईएमएस प्रणाली के विस्तार/उन्नयन के तहत संचार प्रणाली की स्थापना	17.17	-	-	-	**17.17**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र फाइबर ऑप्टिक विस्तार परियोजना के तहत संचार प्रणाली (अतिरिक्त आवश्यकता)	38.29	-	-	-	**38.29**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XVII (भाग–ख) (ईआरएसएस-XVII (भाग–ख),	50.06	-	-	-	**50.06**
प्रगति पर परियोजना	भूटान में नए एचईपी से बिजली के हस्तांतरण के लिए भारतीय प्रणाली में ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण से जुड़े पावरग्रिड कार्य	30.02	-	-	-	**30.02**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना–XXII	26.69	-	-	-	**26.69**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के तहत विश्वसनीय संचार योजना की स्थापना	9.87	-	-	-	**9.87**
प्रगति पर परियोजना	पूर्वी क्षेत्र में वाइडबैंड संचार नेटवर्क के विस्तार के तहत पूर्वी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	6.44	-	-	-	**6.44**
प्रगति पर परियोजना	चरण–I एकीकृत वास्तविक समय गतिशील राज्य माप (यूआरटीडीएसएम)	3.31	-	-	-	**3.31**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	467.64	-	-	-	**467.64**
प्रगति पर परियोजना	मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी ट्रांसमिशन प्रणाली	116.12	-	-	-	**116.12**
प्रगति पर परियोजना	रायगढ़ (तमनार) पूल में शामिल उत्पादन परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए अतिरिक्त प्रणाली	83.26	-	-	-	**83.26**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली के निर्यात के लिए कोल्हापुर से आगे ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करना कोल्हापुर (पीजी)– कोल्हापुर 400 केवी डी/सी लाइन की पुनर्संयोजन	34.21	-	-	-	**34.21**
प्रगति पर परियोजना	गोवा के लिए अतिरिक्त 400 केवी फीड से जुड़े पावरग्रिड कार्य	23.39	-	-	-	**23.39**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	0.75	-	-	-	**0.75**
प्रगति पर परियोजना	खरगोन टीपीएस से जुड़े पश्चिम क्षेत्र में ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत बनाने से जुड़े पावरग्रिड कार्य	103.53	-	-	-	**103.53**
प्रगति पर परियोजना	आरई परियोजनाओं के इंटरकनेक्शन के लिए पावरग्रिड सबस्टेशनों पर विस्तार कार्य	5.53	-	-	-	**5.53**
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसबीईएसएस प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 325 मेगावाट पवन परियोजना के लिए कनेक्टिविटी और एलटीए	5.51	-	-	-	**5.51**
प्रगति पर परियोजना	इंदौर सब–स्टेशन पर फॉल्ट लेवल को नियंत्रित करने की योजना	0.02	-	-	-	**0.02**
प्रगति पर परियोजना	मास्टर संचार योजना (अतिरिक्त आवश्यकता) के तहत पश्चिमी क्षेत्र में फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली की स्थापना	11.28	-	-	-	**11.28**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	11.78	-	-	-	**11.78**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में सिस्टम सुदृढ़ीकरण–XXV	38.87	-	-	-	**38.87**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	44.11	-	-	-	**44.11**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत विश्वसनीय संचार योजना	39.23	-	-	-	**39.23**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र (रायगढ़, छत्तीसगढ़) और दक्षिणी क्षेत्र (पुगलूर, तमिलनाडु) के बीच एचवीडीसी बाइपोल लिंक – उत्तरी त्रिचूर (केरल)– योजना #2: पुगलूर छोर पर एसी सिस्टम सुदृढ़ीकरण	39.16	-	-	-	**39.16**
प्रगति पर परियोजना	नेवेली, तमिलनाडु में 2X500 मेगावाट नेवेली लिग्नाइट कॉर्प लिमिटेड टीएस–1 (रिप्लेसमेंट) (एनएनटीपीएस) से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	40.55	-	-	-	**40.55**
प्रगति पर परियोजना	तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन पवन ऊर्जा क्षेत्र (तमिलनाडु) में 500 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी	33.10	-	-	-	**33.10**
प्रगति पर परियोजना	मौजूदा हिरियूर और कोच्चि उप–स्टेशनों में परिवर्तन क्षमता का विस्तार	34.59	-	-	-	**34.59**
प्रगति पर परियोजना	तूतीकोरिन–II जीआईएस पीएस में 230 केवी बे की 1 संख्या का कार्यान्वयन	4.65	-	-	-	**4.65**
प्रगति पर परियोजना	दक्षिणी क्षेत्र में केंद्रीय क्षेत्र उप–स्टेशनों और उत्पादन स्टेशनों के लिए फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली	0.83	-	-	-	**0.83**
प्रगति पर परियोजना	ओपीजीडब्ल्यू परियोजना (1517 किमी)–दूरसंचार	1.99	-	-	-	**1.99**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आई–1, आई–2 और आई–3 -दूरसंचार	30.00	-	-	-	**30.00**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–एम–1, एम–2 और एम–3 .दूरसंचार	13.82	-	-	-	**13.82**
प्रगति पर परियोजना	पैकेज–जेड – दूरसंचार	0.69	-	-	-	**0.69**
प्रगति पर परियोजना	एनटीएएमसी के लिए नेटवर्क – दूरसंचार	7.19	-	-	-	**7.19**
प्रगति पर परियोजना	आरटीएम 765 केवी स्पेयर रिएक्टर	7.03	-	-	-	**7.03**
प्रगति पर परियोजना	एनजीआर को बायपास करने के लिए आरटीएम योजना	0.99	-	-	-	**0.99**
प्रगति पर परियोजना	चरण II- भाग क के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	258.40	-	-	-	**258.40**
प्रगति पर परियोजना	चरण II – भाग ग के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	938.41	-	-	-	**938.41**
प्रगति पर परियोजना	चरण II– भाग ख के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को मजबूत करना (8.1 गीगावाट)	514.33	-	-	-	**514.33**
प्रगति पर परियोजना	चरण II– भाग च के अंतर्गत राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना (8.1 गीगावाट)	1,268.88	-	-	-	**1,268.88**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	राजस्थान चरण–II भाग–घ	941.41	-	-	-	**941.41**
प्रगति पर परियोजना	संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों सहित मेरठ में 765/400/220 केवी जीआईएस सबस्टेशन और सिंभावली में 400/220/132 केवी जीआईएस सबस्टेशन का निर्माण	997.86	-	-	-	**997.86**

(ग) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति की उम्र इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31.03.2024 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	84.68	0.18	24.66	6.24	**115.76**
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**
कुल	**84.68**	**0.18**	**24.66**	**6.24**	**115.76**
31.03.2023 को					
प्रगति पर परियोजनाएं	0.18	24.66	-	6.24	**31.08**
अस्थाई रूप से निलम्बित परियोजनाएं	-	-	-	-	**-**
कुल	**0.18**	**24.66**	**-**	**6.24**	**31.08**

(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है, विकास पूर्णता अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति इस प्रकार है:

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार परियोजनाओं के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	मेसर्स एसएपीडीसी की अरुण–3 (900 मेगावाट) एचईपी, नेपाल से विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम – भारतीय भाग	1.04	-	-	-	**1.04**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V (डब्लूआरएसएस-V) (वापी–नई मुंबई)	6.24	-	-	-	**6.24**
प्रगति पर परियोजना	गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, आईएसटीएस भाग ख से एटीसी बढ़ाने के लिए	51.87	-	-	-	**51.87**
प्रगति पर परियोजना	ट्रांसमिशन परियोजना – रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) की जामनगर ऑयल रिफाइनरी जाम खंभालिया आईएसटीएस पीएस से जोड़ना	0.02	-	-	-	**0.02**
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर–I परियोजना	24.81	-	-	-	**24.81**
प्रगति पर परियोजना	नीमच एसईजेड से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम	24.51				**24.51**

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना	कब तक पूर्ण किया जाना है				
		<1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	>3 वर्ष	कुल
प्रगति पर परियोजना	उत्तर पूर्व – उत्तरी/पश्चिमी इंटरकनेक्टर – I परियोजना	24.66	-	-	-	**24.66**
प्रगति पर परियोजना	पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना – V	6.24	-	-	-	**6.24**

(ङ) वित्तीय वर्ष के अंत तक बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(च) कंपनी को बैंकों के संघ द्वारा वर्तमान के मुकाबले प्रतिभूत ₹6,950 करोड़ (पिछले वर्ष ₹7,200 करोड़) की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई थी। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा चालू परिसंपत्तियों का त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किया गया है और खातों की पुस्तकों के साथ समझौता किया गया है।

(छ) वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा समूह को विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया था।

(ज) बंद कंपनियों के साथ संबंध:

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 को बकाया शेष	31.03.2023 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
ऐस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्यूटेक्स एडवरटाइजिंग मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्रेनटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
डिलिजेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
एरिक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	(0.00)	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
फॉर्च्यून मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
एचवीएसी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जे के पेपर सैक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेसन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मैट्रिक्स टेलीकॉम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मिट्सू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
मोनार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओम सर्विसेज एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ओरिएंट कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
क्वालिटी रिसर्च सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राज केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
राणा एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
शर्मा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिद्धराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 को बकाया शेष	31.03.2023 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
सिग्मा सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
सिनर्जी टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.16	संबंधित पक्षकार नहीं है
टीजीएन नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विसाग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	देय	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
युमिको ग्लोबल इंफ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.03	0.11	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सीलेंट इंफ्रा इलेक्ट्रिक एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.09	0.07	संबंधित पक्षकार नहीं है
ग्रिड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	देय	4.56	3.65	संबंधित पक्षकार नहीं है
पीसीएन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.01	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स	देय	-	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
आर्कटोस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	प्राप्तियों	0.08	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है
बीमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
एक्सपेडिटिव इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.08	0.08	संबंधित पक्षकार नहीं है
ग्लान सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.03	0.03	संबंधित पक्षकार नहीं है
रूफर्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
शुभ्रा कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.04	0.04	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाली कम्प्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
विस्कॉम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.02	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
यश टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	0.06	0.06	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंबाला ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
ब्लूस्काई कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
वाल्टेयर एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियों	-	-	संबंधित पक्षकार नहीं है
अंजल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
सेंचुरी मार्बल्स एंड ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.28	0.01	संबंधित पक्षकार नहीं है
इसैरिस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जे.बी. एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	NA	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
कोठारी इंटरग्रुप लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
यूनिकॉन फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.64	0.02	संबंधित पक्षकार नहीं है
वैशाख शेयर्स लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.00	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है

66. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

(₹ करोड़ में)

बंद की गई कंपनी	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2024 को बकाया शेष	31.03.2023 को बकाया शेष	बंद की गई कंपनी के साथ संबंध
विटालिक वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	0.00	संबंधित पक्षकार नहीं है
जेनिथ इंश्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.02	NA	संबंधित पक्षकार नहीं है
पिनेकल इंडिया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	शेयर बंद की गई कंपनी द्वारा धारित	0.06	-	संबंधित पक्षकार नहीं है

(झ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ञ) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान बिचौलियों के माध्यम से प्राप्त/उन्नत या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि) नहीं लिया है।

(ट) कंपनी का कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था और जिसे सरेंडर कर दिया गया हो या आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में प्रकट किया गया।

(ठ) समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

67. अन्य टिप्पणियां

क. तुलनात्मक वर्षों में पुनर्वर्गीकरण

इंड एएस 8 ''लेखा नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां'' और इंड एएस 1 ''वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति'' के अनुसार, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 01 अप्रैल 2022 (पिछले वर्ष की शुरुआत) को वित्तीय विवरणों में राशियों को निम्नानुसार पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यक्त किया है:

क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई के ईएसी) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, व्यापार प्राप्तियों को बैंक से प्राप्त विचार के लिए वित्तीय देयता की मान्यता सहित संपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाना है। इस राय को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा बिल छूट के माध्यम से कंपनी की सहायता से प्राप्त राशि को पिछले वर्ष के पुनर्वर्गीकरण से व्यापार प्राप्तियों सहित नेट ऑफ करने के बजाय वर्तमान उधार में शामिल किया गया है, जो ₹1,922.61 करोड़ है और पिछले वर्ष की शुरुआत ₹4,180.23 करोड़ थी।

ख) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित इंड एएस 12 "आयकर" में संशोधन के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल 2022 तक ₹9.16 करोड़ की आस्थगित कर राशि को अन्य इक्विटी और आस्थगित कर देनदारियों (निवल) में मान्यता दी गई है और वित्त वर्ष 2022–23 के आस्थगित कर व्यय में ₹2.62 करोड़ की कमी आई है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के अंत और शुरुआत में क्रमशः ₹54.90 करोड़ और ₹74.73 करोड़ की राशि को आस्थगित कर देनदारियों (निवल) से आस्थगित कर परिसंपत्तियों (निवल) के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

ग) कर अधिकारियों से सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी लिमिटेड (सीटीयूआईएल) द्वारा धन वापसी प्राप्त होने पर कंपनी द्वारा वसूली योग्य राशि को पिछले वर्ष के अंत में ₹674.77 करोड़ और पिछले वर्ष की शुरुआत में ₹285.74 करोड़ की राशि के अनुसार 'अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों' से 'अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों' में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिसकी रिपोर्टिंग अवधि के अंत से 12 महीने बाद वसूली होने की उम्मीद है।

घ) आईसीएआई के ईएसी की राय के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से इतर अन्य से उत्पन्न स्क्रैप से आय को 'अन्य परिचालन राजस्व' में शामिल किया जाना है क्योंकि यह कंपनी की मुख्य परिचालन कार्यकलाप के कारण उत्पन्न होती है। राय पर विचार करते हुए, ₹21.83 करोड़ की राशि को 'संचालन से राजस्व' के अंतर्गत 'अन्य आय' से 'अन्य परिचालन राजस्व' में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

इन पुनर्वर्गीकरणों का भारतीय लेखा मानक 12 संशोधनों को छोड़कर पिछले वर्षों के रिपोर्ट किए गए लाभ और हानि, कुल व्यापक आय और इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि उपरोक्त बिंदु (क) में उल्लिखित कारण से पिछले वर्ष की शुरुआत में तुलन पत्र में प्रदान की गई जानकारी पर भौतिक प्रभाव है, इसलिए कंपनी ने पिछले वर्ष की शुरुआत में तीसरी तुलन पत्र प्रस्तुत की है।

दिनांक 31 मार्च 2023 और दिनांक 01 अप्रैल 2022 तक इक्विटी का मिलान इस प्रकार है:

67. अन्य नोट जारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 अप्रैल 2022
पहले रिपोर्ट की गई कुल इक्विटी	83,014.51	76,247.13
इंड एएस 12 संशोधनों के अनुसार आस्थगित कर प्रभाव	11.78	9.16
पुनः घोषित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल इक्विटी	83,026.29	76,256.29

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कर के बाद लाभ का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पश्चात लाभ जैसा कि पहले रिपोर्ट की गई है	15,417.12
जोड़ें: भारतीय लेखा मानक 12 संशोधनों के अनुसार आस्थगित कर प्रभाव	2.62
पुनः घोषित वित्तीय विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ	15,419.74
मूल पर प्रभाव और प्रति शेयर तनु आय (₹)	0.00

ख. प्रक्रियाधीन अधिग्रहण:

कंपनी एसपीवी के तहत 5 टीबीसीबी परियोजनाओं में सफल बोलीदाता थी, जिनके निम्नलिखित नाम हैं (i) खावड़ा IV–ई2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (ii) राजस्थान IV सी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (iii) राजस्थान IV ई पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, (iv) सिरोही ट्रांसमिशन लिमिटेड और (v) ब्यावर–मंदसौर ट्रांसमिशन लिमिटेड। जिनमें से कंपनी ने दिनांक 15 अप्रैल 2024 को संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयक से पहली 3 कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया है और शेष 2 कंपनियों के संबंध में आशय पत्र (आ.प.) दिनांक 09 मई 2024 को संबंधित बोली प्रक्रिया समन्वयक से प्राप्त कर लिया गया है।

68: क) आंकड़ों को दो दशमलव तक निकटतम करोड़ रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ भी आवश्यक समझा गया, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सत्यप्रकाश दास	जी. रविशंकर	आर. के. त्यागी
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएनः 08816101	डीआईएनः 09632316

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी	कृते सागर एंड एसोसिएट्स	कृते सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी	कृते जी.डी. एपीटीई एनं कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 0000990एन	एफआरएनः 0 03510एस	एफआरएनः 121750डब्ल्यू/डब्ल्यू – 100010	एफआरएनः 100515डब्ल्यू
सीए पुनीत जैन	**सीए अजय कुमार मिश्रा**	**सीए अविलास अग्रवाल**	**सीए सी.एम. दीक्षित**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता संख्या 520928	सदस्यता संख्या 205468	सदस्यता संख्या 062668	सदस्यता संख्या 17532

दिनांकः 22 मई, 2024

स्थानः मुम्बई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षित रिपोर्ट

राय

हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे ''धारक कंपनी'' कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को इसमें आगे एक साथ ''समूह'' कहा गया है) और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां (इसके बाद ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित) का विवरण शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और देते हैं 31 मार्च 2024 को समूह और इसके संयुक्त उद्यमों के मामलों की समेकित स्थिति, समेकित लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत समेकित वित्तीय के हमारे लेखा–परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत बनाया गया है, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने तथा इस रिपोर्ट में अन्य विषयगत पैरा में यथासंदर्भित अन्य लेखा–परीक्षकों से जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा–परीक्षा के संदर्भ में एक के रूप में संबोधित किया गया था, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। नीचे प्रत्येक मामले के लिए, उस संदर्भ में हमारे लेखा–परीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया था इसका विवरण प्रदान किया गया है। भौतिकता सहित 'किसी अन्य लेखा–परीक्षार के काम का उपयोग' पर लेखापरीक्षा करने संबंधी मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे दिए गए मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को धारक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से पुनःप्रस्तुत किया गया है।

क्र.	प्रमुख लेखापरीक्षा संबंधी मामले	हमारे लेखापरीक्षा में इन मामले का कैसे समाधान किए गए थें
1	**पारेषण आय से राजस्व की मान्यता** पारेषण आय का लेखा सीईआरसी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों के आधार पर किया जाता है। पारेषण परियोजनाओं के मामले में जहां अंतिम टैरिफ आदेशों को अधिसूचित किया जाना बाकी है, पूर्व के मामलों में सीईआरसी के टैरिफ विनियमों और आदेशों के अनुसार पारेषण आय का लेखा अनंतिम आधार पर किया जाता है। सीईआरसी द्वारा अंतिम टैरिफ आदेश जारी करने पर अंतर, यदि कोई हो, का हिसाब लगाया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, पारेषण आय में ग्राहकों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए एक प्रोद्भवन भी शामिल है, लेकिन अभी तक बिल नहीं किया गया है, अर्थात, बिल न किया गया राजस्व। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार किए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा और राजस्व की मान्यता के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के कारण इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है। (टिप्पणी संख्या 35(ख)(ii) समेकित वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं सीईआरसी टैरिफ विनियमों, आदेशों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और कंपनी के आंतरिक परिपत्रों और बिजली के संचरण से राजस्व की पहचान और माप के संबंध में प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त करना। • पारेषण से राजस्व की पहचान और माप से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और परीक्षण किया। • सीईआरसी टैरिफ रेगुलेशन, ऑर्डर, सर्कूलर, गाइडलाइंस और कंपनी के आंतरिक सर्कुलर के आधार पर ट्रांसमिशन राजस्व का सत्यापन किया। • परीक्षण के आधार पर सत्यापित, हाल के मामलों में सीईआरसी के नियामक दिशानिर्देशों और आदेशों के अनुसार अनंतिम आधार पर मान्यता प्राप्त आय, जहां वाणिज्यिक की तारीख के आधार पर, उन परिसंपत्तियों के लिए जिनके अंतिम आदेश सीईआरसी द्वारा अधिसूचित किए जाने बाकी हैं। क्षेत्रीय तकनीकी प्रमुखों द्वारा जारी प्रचालन (डीओसीओ) पत्र, और पूंजी लागत, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर, विद्युत के पारेषण से राजस्व की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
2	**अधिकतम वैकल्पिक कर (एमटी) क्रेडिट हकदार से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियां** कंपनी ने भविष्य में देय कर के प्रति समायोजन की प्रत्याशा में एमएटी क्रेडिट पर विचार किया है। वर्ष और वर्ष के दौरान उसी के लिए आस्थगित कर संपत्ति बनाई। उक्त एमएटी क्रेडिट हकदार के अनुरूप, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार लाभार्थियों को बाद की अवधि में देय एक आस्थगित नियामक देयता को मान्यता दी गई है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि वित्तीय विवरणों के इच्छित उपयोगकर्ताओं के लिए इस मामले के महत्व और इसकी भौतिकता और एमएटी क्रेडिट पात्रता की मान्यता के लिए भविष्य के कर योग्य लाभ का आकुलन करने में निर्णय की आवश्यकता है। (टिप्पणी संख्या 26 समेकित वित्तीय विवरण देखें)	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में शामिल हैं • एमएटी क्रेडिट की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना। • भविष्य के कर योग्य लाभ से संबंधित पूर्वानुमानों का आकुलन करते हुए, इन पूर्वानुमानों की तैयारी में अंतर्निहित विचारों/धारणाओं की तर्कसंगतता और निरंतरता का मूल्यांकन किया। • निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित नियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, एमएटी क्रेडिट पात्रता और ग्राहकों के प्रति संबंधित नियामक आस्थगित देयता से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान और माप को पर्याप्त और उचित माना जाता है।
3	**भूमि मुआवजे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कुछ मुकदमों के संबंध में आकस्मिक देनदारियों का आकुलन, अन्य पार्टियों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।** आकस्मिक देनदारियों का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी के आकस्मिक देनदारियों के आकुलन को मामले के तथ्यों, उस पर कंपनी के फैसले, पिछले अनुभव और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह, जहां आवश्यक हो, द्वारा समर्थित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को देखते हुए हमने उपरोक्त क्षेत्र को मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में पहचाना। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें)	हमने आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • कानूनी एवं अन्य व्यावसायिक व्ययों की समीक्षा की गई तथा प्रबंधन से हाल के घटनाक्रमों और महत्वपूर्ण मुकदमों की स्थिति के बारे में पूछताछ की गई। • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया। • सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जांच की गई। निष्पादित उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों का अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और उचित माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट शामिल है। कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऊपर दी गई पहचान के अनुसार अन्य जानकारी इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी जानकारी के दौरान प्राप्त हुई है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अनुलग्नकों सहित उन दस्तावेजों को पढ़ते हैं, यदि कोई हो, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हम शासन के आरोप वाले लोगों को मामले से अवगत्त कराएंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियाँ

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की अपेक्षाओं के संदर्भ में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के अनुरक्षण और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह और इसके संयुक्त उद्यमों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमने:

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या समूह में शामिल

कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में समूह और इसके सहायक उद्यमों की क्षमता पर एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह और सहायक उद्यमों को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और सहायक उद्यमों के भीतर संस्थाओं या व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्थाओं, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई अन्य संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखा–परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करें; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य मामले

क) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को कुल परिसंपत्ति और निवल परिसंपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह के लिए नीचे दिए गए ब्यौरे उस सीमा तक दर्शाए गए हैं, जहां तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित किए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)
1	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	(19.43)	-	-
2	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,121.40	497.15	171.50	0.01
3	पावरग्रिड साउदर्न इन्टरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3,456.74	730.59	480.99	8.36
4	पावरग्रिड मेदिनीपुर जीरत ट्रांसमिशन लिमिटेड	3,245.87	672.43	597.33	(26.39)
5	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,184.07	239.15	176.53	(12.27)
6	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन लिमिटेड	919.57	191.33	121.48	4.13
7	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	450.43	99.94	69.07	5.60

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह / (बहिर्वाह)
8	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	982.52	213.47	158.68	(3.15)
9	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,159.67	235.92	132.67	(0.17)
10	पावरग्रिड भिन्ड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	569.94	114.08	70.97	0.48
11	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसमिशन लिमिटेड	570.03	124.03	79.11	0.12
12	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	863.99	189.65	104.94	(0.04)
13	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2,096.68	54.92	103.17	(185.47)
14	पावरग्रिड रामगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	355.48	34.33	13.11	-
15	पावरग्रिड हिमाचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	423.47	402.22	129.61	(6.43)
16	पावरग्रिड बीकानेर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	1,539.66	151.18	120.20	14.73
17	पावरग्रिड सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,327.56	141.02	0.01	(0.15)
18	पावरग्रिड भड़ला ट्रांसमिशन लिमिटेड	806.59	72.28	0.01	(0.07)
19	पावरग्रिड अलीगढ़ सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,079.10	99.89	0.01	(0.04)
20	पावरग्रिड एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड	473.44	96.50	75.30	0.08
21	पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,380.04	98.84	0.01	(0.42)
22	पावरग्रिड गोमती यमुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	984.12	105.90	27.00	(0.02)
23	पावरग्रिड नीमच ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	811.67	124.31	0.01	0.10
24	पावरग्रिड ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	64.02	9.35	-	(0.14)
25	पावरग्रिड ईआरडब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	31.53	0.05	-	0.22
26	पावरग्रिड खावड़ा आरई ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	292.90	11.64	-	0.05
27	पावरग्रिड खावड़ा II- बी ट्रांसमिशन लिमिटेड	499.48	25.86	-	0.04
28	पावरग्रिड खावड़ा II- सी ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,157.39	0.04	-	0.22
29	पावरग्रिड केपीएस2 ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	85.27	1.23	-	0.07
30	पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड	133.66	6.24	-	0.17
31	पावरग्रिड रायपुर पूल धमतरी ट्रांसमिशन लिमिटेड	45.41	0.00	-	0.04
32	पावरग्रिड धरमजयगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	60.50	0.01	-	0.04
33	पावरग्रिड भड़ला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	515.15	(0.26)	-	-
34	पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	95.79	0.01	-	0.01
35	पावरग्रिड भड़ला III ट्रांसमिशन लिमिटेड[1]	131.31	(0.00)	-	0.10
36	पावरग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड[2]	124.82	(0.00)	-	0.10
37	पावरग्रिड रामगढ़ II ट्रांसमिशन लिमिटेड[3]	160.41	(0.51)	-	0.09
38	पावरग्रिड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड[4]	22.65	(0.00)	-	0.01
39	पावरग्रिड नीमराणा बरेली ट्रांसमिशन लिमिटेड[4]	21.12	0.00	-	0.01
40	पावरग्रिड वतामन ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	72.26	0.01	-	0.01
41	पावरग्रिड कोप्पल गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड[5]	22.20	0.01	-	0.01
42	सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	59.23	(0.50)	-	-
43	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड[6]	68.48	(0.08)	-	-
	कुल	**29,465.62**	**4,722.80**	**2,631.71**	**(199.96)**

[1]27.09.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[2]30.10.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[3]26.10.2023 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[4]27.12.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[5]26.12.2023 को पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

[6]09.02.2024 को आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड से 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया गया

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानिद्ध (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा
1	पावरलिंक्स ट्रांसमिशन लिमिटेड	40.06
2	टोरेंट पावर ग्रिड लिमिटेड	4.46
3	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	22.00
4	बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड	(70.37)
5	बुटवल–गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	(0.10)
	कुल	**(3.75)**

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह संबंधित है इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से भौतिकता सहित 'किसी अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करने' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

ख) हमने निम्नलिखित सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2024 को कुल परिसंपत्ति और निवल परिसंपत्ति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व और निवल नकदी प्रवाह को उस सीमा तक नीचे दिए गए ब्यौरों में दर्शाया गया है, जहां तक वे समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिबिंबित किए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सहायक कंपनियों का नाम	कुल परिसंपत्ति	निवल परिसंपत्ति	कुल राजस्व	निवल नकदी अंतर्वाह/ (बहिर्वाह)
1	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	62.78	28.64	28.65	(1.25)
2	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	656.11	147.05	92.89	(4.47)
3	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	1,198.13	234.21	107.44	(0.10)
4	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	1,537.53	759.22	473.22	3.20
	कुल	**3454.55**	**1169.12**	**702.2**	**(2.62)**

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि निम्नलिखित संयुक्त उद्यमों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा हमारे द्वारा नहीं की गई है।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानि) (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा
1	पार्वती कोलडैम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	12.10
2	सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	20.88
3	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	(6.04)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	निवल लाभ/(हानि) (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा
4	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड[1]	(50.94)
5	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	4.26
6	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड[2]	-
7	पावर ट्रांसमिशन कंपनी नेपाल लिमिटेड[3]	2.23
	कुल	**(17.51)**

[1] संयुक्त उद्यम की सहायक कंपनियाँ शामिल हैं

[2] परिसमापन की प्रक्रिया में हैं।

[3] भारत के बाहर स्थित हैं।

संयुक्त उद्यमों के ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक उपरोक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर आधारित है। उपरोक्त संयुक्त उद्यमों में से एक भारत के बाहर स्थित है जिसके संबंध में धारक कंपनी के प्रबंधन ने हमें भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरण प्रदान किए हैं। हमारी राय में और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

ग) इस विवरण में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए इसी वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकड़े शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा कंपनी के पूर्ववर्ती तीन संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जहां उन्होंने ऐसे समेकित वित्तीय विवरणों पर 19 मई 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अन्य मामलों के पैरा में यथाउल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधि ानियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं। इसके अलावा, भारत में निगमित 5 (पाँच) संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2024 तक भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक ''1'' पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें। हमारी रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणओं के संदर्भ में समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता पर एक अपरिवर्तित राय अभिव्यक्त की गई है।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(अ) के अनुसरण में, कंपनी अधिनियम की धारा 197 समूह पर लागू नही होते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में निगमित 5 (पाँच) संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधकीय पारिश्रमिक उनके निदेशकों को अधिनियम की अनुसूची V की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार भुगतान/प्रदान किया गया है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और 'अन्य मामलों' के पैरा में यथाउल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर:

i) समेकित वित्तीय विवरणों में समूह (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें) और संयुक्त उद्यम कंपनियों (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44.2 देखें) की समेकित वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया गया है।

ii) समूह को लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत 31 मार्च 2024 तक किसी प्रावधान को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसमें दीर्घकालिक अनुबंधों (व्युत्पन्न अनुबंधों सहित) पर कोई भौतिक पूर्वानुमानित घाटा नहीं है।

iii) समूह और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv) क) समूह और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों को निरूपित किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी से धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था (मध्यस्थ'') सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों (अंतिम लाभार्थी'') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें:

ख) समूह और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और इसके संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों को निरूपित किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यमों द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है (वित्त पोषण पार्टियों), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि धारक कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी (अंतिम'' लाभार्थी?) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं:

ग) हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त उद्यम कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी सामग्री गलत विवरण है।

v) (क) पिछले वर्ष और वर्ष के लिए अंतिम प्रस्तावित लाभांश और धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल थी, कंपनी, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (नीचे उल्लिखित उदाहरण को छोड़कर) ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा–परीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित रही है। इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा–परीक्षा के दौरान हमें लेखा–परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला।

भारत में निगमित 4 सहायक कंपनियों और 6 संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों का अधिनियम के प्रावधानों के तहत लेखा–परीक्षा नहीं किया गया है। तदनुसार, हम इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक 01 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा–परीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के पैराग्राफ 3(xxi) और 4 में निर्दिष्ट मामलों, जिन्हें लेखा परीक्षक कि रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और

स्पष्टीकरण के अनुसार, और धारक कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान किए गए धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के घटक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, जिस पर सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू होती है, और संबंधित घटक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी सीएआरओ रिपोर्ट में आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणियों के मामलों की पहचान के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि उन कंपनियों के संबंध में जहां लेखा परीक्षा पूरी हो चुकी है अधिनियम की धारा 143 के तहत, ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने कोई आक्षेप या प्रतिकूल टिप्पणी की सूचना नहीं दी है। धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित कंपनियों के संबंध में, जिनका अधिनियम की धारा 143 के तहत लेखा परीक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन संस्थाओं के संबंध में लागू सीएआरओ रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और परिणामस्वरूप इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार हमें प्रदान नहीं की गई है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम
1.	पावरग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
2.	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
3.	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	सहायक कंपनी
4.	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी
5.	पार्बती कोल्डम ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी
6.	सिक्किम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
7.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
8.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
9.	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम
10.	आरआईएनएल पावरग्रिड टीएलटी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम

तदनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लिए कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 520928
यूडीआईएन: 24520928बीजेजेडड्ब्लूटीएल7363

कृते **सागर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 003510एस

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 205468
यूडीआईएन: 24205468बीकेजीपीबीजी2789

कृते **सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू-100010

अविलास अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 062668
यूडीआईएन: बीकेबीआईड्ब्लूएल8798

कृते **जी.डी. आप्टे एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 100515ड्ब्लू

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्याः 17532
यूडीआईएन: 24017532बीकेईएसडीजेड2310

दिनांकः 22 मई, 2024
स्थानः मुम्बई

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक '1'

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की समदिनांकित रिपोर्ट की भाग "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत संदर्भित पैराग्राफ 1(च)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां, जो 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में निगमित कंपनियां हैं, के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां है, का संबंधित निदेशक मंडल, अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधित कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्ट पर समूह और भारत में निगमित इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्रासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं

(i) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण सहित सही और संव्यवहार तथा निपटान को निष्पादित करें

(ii) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तकि भारत में निगमित 43 (तैंतालीस) सहायक कंपनियों और 5 (पांच) संयुक्त उद्यम कंपनियों का संबंध है, ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्ट पर आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह भारत में निगमित 4 (चार) सहायक और 6 (छहः) संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी की अलेखापरीक्षित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावशीलता पर हमारी राय प्रभावित नहीं हुई है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त सहायक और संयुक्त उद्यमों के संबंध में निवल लाभ/हानि (अन्य व्यापक आय सहित) में समूह का हिस्सा और प्रकटीकरण, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट संशोधित नहीं की गई है।

कृते **एस. रामानंद अय्यर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 000990एन

कृते **सुरेश सुराना एंड एसोसिएट्स एलएलपी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 121750ड्ब्ल्यू/ड्ब्ल्यू-100010

पुनीत जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 520928
यूडीआईएन: 24520928बीजेजेडड्ब्लूटीएल7363

अविलास अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता संख्या: 062668
यूडीआईएन: बीकेबीआईड्ब्लूएल8798

कृते **सागर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 003510एस

कृते **जी.डी. आप्टे एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 100515ड्ब्लू

अजय कुमार मिश्रा
साझेदार
सदस्यता संख्या: 205468
यूडीआईएन: 24205468बीकेजीपीबीजी2789

सी.एम. दीक्षित
साझेदार
सदस्यता संख्याः 17532
यूडीआईएन: 24017532बीकेईएसडीजेड2310

दिनांकः 22 मई, 2024
स्थानः मुम्बई



पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार का एक उद्यम

पंजीकृत कार्यालयः बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110 016, भारत, फोनः 91-11-26560112, 26560115

कॉरपोरेट कार्यालयः "सौदामिनी", प्लॉट नंबर–2, सेक्टर–29, गुरुग्राम–122 001 (हरियाणा), भारत, फोनः 0124-2822999, 2822000

CIN : L40101DL1989GOI038121 | **www.powergrid.in**

एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक आवृत्ति